राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 2] सप्तम विधान सभा के द्वितीय सत्र का 22 वां दिवस [संख्या 12

शुक्रवार

दिनांक 13 मार्च, 1981

विधान सभा की बैठक म. पू. 11·00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री नरपतराम बरवड़।

सूरसागर [जोधपुर] की हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण

232. **श्री नरपतराम बरवड़** (सूरसागर) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार हरिजन बस्तियों में प्राथमिकता के आधार पर विद्युतीकरण करना चाहती है जिसकी घोषणा कई बार की जा चुकी है? यदि हां, तो सूरसागर क्षेत्र की कच्ची व हरिजन बस्तियां, जो अधिकांश सूरसागर क्षत्र में स्थित हैं, उनके विद्युतीकरण हेतु कितनी धनराशि वर्ष 1980-81 में स्वीकृत हुई तथा कितनी-कितनी राशि किस-किस बस्ती में खर्च की गई है? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सूरसागर क्षेत्र की हरिजन बस्तियों में बिल्कुल ही विद्युतीकरण नहीं हुआ है? यदि हां, तो इसके लिये कौन उत्तरदायी है?

राज्य मंत्री विद्युत (श्री प्रद्युम्नसिंह) :(1) जी हां। सम्बन्धित ग्राम पंचायतों द्वारा हरिजन बस्तियों में विद्युत रोशनी के खर्चे को वहन करने हेतु आवश्यक अनुबन्ध पत्र मण्डल के सम्बन्धित कार्यालयों में प्रस्तुत किये जाने पर उन गांवों की हरिजन बस्तियों की विद्युत मण्डल द्वारा विद्युतीकरण से सम्बन्धित कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जाती है। वर्ष 1980-81 में सूरसागर क्षेत्र की निम्न तीन हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण हेतु मण्डल द्वारा कुल रुपये 41,594/-की राशि स्वीकृत की गई है जो कि पूर्ण रूप से व्यय हो चुकी है।

1. गडरियों की ढाणी और मेघवालों की बस्ती,

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

2. कालूराम की बावड़ी,

3. राजबाग हरिजन बस्ती ।

(2) जी नहीं । सूरसागर क्षेत्र की तीन हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण माह मार्च, 1980 के पूर्व ही किया जा चुका था तथा वर्ष 1980–81 में तीन और हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण कर दिया गया है ।

श्री नरपतराम बरबड़ : मंत्री महोदय ने जो तीन बस्तियां बताई हैं, गडरियों की ढाणी और मेघवालों की बस्ती, कालूराम जी की बावड़ी और राजबाग बस्ती, इनका तो चार साल पहले ही विद्युतीकरण हो गया था और वह नगर परिषद् द्वारा कराया गया था न कि विद्युत मण्डल द्वारा ।

दूसरा क्या यह सही है कि सूरसागर क्षेत्र में 96 ऐसे गांव हैं जो हरिजन बस्ती के हैं उनमें से एक का भी विद्युतीकरण नहीं किया गया है? यह भी बताने का कष्ट करें कि एक वर्ष के अन्दर कितनी हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण करने का प्रावधान है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपने मुझ से जो सूचना चाही थी वह सूरसागर क्षेत्र की चाही थी । मैंने आपसे निवेदन किया, सूरसागर क्षेत्र में 31·3·81 से पूर्व, 1980-81 के अन्दर गडरियों की ढाणी, मेघवालों की बस्ती, कालूराम की बावड़ी और राजबाग हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण किया जा चुका है ।

श्री नरपतराम बरबड़ : यह चार साल पहले हो चुका है ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मेरे पास विभाग से जो जानकारी आयी है ....

श्री नरपत राम बरबड़ : विभाग की जानकारी गलत है । जो शिड्यूल्ड कास्ट बस्तियों के लिये पैसा सैंक्शन था वह अन्य बस्तियों में खर्च कर दिया ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपने जो जानकारी दी है कि नगरपालिका ने विद्युतीकरण कराया है, मैं उसकी जांच करा लूंगा । अधिकारियों के द्वारा गलत सूचना दी गई है तो मैं इसकी जांच करा लूंगा कि उन्होंने किस प्रकार गलत सूचना दी ।

श्री माणक लाल मेहता (पाली) : अध्यक्ष महोदय, हरिजन बस्तियों को मानने का मापदण्ड क्या है ? यह इससे सम्बन्धित प्रश्न है ।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि समाज कल्याण विभाग से विद्युतीकरण के लिये पैसा दिया जाता है विभाग को, विभाग के अधिकारी उस पैसे का हरिजन बस्तियों में उपयोग न कर दूसरी बस्तियों में प्रयोग करते हैं, इस तरह के मामले आपके सामने लाये जायेंगे तो क्या उन पर कार्यवाही की जायगी ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : यदि आप इस तरह के मामले सामने लायेंगे तो निश्चित रूप से कार्यवाही की जायगी । यदि हरिजन बस्तियों के धन का उपयोग दूसरी बस्तियों के लिये किया जाता है तो सरकार निश्चित रूप से कार्यवाही करेगी ।

श्री अध्यक्ष : श्री महाराम ।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : मैं यह पूछना चाहता हूं कि हरिजन बस्तियों की परिभाषा क्या है ?

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न है ।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, अलग प्रश्न नहीं है । एक बस्ती में हरिजन और सवर्ण दोनों रहते हैं तो उस बस्ती को किस बस्ती में गिना जायगा ? यदि किसी बस्ती के हरिजन मजदूरी के लिये बाहर चले जाते हैं और उनकी जनगणना में गिनती नहीं होती है तो उस बस्ती को हरिजन बस्ती में गिना जायगा या नहीं ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह अलग प्रश्न है कि हरिजन बस्तियों की परिभाषा क्या है । हरिजन बस्तियां आम तौर पर वह मानी जाती हैं जहां अधिकतर हरिजन लोग रहते हैं । उसमें एक दो लोग और कोई रहते हैं तो उनको नहीं गिना जाता है जहां अधिकतर हरिजन रहते हैं उसे हरिजन बस्ती माना जाना स्वाभाविक है ।

श्री अध्यक्ष : श्री मानसिंह देवड़ा ।

(व्यवधान)

अगला प्रश्न ।

(व्यवधान)

कृपया स्थान ग्रहण करें ।

प्रश्न सूरसागर क्षेत्र के बारे में पूछा गया था । मंत्री महोदय ने उत्तर दे दिया है । एक दो पूरक प्रश्न पूछे हैं, उनका भी उत्तर दे दिया है । अब अनुमति नहीं दूंगा, माननीय सदस्य । कृपया स्थान ग्रहण कीजिये ।

अगला प्रश्न । श्री वंशीलाल पटवा ।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : कोई पर्पज सर्व नहीं हुआ ।

श्री अध्यक्ष : एक प्रश्न से जितना पर्पज सर्व होता है उतना हो गया ।

प्रश्न संख्या 233

श्री बंशीलाल पटवा ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री समर्थ लाल ।

उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ का मुख्यालय

234. **श्री समर्थ लाल** (राजगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) क्या यह सही है कि उप खण्ड अधिकारी, राजगढ़ का मुख्यालय अलवर में है ? यदि हां तो क्यों ?

(2) मुख्यालय अलवर के बजाय राजगढ़ में कब तक किया जावेगा ?

राजस्व मंत्री (श्रीमती कमला) : (1) जी हां । यह व्यवस्था उपखण्ड की भौगोलिक स्थिति की दृष्टि से तथा प्रशासनिक एवं जनसुविधा की दृष्टि से की हुई है ।

(2) ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

श्री समर्थ लाल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने यह बताया कि भौगोलिक दृष्टिकोण और प्रशासनिक दृष्टिकोण को ध्यान में रख कर राजगढ़ का मुख्यालय अलवर में रखा गया है। एस.डी.ओ. अलवर अलग है एस.डी.ओ. राजगढ़ का हैड क्वार्टर राजगढ़ हो। राजगढ़, लक्ष्मणगढ़ और कठूमर का एस.डी.ओ. हैड क्वार्टर अलवर में रखना न तो भौगोलिक दृष्टिकोण से उचित है और न प्रशासनिक दृष्टिकोण से। प्रशासनिक दृष्टिकोण तो तब होगा जब आपका हैड क्वार्टर राजगढ़ हो। यह तीनों एक ही जगह हों।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं, मैंने इसलिये ही कहा, राजगढ़ एस.डी.ओ के क्षेत्र में थाना गाजी राजगढ़ के पश्चिम में है, लक्ष्मणगढ़ राजगढ़ के पूर्व में है, कठूमर इससे पश्चिम-पूर्व में है, अलवर इससे उत्तर में है तो जो थानागाजी और लक्ष्मणगढ़ के लोग अलवर आते हैं, राजगढ़ आते है उनको सुविधा हो, उनकी सुविधा के लिये हैड क्वार्टर अलवर रखा। तीनों चारों क्षेत्रों के लोगों को अलवर आना जाना होता है उसमें सुविधा होती है, नहीं तो फिर वापस आना पड़ता है। इसलिये उनकी असुविधा को देखते हुए राजगढ़ एस.डी.ओ. को अलवर में रखा हुआ है।

श्री समर्थ लाल : अध्यक्ष महोदय, मत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है वह बिल्कुल गलत है, सही नहीं है। राजगढ़ से पश्चिम की तरफ थानागाजी है जो राजगढ़ से लगा हुआ है और पूर्व की तरफ लक्ष्मणगढ़ है जो राजगढ़ एरिया से लगा हुआ है। राजगढ़ से लक्ष्मणगढ़ 65 किलोमीटर, अलवर 45 किलोमीटर और थानागाजी 38 किलोमीटर दूर है। तो इसमें कोई औचित्य नहीं है, अध्यक्ष महोदय, ...

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, तीन और तहसीलें राजगढ़ के अलावा हैं। इन तीनों तहसीलों को हमने दृष्टि में रखा है। अगर इन तीनों तहसीलों को कोई असुविधा नहीं हो, उनकी मांग हो कि हमारे यहां रखा जाय तो कोई जरूरी नहीं कि राजगढ़ में रखा जाय।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री समर्थ लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सवाल है। राजगढ़ एस.डी.ओ. का हैड क्वार्टर कर दिया जाय और ए.सी.एम. का हैड क्वार्टर अलवर या लक्ष्मणगढ़ में तो इसमें तो कोई एतराज नहीं होगा और पूरी जनता के दृष्टिकोण से भी यह सही होगा।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है। जहां एस. डी. ओ. भी है और ए. सी. एम. भी है वहां एस. डी. ओ. एक जगह हो तो ए. सी. एम. को दूसरे स्थान पर दिया जाय, यह विचाराधीन है मामला, सरकार इस पर सोच रही है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री समर्थलाल : अध्यक्ष महोदय, उत्तर में कहा है कि विचाराधीन नहीं है और अब आप कह रहे हैं कि विचाराधीन है।

श्रीमती कमला : जहां एस. डी. ओ. और ए. सी. एम. एक स्थान पर हों उनको

(श्रीमती कमला)

किसी दूसरे स्थान पर किया जाय, यह सरकार के विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

प्रवर्तन निरीक्षक, झुंझुनूं के विरुद्ध डीजल परमिट के दुरुपयोग की शिकायत

235. **श्री हजारीलाल शर्मा** (पिलानी) : क्या नागरिक रसद एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री रामचंद्र चौधरी, प्रवर्तन निरीक्षक, झुंझुनूं ने अपने किसी रिश्तेदार के ट्रेक्टर के नम्बर पर 200 लीटर डीजल का परमिट काट कर स्वयं ने ही प्राप्त किया था ?

(2) क्या ग्राम बुड़वानिया जिला झुंझुनूं के सरपंच ने जिलाधीश झुंझुनूं से इस संबंध में कोई शिकायत की थी एवं इस शिकायत की प्रतिलिपि अन्य अधिकारियों को भी प्रेषित की गई थी ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त शिकायती पत्र के साथ तथ्यों की पुष्टि हेतु पर्याप्त सामग्री भी भेजी गई थी ? यदि हां, तो इन सबूतों के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

(4) क्या यह सही है कि जांच कार्यवाही को दाखिल दफ्तर कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो कृपया जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखें।

खाद्य मन्त्री (श्री चन्दनमल बैद) : (1) श्री रामसिंह के आवेदन पर दिनांक 23-11-80 को 200 लीटर डीजल श्री रामचन्द्र चौधरी, प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिया गया था, परन्तु यह परमिट श्री रामचंद्र स्वयं द्वारा प्राप्त नहीं किया गया।

(2) सरपंच बुड़वानिया ने सतर्कता समिति की बैठक में, विधायक सदस्यों द्वारा जिला रसद कार्यालय में व अन्य अधिकारियों को शिकायत की गई थी।

(3) शिकायत के साथ असल प्रार्थना पत्र, जिस पर 200 लीटर डीजल दिया गया था, की फोटो स्टेट कापी प्रस्तुत की गई थी। इसकी जांच उप जिलाधीश, झुंझुनूं द्वारा करवाई गई। जांच रिपोर्ट के आधार पर श्री रामचन्द्र प्रवर्तन निरीक्षक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

(4) जी नहीं, विभागीय जांच की जा रही है।

श्री हजारीलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, क्या यह सही है कि प्रवर्तन अधिकारी डीजल का परमिट देने के लिए सक्षम नहीं था और जिस दिन परमिट दिया गया वह छुट्टी का दिन था ?

श्री अध्यक्ष : छुट्टी में भी दे सकते हैं।

श्री चंदनमल बैद : जरूरी काम छुट्टी में भी हो सकते हैं लेकिन यह सही है कि वह इसके लिए सक्षम नहीं था।

श्री हजारीलाल शर्मा : क्या यह सही है कि जिलाधीश ने जांच करने के लिए एस. डी. एम. को आदेश दिये और एस. डी. एम. ने 22-12-80 को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी कि वास्तव में यह अधिकारी की गलती है ?

श्री चन्दनमल बैद : यह सही है ।

श्री हजारीलाल शर्मा : फिर अब तक उस पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं हुई ?

श्री चंदनमल बैद : मैंने जो कागजातों का अवलोकन किया उनसे यह मालूम होता है, जिलाधीश ने 24 तारीख को इस अधिकारी को निलंबित करने के आदेश दे दिये थे लेकिन 26 तारीख को इस अधिकारी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि मैंने तो 20 लीटर का परमिट दिया था उसको डीलर ने या और किसी ने बनाकर 200 लीटर का कर लिया इसलिये इसकी जांच दुबारा की जाय । जिलाधीश ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दुबारा जांच के आदेश एस. डी. एम. को दिये ।

श्री हजारीलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत प्रश्न नहीं करता हूं, यह बहुत अहम मुद्दा है ।

श्री अध्यक्ष : अहम तो क्या 200 लीटर के परमिट के लिए सभा का इतना समय जा रहा है ।

श्री हजारीलाल शर्मा : यह नहीं है, अध्यक्ष महोदय, परमिट और एप्लीकेशन की फोटो कापी मेरे पास है ...

(व्यवधान)

यही आदमी एप्लीकेशन देने वाला है, यही आदमी आर्डर देने वाला है और इसी आदमी ने डीजल प्राप्त किया है ।

श्री अध्यक्ष . कोई अनपढ़ आदमी अधिकारी के पास जाय और वह अगर हाथ से लिख कर दे दे तो स्वागत योग्य होता है ।

श्री हजारीलाल शर्मा : वह आर्डर लिखे और वही पैसा खा जाय....

श्री अध्यक्ष : थानेदार यही करता है, कार्यवाही वह करता है और अंगूठा उसका ले लेता है....

श्री हजारीलाल शर्मा : एस. डी. एम. ने अपनी जांच में साफ लिख दिया कि अधिकारी दोषी है उसके बाद जिलाधीश के ऊपर दबाव डाला गया कि इस आदमी को बचाना है । उसका रिजल्ट यह हुआ कि जिलाधीश ने दूसरी एप्लीकेशन उस आदमी से लेकर दुबारा जांच के आदेश दिये । दुबारा जांच में भी यह सिद्ध हो गया कि वास्तव में वह आदमी दोषी है । फिर भी आज तक उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई ।

एक माननीय सदस्य : प्रेसर होगा ।

श्री हजारीलाल शर्मा : प्रेसर की ही तो बात है ।

श्री चंदनमल बैद : मैं नहीं कह सकता कि झुंझुनूं में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ,

(7)

(श्री चंदनमल वैद)

लेकिन जब मेरे सामने यह प्रश्न आया तो मैंने झुंझुनूं के डी. एस. ओ. को और सारी पत्रावली को मंगवाया। मैंने अवलोकन किया और मुझे महसूस हुआ कि इस अधिकारी ने अधिकारों का दुरुपयोग किया है इस वास्ते उसके निलंबन के आदेश दे दिये गये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री हजारीलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इसमें प्रश्न अधिकारी का नहीं है, इसमें प्रश्न है कि जिलाधीश ने अनड्यू तरीके से अधिकारी को बचाने का प्रयास किया है····

(व्यवधान)

श्री लच्छूराम (मण्डावा) : जब माननीय मन्त्री महोदय ने मंजूर किया है कि अधिकारी को सस्पेण्ड किया जा चुका है तो जिलाधीश के खिलाफ क्या कार्यवाही करनेका निर्णय ले रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, यह बहुत जरूरी है। जब माननीय मंत्री महोदय ने मान लिया है कि प्रवर्तन अधिकारी को सस्पेण्ड कर दिया गया है, जिलाधीश ने जानबूझ कर दुबारा बुला कर दरख्वास्त ली, तो, अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर दिलवा दिया जाए कि जिस कलेक्टर ने गलत कार्यवाही की उस के खिलाफ क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं?

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : क्या यह सही है कि प्रभाकर जी उस काल में मन्त्री थे? अगर उनके कार्यकाल में ऐसा केस हुआ हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है।

श्री लच्छूराम : मेरा स्पेसिफिक प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय, जिलाधीश ने गलत कार्यवाही की उसके खिलाफ····

श्री चंदनमल वैद : अध्यक्ष महोदय, यह तो एक राय की बात है। जिलाधीश ने समझा कि विभागीय जांच करके उसको सजा दी जाय और मैंने यह समझा कि उसको निलम्बित कर दिया जाय। यह तो अपना-अपना रुख हो सकता है कि किस कसूर की क्या सजा दी जाय।

श्री लच्छूराम : क्या यह सही है कि

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शांति। कृपया विराजें। अगला प्रश्न।

एक माननीय सदस्य : जो सदन के सदस्य नहीं है उन पर आरोप नहीं लगाया जाये·······

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। महिला सदस्य कुछ कहना चाहती हैं····

श्रीमती सूरज मल्होत्रा (पुष्कर) : आप सुन नहीं रहे हैं···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण कीजिये। अगला प्रश्न।

श्री मालाराम (खेतड़ी) : मेरा एक प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष····

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

जो अपमानजनक शब्द कहे गये हैं वे कार्यवाही से हटाये जायें।

(व्यवधान)

जो नियमों के विरुद्ध अपमानजनक शब्द कहे गये हैं वे कार्यवाही से हटाये जायें।

बहु उद्देश्यीय चिकित्सीय योजना की उपादेयता

236. **श्री बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) चिकित्सीय सेवाओं की बहुउद्देशीय योजना से जनसाधारण को कितना लाभ हुआ है और सरकार को इससे कितना आर्थिक भार वहन करना पड़ रहा है?

(2) क्या 3 माह के प्रशिक्षण के पश्चात् एक मल्टी पर्पज वर्कर वास्तव में किसी बीमार को सहायता पहुंचाने योग्य हो सकता है? क्या ऐसा व्यक्ति इमर्जेन्सी में किसी मरीज की सेवा कर पाया है?

चिकित्सा मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा) : (1) भारत सरकार ने मूल्यांकन के लिए एक तकनीकी कमेटी बनाई है उसकी रिपोर्ट आने पर ही सही मूल्यांकन हो सकेगा। इस प्रशिक्षण के कार्यक्रम पर अब तक कुल 3 लाख रुपये का खर्चा वहन करना पड़ा है।

(2) मूल में मल्टी पर्पज स्वास्थ्य सेवा की दृष्टि से कार्यकर्ता है। बीमार का उपचार करने का कार्य उसका नहीं है। वह बीमार को पास के चिकित्सालय आदि में पहुंचाने में सहयोग देता है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि यह योजना कब शुरू हुई, कितने मल्टी पर्पज वर्कर तैयार हुए और कितने गांवों में वे काम कर रहे हैं?

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, मल्टी पर्पज वर्कर की योजना 1977-78 में प्रारम्भ की गई थी। यह निर्णय लिया गया था कि गांव के अन्दर हैल्थ इन्सपेक्टर, वेटेरिनरी इन्सपेक्टर, ये तीन इन्सपेक्टर अलग-अलग काम करते हैं। यह सोचा गया कि 15,000 की पापुलेशन पर यह तीन इन्सपेक्टर काम करते हैं, इसके बजाय तीनों की एक कामन ट्रेनिंग दे दी जाये और पांच हजार की आबादी पर एक एक इन्सपेक्टर नियुक्त किया जाए जो पांच हजार की पापुलेशन को देख सके। इस आधार पर यह योजना प्रारम्भ की गई थी। राजस्थान में अब तक इस योजना के अधीन 4644 वर्कर्स काम कर रहे हैं जिनको कि ट्रेन्ड कर दिया गया है। प्रारम्भ में यह दस जिलों में शुरू की जानी थी परन्तु अभी यह तीन जिलों अजमेर, जयपुर और टोंक में प्रारम्भ की गयी है। ज्यों ज्यों ट्रेन्ड वर्कर होते जायेंगे अन्य जिलों में भी यह लागू की जायेगी। अभी तीनों कैडर अलग-अलग हैं। इनको

(श्री हीरालाल देवपुरा)

यूनिफाइड नहीं कर पाये हैं। इनका एक कैडर नहीं बना है। इसलिये राजस्थान में यह योजना एक प्रकार से नहीं चल रही है। ऐसी स्थिति में इस योजना का राजस्थान में क्या इफेक्ट हुआ है, यह नहीं कहा जा सकता है। भारत सरकार को लिखा गया था कि इस योजना के तहत जो फाइनेन्शियल इम्पलीकेशन होता है उसको राजस्थान सरकार वहन करने में असमर्थ है। 50:50 के आधार पर यह योजना चले तो हम इसको चलाने के लिये तैयार हैं। इस पर एग्रीमेन्ट हो गया है। अब यह पुनः चलाई जाने को है। तीन जिलों में जो यह योजना चलाई गई है इसका मूल्यांकन नहीं किया गया है। अब कमेटी बनी है जो इसका मूल्यांकन करेगी कि इसका क्या रिजल्ट रहा और क्या नहीं रहा? मैं यह मानता हूं कि यह एक अच्छी योजना है मल्टी वर्कर के रूप में और राजस्थान को अलग-अलग बांट कर के इन वर्कर्स की पोस्टिंग की जायेगी।

श्री माणकमल मेहता (पाली) : इनको ट्रेनिंग कहां दी जाती है?

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में साढ़े चार वर्ष का पाठ्यक्रम होता है। उसके बाद इन्टर्नशिप होती है। परन्तु ये इन्सपेक्टर सीधे ही बिना किसी पाठ्यक्रम के एन्टी बायोटिक दवाइयां लोगों को देते है जो कि साधारण बीमारियों में प्रयोग नहीं की जानी चाहिए। जब तक यह योजना विचाराधीन है, तब तक यह जीवन रक्षक औषधियां खुले आम नहीं लिखी जायें इन इन्सपेक्टर्स के द्वारा, क्या आप इसके लिये कार्यवाही करेंगे?

श्री हीरालाल देवपुरा : इस प्रकार से दवाइयां प्रेस्क्राइब करने के लिये ये अधिकारी नहीं हैं। यदि कोई ऐसी बात आपके ध्यान में है, या किसी ने ऐसा किया है तो मेहरबानी कर के बतावें, उस पर कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष : वे लिख कर नहीं देते हैं, ऐसे ही लिख देते हैं।

आर्डर प्लीज।

श्री बुलाकीदास कल्ला : क्या मंत्री महोदय इसके लिये कोई सरक्यूलर निकालेंगे?

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : मल्टी पर्पज वर्कर को ट्रेनिंग कितने दिन की दी जाती है?

श्री हीरालाल देवपुरा : माननीय सदस्या ने पूछा है कि कितने दिन की ट्रेनिंग दी जाती है। कैडर के लिये अलग-अलग ट्रेनिंग दी जाती है। जो मलेरिया का काम करते हैं उनको उस हिसाब से ट्रेनिंग दी जाती है।

श्री माणकमल मेहता : इसके लिये राजस्थान में कितने ट्रेनिंग सेन्टर हैं और कहां-कहां पर है? यह इसी से सम्बन्धित प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्रीमती विद्या पाठक।

जिला जैसलमेर के कुछ ग्रामों के पेयजल की व्यवस्था

237. **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि जिला जैसलमेर में मलखा, दामोदरा और कनाई में पेयजल हेतु पानी की टंकिया बनी हुई है ?

(2) उपरोक्त तीनों गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने की दृष्टि से टंकियों व पाइप पर कितना व्यय किया व कब ?

(3) इन टंकियों के द्वारा कौन-कौन से गांवों को पीने का पानी उपलब्ध कराया जा रहा है ?

राज्य मंत्री, जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिक (श्री बनवारी लाल) : (1) जी हां, तीनों ग्रामों में भूतल जलाशय स्थित हैं।

(2) टंकियों एवं पाइप लाइन पर किये गये व्यय संलग्न हैं।

(3) तीनों ग्रामों में स्थित टंकियाँ केवल इन तीन ग्रामों की आवश्यकता को ही पूर्ण करती हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्रीमती विद्या पाठक : मंत्री महोदय ने प्रश्न संख्या (3) में कहा है कि तीनों गांवों को पानी दे रहे हैं। क्या यह सच है कि इन तीनों टंकियों से इन तीनों गांवों को पानी प्रोवाइड किया जा रहा है ? यह सही है ?

श्री बनवारी लाल : इन तीनों गांवों की टंकियों में टैंकर से पानी भरा जाता है।

श्रीमती विद्या पाठक : इन तीनों टंकियों से पानी प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। दो टंकियां सूखी पड़ी हैं। पाइप लाइन ही नहीं पहुंची है। 17,000 रुपया 1973 में खर्च किया गया। उसके बाद अभी तक कोई इन टंकियों की यूटिलिटी नहीं हुई है। दूसरा प्रश्न यह है कि जो प्रश्न (3) में कहा गया है तो क्या कनोई में पानी टंकी द्वारा सप्लाई किया जा रहा है ?

श्री बनवारी लाल : कनोई में पाइप लाइन डली हुई है। पाइप लाइन द्वारा ही पानी सप्लाई किया जाता है।

श्रीमती विद्या पाठक : यह कब से किया जा रहा है ?

श्री बनवारीलाल : यह योजना 72–73 में बनी थी। 25.11 लाख रुपया इस पर व्यय किया गया है। यहां तक पाइप लाइन डली हुई है।

श्रीमती विद्या पाठक : मैं यह पूछ रही हूं कि कनोई की टंकी से पानी कब से सप्लाई किया जा रहा है ?

श्री बनवारीलाल : फरवरी, 1981 से कार्य प्रारम्भ होने पर दिया जा रहा है····

श्रीमती विद्या पाठक : श्रीमती इन्दिरा गांधी के दौरे पर आने से पहले····

श्री बनवारीलाल : अगर इसकी सूचना देंगी तो मैं जांच करवा लूंगा ।

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, श्रीमती गांधी की विजिट की वजह से पानी सप्लाई किया जा रहा है, इससे हमें कोई एतराज नहीं है । एतराज तो यह है कि 79 में पूरा काम व खर्च हो गया, टंकी और पाइप लाइन पूरी हो गई फिर पानी सप्लाई क्यों नहीं किया गया ? पानी सप्लाई तब किया गया जब श्रीमती इन्दिरा गांधी प्रधान मंत्री का दौरा वहां हुआ ·· ····

श्री बनवारीलाल : यह गलत है । 72 से ही पानी सप्लाई किया जा रहा है ।

श्री चन्द्रवीरसिंह (जैसलमेर) : 1972 से यह टंकी बनी हुई है तो 1972 से लेकर अब तक कितनी दफा पानी पहुंचाया गया ?

श्री बनवारीलाल : पानी नहीं पहुंचता है तो आप फर्मा दें ।

श्री चन्द्रवीरसिंह : जब से टंकी बनी है पानी नहीं पहुँचा है । 11 साल हो गये टंकियों को बने । जैसा मंत्री महोदय ने कहा है कि टैंकरों से पानी भरा जाता है, यह गलत बयानी की है । एक बूंद पानी भी 11 वर्ष से नहीं आया है ।

श्री बनवारीलाल : आपकी जानकारी सही है तो जांच करवा लूंगा । वैसे टैंकरों से डाइरेक्ट भी पानी सप्लाई किया जाता है ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : जैसा मंत्री महोदय ने बताया है कि टैंकरों द्वारा पानी टंकियों में डाला जाता है । इसका मतलब यह हुआ कि पाइप द्वारा पानी नहीं दिया जाता है । क्या मंत्री महोदय इस बात की जांच करेंगे कि 72 से 79 तक और 1981 की जनवरी तक पानी किसी टंकी में क्यों नहीं आया ? जो अधिकारी दोषी हैं क्या उनको दंडित करेंगे ?

श्री बनवारी लाल : इसकी मैं जांच करवा लूंगा ।

श्री चन्द्रवीरसिंह : माननीय मंत्री महोदय यह आश्वासन सदन को दे दें कि इन टंकियों में कब तक जल उपलब्ध करवा दिया जायेगा ?

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : सन् 77, 78, 79 में पानी पहुंचाया गया या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

श्री अमराराम चौधरी : सन् 78 में ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जब कई माननीय सदस्य कह चुके हैं कि वहां सन् 71 से अब तक पानी नहीं पहुंचाया गया है तो 77, 78 में उसमें आ गया है ।

अगला प्रश्न ।

(व्यवधान)

श्री चतुर्वेदी ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैं केवल मन्त्री महोदय को जानकारी दे दूं कि मैं

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

वहां का दौरा करके आया हूँ। वहां पर पानी पहुंच ही नहीं सकता है क्योंकि लेवल ऊंचा है। जब यह योजना बनायी गयी थी तब यह योजना ही गलत बनायी गयी थी, सारा पैसा बेकार हो गया है····

श्री अध्यक्ष : आप मन्त्री थे तब दौरा किया था या अभी गये हैं ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैं वैसे ही गया था। टैंकर भी नहीं जा रहे हैं। उसमें भी गड़बड़ हो रही है। 418 रु० की लूट हुई है अभी 3–4 दिन वहां पर टैंकर नहीं गया और 418 रुपये की चोरी आपके अधिकारियों ने का।

श्री चन्द्रवीर सिंह : मन्त्री महोदय, आप आश्वासन दें कि आने वाले वर्षों में वहा पर जल व्यवस्था कर दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष :पहले यह बता दें कि पानी आ भी सकता है या नहीं ?

श्री बनवारी लाल : कनोई से संलग्न दामोदरा दो गांवों में जाने की बात थी। पाइप लाइन वहां पर नहीं है। वहां से 15 किलोमीटर की दूरी तो दामोदरा की है और वहां से 5 किलोमीटर की दूरी सड़क तक की है जिसकी वजह से यह नहीं हुआ है। पहले इसका कोई प्रोविजन नहीं था कि पाइप लाइन डाली जायेगी। सड़क तक का था कि सड़क तक जरूर डाली जायेगी····

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री सुरेन्द्र व्यास।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रवीर सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन को " ····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, काफी प्रश्न बाकी हैं।

प्रश्न संख्या 238

श्री सुरेन्द्र व्यास !

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री चतुर्भुज चौधरी।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : माननीय अध्यक्ष, अध्यक्ष महोदय, यह तो·······

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद): माननीय श्री सुरेन्द्र व्यास को·······

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष)

श्री चतुर्भुज। आर्डर, माननीय सदस्य, शान्त रहें। अगर इतना ही महत्वपूर्ण प्रश्न था तो उसको आप पूछ लेते। अपने यहां पर सामान्य प्रक्रिया यह है कि कोई माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं तो उन्होंने जो प्रश्न किया है वह नहीं पूछा जायेगा। किसी और को नहीं पूछने दिया जायेगा। यह नहीं होगा इसलिये माननीय सदस्य इसमें समय न लें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया समय न लें सदन का। अगला प्रश्न।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री·······

श्री नाथूसिंह : प्रश्न पूछा था। श्री सुरेन्द्र व्यास ने लेकिन·····

श्री दाऊदयाल जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो ·······

श्री अध्यक्ष : मैं इजाजत नहीं दूंगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : क्या सुरेन्द्र व्यास का अपहरण कर लिया गया है?

श्री दाऊदयाल जोशी : कांग्रेसी सदस्यों ने इस प्रश्न के लिए श्री सुरेन्द्र व्यास को जानबूझकर बाहर कर दिया है।

श्री अध्यक्ष : इस तरह से समय खराब होगा तो कई महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनके प्रश्नकर्त्ता उपस्थित हैं वह भी रह जायेंगे। प्रश्न पूछने वाला उपस्थित नहीं है तो अन्य कोई माननीय सदस्य नहीं पूछेगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, श्री सुरेन्द्र व्यास आखिर गये कहां हैं?

श्री अध्यक्ष : श्री चतुर्भुज।

तहसील टोडारायसिंह के ग्रामों में सिंचाई हेतु नये बांधों का निर्माण

239. श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या पंचायत बोटून्दा तहसील टोडारायसिंह में लघु सिंचाई योजना के अन्दर छोटा नया बांध बनाने का विचार है? यदि हां, तो कब तक?

क्या इस योजना के सर्वेक्षण आदि का काम पूरा हो चुका है? यदि हां, तो इस योजना से कितनी एकड़ जमीन की सिंचाई होगी?

(3) सरकार इस योजना को कब तक पूरा करने का विचार रखती है?

राज्य मन्त्री, सिंचाई (श्री प्रद्युम्नसिंह) : (1) योजना के लाभदायक होने की जांच करने हेतु सर्वे करवाया जा चुका है एवं आकलन की जांच की जा रही है। जांच पूरी होने पर ही यह बताया जा सकेगा कि इस योजना पर कार्य आरम्भ किया जा सकता है कि नहीं।

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

(2) जी हां। योजना का सर्वे कार्य पूरा हो चुका है इसके आकलन की जांच की जा रही है। इस योजना से लगभग 600 एकड़ जमीन सिंचित हो सकेगी।

(3) योजना के आकलन की जांच पूर्ण होने के पश्चात् ही यह बताया जा सकेगा कि इस योजना पर किया जा सकेगा या नहीं।

श्री चतुर्भुज : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने काफी बातों का विवरण बताया है, जांच की बात कही है। मैं यह पूछ रहा हूं कि यह कब तक चालू करेंगे, कब तक पूरी कर देंगे, मेरा यही कहना है, जब कि अभी तो जांच करना ही बाकी है?

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस योजना की जांच करवायी जा रही है। उस डिवीजन का आब्जेक्शन होगा फिर बी. सी. रेश्यो देखा जायेगा।

श्री अध्यक्ष : आप इसके पीछे पड़ना छोड़ दें, यह हो जायेगा।

श्री प्रद्युम्नसिंह : और जब बी. सी. रेश्यो निकाल लेंगे तक ही वह चालू होगी। उससे पहले मेरे लिए कुछ कहना सम्भव नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बता दें कि यह कब तक पूरी होगी?

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्त्ता।

श्री चतुर्भुज : आप तो केवल यह बता दें कि इसको कब तक पूरा कर देंगे?

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं इतना ही निवेदन कर सकता हूं मैं इसकी जांच जल्दी पूरी करा लूंगा। उसके बाद इसके ऊपर जल्दी ही निर्णय हो जायेगा।

एक माननीय सदस्य : आपके कार्यकाल में हो जायेगी?

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री महावीरप्रसाद जैन (टोंक) : यह सही है क्या कि यह योजना उपयुक्त है और यह बी. सी. रेश्यो में आती है?

श्री अध्यक्ष : उत्तर दे दिया गया है।

प्रश्न संख्या 240

श्री आत्माराम।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री गोपाल पचेरवाल।

लाखेरी नगरपालिका क्षेत्र में अवस्थित श्रम कल्याण केन्द्र

241. **श्री गोपाल पचेरवाल** (पाटन) : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि लाखेरी नगरपालिका क्षेत्र में श्रम विभाग का श्रम कल्याण केन्द्र संचालित है? यदि हां, तो

(श्री गोपाल पचेरवाल)

कब से और इस केन्द्र पर सरकार का प्रति माह कितना व्यय होता है? यह कितनी लागत से बनाया गया है?

(2) क्या यह सही है कि श्रम विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से केन्द्र की हालत बड़ी दयनीय है? यदि हां, तो क्यों तथा केन्द्र को सुधारने के सम्बन्ध में क्या कर रही है?

राज्य मन्त्री, श्रम (श्री दिनेश डांगी) : (1) जी हां, फरवरी, 1957 से केन्द्र किराये के भवन में चल रहा था। दिनांक 22-1-64 से सरकारी भवन का निर्माण हो जाने के कारण अब यह केन्द्र सरकारी भवन में चल रहा है। इस भवन के निर्माण पर लगभग रुपये 90,000 व्यय किये गये हैं। इस केन्द्र पर 4100/= रुपये मासिक खर्च होता है।

(2) जी नहीं।

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूँ कि इसमें जो चार हजार रुपया मासिक खर्च होता है वह किस किस मद में होता है? अलग-अलग बतायें?

श्री दिनेश डांगी : मजदूरों के जो बच्चे हैं उनके पोषण के लिए दूध पर और जिससे इसका सम्बन्ध है उस पर खर्च होता है।

श्री गोपाल पचेरवाल : किस-किस मद पर कितना-कितना खर्च होता है, यह बतायें? वर्तमान में वहां कितने बच्चे आते हैं? वहां मनोरंजन व खेलकूद के क्या साधन हैं? वहां पर क्या-क्या कार्यक्रम चल रहे हैं? यह सब अलग-अलग बतायें।

श्री दिनेश डांगी : इसके लिए आप प्रश्न पूछें।

श्री गोपाल पचेरवाल : अच्छा तो आप यह बता दें कि चार हजार रुपये किस मद पर खर्च होता है?

श्री दिनेश डांगी : इस समय उपलब्ध नहीं है। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको यह जानकारी अलग से दूंगा।

श्री गोपाल पचेरवाल : क्या यह सही है कि यह पैसा वहां के स्टाफ की दारू पर खर्च होता है?

श्री दिनेश डांगी : अगर ऐसी बात है तो जांच करा लूंगा।

श्री गोपाल पचेरवाल : क्या यह सही है कि पूरा पैसा हर माह खर्च नहीं हो पाता है?

श्री दिनेश डांगी : मेरी जानकारी के आधार पर तो 4100 रुपया हर माह खर्च हो जाता है?

श्री गोपाल पचेरवाल : किस-किस मद पर खर्च हो जाता है?

श्री अध्यक्ष : यह सूचना अभी उनके पास नहीं है। अगला प्रश्न।

श्री गोपाल पचेरवाल : क्या भवन की हालत खराब है, जगह-जगह से मिट्टी गिर रही है और क्या····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विषयान्तर हो रहे हैं।

श्री गोपाल पचेरवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मिट्टी गिर रही है उस भवन से, इसकी जानकारी देना चाहता हूं""

श्री दिनेश डांगी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि अभी तक करीब 13 हजार रुपये विभाग की ओर से खर्च किये जा चुके हैं। शुरू में जब कि भवन बना था उस समय पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं थी। अब इसको पूरा कराया जा रहा है। यह काम पी. डब्ल्यू. डी. का है, वह कब तक पूरा करेगा।

(व्यवधान)

श्री गोपाल पचेरवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि उस पैसे का उपयोग हो गया ? यदि उपयोग नहीं हुआ तो क्या आप उसका उपयोग करवायेंगे ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री गुलाबचंद कटारिया।

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, मजदूरों को पैसा दिया गया था वह—

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपका प्रश्न सही था, मंत्री महोदय के पास अभी सूचना उपलब्ध नहीं है। मन्त्री महोदय इसकी जानकारी कर लें कि किस मद पर कितना पैसा खर्च किया जाता है। यह सूचना प्राप्त कर लें और माननीय सदस्य को सूचित कर दें। मन्त्री महोदय का इरादा यह नहीं हो सकता कि धन का कोई दुरुपयोग हो और घोटाला हो।

अगला प्रश्न।

नादेश्वर बांध (उदयपुर)

242. **श्री गुलाबचन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) उदयपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में नादेश्वर बांध की अनुमानित लागत कितनी है तथा कितने समय में पूर्ण करने की योजना है ? अब तक इस बांध पर कितना व्यय किया जा चुका है ?

(2) क्या यह सही है कि जिन किसानों की भूमि डूब क्षेत्र में आ रही है उसका पूरा मुआवजा नहीं चुका पाने के कारण कार्य में विलम्ब हो रहा है ?

(3) क्या इस विलम्ब के कारण विभाग द्वारा आवंटित राशि का व्यय करना संभव नहीं हो सकेगा तथा फलस्वरूप इसकी निर्माण लागत अधिक बढ़ने की आशंका है ? यदि हां, तो राज्य सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

राज्य मंत्री, सिंचाई (श्री प्रद्युम्न सिंह): (1) नादेश्वर बांध के अनुमान की लागत रुपये 25·24 लाख है जिसका कार्य जून, 1981 तक पूर्ण होने की सम्भावना है। इस बांध पर फरवरी, 1981 तक 12·91 लाख रु० व्यय किये जा चुके हैं।

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

(2) जी नहीं ।

(3) जी नहीं ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय,, मैं आपके मार्फत मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि 90 पर्सेन्ट खातेदार जो हैं वे आदिवासी हैं ?

श्री अध्यक्ष : पहले यह तो कहलाओ कि डूब में आई है ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : डूब में तो आई है ।

श्री अध्यक्ष : इनसे हां करवाइये । 'ना' में उत्तर दिया है ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : दे दिया है ।

मैं यह पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों की भूमि डूब में आई है उन लोगों को दूसरी भूमि देने के लिए आपकी ओर से वन विभाग को कोई सिफारिश की गई है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य प्रश्न संख्या (2) और (3) का अवलोकन कर लें – (2) क्या यह सही है कि जिन किसानों की भूमि डूब क्षेत्र में आ रही है उसका पूरा मुआवजा नहीं चुका पाने के कारण कार्य में विलम्ब हो रहा है ? (3) क्या इस विलम्ब के कारण विभाग द्वारा आवंटित राशि व्यय करना संभव नहीं हो सकेगा तथा फलस्वरूप इसकी निर्माण लागत अधिक बढ़ने की आशंका है ? यदि हां, तो राज्य सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

अब माननीय सदस्य ने यह प्रश्न पूछा है कि जिलाधीश महोदय ने इस आशय की कोई सिफारिश राज्य सरकार से की है या नहीं, इस बात की जानकारी इस विभाग को नहीं है । यह प्रश्न इस प्रश्न से सम्बन्धित भी नहीं है, इसलिए मैं इसका उत्तर देने में असमर्थ हूं ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : आपने अपनी तरफ से मुआवजा तय किया है लेकिन वे लोग इस स्थिति में नहीं हैं कि दो ढाई हजार रुपया लेलें । आपकी तरफ से स्वीकृति होने के बाद भी उन्होंने पैसा नहीं उठाया है इस आशा से कि इसकी एवज में दूसरी भूमि मिलेगी । मैं यह पूछना चाहता हूं कि ऐसे कितने लोग रह गये ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : श्रीमन्, जिन लोगों की जमीन से मिट्टी उठाई गई है, उन लोगों की संख्या है 21 । उनको कुल मुआवजा दिया गया है 1,20,177.50 । जिन लोगों की भूमि डूब में आई उन खातेदारों की संख्या है 221 इनमें से 13 लोगों ने 30 पर्सेन्ट मुआवजा स्वीकार कर लिया है । 9 लोग ऐसे हैं जिनको मुआवजा नहीं दिया जा सका क्योंकि उनका टाइटल का झगड़ा है । जो अवार्ड दिया गया है उसमें यह माना गया है कि टाइटल का झगड़ा होने की वजह से कम्पन्सेशन की राशि नहीं दी जा सकती । माननीय सदस्य का यह कहना है कि लोगों ने पूरा पैसा स्वीकार नहीं किया । जिन लोगों की जमीन डूब में आई है उनका पैसा केलकुलेट करके निकाला जायेगा और कोई [बरबादी नहीं होगी । अधिकांश जमीन पर खेती हो सकेगी । इसके बाद यह देखना पड़ेगा कि दो एक

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

साल बाद कितनी जमीन में पानी रह जाता है इसलिए अभी 30 पर्सेन्ट मुआवजा उन्होंने स्वीकार कर लिया है। उन्होंने इस बात को माना है। यह नहीं कहा गया कि वे पूरा मुआवजा अभी चाहते हैं। अब यह देख लिया जायगा कि कितनी राशि बनती है। फिर जैसी भी स्थिति बनती है, पूरी डूब में आती है तो पूरे मुआवजे की रकम दी जायगी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न आदिवासियों का और गरीबों का है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक तो इस बात का आश्वासन दें कि जो जमीन पेटा काश्त में खाली हो जाती है वह उन्हीं लोगों को दी जावेगी ? एक तो आश्वासन मैं यह चाहता हूं, जिससे भविष्य के लिए वह लोग आश्वस्त हो जायें कि पेटे काश्त की जमीन पर उनका अधिकार रहेगा।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बात पूछी गई है चूंकि पूरा कम्पन्सेशन नहीं दिया गया है, आंशिक दिया गया है। मैं इस बात के निर्देश जारी कर दूंगा कि पेटे काश्त की जमीन किसी और को अलाट नहीं की जावे, आदिवासियों की जमीन पर आदिवासी काबिज रहेंगे।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि जिन आदिवासी काश्तकारों के खाते से जमीन ली गई उनको आंशिक मुआवजा दिया ? जिन काश्तकारों का लम्बे समय से, तीस-तीस साल से कब्जा है क्या उन काश्तकारों को भी मुआवजा दिया गया ? दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि काश्तकारों ने राज्य सरकार को जमीन के बदले जमीन देने के लिए आवेदन किया था क्या ? यदि किया था तो उनके मवेशी, मकान और जमीन जो बरबाद हुई है क्या उनको कम्पनसेट करते हुए आप उनको जमीन के बदले जमीन देने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं, 78 एकड़ जमीन डूब में आने वाली है।

श्री नन्दलाल मीणा : उनमें से खातेदार कितने हैं और गैर खातेदार कब्जाधारी कितने हैं ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : 22 आदमी कुल हैं, 13 को आंशिक मुआवजा दिया जा चुका है और 9 आदमियों के टाइटल के झगड़े चल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री कैलाश मेघवाल।

कारागृहों के अधीनस्थ भूमि पर उत्पादित माल का उपयोग

243. **श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व)** : क्या कारागार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य की विभिन्न जेलों की बाउण्डरी के भीतर एवं बाहर कुल कितनी भूमि है जिस पर कृषि की पैदावार, साग सब्जी, फल-फूल आदि की पैदावार होती

(श्री कैलाश मेघवाल)

है तथा वृक्ष खड़े हैं ? कृपया प्रत्येक जेल का अलग–अलग विवरण सदन के पटल पर रखें।

(2) इस भूमि पर होने वाली पैदावार का उपयोग किस रूप में किया जाता है ? कृपया वर्ष 1979–80 एवं 1980–81-1 फरवरी 1981 तक का विवरण सदन के पटल पर रखें।

राज्य मंत्री, कारागार (श्री दिनेश डांगी) :(1) राजस्थान की विभिन्न जेलों की बाउण्डरी के भीतर एवं बाहर कुल 197 बीघा 11 बिस्वा भूमि है, जिसका जेलवार विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) भूमि पर उत्पादित साग सब्जी आदि का प्रयोग बन्दियों के लिये किया जाता है और खाद्यान्न व तिलहन की बिक्री से जो धनराशि प्राप्त होती है वह राज्य कोष में बजट हैड '056 जेल्स (राजस्व प्राप्ति) कारागृह में निर्मित वस्तुओं के विक्रय' में नियमानुसार जमा कराई जाती है। वर्ष 1979–80 और वर्ष 1980–81 (1.4.80 से 31.1.81 तक) में उत्पादन जो कारागृहों में उपलब्ध भूमि में किया गया है उसका विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, भरतपुर जेल में बाउण्डरी के अन्दर इसमें बिल्कुल जमीन नहीं बताई गई है। मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि भरतपुर जेल में बाउण्डरी के अन्दर खाली जमीन पड़ी है, कृषि योग्य, उसमें मेंहदी की खेती होती है, फल-फूल लगते हैं, घास भी उगती है, यह स्थिति है या उस जमीन पर निर्माण कार्य हो गया है ?

श्री दिनेश डांगी : आपने शामिल प्रश्न पूछा है राजस्थान के लिए, उसका उत्तर दे दिया है।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन है। मई, 76 से दिसम्बर, 76 तक मैं भरतपुर जेल में था। मैंने वहां पर घास उगती देखी है।

वहां पर फल-फूल भी होते हैं, मैने यह भी देखा है। जो जवाब दिया गया है उसमें बाउण्डरी के अन्दर नहीं बतायी गयी है। मैं देख कर आया हूं। माननीय राज बहादुर वहां के हैं, उसी जेल में रहे होंगे, उनको पता होगा।

श्री अध्यक्ष : राज बहादुर तो बहुत पुराने टाइम से रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : क्या भरतपुर जेल में बिल्कुल खाली जमीन नहीं है जहां पर साग, मेंहदी, फल-फूल की पैदावार होती है ?

श्री दिनेश डांगी : बता तो दिया।

श्री भैरू सिंह गुर्जर (खारची) : आपसी, दो सम्बन्धी मिले हैं।

(व्यवधान)

श्री दिनेश डांगी : इनको मालूम है, तीन

(श्री दिनेश डांगी)

चार जेलों में रहे हुए हैं, इन्होंने मौका देखा है, मैं भी देख लूंगा।

श्री कैलाश मेघवाल : बांसवाड़ा, सिरोही, बूंदी और प्रतापगढ़ में भूमि बताई गई है लेकिन उसमें कितना उत्पादन हुआ, किस काम में लिया गया है, यह नहीं बताया। धौलपुर में 1980-81 दिसम्बर तक तो 1113) की उपज बताई गई है लेकिन 1979-80 में बिल्कुल नहीं बताई गई है। तीसरे, यह जो कृषि भूमि है इस कृषि भूमि में जो उत्पादन सामान्य तौर पर औसतन होना चाहिए वह औसत उत्पादन होता है, इसकी जांच की गई है ?

श्री दिनेश डांगी : आप जैसी व्यवस्था चाहते हैं, वह भी कर ली जायगी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : उदयपुर जेल में जहां भैंसें पाली जाती हैं, उनसे कितनी आमदनी प्राप्त हुई ?

श्री दिनेश डांगी : किसी तरह की खेती बाड़ी होती है उसका जो मूल्य होता है वह सारा कोष में जमा करा दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : वहां डेयरियां खोल रखी हैं।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : जैसा मंत्री महोदय ने उत्तर में बताया, भरतपुर जेल में कोई ऐसी कृषि योग्य भूमि नहीं है। आज भी वहां कृषि योग्य भूमि पड़ी है। क्या कारण है कि आपको गलत रिपोर्ट दी जाती है ? जिसने गलत रिपोर्ट दी है क्या उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ? बहुत बढ़िया फसल हो रही है कृषि भूमि में।

श्री दिनेश डांगी : मैं इसकी जांच कर लूंगा।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। डा० उजला अरोड़ा। श्री भैरूसिंह गुर्जर, श्री दीपेन्द्र सिंह।

राजस्थानी अकादमी की स्थापना।

244. **श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण), श्री भैरूसिंह गुर्जर (खारची), श्री दीपेन्द्र सिंह (श्री माधोपुर)** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या सरकार राज्य में राजस्थानी साहित्य अकादमी बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कृपया इसका ब्ल्यू प्रिंट सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) राजस्थानी भाषा को मान्य भाषा का दर्जा दिलाने के बारे में राज्य सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ? क्या सरकार इस सम्बन्धी प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भिजवायेगी ?

(3) क्या राज्य के सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में राजस्थानी भाषा को पाठ्यक्रम में शामिल किये जाने की ओर सरकार आवश्यक कार्यवाही करेगी ?

शिक्षा मन्त्री (श्री चन्दन मल बैद) : (1) विषय सरकार के विचाराधीन है।

(2) राजस्थानी भाषा को केन्द्रीय साहित्य अकादमी द्वारा साहित्यिक भाषा के रूप में दिनांक 21-2-71 से मान्यता प्राप्त

(श्री चन्दन मल बैद)

है जहाँ तक राजस्थानी भाषा को संविधान की मान्य भाषाओं में दर्जा दिलाने का प्रश्न है इस विषय में एक गैर सरकारी प्रस्ताव विधान सभा के इस सत्र में आया है जो विचाराधीन है।

(3) राज्य के तीनों विश्वविद्यालय इस विषय में विचार कर चुके हैं। स्थिति इस प्रकार है—

जोधपुर विश्वविद्यालय में राजस्थानी भाषा पढ़ाने के लिए अलग विभाग बन चुका है। उदयपुर विश्वविद्यालय में राजस्थानी विभाग बनाने का मामला विद्वत परिषद् (एकेडमिक कौंसिल) के सामने विचाराधीन है। राजस्थान विश्वविद्यालय ने विचार-विमर्श के पश्चात् यह निर्णय लिया है कि राजस्थानी भाषा के अध्ययन-अध्यापन से वर्तमान परिस्थिति में कोई लाभ नही होगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय मन्त्री महोदय ने प्रथम प्रश्न के उत्तर में बताया कि विषय सरकार के विचाराधीन है। मैंने पूछा था कि यदि कोई ब्ल्यू प्रिंट तैयार किया गया है तो कृपया बतायें। मुझे कोई ब्ल्यू प्रिंट नहीं दिया है।

श्री चन्दनमल बैद : विचाराधीन प्रश्न का ब्ल्यू प्रिंट पेश करना उचित नहीं है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मतलब कोई योजना नहीं है।

श्री चन्दन मल बैद : जो योजना विचाराधीन है उसका ब्ल्यू प्रिंट सदन में प्रस्तुत करना उचित नहीं होगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि शुरू से ही केन्द्रीय साहित्य अकादमी द्वारा इसको मान्यता प्राप्त है। तो तब से अब तक राजस्थानी भाषा को मान्य भाषा का दर्जा दिलाने के लिए प्रयत्न क्यों नहीं किया?

श्री चन्दन मल बैद : यह सरकार प्रयत्न कर रही है लेकिन जिस सरकार की आप सदस्या थीं उसने प्रयत्न नहीं किया।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि कोई सरकार रहे या कोई आये, अर्थ यह नहीं है कि बहुत पुराने समय से चली आ रही भाषा की मान्यता को टाला जाय? मन्त्री महोदय बताने की कृपा करें कि क्या इस साल के बजट में आपने पैसा रखा है?

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवारामगढ़): माननीय सदस्या ही उस भाषा का प्रयोग नहीं कर रही हैं।

श्री अध्यक्ष : बजट में प्रावधान है या नहीं, उसके लिए अपने नियमों में प्रावधान है कि जो पुस्तकें या छपी हुई जानकारी माननीय सदस्यों को दे दी जाती है उसके लिए सदन के प्रांगण में दुबारा प्रश्न नहीं उठाया जाता है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ठीक है, अध्यक्ष महोदय, मेरी विचारधारा से अपनी विचारधारा मिलाकर सम्मेलन में अपना मत प्रकट किया था उसमें आप भी थे अपना मत मिलाकर मन्त्री महोदय से कहें कि इसके लिए प्रावधान करें और क्रियान्वित करने की कृपा करें।

(22)

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय को आप काफी वर्षों से जानती हैं। वह राजस्थानी भाषा के कट्टर समर्थक हैं, रुपये को रिपया ही कहते हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरा समर्थन आपने नहीं किया। आपने सम्मेलन में अपनी भावना जनता में व्यक्त की तो यहां जन प्रतिनिधि बैठे हैं। आपकी भावना इसमें मिलाते हुये क्या इस सम्मानित भाषा को अपने ही प्रांगण में सम्मान दिलाने का मंत्री महोदय को आदेश, आग्रह, विनय करेंगे ? आप आग्रह जरूर करें।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : केवल प्रस्ताव के लिए राजस्थानी भाषा के लिए कहती हैं। वैसे माननीय सदस्या हिंदी में ही बोलती हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय सदस्य, वास्तव में राजस्थानी की शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए हैं।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से एक बात पूछना चाहता हूं। यह सिलसिला किस समय से चालू हुआ कि राजस्थानी भाषा को मान्यता दी जाय ? दूसरे, आपने उत्तर में बताया कि जोधपुर विश्वविद्यालय में राजस्थानी भाषा पढ़ाने के लिए अलग विभाग है। राजस्थान विधान सभा में जो सदस्य शपथ लेते हैं उस समय शपथ राजस्थानी में क्यों नहीं लेते ? मैं जानकारी देना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : आप जानकारी लेना चाहते हैं ?

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : मैं जानकारी देता हूं, घर में पराई लुगाई के साथ जैसा व्यवहार किया जाता है वही राजस्थानी भाषा से किया जाता है। इस वास्ते आश्वासन दें कि कब तक राजस्थानी साहित्य अकादमी बनेगी और मान्य भाषा की सूची में उसको लेंगे ?

श्री दीपेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा मन्त्री महोदय से एक प्रश्न है, बीकानेर में साहित्य संगम एक संस्थान है।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री दीपेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि बीकानेर साहित्य संगम एक संस्थान बीकानेर में अलग से राजस्थान प्रकोष्ठ है बी प्रकोष्ठ के रूप में न रख कर अलग सूं राजस्थानी साहित्य अकादमी रो रूप दे दियो जावे। एक लाख रुपया तो बी के काम आ जावे और एक्स्ट्रा फण्ड गवर्नमेंट दे। दूसरो जोधपुर यूनिवर्सिटी में जी तरह सू सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लियो है और एक विभाग भी राजस्थानी भाषा रो बठे खोल्यो है वी तरह सूं ही राजस्थान यूनिवर्सिटी और उदयपुर यूनिवर्सिटी में भी राजस्थानी विभाग खोल्यो जावे। इणरे अलावा सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी एजूकेशन बोर्ड में भी राजस्थानी भाषा रो विषय पाठ्यक्रम में लागू कियो जावे। इण रे अलावा राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में राजस्थानी भाषा बोलबा वाला इन्टरव्यू में जो लोग जावे वाने बठे प्राथमिकता देवणी चावे और कुछ सीटां भी रिजर्व कराई जानी चावे। पी० एस० सी० में राजस्थानी भाषा राखी जावणी चाहिजे या इण भाषा रो सबजेक्ट उठे कम्पलसरी होवणो चाहिजे। इण बात रो ठोस जवाब मैं सरकार सूं चावू हूं।

(श्री दीपेन्द्रसिंह)

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मू आपरी मार्फत माननीय सदस्य ने विश्वास दिलावणो चाहू के राजस्थान सरकार राज्य में राजस्थानी साहित्य अकादमी री स्थापना करण री कोशिश करेली सदन ने यो विश्वास दिलावणो चाहू हूं ।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक अलग प्रश्न है ।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान भाषा की तरह हाड़ोती भाषा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण भाषा है, के लिये अकादमी स्थापित करना चाहेगी राज्य सरकार ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर । प्रश्न कर्ता । माननीय सदस्य, आपस में बातें नहीं करें ।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मेरा अलग से प्रश्न यह है कि प्रश्न संख्या 244 पिछले सत्र मां भी दिनांक 20-8-80 ने स्थगित हो गयो हो । ई बार भी वो प्रश्न नहीं आय सक्यो । तो कांई आप प्रश्न संख्या 244 ने आज स्थगित कर आगे री तारीख में लेवण री व्यवस्था करो ला ।

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न पर मैं सहानुभूतिपूर्वक विचार करूंगा ।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : इस पर आप व्यवस्था दें ।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक प्रश्न संख्या 250 है वह समयाभाव के कारण आज नहीं आ सका है । मेरा निवेदन है कि आप इस प्रश्न को स्थगित करा दें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर । माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें । प्रश्न काल समाप्त हुआ ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के
तारांकित प्रश्नोत्तर ।

जिला भीलवाड़ा में विकास अधिकारी व ग्रुप सचिवों के स्थानान्तरण

233. **श्री बंशीलाल पटवा** (भीलवाड़ा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला भीलवाड़ा की विभिन्न पंचायत समितियों में ग्रुप सचिवों के स्थानान्तरण गत वर्ष से लेकर दिनांक 1 फरवरी, 1981 तक कितने किन आदेशों के द्वारा किये गये ? क्या ऐसे भी ग्रुप सचिव हैं जिनके 5 माह, 2 माह की अवधि में ही पुनः स्थानान्तरण कर दिये गये हैं ? यदि किसी विकास अधिकारी ने ऐसा किया है तो क्या इसे नियमानुसार माना जायेगा ?

(2) भीलवाड़ा जिले में किन-किन पंचायत समितियों में किन-किन विकास

(24)

(श्री बंशीलाल पटवा)

अधिकारियों को गत दो सालों में स्थानान्तरित किया गया? स्थानान्तरण के क्या कारण रहे?

उत्तर

(1) जिला भीलवाड़ा की विभिन्न पंचायत समितियों में गत वर्ष से लेकर 1-2-81 तक जो ग्रुप सचिवों के स्थानान्तरण किये गये हैं, उनकी सूची संलग्न है। श्री पन्नालाल काकरिया को छोड़कर ऐसा कोई भी ग्रुप सचिव नहीं है, जिसका 2 माह से 5 माह की अवधि में पुनः स्थानान्तरण किया गया हो।

(2) भीलवाड़ा जिले में गत दो वर्षों में विकास अधिकारियों के किये गये स्थानान्तरण की सूची संलग्न है। ये स्थानान्तरण प्रशासनिक दृष्टिकोण से किये गये थे।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

मंडियों के विकास हेतु मंडी विकास निगम की स्थापना

240. श्री आत्माराम (हनुमानगढ़): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या भाखरा व राजस्थान नहर क्षेत्रों की मंडियों के विकास के लिए एक मंडी विकास निगम बनाने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया था? यदि हां, तो यह निर्णय कब लिया गया था?

(2) इस निर्णय की क्रियान्विति में इतना विलम्ब होने के क्या कारण रहे हैं?

(3) यह निर्णय राज्य सरकार अब कब तक लागू करेगी?

उत्तर

(1) जी हां। यह निर्णय वर्ष 1979 में लिया गया था।

(2) इससे सम्बन्धित वित्तीय, कानूनी व प्रशासनिक पहलू विचाराधीन हैं।

(3) समग्र दृष्टिकोणों से विचार हो जाने पर आगे कार्यवाही की जायेगी।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

प्रदेश में सेवारत विदेशी नागरिक

238. **श्री दीपेन्द्रसिंह** (श्री माधोपुर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या विदेशी व्यक्तियों को भारत में स्थाई नौकरी करने के लिए अपने देश की नागरिकता को समाप्त करने एवं भारत की नागरिकता ग्रहण करना अनिवार्य है?

(2) क्या प्रदेश में ऐसे कर्मचारी सेवारत हैं जिन्होंने अपनी विदेशी नागरिकता को समाप्त कर भारतीय नागरिकता ग्रहण कर ली है?

(3) क्या केन्द्रीय गृह मंत्रालय और राज्य सरकार में इस प्रकार का कोई पत्राचार हुआ है?

(श्री दीपेन्द्रसिंह)

(4) इस सन्दर्भ में हुई अनियमितताओं पर एवं तथ्य छिपाने के मामले प्रकाश में आने पर क्या राज्य सरकार कोई कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा प्रख्यापित सेवा नियमों के अन्तर्गत भारतीय नागरिकता प्राप्त व्यक्तियों को ही राज्य सेवा में नियुक्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त नेपाल निवासी/भूटान निवासी/दिनांक 1-1-62 से पूर्व तिब्बत के निवासी जो भारत में स्थाई रूप से रहने की इच्छा से आये हैं/भारत के मूल निवासी जो पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका एवं पूर्वी अफ्रीका के देश जैसे केन्या, उगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तनजानिया (भूतपूर्व तन्गानिया और जन्जीबार) जाम्बिया, मलावी जैरो (Zairo) एवं इथिओपिया से भारत में स्थाई रूप से रहने को इच्छा से आये हैं, को केन्द्र सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किये जाने पर उन्हें राज्य सेवाओं के पदों पर नियुक्ति हेतु पात्र माना जाता है।

(2) उपलब्ध सूचना के अनुसार ऐसा कोई कर्मचारी नहीं है।

(3) जी नहीं।

(4) नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

ग्राम पंचायत रेलावन के सरपंच के विरुद्ध दर्ज प्रकरण में कार्यवाही

239. **श्री रघुवीरसिंह कौशल** (बारां) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत रेलावन, पंचायत समिति किशनगंज, जिला कोटा के सरपंच के विरुद्ध थाने में एफ. आई. आर. दर्ज कराई गई है ?

(2) यदि हां, तो यह एफ. आई. आर. कब दर्ज कराई गई ? कृपया एफ. आई. आर. की प्रति सदन के पटल पर रखें।

(3) इस रिपोर्ट के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) यह एफ. आई. आर. दिनांक 11-8-80 को दर्ज कराई गई थी, प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।

(3) अपराध संख्या 44/80 धारा 409,420 ता० हि० थाना किशनगंज में पंजीबद्ध कर अनुसंधान में सम्बन्धित गवाहान से पूछताछ की जा रही है एवं आवश्यक पत्रादि उपलब्ध कर विशेषज्ञों की राय ली जा रही है। अनुसंधान जारी है।

(रिपोर्ट के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

(26)

बीकानेर शहर के बीच पड़ने वाले रेलवे फाटकों का अन्यत्र स्थानान्तरण

240. **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बीकानेर शहर के बीच रेलवे फाटकों को अन्यत्र स्थानान्तरित करने हेतु क्या सर्वेक्षण कार्य पूर्ण हो चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार की ओर से रेलवे बोर्ड में इस बाबत करीबन चार लाख रुपये जमा करवाये जा चुके हैं ? यदि हां, तो इनको अन्यत्र स्थानान्तरित करने हेतु विलम्ब क्यों हो रहा है ?

(3) अब तक इस कार्य में क्या प्रगति हुई है ? क्या राज्य सरकार समय-समय पर इसकी प्रगति से जिले के विधायकों को सूचित करेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

सर्वेक्षण रेलवे विभाग द्वारा करना था वह पूर्ण नहीं हुआ है ।

(2) जी हां ।

राज्य सरकार ने सर्वेक्षण हेतु रु० 4,71,654/1–रेलवे विभाग को जमा करवा दिये हैं । इनको अन्यत्र स्थानान्तरित करने का निर्णय रेलवे विभाग से सर्वे प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही लिया जा सकेगा ।

(3) सर्वे जल्दी पूरा करने के लिये रेलवे विभाग से पत्राचार हो रहा है । जब भी जिले के विधायक कोई सूचना इस बारे में चाहेंगे वह उपलब्ध करवा दी जावेगी ।

विद्युत् ट्रान्सफार्मर्स के जलने संबंधी प्रकरण

241 **सुश्री पुष्पा जैन** (आमेर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1 अप्रेल, 1980 से अब तक किस-किस तारीख को कहां-कहां पर ट्रान्सफार्मर जलने की सूचना मिली है ? इन ट्रांसफार्मर्स के स्थान पर नये ट्रांसफार्मर्स कब-कब लगाये गये ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

1 अप्रेल, 1980 से 31 जनवरी, 1981 तक ट्रान्सफार्मरों के जलने तथा उनके बदले जाने की तिथि का विवरण सूची 'अ' पर सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

नगरीय भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 के प्रावधानों के अन्तर्गत जोधपुर में खाली भूमि की दरें नियत करना

242. **श्री मानसिंह देवड़ा** (सरदारपुरा) :

श्री अहमद बक्श सिन्धी (जोधपुर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने नगरीय भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 11 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत जयपुर एवं अजमेर नगर संकलनों के क्षेत्र में स्थित रिक्त भूमि के भाव, उक्त धारा की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के प्रयोजनों के लिए नियत कर लिए हैं ? यदि हां, तो सम्बन्धित अधिसूचनाओं की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि निदेशक, नगर भूमि अधिकतम सीमा, राजस्थान ने सरकार को जोधपुर नगर संकलन के लिए उपरोक्त भावों के सम्बन्ध में अपने सुझाव लगभग सात माह पूर्व प्रेषित कर दिये थे ? यदि हां, तो कृपया उन सुझावों की सही प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखें ।

(3) क्या कारण है कि जोधपुर नगर अजमेर नगर से जनसंख्या के अनुपात में बड़ा होने पर भी सरकार ने अब तक उसके लिए उपरोक्त भावों की अधिसूचना जारी नहीं की है ?

(4) जोधपुर नगर संकलन के लिए उपरोक्त भावों की अधिसूचना कब तक जारी कर दी जायगी ?

उत्तर

(1) जी हां, प्रतियां सदन के पटल पर रख दी गई हैं ।

(2) जी हां । प्रतिलिपि सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(3) मामला विचाराधीन है ।

(4) शीघ्र ही जारी कर दी जायेगी ।

(अधिसूचना एवं सुझाव के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

नया गांव (सोजत) में बने बंधे से होने वाले रिसाव को रोकना

243. **श्री माधवसिंह दीवान** (सोजत) :
श्री मानसिंह देवड़ा (सरदारपुरा) :
श्री रामनारायण डूडी (बिलाड़ा) :
श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील सोजत में नया गांव में बने एक बांध से काफी मात्रा में पानी का रिसाव होता है ?

(2) क्या यह सही है कि इस सीपेज के कारण काफी भूमि भी खराब हो चुकी है तथा साथ-साथ नया गांव के घरों में भी पानी आ जाता है, जिससे गांव वालों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है ?

(3) क्या यह सही है कि इस सीपेज को रोकने के लिये विभाग द्वारा योजना भी बनाई गई थी ? यदि हां, तो कब, तथा उसका तखमीना कितना था ? क्या इसकी स्वीकृति हुई थी ? यदि हां, तो कब ? अब तक इसका कार्यारम्भ क्यों नहीं हुआ ?

(4) क्या सरकार चालू वर्ष में कार्य प्रारम्भ करने पर विचार करेगी ?

उत्तर

यह बांध रजवाड़ा (स्टेट टाइम) के समय का बना हुआ है, और इस बांध से पानी का रिसाव सामान्य से ज्यादा होता है।

चूंकि बांध के नीचे का क्षेत्र खारच है और ऊपर से सीपेज का पानी बहने से जमीन में नमी हो जाती है और उससे साल्ट धरातल पर आ जाता है, जिससे जमीन खराब हो गयी है।

(3) जी हां। इस कार्य का तखमीना रु० 2,13,700/- है। इसकी प्रशासनिक स्वीकृति अग्रिम योजना सहायता मद में दी गई है। इस पर कार्य इस वर्ष प्रारम्भ कर दिया गया है।

(4) इस वर्ष कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

गंगनहर की 'एफ' व 'एच' शाखायें

244. **श्री मनफूलराम** (केसरीसिंहपुरा): क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि गंगानगर जिले की गंग नहर की 'एच' शाखा से 'एफ' शाखा किन्हीं प्रभावशाली जमीदारों के कारण अधिक चलाई जाती है? यदि हां, तो ऐसा क्यों? क्या 'एच' शाखा के किसानों को पानी नहीं चाहिए?

उत्तर

यह सही नहीं है। नहरों में पानी का वितरण पानी की आवक के अनुसार लगभग बराबर किया जा रहा है। पानी का वितरण इस कार्य के लिये गठित कमेटी द्वारा निष्पक्षतापूर्वक एवं सही ढंग से किया जा रहा है। वर्तमान रबी की फसल में 'एफ' नहर फरवरी, 1981 के अन्त तक 73 दिन चली है। जब कि 'एच' नहर 80 दिन चली है। अतः 'एफ' नहर 'एच' नहर से ज्यादा नहीं चली है।

कृषि उपज मंडी की स्थापना हेतु निर्धारित मापदण्ड

245. **श्री भैरूंसिंह गुर्जर** (खारची): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कृषि उपज मण्डी सोजत की वार्षिक आय कितनी है?

(2) कृषि उपज मण्डी नियत करने हेतु कितनी वार्षिक आय आवश्यक है?

(3) खारची तहसील से कृषि उपज मण्डी को कितनी आय हो रही है? एवं कृषि उपज मण्डी हेतु यह आय कम है या ज्यादा?

(4) क्या उक्त आय को देखते हुए खारची तहसील में अलग कृषि मण्डी बनाने का प्रावधान है?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति की

(कृषि मंत्री)

वार्षिक आय वर्ष 1979–80 में 5·96 लाख रुपये थी।

(2) कृषि उपज मण्डी समिति स्थापित करने हेतु कम से कम 3.00 लाख रुपये की वार्षिक आय होना वांछित है।

(3) खारची गोण मण्डी (मारवाड़ जं०) से वर्ष 1979–80 में 83,000 रुपये की आय हुई थी। पृथक से मण्डी समिति स्थापित करने हेतु यह आय काफी नहीं है।

(4) जी नहीं।

सिंचित क्षेत्र विकास कोटा क्षेत्र में स्थापित पौध संरक्षण इकाई

246. श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि निदेशक, कृषि विभाग, जयपुर ने सिंचित क्षेत्र विकास कोटा क्षेत्र में पौध संरक्षण इकाई कायम करने के आदेश प्रसारित कर दिये हैं ?

(2) क्या ये इकाइयां कार्य कर रही हैं ?

(3) यदि हां, तो कब से कार्य कर रही हैं व अन्ता इकाई में कौन कार्य कर रहे हैं ?

उत्तर

(1) जी हां

(2) जी हां

(3) पौध संरक्षण यूनिट दिनांक 23 जुलाई से कार्य कर रही है। अन्ता-यूनिट में श्री उमाशंकर सांधी, सहायक कृषि अधिकारी एवं सर्वश्री के. पी. सिंह, बी. मोहन, मदनलाल, राजेन्द्रसिंह कृषि पर्यवेक्षक के पद-पर कार्य कर रहे हैं।

जोधपुर रेलवे स्टेशन पर निर्मित मिल्क बूथ

247. श्री मानसिंह देवड़ा (सरदार-पुरा)

श्री अहमदबक्श सिंधी (जोधपुर) : क्या डेयरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर पश्चिम राजस्थान दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड एवं राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड द्वारा निर्मित मिल्क बूथ का निर्माण कब हुआ और उसमें कितनी धनराशि व्यय हुई ?

(2) अब तक लागत धनराशि का कितना ब्याज हुआ एवं रेलवे की भूमि, जिस पर उपरोक्त बूथ का निर्माण हुआ है, का कितना किराया हुआ है ?

(3) उपरोक्त बूथ का किस उद्देश्य से निर्माण किया गया ? क्या कारण है कि

(30)

(श्री अहमदबक्श सिन्धी)

निर्माण हुए लगभग तीन वर्ष होने पर भी इसका उपयोग नहीं किया गया ?

(4) उपरोक्त ब्याज एवं रेलवे की भूमि के किराये की हानि के लिए कौन अधिकारी उत्तरदायी है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) उपरोक्त बूथ को किराये पर आवंटन के लिए कितने आवेदन-पत्र आये हैं ? कृपया उन आवेदकों के नाम की सूची मय दिनांक सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जोधपुर रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म पर बूथ का निर्माण रेलवे द्वारा किया जा रहा है। रेलवे ने बूथ का निर्माण पूर्ण कर बूथ फैडरेशन को हस्तान्तरित अभी तक नहीं किया है। बूथ निर्माण हेतु रेलवे को संघ द्वारा 13296.16 रुपये दिए गए हैं।

(2) चूंकि बूथ निर्माण हेतु अग्रिम राशि संघ द्वारा दी गई है, अतः इस पर कोई ब्याज देय नहीं है। रेलवे द्वारा बूथ हस्तान्तरित करने पर 4.50 रुपये प्रति माह भूमि किराया संघ द्वारा देय होगा। अभी तक कोई किराया देय नहीं है।

(3) रेलवे प्लेटफार्म पर फ्लेवर्ड दूध, घी व अन्य दुग्ध पदार्थों की बिक्री हेतु बूथ का निर्माण कराया जा रहा है। चूंकि रेलवे द्वारा बूथ निर्माण कार्य पूर्ण कर बूथ हस्तान्तरित नहीं किया गया है अतः इसका उपयोग नहीं हो पाया है।

(4) चूंकि रेलवे द्वारा बूथ निर्मित कर हस्तान्तरित नहीं किया गया है अतः हानि के लिए कोई अधिकारी उत्तरदायी नहीं है।

(5) उपरोक्त बूथ को किराये पर आवंटन के लिए 4 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं, आवेदकों के नाम मय दिनांक पटल पर प्रस्तुत हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

अवैध रूप से बन्द किये गये ग्राम रास्ते को खुलवाना

248. **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

क्या यह सही है कि जयपुर जिले के ग्राम रूपवास से टीलावाला जाने वाले ग्राम रास्ते को अवैध रूप से बन्द किये जाने की शिकायत तहसीलदार, सांगानेर को माह जुलाई, 1980 में की गयी ? यदि हां, तो उस पर कार्यवाही कब और क्या की गई ?

उत्तर

जी हां। यह सत्य है कि ग्राम रूपवास से टीलावाला जाने वाले ग्राम रास्ते को बंद किये जाने शिकायत तहसीलदार सांगानेर को दिनांक 24-7-80 को की गई थी। राजस्व रिकार्ड के अनुसार ख० नं० 177 का क्षेत्रफल 12 बीघा 6 बिस्वा है। जिसमें से 14 बिस्वा भूमि गैं० मु० रास्ता दर्ज है। जो नक्शे के अनुसार ख. नं. 177

(राजस्व मंत्र)

की दक्षिणी दिशा की ओर से ख. नं. 178 व 212 की उत्तरी मेड के सहारे सहारे बिन्दु रेखा से चिन्हित है। यह रास्ता मौके पर चालू था लेकिन प्रार्थीयान (शिकायतकर्ता) ख. नं. 177 की उत्तरी मेड के सहारे सहारे रास्ता चाहते थे जो राजस्व रिकार्ड में अंकित नहीं है इसलिये शिकायत कर्ताओं को तहसीलदार द्वारा यह निर्देश दिये गये थे कि वे इसके सम्बन्ध में धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत सम्बन्धित ग्राम पंचायत को आवेदन करें। क्योंकि उन्हें इस प्रकार के मामले सुनने का अधिकार प्राप्त नहीं है।

ग्राम हल्का सौंखरी (अलवर) में सिवाय चक, चरागाह व रूंध भूमि पर अतिक्रमण

249. श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम हल्का सौंखरी तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर में सिवायचक, चरागाह व रूंध के नाम से कितनी-कितनी बीघा जमीन है ?

(2) जो जमीन सिवाय चक चरागाह व रूंध में है उसकी वर्तमान में क्या स्थिति है ?

(3) क्या इस भूमि पर चन्द बड़े काश्तकारों द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण या कब्जा किया हुआ है ? यदि हां, तो कृपया काश्तकार के नाम व जमीन का ब्यौरा सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम हलका सौंखरी तहसील लक्ष्मणगढ़ में सिवायचक में चरागाह व रूंध के नाम से जमीन का विवरण निम्ननुसार है—

नाम मद (1)	कुल क्षेत्रफल (बीघा में) (2)	आवंटित बीघा-बिस्वा (3)	नाकाबिल काश्त बीघा-बिस्वा (4)	अति क्रमण बीघा-बिस्वा (5)
रूंध सौंखरी	210-00	187-15	7-6	14-19
सिवायचक लगानी	156-19	156-19	....	....
सिवायचक बिला लगानी	761-08	7-6	754-2	....
चरागाह	230-12	85-9	145-3	....
कुल योग	1357-19	437-9	906-11	14-19

(2) वर्तमान में संघ, सिवायचक व चरागाह में जो क्षेत्र आवंटित हो चुका है, उस पर आवंटी व्यक्ति काबिज है। 906 बीघा 11 बिस्वा क्षेत्र ना काबिल काश्त-मौके पर खाली पड़ा है।

(श्री राजस्व मंत्री)

(3) जी नहीं। मौके पर औसतन दर्जे के काश्तकारों द्वारा कुल 58 बीघा 6 बिस्वा पर अतिक्रमण किया गया था, जिन्हें बेदखल करने के आदेश देकर बेदखल कर दिया गया है।

भारतीय सर्वेक्षण विभाग अजमेर में खलासियों की भर्ती के संदर्भ में नियोजन कार्यालय द्वारा प्रेषित नाम

250. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या श्रम एवं नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दल सं. 58 पार्टी (प. स) भारतीय सर्वेक्षण विभाग, अजमेर में कन्टोनमेन्ट खलासियों की भर्ती की गयी थी ? यदि हाँ, तो कितने लोगों की भर्ती की गयी थी ?

(2) इस भर्ती हेतु एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज अजमेर द्वारा कितने उम्मीदवारों के नाम साक्षात्कार हेतु भेजे गये थे ? इन उम्मीदवारों का रजिस्ट्रेशन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, अजमेर में किस-किस तारीख को हुआ था, उनकी शैक्षणिक योग्यता एवं कार्यानुभव क्या था ? कृपया सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि भेजे गये उम्मीदवारों के पहले के भी कई व्यक्ति इसी शैक्षणिक योग्यता एवं कार्यानुभव के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज अजमेर में रजिस्टर्ड थे लेकिन उन्हें साक्षात्कार हेतु नहीं भेजा गया ? इसका क्या कारण है ?

उत्तर

(1) भारतीय सर्वेक्षण विभाग, अजमेर की दल संख्या 58 के द्वारा नियोजन कार्यालय, अजमेर को कंटीजेन्ट खलासी के 30 पद ज्ञापित किये गये थे। इन पदों के विरुद्ध भेजी गई सूचियों में से कितने व्यक्तियों की नियुक्ति की गई इसकी सूचना अभी तक कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई है।

(2) नियोजन कार्यालय के द्वारा 144 आशार्थी उक्त नियोजक को भेजे गये थे। भेजे गये सभी आशार्थी सन् 1969 से 1980 की मध्यावधि में पंजीकृत हैं। ऐसे आशार्थियों की शैक्षणिक योग्यता शिक्षित से हायर सैकन्डरी उत्तीर्ण तक थी।

(3) जी हां। सर्वप्रथम नियोजक के द्वारा ज्ञापित 30 रिक्तियों के विरुद्ध 81 आशार्थियों का सम्प्रेषण निर्धारित योग्यता के अनुरूप वरिष्ठता के आधार पर किया गया था, लेकिन उनमें से केवल 26 आशार्थियों ने ही उपस्थिति दी तथा जब नियोजक ने उन्हें इस पद के कार्य के बारे में जानकारी दी तो उनमें से आधे व्यक्तियों ने अपनी अनिच्छा व्यक्त की। फलस्वरूप नियोजक ने पुनः इन पदों के कार्यों की कठिन परिस्थितियों से अवगत कराते हुये इन पदों के लिये ऐसे आशार्थी, जो कि कंटीजेन्ट खलासी का कठिन कार्य कर सकें उन्हें ही भिजवाये जाने के लिये लिखा। चूंकि ये अल्प अवधि (4 से 6 माह तक कार्य) एवं कंटीजेन्ट प्रवृत्ति के पद होने की वजह से नियमानुसार इन रिक्तियों की सूचना नोटिस बोर्ड पर लगा दी गई। इन पदों के लिये जो भी आशार्थी इच्छुक थे

(श्रम एवं नियोजन मंत्री)

उन्हें अपनी सहमति से सूचित कर ने को कहा गया ताकि उन्हें सम्प्रेषित किया जा सके। तद्नुसार ऐसे सभी 63 आशार्थी जो कि इन पदों के विरुद्ध जाने को इच्छुक थे उनको भिजवाया गया। इस सूची में किसी भी इच्छुक आशार्थी को सम्प्रेषण करने से नहीं रोका गया।

जंटिया कॉलोनी, गांधीनगर, अजमेर के निवासियों हेतु पेयजल व्यवस्था

251. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पिछले दिनों अजमेर नगर में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की ओर से पानी उपलब्ध कराने हेतु हैण्ड पंप लगाये गये हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि जंटिया कॉलोनी, गांधीनगर, अजमेर में भी एक हैण्ड पंप की खुदाई प्रारम्भ की गयी थी, लेकिन उसको अधूरा ही छोड़ दिया गया है ?

(3) क्या इस बस्ती के गरीब अनुसूचित जाति के लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराने हेतु इस हैण्ड पंप की खुदाई पूरी की जावेगी या अन्य वैकल्पिक व्यवस्था की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) बोरिंग का कार्य करते समय कठोर चट्टान आने के कारण कार्य 70 फीट गहराई से अधिक करना सम्भव नहीं है। वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में इस क्षेत्र में पहले से ही सार्वजनिक नलों की व्यवस्था है।

गुड़ा जल प्रदाय योजना

252. **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गुड़ा जल प्रदाय योजना के तहत पूर्व में बिछाई गई पाइप लाइन द्वारा ग्राम सुरजडा, अगनेऊ, रणधीसर में पानी नियमित रूप से बल्कि कभी भी नहीं पहुंचने के क्या कारण हैं ? क्या इस गलत योजना के कारणों की जांच की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या योजना बनाते समय तकनीकी बारीकियों को मद्देनजर नहीं रखा गया था? यदि हां, तो सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध लाखों रुपये की बेकार की योजना बनाने हेतु कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि अब यही बेकार पड़ी पाइप लाइन अन्यत्र लगाई जा रही है ?

(3) राजस्थान नहर बुर्जी 820 से अगनेऊ, सुरजडा, रणधीसर को कब तक नियमित रूप से जल पहुंचाने की योजना चालू कर दी जावेगी ? क्या विद्युत संबंध ले लिया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक ले लिया जावेगा ?

उत्तर

(1) सन्दर्भित ग्रामों में पेयजल न पहुंचने का कारण मुख्यतः बीच के ग्रामों में अधिक जल का उपयोग होना है। जांच की आवश्यकता नहीं है तथा तीनों ग्रामों हेतु पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है।

(2) जी नहीं, वर्तमान में ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

(2) राजस्थान नहर बुर्जी 820 से ग्राम अगनेऊ सुरजडा व रणधीसर को जोड़ने हेतु विभागीय कार्य लगभग पूर्ण हो चुके हैं। परन्तु मुट्टावाली नहर में राजस्थान केनाल बोर्ड द्वारा कार्य किया जा रहा है, जिसके माह मार्च, 1981 तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है। कार्य पूर्ण होने के पश्चात् नहर में पानी छोड़ दिया जावेगा तथा तभी से इन ग्रामों में वितरण व्यवस्था आरम्भ हो जावेगी। विद्युत कनेक्शन लेने सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है।

राजकीय उपक्रमों में विनियोजित धनराशि

253. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): क्या राजकीय उपक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार का राजकीय उद्योगों में कितना धन लगा हुआ है ?

(2) किस-किस जिले में किस-किस उद्योग में कितना कितना धन लगा हुआ है?

(3) सीकर जिले में किस उद्योग में कितना धन लगा है तथा यह कुल धन का कितने प्रतिशत है ?

उत्तर

(1) राजकीय उपक्रम विभाग के अधीनस्थ राजकीय उद्योगों में राज्य सरकार के लगे हुए धन का विवरण निम्नानुसार है :—

क—विभागीय उद्योग	रु०
1—राजकीय लवण स्रोत, डीडवाना।	9,40,277
2—राजकीय लवण स्रोत, पचपदरा।	1,92,820
3—राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, डीडवाना।	1,15,67,694
4—राजकीय ऊनी मिल्स, बीकानेर।	1,74,58,342
ख—सरकारी कम्पनियां	
1—गंगानगर शुगर मिल्स लि०	1,55,80,786
2—राजस्थान स्टेट टेनरीज लि०	1,32,16,000
3—हाइटेक प्रेसीजन ग्लास लि०	7,60,000

(2) राजकीय उपक्रम विभाग के अधीनस्थ कार्यरत इकाइयों से राज्य सरकार

(राजकीय उपक्रम मन्त्री)

के लगे हुए धन का जिलेवार विवरण निम्नानुसार है :—

1-नागौर	1,25,07,971
2-बाड़मेर	1,92,820
3-बीकानेर	1,74,58,342
4-गंगानगर	1,55,80,786
5-टोंक	1, 2,16,000
6-भरतपुर	7,60,000

गंगानगर में शुगर मिल्स एवं डिस्टलरी है। इसके अधीन ही अजमेर और अटरू जिला कोटा की डिस्टलरी भी है।

(3) राजकीय उपक्रम विभाग के अधीनस्थ सीकर जिले में कोई उद्योग नहीं है।

छोटे समाचार पत्रों को प्रोत्साहन

255. श्री दीपेन्द्र सिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या जन सम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) छोटे समाचार पत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या राज्य सरकार विशेष सहूलियत दे रही है ? यदि हां, तो क्या ? नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या श्रमजीवी पत्रकारों को विशेष सुविधायें देने की ओर सरकार कोई ठोस योजना बना रही है ? यदि हां, तो क्या ? नही, तो क्यों ?

(3) प्रदेश में श्रमजीवी पत्रकारों की संख्या कितनी है ?

(4) क्या श्रमजीवी पत्रकारों को सरकार की ओर से मेडिकल, आवासीय, वाहन सुविधायें देने के लिये सरकार विचार करेगी?

उत्तर

(1) समाचार पत्रों को राजस्थान अधिस्वीकरण नियमों के तहत निम्नलिखित सुविधायें दी जा रही हैं :—

(क) रोस्टर के अनुसार विज्ञापन दिये जाते हैं।

(ख) निदेशालय से प्रसारित होने वाले प्रेसनोट एवं विशेष लेख नियमित रूप से भिजवायें जाते हैं।

(ग) रेलवे कूपन प्राप्त करने हेतु अधिस्वीकृत पत्रकारों को प्रमाण पत्र जारी किये जाते हैं। इनके द्वारा 50 प्रतिशत रियायती दरों पर भारत भ्रमण की सुविधा वे प्राप्त कर सकते हैं।

(घ) राज्य परिवहन की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाती है।

(ङ) टेलीफोन सुविधा प्राथमिकता के आधार पर दिलाने हेतु डाक-तार विभाग को सिफारिश की जाती है।

(च) विशिष्ठ व्यक्तियों के आगमन के समय प्रेस कवरेज की सुविधा हेतु सुरक्षा प्रवेश पत्र बनवाकर पत्रकारों को सुलभ करवाये जाते हैं।

(जन सम्पर्क मंत्री)

(छ) प्रेस सम्मेलनों के आयोजनों के समय पत्रकारों को विधिवत आमन्त्रित किये जाने की सुविधा प्रदान की जाती हैं।

(ज) समय-समय पर राज्य की विभिन्न विकासशील योजनाओं के अवलोकन हेतु राज्य सरकार के खर्चे पर अधिस्वीकृत पत्रकारों को भ्रमण पर ले जाने की सुविधा प्रदान की जाती है।

(झ) विधान सभा के सत्र आरम्भ होने पर अधिस्वीकृत पत्रकारों को पत्रकार दीर्घा में प्रवेश दिलाने तथा विधान सभा कार्यवाही की समुचित प्रवेश करवेज हेतु पूर्ण सुविधा दी जाती है।

(ट) हाउसिंग बोर्ड के मकानों को प्राथमिकता के आधार पर आवंटन करने के सम्बन्ध में बोर्ड ने 2·5 प्रतिशत कोटा निर्धारित किया हुआ है, जिसमें अधिस्वीकृत पत्रकार भी शामिल हैं।

(2) कुछ प्रस्ताव सरकार को प्रस्तुत हुए हैं।

(3) प्रदेश में अधिस्वीकृत श्रमजीवी पत्रकारों की संख्या 385 हैं।

(4) अधिस्वीकृत श्रमजीवी पत्रकारों को राजस्थान के संसद सदस्य एवं विधान सभा सदस्यों की भांति आवासीय सुविधा के लिए आवासन मण्डल के द्वारा ढाई प्रतिशत कोटा निर्धारित किया हुआ है। अन्य सुविधाओं के सम्बन्ध में राज्य स्तर पर अभी अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है।

तहसील लाडनू में बस स्टेण्ड निम्बीजोधा से बाईपास तक सड़क निर्माण

256. श्री रामधन (लाडनू) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि लाडनू तहसील के ग्राम निम्बीजोधा में काम के बदले अनाज योजना के तहत बस स्टेन्ड निम्बीजोधा से बाईपास सड़क तक जो पक्की सड़क स्वीकृत की गई थी वह अभी तक अधूरी पड़ी हुई है? यदि हां, तो क्यों और इसको कब तक पूरा किया जाएगा।

उत्तर

जी नहीं। काम के बदले अनाज योजना के तहत बस स्टेण्ड निम्बीजोधा से बाईपास तक पक्की सड़क स्वीकृत नहीं की गई थी बल्कि बाजार से निम्बीजोधा बस स्टेण्ड तक की सड़क स्वीकृत की थी। इस सड़क पर मिट्टी डलवाई, कंकरीट तथा मुरड का कार्य हो चुका है, अब केवल डामर का कार्य होना बकाया है जो पंचायत द्वारा कराया जाना है। इस निमित्त ग्राम पंचायत ने सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, डीडवाना को 5980 रु० जमा भी करा दिये हैं।

जिला बीकानेर में राहत कार्यों की बकाया मजदूरी का भुगतान

257. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री देवीसिंह भाटी)

(1) क्या बीकानेर जिले में पिछले वर्ष प्रारम्भ किये गये राहत कार्यों की बकाया मजदूरी का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो कृपया बकाया मजदूरी की तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) कोलायत तहसील में कई ग्राम पंचायतों में राहत कार्यों की पिछली बकाया मजदूरी का अब तक भुगतान नहीं होने का क्या कारण है ? वह बकाया मजदूरी कौन-कौन सी ग्राम पंचायतों व किस-किस राहत कार्य की बकाया है।

(3) यह भुगतान कब तक कर दिया जावेगा ? भुगतान नकद में होगा या काइंड में ?

उत्तर

(1) बीकानेर जिले में सम्वत् 2036 में काम के बदले अनाज योजना व विशिष्ट काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत संचालित कार्यों में से जिन कार्यों का भुगतान नहीं किया गया है उनकी तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रख दी है।

(2) कोलायत तहसील में 10 ग्राम पंचायतों के 17 कार्यों का भुगतान बकाया है जिसकी सूची संलग्न है।

(3) सं० 2036 की मजदूरी का भुगतान सभी पंचायतों को खाद्यान्न के रूप में किया जा चुका है। केवल मात्र नकद में भुगतान किया जाना शेष है। सरपंचों को नकद भुगतान के लिए अग्रिम राशि दी गई थी जिसका हिसाब प्रस्तुत कर समायोजन करने के लिए विकास अधिकारी के बार-बार निवेदन करने पर भी सरपंचों द्वारा अग्रिम राशि का हिसाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसी कारण बकाया मजदूरी का भुगतान सम्भव नहीं हो सका। सरपंचों द्वारा अग्रिम राशि का हिसाब प्रस्तुत करने पर मजदूरी का भुगतान शीघ्र कर दिया जावेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

करौली में पंचायतों द्वारा कराये गये निर्माण कार्य

258. **श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली)** : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) करौली पंचायत समिति में कुल कितनी पंचायत हैं ?

(2) पंचायत वार पिछले तीन वर्षों में कितना अनाज, कितनी अनुदान राशि व कितना विकास मद पर रुपया दिया गया है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) पंचायतों द्वारा तीन वर्षों में निर्माण में कितने कार्य करवाये गये हैं ? कृपया उनकी सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) करौली पंचायत समिति में कुल 37 पंचायतें हैं

(2) पिछले तीन वर्षों में पंचायत समिति, करौली को 21383-33-500

(38)

(पंचायत मन्त्री)

क्वीन्टल खाद्यान्न व रुपये 11,92,019-60 की राशि दी जा चुकी है। पंचायत वार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) पंचायत समिति, करौली की पंचायतों द्वारा तीन वर्षों में कुल 685 निर्माण कार्य कराये गये हैं जिनकी पंचायत वार सूची सदन की मेज पर रख दी है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

परिगणित क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य

259. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1980-81 के लिये परिगणित क्षेत्र में सड़कें बनवाने के लिये 1 करोड़ 50 लाख की धनराशि का प्रावधान है ?

(2) यदि हां, तो किस-किस तहसील में कितनी-कितनी सड़कें बनाये जाने का प्रस्ताव है ?

(3) क्या तहसील प्रतापगढ़ में इसके अन्तर्गत कोई सड़क निर्माण का कार्य हाथ में लिया गया है ?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1980-81 में परिगणित क्षेत्र में सड़क निर्माण हेतु 75.00 लाख रुपये का राज्य योजना में प्रावधान था। इसके अलावा 75 लाख रुपये अकाल राहत कार्यों पर खर्च करने थे।

(2) जिलेवार जो सड़कें स्वीकृत हैं उनकी सूची संलग्न है।

(3) जी हां। प्रतापगढ़ तहसील में दो सड़क कार्य प्रगति पर हैं—

1–इम्प्रूवमेन्ट आफ प्रतापगढ़ बांसवाड़ा सड़क सी. डी. कार्य सहित

2–अरनोद से पीपलोदा सड़क निर्माण कार्य

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

ग्राम कोठा से खरवां तक सड़क निर्माण

260. श्री मनफूलराम (केसरीसिंहपुरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि निर्वाचन क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्री गंगानगर, जिला श्री गंगानगर के अन्तर्गत गांव कोठा से खरवां तक की निर्माणाधीन सड़क अब तक पूरी नहीं हुई ? यदि हां, तो अब इसके कब तक पूरी हो जाने की संभावना है।

उत्तर

जी हां। कोठा से खरवां सड़क किलोमीटर 0/0 से 7/0 निर्माणाधीन जो कि मार्केटिंग बोर्ड द्वारा निर्माणाधीन है और इसकी 31-38-2 तक पूर्ण होने की8 संभावना है।

केसरीसिंहपुर क्षेत्र में चक 20 जेड से चूनावढ़ सड़क निर्माण

261. **श्री मनफूलराम** (केसरीसिंहपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि जिला गंगानगर के निर्वाचन क्षेत्र केसरीसिंहपुर के अन्तर्गत चक 20 जेड से चूनावढ़ तक की निर्माणाधीन सड़क अभी तक अधूरी पड़ी है ? यदि हां, तो इसके अब कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है।

उत्तर

जी हां। सड़क स्वीकृति सिर्फ 20 जेड से 9 जी वाया 3 एच तक है और इसका कार्य प्रगति पर है। तथा जून 1981 तक पूरा होने की सम्भावना है। 9 जी से चूनावढ़ तक की कोई स्वीकृति नहीं है।

तहसील दौसा की अपूर्ण सड़कों का निर्माण

262. **श्री सोहनलाल बंशीवाल** (दौसा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि दौसा तहसील में कई सड़कें अधूरी पड़ी हुई हैं ? यदि हां, तो कौन कौन सी सड़कें हैं और इनको विभाग द्वारा कब तक पूर्ण करा दिया जावेगा ?

उत्तर

जी हां। दौसा तहसील में निम्न सड़कों का कार्य अधूरा है :

1-आलूदा से पापड़दा

2-पापड़दा से खावा

उपर्युक्त दोनों ही सड़कें वर्ष 1981-82 में पूर्ण होने की सम्भावना है।

जिला सीकर की पंचायत समितियों के अध्यापकों के रिक्त पदों की पूर्ति

263. **श्री नारायणसिंह** (दांतारामगढ़) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सीकर जिले में किस-किस पंचायत समिति में कब-कब से अध्यापकों के रिक्त स्थान हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें। क्या यह सही है कि पिछले तीन साल से पंचायत समितियों के अध्यापकों के लिये कोई चयन नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(2) किस किस पंचायत समिति में शिक्षा विभाग के मापदण्ड के अनुसार कितने अध्यापकों की आवश्यकता है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें। क्या यह सही है कि अध्यापकों की कमी के कारण सुचारु रूप से अध्यापन कार्य नहीं हो रहा है ?

उत्तर

(1) सीकर जिले की पंचायत समितियों में अध्यापकों के रिक्त पदों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

जी हां, राजस्थान पंचायत समिति एवं अधीनस्थ सेवा आयोग द्वारा चयन में

(पंचायत मन्त्री)

अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त होने पर वर्ष 1977 में चयन प्रक्रिया पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था, इसके उपरान्त अध्यक्ष एवं सदस्य का पद रिक्त रहने से अध्यापकों का चयन नहीं हो सका है।

(2) शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार आवश्यक अध्यापकों के पदों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। अस्थाई तौर पर अध्यापकों की नियुक्ति की जाकर यथा संभव अध्यापन कार्य सुचारु रूप से चलाने का प्रयास किया जाता है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

जयपुर में क्रियाशील उपहार के काउन्टर से प्राइवेट पार्टी के साबुन का विक्रय

264. **श्री महावीर प्रसाद जैन** (टोंक): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ, जयपुर द्वारा संचालित 'उपहार' के काउन्टर से साबुन बेचा जाता है ?

(2) क्या यह सही है कि यह साबुन सहकारी उत्पादन के नाम से बेचा जाता है ?

(3) क्या यह भी सही है कि यह साबुन एक व्यक्तिगत पार्टी द्वारा उत्पादित किया जाता है और उसके द्वारा षड़यन्त्रपूर्वक 'उपहार' के माध्यम से बिकवाया जाता है और इसका सम्पूर्ण लाभ उस प्राइवेट पार्टी को मिलता है ?

(4) क्या यह भी सही है कि इस षड़यन्त्र में एन. सी. सी. एफ. के अधिकारी भी सम्मिलित हैं ?

(5) क्या यह भी सही है कि इस साबुन के उपहार के काउन्टर से बिकने से 'उपहार' को किसी प्रकार का लाभ या कमीशन नहीं मिल रहा है ?

(6) क्या राज्य सरकार इस सारे कांड की जांच करा कर सहकारिता के क्षेत्र का दुरुपयोग रोकने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) कपड़े धोने व नहाने के अन्य ब्राण्ड के साबुनों के अतिरिक्त कपड़े धोने का "कोआप" ब्राण्ड साबुन भी बेचा जाता है।

(3) जी नहीं। साबुन राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लि. की शाखा से क्रय किया जाता है।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं।

(6) उपभोक्ता संघ 'कोआप" ब्रांड साबुन एन. सी. सी. एफ. राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ की जयपुर शाखा से क्रय करता है। जो राष्ट्रीय स्तर की सहकारी

(सहकारिता मन्त्री)

संस्था है। इसके कोई दुरुपयोग नहीं हैं। अतः जांच का प्रश्न ही नहीं उठता है।

जिला बूंदी की ग्राम सेवा सहकारी समितियों के पदाधिकारियों में समिति की बकाया

265. **श्री गोपाल पचेरवाल** (पाटन): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बूंदी में कितनी ग्राम सेवा सहकारी समितियां है ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) उपरोक्त सहकारी समितियों में कौन कौन अध्यक्ष व मंत्री है ? यदि इन अध्यक्ष एवं मन्त्रियों में से किसी के नाम समिति का ऋण बकाया है तो कृपया सूची सदन की मेज पर रखें। इस प्रकार के कौन से अध्यक्ष एवं मंत्री हैं तथा कौन-कौन सी समितियों के हैं एवं कितना ऋण कब से बकाया है ?

(3) जिनके विरुद्ध ऋण बकाया है, उन पर क्या कोई केस न्यायालय में चल रहे हैं ? क्या कुछ पर गबन के केस भी चल रहे हैं ? यदि हां, तो कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

(1) बूंदी जिले में 119 ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं। सूची परिशिष्ट "अ" संलग्न है।

(2) सूची परिशिष्ट 'अ" संलग्न है।

(3) जी हां। सूची परिशिष्ट "ब" संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

सीकर नगर में सीमेंट वितरण की दोहरी व्यवस्था

266. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर): क्या रसद एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सीकर नगर में सीमेंट वितरण की दोहरी व्यवस्था है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) सीकर नगर परिषद् क्षेत्र में जिला सीकर में आवंटित सीमेंट का कितना प्रतिशत वितरण किया गया ?

उत्तर

(1) सीकर नगर में नगर परिषद भवनों की मरम्मत हेतु एवं जिला रसद कार्यालय से नगर के साथ-साथ सम्पूर्ण जिले में स्थित सार्वजनिक, धार्मिक, सैनिक नव निर्माण कार्यों हेतु सीमेन्ट के परमिट जारी किये जाने की व्यवस्था जन हित में की गई है।

(2) सम्पूर्ण जिले के आवंटन का 13% भाग सीकर नगर को आवंटित कर वितरण कराया जाता है।

जिला चित्तौडगढ़ में आवश्यक सामग्री वितरण में संलग्न एजेन्सीज

267. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या रसद एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला चित्तौड़गढ़ में आवश्यक उपभोक्ता सामग्री का वितरण किन एजेन्सीज के द्वारा करवाया जा रहा है? कृपया तहसीलवार सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) उपभोक्ता सामग्री वितरण में अनुसूचित जन जाति तथा अनुसूचित जाति के कितने व्यक्तियों को किस-किस तहसील में किस रूप में प्रतिनिधित्व दिया गया है?

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(2) अनुसूचित जन जाति एवं अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को वितरण प्रणाली में दिये गये प्रतिनिधित्व का उल्लेख प्रश्न के भाग (1) के लिये संलग्न सूची में अंकित है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

कुशलगढ़, सागवाड़ा तथा सलूम्बर में महाविद्यालय खोलना

268. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार आबादी एवं मांग के अनुसार कुशलगढ़ (बांसवाड़ा), सागवाड़ा (डूंगरपुर) तथा सलूम्बर (उदयपुर) में महा विद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सुझाव दिया गया है कि राजस्थान में स्थित 38 महाविद्यालय ऐसे हैं, जहां छात्र संख्या 400 से कम है। अतः अगले पांच वर्षों में राजस्थान में नये महाविद्यालय नहीं खोले जायें। इसी को ध्यान में रखते हुए छठी पंचवर्षीय योजना में नये महाविद्यालय खोलने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

गंगाशहर के मोहल्ला कुम्हारान में नियमित प्राथमिक शाला खोलना

269. **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या गंगाशहर जिला बीकानेर के मोहल्ला कुम्हारान में प्राथमिक शिक्षा हेतु दो घंटे के लिए रात्रि पाठशाला की व्यवस्था की हुई है?

(2) क्या यह सही है कि इस रात्रि पाठशाला में एक ही अध्यापक आता है? क्या वह भट्टड स्कूल से आकर कक्षाएं लेता है?

(3) क्या सरकार इस मोहल्ले में वर्ष 1981-82 में नियमित प्राथमिक शाला खोलने पर विचार करेगी?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

जिला शिक्षा अधिकारी (पुरुष) अजमेर के कार्यालय में वेतन, भत्ते तथा अवकाश आदि के विचाराधीन प्रकरण

270. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला शिक्षा अधिकारी (पुरुष) अजमेर के कार्यालय में कितने प्रकरण वेतन, यात्रा भत्ता, मेटरनिटी लीव आदि के कब-कब से किस-किस कारण से विचाराधीन हैं ?

(2) कृपया सम्पूर्ण विवरण आवेदकों के नाम, तारीख एवं कारण सहित सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) 57 प्रकरण वेतन संबंधी 120 प्रकरण यात्रा भत्ता संबंधी 3 प्रकरण मेटरनिटी लीव संबंधी बकाया है। प्रकरण के बकाया का दिनांक एवं कारण संलग्न सूची में अंकित कर दिया है।

(2) सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 15 देखें।)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) **श्री हीरालाल आर्य**, सदस्य विधान सभा की ओर से पीपल्दा क्षेत्र की कुछ ग्राम पंचायतों में वन विभाग द्वारा किसानों को काश्त की भूमि से बेदखल करने के विषय में।

(2) **श्रीमती विद्या पाठक**, सदस्या विधान सभा की ओर से सांगानेर के सांगा मन्दिर व गोविन्द देव जी के मन्दिर की काफी कृषि भूमि पर एक हाउसिंग सोसायटी द्वारा अवैध तरीके से मकान सड़क आदि बनाने के विषय में।

(3) **श्री रामकिशोर मीणा**, सदस्य विधान सभा, की ओर से सिकराय क्षेत्र में रानौली नामक पहाड़ का खनिज पट्टा जिस ठेकेदार को दिया हुआ है, उसके द्वारा काश्तकारों से अनधिकृत रायल्टी वसूल करने के विषय में।

(4) **श्री घनश्याम तिवाडी**, सदस्य विधान सभा की ओर से सीकर जिले के पीपराली कस्बे में गत 12 मार्च को एक डकैती में एक लाख रुपयों का माल लूट लिये जाने के विषय में।

(5) **सुश्री पुष्पा जैन**, सदस्या विधान सभा की ओर से बांसवाड़ा के मुन्सिफ मजिस्ट्रेट श्री गुरुदेवसिंह को पुलिस द्वारा पीटे जाने के विषय में।

(५५)

(श्री अध्यक्ष)

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

(6) **श्री रामकंवार बैरवा**, सदस्य विधान सभा की ओर से पशुपालन विभाग द्वारा 150 अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की नियुक्तियां निरस्त करने के विषय में।

इस विषय पर सदन में एक प्रश्न के माध्यम से चर्चा हो चुकी है।

(7) **सर्वश्री चन्द्रवीरसिंह** व देवीसिंह भाटी सदस्य, विधान सभा की ओर से जैसलमेर व बीकानेर जिलों में अकाल की स्थिति के विषय में।

(9) **श्री बालचन्द्र आर्यवीर**, सदस्य विधान सभा की ओर से झालावाड़ जिले के डग व पाटन क्षेत्र में अकाल के कारण पेयजल की कमी के विषय में।

इन स्थगन प्रस्तावों पर माननीय सदस्य अकाल की मांग पर होने वाली बहस के दौरान चर्चा कर सकते हैं।

(10) **सर्वश्री गुलाबचन्द कटारिया व नन्दलाल मीणा**, सदस्य विधान सभा की ओर से उदयपुर में एक 22 वर्षीय युवती कांता पोरवाल को दहेज के कारण यातना देने के विषय में।

(11) **श्री मोहनलाल शर्मा**, सदस्य विधान सभा की ओर से स्वायत्त शासन विभाग का निदेशालय का कार्यालय जयपुर शहर से दूर ले जाये जाने के सम्बन्ध में।

(12) **सर्वश्री लच्छूराम, अनंगकुमार जैन व वीरेन्द्रप्रताप सिंह**, सदस्य विधान सभा की ओर से श्री मंगतराम मित्तुका, जिला सेशन जज झुंनझुनूं द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के खिलाफ मौन व्रत धारण करने एवं अनाज का परित्याग करने के विषय में।

ये स्थगन प्रस्ताव के विषय नहीं हैं और मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(13) **सर्वश्री दाऊदयाल जोशी व हंसराज शर्मा**, सदस्य विधान सभा की ओर से राजस्थान के भिन्न-भिन्न विद्यालयों में लागू हुई पाठ्य पुस्तकों के अशुद्ध होने के विषय में।

इस प्रस्ताव पर माननीय सदस्यों से विस्तृत जानकारी मंगाई जा रही है अतः इस पर बाद में निर्णय लिया जावेगा।

अब जिन स्थगन प्रस्तावों में मैंने राजस्थान सरकार से जानकारी चाही है उन स्थगन प्रस्तावों पर जानकारी आने पर निर्णय दिया जावेगा। इसलिये आज उन स्थगन प्रस्तावों पर चर्चा नहीं होगी और जिन स्थगन प्रस्तावों को मैंने अस्वीकार किये हैं उन स्थगन प्रस्तावों को देने वाले माननीय सदस्य एक एक दो दो मिनट सदन में अपनी बात कहने का कष्ट करें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया और नन्दलाल मीणा उदयपुर में एक 22 वर्षीय युवती कान्ता पोरवाल को दहेज के कारण यातना देने के विषय में।

श्री गुलाबचन्द कटारिया। संक्षेप में कहें।

(श्री अध्यक्ष)

आप एक बात का ध्यान रखें कि यह विवाहित युवती का मसला है इसको आप इस तरह से सदन में उठायें कि जिससे उसकी और कठिनाइयां नहीं बढ़ जावें। कहीं ऐसा नहीं हो कि उसे और यातनायें दी जावें।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, इससे और अधिक यातनायें क्या दी जावेंगी ? इससे तो अच्छा है कि वह बेचारी मर जाय। जिस तरह का नारकीय जीवन वह बिता रही है वैसा जीवन तो कोई नहीं बिता सकता। अध्यक्ष महोदय, उदयपुर में एक युवती 22 वर्षीय कान्ता की शादी आज से 6 वर्ष पूर्व हुई थी। अध्यक्ष महोदय, जब से वह विवाहित होकर आयी तभी से दहेज के मामले को लेकर हमेशा झगड़ा होता रहा था, हमेशा क्लेश होता था। समय-समय पर कान्ता के रिश्तेदार आते और उसके ससुराल वालों की हरकतों की जानकारी उसके पिताजी को मिलती रहती थी। अभी 9 तारीख को ऐसी घटना हुई कि उस युवती को जंजीरों से जकड़ कर ऊपर छत पर गुड़ा दिया गया। बेचारी धूप में पड़ी-पड़ी कराह रही थी। आस पास रहने वाले लोगों ने उसकी कराहने की आवाज सुनी वह और मोहल्ले वाले नीचे इकट्ठे हो गये। अध्यक्ष महोदय, करीब 1000–500 व्यक्ति वहां पर इकट्ठे हो गये और खूब जोर से आवाजें लगाने लगे। उसके बाद में कुछ लोगों ने पुलिस में इत्तला की फिर पुलिस आयी।

श्री अध्यक्ष : आप वहां पर मौजूद थे क्या ?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मैं तो वहां नहीं था पर पुलिस वहां पर पहुंची। पुलिस ने जाकर ताला खोला। उसके शरीर को जंजीरों से जकड़ रखा था, उसको खोला। वह बेचारी पांच-सात दिनों से वहां पर बन्धी पड़ी थी, भूखी-प्यासी थी। जब उसे खोला गया था तो अध्यक्ष महोदय, उसने सबसे पहले रोटी चाही क्योंकि वह भूखी थी। उसको उसके ससुर ने रोटी और चटनी दी। अध्यक्ष महोदय, उसने चार रोटी चटनी से खाई उसके पश्चात् ही पुलिस ने उससे जानकारी की तो पुलिस का बयान है कि होशो हवाश में थी और किसी प्रकार की कोई बात नहीं थी और उसके सारे बदन पर लाल लकड़ियों की मार लगी हुई थी। अध्यक्ष महोदय, जब यह काण्ड हो रहा था तो वहीं पर कुछ महिलायें भी आ गयी थीं और उन्होंने प्रोटेस्ट करके इस युवती को हास्पिटल में ले जाकर भर्ती करवाया। यहां तक कि पत्रकार भी तुरन्त घटना के बाद पहुंच गये और पत्रकारों ने नीचे जो भीड़ खड़ी हुई थी तो जानकारी की कि क्या बात है तो पड़ोसियों ने बताया कि यह झगड़ा बहुत लम्बे समय से चल रहा है और दहेज नहीं दिये जाने के कारण इसके साथ हमेशा ऐसा बर्ताव किया जाता है। यह तमाम बातें हैं और उसके ससुर ने कहा कि चूंकि वह पागल है इस कारण हमने ऐसा किया है। तो पड़ोसियों के बयान हैं कि 6 वर्षों से यहां रहती है हमने उसको कभी भी विक्षिप्त अवस्था में आते या जाते नहीं देखा। जब इस प्रकार का उसके साथ

(46)

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

अमानवीय व्यवहार होता रहा तो उसके कारण से उसके पिताजी को भी उसके दुख के कारण से हार्ट अटेक हुआ । अध्यक्ष महोदय, उसके 4 साल का बालक है जिस बालक को लगातार तीन साल से मिलने नहीं दिया गया । उसको नौकरानी की तरह से रोटी डालते हैं कभी एक और कभी दो इस तरह से उसको भूखों मारते हैं । यह एक साधारण घटना नहीं है । यह दहेज जो प्रथा है, अध्यक्ष महोदय, हमारे समाज पर कालिमा है । मैं आपके माध्यम से इस सरकार से चाहूंगा कि यह केवल एक घटना नहीं है ऐसी राजस्थान में अनेक हजारों घटनायें हो रही हैं । राज्य सरकार को चाहिए कि इस दहेज प्रथा के खिलाफ कोई कठोर कार्यवाही करे जिससे ऐसे षड़यन्त्र करने वाले लोगों को सजा दी जा सके और उनको जिन्दगी में याद रहे कि इस प्रकार के कृत्य करने से क्या सजा मिलती है । मैं चाहूंगा कि जिसके खिलाफ एफ०आई० आर० दर्ज की गई और पुलिस ने स्वयं जाकर उस युवती को जंजीरों से मुक्त किया तो उससे पूछा गया । उसको पागलपन नहीं है केवल एक ही स्टेटमेन्ट उसने दिया कि इन्दौर में उसका इलाज कराया । तो पागल वह उदयपुर में होती है तो उदयपुर में पागल होने के कारण भरती नहीं कराया गया है । कभी ऐसी घटना होती तो कम से कम उसके पड़ौसी तो यह कहते । क्या सारे पड़ौसियों को उससे वैमनस्य दुश्मनी तो नहीं थी । लेकिन इस प्रकार की घटना जो घटित हुई है, मैं चाहूंगा कि सरकार इसमें कठोरता से कार्यवाही करे और जिस व्यक्ति ने भी यह अमानुषिक कृत्य किया उसको कठोर से कठोर सजा दी जाय । उसकी जमानत आसानी से नहीं हो जाय, उसके ऊपर 307 का केस लगाया है उसमें राज्य सरकार इन्टरवीन करे क्योंकि यह प्रश्न एक बालिका की जिन्दगी का है, समाज की कुरीतियों का सवाल है । अगर कुरीतियों को मिटाना चाहते हैं तो सरकार इसमें जरूर हस्तक्षेप करें ।

श्री अध्यक्ष : श्री नन्दलाल ।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : अध्यक्ष महोदय, श्रीमती कान्ता पोरवाल के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उसके सम्बन्ध में उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने तथ्यों पर प्रकाश डाला । मैं तो इस दहेज प्रथा के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य में ही नहीं सम्पूर्ण देश में इस प्रकार की घटनायें आये दिन होती रहती हैं । सरकार ने नाना प्रकार के नियमों के माध्यम से और कानूनों के जरिये से समाज की कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाये हैं । परन्तु एक ओर जहां हम देश में नारी को समाज में समान दर्जा देना चाहते हैं, समानता का दर्जा देना चाहते हैं यदि उनके साथ ऐसे दुर्व्यवहार हों और कुकृत्य किये जायें मैं समझता हूं कि यह हमारे सब के लिए चिन्ता का विषय और शर्मनाक विषय भी है । मेरा तो आपसे यही कहना है कि परिणामस्वरूप क्या होता है । दहेज के अभाव में महिलाओं की जिन्दगी नर्क बन जाती है । ऐसी स्थिति में कुछ नहीं कहते हुए यही निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को कारगर कदम उठाने चाहिए और जिस प्रकार से सरकार का वतीरा

(श्रीनन्दलाल मीणा)

राजस्थान में समस्याओं को सुलझाने का नहीं होता है और उलटे उलझाने का होता है और यह भी सामाजिक बुराइयों की समस्या सामने आ गयी है तो इसका युद्ध स्तर पर चुनी हुई संस्थाओं का सहयोग लेकर और समाज सेवी संस्थाओं का सहयोग लेकर कदम उठाया जायगा तो सफलता प्राप्त होगी जिस व्यक्ति ने कान्ता पंरवाल के साथ यह व्यवहार किया है उसको कठोर से कठोर दण्ड मिलें ताकि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं हो, ऐसा मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनलाल शर्मा। स्वायत्त शासन विभाग का निदेशालय का कार्यालय जयपुर शहर से दूर ले जाये जाने के सम्बन्ध में

श्री मोहनलाल शर्मा (सरदार शहर) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि स्वायत्त शासन विभाग का निदेशालय का कार्यालय पहले सचिवालय में था और सचिवालय जयपुर शहर के बहुत नजदीक होने के कारण लोगों को वहां आने जाने में काफी सुविधायें थीं लेकिन करीब दो-ढाई साल से कार्यालय को शहर के एक छोर पर करीब 7–8 किलोमीटर दूर मानसिक चिकित्सालय के किनारे पर कर दिया गया है। वह भी कार्यालय नहीं है, अध्यक्ष महोदय, चार बंगले किराये पर ले रखे हैं और उन बंगलों में यह कार्यालय है। मेरा निवेदन करना सिर्फ यह था कि इस कार्यालय को जाने के लिए कोई सुविधा शहर से नहीं है और आने जाने में अगर एक बार यदि कोई व्यक्ति जाय तो एक तो पैदल जाय तो एक दिन लग जाय और अगर किराये पर टेम्पो करके जाये तो 17–18 रुपये खर्चा एक टाइम पर आयगा। तो ऐसी स्थिति में जब यदि अधिकारी नहीं मिले और क्लर्क नहीं मिले तो उसका पैसा जाया होता है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना था कि इस प्रकार के कार्यालय, जिनका कि सम्बन्ध सीधे पब्लिक से हो और जनता से हो, लाखों लोगों से हो और करीब 200 नगर परिषदों और नगर पालिकाओं से हो जयपुर शहर के मध्य में हों और मैं यहां तक कहता हूं कि सचिवालय में ही होने चाहिए।

खास तौर से हम लोग जन प्रतिनिधि हैं उनके लिए तो एक विशेष दुविधा हो जाती है। दो-तीन दफा मेरा भी काम पड़ा तो यहां से टेलीफोन से सूचना देकर गया कि निदेशक महोदय वहां पर मौजूद हैं या नहीं। वह कहते हैं कि बैठे हैं और हैं। लेकिन जैसे ही मैं पहुंचा आधा घंटे के बाद तो महाशय गायब हैं, सचिवालय में चले गए या और कहीं चले गए, मौका देखने चले गये या दौरे पर चले गये। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ऐसी बातों से जनता को कष्ट होता है उसको मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जल्दी आप इस कष्ट का निवारण करें और मैं तो कहता हूं कि आपने मेरे प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया आप सरकार से जवाब लेकर इसका निवारण करने की मेहरबानी करें तो अच्छा हो ताकि जनता की दुविधा दूर हो सके। यही मेरा निवेदन है।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत (भीम): बात तो उचित है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आपके सुनने के बाद लगा कि बहुत उचित है।

श्री विष्णुप्रकाश बजारी (ब्यावर): बहुत बड़ी मुश्किल है। वास्तव में जनता के सामने बहुत बड़ी दिक्कत है।

श्री अध्यक्ष : और खास तौर से माननीय सदस्य इत्तला देकर जायें और गैर हाजिर हो जायें तो दिक्कत होती है।

श्री विष्णुप्रकाश बजारी : यह तो अविलम्ब होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री लच्छूराम, श्री अनंग कुमार जैन और श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह। श्री मंगतराम मित्रुका, जिला सैशन जज के बाबत,

इसको आप अधिक विवाद का विषय नहीं बनायें तो उचित रहेगा। जुडिशियल सर्विस के आफिसर हैं और मामल हाइ कोर्ट के सामने है।

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें सवाल यह है कि श्री मंगतराम मित्रुका एक डिस्ट्रिक्टजज हैं। उन्होंने हाइ कोर्ट के जज के ऊपर चार्जेज लगाये हैं। प्रजातन्त्र के अन्दर यह बात है कि एक आदमी बोल्डनेस से चार्ज लगाता है तो जांच होनी चाहिए। वह जांच की मांग कर रहे हैं। श्री मंगतराम झुंझनूं के अन्दर डिस्ट्रिक्ट जज तैनात थे उन्होंने राजस्थान हाइ कोर्ट के न्याय सेवा के जो न्यायाधीश हैं और राजस्थान जुडिशियरी के अन्दर जो करप्शन है उसके बारे में कुछ चार्जेज गये हैं। उन्होंने मांग की थी कि मैं इन चार्जेज को साबित करने के लिए तैयार हूं, इनकी जांच होनी चाहिए। जब उन्होंने इस बात के लिए सरकार को लिखा, हाइ कोर्ट को लिखा और केन्द्रीय सरकार को लिखा लेकिन उनकी बात पर कोई सुनवाई नहीं हुई बल्कि हाइ कोर्ट के द्वारा उनके खिलाफ उल्टी कार्यवाही की गयी उससे पीड़ित होकर उन्होंने पिछले कई दिनों से मौन व्रत धारण कर रखा है तथा भूख हड़ताल कर रखी है। उनकी मांग सिर्फ इतनी है और न्यायोचित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उनके पास इस बात के प्रमाण हैं, वह यह साबित करना चाहते हैं कि जुडिशियरी के अन्दर करप्शन है। करप्शन के बारे में मेरे पास प्रमाण हैं और मैं उसको साबित करने के लिये तैयार हूं। अध्यक्ष महोदय, वह यहां पर राजस्थान न्यायिक सेवा संघ के अध्यक्ष हैं और केन्द्रीय न्यायिक सेवा संघ के मन्त्री हैं। उनके बारे में जो केन्द्रीय सरकार के लॉमिनिस्टर हैं जिन्होंने उनको नामीनेट किया उन्होंने कहा, There is one dynamic personality in Rajasthan Judiciary and he is Mr. M. R. Mitruka. उन्होने उनका नामीनेशन किया। अध्यक्ष महोदय, जो व्यक्ति इतने लम्बे समय तक भूख हड़ताल पर हो, जिसने इतने समय तक मौन व्रत धारण कर रखा हो, लगातार अखबारों में आ रहा है, राज्य सरकार की नॉलेज में भी यह बात आ चुकी है उनका मौन व्रत तोड़ने के लिए, अनशन तोड़ने के लिए

(श्री ग्रनंग कुमार जैन)

ग्रसामाजिक तत्वों, जिन लोगों के ऊपर उन्होंने चार्जेज लगाये हैं, के द्वारा उनको डराया धमकाया जा रहा है। कल बिड़ला मन्दिर के ग्रन्दर जब वह बैठे हुए थे दो लोग उनके पास पहुंचे उन्होंने इस बात के लिये मजबूर किया, उनको डराया धमकाया गया कि ग्रनशन तोड़ दीजिये, न्यायाधीशों के ऊपर भ्रष्टाचार के ग्रारोप मत लगाग्रो। यदि भविष्य में ग्रापने ग्रारोप लगाये या इस प्रकार की कार्यवाही की....

श्री ग्रध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री ग्रनंग कुमार जैन : तो ग्रापको इसका ग्रन्जाम भुगतना पड़ेगा। ग्रध्यक्ष महोदय, यदि कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार के ग्रारोप लेकर ग्राता है ऐसे मामलों में तो मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि इस मामले में हस्तक्षेप करके ग्रौर उसकी सही जांच करवा कर सही निर्णय लिया जाय।

श्री ग्रध्यक्ष : ध्यान ग्राकर्षण प्रस्ताव।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : ग्रध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा निवेदन है। मैंने धात्री उपवैद्य का एक छोटा सा मामला उठाया है जिसमें कोई गहनता नहीं, जिसमें कोई नई चीज प्राप्त नहीं करनी क्योंकि जो समझौता हुग्रा लिखित में हुग्रा, समय के हिसाब से दो महीने में पूरा हो जायगा या तीन महीने में हो जायगा इस में 6 महीने लग जायेंगे इसके बारे में भी राज्य सरकार ग्रपना जवाब चार दिन में नहीं ला सके, बाहर बैठे वे हड़ताल करते रहें, यह तो बड़ा ग्रजीब मखौल है। कोई नई चीज नहीं मांग रहे जो मंत्री जी ने 13 ग्रगस्त के ग्रन्दर समझौता लिखित में किया मंत्री बद्री प्रसाद जी उसमें मौजूद थे, उनके सचिव मौजूद थे हमारे यहां के मंत्री मौजूद थे....

श्री ग्रध्यक्ष : ग्राज जल्दी मंगाने की व्यवस्था करेंगे कृपया ग्राप मुझे याद दिला दें।

श्री दाऊ दयाल जोशी (दीगोद) : होम्योपैथी के लिए मैंने भी दिया था स्थगन प्रस्ताव उस पर भी जानकारी करनी है।

श्री नाथूसिंह (बादीकुंई) : मैंने ग्रकाल के बारे में कल स्थगन प्रस्ताव दिया था। ग्रापने व्यवस्था दी है कि जब उसकी डिमाण्ड ग्रायेगी उस वक्त इस पर बोल सकता हूं। ग्रध्यक्ष महोदय, मैं ग्रापसे निवेदन करूंगा कि ग्रापने व्यवस्था दे रखी है कि ग्राप जब रिजेक्ट करते हैं, स्वीकार नहीं करते....

श्री ग्रध्यक्ष : दो मिनट में पूरे राजस्थान के ग्रकाल के बारे में यदि ग्राप फर्मा सकें तो मैं रिजेक्ट मानूंगा, ग्राप फर्मा दीजियें दो मिनट में।

श्री नाथूसिंह : मुझे मौका दीजिये बोलने का।

श्री ग्रध्यक्ष : समय का ध्यान रखें। ज्यादा चर्चा नहीं करे, दो मिनट का समय दिया है।

(50)

(श्री नाथूसिंह)

श्री नाथूसिंह : अभी डेढ़ बजे तक का टाइम है

श्री अध्यक्ष : टाइम बहुत नहीं है। आज बहुत हैं ध्यान आकर्षण प्रस्ताव।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय पर चर्चा इसलिए करना चाहता हूं यह बहुत महत्त्वपूर्ण मामला है। राजस्थान की अधिकतर जनता इससे प्रभावित है। राजस्थान के 26 जिलों में से 25 जिले प्रभावित हैं अब तो 26 ही हो गये लगभग। 167 तहसीलों में से 157 तहसीलें इससे प्रभावित हैं यह स्वीकार किया है इस रिपोर्ट में। 21,365 गांव प्रभावग्रस्त हैं यह भी इस रिपोर्ट में स्वीकार किया गया है। अध्यक्ष महोदय, लगभग एक करोड़ 6% लाख आबादी सूखे से प्रभावित है। अलग-अलग जिलों के हिसाब से अगर देखें तो जोधपुर क्या, पाली क्या, अकेले पाली जिले में 2½ लाख पशु इससे प्रभावित हैं। अध्यक्ष महोदय, गंगानगर जिले में भी पेयजल का संकट छाया हुआ है जहां पर कभी पेयजल का संकट नहीं हुआ करता था। चूरू में यही स्थिति, बीकानेर में यही स्थिति, नागौर में भी यही स्थिति, भीलवाड़ा में भी यही स्थिति और बूंदी में भी यही स्थिति है। अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर में क्या हर जिले में पश्चिम राजस्थान में पीने का पानी नहीं पशुओं के लिये चारा नहीं, खाने के लिये अनाज नहीं। ऐसी स्थिति में राजस्थान सरकार ने जो अकालग्रस्त या अकाल से प्रभावित जिले हैं उनमें जो सहायता दी है वह सहायता देख कर आपको ताज्जुब होगा, केवल 11 जिलों में उन्होंने सहायता उपलब्ध कराई है। वह सहायता भी कैसे उपलब्ध कराई है, अध्यक्ष महोदय, मैं इस रिपोर्ट के आधार पर आंकड़े देकर बताना चाहता हूं। राज्य सरकार ने इस रिपोर्ट में कहा है कि नये कुएं खोद दें या कुओं को गहरा करवा दें, करीब करीब 2,125 कुओं को अगर गहरा करा दें तो पेयजल की समस्या हल हो सकती है लेकिन आपने जो काम शुरू करवाये हैं वह केवल 271 कुएं हैं। कहां 2,125 और कहां 271। इसी तरह से हैण्ड पम्प के बारे में आपने बताया कि हम 1,171 कुओं के अन्दर पम्प की व्यवस्था करेंगे लेकिन, अध्यक्ष महोदय, अब तक केवल 112 कुओं में ही व्यवस्था की गई है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह सूचना तो इस प्रतिवेदन के माध्यम से माननीय सदस्यों को उपलब्ध कराई गई है इस पर यदि कोई चर्चा करना चाहे तो मैं समझता हूं उसके लिए लम्बा समय चाहिये।

श्री नाथूसिंह : मैं इस पर प्रकाश डाल रहा हूं। स्थिति कितनी गम्भीर है....

श्री अध्यक्ष : आप कागजों से देख कर बता रहे हैं। आप कहीं पधार कर आये हैं भूखे प्यासे ? यह कागज तो हमने भी देखे हैं।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, उसी पर आ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : टाइम हो गया।

(श्री नाथूसिंह)

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट में यदि कहना चाहें तो बतायें, कहीं पधारे हैं ?

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा हूं ?

अध्यक्ष महोदय, मैं जिलों में गया हूं। हमारी पार्टी के विभिन्न विधायक कई जिलों में गये हैं। जो कार्यालय में रिपोर्ट दी है उसके आधार पर बताना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, यह हम ही नहीं कह रहे हैं, कितनी भयंकर विकट परिस्थितियां हैं राज्य सभा के अन्दर राज्य मन्त्री स्वामीनाथन ने भी यह स्वीकार किया है कि चार करोड़ पशु राजस्थान के अन्दर भयंकर रूप से प्रभावित हैं। इतना ही नहीं वर्तमान मंत्री महोदय, हीरालाल देवपुरा, जो इस सरकार के मंत्री हैं, ने भी, अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी को पत्र लिखा है। मैं उस पत्र की झलक बताना चाहता हूं। कहा है कि कुम्भलगढ़ और आमेट तहसीलों के सभी गांव अकालग्रस्त हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि अकाल कार्य....

श्री अध्यक्ष : मंत्री बनने से पूर्व या बाद में ?

श्री नाथूसिंह : मंत्री बनने से पूर्व का है, अध्यक्ष महोदय, उन्होंने कहा है....

श्री अध्यक्ष : काफी पुरानी बात हो गई है।

श्री नाथूसिंह : उन्होंने आरोप लगाया है कि अकाल राहत कार्य प्रारम्भ नहीं किये गये। यही नहीं, अध्यक्ष महोदय, मोहनलाल सुखाड़िया, जो मुख्य मंत्री रह चुके हैं, ने भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि अकाल की काली छाया से निपटने के लिए राज्य सरकार को दो-तीन अपील भी कर चुका हूं लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक ध्यान नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, जोधपुर से आने वाले लोक सभा के सदस्य ने भी यही आरोप लगाया है मुख्य मन्त्री और राज्य सरकार पर।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : एक मिनट।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट में आपको करना था....

श्री नाथूसिंह : बार बार बीच में आधा मिनट आप ले लेते हैं।

श्री अध्यक्ष : एक ही बात है, किन ने क्या क्या कहा, किन ने नहीं कहा यहां पर कहा गया है, कहते रहते हैं। आपकी निजी जानकारी में कोई बात हो तो बतायें। हम भी यह जानते है, किसने क्या बोल दिया है, किसने क्या लिखा है। इससे समस्या का हल नहीं होता। मेरा निवेदन है, यह एक विकट समस्या है इसके लिये एक दिन पूरा मुकर्रर किया गया है, दूसरी

(श्री ग्रध्यक्ष)

मांग भी रखी गई है। कृपया उस दिन इस प्रश्न को उठायें।

श्री नाथूसिंह: ग्राधे मिनट में समाप्त करता हूं।

ग्रध्यक्ष महोदय, यहां तक जो ग्रकाल सर्वे कराया गया, सर्वेक्षण कराया गया कहां-कहां सूखे से प्रभावित हैं, मेरा सरकार पर ग्रारोप है जहां से मैं चुन कर ग्राया हूं जयपुर जिले की वस्वा तहसील में केवल एक गांव को इन्होंने ग्रकालग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है बाकी पूरी तहसील के लिये इन्होंने कहा है ग्रकाल नहीं है। ग्रध्यक्ष महोदय, उस तहसील के चारों तरफ की स्थिति बताऊं, राजगढ़ में ग्रकाल, सिकराय में ग्रकाल, दौसा में ग्रकाल है। महुग्रा में ग्रकालग्रस्त क्षेत्र घोषित किये बाकी में राजनैतिक कारणों से ग्रकालग्रस्त क्षेत्र घोषित नहीं किया गया।

श्री ग्रध्यक्ष: बहुत भाग्यशाली होते हैं जो ग्रकाल की काली छाया से वंचित रहते हैं।

श्री नाथूसिंह: ग्रध्यक्ष महोदय, उसका परिणाम यह होगा कि ग्रकाल राहत कार्य प्रारम्भ नहीं होंगे ग्रौर वहां के लोग रोजगार से वंचित रह जायेंगे, वहां पर नये कार्य खुलेंगे नहीं। इसलिये ग्रध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह करना चाहता हूं जिस समय केन्द्रीय ग्रध्ययन टोली ग्राई ग्रौर उसने बताया कि ग्रकाल से निपटने के लिये 20 करोड़ की जरूरत है तो मैं इस बात के लिये तो केन्द्रीय सरकार को धन्यवाद देता हूं कि 20 करोड़ स्वीकार कर लिये किन्तु केन्द्र सरकार ने कहा, दूसरी टोली ग्रौर भेजेंगे तब ग्रौर सहायता देंगे। मैं राज्य सरकार से पूछना चाहता हूं क्या कारण है कि केन्द्र सरकार को दूसरी टोली भेजने को बाध्य होना पड़ा।

श्री ग्रध्यक्ष: कृपया स्थान ग्रहण कीजिये। माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री नाथूसिंह: ग्राधा मिनट ग्रौर दे दीजिये।

श्री ग्रध्यक्ष: नहीं, माननीय सदस्य ग्रार्डर प्लीज।

श्री नाथूसिंह: दो मिनट में समाप्त कर देता हूं।

श्री ग्रध्यक्ष: माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री नाथूसिंह: ग्रध्यक्ष महोदय, मैं इतनी देर में तो समाप्त कर देता।

तो, ग्रध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि प्रथम टोली को पूर्ण जानकारी दे देते तो जो दूसरी टोली ग्रायेगी, उस पर खर्चा होगा, वह नहीं होता, समय बरबाद नहीं होता ग्रौर समय पर सहायता मिल जाती। इसलिये मेरा सरकार पर ग्रारोप है कि सरकार ने समय रहते ग्रकाल से निपटने के लिये बन्दोबस्त नहीं किया, समय पर कार्यक्रम नहीं बनाया, सरकार सो गई, देरी की। जो मजदूर ग्रकाल राहत में काम कर रहे थे उनको पंचायत का जो ग्रनुदान

(श्री नाथूसिंह)

था, उसमें से काटकर चुकाया गया। इस लिये मैं चाहता हूं जल्दी ही पूरी व्यवस्था की जाय, चारे की व्यवस्था की जाय ताकि पशुओं को बाहर जाने से रोका जा सके।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री नाथूसिंह : एम. पी. ने मना कर दिया, यू. पी. ने मना कर दिया कि हमारी तरफ पशुओं को नहीं ला सकते हैं। इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, सरकार पर आरोप लगाते हुये यह कहना चाहता हूं कि सरकार सूखे से निपटने के लिये पूर्णतया असफल रही है।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी स्थगन प्रस्ताव है, तीन पुस्तकें मेरे पास हैं, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल के द्वारा.....

श्री अध्यक्ष : आप तो चाहते हैं हमसे जानकारी और हमने चाहा है आपसे जानकारी। जानकारी के पहले....

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

वह पूर्ण नहीं है....

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी स्थगन प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों के बारे में अब मुझे जबानी याद नहीं है।

श्री मेघराज तावड़ : 3-4 रोज हो गये अध्यक्ष महोदय, मुझे दिये हुए। आप कोई व्यवस्था कीजिये।

श्री अध्यक्ष : जबानी में निवेदन नहीं कर सकता हूं, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

अभी मैं कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूं। कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

आसन पैरों पर है। मैं बार-बार निवेदन कर चुका हूं, माननीय सदस्य,

(व्यवधान)

यह कोई तरीका नहीं है। सदैव निवेदन करता रहता हूं कि स्थगन प्रस्तावों की क्या स्थिति है, आप चाहते हैं कि अविलम्ब सूचना मंगाई जाय तो उस पर विचार कर सकता हूं, स्पेशल बन्दोबस्त कराये जा सकते हैं।

(व्यवधान)

आसन पैरों पर है।

किस दिन कौन सा स्थगन प्रस्ताव था और अब क्या स्थिति है—जबानी तौर पर मैं निवेदन नहीं कर सकता हूं।

(श्री ग्रध्यक्ष)

(व्यवधान)

ग्रब मैं इजाजत नहीं दूंगा।

श्री मेघराज तावड़ : ग्रध्यक्ष महोदय, मेरा इतना ही निवेदन है।

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय सदस्य, ग्रार्डर प्लीज। स्थान ग्रहण करें।

ध्यान ग्राकर्षण प्रस्ताव।

(व्यवधान)

कृपया स्थान ग्रहण कीजिये, ग्रार्डर प्लीज। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

श्री बाऊश्याम जोशी : ग्रध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में निवेदन करना चाहता हूं कक्षा पांच की किताब में....

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने ग्रापसे जानकारी चाही है, मैं स्पष्टीकरण चाहता था ग्रापसे, वह दे दें तो उसके बाद में देख लेंगे।

(व्यवधान)

ग्रार्डर प्लीज।

ध्यान ग्राकर्षण प्रस्ताव, मंत्रियों के बयान हैं यह सभी कार्यवाही 9-00 बजे तक समाप्त हो जानी चाहिये। उसके बाद सरकार से उत्तर दिया जायगा। ग्राज मांगें भी पारित होनी हैं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव
बीकानेर नगर विकास न्यास की भूमि पर ग्रवैध कब्जे

सर्व प्रथम ध्यान ग्राकर्षण प्रस्ताव। श्री बुलाकी दास कल्ला, सदस्य विधान सभा, बीकानेर नगर विकास न्यास की भूमि पर ग्रवैध कब्जों से उत्पन्न स्थिति की ग्रोर स्वायत्त शासन मंत्री का ध्यान ग्राकर्षित करेंगे।

(ग्रनुपस्थित)

मंत्री जी द्वारा वक्तव्य।

(व्यवधान)

ग्रासन पैरों पर है, माननीय सदस्य।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया, मुख्य मंत्री, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा राष्ट्रपति शासन के समय नियुक्त 200 ग्रप्रेन्टिज क्लर्क्स को कार्य मुक्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक वक्तव्य देंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ग्रध्यक्ष महोदय, इसमें कई लोगों के नाम हैं। 4-5 लोगों के नाम हैं।

श्री ग्रध्यक्ष : श्री रामधन।

(ग्रनुपस्थित)

श्री राधेश्याम।

(ग्रनुपस्थित)

श्री जीव राजसिंह।

(ग्रनुपस्थित)

श्री भालू खां।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मालू सा उपस्थित हैं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आपको इस प्रस्ताव पर ध्यान है क्या कुछ ?

ध्यान नहीं है, इसलिये इस स्थिति में नहीं हैं।

श्री नाथूसिंह : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का ध्यान तो क्या उनको तो स्वयं का भी ध्यान नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी 200 अप्रेन्टिसों के बारे में ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जमीन के घपलो में ध्यान है।

श्री अध्यक्ष : मैं इजाजत नहीं दूंगा। मैंने मंत्री को वक्तव्य देने के लिये कहा है। मंत्री जी।

शासकीय प्रस्ताव

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा राष्ट्रपति शासनावधि में नियुक्त 200 अप्रेन्टिस क्लर्क्स की कार्य मुक्ति

श्री प्रद्युम्नसिंह (राज्य मंत्री, सिंचाई) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल ने कनिष्ठ लिपिकों व टाइपिस्टों के रिक्त पदों की नियुक्ति एवम् भावी रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये पैनल का निर्माण करने हेतु....

व्यवस्था का प्रश्न

एक मंत्री के स्थान पर अन्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

अध्यक्ष महोदय, कम से कम इतनी तो फार्मेलिटी होनी चाहिये कि मंत्री महोदय को आपसे अनुमति लेकर पढ़ना चाहिये। आखिर आपने मुख्य मंत्री जी का नाम पुकारा है। वे कम से कम यह तो कहें।

श्री अध्यक्ष : आपको मालूम नहीं है जो विभागों का डिस्ट्रिब्यूशन किया है, कौन राज्य मंत्री, किस विभाग को देखेगा, यह सूचना पूर्व में दी जा चुकी है।

श्री राजबहादुर : सूचना तो मिल चुकी, अध्यक्ष महोदय, जगन्नाथ पहाड़िया जी के नाम से है। आपने कहा है तो उनके नाम पर पर्शमशन तो कर्टसी के नाते लेनी चाहिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, पूर्व में भी आपने कृपा पूर्वक अनुमति दी है। आज भी मैं आपकी अनुमति लेकर इसको पढ़ता हूं।

श्री अध्यक्ष : यदि आसन कह देता है तो इस का मतलब है कि आसन की अनुमति है।

(व्यवधान)

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा राष्ट्रपति शासनावधि में नियुक्त 200 अप्रेन्टिस क्लर्क्स की कार्य मुक्ति

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य विद्युत मंडल ने कनिष्ठ लिपिकों व टाइपिस्टों के रिक्त पदों पर

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

नियुक्ति एवं भावी रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये पैनल का निर्माण करने हेतु लिखित प्रतियोगितात्मक परीक्षा के लिये एक विज्ञापन 25 अक्टूबर, 1978 को प्रसारित किया था। इस विज्ञापन के आधार पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा 31 दिसम्बर, 1978 को आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले 2,579 अभ्यर्थियों का एक वर्ष की अवधि के लिये एक पैनल 8 मार्च, 1979 को घोषित किया गया। इस अवधि को बाद में तीन माह के लिये और बढ़ाया गया था। जैसे-जैसे मण्डल में कनिष्ठ लिपिक पदों की रिक्तियां होती रहीं वैसे-वैसे इस पैनल में से नियुक्तियों के आदेश प्रदान किये जाते रहे हैं। इस प्रकार इस पैनल में से मई, 1980 तक 1,846 अभ्यर्थियों को कनिष्ठ लिपिक पद पर नियमित नियुक्ति प्रदान की गई।

(12.39 म. प.)

(श्री तकीउद्दीन, सभापति, पदासीन)

अप्रेन्टिसेज एक्ट, 1961 के अधीन वैधानिक दायित्वों की आपूर्ति हेतु विद्युत मण्डल अप्रेन्टिस क्लर्क भी रखता है। अतः इस पैनल में से योग्यता सूची के नीचे के स्तर के 280 अभ्यर्थियों को अक्टूबर, 1979 में अप्रेन्टिस क्लर्क के रूप में प्रशिक्षणार्थ रखा गया। इनमें से अधिकांश अभ्यार्थियों को बाद में रिक्त स्थान उपलब्ध होने पर नियमित नियुक्ति दे दी गई तथा अप्रेल, 80 में 231 और अप्रेन्टिस क्लर्क रखे गये। ऐसे अप्रेन्टिस क्लर्क जिनको नियमित नियुक्ति नहीं दी जा सकी, उनकी संख्या 212 है। अप्रेन्टिस एक्ट, 1961 के अन्तर्गत नियोजक इस बात के लिये कतई बाध्य नहीं है कि इन प्रशिक्षुओं (अप्रेन्टिसेज) को प्रशिक्षणोपरान्त नियमित नियुक्ति प्रदान करे। इस तथ्य का उल्लेख मण्डल ने अपने 25 अक्टूबर, 1978 को प्रसारित विज्ञापन में भी स्पष्ट रूप से कर दिया था। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण हेतु जारी पत्रों एवं कान्ट्रेक्ट फार्म की शर्तों के अनुसार भी विद्युत मण्डल इन अप्रेन्टिसों को नियमित नियुक्ति देने के लिये बाध्य नहीं है।

स्थगन प्रस्ताव में यह दर्शाना कि इन अप्रेन्टिसों को राष्ट्रपति शासन के समय ही लगाया था, उचित नहीं है। मण्डल अप्रेन्टिसेज एक्ट, 1961 के प्रावधानों के अन्तर्गत समय-समय पर अप्रेन्टिस रखता आ रहा है चूंकि अप्रेन्टिसों को किसी स्वीकृत पद पर नहीं लगाया जाता, अतः प्रशिक्षण की अवधि समाप्त होने पर उन्हें नियमित नियुक्ति नहीं देने की प्रक्रिया को पद मुक्ति की संज्ञा दिया जाना उचित नहीं है। ऐसे अप्रेन्टिस प्रशिक्षण अवधि समाप्त होने पर अप्रेन्टिसेज अधिनियम, 1961 के अधीन प्रशिक्षण से मुक्त समझे जाते हैं।

यहां यह उल्लेख करना उपयुक्त होगा कि गत तीन वर्षों (1977-78 से 1979-80) में विद्युत मण्डल के स्थापना मद पर व्यय में अभूतपूर्व वृद्धि होने से मण्डल को दिनांक 31-5-80 से नई नियुक्तियां स्थापना व्यय जो वर्ष 1976-77 में 11·38 करोड़ रुपये था वह बढ़कर वर्ष 1979-80 में 19·56 करोड़ रुपये हो गया। सामान्यतया विद्युत विक्रय में वृद्धि के कारण प्रति यूनिट विद्युत विक्रय पर

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

स्थापना व्यय में अनुपातिक रूप से कमी होनी चाहिये थी लेकिन ऐसा नहीं होकर संचालन एवंम् संचारण पर स्थापना व्यय प्रति एक यूनिट विद्युत विक्रय पर वर्ष 1976-77 में 5·40 पैसे से बढ़कर वर्ष 1979-80 में 6·85 पैसे हो गया। स्थापना पर व्यय में हुई असाधारण वृद्धि के सम्बन्ध में आयोजना आयोग के कार्यकारी ग्रुप ने भी प्रतिकूल टिप्पणी व्यक्त की तथा नयी नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध लगाने की सलाह दी है। अतः विद्युत मण्डल इन अप्रेन्टिस क्लर्क्स को प्रशिक्षण की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नियमित नियुक्ति देने में असमर्थ है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय सभापति महोदय, इस विषय पर स्थगन प्रस्ताव मैंने दिया है, इसलिए कुछ जानकारी, कुछ सवाल मैं मन्त्री महोदय से करना चाहूँगा। 1978 में जैसा उन्होंने कहा, परीक्षायें हुईं, रिटन एग्जामिनेशन हुए, एक पैनल बना और उस पैनल में से क्लर्क्स लोगों को लगातार लगाया गया। कुछ को सीधे लगाया गया, मैरिट के हिसाब से, कुछ को अप्रेन्टिस बना कर। इस अप्रेन्टिस के पीरियड में ही चार महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में इसके बाद उनको लगा दिया गया। 73 से राजस्थान में यह प्रथा चल रही है। अप्रेन्टिस में लगाये हुए व्यक्ति इस लॉट को छोड़कर, कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकाला गया। सारे व्यक्ति नौकरी में जैसे जैसे वेकेन्सी हुई, उसमें एब्जॉर्ब कर लिये गये। मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय को बताना चाहता हूँ इस कारण से एक वर्ष का बोण्ड उन लोगों से भरा हुआ था और एक वर्ष के बोण्ड में इस बात का जिक्र किया गया है कि ये सारे लोग अगर इस बीच में छोड़कर जायेंगे एक वर्ष में तो इनको सारा पुनर्भरण और जो पैसा उन्होंने राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से ले लिया है, वो जमा कराना होगा। इसलिए अप्रेन्टिस के पीरियड में कोई भी व्यक्ति छोड़कर जाने की हिमाकत, हिम्मत नहीं कर सकता। इसी बीच में कुछ लोग ओवर एज हो गये। ओवर एज हुए जा रहे हैं। इन तीनों बातों को देखिये। 73 के बाद जो भी अप्रेन्टिस में लगा, बाहर नहीं निकाला गया और तीनों बातें, ओवर एज होने और तीसरी बात है एक वर्ष में, जिनको कि पुनर्भरण की राशि जमा करानी होती है। इसमें कई लोग होते हैं जो टेम्प्रेरिली नौकरी करते थे क्योंकि पुरानी परम्परा यह है अप्रेन्टिस में आये। राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का काम लगातार बढ़ रहा है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन की नयी-नयी स्कीम आ रही हैं। 77 से 80 तक बहुत आयीं इसलिए बहुत काम बढ़ा। उसी के हिसाब से वेकेन्सी हुई। माननीय मन्त्री महोदय की जानकारी के लिए बता दूँ, अभी भी इस समय जैसा उन्होंने बताया है कि 212 लोग तो मात्र केवल इस अप्रेन्टिस में लगे हुए हैं। वेकेन्सी की संख्या क्या है? माननीय सभापति महोदय, 16-2-81 को ओ० एण्ड एम० डिपार्टमेन्ट ने बोर्ड को लिखा है, उन्होंने लिखा है कि सुपरिन्टेंन्डिंग इंजीनियर अजमेर में 16 स्थान एल० डी० सीज़० के खाली हैं। एस० ई० उदयपुर में 63 स्थान खाली हैं, एस० ई० जयपुर के एल० टी० सेक्शन में 4 स्थान

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

खाली हैं। एस० ई० भीलवाड़ा में 42 खाली हैं, एस. ई. कोटा में 63 खाली हैं, एस. ई. जोधपुर में 70 खाली हैं। एस. ई. जोधपुर में दूसरे कन्सट्रक्शन में 67 खाली हैं, एस. ई. जयपुर में 11 स्थान खाली हैं, जयपुर में दूसरे सेक्शन में 17 खाली हैं, अजमेर में 22 खाली हैं, कोटा में 8 खाली हैं और बीकानेर वालों ने तो इतनी करुण कथा लिखी है कि उनके शब्द पढ़ रहा हूँ आपको, जो वहां के एस. ई. ने लिखे हैं:—

"It is submitted for your kind consideration that at present 84 vacancies of the L. D. C,s are lying vacant. You are, therefore, requested to kindly realise the genuine difficulties, since the work of O & M is suffering for want of sufficient staff."

इस तरह 383 प्लस 84,467 के करीब स्थान रिक्त पड़े हैं। इसलिए रिक्त नहीं पड़े रहें। काम उन स्थानों पर है, ये सब-डिवीजन हैं। काम है, काम सफर कर रहा है। कोटा, अजमेर बड़े-बड़े स्थानों पर जो विन्डोज़ बनी हैं। विन्डोज़ में काम इतना है कि पेमेण्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्लर्कों की आवश्यकता है। ये वेकेन्सी हैं। बीस सूत्री कार्यक्रम की मांग की स्थापना करते चले जा रहे हैं। बीस सूत्री कार्यक्रम मांग में लोगों को रोजगार देंगे। जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया, जो ट्रेनिंग में आये, एक साल से रह रहे हैं। उनके तलवार लटक रही है। अप्रेल में उनको नौकरी से निकाल दिया जायगा। यह राजनीति का सवाल नहीं है, माननीय मन्त्री महोदय, मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ, इकॉनॉमी की बात कही आपने, इकॉनॉमी जरूर करिये, एस्टेब्लिशमेन्ट को कम करिये, बहुत तरीके हैं। बोर्ड ने कई डिसीजन लिये हैं, उन्होंने कहा अर्दली प्रथा खतम करेंगे, खतम कर दीजिए। उन्होंने कहा हम वाहन भत्ता खतम करेंगे, खतम कर दीजिए। 2-2 टेक्नकील मैम्बर बनाये हैं, इसकी क्या जरूरत थी? क्या बोर्ड में आज तक बने हैं? इतना बड़ा चारों तरफ खड़ा किया जा रहा है, खर्चा उससे बढ़ा है। 212 की नौकरी पर लात मत मारिये। उनके बाल बच्चों का सवाल है, उनकी करुण कथा है, यह मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ, राजनीति का सवाल नहीं करना चाहता। एक तरफ वेकेन्सी दूसरी तरफ उसके पहले कई अप्रेन्टिस में लगे हुए हैं, उसके पहले अप्रेन्टिस से किसी को निकाला नहीं गया और आज कैसे आर्डर दे दिये हैं? मुझे कहते हुए संकोच हो रहा है। अगर मैं उस आर्डर को आपके सामने पढ़ूं, एक ऐसी स्थिति उनके सामने खड़ी कर दी है और आशा है नहीं और माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय को एक निवेदन और कर दूं, उन्होंने एक बात अपने वक्तव्य में और बतायी कि जो सारा पैनल बना है, उस पैनल में ये लोग आखिरी वाले हैं। नहीं मन्त्री महोदय, इनकी पर्सेन्टेज 59 पर्सेन्ट, 61 पर्सेन्ट तक है और पिछली बार जो नौकरी पर लगाये गये, उसमें 54·5 पर्सेन्ट के लोग हैं, 55 पर्सेन्ट के लोग हैं, 56 पर्सेन्ट के लोग हैं। मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ, हाउस को आपकी जानकारी के लिए दे रहा हूँ। मैं

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

जानता हू, उसका कारण क्या है। उसको एक्सप्लेन जरूर करेंगे आप। मन्त्री महोदय केवल नोट करें। तो लिखा है।

शिवकुमार अग्रवाल जिसका रोल नम्बर था 8417–113 नम्बर। 113 नम्बर का मतलब 56·5 पर्सेन्ट नम्बर। दूसरा नाम बता रहा हूँ गोपाल लाल व्यास 113 नम्बर 56·5 पर्सेन्ट। गोन्विद लाल भाटिया 57 पर्सेन्ट। रविन्द्र सिंह गहलोत 57·5 पर्सेन्ट। हनुमान सिंह पुरोहित 57·5 पर्सेन्ट।"

ऐसी बड़ी सीरीज 40 लोगों की, 50 लोगों की मेरे सामने है। मैं जानता हूँ स्थानीय आधार पर विचार करने के कारण लो पर्सेन्टेज के लोग लगाये गये हैं। किन्तु मैं कहना चाहता हूँ कि लो पर्सेन्टेज के लोग इसलिए नहीं लगायें, उनके साथ अत्याचार होगा, उनके बाल-बच्चों के साथ अत्याचार होगा। मैं माननीय मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूँ कि मानवता का सवाल है। यह तो आपकी नीति रीति से सम्बन्ध रखने का सवाल है। 212 लोगों का सवाल है, गरीब लोगों का सवाल, परीक्षा में पास हुए लोगों का सवाल है। अच्छी पर्सेन्टेज वालों का सवाल है, वे जिस तरह से हर एक व्यक्तियों के पास गए हैं, जो जानकारी दी है मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि आज जो ओवर एज हो गए हैं उनका क्या होगा। उनको तो यह पता था कि अप्रेन्टिस में आ गए हैं, नौकरी में लग गए हैं। कुछ लोग और निकाले जायेंगे, अप्रेल मार्च में और लोगों को निकालने वाले हैं। मैं आपसे विनम्र रूप से अपील करना चाहता हूँ, कुछ सवाल हैं मेरे। पर्सेन्टेज का कहा मैंने, नम्बर आफ वेकेन्सीज का सवाल है, और भी वेकेन्सीज हैं, जिनकी जानकारी मुझे नहीं, आपको ज्यादा होगी विभाग में रहने के कारण। इसलिए कृपा करके ऐसी स्थिति नहीं बनायें इन 212 लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करें। इनके बच्चों को चौराहे पर भूखों मरने के लिए खड़ा नहीं करें। उनको हाहाकार मत करने दें। इकानॉमी जरूर करियें। मेरी भी आपके साथ पूरी सहानुभूति है। आप इकानॉमी करें, इकानॉमी बोर्ड में करें। उसमें लाखों करोड़ों रुपये लगते हैं तो वहाँ पर पचास साठ हजार या एक लाख रुपया प्रति वर्ष लग जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लाखों करोड़ों रुपया आज अलाउंसेज में खर्च कर सकते हैं। इसलिए मन्त्री महोदय मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि इसको मानवता के नाते विचार करके देखें और इस प्रकार के आदेश दिये हैं उनको समाप्त करें जिससे वे नौकरी में लगे रहें। इस प्रकार का विचार करने की कोशिश करें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : सभापति महोदय, इस बारे में मेरा भी स्थगन प्रस्ताव था।

श्री सभापति : ऐसा है कि इस स्थगन प्रस्ताव के प्रस्तावक थे ललितकिशोर चतुर्वेदी, श्री रघुवीर सिंह कौशल और श्री गुलाबचन्द कटारिया।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ। सारी बातें

(श्री गुलावचन्द कटारिया)

जो माननीय सदस्य ने कह दी हैं वह मैं नहीं दोहराऊंगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि नियम अपने आप में कुछ कठोरता लिए जरूर हो सकते हैं। अगर नियमों के आधार पर ही चलने की अपने मन की तैयारी है तब तो शायद हमने 73 से लेकर अब तक शायद इन नियमों को रिलेक्स इसलिए किया कि हम सब की इच्छा है कि जो बेकार नवयुवक हैं वह अगर किसी भी तरह से अपने धन्धे में लग सकें तो उनके जीवन में खुशहाली आ सकती है। आज भी हमारे सामने ऐसा कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं खड़ा हो गया है कि जिसका हम इलाज नहीं कर सकें। हमारे पास वेकेन्सीज हैं हम उनको काम पर लगा सकते हैं और पढ़े लिखे नवयुवकों के जीवन में कुछ सहयोग करने की स्थिति में हैं। इसलिए मैं माननीय मन्त्री जी से यही निवेदन करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा कि यह प्रश्न किसी भी राजनैतिक दल का नहीं है। उन्होंने आप सभी लोगों को अप्रोच किया है। सभी लोगों से मिले हैं। कई लोगों ने उनको कहा है कि वास्तव में आप लोगों की मांगें बड़ी जिनाइन हैं। इसलिए मैं आपसे बड़े विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहूँगा कि कम से कम आप इसमें विचार करके कोई रिजिड न बनें और इस समस्या का समाधान आपके अधिकारों के अन्तर्गत है। आपके पास साधन हैं, आपके पास पद हैं, रिक्त स्थान हैं, पैसा भी है और आप इसको करके कम से कम इन विद्यार्थियों ने, जिन्होंने अपना जीवन आपको सुपुर्द किया था, इस आशा से किया था कि आप निश्चित रूप से उनके जीवन को ठीक रास्ते पर लगायेंगे। इसलिये आप बीच में इस प्रकार का व्यवधान न डालें। इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से।

श्री प्रद्युम्नसिंह : सभापति महोदय, कोटा और उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्यों ने इस प्रश्न को मानवता के आधार पर मुझ से कंसीडर करने के लिए कहा है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : अपील की है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अपील कह लीजिए। आपका कहना ही काफी है।

(व्यवधान)

आपका कहना ही काफी है न, मैं इसको निवेदन करता हूँ, आपका कहना ही काफी है।

मुझ से भी ये लोग मिले थे। मेरी भी सहानुभूति है। लेकिन, सभापति महोदय, हमको इस पृष्ठभूमि में, इस प्रश्न की पृष्ठ भूमि में भी जाना पड़ेगा और 1961 के अप्रेन्टिस एक्ट के प्रावधानों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। श्रीमन्, यह सही है कि पास्ट के अन्दर जो इस प्रकार के अप्रेन्टिस भर्ती किये जाते थे, आम तौर पर उनको विद्युत मण्डल के अन्दर ही खपा लिया जाता था। इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। श्रीमन्, उस वक्त हमारे पास जैसे जैसे वेकेन्सी होती जाती थी हम उन लड़कों

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

को खपा लेते थे। लेकिन अप्रेन्टिसेज एक्ट की धारा 18 के तहत स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इस बात के लिए बाध्य है कि उसको हर साल इस प्रकार से लड़कों को अप्रेन्टिस के रूप में भर्ती करना पड़ेगा। श्रीमन्, मैं आपके समक्ष वह रेश्यो दूंगा जो कि अप्रेन्टिस एक्ट की धारा 18 के तहत मेन्डेटरी है, बाइंडिंग है बोर्ड के ऊपर। लाइनमैन का रेश्यो वन इज टू सेवन, ट्रेनिग पीरियड थ्री ईयर्स। ड्राफ्टसमैन का रेश्यो वन इज टू टेग्रन, ट्रेनिग थ्री ईयर्स। सर्वेयर्स का रेश्यो वन इज टू फोर्टीन, ट्रेनिग थ्री ईयर्स। डिप्लोमा होल्डर्स का रेश्यो है वन इज टू टेग्रन, डिग्री होल्डर्स का भी वन इज टू टेग्रन, ट्रेनिग एक वर्ष। क्लर्क्स का रेश्यो वन इज टू ट्वन्टी, ट्रेनिंग है एक वर्ष।

इसका अभिप्राय यह है, सभापति महोदय, आपको कहने का कि करीबन एक हजार ट्रेनीज हमको हर साल बोर्ड में अप्रेन्टिस एक्ट के तहत लेने पड़ेंगे ट्रेनिग के लिए। आखिर इस परम्परा का अन्त तो कहीं होगा, श्रीमन्। हमने जिस वक्त एडवर्टाइजमेंट निकाला उसमें यह बात साफ कर दी है कि इसी लिस्ट के तहत कुछ अप्रेन्टिस लिये जायेंगे। इसी लिस्ट में नीचे से लगे होंगे। यह बात सही है कि पहली दफा एक बैच लिया, जो वेकेन्सीज हुई उनमें उनको खपा दिया उसके बाद फिर नए लिए। एक साल के दौरान इन अप्रेन्टिस की जो संख्या होनी चाहिए उनको साल भर आपको ट्रेनिग देनी पड़ेगी। तो, सभापति महोदय, मेरे कहने का अभिप्राय यह था कि हमारे लिए बाइंडिंग है कि हमको सरटन पर्सेन्टेज अप्रेन्टिसेज की बोर्ड के अन्दर भर्ती करनी पड़ेगी। कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि कार्य क्षेत्र में वृद्धि हुई। मैं कार्य क्षेत्र की वृद्धि को नहीं मानता। मैंने बड़े डिटेल में इसको एग्जामिन किया है कि 77 के बाद अन्धाधुन्ध बोर्ड के अन्दर नई पोस्ट्स क्रियेट की गई। सुपरफ्लुअस पोस्ट्स क्रियेट की गई। आरोप मैं नहीं लगाना चाहता हूँ लेकिन यह सही है कि एक दल विशेष के लोगों को भर्ती करने के लिए एक तरीका था। एक दल विशेष के लोगों को भर्ती करने के लिए बोर्ड के अन्दर सुपरफ्लुअस पोस्ट्स क्रियेट की गई और उसी का आज यह नतीजा सामने आ रहा है। आप कल्पना कीजिए, सभापति महोदय, हमारी संख्या जो थी इक्कीस हजार पिछले तीन सालों में नई भर्ती हो गई। बोर्ड के अन्दर इक्कीस हजार आदमी, इतना कितना काम बढ़ा बोर्ड के अन्दर। आज आपके सामने मध्य प्रदेश और गुजरात के फिगर दूँ, श्रीमन्

(व्यवधान)

हमारी क्षमता है 1158 मेगावाट की, गुजरात की संख्या है 1354, ये 77 के फिगर्स हैं गुजरात के मेरे पास। श्रीमन् जबकि सन् 77 में हमारे यहाँ 45 हजार आदमी थे तब गुजरात के अन्दर कुल 22,496 थे। मैं मानता हूं कि राजस्थान का एरिया बहुत बड़ा है, उसके अनुपात में ज्यादा हो सकते हैं। तो हमारे बोर्ड ने यह निश्चय किया कि री-आर्गेनाइजेशन किया जाय। एक तरह से जो सुपरफ्लुअस पोस्ट्स

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

हैं हमारे पास, आज बोर्ड की स्थिति, माली हालत खराब है यह बात किसी से छुपी हुई नहीं है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम बढ़ा एस्टेब्लिशमेंट का खर्चा भी हमारा बढ़ेगा। विद्युत की दरें अभी तक वही की वही चली आ रही हैं। नए एरिया लिए गए हैं, नई लोकेलिटीज ली गई हैं। उसी पृष्ठभूमि में प्लानिंग कमीशन ने, सभापति महोदय, ऑब्जर्वेशन किया है। उस ऑब्जर्वेशन के तहत प्लानिंग कमीशन ने भी हमको इस बात के लिए कहा, जो रेश्यो दिया, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं पढ़ कर सुना दूं :

"At present Rajasthan State Electricity Board has fixed a cadre of 60 thousand employees corresponding to the capacity of 1,156 Mgwt. out of which 45,000 employees are on the maintenance side and the balance three thousand are on the Factory. In view of the fact that the RSEB'S present premise is not…….. ……."

लम्बा है। मैंने रेलेवेन्ट पोर्शन पढ़कर सुनाया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए यह तय किया कि हम नयी भर्ती नहीं करेंगे। बैन लगा दिया, हमारे यहां नयी भर्ती नहीं की जायगी। उसके तहत, मैं आपको अप्रेन्टिसेज का जो एडवर्टाइजमेंट निकाला, उसका रेलेवेन्ट पोर्शन प्लस जो हमने अपाइन्टमेंट लैटर्स दिये उसका रेलेवेन्ट पोर्शन पढ़ कर सुनाना चाहता हूं।

"प्रशिक्षण काल के बाद मंडल की सेवा में लिये जाने का राजस्थान राज्य विद्युत मंडल का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा"

काफी बड़ा है, मैं आपको रेलेवेन्ट पोर्शन सुना रहा हूं : "एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् यह प्रशिक्षण स्वतः ही समाप्त हो जायगा"

मैं आपको निवेदन करना चाहूं स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड तो अपने आप में ही काफी जनरस था पहले। अप्रेन्टिसेज एक्ट के तहत इनकी जो सैलेरी फिक्स की हुई थी, मतलब सैलेरी स्टाइपेंड फिक्स किया था, वह श्रीमन्, 130 रुपये प्रति माहवार था। 130 रुपये स्टाइपेंड दिया जाता है लेकिन स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड उनको 300 रुपये प्रति माहवार पे कर रहा था। यह जानते थे कि मिनिमम तो हमारे लिये आब्लीगेटरी है लेकिन मैक्जीमम हम अपनी मर्जी से जो चाहें वह दे सकते हैं। क्योंकि 130 रुपये प्रतिमाह कम है इसलिये उनको 300 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड दे रहे थे। इसी प्रकार हमारी मिनिमम राशि थी, 130, 140, 150 रुपये इवन फार डिप्लोमा एण्ड डिग्री होल्डर जब कि हम उनको 400 रुपये प्रतिमाह दे रहे थे। तो मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि हो सकता है हमारे बोर्ड की वेकेन्सीज हों, आपने कहा मैं उसको कहता हूं लेकिन हम तो रीआर्गेनाइज कर रहे हैं। बोर्ड की निगाह के अन्दर यह बात आयी, प्लानिंग कमीशन की सब कमेटी ने इस बात को आब्जर्व किया तब यह बात तय की गई कि सुपरफ्लुअस स्टाफ बहुत ज्यादा हो गया, इसको दुबारा री-आर्गेनाइज करें और वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन नये सिरे से करें और एक्जिस्टिंग स्टाफ के तहत जो हमारा स्टाफिंग पैटर्न है उसको री-आर्गेनाइज करके उतने ही लोगों से काम लिया जाय।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

एक बात कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने कही कि कुछ लोगों को लोअर पर्सेन्टेज वालों को अपाइन्ट कर दिया। इस बात की जानकारी पूर्व में नहीं दी थी, आज इस बात की थोड़ी बहुत जानकारी मिली। अध्यक्ष महोदय, मुझे बताया कि मेरिट लिस्ट के हिसाब से रीजनवाइज, डिवीजनवाइज इन्होंने लोगों को भेजा। हुआ क्या कि बांसवाड़ा, उदयपुर डिवीजन के बांसवाड़ा साइड के लड़के कम आये, ईस्टर्न राजस्थान के जयपुर के लड़के ज्यादा इम्तिहान में बैठे। उनका पर्सेन्टेज हाइ था। जब उन लोगों ने वहां पर जाने से इन्कार कर दिया तब बाद में प्राथमिकता देनी पड़ी उस रीजन को, सभापति महोदय, यह तो नहीं हो सकता कि जयपुर के लड़के ही इम्तिहान में बैठें या बड़े शहरों के लड़के इम्तिहान में बैठें और छोटी जगहों के लड़कों को अवसर नहीं मिले। दूर दराज के लोगों को अवसर नहीं मिला इसलिये वहां के लड़कों का भी बहुत ज्यादा डेवीएशन नहीं है, मैंने पूछा मुझे भी यह बात चौंकाने वाली लगी, आपने कैसे कर दिया? तो जब उनका डिवीजनवाइज और रीजनवाइज एलोकेशन हुआ उसके तहत कहीं पर जाकर थोड़ा सा पर्सेन्टेज का फर्क आ गया, यह बात सर्वविदित है, इसमें कोई किसी किस्म का घपला नहीं हुआ, नीचे वाले को ऊपर कर दिया हो या ऊपर वाले को नीचे कर दिया हो। फिर अगर आप महसूस करते हैं तो आप मुझे लिख कर दीजिये, मैं उसकी जांच कराऊंगा अगर कोई दोषी होगा तो मैं उसके खिलाफ कार्यवाही करूंगा। मेरी इस मामले में किसी को कोई प्रोटेक्शन देने की इच्छा नहीं है। मैं आपके मार्फत सदन के सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं आप मुझे लिख कर दीजिये, स्पेसिफिक केसेज, अगर हैं तो भेजिये। जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है अगर आप उससे संतुष्ट नहीं हैं तो आप मुझे लिख कर भेजिये मैं उसके ऊपर कार्यवाही करूंगा।

इसके उपरान्त जैसा मैंने निवेदन किया आपसे, अध्यक्ष महोदय, लड़के मिले थे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमेन से, मुझ से मिले थे। मैंने उनको यही आश्वासन दिया कि मैं आपको यह आश्वासन दे सकता हूं जब कभी भविष्य के अन्दर नयी नियुक्तियां होंगी तो आपको प्राथमिकता के आधार पर हम नियुक्ति देंगे। साथ में मैंने कहा कि आपको इम्तिहान में भी नहीं बैठना पड़ेगा। यह मैंने कहा, दुबारा काम्पीटिशन होल्ड नहीं करेंगे, आपको प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति देंगे। मैंने शुरू में कहा मेरी पूर्ण सहानुभूति है लेकिन बोर्ड की आर्थिक स्थिति को देखते हुए।

(व्यवधान)

उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है, श्रीमन्। मैं करने में असमर्थ हूं। कुछ भी करने में, मैंने बहुत बार कह दिया मैं असमर्थ हूं। आर्थिक स्थिति को देखते हुए भविष्य में जो हमारे ऊपर लायबिलिटी क्रियेट हो जायगी हमने परम्परा कहीं नहीं तोड़ी, भविष्य में अप्रेन्टिसेज एक्ट की लायबिलिटी को ध्यान में रखते हुए इस परम्परा को कहीं न कहीं तोड़ना आवश्यक होगा। वहां बोर्ड के अन्दर बैन लगा दिया, प्लानिंग कमीशन के डायरेक्टिव हैं। इस लिये, श्रीमन्, मैं इतनी बात कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं।

(64)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : दो एक सवाल पूछना चाहता हूं।

श्री सभापति : वैसे तो आपने सारी बात फर्मा दी है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : दुबारा जो स्पष्टीकरण दिया है उसमें दो सवाल पूछना चाहता हूं।

श्री सभापति : कोई नया क्वेश्चन है तो।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : जी हां।

दो सवाल करने से पहले मंत्री महोदय ने चार्ज लगाया, स्पष्टीकरण के नाते मैं निवेदन करना चाहता हूं। वोर्ड ग्राज उनके पास है, सरकार उनके पास है। पी.एम.टी. की परीक्षाएं होती हैं, वैसी परीक्षा 1978 में इन विद्यार्थियों की हुई है। मेरिट लिस्ट बनी। आज वह अधिकारी वहां बैठे हैं, मैं उस समय मंत्री था, इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं भी कटघरे में था। आपसे निवेदन करना चाहता हूं, किसी प्रकार की इन्क्वायरी करा लें। विशेष दल की चर्चा उन्होंने राजनैतिक आधार पर की है, निराधार है, वोर्ड को बदनाम करने वाली है, अपने अफसरों पर अविश्वास प्रकट करने वाली है। वोर्ड आटोनामस बाडी है, राज्य सरकार का उससे स्मूथली कनेक्शन है। इसकी चर्चा मंत्री महोदय, वोर्ड के अध्यक्ष जी ने उन सारे विद्यार्थियों से बातचीत करते समय कई बार कर चुके हैं। इसलिये कृपा करके जो बात आपने कही वह आपके लिये शोभा नहीं देती कोई और कहता तो समझ में आता।

मैं एक दो सवाल और पूछना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, दो सवाल इसलिये करना चाहता हूं, इसी प्रकार का एक्जाम्पल देना चाहता हूं। कोटा के डिस्ट्रिक्ट डिवीजन एक्स.ई.एन. के पास 1300 डिवीजन रहे वे कहते हैं कि अनाप-शनाप भर्ती की। अगर आप जानकारी करेंगे और देखेंगे तो 1300 डिवीजन इकट्ठे चलते रहे। बाद में इस प्रकार की भर्ती हमारे राज के जाने के बाद हुई है। इसकी जानकारी कर लेना, इन्क्वायरी करा लेना आपके पास राज है। मैं दो सवाल इसलिये करना चाहता हूं जैसे कमीशन के बाद रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कार्पोरेशन की जो रिपोर्ट है राजस्थान के बारे में पिछले दो सालों की, मध्य प्रदेश से कम्पेयर करने की कोशिश की मंत्री महोदय ने, गुजरात से कम्पेयर करने की कोशिश की उनमें पहले केवल जनरेशन पर विचार किया। इन तीन वर्षों में कन्स्ट्रक्शन में, ओ.एन.एम. में आर.ए.सी. में कितनी प्रगति हुई है यह देखा आपने? उनमें कितने लोग चाहिये, इसका भी निर्धारण वह करेंगे तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि जो वेकेन्सीज आज अफसरों ने लिख कर दी हैं, वह नितान्त आवश्यक है, नितान्त उपयुक्त है। उन स्थानों पर लोगों को लगाना किसी भी कीमत पर आवश्यक है। इसलिये वह शब्द मैंने कोट किये जिन शब्दों में बीकानेर के सुपरिण्टेंडिंग इंजीनियर ने वोर्ड को लिखा है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप रीआर्गेनाइज करें। रीआर्गेनाइजेशन की एक स्कीम हमने बनाकर दी हुई है जाते-जाते उस समय तीन महीने पहले बनी उस पर विचार नहीं हुआ, वह स्कीम भी है। आप चाहे दूसरी स्कीम बना लें, फिर विचार कर

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

लेना, कम से कम 212 लोगों के लिये मैं इसलिये कहना चाहता हूं, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा अप्रेन्टिसेज एक्ट में मंत्री महोदय ने कोट किया, मैं उनकी जानकारी के लिये बता देना चाहता हूं केवल मात्र इन लोगों की भर्ती अप्रेन्टिसेज एक्ट के तहत हुई है इनका प्रशिक्षण नहीं हुआ। कोई प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं है। कोई ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं डायरेक्टर प्रावधिक शिक्षा के जोधपुर में बैठते हैं उनसे इन्क्वायरी करायें। सुबह 6 बजे से दो बजे तक एक रेगूलर कर्मचारी के नाते काम कर रहे हैं। उसे बांध कर कान्ट्रेक्ट फार्म भराकर, बांड भरवा कर भर्ती दे दी किन्तु उससे लगातार 8 घण्टे काम लिया जा रहा है। No Training। इसलिये आप कहें ट्रेनिंग को कोट करें, यह ट्रेनिंग तो 73 से चल रही है, माननीय मंत्री महोदय और 73 के बाद यह स्थिति लगातार बनी है फिर क्यों, कांग्रेस का राज आते ही यह स्थिति हो गई? 20 सूत्री कार्यक्रम की चिन्ता करिये, वह तो आपकी नीति का सवाल है। छोटी-मोटी रिकमण्डेशंस, मैं कहना चाहता हूं, आप जरूर करिये लेकिन मेरा सुझाव है आप सारे विरोधी दल को लेकर बैठ जाइये, हम तरीके सुझायेंगे कि आर.एस.ई.बी. के एस्टेब्लिशमेंट के खर्चे में क्या-क्या कमी की जा सकती है। मैंने दो उदाहरण बताये उनको करिये। आप 221 लोगों के गले पर छुरी रखने की कोशिश मत करिये। पहले भी यह हुआ, अगर ऐसा लगा कि जगह नहीं है तो फिर लोगों को दुबारा ट्रेनिंग में ले लिया गया। इनको निकाल दीजिये, दूसरों को ले लीजिये। अगर यही व्यवस्था रही तो हालात ऐसे बन जायेंगे कि जो व्यवस्था आप कायम करेंगे वह बहुत खतरनाक होगी, इसलिये मैं फिर आपसे अपील करना चाहता हूं, ओवर एज वालों के लिये आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कोई बात पूछनी हो तो पूछ लीजिये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं वही कर रहा हूं, सभापति महोदय।

आप कम से कम विचार करें। अगर नहीं करें तो भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, आपने कहा कि जब कभी लगायेंगे। वैसे तो लगाने की स्थिति अब भी है, काम सफर होता चला जा रहा है। आपने कहा कि लगायेंगे तो प्राथमिकता देंगे। लेकिन इसके साथ ही जो ओवर एज हो जायेंगे अगर उनकी नियुक्ति नहीं करेंगे तो जैसा कि मैंने निवेदन किया एक साल का बाण्ड भरने के बाद व्यक्ति निकल कर बाहर जा नहीं सकता दूसरी नौकरी मिलने के बाद भी नहीं जा सकता। उसकी स्थिति नहीं है, ये सब इस प्रकार कम्पेल करते हैं और बढ़ती हुई राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की इन गतिविधियों के कारण कम से कम ऐसा तो पाप तो इस कांग्रेस राज में न करें ताकि यह कहने का मौका तो न मिले कि ये नियुक्तियां हमारे समय में नहीं हुईं। हमारे समय की नियुक्तियां हैं उसके बाद भी नियुक्तियां हुईं। वे रेगूलर हो गये। यह तो राष्ट्रपति शासन में, अप्रेल 80 में लगाये गये ये उनकी क्या व्यवस्था

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

है इसलिये मानवता के आधार पर, हमारे ये कोई नहीं है, इसलिये आप इन पर गम्भीरता से विचार करें, ओवर एज के बारे में एश्योरेंस निश्चित रूप से दें कि उनको उच्च प्राथमिकता देंगे। कम से कम वेकेंसीज जो हैं उनको बाद में फिलअप कर लीजिये, यह मेरा आपसे निवेदन है। जैसा आपने कहा है वैसा करने का प्रयास करें और उनको दुबारा इसी साल, ट्रेनिंग के लिये जैसा होता रहा है तो वैसा करने का प्रयास करें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, इस पर काफी चर्चा हो चुकी है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) : मेरा निवेदन तो सुन लीजिये। मैं भी कई साल से सदस्य हूं। जब तक सभापति जी, मेरा नाम नहीं पुकारा जाय, मेरी खड़ा होने की आदत नहीं है लेकिन मैं मजबूर होकर खड़ा हुआ हूं। मेरा नाम है और आपने पुकारा नहीं। तो मैं भी एक-दो बात निवेदन कर दूं आप इजाजत दें तो मंत्री महोदय से।

श्री सभापति : ऐसा है जिस वक्त यह चर्चा जवाब के लिये वापस मंत्री महोदय के पास गई उस वक्त तक तो आपका कहना ठीक मालूम होता था। आपने श्री कटारिया जी के बाद आपत्ति नहीं की थी इसलिये हाउस में मैंने यह महसूस किया कि आप इसमें ध्यानाकर्षण....

श्री रघुवीरसिंह कौशल : मैं केवल एक-दो बात पूछ रहा हूं। मैं तो अनुशासित हूं। मेरा दुर्भाग्य है कि मैं नाम पुकारे जाने के लिये इन्तजार करता रहा।

मैं, सभापति महोदय, केवल मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वे प्रायः विधान सभा में ऐसा उत्तर देते नहीं जैसा उन्होंने आज दिया। मैं बहुत देर से विचार कर रहा था, इसलिये विलम्ब हो गया। कारण यह हुआ ये विभाग में तो देखते नहीं और केवल असेंबली में उत्तर देते हैं इसलिये इनको विभाग की जानकारी तो बिलकुल है नहीं वरना मेरी मान्यता तो यह थी कि कुछ मिनिस्टर ऐसे हैं जो मंत्री पद से ज्यादा इन्सान भी हैं। मंत्री जी को मैं इससे ज्यादा मानता हूं कि वे पद से ज्यादा इन्सान हैं, दुर्भाग्य से वह इस बात को देखते नहीं, इसलिये उन्होंने यह बात कही। जो आज दो सौ लोगों के भाग्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। आज एक-एक ए. ईएन. एक्स. ईएन. के पास कितने जायज और कितने नाजायज अर्दली हैं इस पर ध्यान दें तो दो सौ नहीं, दो हजार लोग खप सकते हैं। बार-बार विज्ञप्ति का उदाहरण देते हैं विज्ञप्ति के बावजूद भी इन्सानियत होती है। एक वर्ष की बाण्ड की अवधि समाप्त होने के बाद आप कहते हैं जाओ। आप ओवर एज हो जायेंगे तो हम आपको लेंगे नहीं। तो यह नहीं हो सकता। जो एक वर्ष की सेवा समाप्त हो जाने के बाद ओवर एज हो जायेंगे उनको आप कहते हैं कि जाओ, हम लेंगे नहीं। तो यह प्रश्न इन्सानियत का प्रश्न है। मैं, मंत्री महोदय, आपसे पुरजोर शब्दों में निवेदन करता हूं क्योंकि आप इसमें इन्सानियत

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

की दृष्टि से देखें, आप असेंबली में भी उत्तरदायी हैं और विभाग के लिये भी उत्तरदायी हैं मंत्री महोदय।

श्री सभापति : मंत्री महोदय।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : अब मुझे विश्वास हो गया कि ओवर एज वाले मामले पर कंसीडर जरूर करेंगे।

श्री प्रद्युम्नसिंह : सभापति महोदय, रघुवीरसिंह जी ने जो कम्पलीमेन्ट्स दिये मैं उनके लिये बड़ा आभारी हूं। अर्दली वाली बात से तो आपने ख्वामख्वाह गड़े मुर्दे उखाड़े, वह बुरी प्रथा तो आपके समय में हुई....

श्री रघुवीरसिंह कौशल : आप जवाब तो दीजिये....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री प्रद्युम्नसिंह : श्रीमन्, मैंने पूर्व में भी निवेदन किया है मैंने विस्तृत चर्चा कर दी उन बातों की जिनको माननीय सदस्य ने दोहराया, मैंने कहा, मेरी पूरी सहानुभूति है। भविष्य में जब कभी वेकेंसीज होंगी, उनको प्राथमिकता के आधार पर नियुक्त किया जायगा। कोई कांपीटेटिव एग्जामिनेशन नई वेकेंसीज के लिये होल्ड नहीं करेंगे यह निर्देश दे दिये हैं। लेकिन मैं ओवर एज के मामले में जब तक उसको एग्जामिन नहीं कर लूं, आफ हैण्ड यहां पर कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ, अभी कुछ कमिटमेंट नहीं कर सकता।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। इस विषय पर काफी चर्चा हो गई है।

आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

सरकार का उत्तर आ गया है। अब इसमें कोई ऐसी बात नहीं रहती कि अलग से प्रश्न पूछें। सुनिये, दूसरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हैं।

श्री सी. एल. कंवरिया (दूदू) : सभापति महोदय, मेरा एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। श्रीमती कमला, राज्य से गोवंश की निकासी पर लगाये गये प्रतिबन्ध से उत्पन्न स्थिति के बारे में....

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

बीकानेर नगर विकास न्यास की भूमि पर अवैध कब्जे

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल) : सभापति महोदय, कल्ला साहब का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : सभापति महोदय, मेरी चेम्बर में बात हुई थी उसके बारे में विचार करेंगे।

श्री सभापति : मेरे पास जो सूची है उसमें तो है नहीं। अध्यक्ष महोदय की हिदायत भी है कि मैं इसको स्ट्रिक्टली

(श्री सभापति)

आब्जर्व करूं, इसलिये जो लोक महत्व का प्रश्न है और सामान्यतया कार्य सूची में आया हुआ है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : कार्य सूची में इनका आया हुआ है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : ऐसा है डेयरी से दूध की बोतलें लेने गया हुआ था उस वक्त मेरा नाम पुकार लिया गया।

(1-18)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई,अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, उस वक्त आप थे नहीं। अब माननीय मंत्री जी वक्तव्य देना चाहेंगे तो वह दे सकेंगे।

(व्यवधान)

पहले यह ले लिया है लेकिन समय का ध्यान रखें। दो बजे सरकार की ओर से उत्तर आयेगा, मुख्य मंत्री जी उत्तर देंगे।

शासकीय वक्तव्य

गोवंश की निकासी पर लगाया गया प्रतिबन्ध

श्री हीरालाल देवपुरा (मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) : अध्यक्ष महोदय, किसी कारणवश कृषि मंत्री महोदय उपस्थित नहीं हैं। इजाजत हो तो मैं इसका उत्तर दे दूं।

गोवंश के राजस्थान से बाहर भेजे जाने पर जो प्रतिबन्ध लगाया गया है। उस सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव रखा गया, माननीय अध्यक्ष महोदय के निदेशानुसार राज्य सरकार को स्टेटमेंट देना है। तथ्य निम्नानुसार हैं।

अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ समय से राजस्थान गोसेवा संघ राज्य सरकार से मांग करता आ रहा है कि राजस्थान से बाहर जाने वाले गोधन की निकासी को रोका जाय, क्योंकि उनका मानना था कि यह गोधन दूसरे प्रदेशों में जाकर वध किया जाता है और उससे राज्य के पशुधन की काफी हानि हो रही है। माह अगस्त, 80 में सवाई माधोपुर जिले में राजस्थान गो सेवा संघ ने आन्दोलन किया जिसके अन्तर्गत सत्याग्रह प्रदर्शन आयोजित किये गये तथा गंगापुर मे रेल में लोड होते हुए पशुओं को जबरन छुड़वाया। इसके कारण वहां कानून व व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो गई। इसके बारे में जिलाधीश सवाई माधोपुर ने भी तुरन्त आवश्यक कार्यवाही हेतु राज्य सरकार को लिखा।

इस विषय में राजस्थान के गृह सचिव ने भी बताया कि गंगापुर की कानून व व्यवस्था पशुओं (गोधन) के निकासी के प्रश्न को लेकर बिगड़ती जा रही है। इसके लिए तुरन्त ही निदेशक, पशुपालन विभाग को 17 अगस्त, 1980 को स्थिति का जायजा लेने एवं सत्याग्रहियों से वार्ता करने हेतु भेजा। निदेशक, पशुपालन ने उन लोगों से वार्ता की और उन्हें समझाया कि इस हेतु वे राज्य सरकार से आकर वार्ता करें। इसके फलस्वरूप आन्दोलनकर्ताओं के प्रतिनिधि विशिष्ठ शासन सचिव से मिले एवं

(श्री हीरालाल देवपुरा)

श्री गोकुल भाई भट्ट भी कृषि मंत्री से मिले । उनसे वार्ता के बाद निर्णय लिया गया कि एक शासकीय आदेश राज्य से बाहर भेजे जाने वाले रेलवे स्टेशनों से वध के लिए रोक लगाने का शासकीय आदेश निकाला जाये । तदनुसार राजकीय आदेश क्रमांक प० 8 (134) कृषि–3/75 दिनांक 30.10.80 को जारी कर दिया गया ।

उपरोक्त वर्णित राज्यादेश द्वारा स्पष्ट रूप केवल से वध हेतु राजस्थान से बाहर जाने वाले गाय, बैल एवं बछड़ों की निकासी की रोक लगायी गई है । इस आदेश द्वारा कृषि हेतु राज्य से बाहर ले जाने पर कोई रोक लगी हुई नहीं हुई है । अतः इससे राजस्थान के विभिन्न पशु मेलों में जहां अधिकतर कृषि कार्य हेतु बैलों की बिक्री होती हैं उन पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है । यद्यपि कुछ स्थानों से इस तरह की शिकायत आने पर सम्बन्धित रेलवे अधिकारियों को इस हेतु स्पष्ट निर्देश दिये गये कि केवल वध हेतु जाने वाले पशुओं पर ही रोक है एवं कृषि कार्यों के लिये पशु ले जाने पर कोई रोक नहीं है ।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, जो पशु पालकों पर गोवंश की निकासी पर पाबन्दी लगाई गई है उसमें सिर्फ रेलवे का ही मंत्री महोदय ने बताया है । लेकिन पिछले समय में जहां-जहां पशु मेले हुए हैं, इन पशु मेलों के अन्दर हिन्दुस्तान के सभी प्रान्तों के काश्तकार आते हैं, जो बैलों को खरीदते हैं और उन बैलों को वहां से ट्रकों द्वारा ले जाते हैं । जब वे ले जाते हैं हरियाणा, पंजाब के बोर्डर पर तो इन पशुओं को दूसरे प्रान्तों में ले जाने की इजाजत नहीं दी जाती है । व्यापारियों को या किसानों को ट्रकों को वहीं पर खड़ा करके वापस नागौर आकर जिलाधीश से परमिट लेना होता है । परमिट लेकर वापस जाते हैं तब उनको पशुओं को ले जाने की इजाजत मिलती है । इस प्रकार उन ट्रकों का किराया लगता है जिससे किसानों को परेशानी होती है और बैलों को चारा नहीं मिलता है । जो बैल वगैरह खरीदने के लिये आते हैं; उन बैलों की कीमत पांच हजार, छः हजार, चार हजार होती है । ऐसे बैलों की निकासी पर भी यह पाबन्दी लगी हुई है । अब जो पशु मेला चल रहा है, उस मेले में नागौर जिले से हर साल सैकड़ों की तादाद में पैदल, ट्रकों से, रेल से पशुपालक अपने बैल लेकर आते हैं । इस साल तो भयंकर परेशानी रही है । पशुपालकों ने अपने खुद के पेट को भूखा रख कर पशुओं को पाला है । वे पशुओं को लेकर रवाना हुए तो उनको जिला कार्यालय पर भयंकर परेशानी हुई । परमिट देने में भ्रष्टाचार होता है । पैसे लेकर परमिट दिया जाता है । बहुत से ऐसे काश्तकार हैं जिनको इस परमिट को लेने में असुविधा हुई है और इस कारण वे अपने बैल मेले में नहीं ले जा सके । इन कारणों से बाहर का जो किसान व्यापारी है, उन लोगों में भी यह भयंकर भावना फैल गई है कि किसानों को राजस्थान से पशुओं को, बैल, बछड़े को बाहर नहीं ले जाने देते हैं जिससे वे खरीदने में असमर्थ हो गये हैं । यह सरकार किसानों के प्रति हमदर्दी रखती है ? नागौर जिले के पशु मेले से जो बैल खरीदे जाते हैं, तो रेलवे के वैगन नहीं मिलते हैं, ट्रक वालों को डीजल नहीं मिलता है, ऐसी स्थिति में

(श्री महाराम चौधरी)

पशु पालक मंहगा किराया देते हैं। तीन-तीन दिन पशु ट्रक में पड़े रहते हैं, परमिट लेने के चक्कर में उनको वापस नागौर आना पड़ता है और पैसा देकर परमिट ले जाते हैं और फिर जाकर वे अपने गन्तव्य स्थान पर पहुंचते हैं। इससे उनको काफी परेशानी होती है। मेरा आपसे और सरकार से यह निवेदन है कि इस पाबन्दी को आप जब तक नहीं तोड़ेंगे या ऐसा नहीं करेंगे कि जो इस तरह के मेले हैं ऐसे मेलों के मौके पर काश्तकारों को बाहर लाने ले जाने पर कोई पाबन्दी नहीं होनी चाहिये। सरकारी अधिकारियों का तो एक तरह से यह रुटिन हो गया है; इससे काश्तकार उनके कब्जे में रहते हैं। उनसे परमिट लेने की आवश्यकता रहती है और जिला अधिकारियों के पास जाने में उनको परेशानी होती है। किसानों को अधिकारियों के पीछे-पीछे घूमना पड़ता है। यदि जिलाधीश महोदय से परमिट लेने की आवश्यकता है तो कई ऐसे जिलाधीश हैं जो बैलों को नहीं देखते हैं। वे तो सिर्फ एक फार्मेलिटी पूरी करते हैं और क्लर्क पांच रुपया लेकर परमिट बना देता है। अगर यदि पाबन्दी लगानी है तो ग्राम पंचायत के सरपंच, मुखिया ही इसके लिए काफी है। कोई भी किसान, सरपंच, पंचायत गोवंश को कटवाने के लिए परमिट या इजाजत नहीं देगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसके लिए पंचायत के सर्टिफिकेट को मान लिया जाये तो किसानों की जो परेशानी है वह दूर हो सकती है।........

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य !

श्री महाराम चौधरी : अतः मैं तो सरकार से यह अपील करता हूं कि इस पाबन्दी को तुरन्त हटा दिया जाये। अगर सरकार हटाने में असमर्थता महसूस करती है तो यह पाबन्दी सिर्फ पंचायत तक ही सीमित रखी जाये। इससे सिर्फ मेले के वक्त में ही दिक्कत नहीं आती है अपने राजस्थान के पशु पालक बैलों को चराने के लिये बाहर ले जाते हैं उसमें भी उनको भयंकर दिक्कत आई है। इस तरह वे बाहर नहीं जा सकते हैं। इतना ही कह कर मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह इस पाबन्दी को तुरन्त हटा ले।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने वक्तव्य में स्पष्ट रूप से बताया है कि यह पाबन्दी एक सीमित पाबन्दी है। गोवंश को वध के लिए जो बाहर ले जाया जाता है उस सम्बन्ध में यह पाबन्दी लगाई गई है। खेती के काम में पशुओं को लाने ले जाने, मेले में ले जाने के लिये कोई पाबन्दी नहीं है। कुछ जिलों से इस प्रकार की बातें आई थीं। यह स्पष्ट कर दिया गया है। कहीं इस प्रकार की बात हो, जैसी माननीय सदस्य ने बताई है, तो डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर और संबंधित अधिकारियों और नाकों पर यह स्पष्ट बता दिया जावेगा और एक सर्क्यूलर भी निकाल दिया जायेगा कि इस प्रकार के पशुओं पर कोई रोक नहीं है। केवल वध के लिये जो पशु ले जाये जाते हैं उन पर यह पाबन्दी है। इसके पीछे कोई भावना है और एजीटेशन हुआ था इसलिए ऐसा करना आवश्यक था....

श्री अध्यक्ष : पश्चिमी राजस्थान से हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश के

(श्री अध्यक्ष)

लोग पशुओं को इन मेलों से ले जाते हैं। इन मेलों में उनको व्यावहारिक कठिनाई उत्पन्न होती हैं।...

श्री हीरालाल देवपुरा : यह व्यावहारिक कठिनाई है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा व्यवस्था कर दी जायेगी, यह मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं।

श्री महाराम चौधरी : जिलाधीश के परमिट से पशुओं को बाहर ले जाया जा सकता है। यह बिलकुल ही व्यावहारिक नहीं है। जिलाधीश महोदय, स्वयं नहीं देखते हैं। मेरा निवेदन है कि देवपुराजी काश्तकार नहीं हैं, इसलिए उनको जानकारी नहीं है। कमलाजी बाहर गई हुई हैं, यह काश्तकारों की वास्तविक दिक्कत है....

श्री हीरालाल देवपुरा : मुझे भी थोड़ी बहुत जानकारी है ...

श्री महाराम चौधरी : आपको पूरी जानकारी है तो वास्तविकता को आप समझें। जिलाधीश से परमिट लेने की बात को आप हटा दें और सिर्फ ग्राम पंचायत तक ही इसको रखें जिससे हम लोगों को, किसानों को सुविधा हो जाय । इतना विश्वास, आश्वासन मन्त्री महोदय दे दें।

श्री हीरालाल देवपुरा : आपका जो सुझाव है उस पर विचार किया जा सकता है।

श्री महाराम चौधरी : आपको वास्तविकता मालूम है तो आश्वासन देने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कितने ही लोगों की दिक्कत दूर हो जाएगी। यह आश्वासन दे दे कि यह व्यवस्था कर देंगे। इसको पंचायत लेवल तक ही सीमित कर दिया जाये।....

एक माननीय सदस्य : मैं भी एक सुझाव दे दूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी इजाजत हो तो। नागौर से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी जैसा कि बताया है कि नागौर के पशु मेले में और अभी जो हिसार के पशु मेले में पश्चिमी राजस्थान के पशुपालकों को बड़ी दिक्कत हुई, अधिकारियों के पास बेशक क्लेरीफिकेशन था लेकिन अब उनके पास थोड़ा सा बहाना आ जाता है ...

श्री अध्यक्ष : कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं है कि कौन बैल कटने जा रहा है और कौन खेती के लिये जा रहे हैं।

श्री महाराम चौधरी : और इस बहाने से वे किसानों को लूटना आरम्भ कर देते हैं। इसमें ऊपर जो सुझाव दिया है कि जिलाधीशों की अपेक्षा पंचायतों को यह अधिकार दे दें तो अच्छा है।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस सम्बन्ध में यह निवेदन कर दिया है कि इस सम्बन्ध में जो सुझाव माननीय सदस्य का है

श्री अध्यक्ष : वेटेरिरी के जो आफिसर हैं जो चैक करते हैं उसमें यह लिख दें कि यह खेती के लिए दें।

श्री महाराम चौधरी : यह तो वास्तविक बात है। जिस वक्त वह ले जाते हैं तो उसकी कीमत लगती है, उसकी रसीद काटी जाती है, उस पर सेल्स टैक्स लगता है। पांच छः हजार में बैल बिकता है तो वह कैसे कटने के लिए जा सकता है"

श्री अध्यक्ष : सुझाव माननीय मन्त्री महोदय के ध्यान में आ गया है, वे व्यवस्था कर देंगे।

एक माननीय सदस्य : गायों को बाहर भेजने के लिये पाबन्दी लगा दें पर बैल बाहर जाते हैं तो बैल के लिये क्लेरिफिकेशन कर दिया जाये कि गायों के लिये पाबन्दी है बैलों के लिए नहीं है। गायों को बन्द हो जाने दो किन्तु बैल तो पशु मेलों में बस या ट्रक से जहां जाते हैं बिकने के लिये खेती के लिए ही जाते हैं।

श्री महाराम चौधरी : केवल पश्चिमी राजस्थान की बात नहीं है यह तो सारे राजस्थान की है इसलिए पंचायतों के जरिये से यह सुविधा दे दी जाय तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। सरकार अपने आपको किसानों का, पशुपालकों का हिमायती समझती है। देवपुराजी ने जवाब दिया कि मैं वास्तविकता को समझ गया हूं। जब आप समझ ही गये हैं तो आश्वासन क्यों नहीं दे देते हैं?

श्री हीरालाल देवपुरा : मैंने कह दिया है। और क्या चाहते हैं?

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। आर्डर आर्डर!

श्री हंसराज शर्मा : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि केवल गायों की ही नहीं बैलों की भी समस्या है। अगर इस प्रकार से बैलों को छूट दे दी सरपंचों को और छोटे लोगों को तो व्यापारी बहुत चालाक है वह झूठे प्रमाण-पत्र बना कर के वहां पर ले जायेगा और गो-वंश की हत्या करेगा। इसलिए जब तक उसकी क्या उम्र है, क्या कीमत है इसका निर्णय नहीं हो जाये तब तक यह नहीं करें क्योंकि बैल बूढ़े हो जाने के बाद सिर्फ कटने के लिये ही जाते हैं। उनका कोई उपयोग नहीं हो सकता है इसलिये यह निर्णय सोच समझकर लिया जाये।

श्री महाराम चौधरी : इस तरह से काश्तकारों में असन्तोष नहीं होता, वे इस तरह से आन्दोलन नहीं करते अगर यह बात नहीं होती तो यह भी रोक लगा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मन्त्री महोदय आपके दिल की बात समझ गये हैं।

श्री महाराम चौधरी : यह जो जनता पार्टी वाले हैं ये तो चले गये हैं। अब कांग्रेस (आई) की सरकार बदनाम न हो जाये, काश्तकार उनसे नाराज न हो जाये इसलिये आपको इस प्रतिबन्ध को तुरन्त हटा लेना चाहिए। आप सजग रहें इससे ...

श्री हीरालाल देवपुरा : सरकार सजग है।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

बीकानेर नगर विकास न्यास की भूमि पर अवैध कब्जे

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री बुलाकीदास कल्ला।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया के तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत बीकानेर नगर विकास न्यास की अमूल्य भूमि, जो लगभग 200 करोड़ रुपयों की है, के ऊपर निरन्तर 3 वर्षों से जो अतिक्रमण हो रहा है उसके बारे में राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, बीकानेर का मास्टर प्लान बन चुका है और गजट में प्रकाशित भी हो चुका है पर पिछले 3 वर्षों में पिछली सरकार ने इस देश में भयमुक्त और निर्भयता का वातावरण पैदा करने की कोशिश की लेकिन आम जनता तो आतंकित हो गयी और जो जागीरदार थे, जमीदार थे, लम्बरदार और बड़े बड़े सेठ थे वे भयमुक्त होकर असामाजिक कार्य करने लगे और भयमुक्त होकर सरकारी जमीन पर नाजायज कब्जे शुरू कर दिये। बीकानेर में ऐसा कोई इलाका नहीं है चाहे जस्सूसर गेट हो और चाहे वह दुर्गाप्रसाद बस्ती हो, यहां तक कि शैक्षणिक संस्था हो चाहे वह डूंगरपुर कालेज हो, चाहे वेटेरिनरी कालेज हो, चाहे मेडिकल कालेज हो, यहां तक कि जहां भविष्य में राज्य सरकार की योजना के अन्तर्गत महत्वपूर्ण बनने वाले भवन थे, जहां रेलवे स्टेशन शिफ्ट होना है, वहां लगभग 50 स्थानों पर नयी कच्ची बस्तियां और मकान बनते जा रहे हैं। जहां तक कच्ची बस्तियों का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो गरीब आदमी होता है, जिसके पास खाने के लिये दो जून की भरपेट रोटी नहीं है वह हजार दस हजार की जमीन कैसे ले सकता है? यह प्रश्न विचारणीय है। बीकानेर में कोई व्यक्ति एक इन्च जमीन पर पैर जमा ले तो कोई रोकने वाला नहीं है। पिछले तीन वर्षों में जो अव्यवस्था हुयी है उसको अभी तक रोका नहीं जा रहा है। कब्जे क्यों किये जाते हैं, कैसे होते हैं इसका थोड़ा सा वर्णन करना चाहता हूं।

अमूमन जो अवकाश के दिन होते हैं जैसे रविवार, शनिवार या और कोई राजपत्रित अवकाश के दिन होते हैं उस दिन अतिक्रमण करने वाले स्थान ढूंढकर के 2–3 हरिजन और कमजोर वर्ग के लोगों को आगे करके दस दस हजार और बीस बीस हजार गज और एक एक हजार गज जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। यू. आई. टी. में एक दरख्वास्त दे देते हैं कि हमारे कब्जे का नियमन किया जाये। दूसरी ओर एक इकरारनामा लिखा जाता है कि एक रकबा जमीन अमुक स्थान पर अमुक व्यक्ति से खरीदी और उसकी रजिस्ट्री करा ली जाती है। न्यायपालिका उसकी अन्धाधुन्ध रजिस्ट्री कर रही है। जब उस कब्जे को यू. आई. टी. तोड़ने आती है तो उससे पहले ही स्टे तैयार हो जाता है। कानून में ऐसी ही व्यवस्था है कि जब तक यू आई. टी. उस एप्लीकेशन को खारिज नहीं कर देती है जो नियमन के लिये दी है तब तक न्यायपालिका से स्टे लेने की इजाजत कानून में है। दूसरी ओर जो राजस्थान यू आई. टी. एक्ट, 1959 बना है उसमें सन् 73 में और सन् 64 में जो संशोधन किये गये हैं उन प्रावधानों के बावजूद कुछ अन्य

(श्री बुलाकीदास कल्ला

नियम हैं जैसे म्यूनिसिपल एक्ट के सैक्शन 203 के अन्तर्गत अनधिकृत कब्जे को हटाने के लिये यू. आई. टी. को अधिकार है। इसके अलावा The Rajasthan Public Premises Eviction of Unauthorised occupants Act, 1964–की पांचवीं धारा के अन्तर्गत कुछ व्यवस्था दी गयी है वह है—

"Eviction of Unauthorised occupants—(1) If, after considering the cause, if any, shown by any person in pursuance of a notice under section 4 and any evidence he may produce in support of the same and after giving him, a reasonable opportunity of being heard, the Estate Officer is satisfied that the public premises are in unauthorised occupation, the officer may, on a date to be fixed for the purpose, make an order of eviction, for reasons to be recorded therein, directing that the public premises shall be vacated by al persons who may be in occupation thereof or any part thereof and cause a copy of the order to be affixed on the outer door or some other conspicuous part of the public premises.

(2) If any person refuses or fails to comply with the order of eviction within thirty days of the date of its publication under sub section (1), the estate officer or any other officer duly authorised by the estate officer in this behalf may evict that person from, and take possession of the public premises and may for that purpose, use such force as may be necessary."

(1 39 म प.)

(श्री तकीउद्दीन, सभापति, पदासीन)

अध्यक्ष महोदय, इन सब नियमों का व्यापक उपयोग अभी तक नहीं कर पाये हैं। इसके सम्बन्ध में नियमों में क्या संशोधन होना चाहिये इसके बारे में तो मैं आगे निवेदन करूंगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग पर 100 फीट की दूरी तक कोई भी व्यक्ति कब्जा नहीं कर पाता है लेकिन बीकानेर में पास में लगे हुये राष्ट्रीय राजमार्गों के ऊपर 100 फीट के अन्दर अन्दर कब्जे किये हुये हैं। इन कब्जों को हटाने के लिये राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 के अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग को भी ऐसे अतिक्रमणों को रोकने के लिए व्यापक अधिकार दिये गये हैं। परन्तु अभाव इस बात का है कि बीकानेर में चार विभाग हैं जो कहते हैं कि जमीन हमारी है। नगर परिषद कई स्थानों पर अपना कब्जा बताता है, कई स्थानों पर नगर विकास न्यास अपना कब्जा बताता है, राजस्व विभाग अपना कब्जा बताता है और उपनिवेशन विभाग अपना कब्जा बताता है। ये चारों विभाग आपस में समन्वय नहीं रखते। समन्वय नहीं रखने से कब्जा हटाने में दिक्कत आती है। मैं निवेदन यह करना

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

चाहता हूं कि 1971–72 के बाद जितने भी कब्जे हुए हैं उन कब्जों को आप निश्चित रूप से शीघ्र कार्यवाही करके तोड़िये वरना पिछले दिनों बीकानेर के गंगाशहर के पास में दो अतिक्रमियों में हवाई फायर हुए, दो घन्टे तक वहां पर कम से कम दस हजार लोगों की भीड़ में खुले आम गोलियां चलते हुए देखा। इसलिये बीकानेर में अतिक्रमियों ने अवैध कब्जे के कारण कानून और व्यवस्था की असामान्य स्थिति पैदा हो गई।

और मैं इस सम्बन्ध में यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सरकारी विभागों की जमीनों पर भी लोग कब्जा करते हुए जा रहे हैं जिस पर भी पर्याप्त रोक लगाया जाना आवश्यक है। जो सरकारी विभाग करने जा रहे हैं उनके नाम, अध्यक्ष महोदय, मैं रखने जा रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री बुलाकीदास कल्ला : बीकानेर शहर की गोचर भूमि पर सेंन्ट्रल एरिड जोन रिसर्च इन्स्टीट्यूट का कब्जा है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, कल्ला साहब संक्षेप में इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि दर्शक दीर्घा में उनकी धर्मपत्नी बैठी रहती हैं इसलिए इनको सहानुभूतिपूर्वक टाइम दिया जाय।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सरेमथानिया की गोचर भूमि पर भी, ...

(व्यवधान)

सरेमथानिया की गोचर भूमि पर भी वन विभाग और गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया का कब्जा है, वन विभाग जो बीजवाल के पास में हैं वहां पर राजस्थान सरकार का कब्जा है, इसी प्रकार से नापासर रोड जोधपुर के पास की जमीन पर भी वन विभाग का कब्जा है, उपनिवेशन विभाग का बीकानेर शहर के मास्टर प्लान की भूमि पर कब्जा है। लगभग पचास करोड़ की जमीन भारत सरकार को बेचने का प्रस्ताव उपनिवेशन विभाग ने किया है।

(1.22 म.प.)

(श्रीमती विद्या पाठक, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदया, अभी वर्तमान परिस्थितियों में एक ओर बीकानेर में सड़कों और नालियों की स्थिति वैसे ही बहुत ही खराब है, नगर का विकास नहीं हो रहा है, दूसरी ओर उपनिवेशन विभाग डूंगर कालेज के सामने की शहरी भूमि को यदि उपनिवेशन विभाग बेच देगा तो बीकानेर के पिछड़े हुए भागों का विकास कैसे हो सकेगा? जो भूमि मास्टर प्लान की भूमि अमूमन जो शहर के पास होती है वह भूमि यू.आई.टी. के अन्तर्गत आती है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह भूमि मास्टर प्लान के अन्तर्गत यू.आई.टी को भूमि डीकालोनाइज भूमि करके दी जावे। इसके अतिरिक्त शहर के बीचों बीच जलदाय विभाग ने जसूसर गेट के थाने के पास, भोगा गेट के पास, स्टेडियम के पास सरकारी भूमि पर कब्जा कर रखा है। जेल विभाग ने भी सैंन्ट्रल जेल के पास यू.आई.टी की भूमि पर अनधिकृत कब्जा कर रखा है। यह कब्जा पिछले तीन वर्षों से चला आ रहा है। लेकिन आज तक सरकारी

(76)

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

अधिकारियों और विभाग के द्वारा इनके ऊपर कार्यवाही नहीं की जा रही है। इसके अतिरिक्त, सभापति महोदया, जो लोग कब्जा करते हैं। इन कब्जा करने वालों को अन्य सरकारी विभाग मदद करते हैं। अतिक्रमण करने वालों को बिजली विभाग बिजली के कनेक्शन देता है, जलदाय विभाग जलपूर्ति के लिए जल के कनेक्शन देता है, इसी प्रकार से टेलीफोन विभाग वाले दस-दस हजार गज जमीनों के ऊपर जो जखीरेबाज हैं, ठेकेदार हैं और लम्बरदार हैं, जो लोग उद्योग लगाते हैं, उनको टेलीफोन के कनेक्शन दे देते है, बिक्री कर अधिकारी लाइसेंस देते हैं, उद्योग विभाग वाले लाइसेन्स देते हैं। यह प्रक्रिया तीन वर्षों से चली आ रही है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि नगर विकास न्यास की इस अमूल्य भूमि, जिसकी कीमत मैंने पूर्व में बताई लगभग 200 करोड़ है, के ऊपर अतिक्रमियों को रोका जाय और विकास न्यास की भूमि को बचाया जाय। इसके लिए मैं कुछ सुझाव मन्त्री महोदयजी के सामने रखना चाहता हूं।

वर्तमान में जो राजस्थान अर्बन इम्प्रूवमेन्ट एक्ट, 1959 में बना है और जिसमें 1973 व 1964 में संशोधन हुए उसमें व्यापक संशोधन किये जाने की आवश्यकता है। जो अतिक्रमी नगर विकास न्यास की भूमि पर कब्जा करते हैं, दो सौ गज से अधिक, ऐसे व्यक्तियों को क्रिमिनल आफेंडर की तरह ट्रीट किया जावे और उनके लिये अपराधिक षड्यन्त्र के अन्तर्गत शामिल करके सख्त सजा की व्यवस्था की जाय। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र में इस सम्बन्ध में कानून बनाया गया है, उसको देख कर राजस्थान में भी इस सम्बन्ध में पर्याप्त कानून बनाये जायं।

कब्जों की रजिस्ट्री और इकरारनामे जो न्यायपालिका करती है उसको रोकने के लिए कानून की उचित व्यवस्था की जाय। इसके अतिरिक्त विभाग नगर विकास न्यास, नगर परिषद, उपनिवेशन विभाग, राजस्व विभाग इन विभागों की एक समन्वय समिति बनाई जाय जो जिलाधीश की अध्यक्षता में बनाई जाय और जनप्रतिनिधियों को उसमें शामिल करके अतिक्रमण करने वाले लोगों के ऊपर व्यापक कार्यवाही की जाय।

जो व्यक्ति 210 से अधिक जमीन घेरे हुए हैं उनको बिना नोटिस दिये हुए कब्जा तोड़ने की व्यवस्था करने के लिए भी कानून में व्यापक संशोधन किये जायं। सरकारी विभाग द्वारा नाजायज कब्जों पर स्थगन आदेश जारी जो किये जाते हैं उनको भी समय समय पर रोका जाय।

नियमों में परिवर्तन कर न्यायपालिका द्वारा दिये जाने वाले स्टे को रोकने के लिए भी कानूनों में पर्याप्त संशोधन किये जाय। जिलाधीश, पुलिस अधीक्षक को स्वयं इस सम्बन्ध में अभियान चलाकर समय समय पर प्रभावी कदम उठाने चाहिये।

इसके अतिरिक्त जो लोग बेघरबार हैं, भूमिहीन हैं जिनके पास आवासीय और रिहायशी मकान नहीं हैं, उनको रिहायशी

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

मकान उपलब्ध कराने के लिये क्या यू. आई.टी. ने पिछले तीन चार वर्षों में नई-नई योजना बनाई है ? यदि नहीं बनाई हैं तो बेघर, भूमिहीन लोगों को बसाने की व्यवस्था करने के लिए समय समय पर आवासीय योजनायें बनाई जायं । कमजोर वर्ग के लोगों और गरीब वर्ग के लोगों को कम मूल्य पर और उचित मूल्य पर भूमि समय पर मुहय्या करवाई जाय ।

अतिक्रमणों को रोकने के लिए पर्याप्त उड़नदस्तों की व्यवस्था की जाय जो छुट्टी के दिन पूरे शहर में गश्त की तरह देखभाल कर सकें । इसके लिए स्टाफ बढ़ाने की आवश्यकता हो तो बढ़ाया जाना चाहिये । कब्जा नियमित किये जाने के साथ जो प्रार्थना पत्र नगर विकास न्यास में दिए जाते हैं, उनके ऊपर पर्याप्त कार्यवाही कर वह खारिज किये जाने चाहिये वरना जो लोग कब्जा करने वाले हैं, वे बहुत होशियार होते हैं, पब्लिक प्रासीक्यूटर के साथ....

श्री सभापति : संक्षेप में, माननीय सदस्य !

श्री बुलाकीदास कल्ला : पब्लिक प्रासीक्यूटर के साथ मिल कर या अन्य तरीके से पिछले वर्षों से हमेशा अपने कब्जे को नियमित कराने के लिए कार्यवाही करते रहते हैं । इसलिए जो लोग एप्लीकेशन कब्जा रेगुलेराइज कराने के लिए देते हैं उनकी एप्लीकेशन के ऊपर तुरन्त निर्णय करके उनकी एप्लीकेशन को खारिज किया जाय ताकि वे लोग कोर्ट से स्टे नहीं ला सकें ।

इसी प्रकार से पब्लिक प्रिमिसेज इविक्शन ऑफ अनआथोराइज्ड आक्यूपेन्ट्स एक्ट, 1965 की धारा 5 में संशोधन किया जाय ।

श्री बाऊदयाल जोशी : कोई नोट नहीं कर रहा है इनकी बात को ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप परेशान नहीं हों, मन्त्री जी सुन रहे हैं ।

श्री दीपेन्द्रसिंह : स्वायत्त शासन मन्त्री महोदय अक्लमन्द हैं ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : धारा 5 में जो 30 दिन की छूट दी गई है उसकी धारा 5 (2) में संशोधन करके तीन दिन की छूट दी जावे ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप मांगों के समय बोल लें इन सारी बातों पर ।

(व्यवधान)

कृपया व्यवधान न डालें । मंत्री महोदय !

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आपस में बात न करें । मंत्री महोदय का जवाब आने दें ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री) : बीकानेर शहर का मास्टर प्लान तारीख 1-3-80 को राजस्थान राजपत्र में शाया किया जा चुका है । इस मास्टर

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

प्लान के अन्तर्गत नगर विकास न्यास नगरपालिकाओं, उपनिवेशन विभाग, राजस्व एवं खातेदारी आदि भूमियां हैं। बीकानेर में भूमि अतिक्रमण मास्टर प्लान के राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित होने से पूर्व से ही था तथा मास्टर प्लान अनुमोदन के बाद भी अवैध कब्जे किये जा रहे हैं तथा न्यास क्षेत्र में न्यास अतिक्रमण हटाने का कार्य कर रही है। सन् 1980–81 में सुभाषपुरा, मुक्त प्रसाद बस्ती, सादुलगंज बस्ती, औद्योगिक क्षेत्र, जस्सूसर गेट, नत्थूसर गेट, लक्ष्मीनारायण मन्दिर बस्ती, कमला कालोनी, मेडिकल कालेज के पास सागर रोड एम. एम. स्कूल के खेल के मैदान आदि स्थानों पर न्यास में कुल तीन सौ चालीस अतिक्रमण के मामले दर्ज हुये जिनमें से 41 अतिक्रमण हटाये गये तथा 299 मामले विचाराधीन हैं जिनमें से मेडिकल कालेज के पास नाजायज कब्जेधारियों ने स्थगन आदेश की कार्यवाही की और वे हाई कोर्ट से स्टे लाये हुये हैं। प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर मास्टर प्लान की सीमा के अन्तर्गत है तथा यह गंगाशहर नगरपालिका के सीमा क्षेत्र में है। भूमि अवाप्ति की कार्यवाही जारी है। कब्जा अभी तक न्यास को प्राप्त नहीं हुआ है। नगरपालिका गंगाशहर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाते समय कुछ झगड़ों के कारण प्रशासक नगरपालिका गंगाशहर ने अवगत कराया है कि दिनांक 14–11–80 को नगरपालिका द्वारा अतिक्रमणों को बड़े पैमाने पर हटाने का प्रयास किया गया लेकिन भीड़ अधिक होने के कारण तथा समय के अभाव के कारण कुछ ही कब्जे हटाये जा सके तथा शेष कब्जे नहीं हटाये जा सके। नगरपालिका द्वारा अतिक्रमणों को हटाने की कार्यवाही पर 45 व्यक्तियों, जिनको हटा दिया गया था, ने स्थगन आदेश प्राप्त किया था वह समाप्त हो चुका है और उसके बाद किन्हीं व्यक्तियों ने उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है जिसकी सुनवाई की अगली तारीख 19–3–81 है।

जहाँ तक मास्टर प्लान के अन्तर्गत विकास होने का प्रश्न है, यह सम्बन्धित विभागों का स्वतः ही उत्तरदायित्व है और कार्य हो रहा है। अब नगर विकास न्यास इस ओर अग्रसर है तथा विभिन्न योजनाओं पर....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पाइन्ट आफ आर्डर। सदन में पत्र वितरण कर रहे हैं। सदन में जो अपने आदमी हैं उनके अलावा कोई दूसरा पत्र वितरित नहीं कर सकता। माननीय मुख्य सचेतक पत्र वितरित कर रहे हैं। यह नियमों के खिलाफ है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया बिराजिये।

श्री भगवानदास शास्त्री : आप मैन्डेट तो इश्यू कर सकते हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अब नगर विकास न्यास इस ओर अग्रसर है तथा निम्न योजनाओं पर न्यास कार्यवाही कर रहा है :

(1) ट्रांसपोर्ट नगर योजना के संदर्भ में न्यास द्वारा भूमि अवाप्ति की कार्यवाही के संदर्भ में 148 बीघा जमीन

(79)

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

अवाप्त की जा रही है और उस पर कार्यवाही होगी।

(2) मुरलीधर व्यास नगर जो कि आवासीय योजना है, न्यास द्वारा धारा 33 व 34 की कार्यवाही की जा रही है। इसका क्षेत्रफल लगभग 280 एकड़ है।

(3) रेलवे स्टेशन के पास एक व्यावसायिक केन्द्र बनाने के लिए भी धारा 32 (1) में विज्ञप्ति जारी करवाने की कार्यवाही जारी है।

(4) औद्योगिक क्षेत्र के पास एक आवासीय व व्यावसायिक योजना बनाने के लिए हाल ही में न्यास की बैठक में निर्णय लिया गया है। इसका लगभग क्षेत्रफल 700 एकड़ है।

न्यास की विभिन्न बस्तियों में पिछले एक साल में हुए अनधिकृत कब्जों को हटाने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : क्या मास्टर प्लान की भूमि जो मास्टर प्लान में दिखाई गई है उसको कब तक आप अधिग्रहित कर लेंगे ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, एकाध प्रश्न पूछने का उनका अधिकार है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : राज्य सरकार ने सरकारी विभागों के द्वारा जो जमीन यू आई. टी. की अधिग्रहित की है, इस बारे में जवाब नहीं दिया है, इस सम्बन्ध में आपने क्या कार्यवाही की है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जो अनधिकृत कब्जे हैं उनको हटा दिया गया है, कुछ स्टे आर्डर्स लाए हैं हाई कोर्ट से और बाकी के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : गोचर भूमि, जो बीजवाल के पास में है, पर वन विभाग का सेंटल एरिड जोन रिसर्च इन्स्टीट्यूट का कब्जा है। इसके साथ जेल विभाग और जलदाय विभाग ने जो कब्जे किये हैं न तो यू. आई टी. में पैसा जमा कराया है, न वहां पर भवन बन रहा है। उस बारे में यू. आई. टी. से न कोई परमिशन ली जा रही है। इस सम्बन्ध में आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

दूसरा प्रश्न यह है कि मास्टर प्लान की जो भूमि, यू. आई. टी. के अन्तर्गत आनी चाहिए या म्यूनिसिपल एरिया के अन्तर्गत आनी चाहिए वह कब तक आप अधिग्रहित कर लेंगे ? विभाग जब कब्जा रोकने की कार्यवाही करता है तो उपनिवेशन विभाग कहता है कि हमारी जमीन है। आप कार्यवाही न करें और उपनिवेशन विभाग जब कार्यवाही करता है तो यू. आई. टी. कहता है कि जमीन विवादास्पद है। इस पर हम कार्यवाही करेंगे तब तक कब्जे बढ़ते चले जायेंगे। इस सम्बन्ध में आप पर्याप्त कदम कब तक उठायेंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने माननीय सदस्य को आश्वासन दिया, इस सम्बन्ध में कल भी बात हुई थी। शीघ्र ही आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

(80)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, काफी प्रश्न पूछ चुके हैं । मंत्री महोदय से मिल कर अपनी चर्चा करें ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैंने अपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में यह बताया था कि 10–10 हजार गज जमीन पर जिन्होंने कब्जा कर रखा है ऐसी जमीनों पर यदि अतिक्रमण नहीं हटेगा तो ऐसा लगता है कि बीकानेर में 4–5 मुट्ठी भर लोग हैं जिन्होंने सारे बीकानेर शहर की उस जमीन पर कब्जा कर रखा है जिस पर शहर का भावी विकास निर्भर करता है । शहर की बसावट कस्बे की बसावट की तरह हो गई है ।

श्री सभापति : मंत्री महोदय ने कहा है कि इसकी व्यवस्था जल्दी करेंगे ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : क्या नियमों में संशोधन करके इसको क्रिमिनल आफेंस बनायेंगे ? मैंने सैद्धांतिक मुद्दे उठाये हैं, क्या राजस्थान अर्बन इम्प्रूवमेन्ट....

श्री दीपेन्द्रसिंह : भाभीजी देख रही हैं, बेचारे की खिचाई हो जायगी ! इसलिए पूरा समय इनको मिलना चाहिए ।

श्री सभापति : कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री दीपेन्द्रसिंह : इनका इन्टरव्यू है । आज इनकी योग्यता का फैसला होने वाला है ।

(व्यवधान)

इनका मूल्यांकन हो रहा है ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : एक महीना और निकल चुका है ।

श्री सभापति मंत्री महोदय जवाब दे चुके हैं ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : जवाब नहीं आया है सैद्धांतिक मुद्दों का ।

श्री सभापति : मंत्री महोदय से चर्चा कर लें बाद में ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सदन का यह गंभीर मसला है । केवल बीकानेर का ही नहीं जयपुर में भी ऐसी समस्यायें होंगी । जब तक महाराष्ट्र और अन्य प्रांतों के अनुसार यू.आई.टी एक्ट और पब्लिक प्रीमेसेज एक्ट में जब तक इसको क्रिमिनल आफेंस घोषित नहीं करेंगे तब तक शहरी भूमि पर नाजायज कब्जे करने वाले कब्जे करते रहेंगे । किसी प्रकार से कब्जा करने वाले लोगों को रोक नहीं पायेंगे ।

श्री सभापति : मंत्री महोदय जानते हैं कि इसको रोकना बहुत जरूरी है । मंत्री महोदय, अगर आप कुछ कर सकते हैं तो करें । सचमुच यह बड़ी समस्या है

(व्यवधान)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने निवेदन किया कि जो डिपार्टमेंन्ट्स के पास जमीन है, वह यू. आई. टी की मर्जी से है, गवर्नमेंट की मर्जी से है और उनसे कीमत जमा कराई जा रही है, उसमें गड़बड़ की बात नहीं है । जो अनधिकृत कब्जे हैं कुछ हटा दिये गए हैं, कुछ में हाई कोर्ट का स्टे है, बाकी के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य ने एक नीतिगत प्रश्न पूछा है, आप भी सहमत हैं। अगर अभी न बताना चाहें तो सदन को बता दें। आप इस पर चर्चा करना चाहते हैं तो वह समय बता दें। माननीय सदस्य, यह प्रश्नोत्तर काल नहीं है।

श्री रामधन चौधरी (लाडनूं) : मेरा नाम है।

श्री सभापति : आपने बहुत समय ले लिया।

श्री बुलाकीदास कल्ला : जो अधिकारी यू. आई. टी. के कब्जा करवाने में संलग्न हैं उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री सभापति : आप उनको नाम बता दें, मन्त्री महोदय को ववेशचन दें।

श्री रामधन चौधरी : मैं आपके मार्फत मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जैसे मन्त्री महोदय ने बताया 40-41 मकानों का कब्जा हटा दिया गया है और 200 कितने लोगों के नाजायज कब्जे हैं, यह मन्त्री महोदय नो स्वीकार करते हैं, इससे साफ जाहिर है कि जो लोग पैसे वाले हैं उन्होंने 10-10 हजार गज भूमि पर कब्जा किया हुआ है, उसमें से एक भी कब्जा नहीं हटाया गया है। जो गरीब लोग झोंपड़ी बनाकर बैठे थे उनको फार्मेलिटी पूरी करने के लिए आंकड़े आपको दिये गये हैं। इसलिए मन्त्री महोदय से मैं आपके मार्फत प्रार्थना करता हूं कि बीकानेर में यू. आई. टी. की जमीन को नाजायज कब्जों से मुक्त कराने की चेष्टा करें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बीच में बैठ कर व्यवधान न करें।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : मैं खड़े होकर पूछता हूं।

श्री सभापति : यह प्रश्न काल नहीं है।

श्री देवीसिंह भाटी : बीकानेर से सम्बद्ध आंकड़े मन्त्री महोदय ने दिए हैं कि 34 अतिक्रमण के मामले दर्ज हैं। क्या यह सही है कि उसके उपरांत विभाग को सैकड़ों की संख्या में लोगों ने एप्लीकेशन्स दीं कि नाजायज कब्जे होते जा रहे हैं, उसके उपरान्त यू. आई. टी. अधिकारियों ने कार्यवाही नहीं की ? इसका क्या कारण है ? उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की है ? यह जो आंकड़े दिए गए हैं कि 40 अतिक्रमण हटा दिए गए हैं उसके अलावा जो बचे हैं, सब हाई कोर्ट का स्टे लाए हैं ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैंने कहा था कि विभागों की एक समन्वय समिति जब तक नहीं बनेगी तब तक पिछले तीन वर्षों के कब्जे छूटने वाले नहीं ? क्या आप समन्वय समिति बनायेंगे ? ताकि वह समिति राजस्व विभाग, उपनिवेशन विभाग, यू. आई. टी. और नगर परिषद की बन जाय तो चारों मिलकर जमीनों का निर्णय करेंगे कि यह जमीन किस विभाग की है और मिल कर कार्यवाही करेंगे और अवैध कब्जों को हटायेंगे।

(82)

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : सभापति महोदय, मैंने पहले ही निवेदन कर दिया है इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने पहले कई जगहों पर अनधिकृत कब्जे हटाये। यह सवाल सरकार के सामने है। इस सम्बन्ध में सरकार जरूर कार्यवाही करेगी जहां भी जरूरत होगी वहां पर।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। यह प्रश्न काल नहीं है।

श्री देवीसिंह भाटी : सभापति महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमका थाना) : सभापति महोदय, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। सन् 74 तक जिन लोगों ने अनधिकृत कब्जे कर लिये थे उनको आपके विभाग के जैसे आदेश हैं रेगुलेराइज कर दिया जावे ? इसके बारे में आप मुझे जवाब दें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। समाप्त........

श्री मोहनलाल मोदी : सभापति महोदया, मेरा तो यह छोटा सा प्रश्न ही था। मन्त्री जी जवाब देना चाहते हैं। वह खड़े हो गये हैं।

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण करें।

आय-व्यय पर सामान्य वाद विवाद का उत्तर। माननीय मुख्य मन्त्री महोदय बजट बहस का जवाब दें।

श्री देवीसिंह भाटी : सभापति महोदय, मुझे आपने अलाऊ किया था। मेरे प्रश्न का कोई जवाब नहीं आया।

श्री सभापति : मैंने आपको अलाऊ नहीं किया है। आप स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। यह प्रश्न काल है। प्रश्न समाप्त हो गये। इस विषय पर काफी चर्चा हो गयी। आपको कुछ भी पूछना है तो आप प्रश्न के माध्यम से अपने प्रश्न उठायें।

बजट पर सामान्य वाद-विवाद की बहस पर मुख्य मन्त्रीजी का जवाब।

व्यवस्था का प्रश्न

आय-व्यय पर हुए सामन्य वाद-विवाद के समय मुख्य मंत्री को सदन में अनुपस्थिति

श्री यदुनाथसिंह (नदबई) : सभापति महोदया, आन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री सभापति : क्या है आपका पाइन्ट आफ आर्डर ?

श्री यदुनाथसिंह : सभापति महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर यह है कि इस सदन में इतने दिनों तक बजट पर सामान्य वाद विवाद पर बहस चली पर माननीय मुख्य मन्त्रीजी, जो कि वित्त मंत्री भी हैं, कभी भी सदन में उपस्थित नहीं रहे। यहां पर विरोधी दल के नेता महोदय ने अपना भाषण दिया। इनके अलावा दूसरे दलों के नेता लोगों ने भी यहां पर अपने विचार रखे पर मुख्य

(श्री यदुनाथ सिंह)

मन्त्री जी नहीं रहे। वह हाउस को सुप्रीम नहीं मानते हैं।

(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्रसिंह : यह कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है।

श्री यदुनाथसिंह : Yes, It is point of order यह व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री दीपेन्द्रसिंह : व्यवस्था देने का काम सभापति महोदया का है। आप कौन हो व्यवस्था देने वाले ?

श्री यदुनाथसिंह : सभापति महोदय, जब भी बजट पर बहस चलती है तो मन्त्री महोदय बहस में भाग लेते हैं, यहां रहते हैं।

(व्यवधान)

श्री रेवतराम चौधरी (श्री डूंगरगढ़) : सभापति महोदय, यह हमेशा बीच में हस्तक्षेप करते हैं।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : मैं इसके विरोध में वाक आउट करता हूं।

(बहिर्गमन)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। शान्त रहें।

श्री दीपेन्द्रसिंह - सभापति महोदय, इनको तो किसी तरह सदन की कार्यवाही में बाधा डालनी है, इनको तो वाक आउट करना है। इनका न तो कोई पाइन्ट आफ आर्डर है न ही कोई व्यवस्था का प्रश्न है। वह ढूढ़ने का रास्ता निकाल रहे हैं

(2 05 म. प.)
(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य विपक्ष वालों ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया। यहां पर ऐसा लगा कि विपक्ष के सदस्य ने केवल वाक आउट करने के लिए पाइन्ट आफ आर्डर उठाया है यह वाक आउट करने का बहाना है ऐसा विपक्ष के सदस्यों ने कहा है।

एक माननीय सदस्य : यह हकीकत है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। आर्डर प्लीज। कृपया शान्त रहें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष : क्या है ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, दिनांक 9 मार्च से 10, 11, 12, और 13 मार्च तक बजट पर आम बहस सदन में चल रही है। सभी माननीय सदस्यों, चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के माननीय सदस्य हों, ने यहां पर बड़े इम्पार्टेन्ट मुद्दे उठाये लेकिन मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि मुख्य मन्त्रीजी, जो कि वित्त मन्त्रीजी भी हैं, इस बहस का

(84)

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

उत्तर देंगे। मुझे याद पड़ता है कि इस सदन की पिछले वर्षों की परम्परा रही है कि जब भी बजट पर बहस चलती है तब मुख्य मन्त्रीजी वित्त मन्त्रीजी यहां पर बैठे रहते हैं और बहस में भाग लेते हैं। सभी सदस्यों के विचार सुनते हैं। लेकिन मुझे कष्ट के साथ कहना पड़ता है कि इतने दिनों मुख्य मन्त्रीजी जो वित्त मन्त्री भी हैं, कभी भी यहां पर नहीं बैठे। इतना ही नहीं माननीय विरोधी दल के नेता महोदय ने जब यहां पर भाषण दिया उस वक्त तो माननीय सदस्य राजबहादुर जी ने सदन में इतना तक कहा था कि विरोधी दल के नेता ने जो मुद्दे उठाये हैं वह बहुत इम्पार्टेन्ट हैं और मुख्य मन्त्रीजी को उनके हर बिन्दु का जवाब देना पड़ेगा।

श्री माणकलाल मेहता : यह पाइन्ट आफ आर्डर है कि भाषण है।

श्री दीपेन्द्रसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह तो भाषण चल रहा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, माननीय विरोधी दल के उप नेता महोदय ने यहां पर जो सवाल उठाया है उसके सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह कैसे कहते हैं कि मुख्य मन्त्रीजी जवाब नहीं देंगे। जब उन्होंने जवाब मुख्य मंत्रीजी का सुना ही नहीं है इसके पहले ही उन्होंने कैसे कह दिया कि मुख्य मन्त्री जी जवाब नहीं देंगे। वह उनके एक-एक प्रश्न का जवाब देंगे। लेकिन उनमें हिम्मत होनी चाहिये उनका जवाब सुनने की। यों भागने से तो कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर प्लीज

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, अभी जो मुख्य सचेतक महोदय ने कहा वह बात बिलकुल ठीक है, वह अगर एक-एक बात का जवाब देंगे तो वह सभी सामने आ जायेगा। इसके बाद में मुझे कुछ कहना नहीं। लेकिन कर्टसी के नाते, एक परम्परा के नाते और वित्त मन्त्री की हैसियत से जो उनको कहना चाहिये था वह मैंने कहा है। जब यहां पर विरोधी दल के नेता महोदय अपना भाषण दे रहे थे उस वक्त वह यहां पर हाजिर नहीं थे, इस बात का यह प्रतीक है कि वह जवाब नहीं देना चाहते थे। वह कभी बाहर थे तो कभी ऊपर बैठे-बैठे सुन रहे थे।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह बात सरासर गलत है। यहां पर जब बजट पर वाद-विवाद हो रहा था तब चार घन्टे वह बैठे हैं। जब माननीय भैरोंसिंह जी साहब बोल रहे थे तब बैठे थे मुख्य मन्त्रीजी।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, जब विरोधी दल के नेता भाषण

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

दें तब वह यहां पर नहीं रहें तो इस बात का प्रतीक है.......

(व्यवधान)

हम वाक आउट करते हैं।

श्री दीपेन्द्रसिंह : जाना है तो जाओ फिर माथा फोड़ी काहे की।

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, इसलिए इसके विरोध में मैं और मेरे दल के सदस्य वाक आउट करते हैं। दूसरे दल के सदस्यों को भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वह भी इसके विरोध में वाक आउट करें।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों का बहिर्गमन)

श्री दीपेन्द्रसिंह : इनको तो, अध्यक्ष महोदय, बहाना ढूंढ़ना है और वाक आउट करना है। इनका तो यह पूर्व नियोजित कार्यक्रम था। यह तो इनका पहले से ही षड़यन्त्र था।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। आसन पैरों पर है।

(व्यवधान)

अंकित नहीं हो।

अनेक माननीय सदस्य : × × ×

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य आसन पैरों पर है।

अनेक माननीय सदस्य : × × ×

अगर विपक्ष के सदस्य वाक आउट करना चाहते हैं और वाक आउट करने के पहले भाषण देना चाहते हैं तो भाषण तो मैं उन्हें देने की इजाजत नहीं दूंगा। हां अगर वह नियमों के अनुसार जब कोई सदन की कार्यवाही चलती है तब कुछ कहना चाहते हैं तो सिर्फ पाइंट आफ आर्डर के तहत ही कोई बात सदन में उठाने का उनको अधिकार है, उसके अलावा कोई अधिकार नहीं है जिसके जरिये से सदन की कार्यवाही रोक कर अपनी बात कह सकते हैं।

हां साहब, राजबहादुरजी, आपका कोई पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री राजबहादुर : मेरा पाइन्ट आफ आर्डर भी है और पाइन्ट आफ एक्सप्लेनेशन भी है।

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट आफ एक्सप्लेनेशन की तो मैं इजाजत दूंगा नहीं। हां आपका पाइन्ट आफ आर्डर हो तो आप फर्मा दें। आप तो वयोवृद्ध हैं, आप को तो नियमों का ध्यान है कि पाइन्ट आफ आर्डर है या नहीं। आप अगर कोई पाइन्ट आफ आर्डर उठाना चाहें तो उठायें।

श्री राजबहादुर : मेरा पाइन्ट आफ आर्डर तो यह है कि क्या विरोधी पक्ष को यहां पर अपनी बात उठाने या पक्ष में रखने

(श्री राजबहादुर)

का अधिकार नहीं है। उनको स्वतन्त्रता नहीं है। उनका धर्म अपना पक्ष रखने का नहीं है!

श्री अध्यक्ष : सभी को अपनी बात कहने की स्वतन्त्रता है।

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, मैं पिछले 33 वर्षों से पार्लियामेन्ट से सम्बन्धित रहा हूं। मैंने पार्लियामेन्ट में यह देखा है कि जब भी बजट पर वादविवाद होता है तब फाइनेन्स मिनिस्टर पार्लियामेन्ट में, सदन में बराबर मौजूद रहता है। कभी ऐसा मौका नहीं आया जब कि फाइनेंस मिनिस्टर वहां नहीं रहा हो। ऐसा मौका भी आया जब प्रधान मन्त्री खुद फाइनेन्स थीं मिनिस्टर तो वह खुद वहां पर बैठती थीं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि वह सदन से गायब हुई हों। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह हमारा धर्म है कि हम अपने पक्ष को रखें।

श्री अध्यक्ष : सभी का धर्म है कि वह अपना पक्ष रखे।

श्री राजबहादुर : मेरा धर्म है, मेरा यह कर्त्तव्य है कि मैं अपनी बात कह सकूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर

श्री राजबहादुर : मुझे धर्म से कहना पड़ता है कि इस सदन में माननीय सदस्यों का न तो कोई सम्मान है न यहां कोई जनतन्त्र की मर्यादाओं की सुरक्षा ही है।*

यहां हमारी कोई बात नहीं सुनी जाती। हमारा यहां पर अपमान हुआ है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। यह कोई आपका पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है। पाइन्ट आफ आर्डर रूल आउट किया जाता है।

(व्यवधान)

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, सदन में जैसा सदस्यों का अपमान होता है ऐसा कभी पिछले तीस सालों में नहीं हुआ। मैं इसके प्रोटेस्ट में वाक आउट करता हूं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। अंकित न हो।

अनेक माननीय सदस्य : X X X

[कांग्रेस अर्स, जनता (जे. पी.) तथा लोकदल के सदस्यों का बहिर्गमन]

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं कि पिछले लग-भग चार पांच दिनों से लगातार बजट पर बहस के दौरान उन्होंने अपने विचार जाहिर किये। श्रीमन्, मुझे आशा थी कि विपक्ष के माननीय सदस्य

---

*माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

यहां पर विराजते हैं और जो कुछ उन्होंने अनर्गल आरोप इस सरकार पर लगाये हैं तो उनका उत्तर भी सुनते, श्रीमन्, आज से नहीं मैं बहुत दिनों से जानता था इस बात को कि विपक्षी दल के सदस्य मेरे उत्तर के समय सदन में विराजमान नहीं रह सकेंगे क्योंकि सच्ची बात बहुत कड़वी होती है। किसी पर निराधार आरोप लगाना, अनर्गल बातें करना और लोगों को भ्रम में डालना विधान सभा के माध्यम से बहुत आसान होता है लेकिन जब उत्तर आता है तो सुनने की क्षमता भी उनको रखनी चाहिए। मैं आशा करके चलता हूं कि जो सबक वह हमको सिखाकर गये हैं कि तीस सालों के अन्दर ऐसा कभी नहीं हुआ, श्रीमन् अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं कि क्या कभी ऐसा हुआ कि विरोधी पक्ष के सदस्य उठकर चले जायें और वित्त मंत्री का भाषण होने वाला हो और उसमें वह नहीं हों? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सब सिखाने के पहले विरोधी पक्ष को सोचना पड़ेगा कि तीस सालों में ऐसा नहीं हुआ है। तीस सालों के अन्दर तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कई बातें उन्होंने ऐसी भी की हैं जिनका जिक्र करना भी यहां अशोभनीय लगता है।

श्रीमन्, मैंने तो लगातार बहस के समय भी हाजिर रहने की कोशिश की, मैं लगातार तीन दिन हाजिर रहा सिवाय एक दिन के कि जब मेरे ऐसे एंगेजमेन्ट्स थे, मैं यहां नहीं आ सकता था लेकिन मैं अपने चेम्बर में बैठकर माननीय सदस्यों की बातें लगातार सुनता रहा। एक-एक पाइन्ट मैंने स्वयं ने जो भी माननीय सदस्यों ने कहा था वह नोट किये हैं। श्रीमन्, यह तो मेरा अपना हैंड राइटिंग है और यदि आप चाहें तो किसी एक्सपर्ट से जांच करा सकते हैं। एक-एक पाइन्ट मैंने खुद ने नोट किया है। तो जैसी व्यवस्था है, आप जानते हैं, श्रीमन्, सारे के सारे पाइन्ट्स हमारे पास आ जाते हैं। मुझे ताज्जुब होता है कि जिन माननीय सदस्यों के भाषण के समय में मैं यहां स्वयं उपस्थित था चाहे विरोधी पक्ष के वक्ता बोले और उप-नेता, उनको कहा जाता है, मैं उनको उप-नेता तो नहीं कहता। भारतीय जनता पार्टी के उप-नेता जब यहां बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था। एक और माननीय सदस्य जिनको हम बहुत बुजुर्ग मानते हैं और हैं वह बुजुर्ग, उनको माना है जब वह बोल रहे थे तब भी मैं हाजिर था। जब उनके लिए आवश्यक नहीं है कि मैं बोलूं तो वह हाजिर रहें तो फिर यह कौनसी पाबन्दी लगा रहे हैं विरोधी दल के सदस्य हरएक को हर समय यहां हाजिर रहना चाहिए। क्या वह हमेशा सदन में हाजिर हैं? आपको याद होगा कि तीस साल के अर्से में ऐसा कभी नहीं हुआ जब कि विरोधी पक्ष का नेता बोलता हो और वह भी आखिर में बोलता हो, हमेशा यह परम्परा रही है, श्रीमन्, विरोधी पक्ष के नेता को प्रारम्भ में ही बोलना चाहिए। श्रीमन् मुझे भारत के अलावा अन्य देशों की परम्पराओं का भी कुछ ज्ञान है और आप जैसे महानुभावों से सुनने को मिला है, पढ़ने को मिला है, उसके अनुसार और मेरा यह सौभाग्य रहा है और देश की संसद जिसमें दोनों सदन हैं उनमें भी मैं

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

रहा हूं, उन्होंने तो एक ही सदन का दरवाजा देखा है और मैंने तो दोनों सदनों को देखा है और हर राज्य की विधान सभा में भी परम्परा रही है कि जब कि मुख्य मन्त्री या वित्त मंत्री जवाब दें उस समय हाजिर रहना चाहिए सारे सदस्यों को और खास तौर से उन व्यक्तियों को जिन्होंने बहस में भाग लिया है और यहां बोला है और फिर यह परम्परा रही है कि विपक्ष का नेता हमेशा प्रथम वक्ता रहता है। आज तक मैंने भी विपक्ष के उप नेता को प्रथम बार बोलते देखा नहीं। श्रीमन्, मुझे तो शंका होने लगी है कि वह नेता भी है या नहीं अपने दल के। मुझे तो इस बात का शक होने लगता है। मुझे तो ऐसा शक होने लगा है कि बोलने की क्षमता भी उनकी नहीं है क्योंकि लगातार सुनकर हमारे उत्तर पर विपक्ष के नेता चाहते तो हमारी बात की काट कर सकते थे, अपने विचार जाहिर कर सकते थे, हमको सुझाव दे सकते थे। मुझे हार्दिक दुःख है कि इतना समय देने के बावजूद भी न तो विपक्ष के नेता महोदय ने कोई सुझाव दिये और न भारतीय जनता पार्टी के उप-नेता महोदय ने कोई सुझाव दिये। अनर्गल बातें कहकर चले जाना बहुत आसान होता है, श्रीमन्। आपको याद होगा कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर भी वह तीसरे दिन बोले थे, उसके बावजूद भी मैंने अपना प्रोग्राम बदला ताकि उनका भाषण सुन सकूं, इस बारे में भी मैंने कोशिश की और मेरी हमेशा कोशिश रही कि मैं यहां हाजिर रहूं। आपने शुरू में देखा होगा और कल भी आपने मुझे यहां लगातार देखा और यहां पर रोज बहस होती रही और मैं यहां बैठा रहा। किसी कारण से नहीं बैठ पाया तो उसका एक ही कारण हो सकता है कि कुछ कामकाज हो सकता है लेकिन फिर भी मैं 'चैम्बर' में रहा। जिस समय मैं चैम्बर में नोट करता था उस समय विरोधी पक्ष के कई लोग आये और मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, मैं उनको सुनता भी जाता था और काम भी करता जाता था। मैं आशा करके चलता हूं कि जिन परम्पराओं की चर्चा उन्होंने की है वह याद रखें कि कौन-कौन सी परम्परा भारतीय संस्कृति के अनुकूल है और कौन सी परम्परा भारतीय संस्कृति के अनुकूल नहीं है?

श्रीमन्, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि आगे इस बात की हिदायत या तो आप हिदायत के तौर पर दे दें या परम्पराओं की याद उन को दिला दें जिससे आगे इस प्रकार की कार्यवाही करने का मौका उनको नहीं मिले।

श्रीमन्, मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि विरोधी दल के सदस्य अपनी परम्पराओं के मुताबिक बोलें। मैंने तीस साल की लगातार बजट पर हुई बहस की चर्चा को उठाकर देखा। मुझे कहते हुए ताज्जुब नहीं है, मुझे दुःख है केवल कि विरोधी पक्ष के लोगों की एक ही रट है। आप उठाकर देखें बजट परम्परावादी है, बजट यथावादी है, दिशाहीन है—यही उनकी रट है। श्रीमन्, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि जबसे राजस्थान की विधान सभा बनी है तबसे लेकर अब तक विरोधी पक्ष के नेता बराबर यहां पर भाषण देते रहे हैं। और यही की यही बातें प्रथम

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

वक्ता के तौर पर नहीं कही हों तो आप जो कहें तो मैं अपने आपको सुधारने के लिए तैयार हूं। बजट दिशाहीन है, परम्परावादी हैं, यथावादी हैं, दिशाहीन हैं उल्टा ले जाने वाला है। अब हम कितना उल्टा ले जाने वाले हैं और कितना सीधा ले जाने वाले हैं, यह तो आप जानते हैं।

मेरे दल के सदस्यों ने जिन्होंने अपने विचार व्यक्त किये उन्होंने साफ-साफ बता दिया कि यह बजट परम्परावादी होता, दिशाहीन होता तो वहां जो माननीय सदस्य बैठा करते थे वह यहां नहीं आते और जो यहां बैठा करते थे वह वहां नहीं जाते। यह इस बात का प्रतीक है कि कोई सरकार जिसमें जनता का विश्वास है तो वह कांग्रेस पार्टी की सरकार है और जिसकी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी हैं। जनता ने इस विश्वास के साथ हमको भेजा है। और कहना चाहूंगा कि विरोधी पक्ष के नेता यह आशा करके चलना चाहते हैं कि उनके चुनाव घोषणापत्र के अनुसार हम अपना बजट बनायें, हम अपनी योजना बनायेंगे तो इस बात को उन्हें भूल जाना चाहिए। हमारी अपनी पार्टी है, हमारी राष्ट्रीय पार्टी है। राष्ट्रीय स्वतन्त्रता पार्टी से जो कुछ बना है वह उसने किया है। जो कुछ विकास किया है इस पार्टी ने किया है। और महात्मा गांधी के नेतृत्व से लेकर श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व तक विकास के चरण में आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि इस भाषण को पढ़ नहीं सकते तो कम से सुन सकते थे। तो यह सब बातें उन्होंने कही हैं। बहुत सी बातें कहने का अवसर ही नहीं मिला। यह तो उन्होंने अपनी परम्परा निभाई है। आज तीस सालों से जो कहते चले जा रहे हैं उसी को निभाया है। मुझे आश्चर्य इसलिए नहीं है क्योंकि परम्परायें रही हैं। आगे से आइन्दा भी कोई विचार जाहिर करें तो ऐसे विचार भी आने चाहिए जो कि नये हों, कभी ऐसे विचार भी आने चाहिए जो कि सुधार में हमारी मदद कर सकते हों, कभी ऐसे विचार भी आने चाहिए जिससे विकास की गति आगे बढ़ सकती हो। केवल कुछ आंकड़ों के जाल में फंसाकर और वह भी ऐसे मौके पर जब कि उत्तर देने वाले उत्तर ही नहीं दे पाये क्योंकि मंत्री नहीं मुख्य मंत्री नहीं ऐसे वक्त में भाषण देकर चला जाना आसान होता है लेकिन, श्रीमन्, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी बहुत दिनों तक इस सदन के सदस्य रहे हैं, क्या ऐसा भी कोई बजट होता है जिसमें आकड़े नहीं होते हों ? मैंने इस बात की कोशिश की कि कम से कम आंकड़े दूं। मैंने इस बात की कोशिश की कि हमारे विकास की क्या दिशा होगी उसको इंगित किया जाये।

मैंने इस बात की कोशिश की कि हमारी योजना क्या है उसका विवरण दिया जाये। सत्य है, श्रीमान, इस भाषण के अन्दर मौजूद है। मैंने आपको निवेदन किया, विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने इसको पढ़ने का कष्ट ही नहीं किया और हमको धमका रहे हैं। उनको चाहिये वह हमारी बात सुन भी सकें ? निराधार आरोप लगाना बहुत आसान होता है। मेरे पास बहुत से तथ्य थे, अब जो कुछ भी है वह सदन में हाजिर नहीं हैं इसलिये अब

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

मैं उस पर विस्तार से कुछ कहना नहीं चाहता उस पर संक्षेप में ही चर्चा करूंगा।

श्रीमान, मैने आपको एक बात निवेदन की हमारी छठी पंचवर्षीय योजना जितने थोड़े समय में जितनी जल्दी राष्ट्रीय नेता देश की प्रधान मंत्री और योजना आयोग की अध्यक्ष श्रीमती इन्दिरा गांधी ने तैयार करा दी वह अपने आपमें बहुत बड़ा कीर्तिमान है। जनता पार्टी लगातार तीन साल तक बैठी रही, योजना का प्रारूप क्या हो इसको तय नहीं कर पाई। कुल मिलाकर निकला रोलिंग प्लान और वह प्लान रोल होता चला गया। जो योजना हमने पिछली बार बनाई थी अगर उसको ज्यों की त्यों कार्यान्वित किया जाता तो उसमें कोई एतराज नहीं था लेकिन योजना को समाप्त करने का एक बहुत बड़ा षडयन्त्र था। इस बात को मैं कहता हूं यह संसद में कही जा चुकी है, यह बात भारत सरकार की ओर से कही जा चुकी है इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि रोलिंग प्लान के नाम पर जनता को गुमराह किया गया, योजनाबद्ध तरीके से चलने वाले विकास को अवरुद्ध किया गया। गरीब किसान मजदूर और दूसरे मध्यम तबके के जो लोग हैं उनके विकास को रोका गया, यह जनता पार्टी की देन है। यहां उनको कहना है, सुनने को तैयार नहीं उठकर चले गये हैं क्योंकि निराधार बात कहना आसान होता है। जो हम बात कहना चाहते हैं वह सुनना नहीं चाहते। योजनायें हमने बना दीं, उस योजना का आकार बदलते, प्रकार बदलते, ढांचा बदलते तो समझ में आता था लेकिन योजना को रद्द करने की कोशिश की गई और रोलिंग प्लान बनाने कोशिश की तो खुद ही रोल हो गये, इस बात की चर्चा करना नहीं चाहते।

श्रीमन्, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मेरे दल के बहुत सारे सदस्यों ने अकाल की समस्या पर काफी चर्चा की। श्रीमन्, यह स्वाभाविक है सारे प्रांत के अन्दर और खास तौर से पश्चिमी जिलों के अन्दर, जिस प्रकार से अकाल की विभीषिका है उससे माननीय सदस्यों को चिन्ता है। मैं आशा करता था कि जिस प्रकार से मेरे दल के सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की है, सुझाव दिये हैं वह चिन्ता वे भी व्यक्त करते, सुझाव देते। एक एक भाषण सुन रहा था जिसको नहीं सुन सका मैंने पढ़ा है। मुझे दुःख है, यह सुझाव केवल मेरे दल के सदस्यों की ओर से आये, विरोधी दल के किसी व्यक्ति ने, विरोधी दल के किसी सदस्य ने कोई चिन्ता की बात नहीं की, कोई राहत की बात नहीं की। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जितनी मेरे दल के सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की वह चिन्ता सही है. मैं अपने आपको शरीक करता हूं। राजस्थान के सूखाग्रस्त इलाके की जनता ने जिस धैर्य के साथ इस सारी समस्या का सामना किया है उसके लिये मैं बधाई देता हूं। आपके माध्यम से सब को, श्रीमान, विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अकाल राहत के कार्यों में हम पीछे नहीं रहेंगे चाहे जितना भी काम हमको करना पड़े। क्योंकि भारत सरकार ने हमारे देश की नेता प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में इस बात

(श्रीजगन्नाथ पहाड़िया)

का आश्वासन राज्य सरकार को दिया है और यह आश्वासन लेने, श्रीमान, मैं व्यक्तिगत तौर पर दिल्ली में प्रधान मंत्री से मिला हूं ऐसा नहीं, वे स्वयं राजस्थान में पधारी थीं। यह पहला साल था कि हमारे देश की प्रधान मंत्री अकाल राहत कार्यों को देखने के लिये राजस्थान पधारी थीं। श्रीमन, यह पहला साल था जब गिरदावरी की गई श्रीमान, यह पहला साल था कि इतनी जल्दी टेस्ट वर्क शुरू कराये गये। यह पहला साल था जब कि रेगुलर वर्क अकाल राहत में जल्दी शुरू कराये गये। मैं आपसे निवेदन करूं, आंकड़ों के जाल में फंसना नहीं चाहता। इसलिये यह कहना चाहता हूं कि अगर कहीं पर कोई खामी है, कहीं ऐसी कोई कमी है तो हमारी योजना है वह धीरे-धीरे दूर करके आगे बढ़ते चले जायें और तब तक बढ़ते चले जायें जब तक कि हर परिवार के हर व्यक्ति को काम नहीं मिल जाता।

श्रीमन, एक बात मुझे कहनी पड़ेगी उसका मुझे आश्चर्य नहीं, दुःख है केवल एक सुझाव मेरे दल की ओर से जरूर आया कि मजदूरी कम है, इसको बढ़ाया जाना चाहिये। एक सुझाव यह भी आया कि एक परिवार के एक सदस्य का लिया जाना ठीक नहीं है क्योंकि कई परिवार बहुत बड़े-बड़े हैं। दोनों ही सुझाव मेरे दल की ओर से आये हैं। मैं अपने दल के सदस्यों को बधाई देता हूं वे जागरूक हैं समस्याओं के प्रति। मैं आशा कर के चलता हूं इसी प्रकार से सरकार को अवगत कराते रहेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं सरकार अब जैसे गौर करके कुछ न कुछ फैसला करती रही है ऐसे ही फैसले आगे भी हम करते रहेंगे। इसलिये कांग्रेस पार्टी के सदस्यों के सुझावानुसार सरकार में इस बात का फैसला किया है कि अकाल राहत कार्यों में लगे लोगों को 5 रुपये मजदूरी दी जाती थी उसको बढ़ाकर अब सरकार 7 रुपये कर देगी। अच्छा होता विरोधी दल के सदस्य यहां पर मौजूद होते, इस बात को सुन पाते, उनको कुछ मौका मिल जाता कुछ विस्तार से जानने का। श्रीमन, विस्तार में मैं आपके सामने नहीं जाना चाहूंगा, मैंने एक ही बात निवेदन की 5 रुपये से बढ़ा कर 7 रुपये हम कर रहे हैं 16 मार्च से।

दूसरी बात हमने इस बात का भी फैसला किया है कि हम किसी ब्लाक के अन्दर, किसी जिले के अन्दर मजदूरों की संख्या तय नहीं करेंगे। जितने भी लोग काम पर आयेंगे काम करने वाले उन सब को काम देने की व्यवस्था की जायेगी। श्रीमन, हमारा ध्यान इस बात की ओर है कि कई परिवार बहुत बड़े बड़े हैं एक ही व्यक्ति की कमाई से काम नहीं चल पाता है क्योंकि कुछ फार्मूला ऐसा है जिससे मजदूरी कम मिलती है। श्रीमन, इसलिये आपसे मोटे तौर पर एक बात कहता हूं मैंने अकाल राहत मंत्री से इस बात की चर्चा की है और कहा है यथासम्भव इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिये। हम जैसे आदेश देते थे कि एक परिवार के एक ही सदस्य को लें अब ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है जितने भी लोग आयें, उनको काम पर लगाया जाना चाहिये।

श्रीमन, एक बात उन्होंने इस सदन के जरिये से न केवल सारे राजस्थान की जनता

(92)

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

को बल्कि सारे राष्ट्र को भ्रम में डालने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो अकाल पड़ा हुआ है, बिजली की सप्लाई नहीं है, उत्पादन नहीं है जिसकी वजह से कारखाने बन्द हैं, खेती-बाड़ी को भी पर्याप्त मात्रा में बिजली और सिंचाई की सुविधा नहीं मिली तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैसे बढ़ गया ? श्रीमान्, इस बात को जानने के लिये कई बार किसी कालेज में जाना पड़ेगा, अर्थशास्त्र का अध्ययन करना पड़ेगा। मेरे दल के कई सदस्यों ने, मुझे बड़ी खुशी है, बखूबी इस बात की चर्चा की। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जो बात उन्होंने की कि झूठे आंकड़े पेश किये गये, यह झूठ तो उन्होंने बोला है क्योंकि यह तो परम्परा रही है कि आंकड़े होते हैं वह सबको दिये जाते हैं। आंकड़ों का संकलन, श्रीमान्, यहां बैठकर नहीं किया जाता, विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न जिलों में, विभिन्न सैक्टर्स में कहीं बढ़ते हैं, कहीं घटते हैं, कुल मिलाकर सारे उसके अन्दर जोड़कर एक नेट प्रोडक्ट जो है उसको माना जाता है। राष्ट्रीय आय भी कहते हैं। इसलिए यह बात कहना कि हमें झूठे आंकड़े दिये हैं, गलत है। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि अवरोध का कारण उन्होंने स्वयं बयान कर दिया, बिजली की सप्लाई कम थी, जिससे कारखाने बन्द थे, जितनी बिजली देनी चाहिये नहीं दे पाये, लगातार बिजली की जो समस्या थी उनका सामना करना पड़ रहा है। यह बात नहीं है जो हमारे लक्ष्य थे वह पूरे नहीं हुए, हां इसके बावजूद अगर हम आंकड़ों के मुकाबले में देखें तो 1·4 प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से हम आगे ही बढ़े हैं पीछे जाने का सवाल नहीं है। अगर मैं मुकाबला करूं उनके शासन का, श्रीमान्, मुझे क्षमा करेंगे, 78-79 की तुलना में, जबकि उन्होंने शासन सम्भाला था कांग्रेस से 79-80 में यह टार्गेट 13.3 पर्सेंट गिर गया था।

कहां गये थे, भैरोंसिंहजी शेखावत, क्यों नहीं उन्होंने कोशिश की कि नेट प्रोडक्शन बढ़ा दिया जाय ? कारखाने क्या उस समय बन्द नहीं थे ? क्या बिजली की सप्लाई पूरी हो गयी थी ? क्या सब लोग उसमें लगा दिये गये थे ? क्या अकाल राहत कार्य पूरे चल रहे थे ? अगर यही बात थी, श्रीमान्, जिस समय नयी सरकार आयी, उसको बहुत तेजी के साथ काम करना पड़ा था, वह नहीं करना पड़ता और जैसा निवेदन किया, मेरे दल के सदस्यों ने, यहाँ से उठकर वहाँ जाना नहीं पड़ता। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आगे इस बात को ध्यान में रखकर चलेंगे ऐसी आशा है।

श्रीमान् एक बात उन्होंने और कही, यह बजट तो दिशाहीन है, अकल्याणकारी है। श्रीमान्, मैंने दिशाहीन की चर्चा तो कर दी, बिजली में, पानी में, खेती में, उद्योग में इतना हम खर्च करेंगे, इस फार्मूले के आधार पर करेंगे। इन सब बातों की चर्चा भाषण के अन्दर है। लेकिन मैं एक ही बात जानना चाहता हूँ कि क्या आदिवासियों और हरिजन कल्याण के लिए दिया गया रुपया अकल्याणकारी कार्य है, क्या ग्रामीण विकास के लिए लगभग 512 करोड़ रुपया दिया गया, क्या अकल्याण कार्य है ? क्या सड़कों के लिए, बिजली के लिए, सिंचाई के लिए दिया गया रुपया क्या अकल्याणकारी कार्य है ? श्रीमान्, आपको इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ, इसमें कुछ आंकड़े

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

दिये हैं, कुछ देने सम्भव भी नहीं हो सकते हैं। हमने कोशिश की है कि कल्याणकारी कार्यों पर ही हमारा खर्च हो। यह बात सही है कुछ काम ऐसे भी हो सकते हैं जिससे कि केवल कुल मिलाकर व्यक्ति का कल्याण तो नहीं होता हो, राज्य का कल्याण हो सकता है। यह बात सही है, श्रीमान्, एक अकल्याण तो जरूर हो रहा है और उसको मैं आपके सामने बहुत चौड़े में इस सदन के सामने एडमिट करके चलना चाहता हूँ श्रीमान्, चूँकि हमारे विकास के काम तो बहुत तेजी के साथ चल रहे हैं, खेती बाड़ी का, उद्योगों का, सिंचाई का, बिजली का नया प्रारूप हमारे सामने है, जो राजस्थान को बहुत आगे ले जायेगा इसलिए राजस्थान का कल्याण तो हो रहा है, राजस्थान की सारी जनता का कल्याण तो होगा लेकिन विरोधी दल के सदस्यों का अकल्याण होने वाला है, इसमें किसी को कोई शक नहीं रहना चाहिये। श्रीमान्, अगर इस बात को समझ सकते कि एप्रोच क्या होती है और स्ट्रक्चरल एप्रोच क्या होती है तो उनको बहुत आसानी होती। निश्चित रूप से हमने इस बात की कोशिश की है कि अब सेक्टरल अप्रोच रोककर हम स्ट्रक्चरल अप्रोच पर चले जायें और यह दिशा निर्देश भारत सरकार की योजना कमीशन से हमको प्राप्त हुआ, हमारी नेता इन्दिरा गांधी से हमको प्राप्त हुआ है। ये ऐसे तबके हैं जो अब तक ऊपर नहीं उठ पायें हैं, जिस दिशा में कल्याण होना चाहिये था, उसी दिशा में नहीं हो पाया था इसलिए हम अब सेक्टरल अप्रोच छोड़कर हम स्ट्रक्चरल अप्रोच, श्रीमान्, यह केवल राजस्थान में नहीं सारे हिन्दुस्तान के लिए योजना बनी हैं, उसमें एप्रोच किया गया है और माननीय सदस्य कोई भी कष्ट कर लेते छठी योजना को पढ़ने का, उसका प्रारूप पढ़ने का तो उनको कहने की यहां आवश्यकता नहीं पड़ती लेकिन मैं जानता हूँ कि वह जरूर इस बात को कहते, चाहे उन्होंने पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, कहने के लिए लिए कुछ कहना था इसलिए उन्होंने कह दिया। इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ कि वह चाहे कुछ भी कहते रहें लेकिन हमारी दिशा निश्चित है, हमारा उद्देश्य निश्चित है, गरीबी को मिटाना है, बेकारी को मिटाना है और देश के अन्दर ऐसी अर्थ व्यवस्था कायम करनी है जो धीरे-धीरे चलकर विकसित होती चली जाय, इस सीमा तक होती चली जाय कि हम गरीबी और बेकारी उन्मूलन ठीक प्रकार से कर सकें इसलिए ऐसा ढांचा तैयार करना चाहते हैं जो आगे चलकर हमारे विकास कार्यों में सहायक हो। इसलिए बिजली पानी और खेतीबाड़ी की जो योजनायें बनायी हैं लगभग 2/3 हिस्सा सारी मदों का उस पर खर्च करना है क्योंकि बहुत सारे उद्योग ऐसे हैं, देखने में जो कृषि पर आधारित नहीं लगते लेकिन कृषि पर आधारित हैं। श्रीमन्, क्या कपास का कोई कारखाना खेत में बिना कपास पैदा किए हुए हो जायेगा, कोई खाद का कारखाना जब तक खेती का काम करने वाला किसान उसका उपयोग नहीं करेगा तब तक चल पायेगा क्या? श्रीमन्, इसी प्रकार से और बहुत उद्योग खेतीवाड़ी पर आधारित हैं। अगर उनका उपयोग खेतीबाड़ी में नहीं होगा तो वे चल पायेंगे? इसलिए हमने इस बात की कोशिश की है कि एग्रो बेस्ड इण्डस्ट्रीज

(94)

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

ज्यादा से ज्यादा बढ़ें क्योंकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था ज्यादातर खेती पर निर्भर करती है। इसलिए हमने कोशिश की, केवल 2/3 सारी योजना का खर्च होने वाला है, वह खेती बाड़ी पर खर्च हो, गांव के विकास पर खर्च हो, क्योंकि हमारे देश के अन्दर, हमारे प्रान्त के अन्दर अधिकांश लोग गांवों में रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है, कई बार कहीं सही भी है, क्योंकि उनकी पार्टियां सारी की सारी कुछ शहरों में काम करती हैं इसलिए गांव की तरफ वह सोच भी नहीं सकते। गांव की तरफ तो हमको ही सोचना चाहिये, गरीब की तरफ हमको ही सोचना पड़ेगा, गाँवों की तरफ हमको ही सोचना है और पिछड़े तबको की ओर हमको ही सोचना पड़ेगा। और ऐसे व्यक्ति जो निराश्रित हैं, उनकी तरफ तो हमको ही सोचना पड़ेगा। इस बात को ध्यान में रखकर यह प्रारूप तैयार किया गया है।

श्री मेघराज तावड़ : पिछड़े तबकों पर गोली चलती है।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : श्रीमन्, एक बात और बहुत जोर के साथ की गयी कि घाटे का बजट पेश किया गया है और घाटा बढ़ता ही जाता है।

(व्यवधान)

बजट घाटे का है, यह बात तो हमने जबानी नहीं लिखित रूप में पेश की है क्योंकि हम घाटे का बजट पेश कर रहे हैं। मैंने स्वयं अपने भाषण में, बजट भाषण में कहा कि घाटे का बजट है लेकिन घाटे की पूर्ति के लिए जो कुछ हमको करना है, वह भी इस बात के अन्दर है। श्रीमन्, मैं जानता हूं घाटे का बजट बढ़ाने के लिए, घाटे का बजट नहीं हो इस बात का प्रारूप तैयार करने के लिए क्या किसी विरोधी दल के माननीय सदस्य ने कोई सुझाव दिया ? मुझे खुशी है इस बात की आज ये हिम्मत दिखायी, आज ये खूबी दिखायी तो कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने दिखायी कि जो आवश्यक हो तो यथासंभव जितने हमारे गरीब भाई-बहन बर्दाश्त कर सकें, कुछ थोड़ा बहुत टैक्स भी लगाना चाहिए। यह हिम्मत दिखायी कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने। मैं आशा करके चलता था कि घाटे का बजट नहीं रहे ऐसा कोई सुझाव आये लेकिन घाटे के बजट में कैसे टैक्स लगाते, श्रीमान् ? आपको मालूम है लगातार अकाल पड़ रहा है जिसकी वजह से खेती-बाड़ी और उद्योग का उत्पादन घट रहा है तो क्या हम अकाल से पीड़ित जनता पर कोई नया टैक्स लगाते ? क्या श्रीमन् हमने जो विकास के कार्यों में बहुत सारी योजनायें तैयार की हैं, उनके लिए हम प्रावधान नहीं करते ? क्या, श्रीमन्, आगे आने वाले समय के लिए हमारी पीढ़ी किस प्रकार से बिजली-उपयोग, पानी-उपयोग, सिंचाई-उपयोग, स्कूल-उपयोग, अस्पताल-उपयोग करे, इसके दिशा निर्देश नहीं देते, ये सब कुछ करने हैं तो हमको देखकर चलना जरूरी था।

आज हम टैक्स लगाते तो गरीब जनता पर बोझ पड़ जाता, उस समय भाषण वहाँ से क्या होता, मुझे मालूम है। यह भी कहा जाता कि कमर तोड़ मंहगाई है, कमर

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

तोड़ महंगाई के अन्दर कमर तोड़ टैक्स लगा दिये गये हैं। श्रीमन्, जहां आवश्यक होता है, वहां टैक्स भी लगाये जाते हैं, इस बात से मैं इन्कार नहीं करता लेकिन ऐसा बजट मैं भी नहीं लाना चाहता था जिस प्रकार के टैक्स विरोधी दल के सदस्य, जब यहां पर विराजमान थे, उन्होंने यहां पर लगाये थे, जिस प्रकार से बेरहमी के साथ जनता पर कड़े टैक्सों का बोझा लादा था उन्होंने, आज उसी की मार से गरीब जनता ग्रस्त है। इसीसे हमने राहत देने की कोशिश की। जब लोगों को आमदनी न हो, अकाल पड़ा हुआ है, हम व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे मौके पर और टैक्स का बोझ डालना मैं ठीक नहीं समझता था। इसलिए इसमें कोई टैक्स नहीं लगाया हैं। श्रीमन्, इसी तरह से उन्होंने और बातों के साथ-साथ राजस्थान कैनाल के निर्माण की भी चर्चा की। चूंकि मैं प्रश्न के उत्तर में बहुत खुलासा बहुत बार दोहरा चुका हूं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि उसको दोहराकर आपका समय लूं। मैं इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि साधनों के अभाव में राजस्थान कैनाल का काम हरगिज नहीं रुकने दिया जायेगा, न अवरुद्ध होने दिया जायेगा। इसकी कोशिश रहेगी कि इसको आगे तेजी के साथ बढ़ायें। श्रीमन्, दो तीन पाइन्टों, फिर मुझे कोई आश्चर्य नहीं केवल दुःख है, अगर राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों की ओर ध्यान दिलाया तो केवल कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने दिलाया। विरोधी पार्टी के सदस्यों का ध्यान आने का सवाल पैदा होता नहीं क्योंकि एप्रोच इस प्रकार का नहीं। एक बात मेरे दल के सदस्य ने पूछी, पलाना के बारे में। मैं उनको इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक पलाना का थर्मल पावर स्टेशन निर्मित करने का सम्बन्ध है, सेन्ट्रल कैपेसिटी अथोरिटी कमेटी द्वारा इस स्कीम की टैक्नो इकोनोमिक मन्जूरी दी जा चुकी है। इस सम्बन्ध में इण्डो जी. डी. आर. जोइन्ट कमीशन के साथ विचार-विमर्श चल रहा है। राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल में इस हेतु अगले वर्ष के बजट में कुछ प्रावधान भी किया है और इस स्कीम को कार्य रूप में परिणित करने के लिए आगे पूरे-पूरे कदम उठायेगा। श्रीमन्, एक बात और मजे की विरोध पक्ष की ओर से आयी कि इस बार जो संस्थागत ऋण प्राप्त नहीं हुआ है, राजस्थान को, श्रीमन्, मुझे कहते हुए केवल दुःख है, ताज्जुब नहीं कि यह बात उन्होंने परम्परा के रूप में दोहरायी, क्योंकि अगर इसको ठीक तरह से उन्होंने पढ़ने का कष्ट नहीं किया तो गवर्नर के भाषण को पढ़ सकते थे, गवर्नर के भाषण को नहीं पढ़ा तो कम से कम रोज अखबार तो पढ़ते ही हैं, तो उनको मालूम पड़ जाता कि संस्थागत कितना ऋण प्राप्त हो रहा है, वह पहले सालों की तुलना में कई गुना है।

इसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि वर्ष 80-81 में संस्थागत वित्त 225 करोड़ रुपया संस्थागत वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त हुआ और मैं 78–89 से जब कि उनकी सरकार थी, उससे जब इसकी तुलना करता हूं तो वह 77 प्रतिशत अधिक है। उनकी सरकार थी उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा

(96)

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

सभी वित्तीय संस्थाओं को, चाहे वह रिजर्व बैंक आफ इंडिया हो, चाहे फाइनेंशियल कॉरपोरेशन आफ इंडिया हो, चाहे आई डी. बी. आई हो, चाहे एल आई. सी. हो, चाहे वह यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया हो, मैं स्वयं बम्बई गया था और उन सभी संस्थाओं के अध्यक्षों और अधिकारियों से मैंने खुद ने मुलाकात की थी और मुलाकात कर निवेदन किया था। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बावजूद इस बात के कि यहां पर अकाल की स्थिति है, बावजूद इसके कि वे जानते थे कि इस वर्ष राजस्थान की री-पेमेंट करने की क्षमता नहीं है, उन्होंने बड़ी कृपा की, इन वित्तीय व्यवस्थाओं ने संस्थागत वित्त देने का प्रावधान किया है। कुछ प्राप्त हो गया है, कुछ प्राप्त हो रहा है। मैं आशा करके चलता हूं कि माननीय विरोधी दल के सदस्य आगे से इस बात का ध्यान रख कर चलेंगे कि कोई भी बात कहें तो थोड़ा सा आंकड़ों को पढ़ लिया करें।

श्रीमन्, टैक्स रेवेन्यू की बात बहुत जोरों से उठाई गई। मैं बहुत आंकड़ों के जाल में जाना तो नहीं चाहता था लेकिन केवल एक आंकड़ा पेश करके निवेदन करना चाहता हूं कि यह सरकार, आज की सरकार पिछली सरकार से इस मामले में भी आगे है। 77-78 में 256 करोड़, 78-79 में 289 करोड और 79-80 में 374 करोड़ रुपया टैक्सों से प्राप्त हुआ था गई सरकार को लेकिन आज की सरकार ने जो अनुमान लगाया है वह लगाया है 392 करोड़ रुपयों का जो प्राप्त होगा, जो कि तीनों सालों के अनुपात में और रकम के अनुपात में भी ज्यादा है। इसलिए उनका यह कहना कि टैक्स रेवेन्यू बहुत कम आई, यह बिल्कुल निराधार है। यह बात सही है कि जितनी आशा करते थे उतनी नहीं हुई। उसके अनेक कारण हो सकते हैं जिनको माननीय सदस्य स्वयं बता चुके हैं कि अकाल की स्थिति के कारण व बिजली पूरी नहीं मिली। बिजली पूरी नहीं मिली तो हमारे कारखाने नहीं चले। कारखाने नहीं चले तो जितना टैक्स हमको मिलना चाहिए था वह नहीं मिला। आगे हमारी कोशिश यह रहेगी कि आगे चल कर धीरे-धीरे करके बढ़ाया जावे। लेकिन बजाय इसके कि हम टैक्सों का बोझ गरीब जनता पर लादें हमारी कोशिश यह ज्यादा रहेगी कि जो अभी तक वर्तमान टैक्सों की व्यवस्था है उसके मुताबिक ज्यादा से ज्यादा हम उगाई करें जिससे कि राज्य के खजाने में जिस अनुपात में जिस प्रकार से कमी रह गई है वह पूरी कर सकें और योजनाओं का खर्चा बढ़ा सकें।

श्रीमन्, एक बात नान-टैक्स रेवेन्यू के बारे में कही गई। फिर मैं आंकडों के जाल में जाना नहीं चाहता। मैंने तो स्वयं ने इस बजट स्पीच के अन्दर इंगित कर दिया है कि इस सैक्टर के अन्दर हमको विचार करना पड़ेगा। क्या विचार हम करेंगे, ऐसा मैं मानता था कि अभी तक तो विरोधी दल के माननीय सदस्य केवल राजनीतिज्ञ हैं, यह तो मुझे आज ही पता लगा कि अन्तर्यामी भी है ज्योतिषी भी हैं। पहले ही कह रहे हैं कि हम बिजली पर टैक्स

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

बढ़ायेंगे, ट्रान्सपोर्ट पर टैक्स बढायेंगे हाउस होल्ड पर टैक्स बढ़ायेंगे। बहुत मजे की बात है, श्रीमान्, अगर सारी की सारी बातें हमारी वही जानते हैं तो अगली बार आप ही पूछ कर बता दीजिए कि हम क्या क्या करने वाले हैं तो उनको भी कष्ट करने की आवश्यकता नहीं रहेगी और हम भी समय बर्बाद नहीं करेंगे। इसलिए मैं उनसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस प्रकार से यहां पर गलत बातें कह कर राजस्थान की जनता को गुमराह करने की कोशिश नहीं करें। मैंने स्वयं ने अपने बजट भाषण में कहा है कि आवश्यक होगा वहां पर इस सैक्टर में जायेंगे और इस बात की कोशिश करेंगे कि हमारी योजनायें किसी प्रकार से न केवल ठप्प होने से बच सकें बल्कि आगे जाकर बढ़ती चढ़ती जावें।

श्रीमन्, हमारी बहुत सारी बातों को उन्होंने यह कहकर झुठलाने की कोशिश की कि हम कहते ही कहते हैं, करते कुछ नहीं। आंकड़े देते हैं उसके विपरीत ही होते हैं। अब वे हैं नहीं इसलिए मैं अब ज्यादा क्या कहूं। एक एक चीज के आपको आंकड़े पेश करके बता देता हूं कि उनके समय में जो कुछ उन्होंने कहा था उसको कितना पूरा किया? श्रीमन्, 79-80 के बजट भाषण में यह कहा गया था, जिस समय वे लोग बैठे हुये थे, प्रत्येक पंचायत समिति में कम से कम दो डिस्पेंसरीज और एक एड-पोस्ट अथवा तीन डिस्पेंसरीज स्थापित की जा चुकी हैं। यहां कहा था–की जा चुकी हैं। यह 79-80 में कहा था जब कि वे यहां पर विराजमान थे और हमारे माननीय सदस्य वहां पर विराजमान थे। इससे बढ़कर भ्रांतिपूर्ण और निराधार बात दूसरी हो नहीं सकती क्योंकि यह व्यवस्था तो सब जगह आज भी नहीं है। अगर आज वह यहां पर नहीं है, वह व्यवस्था आज नहीं है तो उस समय जब आप सरकार में विराजमान थे, क्या हमने डिस्पेंसरियां तोड़ दी हैं, एड पोस्ट हटा दिये हैं। हमने तो, श्रीमन्, न तो डिस्पेंसरीज हटाईं और न एड पोस्ट हटाई। इससे साफ है कि कितने झूठे आंकड़े वे दिया करते थे, यह प्रत्यक्ष प्रमाण है इस बात का मैं आशा करके चलता हूं कि विरोधी दल के सदस्य आगे से इस बात का भी ध्यान रख कर चलेंगे।

श्रीमन्, एक बात और कही, मैं आपका बहुत समय नहीं लूंगा, यहां पर कहा गया कि नगरपालिकाओं को जो अनुदान दिये गये हैं वह केवल दो को ही दिए। नाम लेकर कहा गया कि मुसावर और बैर को दिए गए। मेरे पास सूची है, मैं बताना चाहता हूं कि कुल मिला करके 68 नगर-पालिकाओं को अनुदान दिया गया है और 21 जिलों में फैली हुई हैं ये संस्थायें, नगर पालिकायें। केवल मुसावर और बैर का नाम ले करके लोगों को गुमराह करने के लिए कि सारे कार्य मेरे क्षेत्र में ही हो रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा क्षेत्र तो अब सारा राजस्थान है। मेरी कोशिश इस बात की है कि राजस्थान का किस तरह से विकास हो? मैं पहले भी कह चुका हूं और हमारे स्वास्थ्य मन्त्रीजी भी कह चुके हैं और मैं यह बात फिर कहना चाहता हूं कि मान लें कि कहीं पर विकास के काम कम हुए हैं, नहीं हुए तो हमारी

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

कोशिश यह होगी कि जहां पर अनुपात में कम हुए हैं वहां पर अनुपात में ज्यादा से ज्यादा हों। इससे जो बैलेंस बिगड़ गया है उसको ठीक किया जा सके। लेकिन इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, एरिया को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, आबादी को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, आवश्यकता को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। वे हमसे पूछना चाहते हैं कि क्या मापदण्ड है ? क्या सारे के सारे जो मेरे पास आंकड़े हैं उसके मापदण्ड की व्याख्या करूं कि जिस समय वे मुख्य मन्त्री थे कोटा के अन्दर कितने खोले गये थे ? इस बात की व्याख्या करूं कि उनके मिनिस्टरों के क्षेत्र में कितने खोले गये थे। मैं इस सम्बन्ध में इस समय इतना ही कहना चाहता हूं कि यह राजनैतिक दृष्टिकोण से उन्होंने सोचा होगा, हम राजनैतिक दृष्टिकोण से सोचने वाले नहीं हैं। हम तो राजस्थान के विकास के दृष्टिकोण से सोचने वाले हैं। मैं फिर दोहरा रहा हूं जो स्वास्थ्य मंत्रीजी ने दोहराया था कि कहीं पर कोई कमी रही है, यह स्वाभाविक है, जो मैंने क्राइटेरिया आपको बताया है, उसके अनुसार इस बात की कोशिश की जावेगी कि जहां पर अस्पताल पहले खुले हैं वहां पर पहले नहीं खुलें। अगले वर्ष में उन क्षेत्रों में खुलें तो मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि इससे सारा का सारा बैलेंस हमारा ठीक हो जाएगा। मैं आशा करके चलता हूं कि माननीय विरोधी दल के सदस्य, श्रीमन्, कहना बेकार है क्योंकि उनको तो मौका मिलने वाला नहीं है सरकार में आने का। मैं आपसे फिर प्रार्थना करना चाहता हूं और अपने सदस्यों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि धीरज रखें और इस बात का इन्तजार करें, समय आएगा जब कि बहुत जल्दी ही यह बैलेंस पूरा हो जाएगा।

श्रीमन्, एक बात अभी और कही गई शिक्षा के मामले में कि हम पीछे छूटते चले जा रहे हैं। जैसा आप जानते हैं, चाहे वह दूसरे प्रान्तों की सरकार हो या इस प्रान्त की सरकार हो, पहले साल के अन्दर और आखिरी साल के अन्दर हर सरकार की कोशिश ज्यादा से ज्यादा काम करने की रहती है लेकिन हमारी कोशिश यह नहीं है। हम हर वर्ष विकास करना चाहते हैं। इसलिये हमारे स्कूलों की तादाद में चाहे कमी हुई हो लेकिन उस अनुपात में कमी नहीं की जितनी उन्होंने की। मैं आकड़े देना चाहता हूं 77–78 में अपर प्राइमरी उन्होंने खोले, श्रीमान् आंकड़ा ही ऐसा है, फोर ट्वन्टी, चार सौ बीस। मेरे खयाल से माकूल ही आंकड़े हैं उनके लिए। और श्रीमन्, 78-79 में वह घट कर रह गये। 312 और उसके बाद में वह टिका ही नहीं उनका आंकड़ा। 78-79 में केवल 150। श्रीमान, अब यह 420 के मुकाबले में 150 ज्यादा हैं या कम इस हैं बात का सलाफ उनसे करा लें। मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि धीरे-धीरे करके जो विकास के काम उन्होंने बन्द किये थे हमने इन बातों को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, कर रहे हैं। मैं आशा करके चलता हूं कि इस बात का भी वे ध्यान रख कर चलेंगे कि जो कुछ वह कहें उसको पहले देख लिया करें।

अब, श्रीमान्, एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा जो सदन के अन्दर और सदन के बाहर

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

हुई वह है बिजली की उपलब्धि के बारे में। बहुत गंभीर संकट है। जैसा आप जानते हैं कि राजस्थान अधिकांशतः दूसरे प्रान्तों पर निर्भर करता है, दूसरे स्रोतों पर निर्भर करता है। मैं मान कर चलता हूं कि जितनी उपलब्धि होनी चाहिए उतनी नहीं हुई। मैं यह भी मान कर चलता हूं कि किसानों को बहुत कठिनाई हुई। औद्योगिक क्षेत्रों में जहां हमने बहुत ही जरूरी समझा वहां दे पाए। भारत सरकार के आदेशों की भी पालना कई बार नहीं कर पाये लेकिन वस्तु-स्थिति से उनको अवगत कराते रहे कि उपलब्धि कम है। इसलिए जो कुछ है उसको हम बांट कर देना चाहते हैं और जो कुछ अभी तक हुआ और उससे जो किसान भाइयों को, मजदूरों को नुकसान हुआ उसके लिए तो हमको दुःख है लेकिन हमारी कोशिश यही रही कि बराबर जैसे जैसे मांग आती रहे, जब जब उपलब्धि रहे उसके अन्दर ही बिजली की उपलब्धि को बढ़ाते ही चले गए, बढ़ाते ही चले गए। मुझे याद पड़ता है कि चार से पांच, पांच से छः और छः से आठ घन्टे हमने किया था। आज बिजली की उपलब्धि काफी हो रही है। मैं समझता हूं कि विरोधी दल के सदस्य होते तो शायद उनको सुन कर अच्छा नहीं लगता लेकिन आज हमने इस बात की कोशिश की है कि पिछले एक सप्ताह से बिजली के स्विच ओन हैं खेती बाड़ी के काम के लिए। लेकिन चूंकि यह व्यवस्था आगे चलती रहे इस बात को कायम रख कर चलना चाहते थे औरभारत सरकार से पूछना चाहते थे, अब हमको ऐसा लगता है कि यह व्यवस्था कायम रहेगी। अगर यही व्यवस्था कायम रही तो यों तो किसानों के लिए हम बिजली बराबर खुली रखेंगे, जिस समय चाहें खोल लें लेकिन आठ घन्टे के बजाय 12 घन्टे निश्चित रूप से रोजाना बिजली दी जाएगी। श्रीमन्, 8 घन्टे से 12 घन्टे की जब मैं चर्चा करता हूं तो मैं जानता हूं कि दोनों बातों में विरोधाभास की बात विरोधी दल के सदस्य कह सकते हैं। एक तरफ तो मैं कहता हूं कि 24 घन्टे खुली रहेगी और दूसरी तरफ कह रहा हूं कि 12 घन्टे निश्चित दी जायगी। श्रीमन्, मैं सतर्कता के साथ बोलना चाहता हूं उनकी तरह निराधार बातें नहीं कहना चाहता हूं। क्योंकि कल को व्यवस्था में गड़बड़ हो सकती है, और भी कोई मामला आ सकता है इसलिये लोगों को आशा बंधा दूं और आधा भी काम न हो यह तो उन्होंने किया था, यह परम्परा मैं सदन के अन्दर कायम नहीं करना चाहता हूं। जो बात सरकार के मुंह से निकले वह बात पूरी होनी ही चाहिये। क्योंकि यह सरकार जनता की चुनी हुई है, जनता के लिये है, और जनता के कल्याण के काम करने हैं। उसको भुलावे में डालकर नुकसान नहीं कर दें, इसलिये हमने सारा हिसाब किताब लगाने के बाद यह निश्चय किया है कि 12 घन्टे की एश्योर्ड सप्लाई रहेगी और जब जब उपलब्धि ज्यादा होगी निश्चित रूप से वृद्धि खेतीबाड़ी के लिये होगी। एक प्रश्न उठाया जा सकता है। मान लो इस व्यवस्था में गड़बड़ी हो जाय तो क्या होगा ? श्रीमान्, मैं इसका भी जवाब दे देना चाहता हूं। अगर व्यवस्था में गड़बड़ी आयी तो हम उद्योगों के लिये और अनावश्यक कार्यों के लिये जो बिजली दे

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

रहे हैं उसमें कटौती होगी लेकिन खेतीबाड़ी करने के काम में बिजली की कटौती नहीं करेंगे यही मुझे निवेदन करना है। श्रीमन् मेरे पास और कई पाइन्ट हैं जो विरोधी दल के माननीय सदस्य उठाकर यहां से चले गये, वह सुनने के लिये सदन में नहीं हैं, इसलिये मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता हूं। तीन चार दिन लगातार माननीय सदस्यों ने बैठ कर अपने विचार व्यक्त किये, उनका मैं स्वागत करता हूं। और कई पाइन्ट्स हैं जिनका मैंने जवाब नहीं दिया है, मैंने नोट किये हैं, सरकार एग्जामिन करेगी और इस बात की कोशिश करेगी कि राजस्थान के विकास के लिये, पिछड़े वर्गों के लिये, पिछड़े क्षेत्रों के लिये जहां विकास के काम नहीं हुए उनको तेज गति के साथ चलाया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना): अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैंने अपने भाषण में एक बात निवेदन की थी कि सूती कपड़ा उद्योग को बिजली देने के बारे में जो 16 फरवरी को आपने गजट नोटिफिकेशन किया उसमें क्या विशेष कारण थे ? इस पर मुख्य मंन्त्री जी ने जवाब नहीं दिया। दूसरा आप लोग शांतिपूर्वक नहीं बैठ सके, आपको सदन का सम्मान करना चाहिये मुख्य मन्त्री जी जब विराजमान हों तो ट्रेजरी बैंचेज के लोग बाधा उत्पन्न करें यह बहुत बड़े शर्म की बात है।

दूसरी बात निवेदन की थी कि जो मुख्य मंत्री जी ने बजट भाषण में कहा कि फिलहाल कोई टैक्स नहीं लगा रहा हूं तो क्या आगे आने वाले समय में इस बजट में आर्डिनेंस के जरिये टैक्स लगाया जाएगा ? एक मेरा निवेदन है कि शराबबंदी हटाने के बारे में भी कुछ हिन्ट्स दिये थे। उसके बारे में शराबबंदी पर से पाबन्दी हटायी जाये जिससे राजस्थान को करोड़ों रुपये की क्षति हो रही है वह भी दूर हो सके। इन तीन बातों पर जवाब दे दें।

श्री मेघराज तावड़ : एक हमने यह रखा था कि दूसरे राज्यों की तरह गरीबों पर बहुत पुराने कर्ज बैंकों व समितियों के हैं इस पर मुख्य मंत्री ने प्रकाश नहीं डाला।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने यह बताया कि मैंने एक एक माननीय सदस्य के सुझाव और बातें नोट की हैं। मैंने कल शाम को 2-3 मुख्य मुद्दों पर अपने विचार रखे थे जिससे राजस्थान की नान टैक्स रेवेन्यू बढ़ सके। इस संबंध में मुख्य मंत्रीजी ने कुछ नहीं बताया।

श्री अध्यक्ष : मुख्य मन्त्री ने यह कहा है कि मैंने नोट किये थे। उन्होंने यह नहीं कहा कि एक एक का उत्तर दूंगा।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं अर्ज कर रहा हूं ऐसा मुद्दा है जिस पर उनकी ओर से विचार जानना चाहूंगा। राजस्थान में चार क्षेत्र ऐसे बताये माइनिंग के जिनमें करोड़ों का घोटाला हो रहा है और खनन

(श्री रतनलाल ताम्बी)

हो रहा है। जिससे गवर्नमैंट को रायल्टी और पैनल्टी का नुकसान नहीं रहा है। उदाहरण के तौर पर मैंने निवेदन किया........

श्री अध्यक्ष: भाषण और उदाहरण नहीं दिये जायेंगे। आपने ध्यान आकर्षित कर दिया। श्री चतुर्भुज।

श्री रतनलाल ताम्बी: दूसरा मैंने निवेदन किया जयपुर शहर में बड़े शहरों मे खेती के आसपास की जमीन को बड़ी मात्रा में सहकारी समितियों के जरिये व्यक्तिगत तौर से सामान्य से दर खरीद कर ऊंची दरों पर प्लाट बेचे जा रहे हैं। राज्य सरकार क्यों नहीं इस प्रकार की योजना बनाकर जमीन को स्वयं खरीदकर सस्ती दरों पर प्लाट उपलब्ध कराये ?

श्री अध्यक्ष: आर्डर आर्डर। आसन पैरों पर है। कृपया बिराजिये। मुख्य मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उसमें से यदि कोई प्रश्न उठता है तो पूछें। किन किन माननीय सदस्यों ने चार दिन के वाद विवाद के दौरान कौनसी बात उठायी ? उसके बारे में मुख्य मंत्री जी एक एक का जवाब दें यह संभव नहीं है। कोई नीति संबंधी मुद्दा हो जैसे एक दो आये भी हैं, इस तरह के प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है। इसके ऊपर दुबारा चर्चा शुरू नहीं होगी। मैंने यह कहा और कोई अन्य माननीय सदस्य कहें कि मैंने यह कहा, इस तरह की बात नहीं उठायी जाये।

श्री चतुर्भुज।

श्री चतुर्भुज (टोडाराय सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने जो कुछ सदन में कहा है मुझे उस पर विश्वास है। मैं एक सुझाव के तौर पर तीन चार तहसीलों के जीवन के बारे में सुझाव देना चाहता हूं। बजट भाषण में भी सुझाव दिया था। बनास नदी परियोजना अगर हाथ में नहीं ली तो अजमेर और नसीराबाद को पीने के लिये वहां से पानी जाता है। अगर बिसलपुर योजना को लागू नहीं किया गया तो पानी का संकट हो जायगा। इसे हाथ में लेना बहुत जरूरी है।

श्री अध्यक्ष: आर्डर, आर्डर। भाषण नहीं। अब ज्यादा माननीय सदस्यों को अनुमति नहीं दी जायगी।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया (रतनगढ़): मैंने 1981-82 के आय-व्ययक के समय निवेदन किया था कि जो रियायतें दी हैं उसके लिये धन्यवाद के पात्र हैं। उसमें एक बिन्दू यह भी था कि लकड़ी से बनी हुई हाथ से चलने वाली गाड़ी को कर मुक्त किया है उसके लिये भी धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में, अध्यक्ष महोदय, आप अच्छी तरह से समझते हैं सड़के नहीं हैं बालू व रेत है, वहां हाथ से चलने वाली लकड़ी की गाड़ी नहीं होती। इसलिये मेरा निवेदन है कि लकड़ी से बनी हुई गाड़ी जो पशु चलित है, को भी कर मुक्त किया जाये। यदि इसमें कोई विशेष खर्चा या बजट को नुकसान नहीं होता हो तो मुख्य मन्त्री जी इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर सकते हैं। यही मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: मुख्य मन्त्री जी। आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, लम्बी चर्चा नहीं होगी।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया: श्रीमान्, मैंने पहले निवेदन किया सब बातों का जवाब देना आवश्यक हो तो बहुत लम्बा समय लगेगा। आपकी इजाजत हो तो मैं दे सकता हूं। अभी अलग-अलग विभागों की मांगें आपके सामने प्रस्तुत होंगी, उस समय माननीय सदस्य विचार व्यक्त कर सकते हैं। हमारे विभागों में मन्त्रीगण जवाब देंगे। मैं निवेदन कर रहा हूं कि सारे पाइन्ट नोट किये हैं, सबका जवाब नहीं दिया है। जवाब देने लगूं तो बहुत समय लगेगा। उचित तो यह रहेगा कि जिन्होंने यहां बातें कही हैं वह सामने रहते। यहां तो मेरे मन्त्रियों की आंख की चर्चा की है, टांग की चर्चा की है। जब मैंने चक्की पर टैक्स छोड़ा तो बजाय इसके विरोधी दल के सदस्य तालियां बजा कर इस खुशी का इजहार करते कि टैक्स छोड़ दिया, जब मैंने पिछली बार उद्योगों का छोड़ा तो तालियां बजाई थी, समझ में नहीं आता, मुझे संकोच होता है, इस प्रकार की बात करना सदन में बेतुका लगता है कि छोटी चीजों पर टैक्स छोड़ दिया। हमने अच्छा ही किया कोई बुरा तो नहीं किया। लेकिन जो कुछ माननीय सदस्य ने कहा है कि ऊंट से चलने वाली गाड़ी रेगिस्तान में काम आती है, सुझाव अच्छा है, मैं स्वागत करता हूं सरकार इस पर विचार करेगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, वाद विवाद नहीं होगा। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, एक नीति सम्बन्धी प्रश्न है। श्रीमान्, माननीय विरोधी दलों में से एक ही विरोधी दल मौजूद है। उसके दो चार प्रश्न है, उनका उत्तर मुख्य मन्त्री दे सकते हैं।

श्री खेतसिंह राठोड़ : आप कौन से विरोधी दल में है ?

श्री अध्यक्ष : अनुदान की मांगों पर विचार। मांगें प्रस्तुत की जायेंगी।

श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर।

अनुदान की मांगें

मांग संख्या 19, लोक निर्माण कार्य, मांग संख्या 21, सड़कें एवं पुल मांग, संख्या 41 सामुदायिक विकास

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 19–लोक निर्माण के कार्य के संबंध में 31 मार्च, 82 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 41,66,33,000) तक की राशि प्रदान की जाय।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 21 सड़क व पुल के संबंध में 31 मार्च, 82 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को 44,01,92,000) तक की राशि प्रदान की जाय।

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग सं. 41 सामुदायिक विकास के संबंध में 31 मार्च, 82 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 6,10,30,000) तक की राशि प्रदान की जाय।

मांग संख्या 19 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 19 मुख्य शीर्षक लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपये कम कर दिया जाय।

डॉ. उजला अरोड़ा (जयपुर, ग्रामीण) :

1 सार्वजनिक निर्माण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) :

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) :

2 सार्वजनिक निर्माण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) :

3 सार्वजनिक निर्माण विभाग में ठेकेदारी प्रथा समाप्त कर दिये जाने से काम के घटते हुए स्तर पर चर्चा के लिये।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) :

4 लोक निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

श्री हंसराज शर्मा (सवाईमाधोपुर) :

5 लोक निर्माण कार्य विभाग संबंधी कुछ असंगतियों पर चर्चा के लिये।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) :

6 सिकराय क्षेत्र के चिकित्सा विभाग के क्वार्टर्स के निर्माण में सार्वजनिक निर्माण विभाग की शिथिलता के कारण राशियों के लैप्स होने की आशंका पर चर्चा के लिये।

श्री सूर्यकुमार (नैनवा) :

7 नैनवा तहसील में लोक निर्माण द्वारा स्वीकृत कार्य अभी तक नहीं किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री जीतमल जैन (अलवर) :

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) :

8 सार्वजनिक निर्माण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्री जीतमल जैन (अलवर) :

9 सार्वजनिक विभाग में होने वाले अपव्यय को रोकने हेतु चर्चा के लिये।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) :

10 लोक निर्माण के कार्यों में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाये, इस पर चर्चा के लिये।

(104)

1 श्री रेवतराम चोधरी (डूंगरगढ़) :

2 श्री भालू खां (चूरू) :

11. लोक निर्माण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी) :

12. पंचायत समिति बायतू मुख्यालय पर पी० डब्लू० डी० डाक बंगला का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) :

13. राजस्थान के ग्रामीण अंचलों में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संचालित कार्यों की संतोषप्रद प्रगति नहीं है। इस पर चर्चा के लिये।

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) :

14. सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यों की प्रगति का जायजा लेने हेतु जनप्रतिनिधियों की एक समिति गठित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) :

15. विभाग द्वारा विभिन्न सरकारी भवनों का विस्तार व उनकी मरम्मत नहीं करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री दीपेन्द्रसिंह (श्रीमाधोपुर) :

16. श्री माधोपुर कस्बे में विश्राम गृह बनवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) :

17. लोक निर्माण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिये।

18. सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित कार्यों का जनप्रतिनिधि द्वारा निरीक्षण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) :

19. सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जिला बूंदी में मंदिरों की मरम्मत के लिये स्वीकृत राशि के उपयोग हेतु चर्चा के लिये।

श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल) :

20. विभागीय निर्माण कार्यों में होने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) :

21. लोक निर्माण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्री सी० पी० जोशी (नाथद्वारा) :

22. मुख्य अभियन्ता निर्माण विभाग भवन एवं पथ द्वारा ठेकेदारों से लिये गये एग्रीमेन्ट से राज्य कोष को लाखों रुपये की हुई हानि के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) :

23. लोक निर्माण कार्य के तहत चल रहे निर्माण कार्यों की एक प्रति संबंधित

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत)

क्षेत्र के जन प्रतिनिधियों को देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह) :

24. टोडारायसिंह व देवली क्षेत्र में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत चल रहे निर्माण कार्यों में शिथिलता के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) :

25. सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत चल रहे उदयपुर जिले के गोगुन्दा निर्वाचन क्षेत्र में निर्माण कार्य की गति धीमी है इस पर चर्चा के लिये।

26. सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत चल रहे उदयपुर जिले की गोगुन्दा निर्वाचन क्षेत्र के परिवार तथा गोगुन्दा पंचायत समिति में निर्माण कार्य जो अधूरा पड़ा उसे पूरा कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) :

27. सार्वजनिक निर्माण विभाग में अधिकारियों के मार्च मास में अत्यधिक स्थानान्तरों से कार्य में बाधा उत्पन्न होने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) :

28. सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत नीम का थाना क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्य में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) :

29. सार्वजनिक निर्माण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्री फतेसिंह (कुशलगढ़) :

30. सार्वजनिक निर्माण विभाग कुशलगढ़ क्षेत्र में विभागों के दफ्तरों व कर्मचारियों के ठहरने के स्वीकृत भवनों के निर्माण करने में असफल रही है। इस पर चर्चा के लिये।

श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल) :

31. भीनमाल डाक बंगला में तीन अतिरिक्त कमरे बनाने बाबत चर्चा के लिये।

मांग संख्या 21 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 21 मुख्य शीर्षक सड़कें एवं पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय।

डॉ. उजला अरोड़ा (जयपुर, ग्रामीण) :

1. जयपुर ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों की दुर्दशा पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) :

2. प्रतापगढ़ तहसील को अधूरी सड़कों को पूराकर उन पर डामर करवाने बाबत चर्चा के लिये।

(106)

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) :

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) :

3. आने वाले वर्षों में डामर की कीमत बढ़ने व कमी आने पर दूसरी वस्तु कार्य में लाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) :

4. ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की सुचारु व्यवस्था करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) :

5. बीकानेर डिवीजन की सड़कों की दयनीय दशा के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) :

6. सीकर तहसील में श्यामगढ़ से सीकर तक सड़क निर्माण कराने हेतु चर्चा के लिये।

7. सीकर तहसील में सिहासन, बेरो, तारपुरा गांवों को सड़कों से जोड़ने हेतु चर्चा के लिये।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) :

8. सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें एवं पुलियों के निर्माण में अवहेलना करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) :

9. सवाई माधोपुर क्षेत्र में नदियों पर पुल न होने से होने वाली परेशानियों पर चर्चा के लिये।

10. सवाई माधोपुर में बनास व चम्बल नदियों पर पुल निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राम किशोर मीणा (सिकराय) :

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) :

11. सिकराय क्षेत्र को रोहंड़ा की नदी व छोई नदी पर पुल के निर्माण न होने से जनता को होने वाली कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) :

12. कालाखो अम्बाड़ी से गेरोटा तक सड़क निर्माण कार्य को प्लान मद में शामिल न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) :

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) :

13. भाण्डारेज से बहरावण्डा सड़क की दुर्दशा पर चर्चा के लिये।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) :

14. सिकराय से बालाजी व गेरोटा से टोड़ाभीम तक सड़क निर्माण कार्य को योजना मद में शामिल न करने पर चर्चा के लिये।

15. सिकन्दरा से गोजगढ़ रोड की दुर्दशा पर चर्चा के लिये।

श्री यदुनाथसिंह (नदबई) :

16. सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण का मानस नहीं रखती है इस पर चर्चा के लिये।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) :

17. अड्सा से थांडाहेड़ा व चारचौमा से सोमल्या के सड़क निर्माण कार्य प्राथमिकता देकर पूरा करवाने बाबत चर्चा के लिये।

18. सांगोद तहसील के मुख्य मार्ग पर पड़ने वाली सिंध नदी पर पुलिया का निर्माण कराने बाबत चर्चा के लिये।

श्री सूर्यकुमार (नैनवा) :

19. नैनवां से टौंक वाया नगर, नैनवां से टौंक वाया धाडधुआं सड़क का निर्माण, देई से टबलाना के बीच में भजनेरी की नदी पर पुल तथा खटकड़ से केशोरायपाटन के बीच कुरल नदी पर बनी पुल को पर्याप्त रूप से ऊँची करवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जीतमल जैन (अलवर) :

20. अलवर शहर में बढ़ते हुये यातायात को देखते हुये रेल्वे स्टेशन पर ओवर हैड ब्रिज का निर्माण कार्य किया जावे इस पर चर्चा के लिये।

21. किशनगढ़ (अलवर) से मोठका तक निर्मित सड़क पर कटवालस, पुलिया एवं खुर्रे के निर्माण कार्य में घोटाले के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) :

22. 2000 की आबादी वाले हर ग्राम को सड़कों से जोड़ा जाये एवं सड़कों पर पुल बांधकर व्यवस्था की जाये। इस पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीशप्रसाद तिवाड़ी (बस्सी) :

23. 500 तक की आबादी वाले ग्रामों को सड़क से जोड़ा जावे। इस पर चर्चा के लिये।

श्री रेवतराम चौधरी (डूंगरगढ़) :

श्री भालूखां (चूरू) :

24. चूरू व डूंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र की सड़कों की दयनीय दशा पर चर्चा के लिये।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) :

25. सड़कों के निर्माण कार्य में विभागीय एवं सरकारी देखरेख की कमी तथा भ्रष्ट अधिकारियों के कारण निर्माण में हुये अपव्यय पर चर्चा के लिये।

26. पुलिया के निर्माण की तारीख अंकित करने एवं प्रत्येक पांच वर्षों में उनकी जांच करने की व्यवस्था की जाय।

इस पर चर्चा के लिये।

श्री कनकराज मेहता (सांचौर) :

27. भाव से सीवाड़ा तक सड़क निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव) :

28. बाड़मेर, जैसलमेर सीमान्त सड़कों को निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भूपालसिंह (निम्बाहेड़ा) :

26. सड़कें व पुलियाओं के निर्माण कार्य में हो रहे अपव्यय पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) :

30. ग्रामीण अंचलों में सड़कों का निर्माण अधिक किया जावे, इस पर चर्चा के लिये।

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) :

31. कई वक्त सड़कें तथा पुलियें बनाने का ठेका ठेकेदारों को दे दिया जाता है और अधिकारियों की देखरेख नहीं करने से सारी सड़कें और पुलिया बिलकुल बेकार बनती हैं क्योंकि उनमें पूर्णरूपेण डामर/गिट्टी मैटेरियल नहीं डालने से पूर्ण होने से पहले उखड़ने टूटते लगती हैं। इस पर चर्चा के लिये।

32. डग विधान सभा क्षेत्र को कुन्डला सड़क को दयनीय स्थिति पर चर्चा के लिये।

33. भवानीमंडी से पिड़ावा तक सड़क को मरम्मत करवाये जाने हेतु चर्चा के लिये।

34. सुनेल पाटन रोड अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है। इसे पूर्ण करवाये जाने हेतु चर्चा के लिये।

35. भवानीमंडी से झालावाड़ तक रोड़ डामर के अभाव में खराब हो रही है। अतः इसको मरम्मत करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) :

36. बालोतरा परगना में सड़कों की दयनीय दशा पर चर्चा के लिये।

37. बलोतरा नगर के दक्षिणी तरफ लूनी नदी पर पुल का निर्माण नहीं करवाने से बाढ़ आने पर रास्ता अवरुद्ध हो जाने से जनता को होने वाली कठिनाई के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री देवेन्द्रसिंह (बनेड़ा) :

38. ग्रामीण सड़कों का विस्तार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दीपेन्द्रसिंह (श्री माधोपुर) :

39. श्री माधोपुर निर्वाचन क्षेत्र की सड़कों की दयनीय दशा पर चर्चा के लिये।

40. श्री माधोपुर से अजीतगढ़ मार्ग पर ग्राम दिवराला के निकट सड़क की दयनीय स्थिति पर चर्चा के लिये।

41. अजीतगढ़ से हाथीदेह वाया हरदास का बास, हरिपुरा की सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

42. श्री माधोपुर से कावट वाया जोरावर नगर, काचरड़ा, कल्याणपुरा सड़क के संबंध में चर्चा के लिये।

43. रींगस में रेल्वे क्रासिंग पर पुलिया निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(श्री दीपेन्द्र सिंह)

44. श्री माधोपुर कस्बे में बाई पास रोड के निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

45. नांगल नाथूसर (सीकर) से गढ़ मोड़ तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

46. श्री माधोपुर (सीकर) से जागोद वाया ठालियावास सड़क निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

47. खेजरोली (जयपुर) से मूण्डरू (सीकर) के बीच सड़क निर्माण करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

48. श्रासपुरा सीकर से लिसाड़िय (सीकर) तक सड़क निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

49. महरोली (सीकर) से मूण्डरु (सीकर) वाया अरणिया के सड़क निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री धाराराम फुलवारिया (सिवाना) :

50. सिवाना क्षेत्र में सड़कों का निमर्ाण एवं लूणी नदी पर पुल बनाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) :

51. तहसील प्रतापगढ़ से मुंगाना, प्रतापगढ़ से निमच, अरनोद से दानपुर की अधूरी सड़कों को पूरा कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी) :

52. कोटा जिले को काचरों अन्ता सड़क, जुल्मी रामगंज मण्डी सड़क, सुकेत पीपल्या, पेरावाद चेचर वाया सिछड़ियां सड़कों का निर्माण कराने की आवश्यकता पर   ी के लिये।

53. कोटा जिले को अन्ता काचरी सड़क, जुल्मी रामगंज मंडी एवं सुकेत पीपल्या चेचर, एकलिंगपुरा सड़क एवं इस पर चेचर के पास को पुलियाएं, सड़कों की पुलियाएँ, डंण्डवा से छत्रपुरा तक की सड़क को पक्का कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा लिये।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) :

54. केशीरायपाटन क्षेत्र में गांवों को जोड़ने वाली सड़कों (Link roads) के निर्माण हेतु चर्चा के लिये।

55. केशोरायपाटन क्षेत्र में ग्राम मासोदा के पास चंबल नदी पर पुल निर्माण हेतु चर्चा के लिये।

56. केशोराय पाटन क्षेत्र में ग्राम जेथल के पास कूरल नदी पर पुल निर्माण हेतु चर्चा के लिये।

श्री महावीरप्रसाद जैन (टोंक) :

57. टोंक से सोनवा होते हुए नगर पीपल से राणोलीछ ान से साखना, भरनी से थली, गहलोद से नातड़ी तथा गहलोद से नानेर के लिये सड़कों का निर्माण कराने हेतु चर्चा के लिये।

58. गहलोद घाट से टोंक पर बनास नदी पर पुल के निर्माण एवं जयपुर कोटा रोड पर पुल निर्माण के हेतु चर्चा के लिये।

(110)

श्री समर्थलाल (राजगढ़) :

59. सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा राजस्थान में समान रूपेण सड़कों का निर्माण न करने के क्रम में चर्चा के लिये ।

60. राजगढ़ से रामपुरा की, पथ रोड मोड़ से मण्डावर की सड़क से जोड़ने हेतु चर्चा के लिये ।

61. राजगढ़ से जामडोली सड़क को डेरा होकर बांदीकुई से मिलाने के क्रम में चर्चा के लिये ।

श्री उम्मेदसिंह (डीडवाना) :

62. कोलिया से मकराना सड़क का निर्माण कराने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) :

63. ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की कमी के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्री श्री रामगोटेवाला (किशनपोल) :

64. जयपुर की सड़कों की दयनीय दशा पर चर्चा के लिये ।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) :

65. नसीराबद क्षेत्र में सड़कों व पुलों की अपर्याप्तता के बाबत चर्चा के लिये ।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) :

66. तहसील कोलायत, जि. बीकानेर में सड़क निर्माण कार्य को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह) :

67. टोडारायसिंह एवं देवली क्षेत्र में सड़क एवं पुल निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) :

68. उदयपुर जिले के गोगुन्दा निर्वाचन क्षेत्र में सड़कें एवं पुल निर्माण कार्य अधूरा होने के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची) :

69. सड़कों के साथ-साथ पुल नहीं बनने से होने वाली असुविधा पर चर्चा के लिये ।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) :

70. मालवाड़ा से जसवन्तपुरा, भीनमाल से जसवन्तपुरा, रानीवाड़ा से चाटवाड़ा तथा करवाड़ा से भाव सड़कों को डामर रोड बनाने बाबत चर्चा के लिये ।

71. जारवड़ी से चेतपुरा वाया धानोस व व दईपुरा से पेत्रदोवाड़ा, का सड़क निर्माण कार्य कराने बाबत चर्चा के लिये ।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) :

72. कोटा–शाहबाद मार्ग पर कालीसिंध एवं पार्वती पर पुल बनाने संबंधी चर्चा के लिये ।

श्री तेजपाल यादव (चौमूं) :

73. चौमूं क्षेत्र में सड़कों की दुर्दशा एवं नई

(श्री तेजपाल यादव)

सड़कें नहीं बनाये जाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री चेतराम मीणा (टोडाभीम) :

74. सवाई माधोपुर जिलों में सड़कों हेतु बजट प्रावधान नहीं किया जबकि मध्यप्रदेश को सरहद होने के कारण अन्तर्राज्यीय एवं आर्थिक महत्व को सड़क मण्डारायल से समलगढ़ तथा पालीघाट (खण्डार) से ग्वालियर को मिलाना जरूरी है। इस पर चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) :

75. नीम का थाना क्षेत्र में नीमकाथाना से शाहपुरा वाया, रायपुर, जागोर सड़क निर्माण के बाबत चर्चा के लिये।

श्री बहादुर सिंह (दानपुर) :

76. बांसवाड़ा जिला के ग्रामीण क्षेत्रों के गांव ठिकरोया, नालापुर, बोरबट, की सड़कों पर पुलिया बनाने के कार्य में ढिलाई बरती है इस पर चर्चा के लिये।

77. राज्य सरकार आदिवासी क्षेत्र में सड़क, पुल, निर्माण में असफल रही है इस पर चर्चा के लिये।

78. बांसवाड़ा में घोटिया अम्बा वाया नया गांव की सड़क का कार्य अधूरा है अतः उसे पूरा कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) :

79. भीलवाड़ा जिले में सड़कें एवं पुलों की समुचित व्यवस्था नहीं होने से जनता को होने वाली असुविधा पर चर्चा के लिये।

श्री विष्णु प्रकाश बजारी (ब्यावर) :

80. ब्यावर विधान सभा क्षेत्र में सड़कें व पुल बनाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री तेजपाल यादव (चौमू) :

81. ग्राम हस्तेड़ा से बंचोल वाया किशनपुरा तक रोड न बनने पर चर्चा के लिये।

श्री फतेसिंह (कुशलगढ़) :

82. राज्य सरकार डुंगरा से सानसेरा वाया केसरबादी तक सड़क एवं पुल निर्माण करने में असफल रही है। इस पर चर्चा के लिये।

83. राज्य सरकार कुशलगढ़ से घोयन घाटी तक सड़क व पुल निर्माण करने में असफल रही है। इस पर चर्चा के लिये।

84. राज्य सरकार कुशलगढ़ से गामदा तथा छोटी सरवा से गामदा सड़क एवं पुलिया बनाने में असफल रही है इस पर चर्चा के लिये।

85. राज्य सरकार डुगरा से खुन्दको वाया जालीमपुरा सड़क निर्माण करने में असफल रही है। इस पर चर्चा के लिये।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढा) :

86. पं. सं. उदयपुरवाटी झुंझुनूं क्षेत्र में सड़कों एवं पुलों का अभाव एवं ग्राम बाघोली एवं सराय के पास काटली नदी पर पुल बनाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री बन्शीलाल पटवा (भीलवाड़ा) :

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) :

87. भीलवाड़ा जिले में डामर की सड़कें बनवाने एवं नयी पुलियाओं का निर्माण कराने हेतु चर्चा के लिये।

88. भीलवाड़ा जिले की सड़कें बहुत ही जीर्ण अवस्था में हैं इस पर चर्चा के लिये।

श्री शिवदानसिंह राठौड़ (जैतारण) :

89. पाली जिले के जैतारण तहसील में सड़कों की स्थिति सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मानसिंह देवड़ा (सरदारपुरा) :

90. जोधपुर शहर में सड़कों की व्यवस्था सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

91. जोधपुर विलाड़ा मार्ग पर रेल्वे लाइन ओवर ब्रिज बनाने की चर्चा के लिये।

श्री माणकमल मेहता (पाली) :

92. पाली शहर में सड़कों की व्यवस्था सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) :

93. रानीवाड़ा कलां, रानीवाड़ा खुर्द वाया चाटवाड़ा तक बनी हुई ग्रेवाल रोड को पक्की सड़कें बनाने को स्वीकृति पर चर्चा के लिये।

94. समसिण से सीकवाड़ा वाया तातोस मोदरा तक सड़क बनाने बाबत चर्चा के लिये।

95. भीनमाल से जसवन्तपुरा व मालवाड़ा से जसवन्तपुरा सड़क बहुत पुरानी सड़कें हैं उनको डामर सड़क बनाने बाबत चर्चा के लिये।

श्रीमती कमला (सागवाड़ा) :

96. सागवाड़ा जिला डूंगरपुर में सड़कों तथा पुलों के निर्माण पर चर्चा के लिये।

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) :

97. बाघोड़ा जैसावास, रंगाला, सिराणा से बाड़मेर बोर्डर तक सड़क निर्माण की स्वीकृति दिलाने बाबत चर्चा के लिये।

98. भीनमाल पांथेड़ी पोषण सड़क एवं नदियों के रुके हुये कार्य की स्वीकृति दिलाने बाबत चर्चा के लिये।

99. सांचला पोषाणा, मंगलवा, जीवाणा सीराणा सड़क निर्माण कार्य की स्वीकृति दिलाने बाबत चर्चा के लिये।

100. सांचला बाघोड़ा वाया पोषाणा सड़क का निर्माण कराने बाबत चर्चा के लिये।

(श्री सूरजपालसिंह)

101. भीनमाल नरसाणा भाव क्षेत्र में सड़कों का निर्माण कार्य अविलम्ब शुरू कराने बाबत चर्चा के लिये।

श्री जेठमल बरबड़ (परवतसर) :

102. परबतसर की पुरानी सड़कों को डामर रोड बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह (दांतारामगढ़) :

103. पलसाना से गोवटो, बाजोर से श्याम पुरा, गोरिया से जोनमाता की सड़कें जो अकाल में बनी हैं को सार्वजनिक निर्माण विभाग में लेकर पूर्ण करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री लच्छूराम (मण्डावा) :

104. मण्डावा बिसाऊ, वाया, राई सड़क निर्माण में विलम्ब के कारण व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

105. झुंझुनूं जिले को मंडावा फतेहपुर सड़क निर्माण में विलम्ब के कारण व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) :

106. जयपुर, सवाई माधोपुर, मालपुरा, देवली रेल्वे लाइन पर अपर्याप्त पुल होने पर चर्चा के लिये।

107. टौंक जिले में सड़कों की मरम्मत के लिये अपर्याप्त प्रावधान न करने पर चर्चा के लिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) :

108. बीकानेर के पास राष्ट्रीय राज मार्ग नं. 11 को राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 15 से तथा राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 15 को राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 11 से जोड़ने तथा बीकानेर, जोधपुर सड़क को कोलायत सड़क से जोड़ने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

109. बीकानेर शहर की सड़कों के रखरखाव का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग को सौंपने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

110. बीकानेर शहर के बीच चार रेल्वे फाटक होने से जनता की असुविधा के निराकरण हेतु ओवर ब्रिज के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नरपतराम बरबड़ (सूरसागर) :

111. ग्राम उचियारड़ा तहसील जोधपुर में नदी पर पुल बनाना अति आवश्यक है। इस पर चर्चा के लिये।

112. पत्थर उद्योग के विकास के लिये सूरसागर क्षेत्र की सड़ाकों की मरम्मत व चौड़ी करना आवश्यक है। इस पर चर्चा के लिये।

श्री भरोसी लाल (हिण्डौन) :

113. सवाईमाधोपुर जिले की सड़कों की मरम्मत करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर) :

114. सड़कें एवं पुलों के निर्माण में हुये भारी भ्रष्टचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

114

श्री हंसराज शर्मा (सवाईमाधोपुर) :

श्री चुन्नीलाल (खण्डार) :

115. सवाई माधोपुर दौसा रोड पर मोरेल नदी पर पुल बनाने हेतु चर्चा के लिये।

146. सवाईमाधोपुर से डूंगरी भूरी पहाड़ी तक सड़कों का निर्माण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

117. सवाईमाधोपुर क्षेत्र में ग्राम सरवाल से किला रणथम्भौर तक सड़क नहीं होने से लोगों में असन्तोष होने के कारण सड़क बनाने पर विचार हेतु चर्चा के लिये।

118. दौसा सवाईमाधोपुर पर बनास नदी पर सरकार जो पुल बना रही है उसका कार्य बन्द पड़ा है इस पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण डूंडी (बिलाड़ा) :

119. जोधपुर सांभर में सड़कों की दुर्दशा के बारे में चर्चा के लिये।

मांग संख्या-41, पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-41, मुख्य शीर्षक सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर, ग्रामीण) :

1. पंचायती राज संस्थाओं को कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) :

2. अम्बामाता के मन्दिर पर भैया दूज पर लगने वाले मेले पर टैक्स वसूली का कार्य ग्राम पंचायत सिद्धपुरा को दिलाये जाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) :

श्री रामसिंह बिश्नोई (लूणी) :

3. पंचायतों को सशक्त बनाने व आर्थिक दृष्टि से सबल बनाने के लिये विकास कार्य हेतु अनुदान राशि प्रति व्यक्ति 2.50 रुपये से 5.00 रुपये करने पर चर्चा के लिये।

4. पंचायत समितियों के चुनाव जल्दी कराने बाबत चर्चा के लिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) :

5. पंचायतों, पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों के चुनाव नहीं कराये जाने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) :

6. सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त कर सामुदायिक विकास कार्यक्रम को नई दिशा में लागू करने बाबत चर्चा के लिये।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) :

श्री हंसराज शर्मा (सवाईमाधोपुर) :

7. पंचायती राज संस्थाओं के अन्तर्गत संचालित प्राथमिक शालाओं में अध्यापकों की अत्यधिक कमी होने पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी) :

8. ग्राम पंचायतों के स्थायी ग्राय के स्रोत बना कर ग्राथिक स्थिति सुदृढ़ की जावे इस पर चर्चा के लिये।

श्री रेवतराम चौधरी (डूंगरपुर) :

श्री भालू खां (चूरू) :

9. पंचायतों, पंचायत समितियों व जिला परिषदों के चुनाव शीघ्र कराये जाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री जगदीशप्रसाद तिवाड़ी (बस्सी) :

10. ग्राम पंचायत हंस महल तहसील बस्सी जिला जयपुर द्वारा सड़क निर्माण कराये जाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) :

11. सामुदायिक विकास विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों में संचालित विकास कार्यों को गति देने पर चर्चा के लिये।

श्री देवेन्द्रसिंह (बनेड़ा) :

12. सामुदायिक विकास विभाग द्वारा पंचायत व पंचायत समितियों के संचालित कार्यों में सुधार लाने की ग्रावश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दीपेन्द्रसिंह (श्री माधोपुर) :

13. ग्राम पंचायतों ग्रौर पंचायत समितियों के चुनाव की घोषणा शीघ्र कराने बाबत चर्चा के लिये।

14. ग्राम पंचायतों की ग्रनुदान राशि के ग्रौचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी) :

15. कोटा जिले की पंचायत समिति चेचट में पोषाहार केन्द्र नहीं होने पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) :

16. पंचायत समितियों के ग्रन्तर्गत चलने वाले स्कूल्स के स्तर में त्वरित सुधार हेतु चर्चा के लिये।

16. राजनैतिक कारणों से भ्रष्ट सरपंचों के निलम्बन ग्रादेशों को रद्द करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

18. पचायत समिति एवं जिला परिषदों के चुनाव शीघ्र कराने हेतु चर्चा के लिये।

19. केशोरायपाटन पंचायत समिति को जीप ग्रावंटन हेतु चर्चा के लिये।

श्री कमलेन्द्रसिंह (वल्लभनगर) :

20. ग्रकाल राहत कार्य पंचायतों के माध्यम से कराने की ग्रावश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री उम्मेदसिंह (डीडवाना) :

21. डीडवाना क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) :

22. पंचायत राज संस्थायें ग्रब एक पंगु संस्थायें बन कर रह गई हैं इस पर चर्चा के लिये।

(116)

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल) :

23. ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों के निर्वाचन शीघ्र कराये जाने बाबत चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव) :

24. सीमावर्ती पंचायत समितियों में अध्यापकों व ग्राम सेवकों की कमी पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) :

25. राज्य में पंचायतों द्वारा किये जाने वाले कार्यों में जो अधूरे पड़े हैं उन्हें पूर्ण करवाया जाने बाबत चर्चा के लिये।

26. प्रतापगढ़ तहसील के भूतपूर्व एवं वर्तमान सरपंचों के विरूद्ध पड़े विचाराधीन मामलों पर अब तक सरकार का निर्णय अपेक्षित होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) :

27. विकास योजनाओं की शिथिलता पर चर्चा के लिये।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) :

28. सामुदायिक विकास में कर्मचारियों को राजनैतिक दबाव से बचाने पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) :

29. ग्राम सेवकों को कृषि विभाग से हटाकर सामुदायिक विकास विभाग में लेने बाबत चर्चा के लिये।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) :

30. राजस्थान की ग्राम पंचायतों में ग्रुप सचिवों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

31. राजस्थान में पंचायत समिति व जिला परिषद् के चुनाव कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह) :

32. टोडारायसिंह एवं देवली क्षेत्र की पंचायत समितियों के सामुदायिक विकास को गतिशील बनाने पर चर्चा के लिये।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) :

33. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र गोगुन्दा की पंचायत समितियों में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री भैंरूसिंह गुर्जर (खारची) :

34. पंचायती राज संस्थाओं के अन्तर्गत संचालित प्राथमिक पाठशालाओं की दुर्दशा पर चर्चा के लिये।

श्री छोगाराम बकोलिया (रेवदर) :

35. पंचायती राज संस्थाओं की बिगड़ती हुई व्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री चेतराम मीणा (टोडाभीम) :

36. पंचायत समिति एवं जिला परिषद् के चुनाव न होने से पंचायत राज का ढांचा समाप्त हो गया है और सरकारी

(श्री चेतराम मीना)

कर्मचारी इन संस्थाओं पर हावी हो गये हैं। इन्हें बचाया जाने हेतु चुनाव कराये जावें, इस पर चर्चा के लिये।

37. पंचायत राज संस्थाओं को दी जाने वाली आर्थिक सहायता का दुरुपयोग रोकने, ग्राम पंचायतों के कार्यों में गबन एवं उनकी शिकायतों की उचित जांच न होने तथा प्रधानों एवं जिला प्रमुखों के चुनाव न होने के कारण प्रजातन्त्रीय प्रणाली में व्याप्त दोषों को दूर करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बहादुरसिंह (दानपुर) :

38. पंचायती राज संस्थाओं द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापक नियुक्त करने में असफल रही है, शाला भवन एवं पंचायत भवन निर्माण में असफल रही है इस पर चर्चा के लिये।

39. सामुदायिक विकास विभाग ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करने में असफल रहा है इस पर चर्चा के लिये।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) :

40. भीलवाड़ा जिले की पंचायत समितियों की प्राथमिक शालाओं में पोषाहार कार्यक्रम प्रारम्भ नहीं किया गया, इस पर चर्चा के लिये।

श्री तेजपाल यादव (चौमूं) :

41. पंचायत समिति गोविन्दगढ़ (जयपुर) में प्राथमिक शालाओं की कमी पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) :

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) :

42. सामुदायिक विकास विभाग द्वारा भीलवाड़ा क्षेत्र की उपेक्षा किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल) :

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) :

43. पंचायत समिति एवं जिला परिषदों के चुनाव अविलम्ब कराने बाबत चर्चा के लिये।

श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल) :

44. पंचायत समिति भीनमाल में अध्यापकों की कमी के बाबत चर्चा के लिये।

श्री जेठमल बरबड़ (परबतसर) :

45. परबतसर तहसील में पंचायतों के मार्फत किये गये अधूरे कार्यों को पूरा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नारायणसिंह (दांतारामगढ़) :

46. पंचायत समिति तथा जिला परिषदों के चुनाव करवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

47. पंचायत समिति दांतारामगढ़ की प्राथमिक शालाओं में नया टेलीविजन सैट लगाये जाने तथा खराब टेलीविजन सैट्स को ठीक करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री लच्छूराम (मण्डावा) :

48. पंचायत समिति व जिला परिषदों के चुनाव कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(श्री लच्छूराम)

49. पंचायत को संवैधानिक अधिकार प्रदान कराने में सरकार की विफलता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) :

50. पंचायती राज संस्थाओं के निष्प्राण व निष्क्रिय होने पर चर्चा के लिये ।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) :

51. ग्राम पंचायत नांगल राजावतान के सरपंच के विरुद्ध हुई जांच में आरोप सिद्ध हो जाने पर भी सरपंच, उप सरपंच को निलम्बित नहीं किये जाने से उत्पन्न जन आक्रोश पर चर्चा के लिये ।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) :

52. पंचायत समितियों में प्रधानों के चुनाव न कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

व्यवस्था

अनुदानों की मांगों एवं कटौती प्रस्तावों पर वाद विवाद की प्रक्रिया

श्री अध्यक्ष : अनुदानों की मांगों एवं कटौती प्रस्तावों पर वाद विवाद के संबंध में प्रक्रिया । अनुदानों की मांगों पर विचार करने से पूर्व मैं, माननीय सदस्यों का ध्यान इस संबंध में गत कुछ वर्षों से अपनाई जाने वाली पद्धति की ओर आकर्षित करना चाहूंगा ।

जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित होगा, मांगें समूह में प्रस्तुत की जायेंगी । मांगों पर कटौती प्रस्तावों की संख्या काफी होती है और समयाभाव के कारण यह संभव नहीं होगा कि कटौती प्रस्तावों की सूचना देने वाले सभी माननीय सदस्यों को विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जा सके ।

जैसा कि पिछले वर्षों में परिपाटी रही है सभी मांगों पर दिये हुए कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत किये हुए समझा जाय और उन्हें सदन में पृथक से प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी । जिस माननीय सदस्य का नाम पुकारा जाय वे अपने सारे कटौती प्रस्तावों पर एक साथ उस समय बोलने की कृपा करें । किसी पार्टी के माननीय नेता या अन्य प्रमुख सदस्य, जो उनकी पार्टी की ओर से बोलना चाहें वे अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे, किन्तु वे अपनी पार्टी के समय के भीतर ही बोल सकेंगे ।

माननीय सदस्यों को यह भी ज्ञात होगा कि मांगों पर होने वाली बहस के दौरान उठाये गये प्रश्नों के उत्तर मंत्री महोदय द्वारा उसी दिन दिये जायेंगे और उसके बाद उन मांगों पर मतदान होगा । जिन कटौती प्रस्तावों के संबंध में माननीय सदस्यों को समयाभाव के कारण उत्तर न मिल सके तो उनके आग्रह पर सरकार की ओर से संबंधित माननीय सदस्यों को लिखित उत्तर मिल जाय, ऐसा मेरा निवेदन है ।

मांगों पर विचार व्यक्त करने के लिए मोटे तौर पर सरकारी पक्ष को 2 घंटे 25 मिनट, जिसमें मंत्रियों द्वारा उत्तर दिये जाने का समय भी सम्मिलित होगा । अन्य दलों के लिये समय विभाजन निम्न प्रकार होगा :–

(श्री अध्यक्ष)

भारतीय जनता पार्टी	35 मिनट	
प्रगतिशील विधायक दल	15 मिनट	
जनता पार्टी (जे. पी.)	12	,,
जनता (एस) चरणसिंह	10	,,
कांग्रेस (ग्रसं)	8	,,
निर्दलीय	5	,,
सी.पी.ग्राई.	5	,,
सी. पी. एम.	5	,,

(व्यवधान)

यह जो समय ग्राप ले रहे हैं यह ग्रपने समय में से....

व्यवस्था का प्रश्न

कटौती प्रस्तावों पर चर्चा करने के लिये समय का बंटवारा

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : व्यवस्था का प्रश्न है, ग्रध्यक्ष महोदय। ऐसा कभी भी नहीं हुग्रा है कि 10 ग्रौर 5 मिनट किसी पार्टी को देकर मांग को पास करवाया जाय। इससे तो मुख बन्द करके ही कर सकते हैं, यह व्यवस्था तो मुख बन्द करने के समान है।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज, माननीय सदस्य, पूर्व में, पिछले 10-12 साल से यही प्रक्रिया ग्रपनाई गई है। ग्रौर इसी ग्राधार पर समय का विभाजन हुग्रा है।

श्रीमती उजला ग्ररोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : समय का विभाजन कभी नहीं किया गया।

(व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज, मैंने जो समय बांट दिया वह पांच बजे तक का है उसके बाद माननीय सदस्य चाहेंगे तो समय बढ़ाया जा सकता है। हम तो ढाई बजे से मानते है. कि मांग प्रस्तुत की जायगी, उसके बाद समय का बंटवारा कर दिया है।

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : ग्रध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया यही रही है। पूर्व में भी ऐसा ही हुग्रा है।

(व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज, माननीय सदस्य ग्रच्छी तरह जानते हैं कि पूर्व में जब जीरो ग्रावर ढाई तीन बजे तक चलता रहता था, पांच बजे तक भी चलता था उसके बाद मांग ली जाती थी तो ग्राप क्या करते थे, तो यही होता था बाद में समय बढ़ाया जाता था तो समय के लिए मैंने निवेदन किया, ग्रापकी ग्रोर से ग्राग्रह होगा कि समय बढ़ाया जाय तो ग्रासन को कोई एतराज नहीं होगा, हमेशा बढ़ता रहा है ग्रौर बढ़ेगा, इसमें क्या दिक्कत है। कटौती प्रस्ताव।

श्री महाराम चौधरी : ग्रगर समय बढ़ाना है तो समय पूर्ण होने से पहले ही बढ़ा दिया जाय जिससे मालूम पड़ जाए ग्रौर बंटवारा ठीक ढंग से हो जाय।

श्री ग्रध्यक्ष : समय का बंटवारा बिलकुल ठीक है ग्रौर इसमें कोई शिकायत नहीं है। हमारे पास ग्रलग-ग्रलग दलों की सूची नहीं ग्राई है इसका मतलब यही है हमने व्यवस्था यह दी है कि कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए-हुए समझे जायेंगे। उसके बाद सूची तो चाहिये

(120)

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह उसी ग्रार्डर में है।

श्री ग्रध्यक्ष : इसी ग्रार्डर में यह ग्रावश्यक नहीं है कि सब दलों का क्रम वैसे ही हो जैसा चाहते हैं।

श्रीमती उजला ग्ररोड़ा : यह क्रम वही है जो····

श्री ग्रध्यक्ष : डा० उजला ग्ररोड़ा, ग्राप शुरू कीजिये, ग्रापका प्रथम नाम है, ग्राप शुरू कीजिये।

मांग संख्या–19, 21 व 41 पर विचार

श्रीमती उजला ग्ररोड़ा (जयपुर ग्रामीण): माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग की मांग सं. 21 ग्रौर 41—

(3.10म.प.)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत, सभापति, पदासीन)

जो सामुदायिक विकास पर है। मै कहना चाहूंगी कि राजस्थान का क्षेत्रफल 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर है ग्रौर 1971 की जनसंख्या के ग्राधार पर 297.66 जनसंख्या है। देश के ग्रनुपात में हमारे राजस्थान का सड़कों की लंबाई के हिसाब से सब से कम मेरे ख्याल से 37वां नम्बर ग्राता है यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। इसीलिये इसको पिछड़े रूप में मानते हैं जहां विकास के साधन कम होंगे जहां यातायात के साधन कम होंगे वहां विकास क्या हो पायेगा। मैं कहना चाहूंगी गत वर्ष जितना लक्ष्य रखा गया उसके ग्रनुपात में सरकार या विभाग काम नहीं कर पाये हैं ग्रौर जो इस वर्ष का लक्ष्य है वह भी पूरा होता नहीं दीख रहा है ग्रौर पूरा कैसे होगा, सभापति महोदया जहां जहां पांव पड़े सन्तन के, तहां-तहां बंटाधार। 70 इंजीनियर्स में से 15 दिन के भीतर 41 के तबादले हुए हैं। माननीय सभापति महोदया, मैं कहना चाहूंगी कि मार्च का महीना है जिसमें हम पिछला काम पूरा कर सकते थे जो बजट लेप्स होने वाला था उसका यूटिलाइजेशन कर सकते थे, सड़कों में, पुलों में, भवनों में हम ग्रपना काम कर सकते थे, बजाय इसके जो पुराने इंजीनियर्स थे, टेक्नीकल इंजीनियर्स थे, ग्रच्छे वास्तुकार थे उनके तबादले दूर-दूर किये गये ग्रौर कई जगह ऐसा भी किया गया है कि गृह जिले दिये गये हैं। एक जिले में रखा जाना मैं समझती हूं, नीति के विरुद्ध है। जिन लोगों ने, जिनके तबादले किये, उनकी जेब गर्म कर दी तो उन लोगों को पुनः लगा दिया। यह गलत तरीका है। जो शिक्षा विभाग ने पद्धति ग्रपनाई थी वही पद्धति पी. डब्ल्यू. डी. में ग्रपनाई जा रही है। सारे विभाग को इस तरह से डिस्टर्ब किया जा रहा है। फिर काम किस तरह से पूरा होगा मुझे समझ में नहीं ग्राता है। यह क्या तरीका है? हमने जो बजट बनाया था गत वर्ष उसके लक्ष्य भी पूरे नहीं हुए। जीर्णोद्धार के जो काम थे वे भी पूरे नहीं किये गये। जो कच्ची सड़कें थीं, जिनको पक्की सड़कों में बदला जाना था, वह भी पूरी नहीं हुई हैं। सभापति महोदया, कुछ सड़कें ऐसी थीं जिन पर बहुत गड्ढे थे ग्रौर उन गड्ढों को भरा जाना चाहिए था, वह काम भी पूरा नहीं हुग्रा है। सरकार का ध्यान इन कामों में गति लाने की ग्रोर नहीं था,

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

वह तो अपने स्थायीत्व के लिये, अपनी कुर्सी बचाने के लिये लगी हुई थी इसलिये इस विभाग का काम पूरा नहीं हुआ।

वर्तमान में जो बजट बनाया गया है उसमें ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों के सुधार के लिये कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। जहां कृषि ऊपज होती है, जहां पर माइन्स हैं, जहां हमारी खानें हैं, वहां पहुंचने के लिये वर्तमान में जो प्रावधान है, उसका अनुपात बढ़ाया जाना चाहिए। मैं आग्रह करूंगी कि इसके लिये मंत्री महोदय बजट बढ़ावें।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि गुजरात जैसे राज्य में सड़कों की लम्बाई, स्थिति कितनी अच्छी है, उसको देख कर आश्चर्य होता है। चाहे वह नेशनलाइज्ड रूट हो, चाहे केन्द्रीय सड़क हो, चाहे वह राज्य सड़क हो, स्टेट रोड्स हों, चाहे अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक महत्व की सड़क हो, मैंने इन सड़कों को देखा है और निश्चित रूप से ये अनुकरणीय हैं। मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार इसका अध्ययन करावे। अहमदाबाद से द्वारकापुरी तक जो सड़क है, उस पर कहीं मैंने कोई गड्ढा नहीं देखा है। कोई बस, ट्रक पड़ी हुई नहीं देखी है। मेरा आग्रह है कि इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए और हमारे यहां भी ऐसे राजमार्ग की व्यवस्था होनी चाहिये।

मैं यह भी कहना चाहूंगी कि इस वर्ष हमारे प्रदेश में अकाल पड़ा हुआ है। अकाल में कई सड़कें ली जा रही हैं। जो जो सड़कें अधूरी रह गई हैं उनको पहले लिया जाय। इन पर कोई काम चालू नहीं किया गया है। मैं मंत्री महोदय को कहना चाहूंगी कि इन सड़कों को जो पुरानी थीं, काफी काम हो चुका है, उनको पहले लिया जाय और उनको पूरा किया जाय। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में नायला से लेकर लाहोरी गुमठाल एक सड़क ऐसी है। मेरे से पूर्व सहदेवजी ने इसकी मन्जूरी कराई थी। इस पर जो पत्थर लगे थे उनको निकाल कर लोगों ने काम में ले लिये हैं। फिर भी काफी मेटीरियल पड़ा हुआ है। रोलर घुमाकर, डामर करा दिया जाय तो निश्चय ही यह सड़क उपयोगी हो सकती है। इसी प्रकार से आनुपुरा की सड़क अधूरी है। यह पांच किलोमीटर का टुकड़ा है। लोग परेशान होते हैं। गाड़ी से कोई सामान नहीं ले जा सकता है। साइकिल से भी उस रास्ते को पार नहीं कर सकते हैं।

मेरा यह निवेदन है कि पी. डब्ल्यू. डी. के जो वर्क्स हैं, उनको पूरा कराया जाये। हमारे जयपुर शहर को बहुत पहले गुलाबी किये जाने की योजना बनाई गई थी। इसके लिये लोगों से पैसा लिया गया था प्रश्न के माध्यम से भी मैंने पूछा था। दुकानदारों से सौ-सौ रुपया आज से सात साल पहले लिया गया था परन्तु पी. डब्ल्यू. डी. द्वारा रंग नहीं किया गया है। वह पिंक सिटी के नाम पर गेरूआ रंग है जिसे उचित नहीं कहा जा सकता है। जो पुराना रंग था उस रंग से शहर को पोता जाना चाहिए था। जो पैसा दिया गया है उसका उपयोग अतिशीघ्र किया जाना चाहिए।

मैं कहना चाहूंगी कि हमारे यहां पर एक सभागृह बनने वाला था और उसके लिये 50 लाख रुपये मन्जूर हुआ था। गत वर्ष योजना मंत्री बना लिया था। इसकी

(122)

(श्रीमती उजला अरोडा)

योजना बना कर कब इसको पूरा करेंगे ? सभापति महोदया, उस पैसे का इस्तेमाल नहीं किया गया है। काम की शुरुआत नहीं की गई है। सिर्फ भवन की जमीन पर शिलान्यास किया गया है, शिलान्यास का पत्थर रखा हुआ है। इतना ही काम हुआ है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि वे इसका पता लगायें कि यह काम क्यों रोका गया। किस तरह की व्यवस्था है। इस बात को निश्चित रूप से बतावें। इस को कब पूरा कर लिया जायगा ?

मैं बात और कहना चाहूंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में जो महत्व की सड़कें हैं, उनके लिये बजट बहुत अधिक रखा जाना चाहिए। मेरे यहां पर एक सड़क मन्जूर थी, यह केवल मात्र 11 किलोमीटर की सड़क थी। एक सड़क मथान से रामसर आज तक यह पूरी नहीं की गई है। मैं कहना चाहूंगी कि इन सड़कों पर काम जितनी धीमी गति से हो रहा है, वह अच्छा नहीं है। इसमें शीघ्रता की जानी चाहिए। ग्रामवासी केवल शहर में घूमने फिरने ही नहीं आते हैं। वे अपना सामान लाते हैं। शहर से सामान ले जाते हैं। उन्हें इसमें काफी असुविधा का सामना करना होता है जिससे खेती के काम में घंटों व्यवधान उत्पन्न होता है। मैं आग्रह करूंगी कि इस प्रकार की सड़कें जहां राजस्थान में बनाई जा रही हैं, उसका निर्माण पूरा करवाया जाय। मैं यह भी कहना चाहूंगी कि जहां सड़कें बनाई जा रही हैं उनका एक मास्टर प्लान तैयार किया जाना चाहिये जिससे यह अहसास हो सके कि किस किस वर्ष में इतना काम हाथ में लिया जा सकेगा। बिना मास्टर प्लान के सड़कें ठीक तरह से नहीं बन पाती हैं, कोई हमारे पास में मापदण्ड नहीं है कि इतनी सड़क बननी हैं और भविष्य में इतनी बननी हैं। इस वर्ष इस पर मंत्री महोदय निश्चित रूप से ध्यान देंगे।

जो नेशनलाइज्ड रूट्स हैं, उन सड़कों की स्थिति अच्छी नहीं है। केन्द्र से आग्रह कर के और लोन लें। मेरे क्षेत्र में ऐसी ही घाटे से उतर कर एक सड़क बनने वाली थी। उसमें बीस लाख रुपया मन्जूर हुआ था। करीब एक वर्ष हो गया परन्तु वह बन नहीं पा रही है। मैं नहीं समझ पाती हूं, यह केवल तीन किलो मीटर सड़क है। इसके लिये इतना टाइम यह विभाग क्यों लगा रहा है। इस पर कई गाड़ियां उलट गई हैं इसलिये इस ओर ध्यान दिया जाय और इन सड़कों का निर्माण शीघ्रता से पूरा किया जाय।

सभापति महोदया, राजस्थान की सड़कों के बीच में नालियां, नाले आते हैं जो रास्ते में व्यवधान उत्पन्न करते हैं। आप जमवारामगढ़ कई बार गई होंगी। आपने महसूस किया होगा कि कितने नाले आते हैं। बरसात के दिनों में लोगों को घटों इन्तजार करना पड़ता है। पांच नाले आते हैं और यदि पांच मिनट भी बरसात जम कर हो जाय ढाई घण्टे रुकना पड़ता है। वहां से दूध वाले शहर में आते हैं। शहर वाले भी वहां पर घूमने जाते हैं। वे बरसात के दिनों में ढाई-ढाई घण्टे किनारे पर अटक जाते हैं। वहां पर एक पुल बनाया गया था तीन साल पहले उसकी मन्जूरी हुई थी। मैं नहीं कह सकती कि विभाग को इसमें क्या दिक्कत थी। किसी ठेकेदार ने गड़बड़ की होगी। अब

(श्रीमती उजला अरोडा)

उसका काम जल्दी किया जाना चाहिये, मान्यवर मन्त्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे। इस काम के लिये मैंने अभी पिछले दिनों विभागाधिकारियों को कहा था तो उन्होंने कहा कि काम शुरू करवाया है। परन्तु इसको शुरू करना नहीं कह सकते हैं। वहां पर इतने दिनों में केवल पांच फीट की दीवार, जिसे खम्भा कह सकते हैं, तीन महीने में खड़ी की गई है। यह काम की कौन सी गति है? इसी तरह से राजस्थान के अन्य मार्गों पर पुलों की व्यवस्था की जानी चाहिये। आबू से लौटते हैं सिरोही होते हुए तो सभापति महोदया आपने देखा होगा, एक नाला आता है। उसके ऊपर पुल बना हुआ है लेकिन इस पुल की ऊंचाई इतनी कम है कि वह पानी में डूब जाता है। मैं कहना चाहूंगी, मुझे इसका अनुभव है, वहां पर बीस रुपये देकर गाड़ियों का धक्का लगवा कर उस पार लिया जाता है। कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उस पुल के थोड़ा नजदीक ही रेल का पुल आया होने से जा नहीं सकते हैं। मैं आग्रह करूंगी कि इन सबका सर्वेक्षण करायें कि कब-कब, किस-किस मार्ग पर कितना-कितना व्यय करना है। अति-शीघ्र इस ओर नये मंत्री महोदय ध्यान दें और सरकार ध्यान दे। मैं कहना चाहूंगा कि जो प्रसूति गृह हैं वहां पर स्टाफ के क्वार्टर्स बनाये जाना बहुत जरूरी है। वहां पर स्टाफ के क्वार्टर्स के लिये पैसा नहीं रखा जा रहा है। मैं चाहूंगी कि जहां पर मातृ शिशु कल्याण केन्द्र हैं वहां पर स्टाफ क्वार्टर होने चाहिये।

हमारे गांधी नगर के जो क्वार्टर्स बने हुए हैं तो उनको हम देखते हैं कि जो पैसे वालों के लिए बनाए गए हैं उसमें तो फिर भी सुविधाएं हैं। परन्तु जो स्टाफ के लिए बनाये गये हैं उनको मापदण्ड पर आधारित क्वार्टर्स हम नहीं कह सकते हैं। किसी की छत टपकती है और किसी में कुछ खराबी है अर्थात् उनकी स्थिति को हम अच्छी नहीं कह सकते हैं उनकी जाकर के विभाग के अधिकारियों को जांच करनी चाहिए कि जो पैसा खर्च हो रहा है उसका ठीक इस्तेमाल किया गया है या नहीं किया गया है।

मैं कहना चाहूंगी कि इस विभाग में बहुत अच्छे वर्क्स हैं, बड़े-बड़े अच्छे टेक्नीकल लोग हैं। जिन्होंने विदेशों में जा कर ट्रेनिंग ली है जो यह बता सकते हैं, चाहे हाउसिंग बोर्ड हो चाहे यू. आई. टी हो चाहे निर्माण विभाग हो बता सकते हैं, राय ले सकते हैं कि थोड़ी जगह में कम खर्च में किस प्रकार मकान बनाए जा सकते हैं लेकिन उनको वहां न लगाया जाकर अन्य जगहों पर लगाया हुआ है। मैं कहना चाहूंगी मन्त्री महोदय से कि उनका यथास्थान पदस्थापन करें, जिससे कि उनकी शिक्षा का उपयोग हो सके।

माननीय सभापति महोदया, मैं कहना चाहूंगी कि दूध की डेयरी के लिए बहुत दूर-दूर से दूध आता है जहां डेयरी नहीं है वहां से ऐसे स्थानों से दूध लाया जाता है जो दूर होती हैं और दूध महंगा होता है, मैं चाहूंगी कि जो लिंक रोड है वड़ी रोड्स को जोड़ने वाली जहां डेयरी लग सकती है मेरे क्षेत्र में तीन डेयरियों का विकास हो सकता है यदि लिंक रोड्स बना दी जायें। लाली से पापड़ तक, बिलाला से नायला तक और लांगड़ीवास तक जो एक किलो मीटर

124

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

की सड़क है वह बना दी जायें तो निश्चित रूप से वहां डेयरी लग सकती है और दूध जल्दी आ सकता है। इस ओर मन्त्री महोदय ध्यान दें। जो मैंने कहा है गृह निर्माण की योजना है उसमें भी तेजी लाइयेगा।

मै चाहूंगी, माननीय सभापति महोदया, कि सार्वजनिक निर्माण विभाग काम तो करता है लेकिन सुस्ती से काम किया जाता है। मैं कहना चाहूंगी कि इसमें तत्परता लायी जाय और इसके अधीनस्थ जो बाग बगीचे हैं जिनकी देखभाल भी इसको करनी होती है। इसने वहां से माली हटा लिये है मैं कहना चाहूंगी कि वह बाग सूख रहे हैं। दूब सूख रही है। वह पार्क सूख रहा है उनको अच्छे ढंग से लगाया जाय यह भी पब्लिक के उपयोग की चीजें हैं जिसका कि वह इस्तेमाल कर सकती है।

मैं कहना चाहूंगी दूसरी जो मांग है सामुदायिक विकास के बारे में गुजरात की पंचायतों के काम को देखा है छोटी-छोटी सी पंचायत को वाटर वर्क्स और बिजली घर दिये हुए है लेकिन हमारे यहां पर पंचायतों को पैसा नहीं दिया जाता है। उनके लिए पैसा बढाया जाना चाहिए। जिस प्रकार मैं आशा करती थी कि गांव से आने वाले मुख्य मन्त्री जी इसके लिए ज्यादा पैसे बढ़ायेंगे हमने 25 पैसे से बढ़ाकर ढाई रुपये किये थे तो मुझे ऐसी आशा थी कि ढाई रुपये से बढ़ा कर जिस प्रकार नगर परिषदों को 6 रुपये से ऊपर दिये जाते हैं यह सरकार कर देगी वह नहीं किये गए हैं। मेरा आग्रह है कि माननीय मुख्य मन्त्री जी यहां पर नहीं हैं मन्त्री जी बैठे हैं वे मेरी बात उन तक पहुंचा दें कि पर पर कैपिटा उनकी अनुदान की राशि बढ़ा दें जिससे पंचायतें अधिक से अधिक काम कर सकें। गुजरात में एक अध्ययन दल भेजें। विधायकों का या विभाग के अधिकारियों को शामिल करके भेजें जिससे वह जाकर देख सकें कि वहां पर किस प्रकार पंचायतें सफलतापूर्वक काम कर रही हैं।

काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत जो काम किए गए उनके लिए मुख्य मन्त्री जी से चाहूंगी कि उनको पक्के काम की शक्ल दे दें। जिससे वह बरसात में मिट्टी न हो जायं। काम के बदले अनाज योजना में केवल मेरे क्षेत्र में ही 11 पंचायतों का पैसा बकाया है सरकार में। 6 महीने तक जो पंचायतों के अधिकारी हैं उनके लिए कितने शर्म की बात है कि उनको अपमानित होना पड़ रहा है मजदूरों के माध्यम से। पैसा उन्हें नहीं दिया जा रहा है। हमेशा कहा जा रहा है जिलाधीश के द्वारा या यहां हर प्रश्न के जवाब में कहा जा रहा है कि पैसे का चुकारा कर दिया गया है तो अब उनको पैसा अविलम्ब दे दिया जाए जिससे कि काम कर सकें।

मैं यह भी चाहूंगी कि पंचायतों की शक्ति बढ़ायी जाए और पंचायतों का निर्माण ही शक्ति के विकेन्द्रीकरण के लिए हुआ था तो यह करें जिससे कि वे काम कर सकें। जो पानी के बांध हैं, विलेज टैंक्स है, पहले राजाओं के समय में जो राजा हुआ करते थे वह ऐसा काम किया करते थे कि गांवों में पीने के पानी के लिए बंधे हों और पशुओं के पीने के लिए टैंक्स हों पर आज वह नहीं हो पा रहा है। अगर उनके पास पैसा हो तो वे टैंक को पूरा कर सकते हैं। और बंधे के काम को पूरा कर सकते हैं। मैं पूछना चाहूंगी

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

मन्त्री महोदय से कि वे इतने से पैसों में कैसे इस कार्य को कर सकते हैं या फिर इनको विभाग को सौंप दिया जाना चाहिए जिससे कि वे पंचायतों को सहयोग करें और बंधों के पानी का उबाल ठीक हो जाय जिससे कि पानी बढ़कर बंधों को न तोड़ें। मैं उदाहरण के तौर पर निवेदन करना चाहूंगी कि मेरे क्षेत्र में एक बार एक बांध टूटना शुरू हुआ तो एक एक करके 21 बांध टूट गये थे तो मैं कहना चाहूंगी कि मैंने तब से यह सुझाव कई बार दिया है और हमारी सरकार ने इसको कुछ अंशों में माना भी था। मैं आपसे आग्रह करूंगी कि गांवों में पानी के लिए पी० डब्ल्यू० डी० के माध्यम से या निश्चित रूप से उनको पैसा देकर, किस तरह आप पैसा देंगे यह आप सोचें लेकिन, निश्चित रूप से पैसा उपलब्ध कराया जाय जिससे कि वह काम कर सकें और वहां का यह बहुत बड़ा अभाव पूरा हो सके। और छोटे-छोटे लिक्स रोड्स बना दें अगर आप विभागीय माध्यम से न करा पाते हों तो उन्हें पैसा उपलब्ध करा दें जिससे कि वे अपने आप निर्माण करालें। मैं आप से आग्रह करूंगी कि मैंने जो बातें कही हैं उनको वे मानें और ग्रामीण जनता का आशीर्वाद लें।

श्री सभापति : श्री भैरूंसिंह।

श्री रामसिंह बिश्नोई (लूणी) : माननीय सभापति महोदय, लिस्ट में तो मेरा नाम है।

श्री सभापति : आपका नाम जो मुख्य सचेतक जी ने लिस्ट दी है उसमें पहले नम्बर पर नहीं है।

श्री रामसिंह बिश्नोई : पहले मेरा नाम है, कटौती प्रस्तावों में।

श्री सभापति : कटमोशन में था लेकिन पार्टी वाले भी नाम देते हैं तो जो मुख्य सचेतक जी ने नाम भेजे हैं उसमें आपका नाम पहले नम्बर पर नहीं है।

श्री रामसिंह बिश्नोई : अभी तो आपके सामने बात हुई थी कि लिस्ट के अनुसार चलेंगे। अब आपको मुख्य सचेतक जी और कुछ कह गये तो हम कौन सी बात मानें ?

श्री सभापति : आपका नाम सचेतक जी ने दिया है हर पहले नम्बर पर नाम भैरूंसिंह जी का है। मैं आपको दोनों को बराबर का मौका दूंगी आप कोई भी बोलें।

एक माननीय सदस्य : मैं बोलता हूं। मेरा नाम भी पहले ही है।

श्री सभापति : आपका तो नाम ही नहीं है लिस्ट में।

श्री रामसिंह बिश्नोई : मेरा तो है ?

श्री सभापति : दोनों को बराबर का मौका देती हूं आप में से कोई भी बोल लें।

एक माननीय सदस्य : मैं बोल लेता हूं। मेरा नाम है।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची) : दोनों का नाम लिया है आप तीसरे कहां से आ गये।

श्री रामसिंह बिश्नोई : कटमोशन के हिसाब से मेरा नाम ऊपर है।

श्री सभापति : यह बात सही हो सकती है परन्तु जो सचेतक जी ने आपके बोलने वाले सदस्यों के नामों की सूची दी है उसमें पहले नम्बर पर नाम भैरूंसिंह जी का है। और दूसरे नम्बर पर रामसिंह जी का है। आप उनसे लिखवा दें मैं मौका दे दूंगी।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : मैं आज के कटौती

प्रस्तावों पर सर्वप्रथम पंचायत के जो कटौती प्रस्ताव हैं उन पर सुझाव देना चाहूंगा। यह कहना चाहूंगा कि पंचायत समितियों में जो शिक्षा चल रही है पंचायत समिति के तहत जो शिक्षक हैं उनकी बहुत दुर्दशा हो रही है। उन शिक्षकों को पहले यह होता था कि समय पर वेतन नहीं मिलता था अब उनको बराबर वेतन तो मिलता है पर विभाग के शिक्षकों को जो सुविधा मिल रही है, जो राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के शिक्षक होते हैं इस एक ही सरकार में रहते हुये भी एक ही राज्य के और एक ही विभाग के होते हुये भी विभाग के अध्यापकों को ऋण आदि की सुविधायें मिलती हैं वह पंचायत समिति के अध्यापकों को नहीं मिलती हैं तो मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार इनको अपना कर्मचारी माने। और जिस प्रकार राज्य सरकार के कर्मचारियों को सुविधा मिल रही है वह इनको भी दी जाय।

सभानेत्री जी, इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि आजादी के बाद जो सरकार बनी जो संविधान बना उसके तहत पंचायतों के चुनाव तीन वर्ष में होने चाहिये लेकिन पिछले वर्षों में जो फैसला किया गया कि पंचायतों के चुनाव की अवधि 5 वर्ष बढ़ा दी गयी है यह तो सरासर अन्याय है। क्योंकि जो सरपंच चुने जाते हैं उस समय तो यह नहीं देखा जाता है कैसा उम्मीदवार है कैसा नहीं है उसके कार्यकलापों के बाद ही पता चलता है कि कैसा आदमी है। तो ग्रामीण पछताते हैं। अतः मैं आपके माध्यम से माननीय पंचायत मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि पांच साल की जो अवधि है उसको कम करके तीन साल के अन्दर चुनाव करवाये जायं जिससे जनता को राहत पहुंच सके। सभानेत्री महोदया, इसके सम्बन्ध में मैं आपके माध्यम से माननीय पंचायत मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जो विधायक चुन कर आते हैं, जो संसद सदस्य चुन कर आते हैं जनता से वोट लेकर आते हैं, उसी प्रकार से सरपंच भी जनता से वोट लेकर आते हैं लेकिन होता क्या है कि सरपंच को किसी काम के ऊपर निलम्बित कर दिया जाता है। लेकिन विधायक और संसद सदस्य को कभी निलम्बित नहीं किया जाता चाहे वह कुछ भी कहे, इसलिए मैं मांग करूंगा कि सरपंच को भी विधायक और संसद सदस्य के समान ही जन प्रतिनिधि माना जावे। उनको निलम्बित नहीं किया जावे और उनकी अवधि पूरी होने तक बने रहने दिया जावे।

इसके अलावा अगर पंचायतों में भ्रष्टाचार होता है, कई सरपंच भ्रष्ट होते हैं तो यह जरूरी है कि उनके विरुद्ध केस बनाया जावे और सरकार के नोटिस में लाया जावे। पंचायतों के तहत ग्रुप सचिव होते हैं, मैं उदाहरण देना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन से एक ग्रुप सचिव को उदयपुर कृषि विश्वविद्यालय में कोई ट्रेनिंग के लिए भेजा गया, ट्रेनिंग के लिए उनको जो पहले वेतन मिलता था वहां जाने के बाद वेतन बन्द हो गया, इसलिए उनके परिवार को बड़ा घाटा हो रहा है, परिवार बहुत ही दयनीय स्थिति में है। मैं पंचायत मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, उस ग्राम सेवक का, ग्रुप सचिव का नाम है रूपाराम चौधरी उसको वेतन दिलवाने के लिए उचित आदेश प्रदान करवाये जावें और उसको वेतन दिलवाया जावे।

(127)

(श्री मैरूसिंह गुर्जर)

सभानेत्री जी, मैंने सड़कों के ऊपर कटौती प्रस्ताव भी दिये हैं । सड़कें तो बना दी जाती हैं सरकार द्वारा, सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा । लेकिन सड़कों के साथ-साथ उनके बीच में जो नदियां आती हैं उन पर पुल नहीं बनाये जाते जिसके कारण सड़कों का बनाना निरर्थक हो जाता है क्योंकि बरसात के दिनों में जब नदियों में पानी आ जाता है तो जो गाड़ियां चलती हैं, वे चार महीनों के लिये बेकार हो जाती हैं । मेरे क्षेत्र में एक मात्र सड़क बनी है मारवाड़ जंक्शन से जोजावर, उस नदी पर दो-तीन पुलों की आवश्यकता है, पुल बन जाने से लोगों को बहुत सहूलियत हो जायगी और शहर से उनका आसानी से सम्पर्क हो सकेगा, इसलिए इसकी व्यवस्था कराने की कृपा करें ।

सभानेत्री जी, इसके बाद मैं एक विशेष सड़क, जिसका निर्माण कार्य चल रहा हैं, आप के क्षेत्र में भी आती है, देवगढ़ में उदयपुर से लेकर जो काली घाटी के पास सड़क बन रही है वह काली घाटी की सड़क कई वर्षों से चल रही है जिसकी पिछले वर्ष सैंक्शन की गई, उसके कार्य में तेजी लाई जावे ताकि वह मेरे क्षेत्र से निकलती हुई जोधपुर से लिंक कर सके और जिससे जोधपुर और उदयपुर के बीच में बहुत छोटा रूट हो सकता है, जो फालना और सिरोही लेवा रूट है वह न होकर मारवाड़ जंक्शन होकर एक छोटा रूट हो सके और यात्री लोग उदयपुर और जोधपुर जल्दी पहुंच सकें ।

सभानेत्री जी, जोड़न से मारवाड़ जंक्शन की जो सड़क बनाई गई थी आज से 15 वर्ष पहले इस पर अभी कोई काम नहीं हुआ है । वह जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है जिसको शीघ्र कराया जाना चाहिये । इस विषय में मैं सार्वजनिक निर्माण मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसकी व्यवस्था करावें ।

इसके बाद मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि मेरे क्षेत्र खारची में आप इस बात की जांच करालें, सड़कें सबसे कम हैं । राजस्थान भर में विभिन्न पंचायत समितियों में जितनी सड़कें होंगी, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बहुत ही कम सड़कें हैं । इसलिए जिनके प्रस्ताव मैंने दिये हैं उनको अविलम्ब प्रारम्भ किया जावे । मारवाड़ जंक्शन और राणावास की सड़क, जो 30 किलोमीटर है, गलवास एक शिक्षा नगरी है वहां कोई सड़क नहीं होने से वहां पर कॉलेज होते हुए भी रेल चलती है, रेल से आना जाना नहीं हो सकता, इसलिए इस मार्ग पर सड़क का निर्माण हो सके तो बस चल सकती है इससे काफी छात्र लाभान्वित होंगे ।

इसके बाद, सभानेत्री महोदया, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय से कि गत दिनांक 14-2-81 को मैं यहां अम्बाजी जा रहा था, तो उधर सिरोही के जिलाधीश कार्यालय के पास एक पहाड़ी का मोड़ है वहां ड्राइवर को पता नहीं रहता है कि कोई खड्डा है या पहाड़ी है, या मोड़ है, अधिकतर एक्सीडेन्ट हो जाते हैं और मेरा उस दिन दुर्भाग्य था, मेरी गाड़ी भी उलट गई जिनमें से तीन व्यक्तियों को

(128)

(श्री भैरूसिंह गुजर)

चोटें आई और दो व्यक्ति आज भी अस्पताल में पड़े हुए हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि उस मोड़ को सीधा करवाया जावे और खड्ढे की तरफ कोई संकेत बनाया जावे या दीवार बनाई जावे या बोर्ड लगवा दिया जाय जिससे इस तरह की दुर्घटना न हो। इसके साथ ही मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति : श्री रामसिंह बिश्नोई।

श्री रेवतराम चौधरी (डूंगरगढ़) : माननीय सभापति महोदया, हमने भी कटौती प्रस्ताव दिये हैं, सीरियल नम्बर कैसे है यह बता दीजिये।

श्री सभापति : यह उचित नहीं है माननीय सदस्य, आप आकर पूछ लीजिये मैं बता दूंगी।

श्री **रामसिंह बिश्नोई (लूणी)** : सभापति महोदया, मैंने सार्वजनिक निर्माण विभाग और सामुदायिक विकास पर अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय सदस्यों के जो सुझाव आते हैं इस विधान सभा के अन्दर, उन पर माननीय मन्त्री महोदय, गम्भीरता से विचार करें। हम केवल फार्मेलिटीज के रूप में ही नहीं और केवल अपनी क्षेत्र की समस्याओं को लेकर ही नहीं, बल्कि बहुत से माननीय सदस्य जो तजुर्बेकार हैं 25–30 साल से जिन्होंने विभागों में तजुर्बा हासिल किया है उसका फायदा सरकार को, माननीय मन्त्री महोदय को उठाना चाहिये इसलिये यहां लाखों रुपया विधान सभा की बैठक बुला कर खर्च किया जाता है। बहुत खुशी की बात है कि माननीय मन्त्री महोदय आज यहां पर बिराजमान हैं। मैं यह उचित समझता हूं कि दो चार बातें जो वास्तव में विभाग के हित में हैं और जनता के भी हित की बातें हैं उन पर वे गौर करें। आज इस आधुनिक युग के अन्दर—जहां पहले जोधपुर से जयपुर, जयपुर से दिल्ली जाने में कई दिन लग जाते थे, बहुत ही कम साधन उपलब्ध थे, वहां पर आज व्यक्ति साधनों की उपलब्धता के कारण चन्द घण्टों के अन्दर ही आराम से पहुंच जाता है। सभापति महोदया, पहले जब कभी आदमी यात्रा करने के लिये जाता था, वर्षों और महीनों लग जाया करते थे वहीं आज दिल्ली हरिद्वार कहीं पर भी आप जाकर घण्टों में वापस आ सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि इस युग में जब समय का महत्व है और तेल का महत्व है, जिस पर आपको विचार करना पड़ेगा। पहले आठ आना गैलन तेल था, डीजल था, पैट्रोल था वहां आज 5 रुपया लीटर पैट्रोल का भाव है। लेकिन उस समय जब सड़कों का अभाव होगा, सड़कें ढंग से बनी हुई नहीं थीं तो कितना समय जनता को खर्च करना पड़ेगा, इस बात पर भी हमको गम्भीरता से विचार करना चाहिये। आज जो जयपुर से दिल्ली सड़क बनी हुई है, नेशनल हाइवे, उसके मुकाबले में एक आदर्श रख कर हमको चलना चाहिये, और सड़कों का निर्माण करना चाहिये। आज ठेकेदारों के मार्फत पी. डब्ल्यू. डी. के अधिकारी लोग काम करवाते है, मुझे यह कहने की जरूरत नहीं, सब जानते हैं। कम से कम एक किलो मीटर सड़क में एक

129

(श्री रामसिंह विश्नोई)

लाख बीस हजार रुपया खर्च करने के बाद भी, बाकायदा दस पर्सेन्ट तखमीना जोड़ते हैं, उसके बावजूद भी कई गुना ज्यादा टेण्डर पास करते हैं। और दस पर्सेन्ट मुनाफा होता है उसके अन्दर लेकिन उसके बावजूद वह कई गुना टेण्डर देते हैं, पास करा देते है और 10 प्रतिशत मुनाफा केवल उन अधिकारियों को लाजिमी तौर पर देते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं यह सारी दुनिया सौ प्रतिशत लोग जानते हैं। आज विभाग के अन्दर कितने ही ईमानदार व्यक्ति हों, पी. डब्ल्यू. डी. के अधिकारी, उनमें से 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत एल. डी. सी. से लगा कर ए. ईएन. एक्स. ईएन. सब आदमी मिलाकर एक करोड़ के काम के अन्दर कम से कम 15 लाख रुपया उनकी जेब में जाता है। उसके बाद 15-20 लाख वह ठेकेदार ले लेता है। उसके बाद आप अन्दाजा लगायें क्या सड़क बनती है। ठेका देने के बाद जब ठेकेदार और अधिकारी मिल जायेंगे तो क्या सड़क बनेगी, क्या होगा और कितना उस पर खर्चा होगा? अपन यहां बैठे-बैठे जो बात करते हैं, असल में कार्य रूप में परिणित नहीं होता है। इसलिए सभापति महोदया, मैं आपके मार्फत कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने अपनी जो मोनोपोली बना रखी है, मुंह बांधने के लिये अपन ब्लैक नहीं कर सकते अपन टेक्निकल आदमी नहीं हैं लेकिन आपको कोई क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा, आपको मौके पर जाकर देखना होगा कि डामर डाली गई या नहीं, कान्क्रीट कितने इंच है, कितनी मोटी बन पाई है, 10-22-12 फीट वास्तविक लैंथ हैं या नहीं। मौके पर सड़क बन रही है आप राजस्थान में एक माह में एक बार भी जाकर, किसी व्यक्ति, किसी होश्यार आदमी को साथ ले जाकर देखेंगे और एक आदमी को भी सस्पेन्ड करेंगे तो बहुत बड़ा कल्याण इस गरीब राजस्थान, जहां टैक्स से लोग मरे पड़े हैं, विकास के काम ठप्प पड़े हैं, का होगा और बहुत बड़ी सहानुभूति होगी। मैं चाहूंगा, बिलकुल इसमें कहने की बात नहीं है कि अधिकारीगण लाखों रुपये कमाते हैं, मैं तो यह आक्षेप लगाता हूं कि वास्तव में अधिकारियों की ठेकेदार के साथ में साझेदारी होती है, 10-15 पर्सेन्ट वह लेते हैं और साझेदारी अपनी अलग रखते हैं। ऐसे भ्रष्ट आदमी जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, एस. ई. सब वास्तव में मिले हुए होते हैं। आज ईमानदार आदमियों की कमी नहीं है विभाग के अन्दर। मैं 15-20 साल से राजनीति में हूं, मुझे तजुर्बा है ऐसे ईमानदार आदमी हैं जो वास्तव में अच्छा काम कर रहे हैं। ईमानदार आदमी को अफसर नहीं चाहते, हम लोग नहीं चाहते। उसको सड़ी जगह डाल दिया जाता है। जो चोर आदमी है जो करप्ट है जिसने पूरे शासन में जनता के पैसे का दुरुपयोग किया है, और करते हैं ऐसे आदमी को किसी ऐसी जगह लगाना चाहिए ताकि लोगों को सबक मिले कि चोरियां, बेईमानी, करप्शन करेंगे तो हमारी यह गत होगी। वे लोग ईमानदारी से काम करेंगे।

दूसरा, सभापति महोदया, मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि आज आप सड़क बनाते हैं पी. डब्ल्यू. डी. के मार्फत, कभी डेयरी की सड़कें, कभी डिपार्टमेंट की सड़कें

(श्री रामसिंह विश्नोई)

बनाते हैं पहले 12 फीट की सड़क बनती थी अब इन्होंने 10 फीट की सड़क बनाना शुरू कर दिया ।

सभापति महोदया, जब आज से 10–20 साल पहले 12 फीट बनती थी उस समय बैलों की गाड़ियां थीं, आवागमन साधनों की कमी थी, अब कौनसा आविष्कार हुआ है ट्रैक्टरों का या गाड़ियों का या हमारे वाहनों की साइज कम हो गई है ? 10 फीट किस आधार पर किया है ? इसलिए जो 10 फीट रखा है वह 10 फीट न रखकर 12 फीट से बढ़ा कर 15 फीट साइज की जाए । जो सड़क आज आप बनाते हैं उस पर एक्जीक्यूटिव इंजीनियर का नाम होना चाहिए कि फलां एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ने यह सड़क बनाई । अगर 3–5 साल से पहले टूटती है, तो उस ठेकेदार का ब्लैक लिस्ट में नाम आना चाहिए और उस एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को बिलकुल सस्पेंड करना चाहिए । आप 50 करोड़ का प्रावधान रखते हैं उसमें से 30 करोड़ ठेकेदार और अधिकारीगण, ये भ्रष्ट लोग खा जाते हैं, भ्रष्टाचार में विश्वास रखने वाले खा जाते हैं और 15–20 करोड़ मरम्मत में लगते हैं । एक-एक, दो-दो किलोमीटर सड़क बड़ी मुश्किल से पूरे राजस्थान में माननीय सदस्यों को मिलती है । ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आप जो भी सड़क बनायें उसकी एक साल बाद, 3–5 साल से पहले मरम्मत करने की जरूरत नहीं हो । आज हालत यह है कि पी. डब्ल्यू. डी. का बनाया हुआ कोई भी मकान नहीं लेता है क्योंकि उसको मालूम है कि यह बनने के बाद जल्दी खराब हो जाता है । हम गांव के आदमी या शहर के आदमी जब अपनी कमाई से इकट्ठे किए पैसे से मकान बनाते हैं, ताज महल है, बड़े-बड़े किले हैं, घरों की दीवारें बनी हुई हैं उनकी 50-50 साल मरम्मत की जरूरत नहीं है लेकिन अपने आफिसर्स, टेक्निशियन 15–20 पर्सेन्ट खाने वाले अधिकारीगण बनाने से पहले गोद खोद लेते हैं मकान की और मकान गिरना शुरू हो जाता है, गिर जाता है, क्याड़ियां, किवाड़ अलग हो जाते हैं, चूना गिर जाता है, सीमेण्ट का नामोनिशान नहीं रहता । आपको चोर भ्रष्ट आदमियों को हटाना पड़ेगा । ईमानदार आदमियों की कमी नहीं है, ईमानदार आदमियों को बाहर लाना पड़ेगा । जब तक ईमानदार आदमियों को सामने नहीं लायेंगे तब तक भ्रष्ट आदमी करप्शन करेगा, आप चाहें कितने ही लाखों का प्रावधान रखें, राजस्थान का सुधार नहीं होने वाला है ।

सभापित महोदया, मैं चाहूंगा कि अभी जो मैंने निवेदन किया, आपके समक्ष पुलिया का मामला बताया । मुझे भी 10–15 साल हो गए, जयपुर से जोधपुर आते समय पहले तो पुलिया बनी थी 10 फीट, फिर तोड़ कर 12 फीट की बनाई, फिर बाद में इन्होंने 15 फीट की पुलिया बनाई । मुझे मालूम है, झूठ नहीं कहता हूं, आप अपने कागजात देखें, एक-एक पुलिया को उन्होंने 10–10 बार तोड़ कर बनाया है । इनको मालूम है कैसे चौराहे टूटते रहते हैं, बनते हैं । साल के अन्दर 50 बार चौराहे बनते रहते हैं । उसी

(श्री रामसिंह विश्नोई)

तरह से ये पुलिया तोड़ते रहते हैं। इसलिए अधिकारियों से कहिए, चीफ इंजीनियर व टेक्निशियन से कहिए कि पहले वे वह सड़कें बनायें जो राष्ट्रीय महत्व की हैं जो जिलों को मिलाती हैं। वह 15–20 फीट चौड़ी होनी चाहिए। मजबूत बनानी चाहिये सोच समझकर ताकि 100 साल तक वह न टूटे। जैसे जयपुर 100 साल पहले बसाया। उस समय 15–20 हजार की आबादी थी लेकिन आज 10 लाख की आबादी है, लोगों को फिर भी तकलीफ नहीं होती है। वह सूझबूझ थी। आज भी होशियार आदमी हैं, इस आधुनिक युग में एक बार आज पुलिया बनती है 10 फीट की दूर पर बनती है बाद में तोड़ना पड़ता है जोड़ लेते हैं। सड़क बनाना आसान है लेकिन पुलिया बनाने तोड़ने से एक महीने तक ट्रैफिक बन्द होने से परेशानी होती है, फिर लोगों में आक्रोश होता है। इसलिए आप मीटिंग करें, गाइडेंस दें। इसके अलावा कृषि उपज मण्डी, डेयरी की सड़कें बनती हैं। आप सब अधिकारियों को, डेयरी वालों को इकट्ठा करें, कृषि मंडी अधिकारियों को इकट्ठा करें, चीफ इंजीनियर को इकट्ठा करें और जो लोग जानते हैं उनको इकट्ठा करके आप सब की राय लेकर काम करें ताकि गलत सड़कें नहीं बनें। जो सड़कें वास्तव में महत्व की सड़कें हैं जो प्लान रोड्स हैं। हम जानते हैं कि अगले 5 साल में 1500 की आबादी के गांवों को जोड़ना है तो कम से कम जो प्लान रोड्स हैं वही उसमें आनी चाहिए। इससे बहुत बड़ी समस्या राजस्थान की दूर हो सकती है।

सभापति महोदया, राजस्थान की बदकिस्मती समझें कि अकाल पड़ता है, इसका फायदा सड़क के लिहाज से नहीं लेकिन इसका फायदा राजस्थान की जनता को राज्य सरकार को हुआ है. करोड़ों रुपये की हर साल केन्द्र से इमदाद मिलती है उससे सड़कें बनती हैं। आप 60 करोड़ रुपये 2–4 महीने में खर्च करने वाले हैं, 40 करोड़ का बजट प्रावधान रखा है सार्वजनिक निर्माण विभाग ने तो एक अरब रुपये के आस पास आप खर्च करेंगे। एक अरब रुपये में आप कितनी पक्की सड़कें, किस ढंग से सुन्दर ढंग से कैसे बना सकते हैं, यह आपको तखमीना बनाना चाहिये। अधिकारियों के पास में बैठ कर पूरे राजस्थान का नक्शा सामने रख कर, पूरे विधायकों की जो मांग है. जो चाहते हैं सड़क डामर की या पक्की होनी चाहिए। उनको सामने रख कर हम 25 सड़कें बता देंगे लेकिन प्रायोरिटी देनी पड़ेगी आपको उनको जो जिलों को मिलाने वाली हैं या पंचायत समिति का मुख्यालय या 1500 या 2000 की आबादी वाले गांवों को जोड़ती हैं। सब को बैठा कर आपको नक्शा बना कर निर्णय करना चाहिए ताकि आपका समय खराब न हो और जो एक अरब रुपया हम हर साल खर्च करते हैं उसमें भी सुधार हो।

मैंने सामुदायिक विभाग के बारे में भी कटौती प्रस्ताव दिए हैं। आज से तीन साल पहले पंचायतों के चुनाव हुए थे। वह चुनाव भी जनता पार्टी के लोगों ने कराये थे, अच्छी बात थी लेकिन चुनाव के अन्दर कुछ खामी रह गई, प्रधान व सरपंचों का चुनाव न करा सके, उनको खुद मालूम नहीं था कि प्रधानों को चुनना है या सरपंचों को

(132)

(श्री रामसिंह बिश्नोई)

चुनना है। प्रमुख का चुनाव प्रधानों से करना है या सरपंचों से किस प्रकार कराना है उनको ज्ञान नहीं था। टेक्निकल गलती रह गई इसलिए चुनाव नहीं करा सके या इसलिए नहीं करा सके कि सरपंच कांग्रेस पार्टी के ज्यादा आ गए होंगे। सरपंच व पंचों के अलावा चुनाव नहीं करा सके यह क्या आप उचित समझते हैं? पंचायतों के बाद सरपंचों, पंचायत समिति और जिला परिषद् के चुनाव होने चाहियें। चुनाव में बहुत खामी है। इसलिए नये सिरे से चुनाव करा कर, अपना माइण्ड बना कर, पार्टी को विश्वास में लेकर आपको चुनाव वापस कराने चाहिए।

इसके अलावा, सभापति महोदया, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज आपके जितने भी पंचायतों के काम हैं वह आपको पंचायतों के मार्फत ही कराने चाहिये। अगर आप पंचायतों के मार्फत काम करायेंगे तो बढ़िया रहेगा और अच्छा भी होगा।

इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा और इस बात के लिये जनता पार्टी के मुख्य मन्त्री जी को धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि उन्होंने अपने शासन काल में यह घोषणा की थी कि हर पंचायत को हर व्यक्ति के लिये ढाई रुपये अनुदान राज्य सरकार से दिया जायगा। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। आपको भी यह कहना चाहूंगा कि आप भी इसके लिये आगे आवें और ऐसी व्यवस्था करावें कि हर पंचायत को पांच रुपये पर हैड प्रति व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जावेगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत उचित होगा क्योंकि, सभापति महोदया, अगर किसी पंचायत के पास पैसे नहीं होंगे तो वह पंचायत काम ही क्या करायेगी। जब तक पंचायतों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगी तब तक वह क्या करेगी उसका काम करने का मन ही नहीं होगा। आज अगर मन्त्री जी के पास पैसे नहीं हैं स्कूल खोलने के लिये या चिकित्सालय खोलने के लिये तो वह क्या करेंगे? वह निराश ही होंगे कि भाई पैसे नहीं हैं। हम भी सोचेंगे कि यह भी क्या करें इनके पास पैसे नहीं हैं। इसलिये मैं, सभापति महोदया, आपके माध्यम से यह राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि आप पंचायतों में हर व्यक्ति पांच रुपये का अनुदान स्वीकार करने की घोषणा करें जिससे कि पंचायतें अपने स्तर पर छोटे-मोटे काम करा सकें, जैसे स्कूल खोलना है, चिकित्सालय बनाना है। जो काम तो पंचायत लेबल पर आराम से हो सकते हैं वह होने चाहिये। तो एक तो मेरा सुझाव है कि पंचायतों की माली हालत सुधारी जानी चाहिये। दूसरा, उन्हीं से छोटे-मोटे काम कराये जायं। इसके अलावा पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के नये सिरे से चुनाव कराये जायं।

इसके अलावा एक बात मैं और निवेदन करना चाहूंगा। आज स्कूल्स, जो कि पंचायतों और पंचायत समितियों के नीचे चलते हैं, की बहुत नाजुक स्थिति है। उनमें 100-100 बच्चों की स्ट्रेन्थ है लेकिन उनमें दो अध्यापक हैं। अब जहां 150 लड़के हों वहां पर दो अध्यापक क्या

(श्री रामसिंह विश्नोई)

करेंगे। कई बार टीचर्स की स्ट्रेन्थ बढ़ाने के लिये कहा जाता है। अध्यापकों की स्ट्रेन्थ मेरे ख्याल से बीकानेर से बढ़ती है। बीकानेर से स्ट्रेन्थ बढ़ाने में बहुत देरी होती है। अब कई जगह पर जो गांव कार्नर में होते हैं वहां पर बच्चों की पढ़ाई अध्यापकों के बिना होने में दिक्कत होती है। तो मेरा राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि अध्यापकों की स्ट्रेन्थ पंचायतों की मांग के अनुसार कराने की व्यवस्था करें।

इन्हीं शब्दों के साथ जो मैंने कट मोशन रखे हैं और जो सुझाव मैंने राज्य सरकार को दिये मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि उनकी ओर ध्यान दें।

श्री सभापति : श्री रतनलाल ताम्बी।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : सभापति महोदया, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा····

श्री सभापति : माननीय सदस्य से यह निवेदन करना चाहूंगी कि आपको भाषण नहीं देना है। कटमोशन है उन पर आपको बोलना है। आपको जो बात कहनी है वह कह दें।

श्री रतनलाल ताम्बी : सभापति महोदया, सबसे पहले मैं अपने विचार पंचायती राज के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। जिससे मेरा पिछले 25-26 साल से सम्बन्ध रहा है उसके सम्बन्ध में मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा। सभापति महोदया, राजस्थान प्रदेश में सन् 1959 में लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की स्थापना हुई थी। उससे सारे देश में राजस्थान की प्रशस्ति हुई थी और सारे देश के अन्य प्रान्तों में उसको अपनाया गया। सभापति महोदया, पंचायत राज मन्त्री जी वैसे तो शहर के रहने वाले हैं लेकिन इस बार इनका निर्वाचन क्षेत्र गांव का है। वह इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि सन् 59 के बाद से लेकर आज 1980 तक के बीच में पंचायती राज एक्ट में बहुत से संशोधन कर दिये गये हैं कई सईलर के जरिये कई अमेन्डमेन्ट होने के कारण इस की मूल भावना ही समाप्त हो गयी है। जो विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था थी वह प्रायः समाप्त सी हो गयी। एक तरह से अब केन्द्रीकरण की व्यवस्था हो गयी। चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे जनता पार्टी की सरकार हो सभी ने विकास विभाग के अधिकारियों के कहने से विधान सभा में इस पंचायती राज एक्ट में धड़ाधड़ बार-बार अमेन्डमेन्ट्स किये हैं। इनके कारण पंचायती राज, लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था समाप्त होती गयी। इसके बाद में इसमें सुधार करने के लिये सादिक अली कमेटी बनी। उसके बाद में गिरधारीलाल व्यास कमेटी बनी। लेकिन उन्होंने जो बातें अपनी रिपोर्ट में दीं वह सब आज तक डवलपमेन्ट डिपार्टमेंट के कोल्ड स्टोरेज में जमा पड़ी हैं। उस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

सभापति महोदया, एक ओर राजस्थान में मांग उठी कि पंचायती राज के सम्बन्ध में राजस्थान में महाराष्ट्र और गुजरात के पेटर्न को अपनाया जाय। यह कहा गया

(श्री रतनलाल शास्त्री)

कि पंचायती राज की व्यवस्था को राजस्थान में आगे बढ़ायेंगे। मेरा आरोप है कोई भी सरकार आयी हो, पंचायती राज राजस्थान में आगे बढ़ने के बजाय पीछे ही हटता गया। सभापति महोदया, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि महात्मा गांधी ने अपने देश में पंचायती राज की कल्पना की थी। वह चाहे आज इधर बैठने वाले गांधीवादी हों, चाहे उधर बैठने वाले गांधीवादी हों पर महात्मा गांधी की जो पंचायती राज के बारे में विचारधारा थी कि गांवों की एक इकाई होगी उस इकाई के माध्यम से सभी व्यवस्था गांवों की होगी वह व्यवस्था राजस्थान में पंचायती राज की होनी चाहिये। इसको सभी सिरे से अब विकसित किया जाना चाहिये। पंचायती राज को मजबूत बनाने की आवश्यकता है; सभापति महोदया, समय का अभाव है इसलिये मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। मेरा निवेदन है कि पंचायत राज के विकास के कार्यक्रमों को पूरा करने के लिये प्रान्त में एक पंचायती राज वित्त निगम बनाया जाना चाहिये जिसके मार्फत ही हमारे गांवों के विकास का कार्यक्रम हो, वह उनको फाइनेन्स करे और सारी व्यवस्था उसी के जरिये हो।

दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहूंगा वह यह है कि जनता के जो प्रतिनिधि चुनाव जीत कर पंचायतों या पंचायत समितियों में आते हैं उन चुनिन्दा लोगों को एक ही कलम से निलम्बित किया जाता है है या हटाया जाता है यह एक बहुत ही अपमानजनक बात है। इसके लिये मेरा सुझाव है कि जिला स्तर पर एक जिला सत्र न्यायाधीश को कैडर का और राजस्थान लेवल पर राजस्थान हाइ कोर्ट के कैडर का एक जज नियुक्त होना चाहिये। इसके लिये एक प्राधिकरण बनाया जाना चाहिये जो कि इन मामलों को देखे और उसी तरह चले जैसे कि हाइ कोर्ट वगैरह स्वतन्त्र है उसी तरह हो। नहीं तो स्थिति ऐसी होती है कि आप भी आये दिन परेशान होते हैं। ऐसा होने से आपको भी दिक्कत नहीं होगी, उनको भी न्याय मिलेगा और आप भी परेशानी से मुक्त होंगे। जिस प्रकार चुनाव आयोग को कोई अपील करनी होती है उसी तरह का प्राधिकरण हो जो कि इसके लिये कार्यवाही करे। ऐसी अपेक्षा करके चलता हूं कि मन्त्री जी इसके लिये कोई घोषणा आज करेंगे।

इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज पंचायती राज के अन्दर जो कर्मचारी हैं और सरकारी कर्मचारी हैं उनकी सुविधाओं में असमानता है। मेरा यह निवेदन है पंचायती राज मन्त्री जी से कि वह इस विषमता को दूर करने की घोषणा आज करें। सरकारी कर्मचारियों के बराबर का कैडर बनाया जाय जिससे कि कोई विषमता नहीं रहे।

इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा। पंचायती राज मन्त्री जी से कि आज वे दो बात की घोषणा करें। एक तो यह है कि राजस्थान सरकार पंचायतों में हर व्यक्ति को ढाई रुपये प्रति व्यक्ति अनुदान देती है, यह विषमता है शहर और गांव के बीच में। शहर में नगरपालिका क्षेत्र में हर व्यक्ति को पांच रुपये प्रति व्यक्ति

(श्री रतनलाल ताम्बी)

अनुदान के रूप में सरकार द्वारा दिया जाता है, यह विषमता दूर की जानी चाहिये। मेरा सुझाव है कि गांवों में भी हर व्यक्ति को पांच रुपया अनुदान दिया जाना चाहिये। इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में हर पंचायत को एक ग्रुप सचिव दिया जाना चाहिये। पंचायतों में दो-तीन पंचायतों के बीच में एक ग्रुप सचिव होता है। जब कभी कोई सरपंच पूछता है तो वह ग्रुप सचिव यह कह देता है कि दूसरी पंचायत के सरपंच के पास चला गया था। दूसरा पूछे तो कह देता है कि मैं तीसरे के पास चला गया। आज स्थिति यह है कि पंचायतों का काम नहीं हो रहा है। मेरा निवेदन यह है कि आप ऐसी व्यवस्था करावें कि हर पंचायत का एक ग्रुप सचिव अलग से होना चाहिये। अगर आप पांच रुपये प्रति व्यक्ति एक गांव की पंचायत को अनुदान देंगे तो पंचायतों की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। मैं यह भी जानता हूं कि अभी पंचायतों की आर्थिक हालत सुधरी हुई नहीं है। राज्य सरकार की भी आर्थिक हालत कोई अच्छी नहीं है। इसके साथ मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि 1981 की जनसंख्या के आधार पर जब आप और ग्राट देंगे तो काफी बड़ी मात्रा में पंचायतों को ग्राट उपलब्ध हो जावेगी। मेरा इसमें सुझाव है कि जो पाच रुपये आप प्रति व्यक्ति पंचायतों को अनुदान दें, आप एक तिहाई उस ग्राट इन एड के मद से ग्रुप सचिवों की नियुक्ति पर खर्च करें। ऐसा करने से पंचायतों का काम भी हो जायगा और हर पंचायत में एक ग्रुप सचिव भी होगा।

इसके बाद मैं पंचायत की जो वसूलियां बाकी हैं उसके बारे में भी थोड़ा निवेदन करना चाहूंगा। आज स्थिति ऐसी है कि पंचायतों की वसूलियां नहीं हो रही हैं। दूसरे जो पंचायत एक्ट की धारा 85 है जिसके अनुसार पंचायत पुलिस से मदद ले सकती है। वह पुलिस भी आज उनको मदद नहीं करती है। पंचायतों को पुलिस बिलकुल नहीं गांठती है और राजस्व एजेन्सी भी उनकी मदद नहीं करती है। इसके लिये प्रावधान किया जाय। इसलिये आज स्थिति यह है कि पंचायतों की लाखों रुपयों की बकाया लोगों में बाकी पड़ी है। इसलिये मेरा आपके माध्यम से यह राज्य सरकार से अनुरोध है कि ऐसा प्रावधान किया जाय जिससे कि पंचायतों की बकाया वसूल हो सके और पंचायतें अपना काम ठीक ढंग से करा सकें।

इसके साथ-साथ पंचायतों में विकास के कार्य करने के लिये कुछ ऐसी व्यवस्था की जाय, कुछ नये व्यक्तियों को लिया जावे इसके लिये मेरा सुझाव है कि राज्य सरकार कुछ अनुभवी लोगों की एक कमेटी बना कर उससे सुझाव लेकर पंचायतों, पंचायत समितियों का सशक्त रूप से कार्य करावे। अगर ऐसा नहीं किया गया तो पंचायत समितियां और पंचायतें अपना काम व्यस्थित ढंग से नहीं कर सकेंगी।

मैं साथ-साथ यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि किसी भी संस्था को जीवित रखने के लिए, उसको क्रियाशील रखने के

(136)

(श्री रतनलाल तांबी)

लिए आवश्यक है कि उसके चुनाव समय पर हों। आज के दिन पंचायतों के चुनाव जनता पार्टी ने करके वाहवाही लूट ली लेकिन जब उन्होंने देखा कि इनमें उनके विचार के लोग नहीं आये तो सारी व्यवस्था ही उन्होंने बदल दी और कानून ही बदल दिये और सारी प्रजातंत्र की प्रथा ठप्प कर दी और एक सीमित निर्वाचन मण्डल द्वारा चुनाव की बात सोची वह भी वह नहीं कर सके। मैं सुझाव देना चाहूंगा कि पिछली कांग्रेस सरकार की तरफ से जो निर्वाचन मण्डल था वह अच्छा था उसके जरिये आप चुनाव करायें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि आयेंगे और उनका जनता से सीधा सम्पर्क होगा और विकास होगा। इसलिए इस तरफ ध्यान देंगे ऐसा मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा।

समय केवल हमारे दल को 15 मिनट का है और केवल मुझे ही बोलना है इसलिए उस दृष्टि से मैं निवेदन करूंगा कि 100 एकड़ तक के तालाबों को पंचायत समितियों को दे दें तो बहुत उपयुक्त होगा। इसके साथ ही साथ जो व्यवहार है कि एक तालाब है उसका पानी पंचायत समिति का, पेटा रेवेन्यू का और वृक्ष किसी और के हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि जो तालाब आप पंचायत समितियों को सुपुर्द कर दें उसकी सारी व्यवस्था पंचायत समितियों को ही होनी चाहिए। उसका लगान बनता है वह पंचायत समितियां दे दें। वह चाहे काश्त पर दे दें या अलाट करें या कुछ भी व्यवस्था करें। तो यह तालाब बिलकुल पंचायत समितियों में होने चाहिए। उसमें अलग-अलग एजेन्सी बीच में नहीं हो, ऐसी व्यवस्था करें। इससे विवाद मिटेंगे और पंचायत समितियों की आय भी बढ़ेगी और पंचायत समितियां तालाबों के निर्माण में अधिक दिलचस्पी ले पायेंगी।

तो मैं मोटे तौर से समय के अभाव में बात समाप्त करते हुए आग्रह करूंगा कि मेरे सुझाव मेरी दृष्टि से बहुमूल्य हैं और पंचायती राज से जैसा मेरा सम्पर्क रहा है इस दृष्टि से निवेदन करना चाहूंगा कि आज पंचायती राज को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है। विकास के कार्यों को इसके बिना गति नहीं दे सकते और यह मैं कहूंगा कि ग्रामों के विकास की एजेन्सी पंचायतों को माना जाय और जितने भी वहां कार्यक्रम हो पशुपालन, औषधालय, कोआपरेटिव, लोनिंग आदि की व्यवस्था की एक ही एजेन्सी होनी चाहिए। यह सुझाव देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूंगा।

अब मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर आना चाहूंगा। माननीय मन्त्री महोदय आप यह जानते होंगे कि यहां से दिल्ली चले जायें और हरियाणा में चले जायें। उधर राजस्थान की सीमा को छोड़ कर मध्य प्रदेश और गुजरात में चले जायें कहीं भी अच्छी सड़क आये तो समझ लो कि सीमा चेन्ज हो गयी, बदल गयी। राजस्थान में मैं कह सकता हूँ कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की जितनी भी सड़कें हैं देश में सबसे नीचे गिरे हुए स्तर की राजस्थान में हैं। इसलिए मैं सुझाव के तौर पर निवेदन करूंगा कि आप सड़कों की क्वालिटी में सुधार करें और अच्छी सड़कें राजस्थान में बनें इस दिशा में आप पूरा ध्यान देंगे। मैं

(श्री रतनलाल तांबी)

इस सन्दर्भ में आपसे निवेदन करूंगा कि राजस्थान में जहां सड़कों के विकास की बात मैंने आपके जरिये रखी है मैं इसके साथ ही साथ यह भी चाहूंगा कि राजस्थान में विपुल खनिज सम्पदा है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : 15 मिनट समाप्त हो गए, क्षमा करें । श्री नारायण सिंह ।

श्री रतनलाल तांबी : दो मिनट ही लूंगा केवल ।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि भीलवाड़ा जिले में माइनिंग का क्षेत्र काफी है । इसकी सड़कों के विकास की तरफ माइनिंग विभाग ध्यान नहीं देता । मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग से आग्रह करूंगा कि राजस्थान में नॉन-टैक्स रेवेन्यू बढ़े इसलिये माइनिंग क्षेत्र में सड़कों के विस्तार के कार्यक्रम को तेजी से गति दें । तो आपकी सड़कों के लिए रुपया या जो फण्ड वगैरह की कमी है उसमें भी सुधार होगा और सड़कें भी अच्छी बन पायेंगी । इस दृष्टि से भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ से जहाजपुर रोड 30 साल से बननी थी लेकिन पूरी हुई नहीं । देवरिया से कोटड़ी चैनपुरा माइन्स, जहां एशिया का सबसे बड़ा सोप स्टोन का काम है और खजूरी से चैनपुरा वाया आमलदा सड़कों पर सकरगढ़ के पास मेज नदी पर एक पुल बना दें तो सकरगढ़ का इलाका भीलवाड़ा और बूंदी जिला एक हो जायगा और उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण एरिया जुड़ जायगा । यही सुझाव देता हुआ मैं यही निवेदन करूंगा कि आशा है, मेरे सुझावों पर गम्भीरतापूर्वक और बड़ी ही सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायगा ।

जयहिन्द

श्री सभापति : श्री नारायण सिंह ।

श्री नारायण सिंह (दांतारामगढ़) : सभापति महोदया, सार्वजनिक निर्माण विभाग और सामुदायिक विकास योजनाओं पर मेरे कटौती के प्रस्ताव हैं इन पर मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा ।

सभापति महोदया, मुझे कहते हुए यह तकलीफ है कि हमारे सीकर जिले में जो सड़कों की लम्बाई है वह राजस्थान के दूसरे जिलों के बनिस्वत सबसे कम है । अनुपात के हिसाब से हमारा सीकर जिला सड़कों के मामले में मैं यह कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सबसे कम और पिछड़ा हुआ जिला रहा है । दूसरे जिलों की जनसंख्या को जब हमारे जिले की जनसंख्या से मैं देखता हूं तो उसमें बहुत बड़ा अन्तर है । हमारे यहां कुल जो सड़कों की लम्बाई है वह 800 और कुछ मील के करीब है और उसका प्रतिशत केवल 7·8 आता है । तो यह हमारे साथ और हमारे जिले के साथ जो अनुपात के हिसाब से भेदभाव है मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस भेदभाव को दूर करके हमारे जिले को भी सड़कों के मामले में दूसरे जिलों के मुकाबले में लाने की कृपा करेंगे, ऐसा निवेदन करता हूं ।

(138)

(श्री नारायण सिंह)

सभापति महोदय, कुछ सड़कें जो बहुत महत्वपूर्ण हैं उनको बनाया जाना चाहिए। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर ही आज से दस साल पूर्व कोट से मंडा नगरी होकर जो जयपुर की ओर नागौर को जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण सड़क थी उसकी योजना बनी, वह प्लानिंग के अन्दर ली गयी और उसके अन्दर आधे से ज्यादा सड़क बनी लेकिन उसके बाद वह सड़क आज तक अधूरी पड़ी है। उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। यदि उस सड़क को पूरा किया जाय तो सीकर होकर जो नागौर से डीडवाना और लोसल और इस क्षेत्र को जोड़ती है तो 30 किलोमीटर का फर्क पड़ेगा और 30 किलोमीटर का ही फर्क नहीं पड़ेगा बल्कि जो ट्रैफिक है वह भी चेन्ज हो जायगा और उसके कारण से आये दिन दुर्घटनायें होती हैं उसमें भी कमी आयेगी और उसका बहुत बड़ा लाभ इस जिले को दूसरे जिलों से ही जोड़ने की बात नहीं है बल्कि राजमार्ग से भी जोड़ने की बात है।

इसके अलावा कुछ सड़कें जो बनाई गई हैं वह या तो अधूरी हैं या उनको ठीक तरह से नहीं बनाया गया है। हमको निश्चित रूप से मन्त्री महोदय इस बात के लिए सोचना पड़ेगा कि यह जो ठेकेदारी सिस्टम है उसको निश्चित रूप से किसी न किसी तरीके से बदला जाना चाहिए। आज मेरे से पूर्व माननीय सदस्य ने भी इस बात के लिए कहा है कि ठेकेदारी सिस्टम के अन्दर सड़कें अच्छी नहीं बनती है और इन सड़कों के अच्छा नहीं बनने का कारण हमारे ठेकेदार और इन्जीनियर्स हैं और उनकी लापरवाही है। वह जान बूझकर उसमें कमीशन लेते हैं और उसके कारण से ही सारे घपले हैं और सड़कें अच्छी नहीं बन पाती हैं। मैं सोचता हूं कि इस ठेकेदारी सिस्टम को निश्चित रूप से चेन्ज किया जाना चाहिए। यदि यही गति रही तो जो पैसा सरकार सड़कों के लगाने में देती है उसका मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि यदि 60 पर्सेन्ट भी पैसा काम में आये तो अच्छी सड़कें बनेंगी लेकिन उस पैसे का दुरुपयोग होता है और घोटाला होता है और यह जो सिस्टम बनाहुआ है, जो ठेकेदार सड़क बनाते हैं वह जानते हैं कि उसका कितना पर्सेन्टेज किस को कितना देना है यह मैं सोचता हूं बड़े गम्भीर मामले हैं इनको निश्चित रूप से मन्त्री महोदय, गम्भीरता से लेंगे इसमें सुधार करेंगे ताकि यह जो भावना है कि इस सिस्टम को चेन्ज नहीं करते इसको चेन्ज करें।

इसके साथ-साथ जो अकाल के अन्दर सड़कें बनी हैं मेरे क्षेत्र के अन्दर तीन सड़कें बनी हैं। मेरे क्षेत्र के अन्दर ही तीन सड़कें ऐसी हैं जो महत्वपूर्ण हैं पलसाना से गावेटी, गोरिया से जीनमाता और बादुर से श्यामपुरा। इन सड़कों के ऊपर, सभापति महोदय, अकाल के अन्दर बहुत कुछ पैसा खर्च हुआ। एक दफा नहीं जब-जब अकाल पड़ा उन सड़कों पर करीब-करीब पूर्ण काम हुआ लेकिन उन सड़कों की आज ऐसी हालत है कि उन पर कोई चल नहीं सकता, वह इसलिये है कि अकाल के अन्दर उन सड़कों की मरम्मत नहीं हो सकती।

(श्री नारायण सिंह)

निर्माण विभाग उस सड़क को लेता नहीं और नहीं लेने से जो अधूरी पड़ी हुई हैं जो काम होने वाले हैं वह पूरे होते नहीं इसलिये इस तरह की व्यवस्था की जाय कि अकाल के अन्दर जो सड़के बनें उन सड़कों को इस साल नहीं तो उन्हें प्लान के अन्दर डाल कर पूरा किया जाय जिससे जो देश का, प्रान्त का पैसा बरबाद हो रहा है उस पैसे को बरबाद होने से बचाया जा सके और वे सड़कें काम आ सकें। मैं सोचता हूं कि मन्त्री महोदय निश्चित रूप से इस ओर ध्यान देंगे।

इसके साथ ही मेरा निवेदन है कि अलग विभागों में सड़क निर्माण के मामले में समन्वय किया जाय। डेयरी डवलपमेंट अलग से सड़क बना रहा है, ए. पी. डी. पी. वाले अलग से सड़क बना रहे हैं, मण्डी कमेटी वाले अलग सड़क बना रहे हैं, पी. डब्ल्यू. डी. वाले अलग सड़क बना रहे हैं। वह सारी सड़कें पूरी होती नहीं, अधूरी रहती हैं, किसी में पैसे का अभाव आता है, किसी में काम करने वाले नहीं हैं। मैं आपको यहां तक बताऊं, मेरे यहां एक मण्डी कमेटी ने सड़क का काम हाथ में लिया। जब से सड़क का काम हाथ में लिया तब से 7 साल हो गये, आज तक वह सड़क पूरी नहीं हो सकी। यह मण्डी कमेटियों के पास इन्जीनियर नहीं हैं, ए. इ. एन. नहीं, काम कराने वाले नहीं। किस के माध्यम से काम करायें? सड़कें अधूरी बनी पड़ी हैं। पैसा ब्लाक हुआ पड़ा है। जो पैसा लगा है उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। इसलिये यह सारे जो अलग-अलग विभाग हैं, अलग-अलग संस्थायें हैं उन सबका समन्वय करा कर, सबको मिला कर प्रान्त के अन्दर जो भयंकर अकाल है उसमें मैं मानता हूं निश्चित रूप से लोगों को रोजगार देने के लिये सड़कों का काम हाथ में लिया जायगा तो सड़कों का जो पैसा लाखों और करोड़ों रुपया पड़ा है उस पैसे का उपयोग उन सड़कों को पूरा करने के अन्दर किया जा सकता है।

इसके अलावा मेरे यहां की कुछ सड़कें हैं उसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगा। मेरे यहां कुछ ऐसे गांव हैं जैसे दीनमाता, खाटू श्यामजी जो धार्मिक गांव हैं उनको जोड़ने के लिये सड़कें नहीं हैं। लाखों लोग इस प्रान्त के नहीं बल्कि देश के कोने कोने से आते हैं। जब यहां आकर वह हालत देखते हैं तो तकलीफ होती है कि आज ऐसे स्थानों, जहां लाखों की संख्या में लोग आते हैं, को सड़कों से नहीं जोड़ा गया। मैं मांग करता हूं आपके माध्यम से, ऐसी सड़कों, जिनमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, थोड़ा बहुत काम है, को भी इस साल में लिया जाकर उन का कार्य पूर्ण करें।

सभापति महोदया, दूसरा मेरा जो कटौती प्रस्ताव है वह सामुदायिक विकास का है। मुझे यह कहते हुए तकलीफ होती है कि जब से 1959 के अन्दर पंचायती राज की व्यवस्था हुई उस समय से लेकर अब तक मेरा लगातार पंचायती राज लगाव रहा है। इस पंचायती राज से की जैसा कि हम कल्पना करते हैं, जब इस पंचायती राज की व्यवस्था हुई उस समय हम यह मान कर चलते थे कि गांव के आदमियों, गांव के रहने वाले लोगों, गांव में रहने वाले उन लोगों, जो इसके अन्दर काम करके लोग अपने क्षेत्र का

(140)

(श्री नारायण सिंह)

विकास करने में दिलचस्पी रखते हैं, का योगदान सरकार ले रही है। यह महसूस करके पंचायती राज की व्यवस्था की गई। एक ऐसी व्यवस्था हुई जिससे आम आदमी महसूस करने लगे कि मेरा भी योगदान है। मैं भी इस काम को पूरा करने में योग-दान दूं। मैं भी सहयोग करूं। धीरे-धीरे हम यह सोचते थे कि पंचायती राज की व्यवस्था और सुदृढ़ होगी, पंचायती राज को और अधिकार और कर्त्तव्य दिये जायेंगे जिसके कारण से आम आदमी, जो गांव में रहने वाले हैं, का अधिक विकास होगा। लेकिन मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि इस पंचायती राज की व्यवस्था को हमने पंगु बना दिया है। हम सोच भी नहीं सकते कि इसकी व्यवस्था ठीक भी होगी। आज यहां जब पंचायती राज की व्यवस्था की बात पैदा होती है तो कमेटी बना दी जाती है। राजस्थान के अन्दर पंचायती राज किस तरीके से सुदृढ़ बनाया जाय, पंचायती राज की व्यवस्था किस प्रकार से सुधारी जाय, पंचायत समिति और जिला परिषदों को क्या-क्या अधिकार दिये जाय इसके लिये एक कमेटी नहीं दो दो कमेटियां बनीं। सादिक अली कमेटी बनी। सादिक अली कमेटी ने अच्छे सुझाव दिये किन्तु उस पर कोई अमल नहीं उसके बाद गिरधारी लाल व्यास कमेटी बनी। गिरधारी लाल कमेटी की रिपोर्ट भी अच्छी थी वह पड़ी हुई है। लाखों रुपया खर्चा तो हुआ है लेकिन उस पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई। उसके कारण पंचायती राज की व्यवस्था जो हम सोचते थे कि इससे विकेन्द्रीकरण आयेगा, उसके माध्यम से गांव का आदमी विश्वास करता था कि उसका भी राज के अन्दर कुछ काम है, वह भी इसके अन्दर कुछ काम करना चाहता है, देखना चाहता है लेकिन आज जब देखते हैं तो मालूम होता है कि उसकी स्थिति नहीं के बराबर है। आज पंचायत समितियों के अन्दर अध्यापकों को तनख्वाह देने के अलावा कोई काम नहीं रहा है। आर.ए.एस. आफिसर्स को जो पंचायत समितियों के अन्दर रखा था उनको उठाया, उनके बाद वहां जो स्टाफ अलग-अलग विभाग का रहता था उसको उठाया। आज स्थिति यह है कि अध्यापकों को खाली तनख्वाह देने के अलावा पंचायत समिति में कोई काम नहीं रहा। आज पंचायत समिति में चाहे कर्मचारी हों, चाहे अधिकारी हों, चाहे काम करने वाले कार्यकर्त्ता हों सब यह महसूस करते हैं कि उनके पास न अधिकार हैं, न कोई काम है। पंचायती राज के नाम को लिये हम खाली लीक पीट रहे हैं। इसके अलावा कोई काम रहा नहीं है। जनता पार्टी जब राज में आई तो वह इस बात को पहले हमेशा कहती रही कि कांग्रेस पंचायत समितियों का चुनाव नहीं करना चाहती, ऐसी संस्थाओं के चुनाव नहीं कराना चाहते हैं, मैं यह सोचता हूं कि उन्होंने बहुत किया। उन्होंने पंचायतों के चुनाव करवा दिये और पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव नहीं कराये, उनमें प्रशा-सक लगा दिये। रामसिंह जी यह कह रहे थे कि खाली पंचायतों के चुनाव कराने के पीछे उनकी क्या भावना थी। पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव क्यों नहीं कराये। मैं आपको सही बताना चाहता हूं कि पंचायतों के जब चुनाव हुए और जब उसका नतीजा आया तो उसको

(श्री नारायण सिंह)

देख कर भयभीत हुए कि 9 और 10 प्रतिशत से ज्यादा सरपंच नहीं आये हैं। भयभीत हुए। भयभीत होकर पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव नहीं कराये इसका एकमात्र कारण यह है कि भैरोंसिह जी बड़े होशियार आदमी थे, मैं जानता हूं, हमारी कान्स्टीट्यूएंसी के रहने वाले हैं। एक जगह हम रहते हैं, बड़े होशियार आदमी हैं। यह मान कर कि दो तीन से ज्यादा पंचायत समितियों, जिला परिषदों में जनता पार्टी का अधिकार नहीं होगा, उन्होंने पंचायतों के अन्दर काम के बदले अनाज देकर जैसे कबूतर को फंसाते हैं उनको फंसाने की चेष्टा की, फंसाने की ही चेष्टा नहीं की बल्कि मैं आपको विश्वास से कहता हूं, आप कहें तो आपको नाम बता दूं मेरे क्षेत्र में 5 सरपंच भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन पांचों के पांचों सरपंचों ने लाखों रुपये के घोटाले किये हैं। एक तो यहां तक किया जब जनता पार्टी का राज था, भैरोंसिह जी यहां चीफ मिनिस्टर थे, तब उन्होंने, मेड़ता सरपंच का नाम लेकर कहना चाहता हूं, सीकर से सौ बोरी गेहूं की लीं और सौ बोरियां गेहूं की लाकर रास्ते के अन्दर 50 बोरियां उतारीं और 50 उतार कर तो अपनी पंचायत में ले गये और 50 दूसरे ट्रक में रख करके वापस बेचने के लिए ले गये। जब गांव वालों ने पकड़ा और पकड़ कर जब थाने में केस रजिस्टर हुआ तो यहां से टेलीफोन किया कलेक्टर के पास, यहां से टेलीफोन किया एस०पी० के पास और यह कहा कि यह हमारा सरपंच है, इसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए, फलस्वरूप केस रजिस्टर नहीं हुआ। उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। आज उसकी जांच हो रही है। सभापति महोदया, मैं आपको बताऊं कि उसने सौ बोरियों को तो रिकार्ड पर दिखाया है कि सौ बोरी तो सीकर से उस पंचायत तक ले जाने में खतम हो गयीं, घट गयीं। इस बात के लिए रास्ते में कहीं गिरती गयीं, गिरती गयीं। सौ बोरी ये गयीं। तो ये जो था, ये जो इनका हाथ चुनाव कराने के लिए, ऐसे लोगों को जो भ्रष्टाचारी बनाने का तरीका—

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

ये जो तरीका था, ये अच्छा नहीं था। आज गांव की पंचायत के अन्दर, आज भी ये लोग भ्रष्टाचार का नाम नहीं जानते थे। ये जानते नहीं थे कहीं सोचते नहीं थे कि गांव के अन्दर पंच जो होते हैं, वह परमेश्वर के बराबर होते हैं लेकिन उसी तरह की पंचायत होती हैं, इन्होंने अनाज को देकर, यह कहकर कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। पंचायतों को, लोगों को भ्रष्ट बनाया और उसके कारण से आज हालत यह हुई कि इन्होंने बहुत काम किया, पंचायत के माध्यम से बहुत बड़ा काम हाथ में लिया, बहुत बड़ा काम यदि लेते और.......

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

बहुत बड़ा काम करते तो नतीजा इधर नहीं होता, बल्कि इधर होता लेकिन उन लोगों को आपने भ्रष्ट बनाया, आपने लोगों को गलत रास्ते पकड़ाये और उसके कारण गत ये हुई। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जिन लोगों के खिलाफ

142

(श्री नारायण सिंह)

शिकायतें हैं, उनको यदि आप वास्तव में रोकना चाहते हैं और दूसरे लोगों को सिखाना चाहते हैं कि पंचायत राज के अन्दर जो छोटी यूनिट है, उसके अन्दर भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए। आपके पास शिकायतें पड़ी हैं, उनकी जांच हुई है? उनके खिलाफ इन्क्वायरी कीजिए। आपने सस्पेन्ड करने के लिए उनको आडिट करवाने के लिए आर्डर दिया? आडिट रिपोर्ट के अन्दर जो हुआ है, उसमें यह कहा है कि 95 हजार रुपये का इसमें घोटाला किया है। यह आडिट के अन्दर हुआ है। ऐसे मामले निश्चित रूप से पुलिस में देना चाहिए जिससे दूसरे लोग इस तरह का दूसरा रास्ता अख्तियार नहीं करें। ज्यादा समय न लेकर इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आप निश्चित रूप से जब डिमाण्ड का उत्तर दें, उस समय आपको यह घोषणा करनी चाहिए कि राजस्थान के अन्दर पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव, जो अधूरे पड़े हैं, जल्दी से जल्दी करवाये जाने चाहिए जिससे कि गांव में काम करने वाले आदमी, गांव में रहने वाले व्यक्ति, जो काम करना चाहते हैं और आपको सहयोग करना चाहते हैं और आपके सारे विकास के काम के अन्दर शामिल होकर इस अकाल के साथ सहयोग करना चाहते हैं, उनका सहयोग लीजिए और उन पंचायत समितियों और जिला परिषदों का चुनाव करवाइये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं। मेरी जो कुछ खास-खास मांग हैं, उन पर निश्चित रूप से ध्यान दें और जो हमारे जिले के साथ भेदभाव है, उस भेदभाव को दूर करेंगे।

श्री सभापति : श्री यदुनाथ सिंह।

श्री रतना राम चौधरी (रानीवाड़ा) : साहब मेरा नाम भी है, मुझे जाना है, मैं पहले बोलना चाहता हूं।

श्री सभापति : आप बाद में बोलिये।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : माननीय सभानेत्री जी, मेरा कटौती प्रस्ताव सार्वजनिक निर्माण विभाग में गांव में सड़कों के अभाव के बारे में है। गांव के साथ यों तो हर प्रकार से भेदभाव बरता जाता रहा है। वैसे तो हर कोई नारे लगाता है कि देश की आत्मा गांव में बसती है लेकिन सड़कों के बारे में और सार्वजनिक निर्माण कार्य के बारे में और सभी तरह के निर्माण कार्यों के बारे में गांवों के साथ शुरू से भेदभाव बरता जाता रहा है, जो आपकी प्रगति रिपोर्ट हमें दी गयी है, उसके हिसाब से।

श्री सभापति : मैं आपको याद दिला दूं, 10 मिनट है आपका समय।

श्री यदुनाथ सिंह : राजस्थान में कुल 36,434 किलोमीटर सड़कें हैं। उनमें से 36641 किलोमीटर जिला स्तर पर हैं। उसमें से ग्रामीण सड़कें सिर्फ 9853 किलोमीटर हैं। इसमें से भी 2519 किलोमीटर कच्ची सड़कें अगर आप निकाल देंगे तो केवल 7374 किलोमीटर सड़कें गांव के लिए बचती हैं। जहां 36434 किलोमीटर सड़कों में से गांव में केवल 7 हजार किलोमीटर सड़कें बनी हैं और वे सड़कें भी यहां

(श्री यदुनाथ सिंह)

तो रोज सड़कें चौड़ी की जाती हैं, ऊंची की जाती हैं, डामर किया जाता है लेकिन उनको सड़क नहीं कह सकते। कच्चे रास्ते से भी गयी बीती हैं। दगड़ा गांव का अच्छा होता है लेकिन उनकी हालत बहुत खस्ता है। गांव में अधिकारी जाना नहीं चाहते, उसके बारे में तो क्या कारण है, वह तो शिक्षा पर जब डिबेट करेंगे, तब बोलूंगा। जो बजट इस बार दिया गया है और जो प्रगति रिपोर्ट में दर्शाया गया है, हमें केन्द्रीय सरकार से जो सहायता मिलनी चाहिए थी, जो पिछले वर्ष मिली थी, उसके अनुपात में, इस वर्ष सरकार क्या सहायता मांग रही है। पता नहीं क्यों कम मांग रही है? इसका कारण मुझे लगता है कि मुख्य मंत्री की केन्द्र पर पकड़ कमजोर होती जा रही है। जैसा मैंने कल अर्ज किया, उनका टेलीफोन का तार काटा हुआ है और नया कनेक्शन नहीं हुआ है। शायद कारण यही इसका होगा। सन् 80-81 में केन्द्रीय सड़क निधि से 45 लाख 10 हजार रुपया मिला था जिससे 15 किलोमीटर सड़क का निर्माण का लक्ष्य, उसके लिए 81-82 में सिर्फ 45 लाख रुपये की मांग की गयी है जब कि पिछले साल से 10 हजार रुपये कम है। इसमें महंगाई जोड़ कर महंगाई घटायें तो पूरी रकम 33 लाख रुपये के करीब आती है। इसी प्रकार से जो अन्तर्राज्यीय महत्व की सड़कें हैं उसमें भी पैसा कम करके लिया गया है, उससे जाहिर होता है कि सरकार की पकड़ उस पर नहीं है। चम्बल कमाण्ड एरिया में बड़े अजीब लक्ष्य दिये जाते हैं, उनको आप गौर से देखेंगी तो आपको पता होगा, सभापति महोदया, कि लक्ष्य प्राप्त करने में और आंकड़े देने में कितना अन्तर है। चम्बल कमाण्ड क्षेत्र में कोटा और बूंदी जिला क्षेत्र में 80-81 में 85 लाख रुपये के प्रावधान थे, 30 किलोमीटर सड़क बनाये जाने का लक्ष्य था जिसमें से दिसम्बर, 80 तक 20 लाख 22 हजार रुपये खर्च करके केवल 10 किलोमीटर सड़क बनायी गयी है, बाकी 20 किलोमीटर सड़क—जब 40 लाख 12 हजार रुपये में 10 किलोमीटर सड़क बनी तो 44 लाख 88 हजार रुपये से 20 किलोमीटर सड़क का लक्ष्य ये कैसे प्राप्त करेंगे? जब कि केन्द्रीय बजट जो आया है, उसमें कोयले का पैसा बढ़ा है, उसमें डीजल का पैसा बढ़ा है, उसमें स्टील का पैसा बढ़ा है। उसमें पैट्रोलियम, तारकोल का पैसा बढ़ेगा। उसमें लागत दुगनी-तिगुनी आने वाली है। माननीय सभापति महोदया, मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि यह लक्ष्य किस तरह से प्राप्त करना चाहेंगे?

सार्वजनिक निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार सिंचाई विभाग के बाद दूसरे नम्बर पर आता है। सिंचाई विभाग में तो मिट्टी बह जाती है, उसमें दर्शाते हैं कि मिट्टी बह गयी लेकिन इस विभाग में इतना भ्रष्टाचार व्याप्त है, यह छिपा हुआ नहीं है कि कमीशन बंधा हुआ है, जब कमीशन का समय हुआ तो जो ठेकेदार ज्यादा कमीशन देगा, वह ज्यादा मिट्टी मिलायेगा। इस तरह से कमीशन 10 पर्सेन्ट और 5 पर्सेन्ट बंधा हुआ है। यहां पर अधिकारियों की पोस्टिंग के बारे में भी भारी धांधली इस सरकार के आने पर की जा रही है। एक एम. के. पटेल थे, जब चीफ मिनिस्टर का चुनाव हो रहा था तो उनके ट्रान्सपोर्ट

(श्री यदुनाथ सिंह)

इंचार्ज थे, वहां पर उनको जबर्दस्ती प्रमोट करके, जबकि और लोगों को सुपरसीड करके, उनको वेटिंग में लेकर, उस आदमी को एडजस्ट करने के लिए एक आदमी की और पोस्ट क्रिएट की गयी, प्रमोशन किया गया, जबकि एक आदमी और सरप्लस आलरेडी मौजूद है। यहां के एक पी. डब्ल्यू. डी. के सैक्रेट्री महोदय, जो आलरेडी प्रमोट्स मौजूद हैं, हैडक्वार्टर पर रेगूलर हैं, उनको हटा-हटा कर नये प्रमोट्स को जगह-जगह काम देते जा रहे हैं। उनको फेमिन रोड के अन्य महत्वपूर्ण काम देते जा रहे हैं। बजट सारा खतम होने वाला है। ऐसे समय इन लोगों के ट्रान्सफर किये जा रहे हैं। उसमें मुझे भारी षड़यन्त्र की बू आती है। सीमेन्ट के बारे में निवेदन करना चाहता हूं, यहां पर सार्वजनिक निर्माण विभाग में ज्यादातर सीमेण्ट का काम होता है। सीमेण्ट हमारे देश की क्लाइमेट के लिए बिलकुल उपयुक्त नहीं है। पुरानी बिल्डिंग में आप देखिये, पुराने भवन आप देखिये। उनको 5-5 हजार 2-2 हजार, साल हो गये लेकिन फौलाद की तरह आज भी खड़ी हुई हैं। सीमेण्ट यहां बहुत जल्दी चटक जाता है। यहां की क्लाइमेट बदलती रहती है। हिन्दुस्तान की क्लाइमेट के लिए सीमेण्ट कतई उपयुक्त नहीं है। इसलिए क्यों न सरकार वापस चूने के इन कार्यों को कराने के लिए टैस्ट कराये और वापस चूने पर आने का कार्य करे। इससे जो सीमेण्ट की कमी है और चूने के लिए देश में रा–मेटीरियल की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। वापस चूने पर आना चाहिए, मेरी निश्चित मान्यता है कि जब पुरानी बिल्डिंगें दो-दो सौ, तीन सौ, पांच सौ और हजार साल तक मजबूत फौलाद की तरह खड़ी हैं और आज सीमेण्ट से बनने वाली बिल्डिगें रोज टूटती हैं तो हमको सोचना पड़ेगा कि कहीं सीमेण्ट में कमी तो नहीं है।

अब चूंकि समय कम है, मैं अपने क्षेत्र के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। वैसे तो मेरे यहां से जब किसी सार्वजनिक निर्माण या सड़क का काम कराते हैं तो मुख्य मंत्री यह कहते रहते हैं कि हमें तो आपके क्षेत्र से कभी जिताया नहीं। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप काम करिये, आप कानून बना दीजिये कि जिसने आपको वोट दिये हैं वही सड़क पर चलेगा और विरोध करने वाले सड़क पर नहीं चल सकते। सफल आदमी तो उसको कहते हैं जो विरोधी है उनको अपने साथ ले। जिसके साथ सौ हैं तो उसको बढ़ा कर 110 करे वही सफल होता है लेकिन जिसके सौ से घट कर 80 रह जायं तो उसको सफल आदमी नहीं कहा जा सकता है। मैं आपको निवेदन करता हूं कि आपका कर्त्तव्य यह है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करें और आकर्षित तभी होंगे जब आप काम करेंगे।

मेरे यहां पर दो सड़कें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक है नदबई से डीग को मिलाती है। स्टेट के टाइम से कच्ची सड़क बनी हुई है वह जनूथर तक डीग से बन चुकी है, उसको मिलाना बहुत जरूरी है। एक है डहरा रोड़ से झील, जहां पर कैलादेवी का मंदिर है वह धार्मिक स्थान है। उस एरिया में कोई सड़क नहीं है। आज उस एरिया में

(श्री यदुनाथ सिंह)

लॉ एण्ड आर्डर की हालत खराब है। रोज डकैती पड़ती रही है। पुलिस पहुंच नहीं सकती। भारी-भारी रेता हो जाता है। रेते में जीपें नहीं जा सकती हैं। वहां पर बदमाश डकैती करके ले जाते हैं।

दूसरा मेरा कटौती प्रस्ताव, माननीय सभापति महोदय, पंचायतों के बारे में है। मैं पंचायत का खुद सरपंच रहा हूं इसलिए

श्री सभापति : दस मिनट हो चुके हैं।

श्री यदुनाथसिंह : अभी तो पांच मिनट ही हुए हैं।

श्री सभापति : आपने 4.22 से शुरू किया था और अब 4.32 हो गए हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : आप बीच में ही घण्टी बजा देते तो सचेत हो जाता।

मुख्य मंत्री महोदय ने पिछले सदन में बार-बार इस बात की घोषणा की, बहुत से माननीय सदस्य इस बात को कहते रहते हैं कि जनता पार्टी ने देश की आर्थिक ढांचे को पटरी पर से उतार दिया था उस आर्थिक ढांचे को वापस पटरी पर ला रहे हैं। आपको सत्ता में आए इतने दिन हो गए आप किसी संस्थाओं के चुनाव कराने को तैयार नहीं हैं। आप तो प्रजातन्त्र के ढांचे को ही पटरी पर से उतार रहे हैं। गांधी जी का जो सपना था ग्राम स्वराज्य का, वह सपना आप कैसे पूरा करेंगे। मुझे यह कहने में गर्व और खुशी है कि मुख्य मंत्री महोदय ने, भूतपूर्व मुख्य मंत्री महोदय को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने पहली बार गांवों की तरफ मुख किया। पंचायतों को बेहद अधिकार दिये, गांव के छोटे आदमी में विश्वास किया। जहां पर चार आना फी व्यक्ति अनुदान देते थे वहां पर ढाई रुपया फी व्यक्ति अनुदान दिया और सात हजार के पंचायतों के अधिकार दिए, अनाज दिया, लोगों पर विश्वास किया। क्या विधायक और मिनिस्टर ही ईमानदार हो सकते हैं, सरपंच क्यों ईमानदार नहीं हो सकते हैं ? इसको छूट दी कि खाली कागजात पर दस्तखत करा कर वह हिम्मत के साथ दस लाख तक का अनाज ले जाय और भूखों को काम दे। इस बात के लिए उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने चुनाव कराये इसलिए बधाई देना चाहता हूं। आप बड़ी बुराई करते हैं कि आपने क्या बड़ा काम कर दिया, बड़े चुनाव कराये। आप तो 13 साल तक सांप की तरह कुंडली मार कर बैठे हुए थे। कम से कम इन्होंने पंचायतों के चुनाव तो कराये हैं। हां, यह इनकी भूल रही जिसके लिए मैं खेद प्रगट किये बिना नहीं रह सकता कि पंचायत समितियों और जिला प्रमुख के चुनाव नहीं करा पाये। पंचायतों के लिए आर्थिक सहायता देना बहुत आवश्यक है। ग्राम स्वराज्य, गांधी के सपने की बातें आप लोग करते हैं, गांधी व्यवस्था पर हम सब चल रहे हैं लेकिन महात्मा गांधी की व्यवस्था पर चल रहे हैं या इन्दिरा गांधी पर चल रहे हैं, राजीव गांधी पर, संजय गांधी पर, राहुल गांधी पर, किस गांधीवादी व्यवस्था पर चल रहे हैं यह तो यही जानें लेकिन जब तक आप पंचायतों को संविधान में पूरा संरक्षण नहीं देंगे, डायरेक्टिव

(श्री यदुनाथ सिंह)

प्रिंसिपल के स्थान पर इस संविधान में संशोधन कर मूल धारा से जोड़ कर इनके पावर आप निश्चित नहीं करेंगे तब तक वह गवर्नमैंट की मर्जी पर रहेंगे। जब आप चाहें एक कलम से बर्खास्त कर देती हैं, जब चाहा।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

माननीय सभापति महोदय, एक मिनट आपका और लेना चाहूंगा।

पंचायत स्तर पर सभी ग्राम पंचायतों को पूरी एड दी जावे, ज्यादा से ज्यादा सहायता दी जाय। गांवों में लॉ एण्ड आर्डर की आज बहुत बुरी हालत है। मेरे यहां भरतपुर जिले में एक डकैती एवरेजन रोज हो रही है। हम सबने, जो सभी का फर्ज होता है कि जनता सुखी रहे, मैंने और एस. पी. ने मिल कर ग्राम रक्षा दल दो दर्जन गांवों में गठित किये हैं लेकिन वह ग्राम रक्षा दल स्थायी रहें उसके लिए पंचायतों को अधिकार दिये जावें और उसको पैसा उपलब्ध कराया जावे। पुलिस की स्ट्रेंथ वही की वही है, पुलिस का ढांचा वही का वही है, इसलिए गांवों में रक्षा करने की भावना बढ़े, आदमी में अपनी रक्षा करने की भावना बढ़े तो पंचायतों को उसके लिए सहायता दी जावे।

इसके अलावा आपका विकेन्द्रीकरण का मामला है। विकेन्द्रीकरण सत्ता का हो तो गांवों के स्तर के जो भी अधिकारी हैं जब तक पंचायतों के नीचे नहीं रहेंगे, जब तक पंचायत और सरपंच के नीचे नहीं रहेंगे सत्ता का विकेन्द्रीकरण नहीं हो सकता। चाहे तनख्वाह सरकार दे, या सरकार पंचायतों को अनुदान दे लेकिन सेक्रेटरी को यह निश्चित करना पड़ेगा कि सरपच जो कहेगा, पंचायत जो कहे वह निश्चित रूप से काम करना पड़ेगा। उसके आदेशों की पालना करनी पड़ेगी। पटवारी पंचायत स्तर पर रहता है। पटवारी को भी पंचायतों के नीचे रहना चाहिए। इसके अलावा स्कूल हैं, अस्पताल हैं, सारी व्यवस्था है और मैं तो यहां तक मानता हूं कि उस पंचायत के क्षेत्र में कोई भी काम होता है उस क्षेत्र में कोई भी विभाग काम करता है तो उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट पंचायत से लिया जावे।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

माननीय सभापित महोदया, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। एक छोटा सा महत्वपूर्ण मसला है।

(समय समाप्ति-सूचक-अनवरत घन्टी)

माननीय सभापति महोदया, आप बहुत रुष्ट नजर आती हैं।

श्री सभापति : महत्वपूर्ण तो सभी के हैं। अगर आपका अनुकरण सभी करने लगें तो टाइम का ठिकाना नहीं रहेगा।

श्री यदुनाथ सिंह : बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : आपको ट्रेन से जाना है?

श्री रतनाराम चौधरी : (रानीवाड़ा) जी हां, धन्यवाद ।

माननीय सभापति महोदया, मैं ज्यादा समय नहीं लेकर के शार्ट में मेरे जिले में जो सड़कों का अभाव है, जालौर जिले में जो सड़कों का अभाव है उनके बारे में थोड़ा बहुत प्रकाश डालता हूं। माननीय सभापति महोदया, मैं हमारे मंत्री महोदय को हमारे जालौर जिले की जो सड़कों का अभाव महसूस मुझे हो रहा है, उनकी ओर थोड़ा निवेदन कर दूं। जालौर जिला खेती के लिहाज से बड़ा उपजाऊ एरिया है परन्तु जालौर जिले में सड़कों का बड़ा भारी अभाव है। जो आज भीनमाल से जसवन्तपुरा सड़क, और जसवन्तपुरा तो पंचायत समिति है, पुलिस थाना है परन्तु जसवन्तपुरा तक जाने के लिए कोई पक्की सड़क नहीं है। और यह बहुत पुराने स्टेट के जमाने में जो सड़क थी वही है। पहले तहसील भी वहां पर थी और पंचायत समिति का आज भी वहीं पर हैड क्वार्टर है और भीलमाल घणी आबादी वाला शहर है और जसवन्तपुरा करीब सात आठ हजार की आबादी वाला गांव है परन्तु काली सड़क का नामोनिशान नहीं है। माननीय सभापति महोदया, मालवाड़ा से जसवन्तपुरा भी जो सड़क करीब आज से पांच-सात साल पहले बनी थी वहां करीब पचास प्रतिशत, आधी जगह पर मेटीरियल बिछाया हुआ है, आधी जगह वहां ग्रेवल है। जो दस साल पहले मेटीरियल पत्थर बिछाया हुआ था वह आजएक एक करके बिखर गया है और सरकार को दुबारा बनाने के लिए जो पहले खर्चा किया था वह खर्चा वापस करना पड़ेगा। मैं, सभापति महोदया, आपके द्वारा जो हमारे मंत्री जी हैं, उनको यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो सड़कें, जो भी कुछ काम हाथ में लिये जावें वह काम, मेटीरियल और ग्रेवल, कम से कम आप मेटीरियल बिछा दें तो उस पर डामर करवा दीजिए ताकि वह आपका पैसा लगाया हुआ है वह बेकार न जावे। नहीं तो आप जो दस साल पहले मेटीरियल वर्क सड़क का छोड़ देते हैं तो बाद में जाकर वहां पर डामर कराने के लिए फिर आपको मेटीरियल बिछाना पड़ेगा। इसलिए मालवाड़ा से जसवन्तपुरा और जसवन्तपुरा से भीनमाल तक सड़कों को प्राथमिकता के तौर पर पूरा करने की कृपा करें।

दूसरा, हमारे जालौर जिले की अकाल राहत समिति ने जो छोटी छोटी सड़कों के जो प्रस्ताव करके आपको हमारे क्षेत्र के लिए भेजे है वह है दईपुर से मैत्रीवाड़ा सड़क जो करीब 5 किलोमीटर है और दूसरा पूनासा से थोबाऊझाव, यह ऐसा एरिया है जो घणा उपजाऊ एरिया है। उस एरिया में करीब 20-25 किलो मीटर में एक भी सड़क नहीं है। पूनासा से थोबाऊझाव तक करीब 15 किलोमीटर की सड़क बना दीजिए ताकि वह पुनासा आ जाय। पुनासा तक ग्रेवल सड़क बनी हुई है ताकि वह भीनमाल मण्डी तक किसान अपना माल ले जाकर बेच सकें। एक हमारे रानीवाड़ा से जाखड़ी तक सड़क बन गई। परन्तु जाखड़ी से आगे केवल आठ किलोमीटर सिर्फ सड़क बना दें ग्राम धानोल से जैतपुरा, धामसीणा सम्बन्ध हो जावे। जाखरी से वाया धोजाला होते हुए जैतपुरा वह सड़क बन जाने से गुजरात में जाने के

(148)

(श्री रतनाराम चौधरी)

लिए जो 160 किलो मीटर जाकर के, घूम करके जाना पड़ता है वह दूरी कम हो जायेगी सेवाड़ा वाया भीखातरा खारा तक सड़क बनाई जाय। जो हमारे क्षेत्र में पुरानी ग्रेवल सड़क माननीय मंत्री महोदय बनी हुई है वह मैंने आपको रिक्वेस्ट की है, प्राथमिकता के तौर पर बना दें जो जिला अकाल राहत समिति ने स्वीकृति वास्ते भेजी है।

(4.3 : बजे)

(श्री तकीउद्दीन, सभापति, पीठासीन)

हमारे जालौर जिले में भयंकर अकाल भी है और भुखमरी फैलने की नौबत आ गई है। कम से कम हमारे एरिया में आप सड़कों को प्राथमिकता दें और सड़कों पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देकर काम करावें ताकि आने वाले समय में जो सड़कें बननी हैं वह आज बन जायें, लोगों को मजदूरी मिल जाय और किसानों को उनका लाभ मिल सके। हमारे रानीवाड़ा में प्राइवेट डेयरी बनी हुई है हमारे क्षेत्र में काफी पशुधन है, काफी दूध इकट्ठा किया जा सकता है। परन्तु सड़क के अभाव के कारण डेयरी फेल होती जा रही है। हर महीने तीन लाख रुपये के घाटे में चल रही है। अब आप देखिये जो डेयरी तीन लाख रुपये महीने का घाटा बर्दाश्त करती है वह कितने दिन चलने वाली है। कृपा करके इस क्षेत्र में यह डेयरी बनी है उसे प्राथमिकता दें, ताकि डेयरी को फायदा हो, पशुपालकों को फायदा हो उनका दूध डेयरी तक आ सके। इस प्रकार ऐसी सड़क बना दें ताकि गांवों को दूध और किसान अपनी उपज, खेती की पैदावार है उसको मंडी तक लाने में आसानी हो जावे। आज पंचायत की डिमाण्ड के ऊपर विचार हो रहा है। मैं थोड़ा बहुत प्रकाश पंचायत विभाग पर डालूं। पंचायतों के चुनाव हो गये। ठीक बात है परन्तु पंचायत समितियों और प्रधानों के चुनाव नहीं होने से कर्मचारी बिना लगाम के घोड़े हो रहे हैं। पंचायत समितियों में जिला प्रमुख और प्रधानों के चुनाव होना बहुत आवश्यक था परन्तु जनता पार्टी ने जान बूझकर चुनाव नहीं करवाये। क्योंकि उनको उम्मीद थी, उनको मालूम पड़ गया था कि हमारे प्रधान नहीं आ सकते क्योंकि मेजोरिटी में सरपंच कांग्रेस पार्टी के आ गये थे। इसलिये यह लोग घबरा गये और प्रमुखों के चुनाव नहीं करवाये। इसलिये मैं पंचायत मंत्री जी से, सभापति महोदय, आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लिये ज्यादा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, अब तो प्रधान और जिला प्रमुखों के चुनाव करवा दो। हमारे क्षेत्र में किसी जनता के आदमी ने एक भ्रष्ट सरपंच के खिलाफ पंचायत मंत्री को एक रिपोर्ट दी थी और पंचायत मंत्री जी ने 15 दिन के अन्दर जिलाधीश से रिपोर्ट मांगी थी परन्तु दुख है कि तीन महीने हो गये और उस सरपंच की जांच करके रिपोर्ट नहीं पहुंची है।

(व्यवधान)

इसलिये मैं आखिर में जो हमारे मंत्री जी हैं........

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : अगर

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

दम है आपकी सरकार में तो चुनाव की घोषणा आज ही करे।

श्री रतनाराम चौधरी : आप इसकी चिन्ता मत करो। चिन्ता का समय था तब आपने चिन्ता नहीं की। जनता ने आपको शासन में बैठाया था परन्तु आप राज नहीं चला सके। तो इधर से उधर आपको कान पकड़कर इधर बैठा दिया। हमको चिन्ता करनी है। हमारे साथ जनता है हम जनता के साथ हैं। आपको जो पनिशमेंट जनता ने देना चाहा वह दे दिया, मैं आखिर में ज्यादा समय नहीं लेकर हमारे मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मीटिंग बुलाने जा रहे हैं उसमें मांगों को मद्दे नजर रख कर स्वीकृति दें। मेरी मांगों को मद्दे-नजर रखते हुए मेरे क्षेत्र की प्रार्थना की है उसको स्वीकृत करने की कृपा करें।

श्री सभापति : श्री नारायण सिंह।

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) : वह तो बोल चुके हैं।

श्री अमरा राम चौधरी (पचपदरा) : सभापति महोदय, मुझे जाना है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य अगर हर एक को जाना है····

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ) : उनको ही जाना है।

श्री सभापति : जैसा आर्डर तय किया है बुलवाने का उसी आर्डर से बुलवा रहा हूं। आप ज्यादा परेशान न हों।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : इनका नाम क्या है ?

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : माननीयसभापति महोदय, मैं मांग सं.-19 और 21 के बारे में विचार प्रकट करूंगा। जहां तक मेरे क्षेत्र का प्रश्न है सडकों की स्थिति बहुत दयनीय है। दो सड़कें बनी थीं वह अभी तक ग्रेवल हैं। और वहां कंकरी डाली हुई है। कंकरी डाले हुए करीब 15 साल हो गये हैं। यह सड़क पचपदरा से आगालोई है। मैंने इस बारे में पहले प्रश्न भी पूछा था। लेकिन सड़कों का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है, कंकरी गायब हो रही है। वैसे वहां से 20 किलो मीटर के करीब डेयरी से यह रोड स्वीकृत हुई है पचपदरा से थोह। मैंने कई बार कहा अधिकारियों को भी, यह जो बजट है वह खतम होने जा रहा है। तीन किलोमीटर तब बन सकती है लेकिन अभी तक डेयरी का रास्ता प्रारम्भ नहीं किया गया है। मेरे क्षेत्र के अन्दर डामर रोड की कमी है। एक रोड है जो जोधपुर से बाड़मेर जाती है। वह बाड़मेर वालों के लिए है, क्योंकि वहां जिला कार्यालय है इसलिए जरूरी है। बहुत से सरकारी कर्मचारी, गांवों में स्कूल में टीचर्स हैं उनके आने जाने के लिये सुविधा नहीं है। मेरे क्षेत्र में सडकों के कार्य की बहुत दुर्दशा है, सड़कों की बहुत कमी है। एक सड़क बनी हैं, पचपदरा से पाड़ौती। फिर क्या हुआ, जनता गवर्नमेंट ने जाते-जाते दुबारा मंजूर कर दी। 14 लाख रुपया मंजूर किया था

(श्री ग्रमराराम चौधरी)

उसमें से 3 लाख या साढ़े तीन लाख रुपया ग्रप्रोच रोड पाड़ोती गांव तक बनाने के लिये लगाया गया। लेकिन 11 लाख रुपया करीब साढ़े दस लाख रुपया रह गया। उसके लिये मैं यहां ग्राया। मैंने तत्कालीन मंत्री महोदय को उस समय एक प्रोफार्मा पेश किया कि इतना रुपया बकाया पड़ा है यह जल्दी से जल्दी लगाया जाय। उन्होंने सैक्रेटरी महोदय को इसके बारे में लिख दिया। ग्रौर वहां से ग्रधिकारियों को लिख दिया लेकिन वह पैसा लेप्स हो रहा है। ऐसे लापरवाह ग्रधिकारी हैं, जिन्होंने ऐसे पश्चिमी रेगिस्तान की तरफ जो पिछड़ा हुग्रा क्षेत्र है वह पैसा रोड बनाने के लिये हमें मिला है लेकिन रोड नहीं बन सकी, वह लेप्स हो रहा है। मैं यह चाहूंगा, मंत्री महोदय, यह साढ़े ग्यारह लाख रुपया है, वह मेरे क्षेत्र का है ग्रौर मेरे क्षेत्र में लगाया जाय। जब डामर रोड बन सकती है उस उम्मीद में जो प्रशासनिक गड़बड़ी पैदा की है उस ग्रधिकारी के खिलाफ एक्शन लें।

मैं इसके ग्रलावा ग्राप पधारे थे ग्रकाल का दौरा करने के लिये, जब मैंने ग्रर्ज किया ग्राप खेड़ चलिये। लेकिन रास्ता खराब होने के कारण कार नहीं जा सकती थी तब खेड़ रोड बनाने के लिये ग्रादेश दिये। मैं धन्यवाद देता हूं वह रोड बन रही है लेकिन डामर का ग्रभाव है। इसलिये मैं निवेदन कर रहा हूं डामर के ग्रभाव में इसकी पूरी व्यवस्था यहां नहीं करेंगे तो रोड ग्रधूरी रह जायगी। जनता पार्टी की सरकार ग्रायी कांग्रेस की सरकार ग्रायी सबने कहा कि खेड़ रोड जरूरी है। वहां बहुत पुराना तीर्थ स्थान है जहां पोपाबाई का राज था, वह एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक स्थान है। उसको देखने के लिये ग्राप पधारें। मैं ग्रापको निमंत्रण देता हूं। यह रोड बन जानी चाहिये।

श्रीमती उजला ग्ररोड़ा : कहां पर है पोपाबाई का स्थान ?

श्री ग्रमरा राम चौधरी : मैं बताता हूं। पहले था खेड़ वह बहुत बड़ा स्थान था। तो मैं निवेदन कर रहा था, सभापति महोदय, जो दूसरी रोड थी वह फ्लड ग्राने के कारण टूट फूट गई वैसे बालोतरा ग्रौद्योगिक नगरी है। नमक का वहां उत्पादन होता है पचपदरा है लेकिन सड़कें टूटी फूटी हैं उनका ग्रभी तक सुधार नहीं हुग्रा है उनमें शीघ्र सुधार होना चाहिये।

दूसरा मैं लूणी पर पुल के बारे में निवेदन करूंगा। सम्वत् 2030 में बाढ़ ग्राई ग्रौर ग्रभी 17-7-79 को भी बाढ़ ग्राई उस समय ग्रधिकारी ग्रौर मंत्री लोग वहां पर ग्राये। क्या हालत नगर की थी इस किनारे से उस किनारे तक जहां सैकड़ों लोग रहते हैं, जो इतने गांव हैं वे बिलकुल ग्रलग ग्रलग हो गये बाढ के कारण संपर्क टूट गया। तो हमारे वहां एक कड़ाव था, एक बूढ़ा, जो एक पैसेंजर को यहां से वहां ले जाने का पचास रुपया लेता था। जो इस किनारे से उस किनारे ले जाता था। जब पानी धीरे-धीरे कम हो गया, चार फीट पानी रह गया तो गरीब लोग, जिनके पास पैसे नहीं तो वे लोग नदी पार करना चाहते हैं तो बीच में कितने ही लोग काल के गाल में चले गये। तो जहां लोग इतने मर गये, मैं

(151)

(श्री ग्रमराराम चौधरी)

सरकार से निवेदन करूंगा कि जाने का रास्ता बालोतरा ग्रौद्योगिक नगर है, सिवाणा तहसील है, बाड़मेर जाने का रास्ता है, सिणली समिति है, सांचौर जाने का रास्ता है, लेकिन लूणी नदी पर ग्रभी तक पुल नहीं बना। मैं यही निवेदन कर रहा हूं कि उद्योग के पाइन्ट ग्राफ व्यू से, कृषि के पाईन्ट ग्राफ व्यू से डिफेंस पाइन्ट ग्राफ व्यू से यह पुल बहुत जरूरी है यह टाप प्रायोरिटी पर बनना चाहिये जो रपट बनाई गई है, वहां पहले पुल हो जाता तो हजारों लाखों रुपये जो खर्च किये हैं रपट के लिये, जो टेक्निकल इंजीनियर ने एडवाइस दी, वह बिलकुल गलत दी लाखों रुपये रपट में लगा दिये, पहले ही पुल बन जाना चाहिये था। यदि बजट कम है तो पुल निगम से बनवावें, टैक्स वसूल करलें लेकिन बालोतरा में पुल इसी साल ही प्रारंभ करने का मैं ग्रापसे नम्र निवेदन करता हूं, मंत्री महोदय हर हालत में पुल बनावें।

दूसरा, भवन विस्तार ग्रौर भवनों की दशा निराली है, ग्रौर गत वर्ष भी फ्लड ग्राया था जो छोटा सा रेस्ट हाउस बना हुग्रा है जहां 40 हजार की ग्रावादी है वहां 3 कमरे वाला रेस्ट हाउस है जिसमें एक में तो एक्स. ईएन. साहब विराज गये बाकी में मंत्री जी ठहर गये तो बाकी जितने लोग थे, कोई पेड़ के नीचे, कोई कहीं ठहरा उनके ठहरने का कोई स्थान नहीं था। तो मैं निवेदन करूंगा, प्लान उसका ग्रा चुका है, उसका विस्तार किया जाय। तीन कमरे ग्रौर बनाये जायं। ताकि ग्राप लोग पधारें तो हम ग्रापकी ग्रच्छी तरह से मेहमानी कर सकें।

तो मेरा निवेदन है पचपदरा से ग्रावोलाई 40 साल पुरानी रोड है जो जागीर के टाइम में बनी हुई थी उसको जल्दी से जल्दी प्रारंभ किया जाय ग्रौर बाकी जो ग्रप्रोच रोड हैं उनको पक्का बनाया जाय। बाकी जो राजस्थान में कच्ची रोड्स बन रही हैं वे लोगों को मजदूरी दिलाने के लिये तो ठीक है लेकिन सरकार का पैसा धूल में जा रहा है। तो धन्यवाद साहब, मैं ग्रापसे यही निवेदन कर रहा हूं, मैंने जो काम बताये हैं उनको जल्दी पूरा करवायेंगे। जयहिन्द।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, मैं निवेदन करता हूं, सदन का समय 7 बजे तक बढ़ाया जाय।

श्री जयदेव प्रसाद इंदौरिया (रतनगढ) : सभापति महोदय, कल से दो दिन की छुट्टी है, उपस्थिति ग्राप देख लीजिये।

श्री सभापति : क्या सदन की सम्मति है कि सदन की कार्यवाही का समय सात बजे तक बढ़ा दिया जाय?

(स्वीकृत)

सिर्फ विपक्ष में एक ही माननीय सदस्य ने कहा है इस लिये सदन का समय 7 बजे तक के लिये बढ़ाया गया।

इसमें मंत्री महोदय का रिप्लाई भी होगा। साथ ही ग्राप लोगों का भाषण।

मांग संख्या 19, 21 व 41 पर विचार

श्री गोपाल पचेरवाल ।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया उसके लिये मैं आभार प्रकट करता हूं। आज सार्वजनिक निर्माण विभाग की मांग पर मैंने कटौती प्रस्ताव दिया है और उन कटौती प्रस्तावों के संदर्भ में मैं बूंदी जिले में देवस्थान विभाग द्वारा जितनी राशि मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिये सार्वजनिक निर्माण विभाग को सुपुर्द की गई उस सन्दर्भ में मैं निवेदन करूंगा। वैसे तो बूंदी से जो माननीय सदस्य यहां आये हैं उनको सवाल उठाना चाहिये था जिनको उन भगवानों का दर्शन करने का अधिकार है, सामाजिक मर्यादाओं और धार्मिक परंपराओं के अनुसार भगवान के पास जाने का अधिकार तो मुझे नहीं है लेकिन फिर भी मैं अपना दायित्व समझता हूं कि अपनी बात कहूं।

श्री सूरजपालसिंह : अधिकार तो आपको भी है, आप गलत कह रहे हैं।

श्री गोपाल पचेरवाल : नहीं है। आप लोगों ने रोक रखा है, साहब। यह सही है। तो, माननीय सभापति महोदय, जनता राज में बूंदी जिले के तीन मंदिरों के लिये कुछ पैसे स्वीकृत किये गये थे और बूंदी जिले के सार्वजनिक निर्माण विभाग को सुपुर्द कर दिये गये जिसमें 25 हजार रुपये बूंदी में गोपाल जी का मंदिर है उसके जीर्णोद्धार के लिये 1978–79 में स्वीकृत किये गये। 50 हजार रुपये जनता राज में केशोरायपाटन में केशवरायजी का मंदिर है उसके लिये स्वीकृत किये गये और पांच हजार रुपये हरिजन मंदिर को राजस्थान के इतिहास में जनता सरकार ने बूंदी के एक अन्य मंदिर को स्वीकृत किये थे। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा बड़ी नम्रता के साथ, कि जो सरकार ने पैसा दिया था, जनता राज ने मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिये पैसा दिया था आप अपनी ईमानदारी से उस पैसे का उपयोग इन मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिये करवा दें तो मुझ पर बड़ी कृपा होगी और आपके भगवान की भी आप पर बहुत बड़ी कृपा होगी।

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपके जो बजट में, कोटा बूंदी का जो चमन क्षेत्र है उसमें सड़कों के बारे में आपने प्रगति जो बताई और जो गति आपकी प्रगति की है पिछले वर्ष में कितना पैसा था, कितना खर्च हुआ, कितनी सड़कें बनानी थीं, उसकी कितनी लक्ष्य प्राप्ति कर पाये वह तो हमने पढ़ लिया। उसका जिक्र करने की जरूरत नहीं है लेकिन उसी क्षेत्र में सड़क निर्माण के लिये, और सड़कें बनाने के लिये आपने जो प्रोविजन रखा है उस संदर्भ में मैं निवेदन करना चाहूंगा। मेरा क्षेत्र, केशोरायपाटन सिंचित क्षेत्र है और उसमें बहुत बड़ी राजस्थान की एक सहकारी शूगर मिल है और आपकी सरकार की नीति है सहकारी आन्दोलन तेज गति से आगे ले जाया जाय और इस शूगर मिल को जीवित रखा जाय इसके लिये आवश्यक है कि केशोरायपाटन क्षेत्र में सहकारी आन्दोलन को तेज गति से आगे ले जाने की वास्तव में भावना है और इस सहकारी शूगर मिल को जीवित रखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से

(श्री गोपाल पचेरवाल)

जो प्रस्ताव दूँ, उन सड़कों का निर्माण कराया जाय ।

श्री सभापति : कृपया बातें न करें आपस में ।

श्री गोपाल पचेरवाल : सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था केशोरायपाटन क्षेत्र की सड़कों के बारे में । केशोरायपाटन में एक अरनेठा गांव है उससे दस किलो–मीटर दूसरा जैंथल गांव है । ये दोनों केशोरायपाटन के प्रमुख गांव हैं । पंचायत मुख्यालय है । जैंथल को ग्राम अरनेठा से जोड़ दिया जाए तो उस क्षेत्र का बहुत बड़ा हित हो सकता है । हित इसलिए हो सकता है कि जो नैनवा से आने वाली रोड है, बूंदी से लाखेरी जाने वाली मुख्य सड़क है वहां नदी है उस नदी पर हमारे राजाओं के समय से तीन लाख रुपये का एक पुल बनाया गया था । उस पुल से गटेर से जाने तक सड़क को जोड़ दिया गया है । लेकिन पाटन से लाखेरी, जो मेन रोड है, वह अधूरी है । केशोरायपाटन और तहसील में आने वाले आदमी तहसील मुख्यालय को नहीं पहुंच सकते हैं । वास्तव में आप किसान का भला चाहते हैं, उनको शहर की तरफ ले जाना चाहते हैं, सहकारी आन्दोलन को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो, मन्त्री महोदय, मेरी आपसे यह गुजारिश है कि इस सड़क का निर्माण आप करावें । आपकी जानकारी के लिये मैं कह दूं, हो सकता है कि आपके अधिकारी आपको गुमराह करें । यह आपकी कार्यदक्षता पर निर्भर है कि आपकी अपने अधिकारियों पर कितनी पकड़ है । इस सड़क के निर्माण का सर्वे जनता सरकार के राज में हो चुका है । आप इसको देखेंगे, ऐसी आशा है ।

दूसरा, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा आप के इस बजट में भी जिक्र किया गया है डेयरी योजना का । जिन ग्रामों में आपकी दुग्ध योजना चल रही है उनको आप महत्व दें, प्राथमिकता दें सड़क बनाने के मामले में । केशोरायपाटन में इस बार और गत वर्ष कुछ सड़कें दुग्ध योजना के कुछ गावों की ली गई थीं । यदि आप इस नीति को मानते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध योजना को प्रभावी करना चाहते हैं तो केशोरायपाटन में माधोराजपुरा एक गांव है जिसमें दुग्ध योजना लागू की गई है वहां चम्बल के पास एक गांव है जहां पर भयंकर रूप से पत्थर निकलता है । यदि चम्बल नदी से माधोराजपुरा होते हुए जोड़ देते हैं तो आपके खनिज विभाग को भी इससे लाभ होगा वहां के पत्थर का काम तेजी से चल सकता है ।

दूसरा, और मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, लवाण से गुवाटा तक भीलों का गांव है, बैरवा जाति के लोग रहते हैं । आपकी योजना भी है । डी.पी.ए.पी.के अन्तर्गत आपके कार्यक्रम चल रहे हैं । ट्राइब्स के लोग वहां पर रहते हैं इसलिए उन गांवों को भी सड़क से जोड़ दिया जाए । इन गांवों में मीणा, बैरवा जाति के और सीर जाति के लोग रहते हैं । कोई ब्राह्मण वहां नहीं रहता है । कोई सवर्ण जाति के लोग वहां पर नहीं रहते हैं । इसलिए आपकी जो नीति है उस पर आपकी आस्था है, आप उसको कार्यान्वित करना चाहते हैं तो इस गांव को आप

(श्री गोपाल पचेरवाल)

सड़क से जोड़ दें।

दूसरा, यह निवेदन करना चाहता हूं कि लवाण से प्रतापगढ़ डेगरिया—इस पर कई वर्षों से फेमिन का काम चलता आया है। वहां पर पत्थर पड़े हैं, मिट्टी पड़ी है। अधूरा काम है। पूरा निर्माण का कार्य नहीं हो पाया है। हर वर्ष जब अकाल पड़ता है इस पर काम कराया जाता है। अकाल का पैसा कहां जाता है यह तो मैं नहीं जानता हूं, यह मैं नहीं कह सकता हूं लेकिन मेरा निवेदन है कि अकाल राहत कार्य जो अधूरा है उसको आप आगे बढ़ावें और इस क्षेत्र की अधूरी सड़क को पूरा करावें। इस गांव में लवाण से प्रतापगढ़ सड़क के निर्माण कार्य को पूरा कराया जाय। इस गांव में, लवाण-प्रतापगढ़ में जब भी हम जाते हैं तो लोग हमसे पूछते हैं इस सड़क का कार्य कब पूरा होगा ? हम उनको कोई जवाब नहीं दे पाते हैं। इस निर्माण को आप पूरा करावें। यह फेमिन तो हम पैदा हुए तब से देखते आये हैं। वर्षों से इसकी पूर्ति नहीं हो पाई है। यह फेमिन वाला काम आप करावें। आपके पैसे का दुरुपयोग होता है। वास्तव में इसका उपयोग होता है या नहीं इसकी आप रिपोर्ट मांगें, आपकी सरकार रिपोर्ट मांगे, अकाल विभाग से रिपोर्ट मांगें, सार्वजनिक निर्माण विभाग से रिपोर्ट मांगें, बूंदी के कलेक्टर से रिपोर्ट मांगें। हमेशा जब जब अकाल घोषित हुआ है, हर वर्ष इस पर काम हुआ है। इसके महत्व को देखते हुए प्राथमिकता के आधार पर सड़क का निर्माण कराने की कृपा करें।

दूसरा, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी सरकार माइनोरिटी की बड़ी बात करती है। अल्प संख्यकों की दुहाई देती है। मेरे क्षेत्र में भी एक ऐसा गांव है, जिस गांव में अधिकांश 90 प्रतिशत माइनोरिटी के लोग रहते हैं, अल्प संख्यक लोग रहते हैं। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि इस गांव के सारे वोट कांग्रेस पार्टी को जाते हैं। फिर भी मेरी इस गांव के साथ भावना है क्योंकि ये माइनोरिटी के लोग हैं। इसमें कोई वोट की राजनीति नहीं है। तो विशेष तौर से मेरा आग्रह है यदि आप वास्तव में गरीब मुसलमानों को शहर तक पहुंचाने का इरादा रखते हैं तो आप इसके लिये प्रयास करें, पहल करें और इस रोटेदा गांव को कापरेन से जोड़ें क्योंकि कापरेन मुख्य सड़क पर बसा हुआ है। वहां वे अपने बच्चों को आगे पढ़ा सकेंगे, न्याय की प्राप्ति कर सकेंगे, ग्रामीण बच्चे शहर तक पहुंचे, कापरेन नगरपालिका क्षेत्र तक आ सकें।

दूसरा, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में एक ऐसा गांव है जो बिलकुल ही चम्बल नदी के किनारे पर बसा हुआ है और किसी महिला के डिलीवरी का मौका हो और वहां का चिकित्सक, दाई यह सुझाव दे दे कि इस महिला को लाखेरी अस्पताल ले जायं, वहां की दाई यह कहे कि इस महिला को आप कोटा अस्पताल में ले जायं तो मंत्री जी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वह लाखेरी, केशोरायपाटन तक नहीं पहुंच सकती है। उस क्षेत्र की जो हालत है, उस गांव की जो हालत है सड़क के अभाव में महिला, बच्चे, दवाई, उपचार के अभाव में मर जाते हैं। आप

(श्री गोपाल पचेरवाल)

गरीब ग्रामीण के हमदर्द बनते हैं, किसानों के प्रति आपकी हमदर्दी है, उनका आप भला चाहते हैं तो इस सड़क का निर्माण आप चाहे अकाल राहत कार्यों से करावें और किसी प्रकार पैसा देकर करावें। यह कैसे करावें यह आपके सोचने की बात है। मेरा यह फर्ज था कि इस गांव की भावना को आप तक पहुंचा दूं। वह मैंने पहुंचा दी है। उसकी आप कितनी कद्र करते हैं, यह आपको देखना है। अगर आप ग्रामीण भावना की कद्र करते हैं, इस सड़क के लिये कुछ न कुछ करें।

पुलों के बारे में एक और निवेदन करना चाहता हूं। यह कांग्रेसी विधायक के क्षेत्र के बारे में सड़क का मामला है। हिण्डोली जो निर्वाचन क्षेत्र है, यह बात वहां के माननीय सदस्य कांग्रेस पार्टी को कहनी चाहिए लेकिन वे इस बात को नहीं कह रहे हैं। यह उस क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि वे इस बात को यहां पर नहीं कह पा रहे हैं। इसलिए मैं अपना फर्ज समझता हूं क्योंकि मैं भी बूंदी जिले से हूं। आप आराम से बैठे हैं। टीकरदा से दबलाना—दस मील तक सड़क निर्माण कार्य अकाल राहत कार्यों में हो रहा है और इस पर थोड़ा सा पैसा और खर्च कर दें तो आप इस कार्य को, इस सड़क को पूरा कर सकते हैं। इसी प्रकार से जहाजपुर से सथूर तक ओषण सबोली होते हुए भी अकाल राहत कार्य में सड़क का कार्य हो रहा है। इस पर भी आप काम करवाने की कृपा करें। दूसरा, बालापुरा से दोबड़ा, गोटड़ा रूणिजा ये सारे पंचायत मुख्यालय है। यह सारा क्षेत्र नैनवा सब डिवीजन का है। इनकी मुन्सिफ कोर्ट नैनवा में है। केवल नैनवा जाने के लिये अगर सड़क बनती है तो वहां के लोगों को काफी सुविधा हो सकती है क्योंकि बरसात के दिनों में सड़क के अभाव में लोग अपनी पेशियों पर अदालत में नहीं जा पाते हैं और उनको सजा हो जाती है, उनकी जमानतें जप्त हो जाती हैं। इसलिए आप गरीबों के साथ न्याय करें और हिण्डोली क्षेत्र की महत्वपूर्ण सड़क का निर्माण करवाने की कृपा करें।

दूसरा, मैं पुल के बारे में अर्ज करना चाहूंगा। मैंने पहले अर्ज किया कि केशोरायपाटन में बहुत बड़ी कोआपरेटिव शुगर मिल है। अगर आप चम्बल नदी पर ग्राम माखीदा के पास एक पुल का निर्माण करवा देते हैं तो कोटा का जो देहाती क्षेत्र है उसका इस मिल से सीधा सम्बन्ध हो जाता है और कोटा से भी इस मिल को जो आपके मंत्री जी हैं हरसहाय मीणा उनके क्षेत्र का भी गन्ना इस मिल में आता है। वहां के जो मिल के सदस्य हैं, अगर आप मिल के इन सदस्यों को सही लाभ दिलाना चाहते हैं और सहकारी आन्दोलन को पनपाना चाहते हैं शाहबाद, किशनगज और बारां क्षेत्र के लोगों को लाभ दिलाना चाहते हैं, सहकारी आन्दोलन को लाभ पहुंचाना चाहते हैं तो ग्राम माखीदा के पास एक पुल का निर्माण करावें, ताकि मिल जो पैसा खर्च करके कोटा होकर जो रोड बनी है उससे माल लाती है और किराया ट्रकों का ज्यादा देना पड़ता है ट्रक मालिकों को उसकी बचत होगी और किसानों को गन्ने का सीधा, अच्छा सुलभ लाभ होगा जो पुल पर से होकर वहां तक पहुंच सकेंगे। मेरा यह निवेदन है कि पुल

(श्री गोपाल पचेरवाल)

के बारे में आप गंभीरता से विचार करें और उसका निर्माण करावें।

दूसरा, मेरा निवेदन सी० ए० डी० के बारे में है। जेयला गांव के पास एक कुरल नदी है। उसके प्रस्ताव आपके पास में आये हुए हैं। कुंभट साहब जो चम्बल के कमिश्नर थे उनके द्वारा यह प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे गये हैं। कृपया मंत्रीजी विशेष तौर से आप इस पर पहल करें और यहां पर यह प्रस्ताव जो केवल स्वीकृति के लिये पड़े हैं उनको निकलवाने की कृपा करें। यह मेरा सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री जी से निवेदन है।

दूसरी बात करना चाहूंगा कि आपका सार्वजनिक निर्माण विभाग बहुत तेजी से काम कर रहा है जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है उसकी प्रशंसा करूंगा और प्रशंसा इस रूप में करूंगा कि जब भरतपुर में मुख्य मंत्री जी का चुनाव चल रहा था उस चुनाव के समय जिस तेजी के साथ आपके निर्माण विभाग के द्वारा नगरपालिकाओं के माध्यम से काम हुआ है वह प्रशंसनीय है।

मैं दो-तीन बातों का जिक्र करना चाहूंगा बैर नगरपालिका का और मुसावर नगर नगरपालिका का। श्रीमन्, वहां आपका चुनाव 23 नवम्बर को था और 12 नवम्बर को विज्ञप्ति निकली। आपने निकाला था 15 लाख 6760 रुपये का टेंडर। उसमें आपने लिखा था कि 15 दिन में काम पूरा करना होगा। 12 नवम्बर को ही दूसरी विज्ञप्ति निकाली। यह आपकी प्रगति का नमूना है। यह निकली कार्यालय सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, भवन एवं पथ उपखण्ड–2, भरतपुर इसमें, श्रीमन्, 5 लाख और 6 हजार रुपयों का टेण्डर मांगा गया। यह निकला, श्रीमन्, नवम्बर महीने में 6/12 को। इसके भी टेण्डर मांगे गये। दूसरा निकाला, श्रीमन्, अधिशासी अभियन्ता भवन व पथ-बी डीग में। सबको कहा गया कि 15 दिन में काम पूरा करना है क्योंकि 23 को मुख्य मंत्री जी को चुनाव लड़ना है। तो जिस तरह की भरतपुर में प्रगति हुयी और चुनाव जीतने के लिये विभाग ने जिस तरह की तेजी दिखाई उस दक्षता के लिये आपको, आपके विभाग को, आपके जरिये से मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। लेकिन यह जो दक्षता है, यह जो प्रगति है, यह जो तेजी है, इसको आप ग्रामीण लोगों के लिये करके दिखायें और गरीब लोगों के लिए करके दिखायें। अगर आपने किया तो जनता आपका स्वागत करेगी और नहीं किया तो जनता आपका क्या करने वाली है यह आप जानते थे। आपकी सरकार की प्रतिष्ठा जनता के मन में गिर रही है आपकी पार्टी की प्रतिष्ठा जनता के मन में गिर रही है और अब आपके विभाग की प्रतिष्ठा भी जनता के मन में गिरती जा रही है। इसलिये मैंने जो मुख्य निवेदन किया उसे देखें।

इसके बाद सामुदायिक विकास के मामले में निवेदन करना चाहूंगा हमारे माननीय सदस्यों ने सरपंचों के निलम्बन के बारे का बातें कहीं। वे सरपंचों के निलम्बन का जिक्र कर रहे थे कि, साहब, जनता राज

(श्री गोपाल पचेरवाल)

में सरपंचों के गैर कानूनी तरीके से निलम्बन करने की बात की। परेशान करने की नीयत से कांग्रेसी सरपंचों का निलम्बन किया गया। श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब राज कांग्रेस से गया और जनता पार्टी के पास राज आया मैं मानता हूं हो सकता है कि गलत तरीके से राजनैतिक दृष्टि से सरपंचों को सस्पेंड किया गया हो। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सारे सही काम किये गये, लेकिन मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मैं मुख्य मन्त्री जी से, मन्त्री जी से उनकी जानकारी के लिये निवेदन करना चाहता हूं कि जब आपने राज छोड़ा था तो 22 जून, 76 को आप लोगों ने 2006 सरपचों के खिलाफ इन्क्वायरी चला रखी थी। ये छोड़ कर गये थे आप। गलत तरीके से उन्होंने जालसाजी की होगी या यह किया होगा इसलिये नहीं लेकिन भावना यह थी कि केवल सरपंच हमारे चंगुल में रहें हमारे चंगुल से निकल नहीं जायं। उनको जकड़े रखा और उनको परेशान किया ताकि वे जनता में बगावत न करें सारी बातें जनता से न कह दें उस समय इमर्जेन्सी लगा रखी थी। किन्हीं दूसरे लोगों के कहने से काम न कर दें। वे लोग हमारी विचारधारा के थे जिनके खिलाफ आपने इन्क्वायरी की थी, चालू कर रखी थी 2006 के खिलाफ और उनको फंसाये रखा। जब हमारा राज आया तो इन सरपचों में से हमने भी निलम्बित किये। सरपंचों को हमारी सरकार ने भी निलम्बित किया था। तो आपको निवेदन करना चाहता हूं कि जो सही दोषी पाये गये उन्हीं 67 सरपंचों को हमने निलम्बित किया केवल 2006 में से। लेकिन जब आपका राज आया आपने जनता पार्टी के समर्थक सरपंच जो थे उनको यह आरोप लगा कर, वह, आरोप लगाकर, किसी भी आरोप में निलम्बन करना शुरू कर दिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि निलम्बन करने की क्षमता रखते हैं तो एक उदाहरण देना चाहूंगा, एक प्रधान जी का जिक्र करना चाहूंगा जो कांग्रेस विचारधारा के समर्थक हैं। झुन्झुनूं जिले की पंचायत समिति भुवाना के प्रहलादसिंह, तो क्या बताऊं इनका कच्चा चिट्ठा सुनिये कि इन्होंने क्या क्या किया आपको जानकारी होगी, आपके विभाग की आडिट रिपोर्ट है विभाग से मंगालें मन्त्री महोदय जो इसमें लिखा है काफी प्रशंसा की गयी है उनकी लेकिन मैं थोड़ा सा नमूना ही आपके सामने रखना चाहता हूं। उनकी मीटिंग के खर्च को देखते हैं तो इसमें खर्च करने का कितना प्रावधान था और कितना वे करते थे यह मैं आपको दिखाना चाहूंगा। हजारों रुपयों का इसमें घोटाला है। केवल आप मेहरबानी करके इस आडिट रिपोर्ट को देख लें।

श्री रामनारायण डूडी : बताइये, बताइये।

श्री गोपाल पचेरवाल : आपकी इसमें रुचि है तो ठीक है बताता हूं। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायत समिति के कोष का दुरुपयोग किया। मेरा कुछ नहीं है, सरकारी रिपोर्ट है। इसमें लिखा है कि दिनांक 3–9–75 को पंचायत समिति की मीटिंग में प्रधान

(श्री गोपाल पचेरवाल)

मंत्री बाढ़ सहायता कोष की निजी आय से राज्य के कोष में 1100 रुपये दिये जाने बाबत इस बैठक में उपस्थित सदस्यों के यात्रा भत्ते में कटौती करके निजी आय के पेटे करने का निर्णय लिया। निर्णय के अनुसार वाउचर संख्या 66 दि. 16-9-75 के अन्तर्गत प्रधान श्री प्रहलादसिंह जी को दिये गये, श्रीमन्, उक्त भुगतान के बाद में अनियमितताओं के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। यह रिपोर्ट है आपकी....

श्री सभापति : रिपोर्ट तो मेहरबानी करके नहीं पढ़ें। जो रिपोर्ट में निर्णय है वह बता दें।

श्री गोपाल पचेरवाल : प्रधान जी ने जो बाढ़ सहायता कोष के लिये जो पैसा इकट्ठा किया उसको भी वे डकार गये। मन्त्रीजी यह बहुत बडा चिट्ठा है। राज्य के अधिकारियों को जानकारी होगी यह बड़ी रिपोर्ट है इसमें कई कर्मचारी यहां तक कि विकास अधिकारी भी हैं और दोनों की मिलीभगत है किसी ने भी कमी नहीं छोड़ी है दोनों में कम्पटीशन है कौन आगे बढ़े। तो आप निर्णय करेंगे। लेकिन, मन्त्री जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्या आप इसको पढ़ेंगे इसका अध्ययन करेंगे और निर्णय करेंगे कि वह आपकी जो शील्ड है इनाम देने की वह किसको दी जाय।

दूसरा, निवेदन करना चाहता हूं भ्रष्टाचार के बारे में। भ्रष्टाचार की बात चल रही थी काम के बदले अनाज में भ्रष्टाचार की बात चल रही थी। मैं यह नहीं कहता हूं हमारे आदमियों ने कोई ईमानदारी का ठेका नहीं लिया है, हमारे लोगों ने बेईमानी की हो, भ्रष्टाचार को पनपाया हो चाहे वे बी.जे.पी. के हों जनता पार्टी के हों या और किसी पार्टी के हों उनकी ईमानदारी से जांच करें और जो अपराधी हैं उनको सजा दी जानी चाहिये। मैं मांग करता हूं अपने ही आदमियों से शुरुआत करेंगे लेकिन मुझे यह भी कहना है कि मन्त्री जी अपने अपने लोगों को तो बचा लें, पक्षपात कर रहे हैं मैं आपको सरपंच नाथूलाल जो पचायत समिति देवली का है उसका भी बहुत बड़ा किस्सा कहना चाहता हू। आपके रिकार्ड की कापी सरकारी है इसके सम्बन्ध में, श्रीमन्, उसके नाम से एक बीघा और 4 बिस्वा जमीन है खसरा नं० 282/3 और खसरा नम्बर 870/1 है इसमें 10 बीघा और एक बिस्वा जमीन है। यह जमीन पंचायत के नाम से है, सरपंच के नाम से नहीं है रिकार्ड बताना चाहता हूं अगर आप इजाजत दें तो पूरी बात बता दू। इसमें यह है कि वह हर वर्ष गेहूं की फसल करता है और फसल करने के बाद मैं नह समझ सकता हूं, हो सकता है, कानून में इस प्रकार का कोई प्रावधान है कि अगर कांग्रेसी सरपंच किसी खेत में खेती करता है तो वह उसके कोठे में जाय और विरोध पक्ष वाला कोई सरपंच खेती करता है त वह पंचायत के कोठे मे जाय। इस तरह का कानून है तो बात बन्द, मुझे कुछ नहीं कहना। कहने की कोई बात नहीं है लेकिन 70 से लेकर पूरी रिपोर्ट मेरे पास 78 तक की है इसमें आय व्यय का लेखा है जो आपका स्थानीय निजी लेखा परीक्षक राजस्थान है उसकी जो रिपोर्ट है अनुमानित

(श्री गोपाल पचेरवाल)

श्राय का लेखा जोखा है इसमें बताया गया है श्राय कैसे हुई कहां से श्राय हुई श्राय के जो-जो स्रोत हैं वह बताये गये हैं श्रौर वह भी इसमें दिखाया गया है कि जो पैसा खर्च हुश्रा। चपरासी की तनखवाह पर कितना खर्च हुश्रा श्रौर कामों पर कितना खर्च हुश्रा लेकिन, श्रीमन्, 70-78 तक पूरी रिपोर्ट है इस रिपोर्ट में कहीं जिक्र नहीं है कि खेती से कितनी श्राय हुई है तो वह श्राय हुई वह कहां गयी क्या ? बतायें जो ये श्रापके प्यारे सरपंच हैं जो इन्दिरा जी के भक्त हैं श्रौर पहाड़िया जी के चरण छूने वाले हैं श्रौर श्रापके सामने नतमस्तक होने वाले हैं श्राप इस सम्बन्ध में क्या करेंगे यह रिपोर्ट जांच श्रापकी है जो बजट श्राता है उसकी है। इसमें कहीं स्पष्ट नहीं दिखाया गया है कि उस खेती से कितनी श्राय होती है या नहीं होती है श्रौर नहीं होती है तो दिक्कत नहीं होती। जो पैसा खर्च किया इस खेती पर उसका भी कहीं जिक्र नहीं है। उस खेत का कहीं जिक्र ही नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि श्राप इस सरपंच को निलम्बित करें। लेकिन श्राप इन सरपंच को निलम्बित नहीं करेंगे। श्रगर श्राप इस तरह का कम्पटीशन हो इस तरह का श्रभियान चला रखा हो कौन कितना ज्यादा भ्रष्टाचार करता है ार देंगे तो यह बात है तो ठीक है मुझे कुछ नहीं कहना है। वास्तव में भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहते हैं तो मैं कहना नहीं चाहता हूं लेकिन कहना चाहूंगा कि हमारे मुख्य मन्त्रीजी ने घोषणा की थी कि मैं नाक से भ्रष्टाचार निकलवा लूंगा। कितना निकलवाया यह तो श्राप देखेंगे श्राप बतायेंगे। लेकिन श्राप में तो घोषणा करने की भी क्षमता नहीं है श्रगर श्राप घोषणा में विश्वास नहीं रखते हैं श्रौर करना चाहते हैं तो श्राप श्रपने उत्तर में जो मैंने श्रारोप लगाये हैं श्रापके सरपंचों पर श्रौर श्राप पर वह बतायें श्रौर यह बताये कि क्या करने जा रहे हैं क्या उनकी जांच करायेंगे श्रौर उन सरपंचों को, जिनकी श्रापके पास रिपोर्ट है, श्राप निलम्बित करेंगे।

दूसरा, मैं यह श्रर्ज करना चाहूंगा, श्रीमन्, राजस्थान सरकार सामुदायिक विकास एवं पंचायत विभाग का एक पत्र है क्रमांक 1(23)/7/सीएलएस/जांच/74, यह एक लैटर है, इसमें....

श्री गुलाबचन्द कटारिया : पचेरवाल जी, × × ×

श्री सभापति : कटारिया जी, सदन में ऐसी बातें नहीं करें।

श्री सूरजपाल सिंह : सभापति महोदय, यह सदन की कार्यवाही से एक्सपन्ज किया जाना चाहिये।

श्री सभापति : इसे एक्सपन्ज कर दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : क्या एक्सपन्ज किया जाय ?

श्री सूरजपालसिंह : श्राप जैसे सीनियर

× × ×श्रभिव्यक्ति माननीय श्रध्यक्ष के श्रादेशानुसार श्रप्रजोपित की गई।

(श्री सूरजपालसिंह)

माननीय सदस्य होते हुए ऐसी बातें करते हैं—

(व्यवधान)

श्री गोपाल पचेरवाल : श्रीमन्, मैं निवेदन कर रहा था....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, काफी देर हो गई है—

श्री गोपाल पचेरवाल : सभापति महोदय, मैं आरक्षण चाहता हूं। आरक्षण में आपका संरक्षण चाहता हूं।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, मैंने राज्य सरकार के एक पत्र का जिक्र किया है देवली जिला टोंक के बारे में जांच हुई है और जिलाधीश ने रिपोर्ट सरकार को भेजी है। इनके भी कारनामे मैं आपको अर्ज करूं, उसको आप दिखा लेंगे, माननीय मन्त्री महोदय, तो अच्छा होगा। आपके पास शायद नहीं हो. क्योंकि प्रधान जी सहयोग नहीं कर रहे हों, और आपको नहीं बता रही हों तो आप मुझसे मांग लेना।

श्रीमन्, सरपंच राज का भागीदार भी है, टोंक डिस्ट्रिक्ट में एक सरपंच है रामलाल उसने 800 रु० का गबन किया उसकी रिपोर्ट सरकार को भेजी गई, उसको भी आप दिखा लें, वह भी राज का भागीदार है। वह यहां बैठते हैं। उनका जिक्र करूं तो यह प्रक्रिया है कि नोटिस देना पड़ेगा, लेकिन उनके खिलाफ ऐसे ऐसे मामले हैं, श्रीमन्, जिन्होंने होड़ लगाई है राजस्थान के सरपंच भ्रष्टाचार के मामले में तेज गति से दौड़ने में कहीं पीछे नहीं रह जायं। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, श्रीमन्, वह दौड़ में पीछे नहीं रहें, किसको आप आगे ले जाना चाहते हैं लेकिन, श्रीमन्, आप जितने सरपंचों के पीछे हाथ धोकर दौड़े हैं, उनकी भी देख रेख करलें तो अच्छा रहेगा।

(व्यवधान)

सभापति जी, मैं एक हरिजन बोल रहा हूं यह उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप देख लीजिये :

(व्यवस्था-सूचक घन्टी)

सामुदायिक विकास के बारे में मेरे क्षेत्र का मामला है इसलिये एक निवेदन मैं अपने क्षेत्र के बारे में करना चाहता हूं श्रीमन्....

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय सभापति महोदय, कोरम नहीं है, कोरम के बिना मीटिंग चल रही है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ।

(व्यवधान)

नहीं है कोरम आप गिन लीजिये। सभापति महोदय, मैंने ठीक कहा.

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : आप घंटी बजवाइये, सभापति महोदय !

श्री सूरजपाल सिंह : सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय ने जो व्यवस्था दी है, उनकी पार्टी को जो समय दिया गया है, उतना ही समय दिया जाना चाहिये, हमारी ओर

(श्री सूरजपाल सिंह)

से भी कई माननीय सदस्य बोलने वाले हैं, इस तरह से तो नहीं चलेगा कि आप एक ही माननीय सदस्य को इतना समय दे दें। ये एक सुनियोजित षड़यन्त्र की बात करते हैं, सत्ता दल के कई माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं।

श्री गोपाल पचेरवाल : मैं तो षड़यन्त्र को नहीं समझता, मैं तो नीतिगत बात करता हूं। श्रीमन्, पंचायत समितियों में जो शालायें चलाई जाती हैं उन शालाओं में....

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) सभापति महोदय, केवल 17 हैं घण्टी बजा दीजिये।

(गणपूरक घण्टी)

(गणपूर्ति के पश्चात्)

श्री गोपाल पचेरवाल : श्रीमन्, मैं निवेदन कर रहा था–

(व्यवधान)

श्री सी. पी जोशी (नाथद्वारा) : सभापति महोदय, समय का ध्यान रखा जाय, आधे घण्टे का समय हो गया है।

श्री सूरजपाल सिंह : इनकी पार्टी का समय समाप्त हो चुका है

(व्यवधान)

(व्यवस्था-सूचक घंटी)

आप सुनियोजित षड़यन्त्र की तरह बात करते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ, जो कोरम की बात करते हैं,

(व्यवधान)

सभापति महोदय, वे ही सदन छोड़कर चले जायं यह कौनसा तरीका है, जो कोरम की बात करते हैं

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपके लिये कोरम है, हाउस छोड़ कर चले जाते हैं

(व्यवधान)

यों ही कोरम नहीं होता है। कोरम हमसे बनता है, आपसे नहीं।

श्री सूरजपाल सिंह : आप स्वयं जा रही हैं!

(व्यवधान)

श्री गोपाल पचेरवाल : सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था–

श्री सभापति : आप जल्दी समाप्त करें।

श्री गोपाल पचेरवाल : ग्रामीण शालायें जो पंचायतों के माध्यम से चलाई जाती हैं, वहां पर भवन की व्यवस्था नहीं है, बच्चों के, ग्रामीण बच्चों के लिए शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, विकास अधिकारी जी अध्यापकों का शोषण करते हैं। कई शालाओं में दो-दो महीनों तक अध्यापक नहीं आते। माननीय मन्त्री महोदय, मैं आपको मेरे क्षेत्र की विस्तार से सूची दे सकता हूं, जिसमें चार–चार महीने तक अध्यापक नहीं पहुंचे। मैं आपको यह निवेदन

(162)

(श्री गोपाल पचेरवाल)

करना चाहता हूं आप आवश्यक रूप से यदि उन बच्चों के उज्जवल भविष्य में विश्वास करते हैं, और उन बच्चों का आप भविष्य उज्जवल करना चाहते हैं, यदि आप ग्रामीण बच्चों में शिक्षा का प्रसार करना चाहते हैं, ग्रामीण बच्चों के प्रति यदि आप अपना लगाव जाहिर करना चाहते हैं, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, वहां पर शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है विकास अधिकारी कोई ध्यान नहीं देते। आप ऐसे अध्यापकों और विकास अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्यवाही करें और ग्रामीण बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था, करें, यही मेरा आपसे निवेदन है

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी]

श्री सभापति : श्री हेमाराम चौधरी।

श्री सूरजपालसिंह : सभापति महोदय, मेरा नाम पहले है।

(व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला : हेमाराम जी थोड़ा बोलते हैं, इनको बोलने दो।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी) : माननीय सभापति महोदय, लोक निर्माण विभाग के बारे में एक कटौती प्रस्ताव मैंने पेश किया है। मैंने बाड़मेर जिले की पंचायत समिति बायतू के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा डाक बंगलों के निर्माण के लिए कटौती प्रस्ताव दिया है। बाड़मेर जिले में आठ पंचायत समितियां हैं। जिनमें से सात पंचायत समितियों के मुख्यावासों पर डाक बंगले विद्यमान हैं और उसके अलावा दूसरे गांवों में भी डाक बंगले बने हुए हैं। लेकिन यह जो बायतू समिति है, बाड़मेर जिले की आठों समितियों में एक महत्वपूर्ण समिति है। इसके अन्दर ग्रामीण लोगों की जो मीटिंग्स होती हैं सरपंच और इस पंचायत समिति में तीन विधायक भी मीटिंग में जाते हैं और बायतू के अन्दर एक खेमाबाबा का पशु मेला लगता है। साल में दो बार लगता है जिसमें हजारों लोग खेमाबाबा के दर्शन के लिए आते हैं हर मेले में कोई न कोई मन्त्री एक बार वहां आता है लेकिन वहां पर डाक बंगला न होने से मंत्रियों को या जो अधिकारी वहां आते हैं उनको ठहरने की दुविधा होती है या किसी के मेहमान बन कर जाते हैं तो वहां पर जो पब्लिक की समस्यायें हैं, उनको सुनने का मौका नहीं मिलता है, पब्लिक उनसे नहीं मिल पाती है जिससे जनता की सारी समस्यायें सुनने में उनको भारी परेशानी होती है। इसलिए मैं सार्वजनिक निर्माण मन्त्री से निवेदन करूंगा कि वह बायतू के अन्दर डाक बंगला बनाने में रुचि लें और उसको प्राथमिकता देते हुए इसी वित्तीय वर्ष में बायतू के अन्दर एक छोटा ही डाक बंगला बने चाहे एक ही कमरा बने लेकिन वहां डाक बंगले का निर्माण अवश्य करायें। जनता के लाभ के लिए और वह आने वाले अधिकारियों व मन्त्रियों के लिए भी लाभकारी सिद्ध होगा।

श्री सभापति : श्री शोभाराम।

श्री शोभाराम (थानागाजी) : सभापति

(श्री शोभाराम)

महोदय, मैं कुछ सुझाव पी. डब्ल्यू डी. की तरफ से जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको और हमारे कमिश्नर साहब हैं उनको देना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि जो हमारे चीफ इंजनीयर साहब हैं वह इसको देखें। हम तीन केटेगरीज सड़कों को लें। पहले तो वे हैं जो 30-40 साल पहले बन चुकी थीं, हम कम्पेन्शन दे चुके थे, अब वह धीरे धीरे खतम होती जा रही है उससे सड़कों का अन्दाजा प्रत्येक जिले का आ जाय तो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि कम कास्ट पर हम सड़कों को बना सकते हैं। कई सड़कें ऐसी हैं जिनको मैं जानता हूं, 6 इंच ढाई मीटर की रोड पड़ गई चलना मुश्किल हो गया। मैं नहीं कहता थानागाजी में ही यह हालत है बल्कि पूरे राजस्थान की है।

दूसरी केटेगरी इन सड़कों की है जहां सीलिंग हो गया, पत्थर पड़ गए, पता नहीं लोग कैसे स्टे ले आए। स्टे लाने के दो कारण हो सकते हैं या तो डिपार्टमेंट ने ने मुआवजा नहीं दिया सड़कों का एक्वीजीशन जो करना चाहिये था हो सकता है उसमें ज्यादा टाइम लगे लेकिन प्रासिडिंग्स भी लैंड एक्वीजीशन में ऐसी है जिसके जरिए अन्दर से कार्यवाही शुरू कर सकते हैं। मैं दोनों बातों पर विचार करता हूं तो मेरे सामने एक समस्या आती है कि हमारी बहुत सी सड़कें रोड रोलर्स के नहीं होने की वजह से वर्षों से पड़ी हुई हैं। मैं चाहता हूं माननीय मन्त्री अगर इस बात से इत्तफाक करें कि दोनों प्रकार की सड़कों के लिए हम जल्द से जल्द इन्तजाम करते हैं। अभी पंचवर्षीय योजना में कितने रोड रोलर्स की जरूरत पड़ेगी उसका प्रावधान किया जाय और उसके लिए रुपये की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन डिमांड्स के अन्दर ही जो सड़कें 8 साल में पूरी होने वाली हैं दो साल में हो जाती हैं तो हमारे लिए कई प्रकार के टैक्सेज पेसेंजर टैक्स, गुड्स टैक्स, रोड टैक्स, इतने मिलते हैं कि हमारी स्टेट की इतनी आमदनी हो जाती है कि हमको नए फंड की रोड रोलर खरीदने के लिए जरूरत नहीं पड़ती।

इसके साथ ही साथ इन्टरनल वर्कशाप भी ऐसा होना चाहिए जहां जो पुर्जे खराब हो जाते हैं उसकी तुरन्त कार्यवाही की जाय। दूसरी बात मैं सैक्रेटरी साहब से कहूंगा ये पी.ए.सी. में एक दो मर्तबा आए हैं। सड़क के कार्य का ए ने ठेका लिया, ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दे दिया। तीनों कैटेगरीज के अन्दर कितने करोड़ रुपये लाभ का फर्क होता है, ठेकेदारों के खिलाफ क्या कार्यवाही की अदालत में चल रही है या नहीं चल रही है, इन सब बातों की जानकारी मैं समझता हूं वह दें तो ज्यादा अच्छी बात होगी। इसके साथ ही साथ एक बात यह है कि मुकदमे चलते जाते हैं लेकिन विभाग की तरफ से कोई हिदायत दी जाय कि जल्दी से जल्दी मुकदमे का फैसला कराकर अगर काम शुरू होता है तो ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि हम देखते हैं, मैं सन् 1975-76 की बात कर रहा हूं उसके 5 साल बाद ठेकेदारों की तरफ कितने रुपए बाकी है पी. डब्ल्यू. डी. के ठेकेदारों से रुपया वसूल करने में मैं समझता हूं अगर जरूरत पड़े तो

(श्री शोभाराम)

बहुत रुपया उनसे वसूल करना है तो कोई ऐसी मजिस्ट्रेट की अदालत कायम की जाय जो न केवल पी.डी. के केसेज को सुने बल्कि कोआपरेटिव विभाग के भी जहां गबन या मिस-एप्रोसिएशन हैं, हम सोचते हैं वह एक अलग मजिस्ट्रेट अलग तरीके से सुने तो जल्दी से जल्दी फैसला हो सकता है। आज हम देखते हैं कि एक ही मजिस्ट्रेट के पास कई किस्म के मुकदमे चलते हैं और बड़ी मुश्किल से जो लीज एक साल में फैसला हो सकती है उसमें कई साल लगते हैं तो मैं समझता हूं यह भी एक अच्छी बात नहीं है।

ठेकेदारों के अलावा पी. ए. सी. के मेम्बर की हैसियत से हमने बहुत से आडिट आब्जेक्शन्स देखे, लाखों की तादाद में होंगे, हमने गवर्नमेंट को लिखा, शायद गवर्नमेंट ने उनको देखा या नहीं, 95 पर्सेन्ट में उनका जवाब नहीं आया। जवाब आया तो जो आडिटर जनरल हिन्दुस्तान के हैं वह यह लिखकर कहते हैं कि उनका जवाब गलत है। अगर यह जवाब समय पर आ जाता है तो मैं समझता हूं लाखों करोड़ों रुपये का एक तरीके से हमको लाभ मिल सकता है....

श्री यदुनार्थसिंह : पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री शोभाराम : हम प्रशासन को चलायें कोई भी कमेटी का सदस्य....

श्री यदुनार्थसिंह : कोई भी सदस्य कमेटी की बात सदन में नहीं उठा सकता।

श्री सभापति : वरिष्ठ सदस्य हैं बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

पी. ए. सी. की क्या बात बोले ?

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : पाइन्ट आफ आर्डर की कोई बात नहीं है। पी. ए. सी. का गलत हवाला दिया है उसकी रिपोर्ट नहीं पढ़ी है।

एक माननीय सदस्य : आपने सुना नहीं है, इसकी चर्चा यहां भी हो सकती है।

श्री जगतारसिंह (श्री करणपुर) : अगर पी. ए. सी. का चेयरमैन कोई बात देखता है तो उसके बारे में कोई बात कह ही नहीं सकता ?

श्री गोपाल पचेरवाल : सदन में नहीं बता सकता।

(व्यवधान)

श्री शोभाराम : तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ, सभापति महोदय, सरकार के पास से समय पर जवाब नहीं आते हैं। इसके अलावा थोड़ा मैं रोड रोलर्स के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। आज एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, जिसको कृषि विपणन बोर्ड कहते हैं, मैन रोड को अप्रोच रोड्स के जरिये कनेक्ट कर सकता है फलस्वरूप जिले के सभी गांवों के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। सड़कों के लिये एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर हैं उनको चीफ इन्जीनियर हिदायत दे ताकि वह जल्दी से

(श्री शोभाराम)

जल्दी इन सड़कों को मिलायें। इसके लिये वह अपना स्टेटमेंट भी बना कर आफिस में भेजें। इसके अलावा हमारी एक समस्या यह और बन गई कि अब सुपरिंटेन्डिग इन्जीनियर अपने एरिया के दौरे कम करते हैं। अगर वह अपने एरिया में ज्यादा दौरे करें तो मैं समझता हूं कि सड़कों के विकास की गति अधिक हो सकती है।

इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां पर बजट पास हो जाता है 31 मार्च को लेकिन उनकी जून तक प्रशासनिक सैंक्शन नहीं जाती है। अगर यह सैंक्शन 15 अप्रेल तक निकल जायें तो मैं समझता हूं कि 15 जून तक दो माह में काफी काम हो सकता है चूंकि 15 जून के बाद बारिश शुरू हो जाती है। उसके बाद चार माह तक काम नहीं हो सकता है। इस प्रकार 12 महीने में सिर्फ छह माह तक ही लोग काम कर सकने की क्षमता में रहते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि बिजली और सड़क ऐसी दो चीजें हैं जिनकी अगर समय पर राज्य सरकार एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन्स भेज दे तो काफी विकास हमारे राजस्थान का हो सकता है। यदि 15 अप्रेल से काम शुरू हो जाता है तो जो फण्ड्स अलाट किये जाते हैं वह फण्ड्स उन्हीं काम में आयेंगे और उनका रीएप्रोप्रिएशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डेफीसिट पूरा करने के लिये यह जरूरी है कि एड-मिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन 15 अप्रेल को जारी हो। ऐसी दशा में डिपार्टमेन्ट के अधिकारियों को चाहिये, चीफ इन्जीनियर साहब मुख्य मन्त्री जी से बात करें। ऐसा होने पर न तो रुपये ही बचेंगे न उनका रीएप्रोप्रियेशन ही होगा। इसके अलावा कई बार पैसों को केरी फार्वड किया जा सके अगले साल के लिये यह भी काम में आ जायेगा।

इसके अलावा मैंने जैसा कल निवेदन किया था कि कोआपरेटिव डिपार्टमेन्ट और पी. डब्ल्यू. डी. के अधिकारियों की कान्फि-डेन्शियल रोल जो लिखी जावे उनके परफार्मेन्स आॅफ वर्कस के अनुसार लिखी जानी चाहिये। जो उनको काम सौंपा गया है उसके अनुसार वह लोग काम करते हैं या नहीं। अधिकारियों का जितना काम दिया गया है कितना काम किया और कमी रखी तो कितनी रखी, उसी के अनुसार उनकी सी. आर. लिखी जानी चाहिये जो अधिक होशियार हों, ईमानदार लोग हों उनको तरक्की दी जानी चाहिये। मेरा राज्य सरकार से अनुरोध है कि जो मैंने सुझाव दिये हैं उनकी तरफ ध्यान दे।

श्री सभापति : श्री बुलाकी दास कल्ला।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : सभापति महोदय, मैंने माँग संख्या 19, 21 और 41 के अन्दर अपने जो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये है मैं उनके सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट कर रहा हूं।

सार्वजनिक निर्माण विभाग मुख्य रूप से सड़क, पुल और राजस्थान नहर क्षेत्र में, चम्बल क्षेत्र में सड़कों का निर्माण करता है। कृषि उपज मण्डी समितियों की सड़कों का निर्माण करता है तथा सार्वजनिक उत्थानों के निर्माण का कार्य करने का उत्तरदायित्व इस विभाग का है। इस

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

विभाग को इस बजट में 44 करोड़ 1 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है जो कि निर्माण कार्यों के लिये रखा है। इसका तो मैं स्वागत करता हूं परन्तु, सभापति महोदय, मैं मुख्य रूप से बीकानेर डिवीजन के बारे में उल्लेख करना चाहता हूं क्योंकि यह इलाका हमेशा से ही इगनोर्ड रहा है। मैं मन्त्री महोदय का खास तौर से ध्यान बीकानेर शहर और जोधपुर शहर की सड़कों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। यह सड़कें इतनी दयनीय हैं, सभापति महोदय, अगर आप उनको देखें तो आपको पता चलेगा कि यह जगह-जगह से टूटी हुई हैं और स्थान-स्थान पर इन सड़कों में गड्ढे पड़े हुये हैं। इन सड़कों की मरम्मत का काम पिछले कई वर्षों से नहीं हो रहा है।

सभापति महोदय, कुछ समय पहले राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया था कि राजस्थान के पांच डिवीजन मुख्यालयों की सड़कों के मेन्टेनेन्स का कार्य पी. डब्ल्यू. डी. को सौंपा जायगा जो कि म्युनिसिपल एरिया के अन्तर्गत है। लेकिन सभापति महोदय, उदयपुर, कोटा और जयपुर की म्युनिसिपल सड़कों का रख रखाव और उनकी मरम्मत का काम तो पी. डब्ल्यू. डी. ने करना शुरू कर दिया है लेकिन बीकानेर और जोधपुर शहर की सड़कों की मरम्मत और उनके रख रखाव का कार्य अभी तक सार्वजनिक निर्माण विभाग को नहीं सौंपा गया है। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मन्त्री महोदय अति शीघ्र बीकानेर और जोधपुर शहर की सड़कों की मरम्मत व उनके रख रखाव का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग को सौंपे। अगर यह नहीं सौंपा गया तो जोधपुर और बीकानेर शहर, जो ऐतिहासिक शहर है और पर्यटन के स्थान भी हैं, दोनों ही महत्वपूर्ण स्थान हैं यहां पर विदेशों से लोग आते हैं, अगर यहां की सड़कों की हालत खराब देखेंगे तो यहां से विदेशी लोग जब अपने देश जायेंगे तो इस बात को लेकर जायेंगे कि राजस्थान के ऐतिहासिक स्थानों की सड़कें इतनी दयनीय स्थिति में हैं। सभापति महोदय, इसके अलावा अगर आप बीकानेर के रेलवे फाटकों की तरफ गौर फर्मायें तो आपको महसूस होगा और आपको मालम होगा कि जिस समय सम्पूर्णानन्द जी बीकानेर में मास्टर थे उस समय से लेकर जब तक वे राज्यपाल राजस्थान के बने तब वह बीकानेर पधारे थे तो महामहिम राज्यपाल महोदय, स्वर्गीय सम्पूर्णानन्दजी ने यह फर्माया था कि रेलवे फाटक अभी तक बीकानेर के लोगों के लिये आफत बना हुआ है। सभापति महोदय, रेलवे फाटक दिन में 8–10 घण्टे तक बन्द रहता है। और रेलवे फाटक बन्द होने के कारण लोगों का बहुत सारा समय बर्बाद होता है। इसके अलावा कई बार प्रसूति महिलाओं के प्रसव भी रेलवे फाटक के पास हो जाते हैं। इसलिये रेलवे फाटक की समस्या के निदान की आवश्यकता है। बीकानेर में एक भी पुल अब तक नहीं बना। जबकि दूसरे शहरों में स्थान-स्थान पर पुल बनाये गये हैं। मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस समस्या के निदान के लिये आपने जो रेलवे विभाग को रेलवे फाटक के लिये सर्वेक्षण करने के लिये चार लाख रुपये दिये हैं उसका तो मैं स्वागत करता हूं और

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

धन्यवाद देता हूं, लेकिन जब तक इस समस्या का स्थायी हल नहीं हो जाता या वहां पर ओवर ब्रिज नहीं बन जाता अथवा रेलवे स्टेशन को जब तक शहर से हटा कर दूसरी जगह नहीं ले जाया जाता तब तक इस समस्या का हल नहीं हो सकेगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप यहां पर ओवर ब्रिज बनायें अथवा इस रेलवे स्टेशन को शहर से हटा कर दूर करें ताकि जनता को राहत मिले।

इसके अतिरिक्त, सभापति महोदय, बीकानेर शहर के ट्रेफिक के लिये आपने जो साढ़े चार लाख रुपये का प्रावधान किया है उसके लिये मैं आपका बहुत आभारी हूं, लेकिन यहां पर मैं इतना और निवेदन करना चाहूंगा कि यह राशि आने वाले समय मे बहुत कम होगी, इसलिये और अधिक व्यवस्था की जाय। श्रीमान्, बीकानेर चूरू, गंगानगर और जोधपुर इन चार-पांच स्थानों के लिये जो हमारे यहां राष्ट्रीय राजमार्ग जाते हैं, राजमार्ग नम्बर 11 और राजमार्ग नम्बर 15 को आपस में जोड़ने के लिये अभी तक कोई बाई-पास या आपस में जोड़ने के लिये कोई मुख्य सड़क बनी हुई नहीं है। इस पर कोई बहुत भारी खर्चा आने वाला नहीं है। सिर्फ दो तीन किलो मीटर की यह सड़कें हैं। इनको यदि आपस में जोड़ दिया जाय तो शहरों के बीच में जो भारी ट्रेफिक की अव्यवस्था है—एक ओर जहां इसको दूर किया जायगा वहीं दूसरी ओर इन राजमार्गों को जोड़ने से बीकानेर गंगानगर, जैसलमेर, जोधपुर और चूरू इन सारे स्थानों के लोगों को बाहर की बाहर राष्ट्रीय राजमार्गों पर एक दूसरे को जाने के लिये यातायात की सुविधा मिलेगी।

बीकानेर में रिंग रोड और सर्कूलर रोड का भी अभाव है। इस सम्बन्ध में भी आप पर्याप्त व्यवस्था करने की मेहरबानी करें। बीकानेर में सार्वजनिक उद्यानों की कमी है। इस विभाग के द्वारा राजस्थान में चार सार्वजनिक उद्यान बनाये गये हैं और उनमें पुष्प प्रदर्शनियां भी लगती हैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि बीकानेर की महत्वता को ध्यान में रखते हुए यहां पर सार्वजनिक उद्यान लगाने की व्यवस्था करें।

इसी प्रकार से इस विभाग में कार्य को देखते हुए स्टाफ की कमी है और स्टाफ को बढ़ाया जाना चाहिये और विभाग के पास जितने भी कार्य हैं उनको देखते हुए उनके बजट को भी बढ़ाना चाहिए। इस विभाग के अन्तर्गत जो ठेकेदार काम करते हैं वह ठेकेदार समय पर काम नहीं करते और जो मेटीरियल लगाना चाहिए वह मेटीरियल नहीं लगाते हैं। ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ विभाग को आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए और उनको ब्लैक लिस्ट में लिया जाना चाहिए। जो ब्लैक लिस्ट में आ जाते हैं उनको आने वाले समय में किसी प्रकार का कार्य नहीं दिया जाना चाहिए।

इस विभाग के पास जो सड़क निर्माण का कार्य या वह राजस्थान की पंचवर्षीय योजनाओं से पूर्व 17;232 किलो मीटर था और अब इस विभाग द्वारा 40,399 किलो मीटर सड़कें बनाई गयी हैं। यह स्वागत योग्य है लेकिन अभी भी इसकी कार्य क्षमता को

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

बढ़ाने के लिए इस विभाग को आधुनिक मशीनें दिलाई जानी चाहिये । टारकोल की व्यवस्था विटुमन की व्यवस्था समय-समय पर विभाग को विशेष व्यवस्था के आधार पर दिलाई जानी चाहिये ।

श्रीमन्, मैंने बीकानेर की नगरपालिका की सड़कों के बारे में जैसा कि पूर्व में कहा कि नगर परिषद् जो सड़कें बनाती है वह दो या तीन महीनों में ही खतम हो जाती हैं क्योंकि उनके पास में स्किल्ड लेबर की कमी है, तकनीकी ज्ञान का अभाव रहता है लेकिन यह देखा जाता है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग इस मामले में सक्षम है और उसके पास में नगर परिषद् से अच्छे साधन हैं, स्किल्ड लेबर है इसलिए जो खास खास शहर हैं इनकी सड़कों के रख-रखाव और मरम्मत का काम निश्चित रूप से इस विभाग को सौंप देना चाहिये । इस संबंध में यदि बजट में कोई विशेष प्रावधान करना पड़े तो भी किया जाना चाहिये ।

इसके अतिरिक्त, श्रीमन् जो संहिता की अवहेलना करने वाले लोग हैं सार्वजनिक निर्माण विभाग में उनके खिलाफ विभाग में सख्त कार्यवाही करनी चाहिये । बीकानेर में सूचना केन्द्र, ई.एस. आई हॉसपिटल, बस स्टेण्ड के निर्माण का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग के पास आना चाहिए और यदि इन निर्माण कार्यों की स्वीकृति विभाग के पास में आ जाती है तो समय पर उनको पूरा कराया जाना चाहिए ।

अब मैं सामुदायिक विकास की मांगों के ऊपर मेरे विचार संक्षिप्त में रखना चाहता हूं । सबसे पहले तो मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि गांधी जी ने पंचायती राज की परिकल्पना की थी । इस गांधी जी के देश में यदि समय पर चुनाव न हों तो जो लोग एक लम्बे समय तक पंचायती राज को चला रहे हैं वह निश्चित रूप से पंचायती राज का सही प्रतिनिधित्व नहीं कर पायेंगे । जैसा कि मुझे जानकारी है और मैंने पिछली बार इस मांग के ऊपर ग्राम नांगल राजावतान तहसील दौसा के सरपंच ने काम के बदले अनाज योजना में भयंकर धांधलेबाजी की थी । उसमें 1392 रुपये का पक्का कार्य हुआ, ग्राम रामसिंहपुरा स्कूल में 4998 रुपये का पक्का कार्य हुआ, ग्राम रामसिंहपुरा कूप निर्माण में 3392 रुपये का पक्का कार्य और स्वास्थ्य केन्द्र नांगल राजावतान में 3488 रुपये का पक्का कार्य हुआ, ग्राम तरपाव खुदाई नांगल राजावतान में 5140 रुपये का कच्चा कार्य स्कूल फण्ड नांगल राजावतान में 45 सौ रुपये का कच्चा कार्य हुआ, रास्ता नांगल ढाकावास में 4938 रुपये का कच्चा कार्य हुआ, रास्ता दुरुस्ती खुर्रा निर्माण किशोरपुरा में 3444 रुपये का पक्का कार्य हुआ । इन सभी कार्यों में विभाग की यह रिपोर्ट है कि सरपंच द्वारा लगभग 30 हजार रुपये से ऊपर के घोटाले किये गये हैं । यह काम के बदले अनाज योजना का कच्चा चिट्ठा पिछली बार भी मैंने पढ़ा था और आज भी मैं आपको बता रहा हूं कि आर. ए. एस. अधिकारी, दौसा, निरीक्षक, सहायक अभियन्ता जिलाधीश कार्यालय जयपुर एवं एस. डी. एम. और पंचायत समिति दौसा द्वारा इसकी जांच की जा चुकी है और स्पष्ट रूप से सरपंच, उप-सरपंच और सचिव ग्राम राजावतान के

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

खिलाफ सबूत पेश पत्र आधारित हो चुके हैं। इसकी रिपोट विकास आयुक्त के पास पहुंच चुकी है लेकिन आज भी यह सरपंच इस ग्राम पंचायत में मौजूद है। और आज भी विकास कार्यों में वैसा का वैसा ही गबन जारी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विभाग द्वारा ऐसे सरपंच जिन्होंने काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत चाहे वह ग्राम पंचायत राजावतान हो या ग्राम पंचायत बीकानेर हो, रोजरी हो, चुरू हो जो-जो सरपंच आज राजनैतिक पार्टी से संबंधित हैं और जिसके ऊपर आरोप साबित हो चुके हैं ऐसे सरपंचों को विभाग द्वारा तुरन्त निलम्बित किया जाना चाहिए। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमने विकास आयुक्त को समय-समय पर इस बारे में लिखा है लेकिन हमको इसके बारे में कोई एकनॉलेजमेन्ट पत्र भी नहीं मिलता है। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे अधिकारियों को सर्कूलर द्वारा यह कहा जाना चाहिये कि जन प्रतिनिधि इस बात के बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं तो उनको कम से कम जवाब दिया जाय कि आपका पत्र मिल गया है और इसके बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है इसके बारे में अवगत कराया जाय। जो लोग काम के बदले अनाज में आज भी इतने बड़े घोटाले करते हैं और वह आज भी सरपंच रह कर पंचायत का कार्य चला रहे हैं ऐसे सरपंचों के खिलाफ तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिये।

जिला परिषदों के चुनाव भी समय पर होने चाहिये और अब काफी समय बीत चुका है। इसके कारण से जिला परिषदों के चुनाव आप अतिशीघ्र करायें ताकि पंचायती राज की परिकल्पना जो गांधीजी की थी और हम लोग भी चाहते हैं कि पंचायती राज गांव में स्वतन्त्र रूप से कायम हो सके और ग्राम पंचायत उनका निराकरण करके न्याय दे सकें, यह मेरा निवेदन है।

जयहिन्द।

श्री सभापति : श्री जीतमल जैन

श्री श्रीराम गोटेवाला : सभापति महोदय, मेरा भी कटौती प्रस्ताव है। मेरा भी नम्बर है।

श्री सभापति : आयेगा। श्री जीतमल जैन

श्री जीतमल जैन (अलवर) : सभापति महोदय, किसी देश के विकास के लिए सड़कें और बिजली अत्यन्त आवश्यक हैं। आजादी के तीस साल बाद ढाई साल का अगर जनता पर्टी का राज छोड़ दिया दिया जाय तो तीस साल एक पार्टी का शासन रहा है और तीस सालों के अन्दर सड़कों की कितनी प्रगति हुई है। देश के अन्दर आपके और हमारे सामने छिपी हुई बात नहीं है। हमने पिछले तीस वर्षों में अकाल के नाम पर करोड़ों रुपया इस प्रान्त में खर्च किया है लेकिन अकाल के नाम पर जिस प्रकार धन का दुरुपयोग पिछली सरकार ने किया है वह आप और मेरे कहने की बात नहीं है, वह बहुत लम्बी कहानी है। मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। मैंने सारे कटौटी प्रस्तावों की सूची देखी है और मैंने देखा कि चाहे वह सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों सभी ने कटौती

(170)

(श्री जीतमल जैन)

प्रस्तावों में इस बात की चर्चा की है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्दर भ्रष्टाचार व्याप्त है। वैसे भ्रष्टाचार हमारे देश का, हमारे जन जीवन का अंग बन चुका है। आज सर्वत्र चर्चा है कि न राजनैतिक व्यक्ति अछूता है न सरकारी कर्मचारी अछूता है जिसको अवसर नहीं मिलता वह ईमानदार है; अवसर मिलते ही बेईमान हो जाता है। यह बात ठीक है कि इस तरह भ्रष्टाचार से जन जीवन ग्रसित है लेकिन, सभापति महोदय, आपके द्वारा मैं मन्त्री महोदय का ध्यान भ्रष्टाचार के एक दो उदाहरण की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। जैसे जो वर्तमान हमारे सार्वजनिक निर्माण मन्त्री हैं उनके 8 महीने के कार्य कलापों से यह उम्मीद करना व्यर्थ है कि वे भ्रष्टाचार के मामले में कुछ करेंगे। उदाहरण के रूप में अलवर जिले में किशनगढ़ से मोटू का गांव है वहां सड़क बनाई गई। इस सड़क पर पर पुलिया, खुर्रे आदि के निर्माण में जो मेटीरियल काम में लाया गया वह निम्न श्रेणी का है। मैं समझता हूं करीब चार आने का काम उस सड़क पर नहीं हुआ है। यह देख कर रोना आता है कि किस प्रकार से हमारे सार्वजनिक रुपये का दुरुपयोग अधिकारियों द्वारा किया जाता है। आखिर राजस्थान के गरीब आदमी जो खून पसीने की कमाई राजकोष में देते हैं सार्वजनिक निर्माण विभाग किस प्रकार से उसका उपयोग करना चाहता है, इसका जीता जागता उदाहरण है। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस सड़क से पता चल जायगा कि वास्तव में सार्वजनिक निर्माण विभाग में किस प्रकार का भ्रष्टाचार है। मेटीरियल का मेरे पास नमूना है जो मैं सदन की मेज पर रखता हूं। आप स्वयं जांच करा लें, इन्क्वायरी करा लें कि किस तरह से सार्वजनिक निर्माण विभाग भ्रष्टाचार में लिप्त है और किस प्रकार से काम होता है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है जो जूनियर इन्जीनियर वहां लगा हुआ है उनकी देख रेख में यह काम हुआ है उनका पिछला इतिहास बड़ा साफ नहीं रहा है। इस प्रकार के लोगों को काम सौंपा जाता है। मैं आपको निवेदन करूं कि कृष्ण मुरारीलाल गुप्ता की देख-रेख में इस सड़क का निर्माण हुआ है। उनके खिलाफ पहले एक इन्क्वायरी हुई थी चोरी के मामले में, उनके विभाग ने तीन इन्क्रीमेन्ट बन्द कर दिये थे। उसके बाद सीकर बरवाड़ा सड़क पर ठेकेदार से मिल कर पत्थरों की चोरी की और 17 हजार रुपये का गबन किया। तत्कालीन एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर ने तत्काल आदेश दिये कि इनको किसी वर्क पर न लगाया जाय। तिजारा के अन्दर स्कूल बना उनकी देख-रेख में बना वह बरसात में ढह गया है। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि ऊपर के अधिकारी एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर किस प्रकार से देखते हैं। यह भ्रष्टचार का जीता जागता उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं समझता था कि चीफ इन्जीनियर के सामने इस प्रकार का कोई मामला लाया जायगा तो निश्चित रूप से वे एक्शन लेंगे। जब मैं उनसे मिला तो मैंने उनसे कहा कि अलवर में अस्पताल के अन्दर पौने तीन लाख रुपये की नई बिल्डिंग बन रही है। मेरी जानकारी है, मैं टेक्निकल आदमी तो नहीं हूं, मुझे ऐसा लगा कि जो मेटीरियल काम में आ रहा है वह

(श्री जीतमल जैन)

सब स्टेण्डर्ड है इस सम्बन्ध में मैं चीफ इंजीनियर से मिला। जब मुझे चीफ इंजीनियर साहब मिले उन्होंने कहा I am very thankful to you. I shall see the matter. मुझे इस प्रकार की शिकायत करने वाले आप पहले आदमी हैं। मैंने उनको लिखित रूप में दिया है। मेरे पास कागज है वह दिखा सकता हूं। मैंने उनसे निवेदन किया कि आप सरप्राइज चैकिंग करवाइये। उन्होंने कहा मैं भरतपुर के एस ई. को भेज कर करवाऊंगा। मैंने कहा कि जिस पर आपको विश्वास हो उसको भेज दीजिये। जहां तक मुझे जानकारी है सरप्राइज चैकिंग नहीं हुई। 26 अगस्त की बात है। 28 अगस्त को वह ठेकेदार मेरे घर पर आता है और कहता है कि आपने चीफ इन्जीनियर को मेरी शिकायत की है। अच्छा होता चीफ इन्जीनियर साहब एक्स. ईएन. या सी. ई. से इस सारे मामले की जांच करवाते और दोषी व्यक्तियों को दण्ड दिलवाते। एक बात और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अलवर के अन्दर जो नये एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर गये हैं वह रिश्वत को कमीशन कहते हैं। महंगाई बढ़ गई है इसलिये हमारी रेट भी बढ़ा दी दो पर्सेन्ट से तीन पर्सेन्ट कर दी-एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर जिनको आपने अलवर में भेजा है। इतना ही नहीं उन्होंने अनियमित तरीकों से नियुक्तियां की हैं। नियुक्तियां बन्द थीं, उन्होंने नियुक्तियां की हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सारे मामले की जांच करायें कि किस प्रकार से नियुक्तियां कीं। पोलिटिकल प्रेशर से गलत तरीके से नियुक्तियां की गई हैं। मैं चाहूंगा कि आप इस पर एक्शन लें।

इसके बाद में आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस विभाग के अन्दर बहुत बड़ा घोटाला होता है। मैं समझता हूं मंत्री महोदय, जिन्होंने इस विभाग को सम्भाला है, इस मामले की तह में जाने की कोशिश करें। बहुत बड़ा पैसा इस विभाग की उन्नति और विकास के कार्यों में उद्योगों के निर्माण में लगाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर एक बात कहना चाहता हूं कि अलवर एकजीक्यूटिव इन्जीनियर को किस तरह का बंगला मिला हुआ है। जितने कर्मचारी हैं उनको किस श्रेणी का मकान मिलना चाहिये, इसके नियम बने हुए हैं। अलवर में राजाओं का राज था तब के काफी बड़े बड़े बंगले बने हुए हैं। एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर के बंगले के साथ काफी जमीन लगी हुई है और भी जगह हो सकती है मैं नहीं जानता। अलवर के अन्दर एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर के बंगले में नर्सरी लगी हुई है उस नर्सरी के ऊपर आठ आदमी काम करते हैं जिनकी तनखवाह एक महीने की 3,000 के करीब आती है। 500 रुपये प्रति माह पानी का खर्चा है। कुछ 42 हजार रुपये एक साल में खर्चा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कितने पेड़ पौधे लगाये, आप इस बात का रिकार्ड पी. डब्ल्यू. डी. से मंगा कर देखें। केवल अधिकारियों के बंगलों की शोभा बढ़ाने के काम में आते हैं। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि

(172)

(श्री जीतमल जैन)

इसकी जांच करायें और इस अपव्यय को रोकें।

एक बात और कहना चाहता हूं, पैट्रोल की बहुत कमी है, डीजल महंगा है। विभाग के अन्दर किस प्रकार से पैट्रोल का इस्तेमाल होता है, मंत्री महोदय इस बात को गहराई से देखें तो मालूम होगा कि विभाग में पैट्रोल और डीजल का किस तरह से दुरुपयोग होता है, अधिकारी और उनके परिवार के लोग अपने व्यक्तिगत काम में लेते हैं। उसके साथ-साथ सवेरे 4 बजे डिपार्टमेन्ट के अन्दर जो व्हिकल हैं उसमें पैट्रोल भरा जायगा। 11-12 बजे वहां से एक्स. ईएन. और जूनियर इंजीनियर निकलेगा और शाम को 5-6 बजे आ जायगा पैट्रोल फूंक कर। उसका कोई उपयोग नहीं है। मेरा इस बारे में सुझाव है कि जो जगह बस से अप्रोचेबल है उस जगह के लिये एक्स. ईएन. इंजीनियर को कहा जाय कि आप लोग वहां बस से जायेंगे, बस से आयेंगे। इस तरह से पैट्रोल का बहुत बड़ा दुरुपयोग हो रहा है। आपने एक लिमिट विभाग में बना रखी है कि वर्ष में आपको इतना पैट्रोल का खर्चा दिया जायगा लेकिन बाकी पैट्रोल ज्यादा खर्च होता है। कहा जाता है कि जो सड़कों पर मेन्टेनेन्स का खर्च है, मेन्टेनेन्स के अकाउन्ट में खर्च में आता उस खाते में डाल दिया जाता है और आम आदमी को पता नहीं लगता कि पैट्रोल कहां से मिल रहा है। आप इस पद्धति को रोक दें तो अच्छा है। आप इस पद्धति रोक दें, यह मेरा आपसे विनम्र निवेदन है।

इसके साथ-साथ मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि पी. डब्ल्यू. डी. बिल्डिगों का रख रखाव करता है और करना भी चाहिए लेकिन आप, माननीय मन्त्री महोदय, इस बात को देखें कि कुछ बड़े-बड़े अधिकारियों के कारण एक्स. ईएन. कलेक्टर, एस. पी. कोठियों के अलावा बाकी जो सार्वजनिक जगह हैं, सरकार की बिल्डिंग हैं जिनमें छोटे कर्मचारी रहते हैं, उनकी वर्षों तक मरम्मत नहीं होती। मरम्मत की तो बात छोड़िये, उनकी पुताई तक नहीं होती। मुझे अच्छी तरह याद है, 5 साल में जाकर अलवर के अस्पताल का व्हाइट वाश हुआ है, उसका 5 साल के अन्दर व्हाइट वाश नहीं हुआ। वह पैसा कहां खर्च होता है। वह पैसा खर्च होता है कलेक्टर साहब की कोठी पर, वह पैसा खर्च होता है एक्जीक्यूटिव इंजीनियर की कोठी पर, वह पैसा खर्च होता है एस. पी. की कोठी पर। और भगवान की दया से अगर ट्रांसफर हो गया आज आप रह रहे हैं, दो महीने बाद अगर किसी आफिसर का ट्रांसफर हो गया तो आने वाला व्यक्ति कहता है कि मुझे इसका कलर पसन्द नहीं, इसमें परिवर्तन चाहिए। हजारों रुपये फिर उसके अन्दर खर्च कर दिये जाते हैं। मुझे अच्छी तरह खयाल है, आप जानकारी करा लें, चीफ इंजीनियर से। आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, मन्त्री महोदय से, उन्होंने केवल अपने लैट्रीन, बाथरूम और पतनाले के के अन्दर 40 हजार रुपया इस राजस्थान की जनता की गाढ़ी कमाई से खर्च किया। दो साल उन्हें रहना होगा, तीन साल रहना होगा। इस प्रकार से उन्होंने पैसा खर्च किया है। वह वास्तव में हम सब के

(श्री जीतमल जैन)

लिए सोचने का विषय है, हमारी सरकार के लिए लज्जा का विषय है।

इसके साथ-साथ मैं आपसे एक बात निवेदन करना चाहूंगा कि अलवर एक बढ़ता हुआ शहर है। औद्योगीकरण बड़ी तेजी से हो रहा है। 71 के अन्दर आबादी 1 लाख 10 हजार थी, अब आबादी लगभग डेढ़ लाख के आसपास है। उस औद्योगीकरण के साथ-साथ निश्चित रूप से आवागमन बढ़ा है बसों वगैरह का। और हमारा जो रेलवे स्टेशन है, उस पर एक फाटक लगा हुआ है और उसके परिणाम-स्वरूप कई बार तो दो-दो घण्टे, आधा आधा घण्टे और कई बार कम से कम 5-7 घण्टे उससे आवागमन रुका रहता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से, सभापति महोदय, माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस समस्या की ओर ध्यान दें। मेरा निवेदन है, अलवर जिले से तीन मंत्री हैं वे मुझसे सहयोग करें।

एक और बहुत बड़ी आवश्यकता है। मन्त्री महोदय अभी अलवर होकर आये है। मैं समझता हूं कि उन्होंने शायद इस बात को देखा होगा और हमारे मन्त्री महोदय अलवर से जो हैं, सैनी साहब, उन्होंने यह बात आपके कान में डाली होगी कि रेलवे ब्रिज की बहुत बड़ी आवश्यकता है, इसे जल्दी से जल्दी आप करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री श्रीराम गोटेवाला : टाइम जा रहा है।

श्री जीतमल जैन : इसके साथ-साथ मैं अब एक आपसे निवेदन सामुदायिक विकास का करना चाहता हूं। जनता पार्टी के समय ढाई रुपये प्रति व्यक्ति पंचायतों को दिये गये थे अनुदान के रूप में लेकिन कांग्रेस का शासन आने के बाद ढाई रुपये पंचायतों को न देकर जो पैसे दिये गये थे, उससे काम के बदले अनाज जो योजना चली थी, उसके अन्दर मजदूरी का चुकारा किया गया। यह बहुत बुरी बात है। एक बहुत अच्छी योजना काम के बदले अनाज राज्य के अन्दर शुरू हुई थी। हम चाहते थे इस प्रकार के अधिकार पंचायतों को दें, इस प्रकार के आर्थिक काम करने का अधिकार मिले। इसकी चर्चा की गयी लेकिन हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि अगर इस प्रकार से उनके हाथ में पैसा खर्च करने के लिये दिया तो भ्रष्टाचार अधिक फैलेगा। मैं समझता हूं इस देश के अन्दर भ्रष्टाचार का रोग फैल गया है। आज एक सरपंच को अपने चुने हुए लोगों के ऊपर विश्वास नहीं है, हो सकता है सारे बड़े समुद्र के अन्दर खराब मछलियां भी निकल जायें। उनके खिलाफ अगर किसी भी प्रकार की कार्यवाही की जाय तो मुझे इस बात को नहीं कहना, उनके खिलाफ एक्शन लेने की बात मैं कहूंगा। उनको निश्चित रूप से इस प्रकार के लोगों को बचाने के लिए मैं कभी भी वकालत नहीं करूंगा।

इसके साथ-साथ बहुत सारे अधूरे काम पड़े हैं, जो काम के बदले अनाज योजना में शुरू हुए थे। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय, उन कामों को पूरा करवाया जाय ताकि जो

(174)

(श्री जीतमल जैन)

कुछ पैसा उनमें लगा है, उनका उपयोग हो सके और जनता का सहयोग मिल सके। इन सब बातों के साथ में एक बात मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, आप इस डिपार्टमेन्ट में, ये चुनौती है

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

आपके सामने, ये मामले आप दिखवाइये। इस भ्रष्टाचार को रोकने का प्रयत्न करें। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री सूरजपाल सिंह।

श्री हनुमान प्रभाकर (**मंत्री, सार्वजनिक निर्माण**) : सभापति महोदय, बैठक का कार्यक्रम 7 बजे तक बढ़ाया गया था और मुझे जवाब देना है, 45 मिनट बचे हैं, मुझे जवाब देना है। जो समय जनता पार्टी को दिया गया था, उससे ज्यादा हो गया।

श्री श्रीराम गोटेवाला : उसके बाद तो आपने मुझे फर्माया था।

श्री मेघराज तावड़ : मुख्य सचेतक कहेंगे तो मैं सोचूंगा। आप सत्ता पार्टी के सचेतक नहीं हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मेघराज जी, आप तो सब कुछ हैं, अपनी पार्टी के नेता भी हैं, मुख्य सचेतक भी।

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) : सभापति महोदय, मैंने मांग संख्या-19—

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सभापति महोदय, हम बड़ी मेहनत से लाये हैं, उनको दिये बिना हमको चैन नहीं पड़ेगा।

श्री सूरजपालसिंह : सभापति महोदय, मैंने मांग संख्या 19, 21 और 41 पर जो कटौती प्रस्ताव दिये हैं, उसके सम्बन्ध में कुछ विचार व्यक्त करना चाहूंगा। सभापति महोदय, सबसे पहले मैं मांग संख्या-21 पर अपने विचार व्यक्त करूंगा। जालौर जिला सड़कों के लिहाज से बहुत पिछड़ा हुआ जिला है और इसलिए मेरा यह निवेदन है कि जो भी बजट प्रावधान इस वर्ष सड़कों के लिए रखे गये हैं, मन्त्री महोदय जालौर जिले का इसमें विशेष ध्यान रखेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। सभापति महोदय, जालौर जिला एक पश्चिमी राजस्थान का एक दूर दराज का इलाका है और वहां स्थिति यह है कि 30-30, 40-40 वर्ष से जो बस मार्ग हैं हो आज भी उसी स्थिति के अन्दर हैं। तो मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि हमारे क्षेत्र के अन्दर 4 हजार की पापूलेशन के विलेजिज हैं, वे आज तक सड़क से नहीं जुड़े हैं तो हमें इन सड़कों की स्वीकृति देने से पहले कुछ अपने नॉर्म्स तय करने पड़ेंगे कि इस वर्ष हम उन गांवों को सड़कों से जोड़ दें कम से कम जो पहले कहते थे कि 5 हजार का रखा गया था, हम बहुत नीचे नहीं आ सकते, उस सन्दर्भ में इस बात का मैं जरूर आग्रह करूंगा कि हम 5 हजार से नीचे आकर कम से कम 3 हजार की आबादी के जितने गांव हैं, उनको प्राथमिकता के आधार पर सड़कों से और डामर सड़क से जोड़ें।

(श्री सूरजपालसिंह)

मेरे क्षेत्र के अन्दर कई गांव ऐसे हैं कि जो तीन चार हजार की ऊपर की आबादी के गांव हैं और जिन सड़कों का पिछले साल काम भी हुआ था और मुझे यह बड़ा अफसोस होता है कि पिछले साल जिन राहत कार्यों में काम लिये गये थे, प्लान वर्ष में काम शुरू किया था, इन सारे कामों को छोड़ कर दूसरे काम ले लिए गए हैं। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि जिन सड़कों के ऊपर पूर्व में ही जो पैसा खर्च कर दिया गया है और जालौर जिले का तो यह दुर्भाग्य रहा है, और खास तौर से मेरे निर्वाचन क्षेत्र का कि बागोडा से सायला सड़क का काम द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ले लिया गया था, माननीय सभापति महोदय, मगर दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आज तक उस सड़क के निर्माण का कार्य पूरा नहीं हुआ। तो मेरा निवेदन है कि बागोड़ा से सायला, मोहरसिंह होते हुए बाड़मेर बोर्डर तक की सड़क का जो काम है उसको प्राथमिकता के आधार पर लेकर इसको इसी वर्ष पूरा किया जावे तो बहुत ही कृपा होगी।

इसके अलावा भीनमाल से झाड़ सड़क का जो कार्य है और ऐसे कार्य हैं जिनके ऊपर कई बड़ी-बड़ी आबादी है, झाड़ है जिसकी पांच हजार की जनसंख्या होगी तो इस तरह के नॉर्म्स तैयार करके जो तीस-तीस चालीस-चालीस वर्षों से जहां बस रूट हैं, जहां का आवागमन अधिक है, कुछ निश्चित तौर से नॉर्म्स तैयार करके यह जो भीनमाल से झाड़, भीनमाल से बाखेडी कोसाणा होते हुए और जालौर जिले के अन्दर इसी प्रकार जितनी डिस्ट्रिक्ट रोड्स भी नहीं है तो भीनमाल से कोसाणा से होते हुए भीवाणा तक इस सड़क को अगर मिला दिया जावे पादरू तक बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट से सामोद डामर रोड़ बनी हुई है उसको अगर बाखेडी तक डामर सड़क से अगर मिला दिया जावे तो जोधपुर से अहमदाबाद वाया जालौर होकर के यह बहुत ही शार्ट-रूट तैयार हो जाएगा।

इसी तरह से, सभापति महोदय, भीनमाल पाथेडी तक का डामर का काम किया जा चुका है। मगर उसके ऊपर जो सी. डी. वर्क बांडी नदी पर होना था और अकाल परामर्शदात्री समिति ने भी पिछले वर्ष अकाल में भी उसकी सिफारिश की थी और इस वर्ष भी इसकी सिफारिश की गई है, तो यह जब तक नदियों पर पुल का निर्माण नहीं होगा तब तक आवागमन बरसात के मौसम में अवरुद्ध हो जाता है, इसलिए मेरा यह निवेदन है कि क्योंकि भीनमाल से तहसील के कुछ गांव बाखेडी से ऊपर के पड़ते हैं....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, बहुत इन्तजारी के बाद तो समय दिया है। आप पहले से ही यह व्यवस्था रखते....

श्री सभापति : पांच मिनट हो गए हैं। पहली घण्टी चेतावनी की है।

श्री सूरजपालसिंह : मैं बहुत शार्ट में अपनी बात कह रहा हूं।

(178)

(श्री सूरजपालसिंह)

सभापति मोहदय, भीनमाल के अन्दर जो डाक बंगले की व्यवस्था है वह भी पर्याप्त नहीं है। वहां केवल तीन कमरे हैं। सब डिवीजनल हैड क्वार्टर है और इस लिए तीन साल से इसके प्रपोजल तीन कमरे अधिक बनाने के लिए भेजे गए थे वह भी अभी तक स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। इसलिए भीनमाल के

(6.24 सायं)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

डाक बंगले में कम से कम तीन अतिरिक्त कमरे बनाने की स्वीकृति प्रदान की जावे।

एक विशेष मेरा अनुरोध यह है कि जैसे अन्य कई जिलों में पाली वगैरह में डेयरी रोड्स का पैसा मिल जाता है मगर हमारे यहां प्राइवेट डेयरी होने से डेयरी रोड का पैसा जालौर जिले को नहीं मिलता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि डेयरी रोड्स के लिए, मिल्क रूट्स के लिए भी जालौर जिला को अगर डेयरी प्राइवेट सैक्टर में है तो यह डेयरी के साथ इस प्रकार का कोई अनुबन्ध नहीं है कि डेयरी प्राइवेट सैक्टर में हो गई तो डेयरी डवलपमेंट के लिये और डेयरी लिंक रोड के लिये जालौर जिले की अपेक्षा जो है रोड के अन्दर की जाएगी। इसलिए मेरा यह भी पुरजोर शब्दों में आग्रह है कि जालौर जिले को डेयरी लिंक रोड्स के लिए भी पैसा दिया जावे।

पंचायती राज के विषय में मेरा यह अनुरोध है कि पंचायतों के चुनाव जो जनता पार्टी के टाइम में हुए और पता नहीं ये क्यों घबरा गए, सरपंच कांग्रेस के ज्यादा जीत कर आ गए इसलिए घबरा गए या, क्या कारण रहे हैं। मेरा यह आग्रह है कि तीन साल का टर्म उसका पूरा हो चुका है, इसलिये पंचायतों के चुनाव अविलम्ब करा कर जन प्रतिनिधियों को नियुक्त किया जाय, इसमें बहुत अधिक विलम्ब नहीं हो....

(व्यवधान)

यह भी सुझाव विचाराधीन हो सकता है कि जन प्रतिनिधियों को उस पर नियुक्त किया जा सके ताकि यह बनी रह सकें और विधायकों के ऊपर भी आज जो प्रेशर है ज्यादा से ज्यादा वह प्रेशर कम होकर जन प्रतिनिधि अपने कार्य क्षमता को ज्यादा अच्छे तरीके से रिप्रेजेण्ट कर सकें, इस तरह की व्यवस्था करेंगे।

पंचायतों के अन्दर मेरा यह भी निवेदन है कि अध्यापकों के अभाव की वजह से मैं आपको मंत्री महोदय बता देना चाहता हूं कि पंचायत समिति में, मेरी पंचायत समिति में 18 स्कूल अध्यापकों की कमी की वजह से बन्द पड़े हुये हैं। तो यह अध्यापकों की नियुक्ति करें और कई स्कूल के अन्दर तो हालात यह है कि सौ-सौ, सवा सौ सवा सौ लड़के होने के बावजूद एक ही अध्यापक है। तो यह अध्यापकों की स्ट्रेंथ जहां बच्चे ज्यादा हैं वहां बढ़ाई जावे और जो स्कूल बन्द पड़े हुए हैं उनमें अध्यापकों की नियुक्ति की जावे।

(श्री सूरजपालसिंह)

इसके अलावा, सभापति महोदय, मैं यह पी. डब्ल्यू. डी. के बारे में एक बहुत ही सुन्दर सुझाव, भ्रष्टाचार यहां पर कितना है, यह तो मेरे से पूर्व बोलने वाले सदस्यों ने बतलाया है मगर इस विषय में मेरा निवेदन है कि यह ए. ईएन के ट्रांसफर पहले चीफ इंजीनियर कर दिया करते थे। आज इसको सैन्ट्रलाइज करके सैक्रेटरी के पास में रख दिया गया है। तो उसमें क्या औचित्य है ? एक टेक्निकल आदमी जो ए. ईएन. चीफ इंजीनियर के पास में है, उसकी सारी जानकारी उसको अधिक होती है। एक आई. ए. एस. अफसर जो पहले ही बड़े जबर्दस्त फूल रहे हैं, भ्रष्टाचार में एक को-शेयरर आप क्यों बढ़ाना चाहते हैं ? तो चीफ इंजीनियर के पास में जो पावर्स ए. ईएन. तक के थे वह पुनः उन्हीं को दिये जाने चाहिए ताकि डिपार्टमेंट के अन्दर जो अच्छे ए. ईएन. हैं, जिनको वह अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट में रहने की वजह से उनको उनके बारे में जानकारी होती है; यह पावर चीफ इंजीनियर को वापस दिये जाना चाहिए। और ये पावर्स सैंट्रलाइज नहीं होनी चाहिए और इसी तरह से अगर हम पावर्स को सैंट्रलाइज करते रहे तो यह भ्रष्टाचार दस पर्सेन्ट की जगह बीस पर्सेन्ट बढ़ेगा। बीस किलोमीटर की सड़कें बननी होंगी तो वहां 12–13 किलोमीटर आ करके रह जायेंगी। इसलिए मेरी निश्चित मान्यता है कि यह पावर सैंट्रलाइजेशन करने की प्रवृत्ति चल रही है, चाहे राजनीति में हो, चाहे सरकारी सेवाओं में हो, उसको डी-सैंट्रलाइज किया जावे। उन आदमियों का पोस्टिंग करते समय, मैं चीफ इंजीनियर और इन अधिकारियों से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस समय भी अधिकारियों की पोस्टिंग की जावे, क्राइटेरिया यह रखना चाहिए कि वह उस साल का जो बजट है वह लैप्स नहीं होना चाहिए। जिस बजट के अन्दर जितनी किलोमीटर की सड़कें बननी चाहिए वह उतने किलोमीटर सड़कें बनानी पड़ेंगी तो ही पोस्टिंग दी जावे वरना इन अधिकारियों को, इन ए. ईएन. और एक्स. ईएन. को संस्पेंड किया जाना चाहिये, तभी जाकर हम यह जो दूर दराज में बैठे हुए हैं, दूर के इलाकों में बैठे हुए हैं वे लोग सड़कें देख सकेंगे वरना बजट प्रावधान हम कितना ही रखते रहें, यह जयपुर से जालौर और बाड़मेर तक सड़कें पहुंचना मेरे खयाल से सक्षम नहीं हैं। इसलिए इन पावर्स को डी-सैंट्रलाइज करके और हैड आफ दी डिपार्टमेंट हैं उनको सक्षम बनाइये और अधिक से अधिक पावर देकर उनसे अधिक से अधिक काम लेने की व्यवस्था करेंगे तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ सकेंगे, अन्यथा नहीं।

इन्हीं शब्दों के साथ, अध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद देते हुए मैं अपना स्थान लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। सात बजे तक का टाइम है अपने पास।

श्री रामनारायण। पांच मिनट।

श्री रामनारायण डूडी (बिलाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, आज की मांगों पर मैंने

178

(श्री रामनारायण डूंडी)

अपने कटौती प्रस्ताव दिये हैं। आपने समय निश्चित किया है, मैं थोड़े समय में अपनी बात कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : मुद्दे की बात पांच मिनट में कही जा सकती है।

श्री रामनारायण डूंडी : मेरे निजी क्षेत्र के अन्दर जो पांच किलोमीटर नई सड़क बनी हैं वह तत्कालीन जनता शासन की देन है, जनता पार्टी की उपलब्धि है। अध्यक्ष महोदय, जोधपुर जिला सड़कों के हिसाब से काफी आगे है, फिर भी 1979 के बाद एक ऐसी भयंकर बाढ़ ने सड़कों को काफी नुकसान पहुंचाया।

श्री अध्यक्ष : 77 के बाद।

श्री रामनारायण डूंडी : 76, 77, 78, 79 में तो तबाही मचादी जन जीवन में, जहां 100 आदमियों की मृत्यु हुई वहां सारी जितनी सड़कें थीं वह नष्ट हुई उसके उपरांत जो बजट रखा गया है वह बहुत ही नगण्य रखा गया है। आज वहां सारी सड़कें हैं चाहे बिलाड़ा से आसोप जायें, चाहे आसोप से जोधपुर जायं, चाहे जोधपुर से पीपाड जायं, चाहे पीपाड़ से बोरून्दा जायें किसी प्रकार की जितनी सड़कें बनी हुई हैं उनमें खड्ड़े पड़े हुए हैं, वह चलने योग्य नहीं हैं। मेरा निवेदन है कि जितनी पहले की रोड बनी हुई हैं उनकी रिपेयर करायें और उन रोड्स की रिपेयर के लिये अलग से प्रावधान रखा जाय।

इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, पीपाड सिटी में मीठड़ी नदी पर एक पुलिया का निर्माण कराया जाय। क्योंकि वहां मुन्सिफ कोर्ट है, ए. ईएन. पी. एच. सी. ए. ईएन. इलेक्ट्रिसिटी. ए. ईएन. पी. डब्ल्यू. डी. है और कई महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट्स हैं। वहां किसी प्रकार का डाक बंगला नहीं है : इसलिये इस बजट में पीपाड़ सिटी में एक डाक बंगले के लिये प्रावधान किया जाय।

तीसरा, अध्यक्ष महोदय, जोधपुर मार्ग पर रेलवे फाटक आते हैं वहां गाड़ियों को काफी समय रुकना पड़ता है। इस कारण से वहां पर ट्रेफिक जाम हो जाता है। पुल एक महत्वपूर्ण कड़ी है इसलिये राई का बाग रेलवे फाटक जयपुर-जोधपुर मार्ग पर एक पुल बनाया जाय।

इसके साथ, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज जो रायल्टी प्रणाली है उसमें सुधार किया जाय। जब रायल्टी ठेकेदार के बिल में से काटी जाती है तो उसके पश्चात् खनिज डिपार्टमेंट दस गुना पेनल्टी लगा कर उन लोगों को डिमाण्ड नोटिस भेजता है। मेरा कहना है कि क्वान्टिटी पर रेट जब फिक्स है, और वह बिल में से रिड्यूस हो जाती है तो इस प्रकार जो 10 गुना पेनल्टी लगाई जाती है, उसको अविलम्ब बन्द किया जाय और सिंगल रायल्टी वसूल करके ठेकेदार के बिल में से ली जाय।

तीसरा, अध्यक्ष महोदय, आज जितने भी वर्क्स हैं, हम समाजवाद की बात करते हैं? मगर ए क्लास कान्ट्रेक्टर भी एक लाख का काम ले लेते हैं। जब कि उनकी ऐसी स्थिति है कि दस लाख से कम का काम नहीं लें। इस प्रकार के छोटे-छोटे

(श्री रामनारायण डूंडी)

काम लेकर जितना काम जिस प्रकार करना चाहिये, जितना काम छोटा ठेकेदार करता है उस हिसाब से वड़े ठेकेदार काम करते नहीं हैं इसलिये ही डिपार्टमेंट वदनाम हुआ है। इसलिये एक भी माननीय सदस्य ने यह नहीं कहा कि भ्रष्टाचार नहीं है सब मांग उठा कर देखें यह लिखा था जितने भी कटौती प्रस्ताव दिये हैं उनमें, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, लिखा है। इस पर पी. डब्ल्यू. डी. को वहुत सोच विचार करना पड़ेगा आखिर हमारी कहां खामियां हैं, हमारे को शक की नजर से क्यों देखा जाता है। इस सरकार की जो बातें हो रही हैं, अवश्य ही हमें इस बात में सुधार करना होगा। हमारी पंचायत राजसमन्द जो है, उसमें स्कूल हैं बिलाड़ा और भोपालगढ़ में। बिलाड़ा में करीब 80 मास्टर चाहिये जो रेश्यो आपने रखा है एक चालीस के पीछे का, करीब 80 अध्यापक कम पड़ रहे हैं और भोपालगढ़ में करीब 104।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण डूंडी : मैं निवेदन करूंगा कि मास्टरों की कमी को देखते हुए उनको पूर्ण किया जाय। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री मेघराज तावड़। पांच मिनट।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले सड़कों पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : पांच मिनट में जिस पर प्रकाश डालना हो डाल दें।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय जो सड़क हमारी नेशनल हाइवे की है नम्बर-8। वहां कोटा वाले, उदयपुर वाले हमारे गांवों में जाते हैं, वहां हमेशा एक्सीडेन्ट होते रहते हैं, वन वे ट्रैफिक चल रहा है। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय ध्यान देकर जरूर कार्यवाही करने की कोशिश करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मेरा इलाका पूरा पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी इलाके को अभी तक, नेशनल हाइवे से जोड़ना तो दूर एक भी सड़क नहीं है। इसलिये वहां विकास का काम नहीं हुआ। गोगुन्दा से ओगणा, देवला से कोटड़ा, गोगुन्दा से झाड़ोल पडला से पाली को यदि आप मिला दें तो लोगों को काम मिलेगा, लोगों को आने जाने में सुविधा होगी। वहां जंगल है, जंगल से लकड़ियां आती हैं वह आपको वन विभाग खरीदता है।

दूसरा अध्यक्ष महोदय, यह हमारी सड़कों को ही नहीं जोड़ेंगे बल्कि मजदूरों को राहत मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं जितनी सड़कें राहत कार्य में ली हुई हैं थोड़ा कार्य करके छोड़ दी हैं। मैं यह कहना ज्यादा उचित समझता हूं कि पहले जनता पार्टी ने जिस तरह से से गांवों की ओर मुंह किया था, सड़कें शुरू कीं, काम के बदले अनाज योजना लेकर अच्छी बात थी। गांवों के विकास की शुरूआत थी। लेकिन वह अधूरी पड़ी हैं। उनको पूरा किया जाना चाहिए।

(श्री मेघराज तावड़)

राजनैतिक भावनाओं से नहीं मैं सीधा कहना चाहता हूं।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, ठेकेदारी प्रथा की बात इन सड़कों के अन्दर कही जा रही है, वास्तव में सही है ठेकेदारी दो तरह से होती है । एक शार्ट टाइम। मजदूरी का जितना पैसा मिलता है, जितना पैसा लिया जाता है, और एक ऐसा टेण्डर, जो चीफ इंजीनियर, मंजूर करके टेण्डर पास होता है, बाद में जिसे चाहे देदे, इससे भ्रष्टाचार फैलता है। अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि यह जो ठेकेदारी प्रथा है वह नष्ट कर दी जाय । इससे भ्रष्टाचार नहीं फैलेगा। मेरी यह आवाज है । अगर सरकार में सद्‌बुद्धि आ जाय तो ठेकेदारी प्रथा को बन्द कर दें।

अध्यक्ष महोदय, समय कम दिया है, तो एक-एक लाइन में पूरा कर नहीं पाऊंगा । अध्यक्ष महोदय, पंचायतों के कार्य में गतिशीलता लाने के लिये सम्पूर्ण विकास का काम विकेन्द्रीकरण के जरिये करना चाहते हैं तो, अध्यक्ष महोदय, पंचायतों को ज्यादा पावर दी जानी चाहिये। जो सरपंच को अधिकार हैं, वह नाकाफी हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। सरपंच को दलगत राजनीति से ऊपर रखा जाय तो वह उनके गांवों का भला कर सकते हैं। उनको ऊपर उठाये राजनीति से। उसको राजनीति में नहीं घसीटना चाहिये। एक गांव में 35-35 पचायतों को एक ओवरसियर सम्भाल नहीं पाता है। एक पंचायत के लिये एक ओवरसियर रखें तो ज्यादा अच्छा होगा । ग्रुप सचिव।

कोई बात आप सुन नहीं सकेंगे मंत्री जी उतावले हैं।

ग्रुप सचिव 2-3 पंचायतों को सम्भालें तो वह एक पंचायत में भी काम नहीं कर सकता है। मंत्री महोदय घोषणा करें कि एक पंचायत में एक ग्रुप सचिव होना चाहिये। ताकि पंचायतों में काम हो सकें।

दूसरा, भ्रष्टाचार का प्रश्न यहां आया। अध्यक्ष महोदय, ग्राम पंचायतों में शिक्षक हैं । पंचायत समिति को यह अधिकार नहीं है कि शिक्षकों को अपाइन्ट कर सके। आज वहां स्कूल बन्द पड़े हैं। अपाइन्टमेन्ट नहीं किया जा रहा है। मेरे इलाके में एक तरफ स्कूल खोलने की बात आप कहते हैं, दूसरी ओर स्कूल में मास्टर नहीं हैं । पंचायत समिति के 20 स्कूल मेरे इलाके में बन्द हैं सिर्फ इसी कारण नहीं कि मैं विरोधी पक्ष का हूं बल्कि तमाम माननीय सदस्यों ने इस बात को रखा है।

भ्रष्टाचार का मामला, अध्यक्ष महोदय, केवल पंचायत लेवल हो या और कोई लेवल हो यह बात नहीं है मगर पूरे हिन्दुस्तान में भ्रष्टाचार बड़े नेताओं से शुरू होता है, मिनिस्टर्स, मंत्रियों से शुरू होता है। तो अध्यक्ष महोदय, पूरे कुएं में ही भांग डाली हुई है, जो भी पीयेगा, पागल होगा, उसे नशा आयेगा। इसलिये अध्यक्ष महोदय, कुछ ऐसा करें, जैसी कि सुबह मिसाल दी....

(श्री मेघराज तावड़)

श्री अध्यक्ष : हम भी तो उसी कुएं का पानी पीते हैं।

श्री मेघराज तावड़ : हम कोशिश करें दूसरे कुएं का पानी पीने की। अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में, माननीय मंत्री महोदय बैठे हैं, मैं उनका ध्यान आकर्षित करूंगा....

श्री अध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्री मेघराज तावड़ : चाटिया खेड़ी, सेमटाल के सरपंच, मंत्री महोदय नोट करें इस बात को कि आज तक रिलीफ के काम का पैसा मजदूरों को नहीं चुकाया गया, किसानों ने, मजदूरों ने काम किया है उन मजदूरों को पैसा नहीं मिला है, अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि आज दूसरे सरपंचों के खिलाफ कार्यवाही करने की बात की जाती है। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि चाहे वे किसी जगह के सरपंच हों उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिये। समय कम होने से मैं पूरी बात को न कह कर आपकी बात मानते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री महावीर प्रसाद। पांच मिनट।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सार्वजनिक निर्माण विभाग की डिमाण्ड है उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सड़कें हमारे प्रदेश की मुख्य भूमिका है हमारे प्रदेश के विकास के लिये। जिसमें अच्छी सड़कों का निर्माण, पुलों का निर्माण, सुधार, देख रेख, जीर्णोद्धार सारे कार्य पी० डब्ल्यू० डी० के मार्फत होते हैं और यह विभाग बहुत ही धीमी गति से चलता है। मैं आपको बताना चाहता हूं 80-81 का प्रगति प्रतिवेदन हमें मिला है उसमें जो लक्ष्य, टार्गेट रखे थे वे कहीं पूरे नहीं किये गये। 80-81 में 795 किलोमीटर, 1325 लाख रुपये का प्रावधान था उसमें 544 किलोमीटर सड़कें बनाई और राजकीय सड़क 48 किलोमीटर का प्रावधान था वह 40 किलोमीटर बनी। 240 किलोमीटर सुधारनी थी वह 175 किलोमीटर बनाई विभिन्न विभागों में जो इनके प्रावधान रखे गये थे, राजस्थान नहर में 415 किलोमीटर की स्वीकृति दी गई थी उसमें से केवल 59 किलोमीटर बनाई। इस प्रकार कहीं भी इन्होंने पूरे लक्ष्य प्राप्त नहीं किये। मेरी इसमें मांग है कि पहले तो स्वीकृति नहीं देते और यदि स्वीकृति दे दी जाती है तो उसका वर्क आर्डर नहीं मिलता और वर्क आर्डर मिल जाता है तो काम नहीं होता। ऐसे कई उदाहरण हैं कि काम पूरे नहीं होते। काम इसलिये नहीं होता कि अवधि पूरी हो जाती है और काम पूरा नहीं होता। मेरी यह मांग है इस प्रकार जहां कार्य पूरा नहीं होता है तो जो व्यक्ति कार्य पूरा नहीं करे, जिसकी रेस्पांसिब्लिटी हो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिये ताकि हमारे प्रदेश का विकास हो सके। वरना यह सम्भव नहीं है और जो भ्रष्टाचार की चर्चा की जा रही है उसको समाप्त करने की मांग की जा रही है, मेरी समझ में नहीं आता, किस प्रकार यह मांग पूरी होगी। मुझे तो सम्भव नहीं लगता।

182

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वर्तमान पी० डब्ल्यू० डी० मिनिस्टर विराजमान हुए हैं तब से उन्होंने 30 एक्स. ईएन. में से केवल 15 दिन में 39 एक्स. ईएन. का ट्रान्सफर कर दिया। 23–2–81 को 2 एक्स. ईएन. और 3 एस. ई, 24–2–81 को 10 एक्स. ईएन., 28–2–81 को 15 एक्स. ईएन., 9–3–81 को 12 एक्स. ईएन, इस प्रकार 39 एक्स. ईएन. और 3 एसई. का ट्रांसफर किया गया और उनमें से 11 एक्स ईएन. के ट्रान्सफर केन्सिल कर दिये। अभी जो बजट सीजन है जिसमें ज्यादा काम पूरे कराने होते हैं, इस अवसर पर ट्रान्सफर करना, हमारे राजस्थान में, यहां खुले आम बोलियां लगाई जा रही हैं, खुले आम लूटा जा रहा है, यह किस प्रकार की परम्परा है और हम किस से मांग करें कि भ्रष्टाचार रुकेगा। यहां तो बोलियां लगाई जा रही हैं। जो एक्स० ईएन० लाखों रुपये देकर अपना ट्रान्सफर केन्सिल करा रहे हैं, बोलियां लग रही हैं

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपके समय क्या हुआ था ?

श्री अध्यक्ष : समय समाप्त हुआ, माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, दो मिनट में।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान नहर क्षेत्र में 80–81 में 68·30 लाख खर्च किये गये और 81–82 में केवल 24·70 का प्रावधान रखा गया है तो अध्यक्ष महोदय, किस प्रकार से राजस्थान का विकास करने जा रहे हैं। इनसे किसी प्रकार का टार्गेट पूरा नहीं किया जायगा....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य कृपया विराज जाय। पांच मिनट का समय समाप्त हुआ। फिर कटौती प्रस्तावों का उत्तर आयेगा। श्री रामकवार बैरवा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है....

श्री श्रीराम गोटेवाला : एक सदस्य इधर से और एक सदस्य उधर से अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : अब अन्तिम चरण में वाद-विवाद पहुंच गया है। आर्डर प्लीज, मैं ध्यान में रखूंगा आपके सुझाव को।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है मैं आपका ध्यान नियम 269 की ओर दिलाती हूं। जब हमारे पक्ष के लोग बोलते हैं तो उधर के लोग डिस्टर्ब करते हैं, उनको रोकिये, ताड़ना दीजिये। इस तरह से बीच में डिस्टर्ब न करें।

श्री अध्यक्ष : उधर से पाइन्ट आफ आर्डर है कि इधर से आप ज्यादा बोलती हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं तो अभी बोली हूं, जब महावीर प्रसाद जी बोल रहे थे तो उधर से छः माननीय सदस्य खड़े हो गये तो मुझे मजबूर होकर बोलना पड़ा। मैं तो बोली नहीं, चुप बैठी हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री राम कंवार बैरवा।

श्री राम कंवार बैरवा (फागी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इन मांगों पर ज्यादा न कह कर थोड़े में ही खतम करूंगा कि पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने दोनों ही प्रकार के सुझाव दिये हैं उन पर नहीं कहना चाहता हूं लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी सड़कें बनाई जाती हैं उनको गांव के 1-2 किलोमीटर पहले ही अधूरा छोड़ दिया जाता है यह क्यों, किस प्रकार से हो रहा है। तो मेरा निवेदन है जो भी सड़क सेंक्शन करें उसमें या तो नाप में कमती करते हैं या उनको बजट खतम हो जाता है इसलिये अधूरी सड़क रह जाती है और पुलिया वगैरह भी अधूरे पड़े हैं इसलिये उनका उपयोग पूर्ण नहीं हो रहा है और लोग खड्डे में जाकर गिर जाते हैं, यह मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। दूसरा, मेरा निवेदन यह है कि जैसी कहावत है कि दीपक तले अंधेरा। इसलिये मेरा निवेदन है कि जिला जयपुर राजस्थान की राजधानी है और यहां अध्यक्ष महोदय, आप जोधपुर डिवीजन के विराजने वाले हैं और जिला जयपुर को भी थोड़ा घूम कर देखेंगे तो आपको अहसास होगा कि यह जोधपुर और जालोर और पाली से भी पिछड़ा हुआ जिला है। तो मेरा आपसे निवेदन है मन्त्री महोदय से और इन्जीनियर्स से कि जो सड़क निकाली जाती है बीच में कोई गांव आधे मील की दूरी पर रह जाता है तो उसको छोड़ दिया जाता है। इसका पूरी तरह से सर्वे नहीं हो पाता है। गांवों को छोड़ दिया जाता है। उन गांवों के नाम लिखे हुए हैं परन्तु फिर भी इन्जीनियर्स गांव से दूर होकर सड़क को ले जाते हैं और इस प्रकार उन सड़कों का पूरा उपयोग नहीं हो पाता है।

दूसरा, निवेदन मैं यह करना चाहता हूं कि प्राइवेट बसें 5 साल से 10 साल से कच्चे रास्ते पर चल रही हैं, उनमें पक्की सड़कें करवा दी जायं जिससे आपको स्वयं को पता चल जायगा कि कांग्रेस के राज में जनता पार्टी के राज में कहां-कहां पर सड़कें बनी हैं। जहां सड़क बननी चाहिए थी वहां तो नहीं बनी हैं और दूसरी जगह पर सड़कें बना दी गई है। कुल मिला कर मेरा यह निवेदन है कि वास्तविकता को देख कर, जड़ में जाकर जहां पर सख्त जरूरत है, मुनासिब है, वहीं काम करें।

यही कह कर समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रीराम गोटेवाला। पांच मिनट।

श्री श्रीराम गोटे वाला (किशनपोल) : दो मिनट में ही मैं अपनी बात को खतम कर दूंगा। अध्यक्ष महोदय, जो कटौती प्रस्ताव मैंने प्रस्तुत किये हैं उन पर बहुत ही संक्षेप में आपके आदेशानुसार निवेदन करूंगा।

सर्वप्रथम मैं मन्त्री जी को इस बात की याद दिलाना चाहता हूं कि उनका सार्वजनिक जीवन 35 साल का है और यह

(184)

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

भ्रष्टाचार की जो सारी बातें हैं, यह होती ही रहती हैं। उन सारी बातों में ढाई साल, तीन साल जो लोग सत्ता में रहे, कितने उनके भ्रष्टाचार हैं, उन सारी बातों को मैं इस थोड़े समय में नहीं कह सकता हूं परन्तु एक बात मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि यहां पर विभाग मे मजबूती से कदम उठावें और प्रशासनिक सुधार करें। मैंने कई बार निवेदन किया है परन्तु आज तक कोई भी समझा नहीं पाया है कि यह जो सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर की पोस्ट है, वह किस काम के लिये है। वह क्या काम करता है, यह मैं आपसे जानना चाहूंगा। आप सोचें किस प्रकार से व्यवस्था आप ठीक कर सकते हैं।

दूसरा, मैं जयपुर शहर के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। यहां पर आतिश मार्केट है। राजाओं की जो इन्वेन्टरी है उस इन्वेन्टरी के मुताबिक यह राजस्थान सरकार की प्रापर्टी है। करोड़ों रुपयों की यह प्रापर्टी है। परन्तु इसका महारानी गायत्री देवी ने एक ट्रस्ट बना दिया और उस ट्रस्ट के नाम से मार्केट बना यह दूसरी व्यवस्था कर ली। मेरा निवेदन है कि सरकार इस सम्पत्ति पर कब्जा करे। ठीक इसी प्रकार से जनानी ड्योढी है। वह भी बहुत बड़ी प्रोपर्टी है। इस प्रापर्टी को आप मेहरबानी करके देखिये, किस ढंग से कब्जा करके इसको जनहित में काम में ला सकते हैं। इसके साथ-साथ यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो जयपुर महाराजा के कर्मचारी थे, 63 व्यक्ति इन 63 व्यक्तियों को मकानों में रहने का अधिकार है। उस जमाने से वे इन मकानों में रहते आये हैं। अब उनसे मकान खाली करवाने की बात कही जा रही है। हम यह मान कर चलते हैं कि यह अनुचित कार्यवाही है। हमारी पार्टी ने यह घोषणा कर रखी है कि हर व्यक्ति के लिये वह आवासीय व्यवस्था करेगी। तो यह देखना हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। 50 वर्ष से ये लोग रहते आ रहे हैं। उनकी मांग वाजिब है। इसलिए, मंत्री महोदय, आपको इन सारी बातों को देख करके फैसला करना चाहिए। काफी प्रापर्टी ऐसी है जिन पर आपको उचित निर्णय करना होगा।

अध्यक्ष महोदय, मैंने जयपुर शहर की सड़कों के बारे में भी कटौती प्रस्ताव दिये हैं उनके बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा। यू.आई.टी. और म्युनिसिपैलिटी की बैठक में मिल कर तय हो गया कि जयपुर शहर की सारी सड़कों का रख-रखाव सार्वजनिक निर्माण विभाग करेगा। जयपुर राजस्थान की राजधानी है। यह मेरे अकेला के निर्वाचन क्षेत्र नहीं है। सारे राजस्थान के लोग, हिन्दुस्तान के लोग यहां पर आते हैं। दुनियां भर के टूरिस्ट जो हिन्दुस्तान आते हैं, दिल्ली, आगरा, जयपुर इसमें जयपुर का तीसरा नम्बर है। आपने मिर्जा इस्माइल रोड को तो ठीक बना रखा है। जौहरी बाजार की सड़क भी सही है। परन्तु इसके साथ ही गलियों में जाते हैं, यू. आई. टी. के जो अन्य एरियाज हैं, उन एरियाज में आप चले जाते हैं तो सड़कों की दयनीय स्थिति नजर आयेगी। वे काफी टूटी फूटी हुई हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जिस प्रकार दिल्ली को अलग मान कर भारत सरकार रुपया देती है रख-रखाव के लिए ठीक उसी प्रकार जयपुर को भी अलग मान

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

कर चलें और यहां की सड़कों का रख रखाव उचित प्रकार से हो सके····

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं। इस बारे में मैं अनुरोध करूंगा कि इस व्यवस्था को आप ठीक करावे। एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। आपके प्रयत्नों के लिये मुबारकबाद देता हूं। राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों को कि जयपुर–कोटा मार्ग को नेशनल हाइवे घोषित कर दिया गया और उसकी ठीक मरम्मत हो गई है। मैं मांग करता हूं, अनुरोध करूंगा मुख्य सचेतक महोदय जरा मेरी बात मंत्री महोदय को सुन लेने दें, जो नेशनल हाइवे नम्बर 1 और 11 है उनके बाई पास के लिए बहुत दिनों से प्रयत्न हो रहे हैं। आप मेहरबानी करके अपने लेवल पर पूरा प्रयत्न करें तो करोड़ों रुपया भारत सरकार इस बाई पास के लिये देने को तैयार है। वहां पर देर हो रही है इसके लिए आप व्यक्तिगत तौर पर प्रयास करें तब तो यह बात पूरी हो सकती है। वरना यह नहीं बैठेगी।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। पी. डब्ल्यू. डी. से यू. आई. टी. से किसी एजेन्सी से आप सड़क निर्माण करावें। कृषि विपणन बोर्ड के पास करोड़ों रुपया है। उससे आप सड़कें बनवावें। मैं यह अनुरोध करूंगा कि आप हिम्मत से फैसला करके जिस प्रकार हरियाणा ने इस फण्ड्स से हर गांव को सड़क से जोड़ दिया है, उसी प्रकार का आप संकल्प लेकर इस कार्य को करें। जो मिनीमन नीड प्रोग्राम था मिनिमम नीड प्रोग्राम में जिस गांव को आप सड़क से जोड़ना चाहते हैं वैसा करे। इसके लिए आप कोई एजेन्सी बनावें। चाहे वह कृषि विपणन बोर्ड हो, चाहे आपका सार्वजनिक निर्माण विभाग हो, चाहे वह माइन्स डिपार्टमेंट की सड़क का कार्य हो, आपके और कोई डिर्पाट: मेन्ट हो, किसी एक ऐजेन्सी से इस कार्य को पूरा करायें ताकि राजस्थान सड़कों के बारे में बहुत पिछड़ा हुआ है। हमारा नम्बर नीचे से तीसरा है सड़कों के मामले में सारे हिन्दुस्तान में····

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं समझता हूं कि यह कार्य सड़कों का इस प्रकार पूरा हो सकता है। जयहिन्द।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सम्मति है कि मन्त्री महोदय का उत्तर समाप्त होने और मांगों के पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया जाय ?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

आर्डर प्लीज। श्री चतुर्भुज।

(श्री ग्रध्यक्ष)

मांग संख्या 19, 21 व 41 पर विचार

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत यह निवेदन करना चाहता हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय सदन का समय बढ़ाया जाता है इस पर हमें कोई एतराज नहीं है परन्तु हमारी मुसीबत को भी ध्यान में रखें।

श्री चतुर्भुज : पंचायती राज में आज मजदूरों को 7/–रुपया दिया जाता है। यह हमारी इज्जत का सवाल है। पंचायत के पंच की इज्जत का सवाल है। यह शर्म की बात है। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि पंचायत के पंच को भी कम से कम 10/– रुपया भत्ता मिलना चाहिये। एक मजदूर को सात रुपये और पंच को तीन रुपया भत्ता मिलता है। यह शर्म की बात है। इसलिए मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं सरपंच की भी आज के जमाने में इज्जत है। इसके साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो ग्राम सेवक आपने हमारे गांव में भेजे हैं उनको गांव का सचिव बना दीजिये, पंचायत का सचिव बना दीजिए। वह बारह महीने में एक दिन भी काम नहीं कर रहा है।

किसी न किसी प्रकार का काम तो लिया जाय और नहीं तो पंचायतों के सचिव ही बना दिया जाय वे बैठे-बैठे लिखा पढ़ी का काम ही करते रहेंगे। इस हाउस के अन्दर कहता हूं सदन में झूंठ नहीं बोलूंगा 12 दिन से ग्राम सेवक पंचायतों में नहीं आते हैं ऐसी हालत में मैं कहना चाहता हूं कि इन ग्राम सेवकों को कोई काम नहीं आता है तो पंचायतों का सचिव तो बना दें।

इसके साथ-साथ आपको कहना चाहता हूं कि हमारे टोडारायसिंह के अन्दर जोशी जी पधारे थे। 75 में वे रोड़ की घोषणा कर गये थे। इसके टेन्डर भी हो गये थे लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जनता सरकार आ गयी और कांग्रेस के जमाने के आर्डर हैं इसलिये उनको केन्सिल कर दिया गया। मैं कहना चाहता हूं कि उस रोड़ को पूर्ण करा दिया जाय क्योंकि टोडारायसिंह से अजमेर आते है नसीराबाद आते हैं तो यह छोटा सा 17 किलो मीटर का टुकड़ा बाकी है मुख्य मंत्री जी की घोषणा है उसको ध्यान में रखते हुए आपके द्वारा मैं ऐसी आशा करता हूं मंत्री महोदय, से कि उस रोड़ को लेंगे।

इसके साथ ही दूसरी बात कहना चाहता हूं टोडारायसिंह के पास मेरा निर्वाचन क्षेत्र है देवली। पहले सुखाड़िया साहब आये फिर बरकत साहब ने घोषणा की फिर जोशी जी ने घोषणा की लेकिन आज तक वह पूरी नहीं हुयी कि एक तहसील से दूसरी तहसील तक सीधी बना दी जाय। आज तीन किलो मीटर का टुकड़ा बाकी है टोडारायसिंह से जोड़ने के लिये। इसकी आपसे आशा करता हूं।

श्री अध्यक्ष : भाषण समाप्त हुआ। श्री गोविन्दसिंह। पांच मिनट।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग की मांग पर कटौती प्रस्तावों के समर्थन में निवेदन करना चाहता हूं। आवागमन एक बुनियादी आवश्यकता है और इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो भी साधन हैं वह कैसे हैं, जो मुहयया किये जा रहे हैं उनकी किस प्रकार से मांग है उसकी पूर्ति के लिए हम कुछ कर सकें इसके संबंध में जो रोड टैक्स हम लोगों से लेते हैं वाहनों से लेते हैं उसके द्वारा भी इसको लेने के कारण हमारा यह उत्तरदायित्व है कि रोड को ठीक करायें जिसके द्वारा वे आवागमन कर सकें। अध्यक्ष महोदय, यहबहुत ही कठिन समय है जबकि हम अकाल की विभीषिका से गुजर रहे हैं लेकिन मैं समझता हूं कि अकाल को हम ब्लेसिंग इन डिसगाइस भी कर सकते हैं। जो मदद प्राप्त हो रही है जो निर्माण कार्य सड़कों का हम इस फेमिन में करने जा रहे हैं उनको यदि युद्ध स्तर पर कर सकें तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी आवश्यकता जो राजस्थान की है उसको पूरा कर पायेंगे। अध्यक्ष महोदय, सड़कों के ऊपर मिट्टी बहुत सारी कई फेमिन के काम करने में डाली है वह पड़ी हुयी है सारा रा-मेटीरियल मौके पर सड़क के ऊपर है मिट्टी की कमी नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि जो सारा सामान पड़ा है उसको काम में लेने की आज जरूरत है एक तो रोलर की दूसरी डामर की। मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि सारे राजस्थान को इस योजना के तहत चाहे उन्हें दूसरे पड़ोसी राज्यों से रोड रोलर्स लाने पड़ें, भारत सरकार से विशेष निवेदन करके फेमिन के लिये डामर के लिये प्रावधान करना पड़े, डामर लानी पड़े। उससे बहुत सड़कें बन सकेंगी क्योंकि इसके लिये केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त होगी। इस काम को प्राथमिकता के आधार पर युद्ध स्तर पर करके पूरा करने की कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूं कि इससे राजस्थान का बहुत विकास हो सकेगा।

अध्यक्ष महोदय, नसीराबाद एक छावनी है, छावनी होने के नाते आईन्दा भविष्य में युद्ध होगा जिसकी सम्भावनायें व्यक्त की जा रही हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी फौजों का मूवमेंट होगा वह नसीराबाद से बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर की तरफ होगा इसके लिये जो सड़कें वर्तमान में हैं वे अपर्याप्त हैं। बहुत बड़ी बड़ी मशीनें हैं और कई सामान औजार हैं। उनको पहुंचाना होगा साथ में फौजों के लिये सड़कों की व्यवस्था होनी चाहिये मैं समझता हूं कि रक्षा मंत्रालय से इसके लिये विशेष सहायता प्राप्त करके भी यह कर सकते हैं क्योंकि नसीराबाद से इन इलाकों को जो सड़कें जा रही हैं उन पर फौजों का मूवमेंट बहुत ही शार्ट नोटिस में करना पड़ेगा। उसके लिये कोई व्यवस्था करनी चाहिये। इसके लिये रक्षा मंत्रालय से मांग करके धन प्राप्त करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक निर्माण का जो काम है मुझे खेद है कि इतनी धीमी और मंद गति से चलता है कि कई सालों तक पैसा जमा कराने के बाद भी सार्वजनिक निर्माण विभाग वह काम पूरा नहीं कर पाता है। मुझे खेद है बताते हुये कि कानपुरा राय

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

सड़क जो मेरे क्षेत्र में है उसमें तिहाड़ी के पास दो पुलों का कार्य 6 साल से पड़ा हुआ है कई दफा टेण्डर हुआ कई बार ठेकेदार आते हैं और चले जाते हैं लेकिन वह काम वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। इसी तरह अध्यक्ष महोदय, कानपुरा से रामसर सड़क जर्जर हो गयी है, उसके सारे पत्थर ऊपर निकल आये हैं आने जाने का मार्ग नहीं रहा है और यहां तक कि पैदल जाने का भी मार्ग नहीं रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस सड़क को तुरन्त ठीक करने के लिये कार्यवाही करें एवं नसीराबाद से रामसर सड़क आती है उसका कुछ भाग का तो डामरीकरण हो गया है। कुछ अधूरा पड़ा है और अब उसका काम छोड़ कर ठेकेदार भाग गया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कि इस अधूरे काम को पूरा किया जाय एवं मावली खेड़ा से जो सड़क है....

श्री अध्यक्ष : बहुत टाइम हो गया है, माननीय सदस्य।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : उसके लिये पैसा जमा कराया हुआ है, नसीराबाद से अजमेर रोड है उसके लिये भी पैसा जमा कराया हुआ है और बीच की सड़क के लिये भी पैसा सार्वजनिक निर्माण विभाग के पास पड़ा है लेकिन यह काम अभी तक उसी तरह पड़ा हुआ है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इन कामों को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने की कार्यवाही की जाय।

अध्यक्ष महोदय, एक प्रस्ताव चकवाना भूंडोल श्रीनगर रोड का स्वीकृत हो गया है यह सड़क पहले फेमिन में बनायी गयी थी लेकिन अब वापस उसी जगह पर पहुंच गयी है जैसी पहले थी। मैंने निवेदन किया कि इसको पूरा करने के लिये फेमिन के मद से या और किसी मद के तहत पूरा कराने की कोशिश करें।

इसी तरह नारोली गांव में आने जाने का कोई साधन नहीं है इसलिये आपसे निवेदन करूंगा कि नारोली को सड़क से जोड़ने का काम जल्दी से जल्दी पूरा किया जाय। इसी तरह नागल्या बासुर ब्यावर से बाडोलाई एक सड़क जाती है उसको भी पूरा करने की कृपा करें। जैठाना से खोला और रामसर से काकोड़िया जो सड़क है उसको भी पूरा करने की कार्यवाही की जाये।...

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो सड़कों की बहुत बड़ी कमी मेरे क्षेत्र में है उसको पूरा करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : श्री रेवतराम। अन्तिम भाषण।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : फलौदी की तरफ जाने वाली सड़क अकाल राहत में पिछले सालों से अधूरी पड़ी है उनको....

श्री अध्यक्ष : पहले भी वादा किया था फलौदी का नाम लेकर अब वह बहाना नहीं चलेगा।

श्री सभापति : श्री रेवतराम।

(व्यवधान)

ग्रार्डर, ग्रार्डर प्लीज।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, इनको बोलने दिया जावे, इनके जिले के एक भी आदमी को मौका नहीं मिला है,

श्री रेवतराम चौधरी (डूंगरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, हमारे चूरू जिले के साथ वन विभाग ने न्याय नहीं किया, चाहे आप वन वालों को ले लीजिये, चाहे जलदाय विभाग को ले लीजिये, चाहे आप पी. डब्ल्यू. डी. वालों को ले लीजिये, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूं, गंगानगर से····

श्री अध्यक्ष : ताम्बी साहब बोल चुके हैं।

श्री रेवतराम चौधरी : एक सड़क गंगानगर से बीकानेर जिले में आ गई, बीकानेर से लूणकरणसर तक कम्पलीट हो गई और उसके बाद जहां पर चूरू जिले की बोर्डर आती है, वहां तक कम्पलीट हो गई लेकिन जहां पर चुरू जिला आया तो उस को बन्द कर दिया गया, यह अन्याय नहीं तो हमारे साथ क्या है मन्त्री महोदय जितनी जल्दी हो सके इस बात पर ध्यान करायेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपके साथ दो-तीन अन्याय और भी हुए हैं।

श्री रेवतराम चौधरी : मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि उनको यह मौका मिला है, चूरू जिले के साथ जो अन्याय हो रहा है, इसकी तरफ विशेष ध्यान दिया जाय। एक बीस किलोमीटर की सड़क रह गई है डूंगरगढ़ पहुंचने के लिए। अगर वह सड़क डूंगरगढ़ पहुंच जाती है तो गंगानगर से जयपुर 70 किलोमीटर नजदीक हो जाता है। इससे गंगानगर वालों को भी फायदा होगा और हम भी गंगानगर जल्दी पहुंच सकेंगे, इससे हमको भी फायदा हो जायगा।

इसी प्रकार से एक अन्य सड़क है, नेशनल हाइवे नम्बर 11 से मेरा गांव दूलचासर 11 किलो मीटर है, जो पांच हजार से ज्यादा की आबादी का गांव है, उस सड़क को सात किलोमीटर बना कर छोड़ दी। किस कारण से, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, साढ़े तीन किलोमीटर की सड़क हमारे गांव से जंगल में रह गई है। जो मेरा खुद का गांव है, पांच हजार से ज्यादा की आबादी का गांव है, पंचायत का मुख्यालय है, बड़ा अच्छा कस्बा है, दो साल हो गये इस पर आप खास तौर से ध्यान दीजिए, यह बहुत जरूरी है। इसके अलावा और भी काफी हमारे जिले की सड़कें हैं, जिनके लिए मैं दुर्भाग्य तो नहीं कह सकता, क्योंकि हमारे जिले से हमेशा मन्त्री होते आये हैं लेकिन जिले की सड़कों पर और जिले के विकास पर कभी ध्यान नहीं दिया। रतनगढ़-सरदार शहर की रोड टूटी हुई है, सरदारशहर मेरा ससुराल है इसलिए मुझको वहां जाना आना पड़ता है, उसका सुधार करना बहुत जरूरी है।

श्री सूरजपालसिंह : ससुराल की सड़क है तो आप श्रमदान करो।

श्री रेवतराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, बहुत सी सड़कें हैं जिनके नाम मैंने लिखित में दे दिये हैं । आपने पांच मिनट का टाइम दिया है, मैं अब पंचायतों के बारे में निवेदन करना चाहूंगा । पंचायतों का काम जो बहुत ही शिथिल पड़ गया है और नहीं के समान है, जनता पार्टी के राज में जो····

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नाम लो ।

श्री रेवतराम चौधरी : चुनाव हुए थे । उसमें हमारी तहसील के 24 सरपंच चुने गये थे । उसमें 23 सरपंच इस पार्टी के ही चुने गये थे और दुर्भाग्य से मैं ही एक सरपंच था जो निर्विरोध चुना गया जिसका विरोध करने वाला नहीं था कांग्रेस आई से । लेकिन उन सरपंचों के खिलाफ जो शिकायत हैं जिनके बारे में मैंने क्वेश्चन भी किया था, सारे सरपंचों के नाम उसमें आये हैं, मैं उनके नाम बता सकता हूं ।

श्री अध्यक्ष : नाम बताना आवश्यक नहीं है, माननीय सदस्य ।

श्री रेवतराम चौधरी :जो सरपंच गरीब से गरीब आदमी थे, एक टाइम की रोटी मिलती थी और दूसरी का जुगाड़ करना मुश्किल था, आज उनके पास लाखों की सम्पत्ति है, उनके पास पक्के मकान हैं, किसी-किसी के पास तो मोटरें, कारें भी हैं ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मन्त्री जी नहीं सुनेंगे ।

श्री रेवतराम चौधरी : मेरे पास इसकी लिस्ट है, अध्यक्ष महोदय, इजाजत नहीं देते हैं, इसलिए मैं इनके नाम नहीं लेना चाहता । यह हालत है इस पर ध्यान दिया जावे, जिन लोगों ने गड़बड़ियां की हैं उनके खिलाफ जांच करवाई जावे निश्चित रूप से इसकी इन्क्वायरी कराई जावे, नहीं तो उनकी आदत खराब हो जायगी । अब पंचायतों को 20 हजार तक के काम का करने का मौका मिला है, इस पर भी गड़बड़ियां नहीं हों, इस तरफ ध्यान दिया जाना चाहिये, और पचायतों के चुनाव जल्दी से जल्दी निश्चित रूप से कराये जाने चाहिये जिससे यहां पर प्रधान और जिला प्रमुख नहीं हैं, वहां पर चुनाव हो सकें और जो भी कमियां हैं उनकी पूर्ति की जानी चाहिये, बाकी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन टाइम कम है, इसलिए मैं यहीं समाप्त करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय ।

श्री हंसराज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मुझे पांच मिनट का समय दिया जाय ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सम्भव नहीं है माननीय सदस्य,

(व्यवधान)

नहीं, बिलकुल नहीं ।

(व्यवधान)

दुबारा सिलसिला शुरू हो जायगा ।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर प्लीज माननीय सदस्य । कृपया स्थान ग्रहण करें ।

(श्री अध्यक्ष)

मैंने मन्त्री जी का नाम पुकार लिया है

श्री हंसराज शर्मा : सिर्फ पांच मिनट।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, मन्त्री महोदय।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर प्लीज।

श्री हंसराज शर्मा : मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, अध्यक्ष महोदय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री हंसराज शर्मा : मैं चार मिनट में ही समाप्त कर दूंगा, अध्यक्ष महोदय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, स्थान ग्रहण करें माननीय सदस्य, मन्त्री महोदय।

श्री हनुमान प्रभाकर (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय सदस्यों के प्रति आभारी हूं कि उन्होंने कई ऐसे सुझाव दिये हैं जिन सुझावों पर विचार करने के बाद, मैं समझता हूं, चाहे सामुदायिक विकास विभाग हो, और चाहे सार्वजनिक निर्माण विभाग हो, उसमें कुछ सोचने के लिए, समझने के लिए और कुछ करने के लिए अवश्य मिलेगा। सबसे पहले तो मैं सामुदायिक विकास विभाग की मांगों पर बोलूंगा। बात सही है, इस प्रदेश में लोकतन्त्र को मजबूत करने की दृष्टि से 1959 में पंचायत राज की स्थापना हुई, उस स्थापना के बाद पंचायत राज की,

(7·19 सायं)

(श्री तकीउद्दीन, सभापति, पदासीन)

जो कल्पना थी वह कल्पना निश्चित रूप से, जिस रूप में आप और हम चाहते थे, शायद वह उस रूप में सफल नहीं हुई, इसे स्वीकार करने में मुझे कोई एतराज नहीं है।

प्रश्न यह है कि पंचायतों के चुनाव जनता पार्टी ने कराये, बात बहुत सही है। थ्री टायर सिस्टम था। एक चरण पूरा कराया, दूसरा चरण और तीसरा चरण ये नहीं कर पाये, कारण बहुत साफ हैं, चले नहीं गए। जनता ने पंचायतों के चुनाव में सिद्ध कर दिया था कि जिन तौर और तरीकों से शासन तुम कर रहे हो, वह हमें स्वीकार नहीं और यही कारण था कि उन्होंने चुनाव पंचायत समितियों जिला परिषदों के नहीं कराए।

सभापति महोदय, यही नहीं, एक साजिश की गई कि जो लोकतंत्र के नाम की बात करते थे 1977 में लोकतंत्र के नाम पर बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए वे आज केन्द्रीकरण की बात करते हैं कि केन्द्रीकरण किया गया पंचायती राज में। जिन पंचों सरपंचों और प्रधानों को अधिकार था मत

192

(श्री हनुमान प्रभाकर)

देने का और जिन सरपंचों को जिला परिषद के प्रमुख के चुनाव में मत का अधिकार था उस अधिकार को छीना गया इस जनता पार्टी के शासन में। मैं पूछना चाहता हूं यह केन्द्रीकरण था ? इसका फैसला जनता ने किया। अपनी अन्तरात्मा को टटोलने के बाद फैसला करो केवल कुछ कह देने मात्र से सब चीजें साफ नहीं होने वाली अन्तरात्मा सबसे बड़ी चीज है, उसको टटोलने की बात कीजिए। कहा यह गया कि पंचायती राज में काफी स्थान खाली हैं ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति, महोदय, पाइंट आफ आर्डर।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

कई माननीय सदस्य : बैठिए, बैठिए।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : आप कौन होते हो, यह आसन का काम है, आपका काम नहीं है, पाइन्ट आफ आर्डर रेज किया गया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह कोई तरीका नहीं है, मैं एक बात जरूर पूछूंगा।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री मालाराम : व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप सदन की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं एक बात पूछूंगा।

श्री सभापति : मैं आपको अलाउ नहीं नहीं करूंगा, माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पाइन्ट आफ आर्डर आप नहीं सुनेंगे ?

श्री सभापति : पाइंट आफ आर्डर नहीं है आपका।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मेरा पाइंट आफ आर्डर है।

श्री सभापति : क्या पाइंट आफ आर्डर है ?

(व्यवधान)

श्री मालाराम (खेतड़ी) : सभापति महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर है।

श्री सभापति : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री हनुमान प्रभाकर : सभापति महोदय, बात सही है कि पंचायती राज में....

(व्यवधान)

कहा यह गया कि पंचायती राज में हस्तक्षेप किया गया, पंचायती राज के अन्दर काफी स्थान खाली हैं। मैं एक कहानी आपके सामने रखना चाहता हूं, एक

(श्री हनुमान प्रभाकर)

लिखित ग्रादेश नहीं, टेलीफोन पर ग्रादेश दिये गये दिनांक 21-8-78 को कि पब्लिक सर्विस कमीशन ने जिन लोगों का चयन किया उनको नियुक्त नहीं किया जाय ग्रौर पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा भविष्य में कोई काम नहीं किया जाय, यह ग्रादेश लिखित में नहीं टेलीफोन पर दिये गये जनता पार्टी के राज में। उसके बाद जब पी० एस० सी० के सदस्य ने इस सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय को लिखा ग्रौर सारी बातें की तो कानूनी विभाग की राय प्राप्त की गई कि जो ग्रादेश दिया गया है वह उचित नहीं। कानूनी विभाग की राय है कि इस प्रकार का ग्रादेश किया जाना उचित नहीं ग्रौर राज्य सरकार को कोई ग्रधिकार नहीं था। यह इस पत्रावली में मौजूद है। उसके बाद यही नहीं तत्कालीन मुख्य मन्त्री श्री भैरोंसिंह शेखावत ने उस पत्रावली में लिखा है :

"जो ग्रादेश प्रसारित किये गये हैं वे ग्रादेश प्रसारित नहीं किये जाने चाहिये थे। इन ग्रादेशों को वापस लेना ठीक होगा।"

यह भैरोंसिंह जी ने पत्रवाली पर ग्रादेश दिये हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय, इसके बाद यह कहना चाहते हैं कि हमारे मुख्य मंत्री बड़े शक्तिशाली थे, उनके ग्रादेशों की पालना होती थी किन्तु उनके मन्त्री महोदय ने यह उचित नहीं समझा। फिर से पत्रवाली भेजी मुख्य मन्त्री के पास ग्रौर फिर से मुख्य मंत्री लिखते हैं 11-5-79 का है "ग्रायोग के सम्बन्ध में...."

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मेरा पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर है।

श्री सभापति : पाइंट ग्राफ ग्रार्डर है उनका।

एक माननीय सदस्य : कोई पाइंट ग्राफ ग्रार्डर नहीं है।

(व्यवधान)

श्री सूरजपालसिंह : किस नियम के तहत पाइंट ग्राफ ग्रार्डर उठाया है? यह उनकी सुनियोजित चाल है कि मन्त्री महोयय को बोलने नहीं दिया जाय इसलिये जान बूझकर रहे हैं, इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे।

श्री सभापति : ग्रार्डर प्लीज।

श्री सूरजपालसिंह : किस नियम के तहत पाइंट ग्राफ ग्रार्डर उठा रहे हैं?

(व्यवधान)

श्री सभापति । ग्रार्डर प्लीज।

श्री सूरजपालसिंह : ये व्यवधान पैदा कर रहे हैं। किन नियमों के तहत पाइंट ग्राफ ग्रार्डर उठा रहे हैं?

श्री सभापति : ग्रार्डर प्लीज।

(194.)

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, ये इन्टरवीन करते हैं, वाक ग्राउट करना है तो कीजिये।

श्री सूरजपालसिंह : किन नियमों के तहत पाइंट ग्राफ ग्रार्डर....

श्री सभापति : यह मेरा काम है, यह मेरी ड्यूटी है कि मैं पूछूं, ग्रार्डर प्लीज।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : सभापति महोदय, मन्त्री ने सीक्रेसी की शपथ ली है, वह कोट कर सकते हैं कि क्या क्या निर्णय हुए, फाइल पढ़ना फाइल की नोटिंग बताना, पुराने मंत्रियों की नोटिंग बताना, उनको ए बी सी भी मन्त्री पद की नहीं ग्राती।

(व्यवधान)

वे कोट कर रहे हैं ?

एक माननीय सदस्य : कोई पाइंट ग्राफ ग्रार्डर नहीं यूं ही हल्ला करने के लिये खड़े हो गये।

श्री सभापति : मंत्री महोदय ने ग्रपने भाषण में सिर्फ रेफरेंस किया है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : फाइल को पढ़ा है, कोट किया है।

(व्यवधान)

उनको ए बी सी सिखायें मन्त्री पद की।

श्री सभापति : ग्रार्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री हनुमान प्रभाकर : जब ये ग्रादेश दिये गये तो मंत्री महोदय ने नहीं माना उसके बाद मुख्य मन्त्री महोदय ने उन ग्रादेशों को वापस लिया। इस तरीके से यह सिलसिला करीब एक साल तक चलता रहा। उस ग्रायोग को काम नहीं करने दिया गया ग्रौर इनका राज चला गया 16 या 17 फरवरी को, 25 फरवरी को राष्ट्रपति शासन के ग्रन्तर्गत,

(व्यवधान)

सुनिये, सुनने की हिम्मत रखें।

श्री सभापति : ग्रार्डर प्लीज।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : चुनाव करायें।

श्री सभापति : ग्रार्डर प्लीज।

श्री हनुमान प्रभाकर : सुनने की शक्ति नहीं है इस तरह का व्यवधान मेरे लिये ग्रापत्तिजनक है, मैं ग्रापत्ति करता हूं, ग्राप फैसला करें।

श्री सभापति : इस सदन की गरिमा यह रही है....

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। ग्रार्डर ग्रार्डर।

(व्यवधान)

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : इनको × × × बाहर निकालो।

× × ×. माननीय ग्रध्यक्ष के ग्रादेशानुसार शब्द ग्रपलोपित किये गये।

(व्यवधान)

श्री भालू खां : इनको बाहर निकालो इनकी साजिश है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य, इस सदन की गरिमा है....

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य, इस सदन की गरिमा रही है कि जब कभी सदन में डिमाण्ड आती है तब उस पर जो माननीय सदस्य कटौती प्रस्ताव देते हैं वह अपने विचार सदन के अन्दर रखते है। यहां माननीय सदस्यों ने अपना पक्ष रखा तब मन्त्री महोदय सुन रहे थे। यह तरीका होता है कि जब मन्त्री महोदय उनका जवाब दे रहे हैं तो आप लोगों का फर्ज हो जाता है कि खामोशी से सुनें। इसके साथ ही जब मन्त्री महोदय जवाब दे रहे हैं तब कोई बैंटेरनिंग रिर्माक नहीं करें या खड़े होकर बीच में व्यवधान नहीं करें। आप बीच में खड़े होकर उत्तेजित होकर बोलते हैं तो यह सदन की परम्परा के अनुकूल नहीं है। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करता हूं कि आप उनकी बात सुनें। अगर कोई आपको आपत्तिजनक लगती हो, नियमों के खिलाफ लगती हो तो आप पाइन्ट आफ आर्डर रेज कर सकते है। अगर आप इस तरह से शोर मचायेंगे या बीच बीच में इन्ट्रप्ट करेंगे तो वह अच्छी परम्परा नहीं होगी। इसलिये मेरा निवेदन है सभी माननीय सदस्यों को कि यह ध्यान पूर्वक सुनें तथा कोई आपत्तिजनक बात हो तो पाइन्ट आफ आर्डर रेज करें।

श्री हनुमान प्रभाकर : तो, सभापति महोदय मैं यह-निवेदन कर रहा था कि पंचायत राज के मन्दिर को प्रजातंत्र का मूल आधार बताया जाता था, उस प्रजातंत्र के मन्दिर में जिन पंचायतों को पूर्ववर्ती राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति किया गया था जो शायद इनकी विचाराधारा को मानने वाले नहीं थे इसलिये इनके दिल दिमाग में सन्देह था इस कारण इनकी सरकार ने कानून की प्रक्रिया को तोड़ कर, कानून की सारी प्रक्रियाओं को तोड़ कर खतम कर दिया और एक साल तक चुनाव नहीं कराये। सभापति महोदय, एक साल तक पंचायतों के चुनाव नहीं कराये, एक साल तक उनके दफ्तर के लोगों को घर बैठाये रखा। मैं पूछना चाहता हूं कि एक वर्ष तक पंचायतों के कार्यालय का काम ठप्प रहा, कोई काम नहीं किया गया इस पर जितना खर्चा हुआ उनकी जिम्मेदारी इन मुख्यमंत्री महोदय की है, इनकी पार्टी की सरकार की है या किसकी है ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : क्या पूछना चाहते हैं।

श्री हनुमान प्रभाकर : मैं यह भी कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, इस पंचायत राज का न केवल ग्राम पंचायतों का बल्कि पंचायत राज का जो सर्विस कमीशन था उनका भी इन लोगों ने राजनैतिक लाभ उठाया। वहां भी इन्होंने साजिश की इसका मैं उन पर आरोप लगाना चाहता हूं। सभापति महोदय, पंचायत राज के सम्बन्ध में कहा गया ...

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर आर्डर, माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री हनुमान प्रभाकर : तो, सभापति महोदय, यहां पर यह भी कहा गया कि पंचायतो को राशि जो दी जा रही है वह पर्याप्त नहीं है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ऑन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सभापति महोदय।

श्री सभापति : क्या पाइन्ट आफ आर्डर है आपका ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, आपने व्यवस्था दी है कि जो लोग सदन में नहीं उनके बारे में नहीं कहें। लेकिन मंत्री महोदय तो यहां पर ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि यह कोई किसी के खिलाफ चार्ज शीट दे रहे हैं। जो व्यक्ति सदन में उपस्थित नहीं है उसके खिलाफ क्यों बोल रहे हैं ? यह कटौती प्रस्तावों का जवाब दे रहे हैं, हमारी बातों का जवाब दे रहे हैं या भाषण दे रहे हैं ?

हमारी बातों का जवाब दो।

श्री सभातति : माननीय सदस्या कृपया स्थान ग्रहण करें। कृपया शान्त रहें। आपने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है वह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अनंगकुमार जैन : वह कौन होते हैं। पाइन्ट आफ आर्डर उठाया है उसकी व्यवस्था आसन देता है, आप नहीं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। मैंने व्यवस्था दी है।

श्री हनुमान प्रभाकर : तो, सभापति महोदय, ग्राम पंचायतों को दी जाने वाली राशि कम है उसके बारे में माननीय सदस्यों ने कहा। मैं मानता हूं कि यह राशि जो दी जा रही है वह कम है, इसको मानने में मुझे कोई संकोच भी नहीं है लेकिन अगर पचास पैसे भी बढ़ाये जाते हैं तो इसका भार पूरे राजस्थान पर 1 करोड़ 6 लाख रुपये का अन्तर पड़ता है। इसलिये इस सम्बन्ध में मैं मुख्य मन्त्री जी से चर्चा करूंगा निश्चित रूप से, उसके बाद में जो भी होगा उसके अनुसार कार्यवाही करूंगा।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आप केबीनेट में चर्चा करेंगे या मुख्य मंत्रीजी से चर्चा करेंगे ?

(व्यवधान)

श्री हनुमान प्रभाकर : हां, हां मुख्य मन्त्री जी से बात करूंगा यह बिलकुल सही है। मुख्य मन्त्री जी हमारे नेता हैं। हम उनसे मार्गदर्शन लेते हैं। इसको स्वीकार करने में मुझे कोई एतराज नही है। कोई संकोच नहीं है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर।

एक माननीय सदस्य : आपमें तो फूट रही है।

श्री हनुमान प्रभाकर : तो, सभापति महोदय, यहां पर यह भी कहा गया है कि सरपंचों और पंचों को बहाल करने में राजनैतिक आधार अपनाया जाता है, लोगों को परेशान किया जाता है, जो लोग दोषी नहीं हैं उनको फंसाया जाता है और जो गुनहगार हैं उनको बचाया जा रहा है। इसके लिये मैं, सभापति महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह तो अपना-अपना दृष्टिकोण है। यदि मैं यह समझ कर चलता हूं और नियमों के अन्तर्गत समझ कर चलता हूं कि अमुक व्यक्ति नियमों में अपराधी है तो मुझे नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही करने का अधिकार है और नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही करने का मेरा कर्तव्य भी होता है। नियमों के अन्दर काम करने के मेरे अधिकार को कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। यह मैं इसलिये कह रहा हूं, सभापति महोदय, हमने तो शायद वह तौर-तरीके नहीं अपनाये जो इनकी पार्टी के लोगों ने अपनाये थे। यह तो आगामी वर्ष बतायेगा कि इनकी पार्टी के द्वारा जो काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू किया गया था उनमें इनकी पार्टी के सरपंचों ने क्या-क्या कार्यवाही की, यह दास्तान आपको बाद में सुनने को मिलेगी।

श्री खेतसिंह राठौड : इन्होंने तो दुरुपयोग किया है।

श्री हनुमान प्रभाकर : इनके सरपंचों के चेहरे कैसे हैं यह पता चल जायगा।

सभापति महोदय, यहां पर एक बात यह भी कही गयी कि ग्राम पंचायतों के पुराने भुगतान राज्य सरकार द्वारा नहीं किये गये हैं। यह बात सही है कुछ पंचायतों के भुगतान नहीं हुए हैं। वह भुगतान क्यों नहीं हुए हैं उसको भी समझना होगा। वह भुगतान इसलिये नहीं हुए सभापति महोदय, जिन सरपंचों ने हिसाब नहीं दिया है आज तक उन पंचायतों को भुगतान करने में राज्य सरकार को कठिनाई होती है। इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि अगर कोई माननीय सदस्य मुझे यह बता दे कि यदि उक्त सरपंच ने हिसाब दे दिया और अभी तक भुगतान नहीं हुआ है तो मैं सदन में आश्वासन देना चाहता हूं और वचन देता हूं कि अगर ऐसा एक भी केस मेरे सामने आयेगा तो उसका भुगतान करने में एक दिन की भी देरी नहीं होगी। यदि हिसाब नहीं दिया है तो अवश्य भुगतान नहीं होगा।

(व्यवधान)

इसके बाद मैं यहां पर कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि पंचायत-समितियों और जिला परिषदों के चुनाव नहीं हुए हैं यह बात सही है। लेकिन यह किन परिस्थितियों में नहीं हुए उस पर विचार करने की जरूरत है। इसमें दो बातें हैं। एक यह है कि पिछली सरकार ने इनकी अवधि पांच साल की रख दी थी उसको

(श्री हनुमान प्रभाकर)

अब यह सत्तारूढ़ दल उचित मानता है या नहीं। दूसरा जो इन्होंने केन्द्रीकरण कर दिया था उस केन्द्रीकरण का विकेन्द्रीकरण कैसे किया जाय इस पर भी विचार करना होगा। इन प्रश्नों पर मन्त्रिमण्डल में निर्णय लिया जायगा और उसके बाद में फैसला किया जायगा। मैं सदन को इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस प्रश्न को और अधिक दिनों तक लम्बा नहीं खींचा जायगा। मैं चाहता हूं कि इसका जल्दी निपटारा हो जाय क्योंकि यह लोकतन्त्र का तकाजा है। एक बार जन शक्ति का प्रदर्शन हो जाय जिससे यह पता चल जाय कि किसकी जमीन कहां है। अभी वैर में चुनाव हुए थे उससे मालूम हो गया था, उससे पता चल गया था कि किसकी जमीन कहां है। बयाना का चुनाव होने वाला है।

श्री यदुनाथसिंह : वैर में चुनाव नहीं हुआ वहां धोखा हुआ।

(व्यवधान)

श्री हनुमान प्रभाकर : वहां पर जन शक्ति का प्रदर्शन हुआ था। मैं चुनौती देकर चलना चाहता हूं कि पंचायती राज की पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव में भी पता लग जायगा। बयाना में चुनाव होने वाले हैं।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वहां पर आपकी हार होगी। बयाना में आपकी हार होगी।

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर।

श्री गोकुलचन्द शर्मा (सुमेरपुर) : सभापति महोदय, आप हमें तो ताड़ना देते हैं लेकिन उनको आप ताड़ना नहीं देते हैं। आप इन्हें ताड़ना दीजिये।

श्री सभापति : आर्डर आर्डर कृपया शान्त रहें। आप बैठिये।

श्री हनुमान प्रभाकर : सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि चुनावों में जन समर्थन मिलता है। इन चुनावों से हमें कुछ सीखने को भी मिलता है। इसलिये हम चुनावों से डर कर भागने वाले नहीं हैं। हम जनता जनार्दन के सामने हाथ जोड़ कर आते हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर आर्डर।

(व्यवधान)

श्री हनुमान प्रभाकर : आप कुछ भी कहते रहिये आप भी जानते हैं अपने आपको और मैं भी जानता हूं अपने आपको। चुनौतियां और आगे आ रही हैं, आप जरा ठहरिये।

(व्यवधान)

ग्रुप सचिवों के सम्बन्ध में चर्चा की गयी और इसके पहले विधान सभा के अन्दर कुछ प्रश्न भी आये थे और मैं स्वयं यह महसूस करता हूं कि दो-दो-तीन-तीन और चार-चार पंचायतों के बीच में एक

(श्री हनुमान प्रभाकर)

ग्रुप सचिव अच्छी प्रकार से काम नहीं कर सकता । कुछ तो कठिनाइयां होती हैं यह बात सही है । यह स्वीकार करने में मुझे कोई संकोच नहीं है । इसके बाद एक बात और कही कि कुछ अधिकारियों को पत्र दिये जाते हैं जन प्रतिनिधियों के द्वारा और उनका उत्तर प्राप्त नहीं होता है । मैं आपको और सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो भी अधिकारी हैं उनको उत्तर देना चाहिए । यदि नहीं देते हैं तो ठीक नहीं है । इस सम्बन्ध में मैं अपने जो अधिकारी हैं उनसे व्यक्तिशः कहूंगा, निवेदन करूंगा कि जो जन प्रतिनिधि हैं उनके पत्रों का उत्तर जाना चाहिए और निश्चित रूप से उत्तर जाना चाहिए । उत्तर प्राप्त करने का उनका अधिकार है, मैं इसे स्वीकार करके चलता हूं ।

श्री यदुनाथ सिंह : उत्तर निवेदन से नहीं आते हैं माननीय मंत्री जी ।

श्री हनुमान प्रभाकर : अपनी अपनी भाषा है यह तो । आपने इस भाषा को नहीं अपनाया इसीलिये ढाई साल में गये। अगर आपकी भाषा ठीक होती तो शायद ढाई साल में नहीं जाते ।

पंचायत समितियों में शिक्षकों की कमी है उसकी ओर भी आपने ध्यान खींचा और करीब तीन हजार शिक्षकों की कमी है । यह मैं स्वीकार करता हूं । शिक्षकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में कल ही बात हुई है कि जो प्रतिबंध लगा हुआ है उसको हटाया जाय ताकि आगामी शिक्षा के समय यह जो कठिनाई है उस को हम दूर कर सकें । मैंने आपसे कहा कि शिक्षा देना हमारा एक कर्त्तव्य है और शिक्षा की दृष्टि से हमें यदि कुछ और प्रावधान भी करना पड़ेगा तो वह प्रावधान करेंगे । इस प्रावधान से हम पीछे नहीं हटेंगे हमारे उत्तरदायित्व से हम पीछे नहीं हटेंगे । तो, यह तो सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में कुछ बातें थीं ।

एक बात और कही गयी कि जो भवन अधूरे बने हुए हैं उनको पूरा कराने का प्रयत्न किया जाना चाहिए । मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि अभी अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत जो 20 हजार रुपये तक की राशि में कार्य पूरे हो सकते हैं उन कार्यों की स्वीकृति देने के सम्बन्ध आदेश जारी कर दिये गये हैं । आपको कहीं परेशान होने की बात नहीं है क्योंकि मैंने आपसे कहा कि हमारा दृष्टिकोण रचनात्मक है आलोचनात्मक नहीं है । आलोचनात्मक दृष्टिकोण आप बनाते हैं तो बन जाता है क्योंकि आखिर में लड़ाई के मैदान से पीछे तो हटा नहीं जाता है । यदि आलोचना है तो आलोचना का जवाब आलोचना से दिया जायगा, इतना ही मुझे आपसे कहना है ।

सभापति महोदय, इसके बाद जो सार्वजनिक निर्माण विभाग की मांगें आपके सामने प्रस्तुत की गयीं उन मांगों के सम्बन्ध में सबसे पहले जयपुर देहात से आई हुई माननीय विधायका ने एक बात कही । मैं उन माननीय विधायका महोदय से कहना चाहूंगा कि शिक्षकों के प्रश्न पर भ्रष्टाचार की बात कही । वह भी आई होंगी मेरे

200

(श्री हनुमान प्रभाकर)

पास में और मैं चुनौती देकर कहना चाहता हूं कि वे मेरे, शिक्षकों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में भ्रष्टाचार को सिद्ध करें। कहना बहुत आसान है परन्तु मैं इतना विश्वास करके चलता हूं कि कोई भी विधायक यहां कोई बात कहे, अपनी जिम्मेदारी के साथ कहे....

व्यवस्था का प्रश्न
सदन के समक्ष जो मामला
न हो उस पर चर्चा

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पाइन्ट आफ आर्डर, सभापति महोदय। "राजस्थान विधान सभा में अध्यक्ष पद से दिये गये महत्त्वपूर्ण निर्णयों का संकलन,, एक पुस्तिका है इसके पेज 227 पर है :

'सदन के समक्ष जो मामले नहीं हों उनका उल्लेख करना उचित नहीं'

इसको मैं पढ़ कर सुनाता हूं। इस समय पी. डब्ल्यू. डी. और सामुदायिक विकास विभाग के कटौती प्रस्तावों पर बहस चल रही है....

अनेक माननीय सदस्य : यह ग्रामीण शिक्षकों की बात कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उसमें साफ कहा गया है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विधेयक, 1957 के खण्ड 9 पर आये हुए संशोधनों पर भाषण देते हुए श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने राज्य में धन के अपव्यय का हवाला देते हुए श्री पानरवा काण्ड का उल्लेख किया। जिस पर श्री पूनमचन्द विश्नोई, उप शिक्षा मन्त्री ने आपत्ति उठाई। इस सम्बन्ध में श्री उपाध्यक्ष ने यह कहा :

"The Hon, ble Member will from referring to thos, matters which are not before the House."

तो माननीय मन्त्री महोदय ने इस समय कई ऐसे मामले उठाये जिनका सम्बन्ध आज की बहस से नहीं है। चुनाव वैर में हुए और हम जीतें। यह मामला सदन के सामने विचाराधीन नहीं है और.......

श्री भंवरसिंह गुर्जर: वह आपने पूछा तब बताया है।

श्री सभापति: उस पर मैंने अपनी व्यवस्था दे दी है। दूसरी बात बताइये आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी: तो यह निर्णय यहां लागू होता है। इसलिए मेरा निवेदन करना यह है कि पहले जो शब्द उन्होंने कहे हैं चुनावों से सम्बन्धित मामला आज नहीं है। बजट पर आम बहस का दिन यदि होता तो जनरल राजनैतिक मामले हैं उनको वह पेश कर सकते थे या जवाब दे सकते थे लेकिन क्योंकि इस समय इस मामले में सदन में विचार नहीं हो रहा है और वर्तमान माननीय अध्यक्ष महोदय जो कि उस समय उप शिक्षा मन्त्री थे, उनकी

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

आपत्ति पर ही व्यवस्था दी गयी थी और उसमें साफ कहा गया "The Honble Member will refrain from reesreing to those matters which are not before the House. ।" इसलिए उनको कार्यवाही से निकाला जाय। उसके बाद सदन की कार्यवाही आगे चलेगी। यह व्यवस्था का सवाल है।

श्री गोविन्द सिंह गुजर: सभापति महोदय मैं दो बात कहना चाहता हूं इस सम्बन्ध में। जैसा कि अभी आपके सामने आया बिलकुल स्पष्ट है कि जिस समय यह बहस हो रही थी मामला शिक्षा का था और जो माननीय तत्कालीन सदस्य थे श्री सतीशन्द्र जी अग्रवाल वह बात जंगल की कर रहे थे। इसलिए यह मामला प्रसंगत था। अभी मन्त्री महोदय जवाब दे रहे हैं।

श्री हनुमान प्रभाकर : शिक्षा की बात कह रहा हूं।

श्री सुर्य कुमार: सभापति महोदय, इसी संबंध में माननीय सदस्य श्री तिवाड़ी जी ने जो हवाला दिया है और जो व्यवस्था आसन से चाही है वह नजीर इस मौके पर चस्पा नहीं होती है। दो बातें हैं, पहली बात यह कि माननीय सदस्य श्री सतीशचन्द्र जी अग्रवाल कटौती प्रस्तावों को मूव करने वाले थे। जो ऑब्जेक्शन किया गया था वह ट्रेजरी बेन्चेज की तरफ से उप शिक्षा मन्त्री की तरफ से किया गया था और यह कहा गया था कि आप वहीं तक सीमित रह सकते हैं जहां तक कि आपके कटौती प्रस्ताव हैं। उसमें व्यवस्था यह थी कि जो सदस्य कटौती प्रस्ताव को मूव करता है वह अपने आपको केवल कटौती प्रस्ताव तक सीमित रखेगा। यहां बात दूसरी है। यहां कटौती प्रस्ताय के माध्यम से जो मुद्दे उठाये गये हैं उनका जवाब मन्त्री महोदय हारादिया जा रहा है इसलिए उदाहरण चस्पा नहीं होता।

श्री सभापति: माननीय सदस्य ने जो व्यवस्था इस बात की उठाई है कि मन्त्री महोदय ने जवाब के दौरान कटौती प्रस्ताव यहां सदन में रखे गये थे, से हटकर अलग मुद्दों पर अपना वक्तव्य दिया है। कटौती प्रस्ताव, जिस प्रस्ताव के सिल-सिले में जिस चीज का रेफरेन्स माननीय सदस्य ने दिया है उसमें तो साफ यह है कि कटौती प्रस्ताव माननीय सदस्य ने जो रखा था वह कटौती प्रस्ताव से हट कर अलग मुद्दे पर उन्होंने अपनी बहस जारी की थी जिस पर ट्रेजरी बेन्चेज से आपत्ति की गयी थी। यहां सवाल यह है कि जब कटौती प्रस्तावों के ऊपर माननीय सदस्य ने अपने विचार प्रकट किये उनमें बहुत से सदस्यों ने पंचायत के इलेक्शन कराये जाने के सिलसिले में, चुनाव के संबंध में कई आपत्तियां रखी थीं। जब मन्त्री महोदय इसका उत्तर दे रहे थे तो माननीय सदस्यों, जो विपक्ष में बैठते हैं ने यह कहा कि चुनाव आप क्यों नहीं कराते।

एक माननीय सदस्य: पंचायतों के।

श्री सभापति: यहां तक भी माननीय सदस्यों ने कहा कि आप अब चुनाव करा लीजिये मैं स्तीफा दे दूंगा, आप स्तीफा

202

(श्री सभापति)

दे दीजिये । इस संदर्भ में मन्त्री जी ने जो जवाब दिया है वह जवाब यह दिया है कि चुनाव कैसे हुए थे । उसका नतीजा आपको मालूम है । मैं समझता हूं जिस मामले में व्यवस्था चाही है वह टू दी पाइंट नहीं है है । मंत्री महोदय ने अपने भाषण में कोई ऐसी बात नहीं कही है जिससे व्यवस्था का प्रश्न पैदा होता हो ।

मांग संख्या 19, 21 व 41 पर विचार

श्री हनुमान प्रभाकर : माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले जयपुर ग्रामीण से आने वाली माननीय विधायका ने जो बात कही है कि पी. डब्ल्यू. डी. के एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर्स के ट्रांसफर्स भी शिक्षकों के तरीके से होने लगे हैं । मेरे यहां पर कहने का तौर–तरीका बड़ा साफ है । मैं जो ठीक समझता हूं, वह करता हूं । नियमों के अन्तर्गत नहीं करता तो नियमों के अन्तर्गत चुनौती देने का अधिकार हर अधिकारी को है, हर व्यक्ति को है । इसलिये यदि एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर्स के ट्रांसफर किये हैं और करूंगा मैंने आपसे कहा मैं यह इसलिये कह रहा हूं

(व्यवधान)

केन्सिल किये हैं और करूंगा

श्रीमती उजला अरोड़ा: माननीय मंत्री महोदय, मैं जयपुर ग्रामीण क्षेत्र से चुन कर आई हूं इसलिये मेरे परिवार, सारे अरोड़ा बन्धुओं के ट्रान्सफर किये । मेरी ननद मिसेज मेहराव का एक बार नहीं पांच बार ट्रांसफर किया है । माननीय मन्त्री महोदय के पास गई, पांच बार निवेदन किया ।

(व्यवधान)

सुनिये, पांच बार उन्होंने केन्सिल किया उसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद देती हूं । आशा अरोड़ा, जो कि कमला नेहरू स्कूल में पढ़ती है, का ड्यू नहीं था ।....

श्री सभापति: आर्डर प्लीज ।

श्रीमती उजला अरोड़ा: ज्ञानेन्द्र अरोड़ा, राम सिंह अरोड़ा, जान बूझ कर मेरे परिवार को डिस्टर्ब किया

(व्यवधान)

श्री सभापति: आर्डर प्लीज ।

श्रीमती उजला अरोड़ा: अगर ड्यू होता तो मुझे कोई आपत्ति नहीं थी ।

(व्यवधान)

सुनिये ।

श्री सभापति: आर्डर प्लीज ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जब उन्होंने रेफरेन्स दिया है । अगर रेफरेन्स नहीं देते तो मैं कहती ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज । माननीय सदस्या, आप तशरीफ रखें । आप इस

(श्री सभापति)

सदन में दूसरी बार चुन कर आई हैं। कैसा व्यवहार करना चाहिये, कैसा जवाब देना चाहिये, आप ज्यादा जानती हैं। मेरा केवल यही निवेदन है जो डिबेट चल रही है, उस मौके पर जो उत्तर प्रत्युत्तर का आपने तरीका अपना रखा है वह अनिवार्य नहीं है इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप तशरीफ रखें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैंने रेफरेन्स दिया था कि पांच बार ट्रांसफर किये गये

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ।

व्यवस्था का प्रश्न
सदन की कार्यवाही में व्यवधान

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : सभापति महोदय,व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय, अध्यक्ष पद से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों के संकलन के पेज 230 पर दिये गये निर्णय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

जयपुर ग्रामीण से आने वाली माननीय सदस्या जो व्यवधान डाल रही हैं, वह उचित नहीं है। इस सम्बन्ध में उचित निर्देश दें।

"सदन में प्रत्येक सदस्य को अधिकार है कि वे अपनी बात कहें। अगर गलत बात है तो उसके बारे में बहस हो सकती है और स्पष्टीकरण हो सकता है लेकिन इस प्रकार से व्यवधान करने से सारे सदन की कार्यवाही को प्रतिपादित करना कठिन है इस लिए पहले आप सुन लें। एकदम निर्णय लेना कि कोई गलत कह रहा है या सही यह उचित नहीं है। पहले आप उनकी बात सुन लें उसके बाद अगर कोई स्पष्टीकरण होगा तो आपसे पहले भी कह चुका हूं आपको इजाजत दी जायगी।" यह निर्णय दिया है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया स्थान ग्रहण करें।

मैंने इससे पूर्व भी माननीय सदस्यगण को निवेदन किया है कि आप किसी बात को कहने की हिम्मत रखते हैं तो आपमें इतनी बर्दाश्त होनी चाहिये कि जो आपको सुनाया जाय वह सुनें। इसलिए माननीय मंत्री महोदय जब उत्तर दें तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जिस तरीके से आपने कहने की हिम्मत रखी उसी तरह सुनें भी····

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : वह तैयार हो रही हैं बोलने के लिये।

श्री सभापति : आर्डर आर्डर।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ऑन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री सभापति : No point of order आप समय बर्बाद न करें।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : सभापति महोदय, आप इनको बाहर निकाल दो, फैसला हो

(श्री भैरूंसिंह गुर्जर)

जायगा बार-बार खड़े होते हैं। आपके पास व्यवस्था है, निकालो बाहर।

(व्यवधान)

श्री राधेश्याम (गंगानगर) : सभापति महोदय, माननीय सदस्या व्यवधान डाल रही हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अभी माननीय मन्त्री जी……

श्री सभापति : आपने जिस वक्त रेफरेन्स दिया था मैंने उस वक्त निर्णय दे दिया था।

श्री राधेश्याम : सुनने की हिम्मत रखो

श्री श्रीराम गोटेवाला : सभापति महोदय, पहले जवाब आ जाय।

(व्यवधान)

श्री सभापति : मैंने व्यवस्था दे दी।

मांग संख्या–19,21 व 41 पर विचार

श्री हनुमान प्रभाकर : मैं निवेदन यह कर रहा था सार्वजनिक निर्माण विभाग के संबंध में कहा गया, स्थानान्तरण हुए हैं। उसके कारण रहे होंगे। उन कारणों को थोड़ा समझना होगा। हमने इस समय रिलीफ के अन्दर काफी गति से मजदूरों की भर्ती की है। इस वजह से करीब 6 एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर्स के नये डिवीजन और बने हैं, स्पष्ट है यदि 6 एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर्स के डिवीजन्स और बने हैं, 6 या 7 इसलिये करीब 6 कह रहा हूँ, कुछ स्थानान्तरण उस प्रक्रिया में हो गये। कई निरस्त किये हैं, किसी की कोई परेशानी है, तो स्थानान्तरण निरस्त हुए हैं। उस समय सारे निरस्त करने को हम एक ही निगाह से देखें, वह निगाह एक है जो पिछले तीन साल में उनके पास है तो मुझे कुछ नहीं कहना उसी निगाह से हर चीज को देखते हैं। मेरा क्या दोष है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आपकी निगाह से नहीं देखेंगे हम।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आपकी निगाह आपको मुबारक हो।

श्री हनुमान प्रभाकर : सभापति महोदय, सार्वजनिक निर्माण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में काफी चर्चा हुई। मैं माननीय सदस्यों को एक बात कहना चाहता हूं, कुछ बातें हैं, कुछ शर्तें हैं परन्तु हम केवल जीवन के एक पक्ष को देखने की कोशिश करें और जीवन के दूसरे पक्ष को देखने की कोशिश नहीं करें तो, क्षमा करें, हम न अपने आपके साथ न्याय करते हैं और न समाज के साथ न्याय करते हैं। जो अधिकारी अपने विभाग की उन्नति में लगे हुए हैं, कठिन परिस्थितियों में अपने विभाग को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, लक्ष्य प्राप्त करने में लगे हुए हैं उन सबको केवल एक ही धारा में बहा दें तो मैं समझता हूं न्यायोचित नहीं है। दोष कुछ व्यक्तियों में हो सकते हैं परन्तु कुछ व्यक्तियों के दोष को सारे विभाग के ऊपर मढ़ दें, मैं समझता

(श्रीहनुमान प्रभाकर)

हूं विभाग में काम करने वाले उन अधिकारियों के लिए कहना उचित नहीं है जो सदन के सदस्य नहीं हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हो सकता है भ्रष्टाचारी हों, आप बतायें, प्रश्न केवल एक है कि तथ्यों के साथ बताना चाहिये।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : किस को बतायें?

श्री हनुमान प्रभाकर : आप नहीं बताना चाहें, न बतायें।

इस सदन का उपयोग केवल भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए करते रहें यह उनके काम करने का तरीका हो सकता है। जो प्रशासक दल में बैठे हुए हैं उनका यह तरीका नहीं है। सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जून में सरकार बनी उसके बाद बजट पेश हुआ। हमने लक्ष्य निर्धारित किये थे। मैं सदन से कहना चाहता हूं कि अप्रेल से आज मार्च तक 12 महीनों में जो काम होना चाहिये था वह काम 6-7 महीनों में पूरा कर रहे हैं। अप्रेल में जो पूरे होने थे, जो लक्ष्य दिये गये थे वह अभी पूरे हो रहे हैं।

आपने जिस किताब को उठा कर आंकड़े दिये, उस किताब में दिसम्बर तक के आंकड़े हैं, उसको पढ़कर देखिये। जबकि मार्च के तीन महीने बाकी हैं, इसमें कितना काम हो सकता है शायद ये जोड़ने की गलती नहीं की। अगर आप इसको जोड़ लेते तो शायद आपको मौका नहीं मिलता। इस मद में कितने रुपये थे, कितने लक्ष्य निर्धारित किये गये थे, पूरे नहीं हुए। हो सकता है कि जो परिमाण है मात्रा है उसमें अन्तर हो सकता है। जहां तक जो धनराशि आवंटित की गयी थी वह धनराशि निश्चित रूप से 31 मार्च तक पूरी काम में ले ली जायगी। यह मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं। मात्रा का फर्क इसलिए हो सकता है कि भावों में बढ़ोतरी हुई है, और जो काम की लागत है, उसमें भी वृद्धि हुई है, तो उसकी वजह से कोई अन्तर हो सकता है। बाकी जहां तक धनराशि के व्यय का प्रश्न है, उपयोग का प्रश्न है उसमें मैं कह सकता हूं कि हमारे अधिकारियों ने दिन रात मेहनत करके, जाग करके भी काम को पूरा करने का प्रयत्न किया है। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

इसके साथ साथ एक बात और निवेदन करना चाहता हूं, एक बहुत बड़ा काम जो शायद हमारे माननीय सदस्य कोटा से आये है, जिन्होंने बड़ी कोशिश की होगी और पता नहीं कहां कहां जोर लगाया होगा और फिर भी नहीं करा पाये। मैं सूचना देना चाहता हूं कि राज्य में जयपुर, टोंक, टोंक से दिल्ली, झालावाड़ होते हुए राज्य की सीमा से होते हुए ब्यावर से नेशनल हाइवे के रूप में स्वीकार की जा चुकी है जो राजस्थान से होकर निकलेगी, आप के क्षेत्र से होकर निकलेगी, आप नहीं करा पाये लेकिन हमने करायी है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। लोग कहते हैं भ्रष्टाचार की बात मैं छिपाना चाहता हूं, भ्रष्टाचार की बात के

(श्री हनुमान प्रभाकर)

लिए, सभापति महोदय, मैं कहना नहीं चाहता····

एक माननीय सदस्य : जब इनको × × ×

श्री हनुमान प्रभाकर : मैं कल के जो अखबार हैं, उनको देखने के लिए सामने बैठे हुए सदस्यों से कहना चाहता हूं कि × × × और इससे बड़ा भ्रष्टाचार शायद इस देश में न हुआ है न होगा।

श्री यदुनाथ सिंह : अब आप काला काण्ड कर रहे हैं।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री हनुमान प्रभाकर : इसी तरीके से, सभापति महोदय····

व्यवस्था का प्रश्न

सदन में समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार के आधार पर विचार अभिव्यक्ति

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : ऑन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर। सभापति महोदय····

श्री श्रीराम गोटे वाला : एक बात तो जरूर है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मन्त्री जी सही बात न कहें, इनको चुभती है, बेकार में····

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आप कहो, शौक से कहो। माननीय सभापति महोदय····

(व्यवधान)

श्री सभापति : पाइन्ट आफ आर्डररेज किया है, माननीय सदस्य ?

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : माननीय सभापति महोदय, नजाकत ज्यादा करते हैं, बोलते कम हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : ये बहुत नाजुक है क्या। दिखते तो कहीं नहीं हैं इनमें ऐसी कोई बात होगी। माननीय सभापति महोदय, अभी एक रेफरेन्स माननीय अध्यक्ष जी ने क्या आज्ञा दी, वह सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने माननीय मन्त्री जी से कही। पता नहीं सोना काण्ड से फिर राजस्थान की विधान सभा कैसे इन्वाल्व हो गयी, क्या मन्त्री महोदय इन्वाल्व हो गये या पुरानी सरकार इन्वाल्व हो गयी, क्या हो गया ? इसको कृपया निकालने की चेष्ठा करें।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : ये पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है।

श्री कनकराज मेहता (सांचोर) : सभापति महोदय, I will refer to you 294 of the rules जिसमें लिखा हुआ है—

(व्यवधान)

मेरा निवेदन है, सुनियेगा।

" A point of order shall relate

(श्री कनकराज मेहता)

to the interpretation or enforcement of these rules' the word shall hass been used.

ये आप समझ सकते हैं कि पाइन्ट आफ आर्डर इन्टरप्रिटेशन के लिए, enforcement of these rules के लिए हैं। किसी भी रूल को आप रेफर करके उसके इन्टरप्रिटेशन के लिए कोई अगर बात है तो निवेदन कर सकते हैं। फैक्ट्स को नहीं लाया जा सकता

"Or such Articles of the Constitution as regulate the business of the house."

मेरा निवेदन है कि This is not point or order. और इस तरह से यह जो व्यवधान है, यह नहीं डाला जा सकता।

श्री यदुनाथ सिंह : पाइन्ट आफ आर्डर, मेरा दूसरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सभापति : यह सदन सब्सटेन्शियल टाक्स के लिए है। खाली पाइन्ट आफ आर्डर रेज करने के लिए नहीं है। माननीय सदस्य ने पाइन्ट आफ आर्डर रेज किया और रेज इस सम्बन्ध में किया कि माननीय मन्त्री जी ने अपने वक्तव्य में अखबार का ब्यौरा दिया, जो सेन्ट्रल में सोना काण्ड के सम्बन्ध में था। इस टाइप के जो रेफरेन्सेज हैं, वह जनरली हाउस में नहीं आने चाहिए और इसको इस कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री हनुमान प्रभाकर : सभापति महोदय, आपने जो व्यवस्था की थी इस पर मुझे आपत्ति है कि आज तक जो समाचार पत्रों में समाचार छपते हैं, यदि आप व्यवस्था देते हैं तो—

श्री भैरूसिंह गुर्जर : ये तो अखबारों के सिवाय बात करते ही नहीं हैं।

श्री राधेश्याम : माननीय सभापति महोदय, एक बार ऐसा हुआ है कि विपक्ष की ओर से पत्र पेश किये गये हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सभापति जी ने आज से दो रोज पूर्व जब एक वक्तव्य में अखबार का रेफरेन्स दिया गया, उस वक्त यह व्यवस्था दी गई थी कि अखबार की बहुत सी बातें सही नहीं मानी जा सकतीं। जब तक कि उसकी अथेन्टीसिटी न होगी। इसलिए ऐसी चीज, जिसके लिए व्यक्तिक रूप से नहीं हो....

श्री श्रीराम गोटेवाला : सभापति महोदय, वह तो पुरी कमीशन की रिपोर्ट है। छपने से ही कोई बात नहीं हुई। वह तो स्पेशल रिपोर्ट है।

श्री हनुमान प्रभाकर : आपने आदेश दिया। आपका आदेश शिरोधार्य है। मैं कहना चाहता हूं कि पुरी आयोग की रिपोर्ट, जो प्रकाशित हुई है, उस रिपोर्ट के अन्दर....

(208)

(श्री हनुमान प्रभाकर)

(व्यवधान)

××× बताया गया है और देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार बताया गया है।

श्री राधेश्याम : उस बात और इस बात में बहुत अन्तर है, सारे देश को दिवालिया बना दिया इन्होंने। उसमें और इसमें बहुत अन्तर है।

(8.10 रात्रि)

(श्री पूनम चन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण मामला था।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, पहले उठा चुके हैं, किस नियम के तहत सवाल उठा रहे हैं, इनसे पूछा जाय।

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। आप पाइन्ट आफ आर्डर उठा रहे हैं ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नहीं, अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने कोई एक मन्त्रिमण्डल के मन्त्री का लिखा हुआ पत्र पढ़ा....

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : उसमें व्यवस्था दे दी गई है।

श्री अध्यक्ष : आपने जो आपत्ति उठायी थी, वह मैंने सुनी।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, चेम्बर में सुन रहे थे आप ये बात।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वही नहीं कहा मैंने।

श्री अध्यक्ष : आप यह चाहते थे कि कुछ समय पूर्व कुछ पत्र या नोटिस फाइलों को पढ़ कर सुनायी गयी और फिर मन्त्री महोदय दूसरे विषय पर चले गये। उसके बाद में यह प्रश्न उठाया कि उन्होंने यह पढ़ लिया। पाइन्ट आफ आर्डर, विचारणीय विषय हो, उसमें कोई अनियमितता हो रही हो तो तत्काल उठाये जाते हैं, आज से पांच रोज पहले क्या बात हो गयी, उसमें नहीं। इसलिए उस प्रश्न को अब नहीं उठाया जा सकता है।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर।

अधिकारी दीर्घा में बैठे अधिकारी व मंत्री में संकेतों का आदान-प्रदान

श्री यदुनाथसिंह : मेरा पाइन्ट आफ-आर्डर दूसरा है। अभी-अभी मंत्री महोदय भाषण देकर बैठे तो आफिसर्स गैलरी से मंत्री महोदय को इशारा कर रहे थे, हां, इस तरह का।

श्री गोकुलचन्द शर्मा (सुमेरपुर) : अध्यक्ष महोदय, आफिसर्स तो मंत्री महोदय के पीछे बैठे हैं, वे तो देख भी नहीं सकते।

श्री अध्यक्ष : आफिसर्स गैलरी में जो अधिकारीगण बैठते हैं वे मंत्री महोदयों को

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार शब्द अपलोपित किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

अपने विभाग के उत्तर देने के लिए, मदद के लिए वहां पर होते हैं। उसमें अब बोल कर अगर किसी बात को नहीं समझाया जा सकता है या चिट नहीं भेजी जा सकती है, हो सकता है कि मंत्री महोदय और अधिकारियों के बीच में....

श्री यदुनाथसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : कोई कम्यूनिकेशन संकेतों के द्वारा हो सकता है, शब्दों के द्वारा हो सकता है, लिखित रूप में हो सकता है, तो कोड होगा सीक्रेट।

श्री यदुनाथसिंह : अध्यक्ष महोदय, विभाग से सम्बन्धित नहीं है। यह सोना काण्ड की बात हो रही थी तब यह इशारा किया गया था। विभाग से सम्बन्धित सूचना तो हो सकती है।

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, न मंत्री महोदय की ओर इशारा करना चाहिये, न अफसर की ओर इशारा करना चाहिये, यह इशारेबाजी कैसे हो रही है ?

श्री अध्यक्ष : टाप सीक्रेट कौड है, उसका उपयोग कर रहे थे मुझे ऐसा लगता है।

मांग संख्या 19, 21 व 41 पर विचार

श्री हनुमान प्रभाकर : अध्यक्ष महोदय, जब भ्रष्टाचार की बात कही गई तो सामान किस तरीके का काम में नहीं लिया जाता है, क्वालिटी उनकी ठीक नहीं होती है, यह बात मुख्यतः माननीय सदस्यों ने कही है। इस सम्बन्ध में मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि क्वालिटी को ठीक करने की दृष्टि से समय-समय पर नमूने लेकर इसकी जांच कराने की प्रक्रिया पहले ही है और जो स्तर तय किया हुआ है उसके अनुपात में जो मेटीरियल ठीक नहीं होता तो उस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही भी बराबर की जा रही है। इसलिए, फिर भी यदि इसमें कोई शिकायत हो और जो क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए वह नहीं हो रही है तो मैं सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में जो कुछ प्रयत्न हो सकता है वह प्रयत्न राज्य सरकार के द्वारा और किया जाएगा।

मैं सदन की जानकरी के लिए एक निवेदन और करना चाहूंगा कि भारतीय स क अनुसंधान संस्थान ने जोधपुर के अन्दर आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित अपना कार्यालय इस सम्बन्ध में खोलने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है और जोधपुर में जमीन की व्यवस्था भी हो चुकी है और यहां पर कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

इसके बाद एक सबसे बड़ा सवाल था सड़कों का। मैं माननीय सदस्यों से करबद्ध निवेदन करना चाहूंगा कि प्रगति की एक होड़ लगी हुई है। इस समय सारे देश में हर व्यक्ति चाहता है कि उसके यहां सड़क बने, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके यहां एनीकट बने, हर व्यक्ति

210

(श्री हनुमान प्रभाकर)

चाहता है कि उसके यहां ग्रौषधालय बने। हर व्यक्ति चाहता है कि स्कूल बने परंतु वित्तीय सीमायें हैं ग्रौर वित्तीय सीमाग्रों को देखते हुए कुछ नार्म्स तय किये जाते हैं ग्रौर उन नार्म्स के ग्राधार पर जो कुछ काम किये जा सकते हैं वह करने का प्रयत्न किया जाता है। पहले पांच हजार की जनसंख्या वाले गांवों को, सन् 71 की जनसंख्या के ग्राधार पर मैं कह रहा हूं, सड़कों से जोड़ने का काम हाथ मे ले लिया गया। उसके बाद चार हजार से लेकर पांच हजार तक की जनसंख्या वाले गांवों को सड़कों से जोड़ने का काम प्रारम्भ कर दिया गया। करीब 26 लाख गांव हिन्दुस्तान में ऐसे थे जो जुड़े हुए नहीं थे उनका काम प्रारम्भ कर दिया गया है। किन्तु जैसा कि मैंने ग्रापसे कहा कि भारत एक बहुत पिछड़ा हुग्रा देश है। कई गांव जनसंख्या की दृष्टि से शायद चार पांच हजार के नहीं हों पर कई ग्रन्य दृष्टियों से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए ग्रौर नीचे की जनसंख्या के गांवों में उनको भी हाथ में लिया जाता रहा है। परन्तु उनको कब तक पूरा कर पायेंगे यह बहुत ही कठिन काम है। ग्रागामी छठी पंचवर्षीय योजना में करीब एक सौ करोड़ का प्रावधान है ग्रौर उस एक सौ करोड़ के प्रावधान में शायद सब काम पूरा नहीं हो पायेंगे, यह बात सही है। किन्तु फिर भी जैसा मैंने ग्रापसे कहा कि जो गांव कृषि की दृष्टि से, उद्योगों की दृष्टि से, श्वेत क्रांति की दृष्टि से ग्रौर सब दृष्टियों से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं उन गांवों को निश्चित रूप से प्राथमिकता दी जायगी। माननीय सदस्यों से मैं ग्राग्रह करूंगा कि वे ग्रपने क्षेत्र में चुने हुए कुछ गांव बता दें। यह तो सम्भव नहीं होगा कि सभी काम हाथ में ले लिये जावें। चुने हुए काम बनाए तो उन कामों को....

श्री ग्रध्यक्ष : सभी पक्षों के माननीय सदस्य बता देंगे तो ठीक हो जाएगा।

(व्यवधान)

श्री यदुनार्थसिंह : मैंने तो दो ही के नाम बताये हैं, हुकुम।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रार्डर, ग्रार्डर।

श्री हनुमान प्रभाकर : मेरा इस संबंध में इतना ही निवेदन है कि प्रयत्न इस बात का होगा।

एक बात ग्रौर कही गई, वह भी सही है कि कुछ सड़कें बन गईं लेकिन पुल नहीं बने ग्रौर परिणाम यह हुग्रा कि वह सड़क बनना न बनाना के करीब करीब बराबर हो गया। बात सही है। राजस्थान में ग्रकाल एक ऐसा प्रश्न हो गया है जो हर दूसरे वर्ष हर तीसरे साल ग्रौर इस साल में तो निरन्तर दूसरे वर्ष में में ग्रकाल हमारे पर छाया हुग्रा है। तो जब हम ग्रकाल में लोगों को राहत देना चाहते हैं लोगों को रोजगार देना चाहते हैं, भूखे पेट किसी को सोने नहीं चाहते हैं तो हमें ऐसे काम हाथ में लेने होंगे, ग्रध्यक्ष महोदय, जिनमें लोगों को ग्रधिकतम मजदूरी मिल सके। ग्रौर जब हम ग्रधिकतम मजदूरी की बात करते हैं तो स्वाभाविक है कि सड़कें बनाई

(श्री हनुमान प्रभाकर)

जा सकती हैं उस सड़क में भी कहीं नदी पड़ती है वह शायद नदी का काम हम इस अकाल राहत में नहीं करवा सकें, इसी दृष्टि से हमने पिछले दिनों प्रयत्न किया था चाहे वह कृषि उपज मंडी समिति हो, चाहे वह डेयरी का मामला हो चाहे वह माइन्स की रोड्स हों। चाहे फारेस्ट की हों और चाहे पी० डब्ल्यू० डी० की हों, चाहे अकाल राहत के काम हों, हम कोई ऐसा सामंजस्य बिठा सकें कि जिसकी वजह से लेबर कम्पोनेंट का जहां तक सम्बन्ध है वह रिलीफ विभाग से पूरा करा सक और बचा हुआ काम इन विभागों के पास जो बजट है उनके द्वारा पूरा कराने का प्रयत्न करें जिससे कि कुछ काम पक्के हो जावें और आगामी वर्षों में इन पर फिर से काम करने की जरूरत नहीं पड़े। तो यह प्रयत्न हम कर रहे हैं। इन प्रयत्नों में सफलता हमें कहां तक मिलेगी, मैं आज तो नहीं कह सकता लेकिन इस दिशा में राज्य सरकार ने सोचना प्रारम्भ कर दिया है, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं। सड़कों को डवलप किया जावे, पुल बनाये जावें यह बातें सब ठीक हैं। कई रास्ते हैं जिनमें, मैं झाड़ोल की बात जानता हूं, उदयपुर जिला तो मेरा देखा हुआ है, अभी अलवर धौलपुर गया था वहां भी मैंने देखा है। पाली जब गया था तब भी मैंने देखा है····

श्री महाराम चौधरी : फलौदी नहीं देखा होगा।

श्री हनुमान प्रभाकर : निकला हूं उधर से।

श्री महाराम चौधरी : सड़कों में रेगिस्तान की वजह से उसमें थोड़ा सा ध्यान दें।

श्री हनुमान प्रभाकर : मैं सब जगह नहीं जा पाया हूं। तो जहां भी गया हूं और जो अभी तक का अनुभव है उसके आधार पर कह सकता हूं कि राजस्थान में अभी सड़कों की दृष्टि से, पुलों की दृष्टि से बहुत कुछ बनाने की गुंजाइश है, बहुत कुछ करना है। प्रयत्न हमारा होगा कि हम इस दिशा में जितना कर सकें उतना करें। और यही कारण है कि आगमी वर्ष में वित्तीय प्रावधान की दृष्टि से हमने जो राशि उपलब्ध कराई है वह इस वर्ष की तुलना में कम किसी में नहीं है। इससे अधिक करीब करीब सभी कामों में है, उनमें रखी है। यह इस बात का सबूत है। अब ठीक है कि भाव बढ़ जायेंगे और कुछ बातें हो जायेंगी। डामर नहीं मिल रहा है, सीमेंट की कमी है, कुछ बातें हैं जिन तथ्यों को अगर मैं ठुकरा दूं कि डामर की कमी नहीं है, सीमेंट की कमी नहीं तो मैं समझता हूं कि न अपने साथ न्याय करूंगा न सदन के साथ न्याय होगा। तो जो कुछ कठिनाइयां हमारी हैं उन कठिनाइयों को दूर करने का प्रयत्न हम सब मिल कर करेंगे यही मेरी आपसे कहना है।

इसके बाद काम की व्यवस्था की दृष्टि से मैं समझता हूं कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के सम्बन्ध में सोचने की प्रक्रिया

(श्री हनुमान प्रभाकर)

की क्या व्यवस्था हो, ब्रिज कारपोरेशन अलग से बनाना है. यह अलग है, कई बातें हैं, विभाग को और सुनियोजित किया जावे, गतिशील बनाया जावे, इस दिशा में अभी बैठ कर बात करने का मौका नहीं मिला है यह बात सही है। मैं प्रयत्न करूंगा कि इस अधिवेशन के बाद इस विभाग के अधिकारियों के साथ बैठ कर इस विभाग को कैसे गति दी जा सकती है, किस तरीके से काम को तीव्र किया जा सकता है उस दिशा में हम लोग प्रयत्न करेंगे, इतना ही मेरा आपसे कहना है। एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण उठाया गया। ठेकेदारी प्रथा समाप्त की जानी चाहिये। मैंने कल भी इस सम्बन्ध में चर्चा की थी। परन्तु मुझे जो जानकारी दी गई है उस जानकारी के आधार पर कह सकता हूं ठेकेदारी प्रथा जहां समाप्त की गई थी वहां पर फिर चालू करनी पड़ रही है। इसके अनेकों कारण हैं। एक आज हमारे पास रोड रोलर्स नहीं हैं। कोटा में हैं, वहां जरूरत नहीं है। मैं कोटा का नाम ले रहा हूं कोई बुरा नहीं मान जाय, माननीय सदस्य महोदय। शायद वहां रोलर्स नहीं हैं हम उसे उदयपुर ले जाना चाहते हैं मान जाइये। तो वहां के लोग ले जाने को तैयार हैं क्योंकि वे कहते हैं कि हम मांग ले जायेंगे। ऐसी कई परिस्थितियां हैं, यदि नियमित प्रकार से कार्य करलें तो उसके बाद भी कई तरह की अन्य कठिनाइयां आती हैं। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि हम कोई ठेकेदारी प्रथा को प्रोत्साहन देकर चलना चाहते हैं, यह एक प्रश्न है जिस पर सोचने की आवश्यकता है। पक्ष दोनों हैं और मेरे खयाल से निकट भविष्य में यह सम्भव नहीं है कि ठेकेदारी प्रथा समाप्त कर सकें, मैं सदन में बहुत साफ कहना चाहता हूं। ठेकेदारी प्रथा में क्वालिटी कन्ट्रोल बना रहे, काम समय पर हो, बिलों का भुगतान समय पर हो जाय यह तो किया जा सकता है पर ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया जाय मुझे कठिन लगता है। इतना ही मैं आप लोगों से से निवेदन करना चाहता हूं।

यहां पर एक बात कही गई कि जो कुछ प्रमोशन हुए हैं उनमें काफी अनियमितताएं हुई हैं। एक अधिकारी का नाम भी लिया गया। जो सदन का सदस्य नहीं है। शायद उसका नाम नहीं लेना चाहिये था। मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं जिन अधिकारियों के प्रमोशन किये गये हैं वे नियमानुकूल किये गये हैं। यदि किसी को आपत्ति हो नियमों के विपरीत किया गया हो तो बतायें, उस पर विचार हो सकता है। बाकी केवल राजनैतिक दृष्टि से कौन किस का मिलने वाला है, कौन किस के साथ है, यह दृष्टिकोण सोचने का हो तो अध्यक्ष महोदय, क्षमा करें उससे न्याय उस अधिकारी के साथ नहीं करेंगे। मेरा इतना ही निवेदन है मैं उस अधिकारी का नाम नहीं लेना चाहूंगा।

इसके साथ एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। रोड रोलर्स की बात कही गयी है, मुझे मालूम है कई रोड रोलर्स खराब पड़े हुए हैं। अभी दस लाख रुपये के आस पास रोड रोलर्स को ठीक करने के लिए

(श्री हनुमान प्रभाकर)

और मंजूर किये गये हैं जिससे खराब रोलर्स ठीक हो जायें। ताकि अकाल के अन्दर जो काम चल रहा है, उसके अन्दर उनका पूरा उपयोग किया जा सके। कुछ नयी खरीदने वाली बात भी हुई है, पुराने ठीक हो जायें तो इनका भी काफी बड़ा नम्बर है। मैं समझता हूं इस दिशा में काम कुछ कर ही रहे हैं।

इसके साथ ही अन्त में मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। हम एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना करते है जिसमें किसान और मजदूर कम से कम अपने हितों और अधिकारों की रक्षा कर सकें। मैं इस समय केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि श्रमिक कल्याण की दृष्टि से जो प्रथा हमने अपनायी है, लोगों को स्थायी नियुक्ति की दृष्टि से जो प्रक्रिया अपनायी है वह निश्चित रूप से न केवल राजस्थान के लिये बल्कि देश में कई महत्वपूर्ण प्रान्तों में अपने आपको एक बनाती है। यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि आखिर जो लोग काम करते हैं, उनको हमेशा अस्थायी बना कर नहीं रखा जा सकता है। धीरे-धीरे जो लोग वर्षों से काम कर रहे हैं, उन्हें सेमी परमानेन्ट बनाने की दृष्टि से, आगे कोई चांसेज मिल सके उस दृष्टि से राजस्थान ने काफी पहल की है। श्रमिकों के कल्याण की दृष्टि से और उनके हितों की दृष्टि से जो कुछ राशि विभाग के द्वारा आवश्यकतानुसार दी जा सकती है, वह दिये जाने का प्रयत्न किया जाता रहा है।

मैं इसके पहले पंचायतों की बात भूल गया था। पंचायती राज में पंचायत राज कर्मचारियों की अनेकों समस्याएं हैं, पंचायत राज कर्मचारियों से दो तीन बार बैठ कर बात करने का मौका मिला है। मैंने उनकी समस्याओं को सुना है, समझा है। और शायद परसों फिर उनके साथ बैठ रहा हूं। उनकी समस्याओं की जानकारी है, उनका समाधान करने का प्रयत्न कर रहा हूं। क्योंकि मैंने कहा प्रशासन के अन्दर जो सरकारी कर्मचारी हैं चाहे वह किसी भी श्रेणी के हों वे अंग होते हैं। प्रशासन तब तक ठीक तरह से नहीं चल सकता जब तक कि सभी अंग ठीक तरह से काम नहीं करें। इसलिए कर्मचारी पंचायत राज के हों या सार्वजनिक निर्माण विभाग के हों, उन सब कर्मचारियों के हितों की दृष्टि से जो कुछ हो सकता है, उसको करने में कोई कसर कहीं छोड़ूंगा। इतना ही मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं। अन्त में जितने भी कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं उनको अस्वीकार करते हुए मेरे द्वारा प्रस्तुत मांगें हैं, उनको पास करने के लिये निवेदन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : एक एक दो–दो प्रश्न से अधिक नहीं। श्री चतुर्वेदी :

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी: मन्त्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे, दो रुपये पचास पैसे प्रति व्यक्ति के हिसाब से प्रत्येक पंचायत को जो अनुदान दिया जाता है, क्या वह इस वर्ष दे दिया गया है या किसी और मद में उस पैसे को खर्च कर दिया गया है ?

श्री हनुमान प्रभाकर: अभी मेरे पास जानकारी नहीं है।

(214)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी: माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। मैं आरोप लगा रहा हूं पंचायतों के विकास को अवरुद्ध किया गया है इस कांग्रेस सरकार द्वारा। पंचायतों को अकाल के समय चुकारा किया गया? आज यह किसान तड़प रहा है, एक एक व्यक्ति तड़प रहा है चुकारा नहीं किया इन्होंने, भुगतान नहीं किया गया है।

(व्यवधान)

श्री हनुमान प्रभाकर : अध्यक्ष महोदय, आपका जो आरोप है उसे स्वीकार करता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि वह दे दिया गया है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी: प्रत्येक व्यक्ति को दो रुपये पचास पैसे के हिसाब से जो पैसा मिलता है, क्या वह पंचायतों को अनुदान दिया गया है? यह मेरा स्पेसिफिक सवाल है।

श्री हनुमान प्रभाकर : हां, हां चारों किश्तें दे दी गई हैं।

श्री अध्यक्ष: श्री महाराम।

श्री महाराम चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से एक आश्वासन चाहता हूं। जो रूरल एरिया के अन्दर आपने फर्माया कि प्राथमिकता के आधार पर प्रथमता से यह काम किया जायगा। इसमें मेरा निवेदन है कि सभी एरिया, क्षेत्र को एक करके बाद में प्राथमिकता बनाना। ऐसा नहीं हो कि बगैर देखे प्राथमिकता बना दें जैसी प्राइमरी स्कूल खोलने के अन्दर आपने यह प्राथमिकता करती है।

श्री अध्यक्ष: सब एरिया देखने में तो कई वर्ष लगेंगे। श्री यदुनाथ सिंह।

श्री यदुनाथ सिंह: मैंने पी. डब्ल्यू. डी. की डिमांड पर बोलते समय कहा था टेक्निशियन्स की भी मान्यता है कि जो सीमेंट है वह हमारे देश की क्लाइमेट के लिये ठीक नहीं है। सीमेन्ट से बनने वाली बिलडिंगें जल्दी टूट रही हैं और पुराने चूने से बने हुए कार्य हैं उनको हजारों साल गुजर गये हैं। तो क्या सरकार ऐसा विचार नहीं रखती कि इस पद्धति पर फिर से विचार करे जिससे एक तरफ सीमेंट की भी कमी है, चूने का रामेटीरियल भी है, उस पर आपकी कोई विद्युत भी नहीं लगेगी? क्या इसके बारे में सरकार विचार करना चाहती है?

श्री हनुमान प्रभाकर : यह ऐसा प्रश्न है जिस पर तुरन्त मैं जवाब दे दूं जब तक अधिकारियों के साथ बैठ कर विचार न कर लूं।

श्री अध्यक्ष: लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव है। श्री रामसिंह।

श्री हनुमान प्रभाकर : महत्वपूर्ण सुझाव है इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पर मैं उत्तर नहीं दे सकूंगा।

श्री अध्यक्ष: श्री रामसिंह। ज्यादा प्रश्न नहीं होंगें। अब आप मेरी दृष्टि से बच गये।

श्री रामसिंह बिश्नोई: अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा ? क्या मौजूदा स्थिति में जो सरपंचों को टी. ए. व डी. ए. देते हैं जो तीस साल पहले के हैं, क्या आप उसको बढ़ाने का विचार रखते हैं ?

श्री हनुमान प्रभाकर : यह सुझाव आज की बहस में आया था, सुझाव पर विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री कल्ला।

श्री बुलाकी दास कल्ला: अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं नीतिगत निर्णय पांच डिवीजन मुख्यालयों की सड़कों को पी. डब्ल्यू. डी. टेक ओवर करे और इस संबंध में तीन डिवीजन मुख्यालयों की सड़कों को इस विभाग ने लिया है बाकी दो बीकानेर और जोधपुर डिवीजन के शहरों की सड़कों को कब तक टेक ओवर कर लोगे ? दूसरा प्रश्न यह है।....

श्री अध्यक्ष: लम्बे प्रश्न नहीं माननीय सदस्य।

श्री हनुमान प्रभाकर: यह प्रश्न केवल सार्वजनिक निमार्ण विभाग से संबंधित नहीं है। यह ऐसा प्रश्न है जिस पर स्वायत्त शासन विभाग के साथ बैठ कर विचार करना है। जिन नगरपालिकाओं या नगर परिषदों के साथ बैठ कर सार्वजनिक निर्माण विभाग से समझौता हो गया उनको तो ले लिया गया है। यदि कोई प्रस्ताव आयेंगे तो स्वायत्त शासन विभाग के साथ बैठ कर चर्चा करनी होगी तब निर्णय होगा।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त हुई। कृपया बिराज जाइये।

(व्यवधान)

मांगों पर मतदान। कृपया बिराज जाय। पाइन्ट आफ आर्डर भी नहीं आ सकता। आसन पैरों पर है। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा: अध्यक्ष महोदय पुलों के बारे में मन्त्री महोदय ने एक शब्द भी नहीं कहा है कि इस वर्ष पुल बनाये जायेंगे या नहीं ?

मांग संख्या 19, 21 व 41 का पारण

मांग संख्या 19

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या-19, लोक निर्माण कार्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 41,66,33,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय ?

(ध्वनि मतदान के पश्चात्)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ना पक्ष जीता।

श्री अध्यक्ष : हां पक्ष जीता।

मैं दुबारा पूछ लेता हूं।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-19, लोक निर्माण कार्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय, को

216

(श्री अध्यक्ष)

41,66,33000 रुपये तक की राशि प्रदान जाय ?

(स्वीकृत)

माग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-21

प्रश्न यह है कि मांग संख्या–21, सड़कें एवं पुल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 44,01,92,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-41

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-41, सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 6,10,30,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

सदन की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 16 मार्च, 1981 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि ८.32 बजे सोमवार, दिनांक 16 मार्च, 1981 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट संख्या–1.

तारांकित प्रश्न संख्या 237 का विवरण

टंकियों के निर्माण पर किये गये व्यय का विवरण

क्र. सं.	ग्रामों के नाम	टंकी पर व्यय	वर्ष
(1)	सलखा	8,500/–	जून, 73 तक
(2)	दामोदरा	8,500/–	जुलाई, 73 तक
(3)	कनाई	8,500/–	जून, 73 तक

पाइप लाइन बिछाने पर किये व्यय का विवरण

क्र. सं.	विवरण	व्यय	समय
(1)	साम से कनाई	4.20 लाख	मार्च, 79 तक
(2)	कनाई से दामोदरा	प्रावधान नही	—
(3)	ककाई से सलखा	कार्य नही किया गया	—

परिशिष्ट संख्या–2

तारांकित प्रश्न संख्या 243 का विवरण

राजस्थान के कारागृहों पर उपलब्ध कृषि योग्य भूमि का विवरण

कारागृह का नाम	बाउण्डरी के अन्दर भूमि	बाउण्डरी के बाहर भूमि	कृषि योग्य भूमि
केन्द्रीय कारागृह, जयपुर	9 बीघा	—	9 बीघा
........यथा........जोधपुर	12 बीघा	—	12 बीघा
........यथा........उदयपुर	4 बीघा 3 बिस्वा	—	4 बीघा 3 बिस्वा
........यथा........बीकानेर	2 बीघा	—	2 बीघा
........यथा........अजमेर	$10\frac{1}{2}$ बीघा	—	$10\frac{1}{2}$ बीघा
........यथा........			
जिला कारागृह कोटा	25 बीघा 15 बिस्वा	—	25 बीघा 15 बिस्वा
........यथा........अलवर	33 बीघा	03	36 बीघा
........यथा........भरतपुर	—	52 बीघा	52 बीघा
........यथा........टोंक	16 बीघा 16 बिस्वा	—	16 बीघा 16 बिस्वा
........यथा........भीलवाड़ा	5 बीघा 7 बिस्वा	—	5 बीघा 7 बिस्वा

कारागृह का नाम	बाउण्डरी के अन्दर भूमि	बाउण्डरी के बाहर भूमि	कृषि योग्य भूमि
केन्द्रीय कारागृह, धौलपुर	5 बीघा	—	5 बीघा
……यथा……बांसवाडा	2 बीघा	—	2 बीघा
……यथा……सिरोही	2 बीघा	—	2 बीघा
……यथा……बून्दी	—	5 बीघा	5 बीघा
……यथा……प्रतापगढ	10 बीघा	—	10 बीघा
योग	137 बीघा 11 बिस्वा	60 बीघा	197 बीघा 11 बिस्वा

वर्ष 1979–80 एवं वर्ष 1980–81 (जनवरी, 81) तक कृषि योग्य भूमि में किये गये उत्पादन का विवरण (रुपयों में)

क्र. सं.	कारागृह का नाम	वर्ष 1979–80 में उत्पादन का मूल्य	वर्ष 1980–81 मे उत्पादन का मूल्य (1.4.80 से 31.1.81
1	केन्द्रीय कारागृह, जयपुर		
2	········यथा········जोधपुर	8,234.00	11,927.00
3	········यथा········उदयपुर	2,017.00	4,251.00
4	········यथा········बीकानेर	5,313.00	5,400.00
5	········यथा········अजमेर	2,373.00	3,242.00
6	जिला कारागृह, अलवर	5,681.00	4,235.00
7	········यथा········कोटा	7,177.00	5,537.00
8	········यथा········भरतपुर	6,095.00	3,762.00
9	········यथा········टौंक	21,881.00	12,759.00
10	········यथा········धौलपुर	4,117.00	4,523.00
11	········यथा········भीलवाड़ा	—	1,113.00
		456.00	2,795.00
	योग	63,344.00	59,544.00

परिशिष्ट-3

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं किये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

राजकीय बांगड़ अस्पताल पाली के दिवंगत कम्पाउण्डर से सम्बद्ध क्लेम्स

245. श्री भैरू सिंह गुर्जर (खारची) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजकीय बांगड़ चिकित्सालय, पाली के कम्पाउण्डर स्व. श्री सम्पतराज झाला के प्रावधायी, भविष्य निधि एवं जीवन बीमा निधि की राशि प्राप्त करने का उत्तराधिकारी कौन मनोनीत था व राशि किसे दी गई ?

(2) क्या यह सही है कि मृतक के नाम की किसी प्रकार की राशि का भुगतान करना बाकी है? यदि हां, तो कब से व क्यों ?

(3) क्या मृतक की पत्नी को राज्य सेवा में नियोजित किया गया है ?

उत्तर

(1) स्व. श्री सम्पतराज झाला, कम्पाउण्डर बांगड अस्पताल पाली ने अपनी प्रावधायी भविष्य निधि एवं राज्य बीमा निधि की राशि प्राप्त करने हेतु पूर्व में अपने भ्राता को मनोनित किया तदुपरान्त उन्होंने अपनी पत्नी श्रीमती उषा झाला को मनोनीत किया। मनोनीत व्यक्ति सही कौन है यह मामला विवादग्रस्त है, जिसकी जांच के उपरान्त ही यह राशि दी जा सकेगी।

(2) जी हां। दिनांक 23-1-78 से मनोनयन की सत्यता की वजह से।

(3) जी हां।

ग्राम अलसीसर जलप्रदाय योजना

246. श्री लच्छूराम (मण्डावा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मण्डावा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम अलसीसर में जल प्रदाय योजना चालू है ?

(2) यदि हां, तो इस गांव में जिसकी आबादी 4000 है और पंचायत समिति मुख्यालय है फिर भी पानी की टंकी क्यों नहीं बनवाई गई ?

(3) सरकार अब कब तक टंकी बनाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। मण्डावा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम अलसीसर की जल प्रदाय योजना चालू है।

(2) योजना पर भू-स्तरीय जलाशय 15,000 गैलन का निर्मित किया गया था।

222

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री)

(3) धन उपलब्धि के अनुसार उच्च जलाशय का बनाया जाना सम्भव हो सकेगा ।

तहसील प्रतापगढ़ के कार्यालयों का अन्यत्र स्थानान्तरण

247. श्री नन्द लाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

: तहसील प्रतापगढ़ से वर्ष 1980 से अब तक कितने कार्यालयों को अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया गया है? स्थानान्तरण के क्या कारण हैं ?

उत्तर

तहसील प्रतापगढ़ से वर्ष 1980 में निम्न लिखित कार्यालय चित्तौडगढ़ स्थानान्तरित किये गये हैं:—

1. जिला मूल्यांकन अधिकारी

2. उप परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास

जिला मूल्यांकन अधिकारी का कार्यालय स्थानान्तरण किये जाने के निम्नलिखित कारण हैं: —

1. इसका क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण जिला है।

2. इस कार्यालय को जिला स्तर के अधिकारियों से निरन्तर सम्पर्क करना आवश्यक है।

3. इस अधिकारी का नियन्त्रण अधिकारी जिलाधीश है।

उप परियोजना अधिकारी का कार्यालय जिलाधीश की सिफारिश एवं विभिन्न अधिकारियों के कार्यों में सामंजस्य अच्छी प्रकार रखने एवं जिला चित्तौड़गढ़ के दो लघु खण्ड 1. छोटी सादडी–बड़ी सादडी 2. बेगू के कार्यों को जिलाधीश ने निर्देशानुसार सम्पूर्ण करने हेतु स्थानान्तरित किया गया है।

कोटा जिले के कैचमेन्ट क्षेत्र में निर्माणधीन कार्य

248. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले में चल रहे कैचमेंट क्षेत्र के कार्य में ड्रेनेज, पर्यवेक्षण प्रभार आदि का कार्य घटा कर कैचमेंट के कार्य को सस्ता किये जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

(2) अब सरकार कब तक यह कार्यवाही सम्पन्न करा देगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) खर्चा कम किये जाने बाबत मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

नैनवा सैकण्डरी स्कूल को क्रमोन्नत करना

249. श्री सूर्यकुमार (नैनवा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नैनवा जिला बूंदी में हाई स्कूल 1947 से कार्यरत है ? अब तक उसे हायर सैकण्डरी या कालेज स्तर में क्रमोन्न नहीं करने के क्या कारण हैं ?

(2) क्या यह सही है कि बूंदी जिले में केवल नैनवा पंचायत समिति ही ऐसी समिति है जिसमें आगे शिक्षा प्राप्त करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो अब उपर्युक्त व्यवस्था सुलभ कराने के लिए सरकार की क्या योजनायें हैं ?

उत्तर

1. जी हां । 10 जमा 2 की योजना राज्य सरकार के विचाराधीन होने से राज्य में अभी नये हायर सैकण्डरी स्कूल नहीं खोले जा रहे हैं।

2. जी हां 10 जमा 2 की योजना विचाराधीन होने के कारण कोई योजना नहीं बनाई गई है ।

अर्थाभाव के कारण विद्युत मण्डल द्वारा रेलवे स्टेशन्स से माल नहीं छुड़ाया जाना

250. 1. श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) :

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर)-

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल की आर्थिक स्थिति अत्यन्त सोचनीय होती जा रही है ? यदि हां, तो इसके सुधार हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं ।

(2) क्या यह सही है कि पैसे के अभाव में विद्युत मंडल द्वारा पूर्व में दिए गए क्रय आदेश के अन्तर्गत आये माल का भुगतान न होने की वजह से रेलवे बोर्ड वगैरह को भारी डेमरेज देना पड़ रहा है ? यदि हां, तो समय पर माल न छुड़ाने पर वर्ष 1980–81 में कितना डेमरेज मण्डल ने दिया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) इस समय किस किस स्टेशन पर किस किस मूल्य का कितना कितना माल पड़ा है जिसको विद्युत मंडल निर्धारित अवधि में छुड़वा नहीं सका ?

(4) क्या यह सही है कि रेलवे द्वारा विद्युत मण्डल को माल के नीलाम करने के भी नोटिस दिये गये ? यदि हां, तो कब और कहां कहां ?

उत्तर

(1) जी नहीं । वर्तमान में कुछ वित्तीय (केश फलो की) कठिनाइयां अवश्य हैं किन्तु विद्युत मण्डल द्वारा प्रशासनिक व्यय पर नियन्त्रण एवं नये माल की खरीद को रेगूलेट करने हेतु किए जा रहे प्रयासों से

(विद्युत मन्त्री)

इस स्थिति में सुधार अपेक्षित है।

(2) यह सही नहीं है कि केवल पैसे के अभाव की वजह से ही मण्डल को डेमरेज देना पड़ा है, क्योंकि कई मामलों में सप्लायर द्वारा क्रय आदेश के अन्तर्गत वर्णित शर्तों की पूर्णरूपेण अनुपालना नहीं करने के कारण भी माल नहीं छुड़वाया जाता है, जब तक कि उन शर्तों की पूर्ति नहीं हो जाती है तथा उस अवधि तक का डेमरेज सप्लायर को भुगतना पड़ता है। उपलब्ध सूचना के अनुसार मण्डल द्वारा वर्ष 1980–81 में करीब 1,32,398·20 रुपये की राशि का डेमरेज के रूप में भुगतान किया गया है।

(3) इस समय लगभग दो करोड़ रुपये का माल विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर पड़ा है। विद्युत मण्डल भारी मात्रा में सामान का क्रय करता है तथा रेलवे स्टेशनों पर माल का आना व छुड़वाया जाना एक निरन्तर प्रक्रिया है। अतः प्रत्येक स्टेशन पर पड़े प्रत्येक सामान का निश्चित विवरण देना कठिन है।

(4) जी हां। कुछ मामलों में रेलवे द्वारा माल नहीं छुड़ाने पर माल की नीलामी के नोटिस कोटा व जोधपुर में माह, जनवरी व फरवरी, 1981 में दिये गये थे, किन्तु कोई समान नीलाम नहीं किया गया है।

भरतपुर के किले के आसपास की भूमि के सम्बन्ध में रिपोर्ट देने हेतु गठित समिति

251. श्री हरीसिंह (कुम्हेर) : क्या मन्त्री पुरातत्व विभाग यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या 2-3 वर्ष पूर्व राज्य सरकार ने तत्कालीन विधायक श्री सुरेश कुमार शर्मा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था ? क्या उक्त समिति को भरतपुर शहर के चारों तरफ कच्चे गढ़ व पक्के किले के अन्तर्गत स्थित भूमि को ही संरक्षित स्मारक घोषित करने अथवा नहीं करने के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का कार्य सौंपा गया था ?

(2) यदि हां, तो क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई है ?

(3) यदि रिपोर्ट पेश नहीं हुई है, तो उस कार्य को पूरा करने के सम्बन्ध में सरकार का क्या विचार है ?

उत्तर

(1) जी हां

दिनांक 11–5–79 को राज्य सरकार द्वारा श्री सुरेश कुमार तत्कालीन विधायक की अध्यक्षता में भरतपुर शहर की कच्ची बाहर दीवारी एवं किले में हो रहे अनधिकृत निर्माण तथा इन संरक्षित स्मारकों के स्वरूपों के परिवर्तन के बारे में एक सलाहकार समिति का गठन किया गया था।

(2) जी नहीं।

(3) मामला विचाराधीन है।

सवाई माधोपुर में अधीक्षण अभियन्ता विद्युत मण्डल का कार्यालय खोलना।

252. श्री चुन्नीलाल (खण्डार) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार सवाईमाधोपुर में अधीक्षण अभियन्ता विद्युत मण्डल का कार्यालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक कार्यालय आरम्भ हो जावेगा ?

उत्तर

एस्टब्लिशमेंट पर होने वाले खर्चे में मितव्ययता की दृष्टि से मण्डल ने नई भर्ती पर रोक लगा रखी है। अतः फिलहाल सवाईमाधोपुर में अधीक्षक अभियन्ता का कार्यालय खोलने का विचार नहीं है।

सर्वोदय योजना

253. श्री नाथूसिह (बादी कुई) क्या अन्त्योदय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अन्त्योदय योजना को सर्वोदय योजना के रूप में परिणित कर दिया गया है ? यदि हां, तो नाम बदलने का क्या कारण है ?

(2) इस योजना की रूपरेखा क्या है और इसके अन्तर्गत कौन कौन से कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये हैं ?

उत्तर

(1) जी नहीं। इस योजना को एकीकृत ग्रामीण विकास योजना का ही एक अंग बना दिया गया है।

(2) इस योजना के अन्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक विकास खण्ड से 600 परिवारों को प्रतिवर्ष इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित करने का लक्ष्य है। कृषि, पशुपालन, लघु सिंचाई, एवं ग्रामीण दस्तकारी के माध्यमों से इन परिवारों को लाभान्वित किया जाता है।

जिला भरतपुर में डकैती की घटनायें

2.4. श्री राजबहादुर (भरतपुर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पिछले 10 सप्ताह के अन्दर भरपुर जिले में कितनी और किन किन जगह डकैती पड़ी ? उन डकैतियों में कितने और किन किन लोगों की हत्याएं हुई हैं अथवा चोटें आयी हैं और कितना नुकसान हुआ है ?

(2) क्या सरकार ने इन डकैतियों को रोकने हेतु कोई कारगर कदम उठाये हैं ? यदि हां, तो क्या ?

(3) क्या यह सही है कि ग्राम इकरन तहसील भरतपुर में जो डकैकी पड़ी उसमें एक आदमी जान से मारा गया और इकरन के संरपच, श्री मानबिहारी शर्मा की टांगों में 90 छर्रों के करीब लगे हैं और अभी भी वह अस्पताल में घायल पड़े हैं ? यदि हां, तो क्या मृतक और जख्मियों के परिवारों को कोई मुआवजा देने का राज्य सरकार ने निश्चय किया है ?

उत्तर

(1) उक्त अवधि में भरतपुर जिले में पांच डकैतियां ग्राम घोर, वेरी, अखैगढ़, मठ कंकेड़ी और ग्राम इकरन में पड़ी हैं। इन वारदातों में चार व्यक्ति मारे गये हैं

(गृह मन्त्री)

और ग्यारह घायल हुए हैं। जिनकी हत्याएं हुई हैं उनकी सूची संलग्न है। डकैतान करीब 20 हजार रुपये का माल लूट कर ले गये।

(2) जी हां। प्रभावित क्षेत्रों में रात्रि एवं दिन में गश्त एवं नाकाबन्दी बढ़ा दी गई है। उच्चाधिकारी भी गश्त हेतु लगाये गये हैं।

(3) श्री मानबिहारी शर्मा को दिनांक 21-1-81 को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। मृतक श्री शंकरलाल गडरिये की पत्नी को मुख्य मन्त्री सहायता कोष से 1500/रु० की आर्थिक सहायता दी गई है।

सूची जो लोग डकैती के दौरान जिला भरतपुर में दिनांक 1-12-80 से 15-12-81 की अवधि में मारे गये :—

(1) श्री मुसम्मात गुलकन्दी, निवासी शेर

(2) श्री भारत पुत्र रामदयाल शर्मा, निवासी अखैगढ

(3) श्री प्रीतम गुसांई, निवासी कैंकरी

(4) श्री शंकरलाल गडरिया, निवासी इकरन

दहेज प्रथा का उन्मूलन

255. श्री बाल चन्द्र आर्य वीर (डग) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृप करेंगे:—

(1) राज्य में माह अगस्त, 1980 से दिसम्बर, 1980 तक कितनी महिलाएं दहेज के मामले को लेकर मृत्यु की शिकार हुई ? कृपया पूर्ण नाम व पता सहित सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या सरकार दहेज प्रथा को समाप्त करने हेतु कोई कठोर कदम उठाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) दहेज के मामलों को लेकर इस अवधि में दो महिलाएं मृत्यु की शिकार हुई हैं जिनके नाम मय पते निम्न प्रकार हैं:—

1. श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री सुरेन्द्र कुमार कुमावत निवासी शान्तिपुरा, अजमेर।
2. श्रीमती विमला पत्नी श्री सुरेश चन्द महाजन निवासी नसीराबाद, अजमेर।

(2) जी हां। दहेज के सम्बन्ध में कानून में आवश्यक संशोधन विचाराधीन है।

जिला कोटा में औद्योगिक क्षेत्रों की जल प्रदूषण समस्या का निवारण

256. श्री हरीश शर्मा (रामगंजमण्डी): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला कोटा की रामगंज मंडी तहसील में पत्थर पॉलिश फैक्ट्रीज के सफेद तरल मलवे से नालों के पानी में प्राण-घातक प्रदूषण फैल गया है जिससे पशु कमजोर होकर मर जाते हैं ?

(2) क्या इसकी सूचना जल प्रदूषण बोर्ड को दी जा चुकी है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

(3) इस तहसील में ज्यादा जल प्रदूषण कहां कहां है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि जल प्रदूषण मंडल के पास वायु एवं जल प्रदूषण को रोकने के लिए सक्षम अधिकार एवं कानून नहीं हैं ? क्या सरकार इस मंडल को सक्षम अधिकार कानून प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या कोटा शहर में भयंकर वायु प्रदूषण है तथा मोडक रामगंजमण्डी क्षेत्र में भी मंगलम् सीमेन्ट से वायु प्रदूषण है जो प्राणघातक है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है।

(2) ऐसी कोई सूचना नहीं हैं।

(3) इस प्रकार के उद्योगों द्वारा वाहित जल में रेत और पत्थर के कण होते हैं। सूची संलग्न है।

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री)

(4) जल प्रदूषण को रोकने के लिए मण्डल के पास सक्षम अधिकार एवं कानून है परन्तु वायु प्रदूषण को रोकने के लिए नहीं है। वायु प्रदूषण की रोक के लिए अधिनियम संसद द्वारा पारित किया जा चुका है। इस कानून के विधिवत रूप से लागू होने पर ही अगली कार्यवाही संभव होगी।

(5) कोटा शहर तथा मोडक, रामगंज मण्डी क्षेत्र में स्थित मंगलम् सिमेन्ट फैक्ट्री द्वारा वायु प्रदूषण के सम्बन्ध में कानून के अभाव में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। कानून के विधिवत लागू होने पर ही उचित कार्यवाही संभव हो सकेगी।

राजस्थान राज्य जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण मण्डल
जे–2/35, महावीर मार्ग, "सी" स्कीम, जयपुर

रामगंज मण्डी (कोटा) स्थित उद्योगों की सूची जिनका निरीक्षण किया जा चुका है

क्र. सं	उद्योग का नाम	पॉलिशिंग मशीनों की संख्या	प्रदूषित जल का निस्त्राद (लगभग) लीटर्स/दिन	निपटान स्थान	सम्मति प्रार्थना पत्र दिया या नहीं एवं सम्मति की वैधता	प्रदूषित जल के उपचार संयत्र की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
	कुदायला					
1.	मै० एशोसियेटेड स्टोन इण्टस्ट्रीज	22	–	निजी जमीन	नहीं	आवश्यकता नहीं
2.	„ भारतीय पत्थर पॉलिश फैक्ट्री	4	3000	बरसाती नाला	हां (31-12-80)	सैटलिंग टैंक बना रखे हैं।

229

1.	2	3	4	5	6	7
3.	मै० ब्राइट पॉलिशर्स	4	5000	बरसती नाला	हां (31-12-80)	सैंटलिंग टैंक बना रखे हैं।
4.	,, बॉडर्न पॉलिशिंग वर्क्स	4	3000	निजि जमीन	हां (31-12-80)	आवश्यकता नहीं
5.	,, गुजराल स्टोन पॉलिशिंग फैक्ट्री	2	3000	जमीन पर	नहीं	स्थापित नहीं किया
6.	,, रामगंज मण्डी स्टोन पॉलिशिंग फैक्ट्री	2	3000	,, ,,	,,	,, ,, ,,
7.	,, साबिर हुसैन प्रमोद कुमार स्टोन पॉलिशिंग फैक्ट्री	2	3000	,, ,,	,,	,, ,, ,,
8.	,, कमल स्टोन कम्पनी	2	2500	,, ,,	हां (31-12-80)	,, ,, ,,
	मायला					
9.	मै० जे. एस पटेल एण्ड कम्पनी	4	2000	जमीन पर	हां (31-12-80)	स्थापित नहीं किया
	ढाबादेह					
10.	,, जैन पॉलिशिंग फैक्ट्री	2	3000	बरसाती नाला	हां (31-3-80)	,, ,, ,,
11.	,, रतन फ्लोरिंग फैक्ट्री	–	2050	जमीन पर	हां (31-12-81)	गड्ढे में

1	2	3	4	5	6	7
12.	मै० मोदी फ्लोरिंग स्टोन कम्पनी	8	—	बरसाती नाला	नहीं	स्थापित नहीं किया
13.	„ सुलतान अख्तर स्टोन पॉलिशिंग कम्पनी	8	—	„ „	नहीं	„ „ „
14.	ज्ञान सिंह स्टोन पॉलिशिंग कम्पनी	4	—	„ „	नहीं	„ „ „
15.	„ पीर खां चांद खां स्टोन पॉलिशिंग कम्पनी	8	16000	निजी जमीन	नहीं	आवश्यकता नहीं
16.	„ नसीरुद्दीन स्टोन पॉलिशिंग कम्पनी	4	—	बरसाती नाला	नहीं	स्थापित नहीं किया
17.	„ कुलदीप सिंह ज्ञान सिंह पॉलिशिंग फैक्ट्री सुकेत	6	—	„ „	„	„ „ „
18.	„ डिलाइट स्टोन पॉलिशिंग फैक्ट्री	2	3000	निजी जमीन	नहीं	आवश्यकता नहीं (सैटलिंग टैंक बना रखा है)
19.	„ सेफ स्टोन पॉलिशिंग फैक्ट्री	2	1500	„ „	हां (31-12-80)	„ „ „
20.	„ गोल्डन पॉलिशिंग फैक्ट्री	2	—	„ „	नहीं	„ „ „
21.	„ जरीन बेगम स्टोन पॉलिशिंग फैक्ट्री	2	—	जमीन पर	„	स्थापित नहीं किया
22.	„ अलानूर पॉलिशिंग फैक्ट्री	2	—	„ „	„	„ „ „
23.	„ चिश्तीया महाबली स्टोन फैक्ट्री	2	—	निजी जमीन	„	आवश्यकता नहीं
24.	„ खण्डेलवाल स्टोन पॉलिशिंग फैक्ट्री	4	—	„ „	„	„ „

1	2	3	4	5	6	7
25.	मै० सपना स्टोन पॉलिशिंग फैक्ट्री कुम्भकोट	2	—	जमीन पर	नहीं	स्थापित नहीं किया
26.	मै० रणजीत स्टोन पॉलिशिंग फैक्ट्री साखलखेडी	2	—	जमीन पर	नहीं	स्थापित नहीं किया
27.	मै० घतरा फाई स्टोन पॉलिशिंग फैक्ट्री	4	—	निजी जमीन	नहीं	आवश्यकता नहीं

233

राजस्थान राज्य जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण मण्डल,
जे-2/35, महावीर मार्ग सी-स्कीम, जयपुर

रामगंज मण्डी तहसील, कोटा में स्थित स्टोन पॉलिशिंग फैक्ट्रियों की सूची जिनका निरीक्षण अभी शेष है ।

1.	मेसर्स खालसा स्टोन पॉलिशिंग फैक्ट्री		कुदायला
2.	,, ब्लयु स्टार स्टोन पॉलिशिंग	"रीको एरिया,	"कुदायला
3.	,, अशोक स्टोन पॉलिश		कुदायला
4.	,, कुलबीर स्टोन पॉलिश	"रीको एरिया,	"कुदायल
5.	,, आशार स्टोन पॉलिश	,,	,,
6.	,, भाटीया स्टोन पॉलिश	,,	,,
7.	,, हजूर अहमद स्टोन पॉलिश	,,	,,
8.	,, याकुब अली, स्टोन पॉलिश	,,	,,
9.	,, गोपाल स्टोन पॉलिश	,,	,,
10.	,, गोयल स्टोन पॉलिश	,,	,,
11.	,, मुन्ना भाई पॉलिश फैक्ट्री	सुकेत	
12.	,, निशात मोहम्मद नसीर मोहम्मद पॉलिश फैक्ट्री	,,	
13.	,, अमर स्टोन पॉलिश फैक्ट्री	,,	
14.	,, जाविद अहमद रफीक अहमद पॉलिश फैक्ट्री	,,	
15.	,, एफज ट्रेडिंग कारपोरेशन पॉलिश फैक्ट्री	,,	
16.	,, मोहम्मद अहमद नन्हे खां पॉलिशिंग फैक्ट्री	ढाबा देह	
17.	,, मेव पॉलिशिंग फैक्ट्री	,,	
18.	,, अब्दुल समद लाड खां पॉलिशिंग फैक्ट्री	,,	
19.	,, रामजी दास रामरिछपाल सिंह स्टोन पॉलिशिंग	,,	
20.	,, बाबू लाइम स्टोन फैक्ट्री	,,	
21.	,, हरमेन्द्र सिंह ज्ञान सिंह पॉलिशिंग कम्पनी	,,	
22.	,, कुलदीप सिंह ज्ञान सिंह पॉलिशिंग कम्पनी	,,	
23.	,, नसीर मोहम्मद अल्लानूर खां स्टोन पॉलिशिंग कम्पनी	,,	
24.	,, मेसेज स्टोन पॉलिशिंग फैक्ट्री	,,	
25.	,, लक्की स्टोन पॉलिशिंग फैक्ट्री	,,	
26.	,, अली एण्ड हरी पॉलिशिंग फैक्ट्री	,,	
27.	,, ज्ञान चन्द राम गोपाल पॉलिश फैक्ट्री	,,	

28.	मैसर्स शोकत अली खां पॉलिश फैक्ट्री	ढाबा देह
29.	,, कन्हैया लाल जमना लाल पॉलिश फैक्ट्री	,,
30.	,, झाला स्टोन पॉलिशिंग फैक्ट्री	,,
31.	,, मकसूद पॉलिश फैक्ट्री	दरा
32.	,, मारल मैटल एण्ड मिनरल्स कारपोरेशन	मोडक

वर्ष 1980 में सिचाई योजनाओं हेतु प्रावधानित राशि

257. श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सिंचाई योजनाओं हेतु आलोच्य वर्ष 1980 में कितनी राशि का प्रावधान रखा गया था ?

(2) इन योजनाओं हेतु भारत सरकार की ओर से कितनी सहायता राशि उपलब्ध करायी गई ?

(3) अभी तक कितनी राशि का उपयोग किया जा चुका है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1980-81 का मूल प्रावधान 8218.75 लाख था। इसके बाद संशोधित प्रावधान 7158.43 लाख रुपये का है।

(2) मूल प्रावधानों के अनुसार यह राशि 387.77 लाख रुपये की थी। इसके अलावा 300 लाख रुपये अग्रिम योजना सहायता के तहत उपलब्ध थे। संशोधित प्रावधानों के अनुसार यह राशि 194.45 लाख रुपये की थी। इसके अतिरिक्त अग्रिम योजना सहायता के अन्तर्गत 456.31 लाख रुपये की राशि का प्रावधान है।

(3) माह दिसम्बर, 80 तक 3942.36 लाख रुपये की राशि खर्च हुई।

जिला चूरू में काम के बदले अनाज योजना के क्रियान्वयन के संदर्भ में सरपंचों के विरुद्ध शिकायतें

258. श्री रेवतराम चौधरी (डूंगरगढ़) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि गत तीन वर्षों में काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत चूरू जिले में सरपंचों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई थीं ? यदि हां, तो कितने सरपंचों के विरुद्ध शिकायतें आईं एवं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? कृपया सरपंचों के नाम एवं ग्राम पंचायतों की सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

जी हां।

काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत चूरू जिले के 17 सरपंचों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई थीं। जिनमें से एक में आरोप पत्र दिया जा चुका है व विस्तृत जांच के लिये जांच अधिकारी भी 26-4-82 को नियुक्त किया जा चुका है। जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

शेष 16 शिकायतों को जिला स्तर पर प्रारम्भिक जांच के लिये भेजा गया है और अभी तक प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। उपरोक्त 17 सरपंचों एवं पंचायतों की सूचना संलग्न है।

258

सूची पंचायतों की जिनके विरूद्ध जांच जिला स्तर पर चल रही है।

जिला चूरू

क्र. सं. नाम सरपंच	ग्राम पंचायत
1–श्री भंवर लाल सरपंच	जैतसीसर
2–,, दानाराम	रूपलीसर
3–,, कुबेरसिंह	साडासर
4–,, ओमप्रकाश	गालड
5–,, सोहन	धनाऊ
6–,, मेघसिंह	खारिया कानसाम
7–,, किनकसिंह	जसरासर
8–,, पूनमचन्द गौड	पडिहारा
,,दानाराम उ १ सरपंच	,,
9–,, हरचन्द राम सरपंच	लाखल
10–,, लिछमन राम	सूडसर
11–,, प्रभूराम गोदारा	उपनी
12–,, श्री राम	बिग्गा
13–,,करणीसिंह	भोजासर छोटा
14–,, मेघाराम सरपंच	मुरडकिया
15–,, रामचन्द सुथार	बीकमसरा
16–,, घेरोराम	पिचकराइयाल
17–,,विमलसिंह	झाडसर छोटा

—oo—

उदयपुर वाटी में कृषि उपज मंडी स्थापित करना

259. श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढ़ा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर-वाटी जिला झुंझुनू में कृषि उपज मंडी समिति स्थापित करने की योजना राजपत्र में अधिसूचित हो चुकी है ?

(2) यदि हां, तो अब इस योजना की क्या प्रगति है ? कृपया इस योजना की पूरी रूप रेखा सदन की मेज पर रखें।

(3) इस योजना को कब तक पूरा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) राजपत्र में विज्ञप्ति जारी होने के पश्चात् राज्य सरकार ने दिनांक 27.10.80 को मण्डी समिति स्थापित होने से पूर्व इस मण्डी समिति क्षेत्र के पास की मण्डी समिति में विलीन करने का निर्णय लिया है। इस क्षेत्र को किस मण्डी समिति के क्षेत्र में सम्मिलित किया जाना है उस हेतु सर्वेक्षण कराया जा रहा है।

(3) सर्वेक्षण के पश्चात् ही अग्रिम कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

परिशिष्ट 4

तारांकित प्रश्न संख्या 233 की सूची

क्र.सं.	ग्रुप सचिव का नाम	स्थानान्तरण करने वाले विभाग का नाम	पं. स. का नाम जहां से स्थानान्तरण किया गया	पं.स. का नाम जहां स्थानान्तरण किया गया	आदेश का दिनांक
1	2	3	4	5	6
1.	श्री अर्जुनसिंह	सामु. विकास एवं पंचायत विभाग	रायपुर (भीलवाड़ा)	धोंद (सीकर)	7--8--80
2.	श्री जग्गाराम	,, ,,	जैतारण (पाली)	बनेड़ा (भीलवाड़ा)	11--7--80
3.	श्री रामलाल कहार	,, ,,	गिर्वा (उदयपुर)	जहाजपुर (भीलवाड़ा)	16--7--80

1	2	3	4	5	6
4.	श्री रामस्वरूप शर्मा	सामु. विकास एवं पंचायत विभाग	हुरडा (भीलवाड़ा)	राजगढ (अलवर)	22–7–80
5.	श्री इन्द्रमल मूंदडा	,, ,,	गिर्वा (उदयपुर)	आसिन्द (भीलवाड़ा)	5–8–80
6.	श्री पूरनसिंह	जिला परिषद भीलवाड़ा	जहाजपुर (भीलवाड़ा)	मांडलगढ (भीलवाड़ा)	6–9–80
7.	श्री हीरालाल बलाई	,, ,,	कोटडी (भीलवाड़ा)	बनेडा (भीलवाड़ा)	14–7–80
8.	श्री बालूराम सोनी	,, ,,	बनेड़ा (भीलवाड़ा)	कोटडी (भीलवाड़ा)	14–7–80

जिला भीलवाड़ा की पं. स. में किये गये स्थानान्तरण का विवरण

9.	श्री पन्नालाल	सामु. विकास एवं पंचायत विभाग	सुंवाना	आसिन्दे	23–5–79
10.	श्री पन्नालाल	विकास अधिकारी द्वारा	पान्सल (सुवाना)	काहा (सुवाना)	26–5–79
11.	श्री पन्नालाल	सामु. विकास एवं पंचायत विभाग	पान्सल (सुवाना)	---	23–6–79

1	2	3	4	5	6
12.	श्री पन्नालाल	जिला परिषद	पान्सल (सुवाना)	शाहपुरा (भीलवाड़ा)	5--10--79
13.	श्री पन्नालाल	सामु. विकास एवं पंचायत विभाग	शाहपुरा (भीलवाड़ा)	पान्सल (सुवाना)	25--1--80
14.	श्री फतहसिंह	विकास अधिकारी	भोपालगढ़ (सुवाना)	पान्सल (सुवाना)	25--4--80
15.	श्री पन्नालाल	विकास अधिकारी	पान्सल (सुवाना)	स्वरूपगंज (सुवाना)	10--9--80
16.	श्री राजेन्द्रसिंह	,, ,,	स्वरूपगंज (सुवाना)	रूपाहेली (सुवाना)	10--9--80
17.	श्री गणपतलाल	,, ,,	रूपाहेली (सुवाना)	भोपालगढ़ (सुवाना)	10--9--80
18.	श्री बाबूराम	,, ,,	लूलास (बनेड़ा)	बेरा (बनेड़ा)	29--1--81
19.	श्री भैरूलाल	,, ,,	बेरा (बनेड़ा)	लूलास (बनेड़ा)	29--1--81
20.	श्री रामेश्वरलाल शर्मा	,, ,, ,, ,,	इटून्दा (जहाजपुर)	शक्करगढ़ (जहाजपुर)	29--1--81

1	2	3	4	5	6
21.	श्री रामेश्वरलाल सैन	विकास अधिकारी	शक्करगढ (जहाजपुर)	पीपलूद (जहाजपुर)	29--1--81
22.	श्री मोहम्मद हुसैन	,, ,,	तस्वारिया (हुरड़ा)	खजडी (हुरड़ा)	29--1--81

(242)

जिला भीलवाड़ा में विकास अधिकारियों के किये गये स्थानान्तरण की सूची

माण्डलगढ़

क्र.सं.	विकास अधिकारी का नाम	कब से	कब तक
1.	श्री महेन्द्रसिंह	4-2-77	7-2-80
2.	,, सुबेसिंह डांगा	7-2-80	3-10-80
3.	,, घूपनारायण पाण्डे	3-10-80	14-10-80
4.	,, अजयपालसिंह	5-11-80	24-11-80
5.	,, गणेश नायण अटल	17-12-80	निरन्तर

माण्डल

1.	श्री नन्दलाल अजमेरा	8-12-78	18-7-79
2.	श्री मीठूलाल सांखला	18-7-79	8-7-80
3.	श्री दिलीपसिंह यादव	19-7-80	5-11-80
4.	श्री शांतिलाल पाटनी	5-11-80	निरन्तर

शाहपुरा

1.	श्री मिट्ठन सिंह	8-12-78	8-7-80
2.	श्री मिट्ठन सिंह	11-7-80	19-7-80
3.	श्री गुलाबचन्द वर्मा	26-9-80	5-11-80
4.	श्री शिवदयाल सोनी	5-11-80	25-11-80
5.	श्री गुलाबचन्द वर्मा	25-11-80	निरन्तर

सुवाणा

1.	श्री अमरीशकुमार दीक्षित	12-6-79	12-12-79
2.	श्री मथुरालाल	7-2-80	11-7-80
3.	श्री शान्तीलाल पाटणी	15-7-80	5-11-80
4.	श्री मीठूलाल सांखला	6-11-80	29-1-81

क.सं.	विकास अधिकारी का नाम	कब से	कब तक
5.	श्री श्यामसुन्दर भट्ट	7–1–81	29–1–81
6.	श्री दुर्गविजय राय	29–1–81	6–3–81
7.	श्री श्यामसुन्दर भट्ट	7–3–81	निरन्तर
आसीन्द			
1.	श्री बिहारीदान सिंह	16–6–79	18–7–79
2.	श्री अजयसिंह सेंगर	18–8–79	1–9–79
3.	श्री प्रेमसिंह	7–2–80	8–7–80
4.	श्री मदनलाल जोशी	8–10–80	23–10–80
5.	श्री घनश्याम शर्मा	23–10–80	निरन्तर
हुरड़ा			
1.	श्री कलेश्वर शंकर माथुर	16–6–79	18–7–79
2.	श्री ताराशंकर पिपाड़ा	18–7–79	10–1–80
3.	श्री सूरजमल	7–2–80	16–7–80
4.	श्री मीठूलाल सांखला	16–7–80	26–9–80
5.	श्री सौभाग रूपराय	26–9–80	निरन्तर
बनेड़ा			
1.	श्री कुंजबिहारीलाल अग्रवाल	13–6–79	7–2–80
2.	श्री देवादत्त	7–2–80	26–9–80
3.	श्री प्रेमसिंह	26–9–80	निरन्तर
जहाजपुर			
1.	श्री ईश्वरलाल	16–6–79	17–8–79
2.	श्री लुम्बराज	17–8–79	31–12–79
3.	महेन्द्रसिंह	7–2–80	16–7–80
4.	श्री बालमुकुन्द	16–7–80	25–10–80

क.सं.	विकास अधिकारी का नाम	कब से	कब तक
5.	श्री दुर्गीविजयराय	5–11–80	26–11–80
6.	श्री बालमुकुन्द	26-11-80	12-12-80
7.	श्री रामकिशन जागोटिया	22-12-80	25-2-81
8.	श्री बालमुकुन्द	25-2-81	निरन्तर
कोटड़ी			
1.	श्री मिठूलाल सांडाला	3-12-77	18-7-79
2.	श्री गोपाल	18-7-79	26-9-80
3.	श्री मदनलालजोशी	27-9-80	8-10-80
4.	श्री मदनलाल जोशी	23-10-80	निरन्तर
रायपुर			
1.	श्री वीरेन्द्रकुमार जैन	16-6-79	10-1-80
2.	श्री राधेश्याम भावन	28-2-80	निरन्तर
सहाड़ा			
1.	श्री नन्दलाल अजमेरा	3-7-79	18-7-79
2.	श्री भंवरलाल महेश्वरी	8-12-79	निरन्तर

परिशिष्ट संख्या – 5

अतारांकित प्रश्न संख्या 239 की रिपोर्ट

प्रतिलिपि प्रथम सूचना नं० 44/80 धारा 409,420 ता० हि० पुलिस थाना किशनगंज जिला कोटा विरूद्ध श्री हरदीपसिंह सरपंच ग्राम पंचायत रेलावन पंचायत समिति किशनगंज (कोटा) ओर से श्री डालसिंह विकास अधिकारी पंचायत समिति किशनगंज (कोटा)।

सरपंच, श्री हरदीशसिंह द्वारा काम के बदले अनाज योजना के तहत की गई अनियमितताओं की जांच के क्रम में श्रीमान् जिला विकास अधिकारी कोटा ने अपने पत्र क्रमांक विकास/पीए०/4307 जून 10/18, 1980 द्वारा जांच प्रतिवेदन की एक प्रति भेज कर जो कि संलग्न-1 मुझे निर्देश दिया है कि श्री हरदीशसिंह सरपंच ग्रा० पं० रेलावन के विरूद्ध एफ०आई०आर० दर्ज कराई जावे। अतः उनके विरूद्ध निम्न एफ०आई०आर० दर्ज कर कार्यवाही करने का कष्ट करें। सरकार के काम के बदले अनाज नवम्बर, 1978 में सरकार द्वारा चलाई गई थी जिनके तहत सरपंचों द्वारा ग्रामीण विकास कार्य कराये गये थे। उन कार्यों के लिए सरपंचों के जरिये मजदूरों को काम के बदले में मजदूरी का अनाज दिया गया था। इस योजना के अन्तर्गत ग्रा०पं० रेलावन पं०सं० शाहवाद के सरपंच श्री हरदीपसिंह ने अपनी पंचायत क्षेत्र के विभिन्न गावों में प्रत्येक कार्य जैसे नं० 1-ग्राम रेलावन में औषधालय भवन का निर्माण 2-ग्राम सौभागपुरा में अधूरे पड़े स्कूल को पूरा करने का कार्य 3-ग्राम रेलावन मे पंचायत घर को पूरा करने का कार्य 4-ग्राम सौभागपुरा में खरंजा एवं पुलिया निर्माण कार्य 5-ग्राम कंवरपुरा में खरंजा निर्माण 6-ग्राम फागट में खरंजा का निर्माण 7-ग्राम बाजपुरा में मस्जिद पर खरंजा निर्माण आदि कार्य कराये थे जिनके बाबत सरपंच को राज्य सरकार ने अधिकारियों द्वारा 2400 बोरियां गेहूं दिये थे। जिनके ग्राम पंचायत रेलावन के सरपंच श्री हरदीपसिंह ने मजदूरों के फर्जी अंगूठे दस्तखत करके मस्टरोलों को फर्जी भर कर स्वयं अपने आप ही भुगतान कर लिया। यह भुगतान जो सरपंच द्वारा किया गया है यह मूल्यांकित राशि जिसका जांच अधिकारी ने मूल्यांकन किया है से कई गुना अधिक है। जबकि उक्त सरपंच ने कुछ कार्य श्रमदान के रूप में कराया है। श्रमदान के रूप में कार्य करने वाले व्यक्तियों के नाम भी मस्टरोलों में दर्ज हैं जबकि मोहन पुत्र भैरूनाथ ग्राम सौभागपुरा, श्री रामप्रताप पुत्र घासीलाल उप सरपंच, सौभागपुरा ने अपने द्वारा श्रमदान करना बताते हैं एवं एक व्यक्ति का नाम एक ही दिन में कई कई मस्टरोलों में दर्ज किया गया है, जैसे दिसम्बर, 78 की मस्टरोल में 42-42, 41, 83, 45-58 में जग्गू पुत्र सोहनिया का नाम केदार लाल पुत्र बालचन्द महाजन का नाम, जनवरी, 79 को मस्टरोल नं० 45-47, 45, 50, 45-57 में दर्ज है तथा भैरू पुत्र केशू का नाम मार्च की मस्टरोल सं० 62-70, 62-73, 62-74 में भी लिखा गया है एवं अन्य व्यक्तियों के नाम भी कई मस्टरोलों में दर्ज हैं, इस प्रकार उक्त सरपंच ने मनमानी कार्य कर के राज्य सरकार के धन का जान बूझकर बेईमानी पूर्ण इरादे से दुरुपयोग किया है, इस बात का साक्ष्य रिकार्ड पर उपलब्ध है। जसवन्तसिंह पुत्र ध्रुवसिंह

240

राजपूत नि० पीपल्दा तथा उपरोक्त व्यक्तियों ने भी बतलाया है। अतः रिपोर्ट दर्ज करके दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावे। प्राप्त जांच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न है। प्र० सं० 7 भी संलग्न है एक जांच रिपोर्ट मय तालिका 4(1) से 4(5) एस० डी० डालसिह गोदारा विकास अधिकारी प० सं० किशनगंज जिला कोटा।

कार्यवाही पुलिस

रिपोर्ट तहरीरी की नकल हरफज इरफ सही दर्ज की गई प्रार्थी को पढ़कर सुनाई गई सही तस्लीम किया मजबून रिपोर्ट से मामला जुर्म दफा 409, 420 ता० हि का चूक में आना पाया जाता है, अतः मु० नं० 44/80 मजबून में कायम कर तफसीश मुझ एस०एच०ओ० ने शुरू की। नकल प्रार्थी को दी गई। एस०डी० मांगूसिंह एस०एच०ओ० किशनगंज।

एस०डी०
डालसिह गोदारा

परिशिष्ट 6

सूची (अ)

(अतारांकित प्रश्न संख्या 241 की सूची)

वर्ष 1980–81 में वृत्तवार जले हुए

ट्रांसफार्मर्स की सूची (1 अप्रेल, 80 से 31 जनवरी '81 तक)

वृत्त	ट्रांसफार्मर जलने की तारीख	जले हुए ट्रांसफार्मर की क्षमता	ट्रांसफार्मर बदलने की तारीख	जलने का स्थान
1	2	3	4	5
अलवर	25/6/80	63 के. वी. ए.	26/6/80	जोधपुरा
	19/6/80	1 एम.वी.ए.	20/6/80	ईटाराना
	26/7/80	100 के.वी.ए.	28/7/80	,,
	1/4/80	,,	2/4/80	जाजोर
	3/5/80	,,	5/5/50	नंगलांवजरका
	11/6/80	1 एम.वी.ए.	13/6/80	रामगढ़
	13/10/80	25 के. वी. ए.	14/10/80	बसईबालू
	9/11/80	100 के. वी. ए.	11/11/80	जगताबासी
	27/10/80	,,	27/10/80	खुदनपुरी
	31/12/80	,,	5/1/81	बगड़मेव
	16/12/80	,,	18/12/80	मिलकपुर
	31/5/80	50 के. वी ए.	31/5/80	कफनवाड़ा
	2/7/80	25 ,,	2/7/80	,,
	2/7/80	25 ,,	3/7/80	,,
	25/7/80	25 ,,	26/7/80	खेड़ली चन्द्रावत
	3/8/80	100 के. वी. ए.	3/8/80	रेणी
	26/10/80	100 ,,	30/10/80	इसवाना
	11/5/80	100 ,,	11/5/80	—
	,,	25 ,,	11/5/80	—
	29/5/80	50 ,,	31/5/80	—
	3/5/80	25 ,,	5/5/80	चांदोचाना
	20/5/80	100 ,,	21/5/80	बर्डोदा
	31/5/80	25 ,,	2/6/80	कल्याणपुर
	19/5/80	100 ,,	21/5/80	डुडियाखुर्द

(248)

1	2	3	4	5
अलवर	1/6/80	63 के.वी.ए	2/6/80	बावडी
	5/6/80	25 ,,	6/6/80	परतापुर
	19/5/80	100 ,,	22/5/80	डुमडी
	28/6/80	25 ,,	29/6/80	ऊंटोली
	26/12/80	100 ,,	30/12/80	बड़वाल
	3/4/80	63 ,,	4/4/80	माली
	1/4 80	100 ,,	2/4/80	रानोथ
	30/4/80	63 ,,	1/5/80	मंडोजाबसई
	29/5/80	25 ,,	1/6/80	हुरसोरा
	23/5/80	25 ,,	24/5/80	इंद्राडा
	6/6/80	100 ,,	8/6/80	होलावास
	8/6/80	25 ,,	10/6/80	अनन्तपुरा
	27/7/80	63 ,,	29/7/80	खोरो
	6/10/80	25 ,,	8/10/80	तलवास
	28/5/80	63 के. वी.ए.	29/5/80	नारायणकंटला
	2/12/80	25 के. वी.ए.	4/12/80	कोठला
	30/5/80	25 ,,	1/6/80	केरवाडी
	29/9/80	100 ,,	30/9/80	पूनखर
	9/5/80	25 ,,	10/9/80	खूटटीकंला
	9/5/80	25 ,,	10/5/80	पाली
	13/5/80	25 ,,	15/5/80	बालों
	13/4/80	63 ,,	15/4/80	तसई
	6/1/81	25 ,,	8/1/81	सिकारी
	1/7/80	500 ,,	2/7/80	जी.एस.एस. धौलपुर
	24/4/80	50 ,,	2/5/80	पहाड़ी
	16/5/80	50 ,,	20/5/80	अजीतपुरा
	28/5/80	25 ,,	31/5/80	घनेडी
	13/6/80	63 ,,	15/6/80	बामनवाडी
अलवर	20/8/80	63 के.वी.ए.	23/8/80	बरोली डहर
	18/9/80	25 ,,	19/9/80	उडाका
अजमेर वृत्त	16/5/80	1 एम.वी ए.	24/5/80	गनहेडा
	5/11/80	100 के.वी.ए.	5/11/80	कडक्का चौक

1	2	3	4	5
अजमेर वृत्त	7/11/80	100 के.वी.ए.	7/11/80	बिहारीगंज
	8/11/80	100 ,,	8/11/80	खाईलेन्ड मार्केट
	22/11/80	100 ,,	22/11/80	श्री टाकीज
	10/11/80	100 ,,	10/11/80	अजयनगर
	7/6/80	530 के.वी.ए.	7/6/80	ब्यावर छावनी
	15/6/80	63 ,,	16/6/80	मालीपुरा
	1/7/80	25 ,,	1/7/80	नरबद खेड़ा
	18/7/80	25 ,,	19/7/80	पारा
	30/7/80	100 ,,	30/7/80	सदारा
	16/8/80	25 ,,	16/8/80	शेरगढ़
	18/8/80	25 ,,	18/8/80	दौलतपुरा
	22/8/80	63 ,,	22/8/80	केशरपुरा
	28/7/80	25 ,,	29/7/80	हरसीलाल
	30/7/80	25 ,,	31/7/80	छापरी
	2/10/80	25 ,,	4/10/80	हरसोलाव
	13/12/80	63 ,,	14/12/80	लाम्बा
	15/11/80	25 ,,	16/11/80	छापरी
	22/12/80	63 ,,	23/12/80	लूणियास
	24/12/80	100 ,,	25/12/80	लाम्बा
	26/12/80	63 ,,	27/12/80	इन्दावड
	4/1/81	100 ,,	5/1/81	कलर
	16/4/80	63 के.वी.ए.	17/4/80	ढांगावास
	15/5/80	100 ,,	17/5/80	गंठीया
	16/5/90	63 ,,	17/5/80	डांगावास
	8/6/80	25 ,,	9/6/80	डांगावास
	2/8/80	63 ,,	4/8/80	केरियामाकरा
	17/8/80	25 ,,	18/8/80	गगराना
	29/8/80	100 ,,	30/8/80	डांगावास
	1/9/80	25 ,,	5/9/80	बायर
	3/9/80	25 ,,	5/9/80	,,
	14/10/80	63 ,,	15/10/80	,,

1	2	3	4	5
अजमेर वृत्त	3/11/80	25 के.वी.ए.	5/11/80	पादुकलाम
	5/11/80	25 ,,	7/11/80	दागावास
	24/11/80	63 ,,	25/11/80	डागावास
	16/12/80	25 ,,	18/12/80	,,
	14/12/80	100 ,,	15/12/80	पादूकलाम
	18/12/80	100 ,,	20/12/80	बिठन
	17/12/80	100 ,,	18/12/80	मेडतासिटी
	20/12/80	50 ,,	21/12/80	मेडतासिटी
	26/12/80	63 ,,	27/12/80	डागावास
	27/12/80	25 ,,	28/12/80	मेडतासिटी
	13/4/80	63 ,,	18/4/80	जरखकंला
	15/4/80	25 ,,	21/4/80	लीलिया
	15/6/80	100 ,,	18/6/80	लेढ़वा
	11/7/80	63 ,,	16/7/80	जाटावास
	27/8/80	100 ,,	2/9/80	रियाबड़ी
	4/10/80	100 ,,	5/10/80	जाटावास
	8/11/80	50 ,,	9/11/80	जरखकंकला
	16/11/80	63 ,,	16/11/70	जसनगर
	20/12/80	25 ,,	21/12/50	सुरपुरा
	25/1/81	100 ,,	27/1/81	रियाबड़ी
	17/6/80	50 ,,	19/6/80	लाडंव
	3/7/80	100 ,,	4/7/80	कुरकी
	22/7/80	63 ,,	23/7/80	अलनियावास
	26/7/80	63 ,,	27/7/80	अलनियावास
	13/8/80	100 ,,	14/8/80	,,
	12/9/80	100 "	14/9/80	रोहिसा
	29/9/80	63 "	30/9/80	कोडिया
	18/4/80	25 के.वी.ए	19/4/80	मोडीकलां
	14/4/80	63 "	15/4/80	थावला
	4/6/80	100 "	6/6/80	फुन्डलोता
	5/6/80	25 "	7/6/90	वाजोली

1	2	3	4	5
अजमेर वृत्त	21/6/80	25 के.वी.ए.	22/6/80	गुढा
	10/7/80	25 "	11/7/80	गोल
	11/7/80	25 "	12/7/80	नीमडीकोटरिया
	21/7/80	25 "	22/7/80	बाजोली
	16/8/80	100 "	17/8/80	निम्बोलाबिसवा
	16/8/80	25 "	17/8/80	किरड
	21/8/80	63 "	22/8/80	इटावालाखा
	29/10/80	63 "	30/10/80	रेहला
	19/11/80	25 "	20/11/80	पुण्डलोता
	11/4/80	63 "	19/4/80	बडीखाटू
	11/6/80	25 "	12/6/80	धनकोली
	25/6/80	25 "	28/6/80	बनसा
	25/6/80	25 "	28/6/80	लाडरिया
	25/6/80	25 "	29/6/80	लाडरिया
	4/7/80	25 "	5/7/80	डीडवाना
	4/7/80	25 "	6/7/80	झरोड
	29/6/80	25 "	30/6/80	नीमोद
	28/6/80	25 "	30/6/80	रसीदपुरा
	31/7/80	25 "	6/8/80	मोलासर
	26/8/80	63 "	28/8/80	नीमोद
	1/9/80	50 "	4/9/80	आकोडा
	12/10/80	25 "	15/10/80	चोलूबा
	31/10/80	100 "	31/10/80	आलखपुरा
	6/11/80	100 "	7/11/80	डीडवाना
	5/12/80	50 "	7/12/80	जतनपुरा
	13/1/81	25 "	16/1/81	बासा
	23/1/81	63 "	27/1/81	बेगसर
	23/1/81	63 "	27/1/81	डाबडा
	27/1/81	100 "	23/2/81	नूनवा
	20/1/81	100 "	31/1/81	जेवलियावास
	29/1/81	100 "	30/1/81	छोटीखाटू
	28/6/80	25 "	28/6/80	लाडनू (कृषि)
	19/6/80	25 "	29/6/80	लाडनू
	7/7/80	25 "	9/7/80	दीजार

1	2	3	4	5
अजमेर वृत्त	28/7/80	0 के.वी.ए.	1/8/80	फिरवासी
	13/8/80	25 "	15/8/80	लाडनू
	7/11/80	100 "	7/11/80	लाडनू
	18/7/80	63 "	19/7/80	जायल
	23/10/80	25 "	21/10/80	डूगोली
	30/7/80	100 "	31/7/80	चीनार
	26/8/80	63 "	27/8/80	तोषर
	12/8/80	25 "	14/8/80	चीनार
	15/7/80	25 "	16/7/80	तोषर
	5/5/80	100 "	6/5/80	नागौर
	10/5/80	25 "	15/5/80	पाडेली
	2/7/80	50 "	5/7/80	झूंझला
	6/7/80	100 "	7/7/80	कसनऊ
	5/7/80	63 "	9/7/80	राल
	2/8/80	25 "	2/8/80	राल
	25/11/80	100 "	26/11/80	नागौर
	3/1/81	100 "	3/1/81	नागौर
	3/1/81	100 "	3/1/81	डेहरी
	13/4/80	100 "	16/4/80	कुचेरा
	2/12/80	100 "	3/12/80	कुचेरा
	19/1/80	100 "	20/1/80	कुचेरा
	25/1/81	63 "	26/1/81	कुचेरा
कोटा वृत्त	24/5/80	1 एम.वी.ए.	11 के.वी. स.माधोपुर-भरुन्डा लाइन पर चालू है	भावरादखुर्द
	8/10/80	63 के.वी.ए.	" " 8/10/80	गम्भीरा (बोली)
	14/4/80	1500 के.वी.ए.	50 एम.वी.ए. पर लेलिया	दादाबाडी
	13/5/80	100 "	13/5/80	लसूरिया
	6/8/80	500 "	8/12/80	बपावकलां
	21/11/80	100 "	22/11/80	आलनिया

1	2	3	4	5
कोटा वृत्त	16/12/80	63 के.वी.ए.	16/12/80	केलवांडा
	22/12/80	1600 "	परीक्षण काल में फैला हुआ	बूंदी
	4/6/80	25 "	सप्लाई 4/6/80	गटोडा
	14/1/80	1600 "	11 केवी लाइन लाखेरी से दी हुई है 14/1/81	नैनवा
बीकानेर वृत्त	19/5/80	25 के.वी.ए.	19/5/80	सलीमगढ़ मसानी
	5/8/80	33 "	5/8/80	मन्वेली
	25/6/80	25 "	25/6/80	बीदासर
	9/7/80	25 "	9/7/80	रतनासर
	7/5/80	25 "	7/5/80	संगरिया
	25/1/81	100 "	25/1/81	भादरा
	दिसम्बर' 80	25 "	दिसम्बर'80	लिखमीवारा
भीलवाड़ा वृत्त	9/9/80	16 एम.वी.ए.	22/11/80	भीलवाड़ा
	8/12/80	100 के.वी.ए.	8/12/80	सुवाना
	26/1/81	100 "	27/1/81	अग्रपुरा
	6/10/80	25 "	6/10/80	गोडास
	23/4/80	50 "	28/4/80	चिलेश्वर
	26/4/80	25 "	27/4/80	इलाना
	15/6/80	50 "	16/6/80	रेयलियास
	3/7/80	25 "	5/7/80	टूंका
	28/7/80	25 "	30/7/80	टूंका
	16/9/80	25 "	2/10/80	टूंका
	13/9/80	50 "	30/10/80	मेजा
	सितम्बर '80	25 "	8/10/80	हिसनिया
	1/12/80	63 "	24/12/80	भगवानपुरा
	14/4/80	63 "	18/4/80	शाहपुरा
	23/4/80	25 "	27/4/80	शाहपुरा
	20/8/80	100 "	23/8/80	पीपलोद
	20/6/80	25 "	20/6/80	लाडपुरा

(254)

1	2	3	4	5
भीलवाड़ा वृत्त	18/7/80	25 के.वी.ए.	14/7/80	सुवाना
	19/7/80	100 "	29/7/80	अकडसाद
	3/8/80	63 "	3/8/80	हुरंडा
	11/8/80	25 "	11/8/80	हुरंडा
	11/8/80	25 "	11/8/80	गंगापुरा
	27/9/80	25 "	27/9/80	भाटाखेड़ा
	4/9/80	63 "	4/9/80	
	अक्टूबर '80	25 "	अक्टूबर '80	
	31/1/80	100 "	31/1/81	बदनोर
	जनवरी '81	25 "	जनवरी '81	
	जनवरी '81	63 "	जनवरी '81	
	15/12/80	1600 "	21/12/80	सावा
	2/12/80	25 "	4/12/80	घटियावली
	17/6/80	100 "	17/6/80	सींगपुर
	23/6/80	100 "	23/6/80	पाण्डोली
	27/9/80	63 "	27/9/80	कमाना
	21/1/81	63 "	21/1/81	रघुनाथपुरा
	23/6/80	100 "	23/6/80	चेंची
	25/6/80	100 "	25/6/80	बेगु
	24/6/80	100 "	24/6/80	रावरदा
	9/6/80	25 "	9/6/80	धारला
	1/7/80	100 "	1/7/80	सुलीमगरा
	3/8/80	63 "	3/8/80	धारला
	10/10/80	50 "	10/10/80	सूरउडिया
	10/11/80	63 "	10/11/80	पुट्टेली
	25/6/80	25 "	28/6/80	नटुनिया
	30/9/80	25 "	18/10/80	गुडा गुलफरोशन
	18/8/80	25 "	22/8/80	उठेल
	15/10/80	100 "	18/10/80	कनेरा
	15/4/80	63 "	17/4/80	पिडिप
	8/12/80	100 "	9/12/80	अरनियावाली

1	2	3	4	5
भीलवाड़ा वृत	12/8/80	63 के.वी.ए.	13/8/80	घरोना
	22/8/80	100 "	22/8/80	सीधरी
	14/8/80	250 "	15/8/80	निम्बाहेड़ा
	—	25 "		बिनेता
	14/10/80	63 "	14/10/80	राजपुरिया
	21/10/80	63 "	21/10/80	अबलेश्वर
	28/12/80	100 "	29/12/80	अरणीया
झुंझुनू वृत्त	25/12/80	25 ,,	26/12/80	पापोली
	4/6/80	25 ,,	4/6/80	फरड़
	2/6/80	25 ,,	5/6/80	कादरा
	18/7/80	25 ,,	20/7/80	गनाडू
	14/4/80	100 ,,	16/4/80	निजामपुरा
	18/7/80	100 ,,	18/7/80	किठाना
	12/4/80	100 ,,	13/4/80	कलाला
	15/5/80	63 ,,	16/5/80	कीठाना
	11/5/80	63 ,,	13/5/80	पदनपुरा
	15/4/80	63 ,,	16/4/80	मनोता
	26/5/80	25 ,,	28/5/80	बसेडा
जोधपुर	13/4/80	63 के.वी.ए.	14/4/80	पीपाड़ शहर
ओ एण्ड एम वृत्त	27/4/80	63 ,,	30/4/80	आगेवा
	5/6/80	100 ,,	6/6/80	बिलाड़ा
	23/6/80	100 ,,	24/6/80	भोपालगढ़
	23/6/80	100 ,,	24/6/80	बिलाड़ा
	27/6/80	25 ,,	28/6/80	हीरादेसर
	29/6/80	100 ,,	30/6/80	बिलाड़ा
	17/7/80	25 ,,	17/7/80	पीपाड़ शहर
	22/7/80	25 ,,	24/7/80	घोड़ावत
	24/7/80	250 ,,	25/7/80	पोलियवास
	1/8/80	1·5 एम.वी.ए,	9/9/80	जैतारण

258

1	2	3	4	5
जोधपुर	1/8/80	100 के.वी.ए.	24/8/80	पोलियावास
ओ.एण्ड एम.	1/9/80	25 ,,	2/9/80	रामावास
वृत्त	10/9/80	100 ,,	13/9/80	बिलाड़ा
	14/9/80	25 ,,	15/9/80	झाकरावत
	26/9/80	25 ,,	27/9/80	घोड़ावत
	26/9/80	100 ,,	27/9/80	बासनीखारिया
	22/10/80	63 ,,	24/10/80	बिलाडा
	22/10/80	25 ,,	27/10/80	बलून्दा
	27/10/80	63 ,,	27/10/80	पीपाड शहर
	30/10/80	100 ,,	30/10/80	बासनी चोलकाटान
	4/11/80	63 ,,	4/11/80	बेडकला
	21/11/80	25 ,,	21/11/80	बेडकला
	18/12/80	100 ,,	19/12/80	घोडावट
	23/12/80	25 ,,	24/12/80	पडासला
	23/12/80	25 ,,	24/12/80	खवासपुरा
	8/4/80	100 ,,	8/4/80	भावी
	26/4/80	25 ,,	28/4/80	जवारिया
	24/4/80	100 ,,	26/4/80	जासपाली
	6/6/80	100 ,,	6/6/80	रनसीगांव
	22/6/80	100 ,,	24/6/80	रनसीगांव
	22/10/80	100 ,,	25/10/80	बरना
	20/11/80	100 ,,	22/11/80	झूरली
	28/11/80	25 ,,	29/11/80	हरियाढ़ाणा
	6/12/80	25 ,,	8/12/80	बोरुन्दा
	30/12/80	25 ,,	1/1/81	बरना
	1/1/80	25 ,,	2/1/80	बोरुन्दा
	2/1/81	100 ,,	10/1/81	भावी
	13/1/81	100 ,,	16/1/81	घूघरवास
	16/1/81	100 ,,	17/1/81	बोरुन्दा
	20/1/81	63 ,,	22/1/81	मालकोसनी

1	2	3	4	5
जोधपुर	21/1/81	25 के.वी.ए.	23/1/81	बोरुन्दा
ओ एण्ड एम	11/7/80	25 ,,	12/7/80	डोली
वृत्त	21/7/80	25 ,,	24/7/80	बेरू
	25/7/80	25 ,,	25/7/80	नारवा
	5/8/80	25 ,,	5/8/80	वेरू
	18/8/80	63 ,,	18/8/80	गोलासनी
	27/8/80	25 ,,	27/8/80	रोहीलाकंला
	25/5/80	50 ,,	26/5/80	हेमावास
	4/6/80	100 ,,	4/6/80	औद्योगिक क्षेत्र पाली
	17/8/80	25 ,,	19/8/80	ढुढसरिया
	1/10/80	63 ,,	1/10/80	रवीवाड़ा
	11/1/81	100 ,,	12/2/81	चितारों की वेरी
	21/12/80		23/12/80	लिलाम्बा
	21/12/80		23/12/80	कुशलपुरा
	23/1/81		30/1/81	रायपुर
	26/1/81		30/1/81	कुशालपुरा
	1/4/80	25 ,,	2/4/80	कोलीवारा
	9/5/80	100 ,,	10/5/80	बाली
	17/7/80	100 ,,	17/7/80	,,
	17/7/80	25 ,,	18/7/80	,,
	23/12/80	63 ,,	23/12/80	,,
	10/7/80	25 ,,	11/7/80	रानी
	30/1/81	100 ,,	31/1/81	रानी स्टेशन
	12/7/80	100 ,,	12/7/80	पराड़ा
	27/8/80	25 ,,	28/8/80	सादड़ी
	9/9/80	100 ,,	10/9/80	पादरली
	22/10/80	25 ,,	23/10/80	दुजाना
	24/12/80	100 ,,	25/12/80	घाणेराव
	1/5/80	25 ,,	2/5/80	कनाना
	15/5/80	63 ,,	16/5/80	कनाना

258

1	2	3	4	5
जोधपुर ओ. एण्ड एम. वृत्त	18/5/80	63 के.वी.ए.	20/5/80	टापरा
	17/6/80	25 ,,	18/6/80	वालोतरा
	26/5/80	63 ,,	27/5/80	वालोतरा
	19/6/80	50 ,,	20/6/80	आसोतरा
	1/7/80	100 ,,	2/7/80	किरनोद
	15/11/80	100 ,,	16/11/80	गुगरोट
	7/1/81	100 ,,	8/1/81	सिवाना
	21/1/81	100 ,,	22/1/81	देवरा
	27/1/81	25 ,,	29/1/81	नीम्वला
	27/1/81	100 ,,	29/1/81	बनानाडा
	9/5/80	25 ,,	11/5/80	जालोर
	8/5/80	25 ,,	10/5/80	वागरा
	1/7/80	25 ,,	2/7/80	मीठडी
	19/8/80	25 ,,	23/8/80	देसू
	16/12/80	25 ,,	17/12/80	माण्डवला
	5/10/80	25 ,,	7/10/80	केसवाना
	4/6/80	25 ,,	13/1/80	भागली
	1/7/80	100 ,,	3/7/80	केसवाणा
	3/10/80	100 ,,	4/10/80	मीठडी
	3/10/80	100 ,,	4/10/80	सापडा
	5/9/80	63 ,,	7/9/80	केसवाणा
	20/12/80	63 ,,	22/12/80	साफनी
	3/10/80	63 ,,	5/10/80	माण्डवल्ला
	18/11/80	100 ,,	19/11/80	आबूरोड़
	18/11/80	100 ,,	19/11/80	आबूरोड़
	31/12/80	100 ,,	31/12/80	रेवदर
	17/5/80	25 ,,	17/5/80	मानपुरा
	12/5/80	25 ,,	27/5/80	माकरोड़ा
	13/6/80	25 ,,	16/6/80	माण्डवा
	13/9/80	25 ,,	14/9/80	सिरोही
	22/9/80	25 ,,	23/9/80	वरलोट

1	2	3	4	5
जोधपुर	24/1/81	63 के.वी.ए.	26/1/81	उन्दरा
ओ. एण्ड एम.	20/1/81	100 ,,	1/2/81	पिण्डवाड़ा
वृत्त	23/12/80	33 ,,	19/1/81	जवाल
	29/9/80	25 ,,	30/9/80	साकरवा
उदयपुर वृत्त	7/5/80		8/5/80	वेदलिया
	30/7/80		30/7/80	तलवाड़ा
	18/9/80		16/10/80	सागदोड़ा
	20/9/80		4/10/60	रातीतलाई
	20/9/80		20/9/80	सुरवानिया
	24/9/80		24/9/80	धलकिया
	13/10/80		14/10/80	सेवना
	14/10/80		16/10/80	चोबेला
	12/6/80		13/6/80	आसनी
	18/6/80		22/6/80	देदुवा
	29/6/80		30/6/80	परतापुर
	4/10/80		5/10/80	आजेना
	19/10/80		21/10/80	जोलाना
	18/1/81		22/1/81	नाहेली
	1/1/81		1/1/81	बडगांव
	4/1/81		4/1/81	अमरसिंहकागड़ा
	2/5/80		2/5/80	बढेलीपाड़ा
	7/6/80		8/6/80	रामगढ़
	10/9/80		10/9/80	दांता
	6/10/80		6/10/80	चालदेवपुरा
	20/12/80		20/12/80	उमरावटे
	3/5/80		3/5/80	बोरीवाटर वर्क्स
	4/6/80		4/6/80	बस्सी चासी
	24/7/80		26/7/80	नागेला
	1/9/80		1/9/80	बालादिन
	14/10/80		16/10/80	बलेवरा

260

1	2	3	4	5
उदयपुर वृत्त	2/10/80		2/10/80	छेन्नुरी
	18/10/80		21/10/80	पिडावल
	17/10/80		19/10/80	बलेवरा
	10/11/80		12/11/80	बलेवरा
	8/1/81		10/1/81	श्रोवरी
	16/4/80		17/4/80	चरना
	17/7/80		20/7/80	सादरी
	17/4/80		19/4/80	सिंदसर कुहुड़
	12/8/80		14/8/80	वनेडिया
	22/11/80		10/1/81	गिलून्डा
	9/12/80		10/1/81	पचमाटा
	नवम्बर 80		1/12/80	जगत
	4/4/80		5/4/80	करमीखेडा
	26/8/80		28/8/80	करमीखेडा
	9/8/80		12/8/80	रेलवाडा
	23/8/80		24/8/80	पारेल
	18/10/80		19/10/80	किया खेड़ा
	15/7/80		15/7/80	चित्रोडा
	16/11/80		16/11/80	सामीतेर
	10/9/80		10/9/80	श्रवरदा
	5.6/80		6/6/80	भाडोल
	17/6/80		जून 80	श्रतकेलिया
	14/7/80		14/7/80	थून
	1/9/80		1/9/80	थून
	18/4/80		18/4/80	पदमाखेड़ा
	18/5/80		18/5/80	डबोक एयरपोर्ट
	13/6/80		13/6/80	भीन्डर
	13/8/80		17 8/80	दाना
	26/8/80		27/8/80	भागल
	2/5/80		3/5/80	कुन्थवास

(261)

1	2	3	4	3
उदयपुर वृत्त	20/7/80		22/7/80	जीवाना
	25/7/80		14/8/80	जीवाना
	27/7/80		28/7/80	देवगढ
	31/7/80		1/8/80	भंवर रोड भीनर
	2/8/80		10/8/80	लसानी
	13/8/80		18/8/80	जेतगढ
	14/8/80		17/8/80	लाखापढ़
	मई 80		मई 80	कालियावास
	जून 80		जून 80	कालियावास
	जुलाई 80		जुलाई 80	पाॅखड
	जुलाई 80		जुलाई 80	मनीगड़ा
	जुलाई 80		जुलाई 80	मकेदना
	18/8/80		20/8/80	पशुनिया
	20/8/80		25/8/80	रुपावाली
	20/11/80		दिसम्बर 80	जैतपुरा
सीकर वृत्त	4/11/80	100 के.वी.ए.	4/11/80	फतेहपुर
	25/9/80	50 ,,	25/9/80	शिवसिंहपुरा
	10/6/80	63 ,,	11/6/80	कुडली
	25/5/80	25 ,,	25/5/80	दौलतपुरा
	12/8/80	25 ,,	13/8/80	दौलतपुरा
	13/6/80	25 ,,	14/6/80	दादिया
	17/7/80	100 ,,	18/7/80	सरपुरा
	13/8/80	100 ,,	14/8/80	तरपुरा
	3/5/80	50 ,,	5/5/80	तरपुरा
	17/12/80	100 ,,	17/12/80	बेरी
	10/3/80	100 ,,	11/3/80	बेरी
	20/9/80	25 ,,	20/9/80	बाजोर
	11/2/80	25 ,,	12/12/80	रघुनाथगढ़
	20/12/80	25 ,,	21/12/80	सावली

1	2	3	4	5
सीकर वृत्त	7/7/80	100 के.वी.ए.	8/7/80	देवीपुरा
	26/4/80	3·15 एम.वी.ए.	26/4/80	ढ़ाडीया
	16/5/80	1·5 "	16/5/80	पीपराली
	18/6/80	1·3 "	18/6/80	पीपराली
	4/7/80	63 के.वी.ए.	5/7/80	पल्वास
	24/11/80	63 "	25/11/80	कधरमपुरा
	24/11/80	100 "	25/11/80	ताजरवडी
	23/1/81	1·0 एम.वी.ए.	24/1/81	खूंड
	27/1/81	100 के.वी.ए.	28/1/81	लोसल
	27/1/81	100 "	28/1/81	लोसल
	19/5/80	25 "	20/5/80	नरोदरा
	21/5/81	250 "	1/6/80	लक्ष्मणगढ़
	3/5/80	63 "	3/6/80	सांखू
	29/7/80	100 "	29/7/80	लक्ष्मणगढ़
	16/7/80	25 "	17/7/80	रेहनवा
	23/7/80	100 "	24/7/80	कुडीवडी
	28/7/80	100 "	29/7/80	कुदान
	8/8/80	63 "	9/8/80	सांखू
	5/11/80	25 "	6/11/80	सांखू
	30/10/80	100 "	30/10/80	सांखू
	15/1/80	25 "	16/1/80	कुडीवडी
	22/1/81	100 "	23/1/81	बारोडी बडी
	15/9/80	25 "	16/9/80	फतेहपुर
	10/12/80	100 "	12/12/80	फतेहपुर
	29/4/80	63 "	29/4/80	कोटडी सिमरला
	16/5/80	100 "	16/5/80	पृथ्वीपुरा
	13/5/80	100 "	13/5/80	दीबराला
	4/6/80	100 "	4/6/80	अजीतगढ़
	23/7/80	25 "	23/7/80	अजीतगढ़
	14/7/80	25 "	25/7/80	अजीतगढ़

1	2	3	4	5
सीकर वृत्त	27/7/80	25 के.वी.ए.	27/7/80	गोरियां
	3/8/80	25 ,,	3/8/80	भोजपुर
	24/8/80	63 ,,	24/8/80	नाथूसर
	26/8/80	25 ,,	26/8/80	त्रिलोकपुरा
	14/8/80	25 ,,	14/8/80	होलिया का वास
	31/8/80	100 ,,	31/8/80	श्रीमाधोपुर
	31/8/80	100 ,,	31/8/80	श्रीमाधोपुर
	24/8/80	63 ,,	24/8/80	नाथूसर
	26/8/80	25 ,,	26/8/80	त्रिलोकपुरा
	1/9/80	25 ,,	1/8/80	होलिया का वास
	20/9/80	100 ,,	21/9/80	पृथ्वीपुरा
	18/9/80	100 ,,	18/9/80	पृथ्वीपुरा
	16/9/80	50 ,,	19/9/80	पृथ्वीपुरा
	2/9/80	63 ,,	2/9/80	नीमेरा
	4/9/80	63 ,,	14/9/80	नीमेरा
	19/1/81	100 ,,	19/1/81	कोटडी
	29/1/81	100 ,,	29/1/81	गीधावाला
	30/7/80	63 ,,	30/7/80	कोटडी सिमरला
	13/9/80	100 ,,	13/9/80	नीमेरा
	23/9/80	25 ,,	23/9/80	जुगराजपुरा
	1/9/80	25 ,,	1/9/80	त्रिलोकपुरा
	6/7/80	25 ,,	6/7/80	जुगराजपुरा
	10/5/80	100 ,,	10/5/80	नांगलभीम
	5/6/80	25 ,,	5/6/80	श्रीमाधोपुर
	4/7/80	100 ,,	6/11/80	श्रीमाधोपुर
	5/7/80	100 ,,	5/7/80	,, ,,
	5/7/80	100 ,,	5/7/82	,, ,,
	5/7/80	100 ,,	5/7/80	,, ,,
	5/6/80	25 ,,	5/6/80	,, ,,
	2/7/80	25 ,,	28/10/80	बरसी
	20/4/80	25 ,,	21/4/80	सिमरला

(264)

1	2	3	4	5
सीकर वृत्त	18/4/80	25 के.वी.ए.	18/4/80	मुण्डरू
	24/4/80	25 ,,	24/4/80	मुण्डरू
	30/4/80	100 ,,	30/4/80	ढ़ाढ़िया
	8/5/80	63 ,,	8/5/80	दापीपलिया
	10/8/80	100 ,,	11/8/80	सिमरला
	12/5/80	100 ,,	12/5/80	आभावास
	28/5/80	25 ,,	28/5/80	खांदू
	2/7/80	100 ,,	2/7/80	मान्डरू
	7/7/80	50 ,,	7/7/80	अरनिया
	5/5/80	25 ,,	5/5/50	सिमरला
	13/7/80	63 ,,	13/7/82	महरोली
	31/7/80	25 ,,	31/7/80	सिमरला
	21/7/80	25 ,,	21/7/82	आभावास
	10/8/80	25 ,,	10/8/80	सरगोठ
	14/8/80	25 ,,	14/8/80	ढ़ाढिया
	8/8/80	100 ,,	8/8/80	आभावास
	15/8/80	1 एम.वी.ए.	18/10/80	सन्तोषपुरा
	2/12/80	100 के.वी.ए.	2/12/80	तापीपलिया
	9/9/80	100 ,,	10/9/80	आसपुरा
	20/8/80	25 ,,	20/8/80	रींगस
	21/5/80	63 ,,	22/5/80	बवासी
	3/6/80	100 ,,	3/6/80	गुढा
	9/6/80	63 ,,	9/6/80	बवासी
	23/6/80	100 ,,	23/6/80	टीकारिया
	27/8/80	100 ,,	28/8/80	जेतूसर
	28/9/80	100 ,,	28/9/80	वरनी
	10/9/80	100 ,,	10/9/80	मुन्डरू
	23/12/80	100 ,,	24/12/80	जेतूसर
	10/6/80	25 ,,	12/6/80	हथोड़ा

1	2	3	4	5
सीकर वृत्त	23/5/80	25 के.वी.ए.	26/5/80	सेपुर
	21/4/80	25 „	28/4/80	माधोकावास
	9/9/80	100 „	10/9/80	भ्रासपुरा
	1/4/80	63 „	2/4/80	मुन्डीयवास
	1/4/80	63 „	2/4/80	सुलियावास
	25/5/80	25 „	26/5/80	सुलियावास
	8/7/80	63 „	9/7/80	रेता
	4/8/80	100 „	5/8/80	रूलाना
	10/8/80	25 „	12/8/80	नालून्ड
	24/8/80	63 „	26/8/80	पंचार
	4/9/80	63 „	5/9/80	रायपुरा
	9/9/80	63 „	11/3/80	चक गोपीनाथपुरा
	11/9/80	63 „	11/9/80	श्यामपुरा
	3/10/80	100 „	3/10/80	डोलपुरा
	6/11/80	100 „	6/11/80	रूपगढ़
	9/12/80	63 „	9/12/80	भारीजा
	26/12/80	100 „	26/12/80	धानीज्ञानदास
	8/7/80	25 „	10/7/80	खण्डेला
	20/6/80	25 „	22/6/80	कोटरी
	22/6/80	100 „	1/7/80	नीमकाथाना
	2/7/80	25 „	4/7/80	सिरोही
	10/5/80	63 „	1/6/80	गोढावास
	22/4/80	100 „	23/4/80	भूडोली
	10/8/80	25 „	11/8/80	खण्डेला
	11/11/80	25 „	12/11/80	नारड़ा
	14/11/80	25 „	15/11/80	नारड़ा
	30/4/80	100 „	7/5/80	जालो
	12/5/80	100 „	19/6/80	माकाडी
	4/12/80	100 „	4/12/80	गोविन्दपुरा

(266)

1	2	3	4	5
सीकर वृत्त	16/1/80	100 के.वी.ए.	18/1/81	यदालकी नांगल
	8/5/80	63 ,,	13/5/80	माकरी
	12/5/80	63 ,,	16/5/80	माकरी
	1/6/80	63 ,,	24/6/80	झलारा
	3/1/81	63 ,,	4/1/81	गुहाला
	26/1/81	63 ,,	28/1/81	दलपतपुरा
	23/5/80	25 ,,	26/6/89	चाला
	22/6/80	25 ,,	23/6/80	गुहाला
	5/8/80	22 ,,	6/8/80	माघोली
	1/1/81	25 ,,	11/1/81	माघोली
	3/1/81	25 ,,	4/1/81	माधोली
	8/8/80	25 ,,	9/8/80	राजपुरा
	6/4/80	25 ,,	7/4/80	स्वरूपसर
	20/8/80	25 ,,	27/8/80	तबलसर
	4/1/81	25 ,,	4/1/81	जलालसर
	4/12/81	1000 ,,	5/12/80	उदनसर
	20/6/80	100 ,,	21/6/80	वोसाना
	22/8/80	63 ,,	24/8/80	खांजोती
	8/11/80	100 ,,	11/11/80	दीपपुरा राजाजी
	11/7/80	100 ,,	12/7/80	बिन्जाखी
	10/1/81	63 ,,	12/1/81	जीगरबड़ी
जयपुर जिला वृत्त	15/4/80	100 ,,	16/4/80	मुजानपुरा
	2/5/80	25 ,,	3/5/80	खेड़ी
	19/6/80	100 ,,	20/6/80	श्यामपुरा
	22/7/80	25 ,,	23/7/80	बस्सी
	14/7/80	100 ,,	25/7/80	बस्सी
	19/7/80	100 ,,	30/7/80	खेड़ी
	16/7/80	63 ,,	17/7/80	घाटा

1	2	3	4	5
जयपुर जिला वृत्त	26/7/80	25 के.वी.ए.	28/8/80	खेड़ी
	27/8/80	63 „	28/8/80	दामोदरपुरा
	11/11/80	100 „	12/11/80	दताऊ कलां
	14/11/80	100 „	15/11/80	बस्सी
	7/12/80	100 „	8/12/80	बांसखो
	21/12/80	100 „	22/12/80	बस्सी
	21/12/50	63 „	22/12/80	कुन्यरा खुर्द
	17/4/80	25 „	19/4/80	काली पहाड़ी
	21/4/80	25 „	22/4/80	भंडारी
	18/8/80	63 „	20/6/80	आलूदा
	2/8/80	100 „	4/8/80	काली पहाड़ी
	1/8/80	25 „	2/8/80	मानपुरिया
	13/8/80	100 „	14/8/80	बिछालवास
	18/8/80	25 „	20/8/80	हाज्याकाबास
	27/9/80	25 „	29/9/80	बड़ा गांव
	24/12/80	25 „	27/12/80	जसोन्ता
	25/12/80	25 „	27/12/80	महेसरा कलां
	26/12/80	25 „	28/12/80	लावान
	19/5/80	25 „	20/5/80	महाराजपुरा
	29/5/80	25 „	30/5/80	महाराजपुरा
	6/6/80	25 „	9/6/80	अरनियां कला
	30/6/80	100 „	1/7/80	शिवसिंहपुरा
	27/7/80	25 „	28/8/80	बड़ नोन्दपुरा
	31/8/80	1.5 एम.वी.ए.	3/9/80	शिवसिंहपुरा
	30/9/80	25 के.वी.ए.	1/10/80	बिलोना कलां
	13/11/80	63 „	14/11/80	डीडवाना
	1/1/81	25 „	2/1/81	राजोली
	26/6/80	25 „	27/6/80	पतीलुलतानपुरा

1	2	3	4	5
जयपुर जिला वृत्त	16/8/80	25 के.वी.ए.	17/8/80	सुरजपुरा
	3/6/80	25 ,,	4/6/80	भेदरी गुजरान
	30/4/80	25 ,,	30/4/80	भगलाई
	28/7/80	1 एम.वी.ए.	30/7/80	भांडारेज
	25/12/80	1.5 ,,	1/1/81	जी.एस.ए. बांदीकुई
	15/4/80	100 के.वी.ए.	17/4/80	फुलियाला
	21/5/80	25 ,,	23/5/80	सरूड़ला
	23/5/80	100 ,,	24/5/80	बसवा
	19/5/80	100 ,,	21/5/80	भांडारेज
	19/6/80	25 ,,	21/6 80	दलालपुरा
	15/6/80	25 ,,	24/6/80	भगलाव
	9/6/80	25 ,,	11/6/80	दौसा
	31/5/80	25 ,,	6/6/80	जयरामपुरा
	4/6/80	100 ,,	5/6/80	कोलाना
	27/6/80	100 ,,	28/6/80	कोलाना
	19/9/80	25 ,,	22/9/80	भगलाई
	11/11/80	100 ,,	12/11/80	मानपुर
	24/11/80	100 ,,	25/11/90	गुलाना
	27/5/80	63 ,,	28/5/80	भूतेड़ा
	6/6/80	100 ,,	7/6/80	भूतेड़ा
	12/8/80	25 ,,	13/8/80	नांगल गोविन्द
	20/7/80	63 ,,	21/7/80	नांगल कला
	20/10/80	25 ,,	21/10 80	नांगल गोविन्द
	25/1/81	50 ,,	26/1/81	सोपुरा
	27/6/80	50 ,,	27/6/80	जयसिंहपुरा गुवाड़ी
	18/7/80	25 ,,	18/7/80	मंडा भिंडा
	21/6/80	25 ,,	24/6/80	नरसिंहपुरा
	8/8/50	63 ,,	8/8/80	बाई का वास
	4/9/80	100 ,,	4/9/80	प्रतापपुरा
	7/1/81	100 ,,	8/1/81	प्रता पुरा

1	2	3	4	5
जयपुर जिला वृत्त	9/7/80	63 के.वी.ए.	11/7/80	प्रतापपुरा
	7/5/80	63 ,,	8/5/90	श्रोपुरा
	4/6/80	50 ,,	7/6/80	जेतपुरा
	23/7/80	25 ,,	23/7/80	राजारामपुरा
	23/7/80	63 ,,	23/7/80	रामलियावाला
	7/8/80	25 ,,	8/8/80	सिरसी
	12/8/80	25 ,,	12/8/80	जयरामपुरा
	8/9/80	100 ,,	8/9/80	मोरीजा
	1/10/80	100 ,,	1/10/80	रामलियावाला
	4/10/80	100 ,,	5/10/80	लालीपुरा
	7/10/80	50 ,,	8/10/80	रामलियावाला
	21/10/80	100 ,,	21/10/80	खादीबाग
	3/11/80	63 ,,	3/11/80	महेशवास कलां
	11/11/50	63 ,,	11/11/80	जैतावाला
	29/11/80	63 ,,	29/11/80	मोरीजा
	12/12/80	63 ,,	13/12/80	बिहारीपुरा
	21/12/80	63 ,,	21/12/80	सिरसी
	21/12/80	100 ,,	21/12/80	रिसानी
	2/1/81	250 ,,	2/1/80	चौमू
	12, 6/80	63 ,,	14/6/80	चक घानोता
	3/7/80	63 ,,	5/7/80	कंवरपुरा
	4/9/80	100 ,,	4/9/80	राडावा
	19/11/80	100 ,,	20/11/80	नायन
	4/1/81	100 ,,	5/1/81	राडावास
	23/7/80	25 ,,	25/7/80	प्रतापपुरा
	23/7/80	25 ,,	25/7/80	जयसिंहपुरा
	23/7/80	25 ,,	24/7/80	वनस्थली
	27/8/80	63 ,,	1/9/80	भोसरियां
	6/9/80	63 ,,	10/10/80	गुरई

1	2	3	4	5
जयपुर जिला वृत्त	14/8/80	63 के.वी.ए.	20/8/80	दरदा हिन्दी
	28/6/80	25 ,,	30/6/80	गुडलिया
	12/5/80	25 ,,	14/5/80	रूपवास
	3/11/80	25 ,,	3/11/80	टोडारायसिंह
	25/10/80	25 ,,	26/10/80	पच्केवर
	1/12/80	63 ,,	1/12/80	चांदसेन
	3/9/80	25 ,,	3/9/80	प्रतापपुरा
	1/4/80	1 एम.वी.ए.	2/4/80	वाटिका जी.एस.एस.
	1/8/80	1 ,,	2/8/80	हातोद
	10/4/80	100 के.वी.ए.	12/4/80	चतरपुरा–I
	10/4/80	100 ,,	12/4/80	चतरपुरा–II
	5/8/80	100 ,,	6/8/80	चन्दलाई
	28/10/80	100 ,,	30/10/80	सांवत का वास
	15/9/80	100 ,,	17/9/80	वाटिका
	2/10/80	100 ,,	5/10/80	वाटिका
	29/11/80	100 ,,	30/11/80	चाकसू
	29/4/80	100 ,,	30/4/80	किशोरपुरा
	27/5/80	100 ,,	28/5/80	गोविन्दपुरा
	20/6/80	100 ,,	22/6/80	बड़ पीतावास
	4/9/80	63 ,,	6/9/80	दांतली
	13/10/80	63 ,,	14/10/80	बदरवास
	24/12/80	50 ,,	29/12/80	मानपुर डूंगरी
	22/5/80	25 ,,	24/5/80	गोनेर
	6/6/80	25 ,,	11/6/80	वाटिका
	4/7/80	25 ,,	6/7/80	बावड़ी (वाटिका)
	6/11/80	25 ,,	7/11/80	फागी
	4/9/80	25 ,,	15/9/80	किशोरपुरा/खातीपुर
	14/9/80	25 ,,	15/9/80	,, ,,
	20/9/80	25 ,,	21/9/80	नेवटा

1	2	3	4	5
जयपुर जिला वृत्त	3/12/80	25 के.वी.ए.	4/12/80	चाकसू
	24/12/80	25 ,,	25/12/80	गोनेर-II
	20/1/81	25 ,,	26/1/80	गोनेर-II
	19/10/80	100 ,,	20/10/80	जाजेकलां की तलाई
	10/11/80	25 ,,	11/11/80	अजबघर होडो का वास
	20/8/80	25 ,,	21/8/80	कुकस
	13/9/80	100 ,,	14/9/80	पीपली की तलाई
	23/9/80	100 ,,	28/9/80	विशनपुरा
	23/8/80	63 ,,	24/8/80	नोरंगपुरा
	15/9/80	100 ,,	16/9/80	भावरू
	21/9/80	100 ,,	22/9/80	अमरपुरा
	23/10/80	100 ,,	24/10/80	रेनवाल
	6/10/80	1.5 एम.वी.ए.	8/10/80	हिंगोनिया
	29/6/80	25 के.वी.ए.	30/6/80	दूदू
जयपुर नगर वृत्त	5/8/80	250 ,,	5/8/80	विधान सभा
	5/8/80	250 ,,	8/8/80	नवलगढ़ हाऊस
जोधपुर निर्माण वृत्त	7/10/80	63 ,,	7/10/80	बरमोकलां
	26/11/80	25 ,,	26/11/80	रामपुरा
	8/12/80	63 ,,	8/12/80	कजरी
	22/12/80	25 ,,	31/12/80	रामपुर
	31/12/80	25 ,,	31/12/80	गजसिंहपुरे
	9/1/81	25 ,,	9/1/81	छाबला
	11/1/81	25 ,,	11/1/81	गोधावास
	16/1/81	25 ,,	16/1/81	धोली
	28/4/80	25 ,,	29/4/80	रेवदर

1	2	3	4	5
जोधपुर निर्माण वृत्त	2/4/80	25 के.वी.ए.	3/4/80	वेर
	5/5/80	50 ,,	6/5/80	चांदर
	15/6/80	25 ,,	16/6/80	उधामान
	21/6/80	25 ,,	26/6/80	थाडोली
	5/7/80	63 ,,	6/7/80	केरी
	9/8/80	63 ,,	10/8/80	भर्यंवाडा
	9/11/80	63 ,,	10/11/80	मूचल
	12/11/80	50 ,,	13/11/80	कीसल
	15/11/80	25 ,,	17/11/80	कुड़ाना
	22/12/80	100 ,,	22/12/80	पालड़ी
	16/7/80	100 ,,	17/7/80	सन्तपुर
	28/8/80	25 ,,	28/8/80	उमसाली
	4/3/81	100 ,,	4/3/81	सुसपुखला
	19/6/80	25 ,,	23/6/80	अचारी
	19/8/80	25 ,,	20/8/80	पेशवा
	8/9/80	25 ,,	9/9/80	अचारी
	28/9/80	63 ,,	1/10/80	झाकर
	21/9/80	25 ,,	30/9/80	झाकर
	28/11/80	25 ,,	31/11/80	मन्डवारा
	31/10/80	25 ,,	31/10/80	लूनोल
	30/10/80	63 ,,	31/10/80	आसावास
	21/12/80	25 ,,	1/1/81	गुलाबगंज
	15/8/80	25 ,,	16/8/80	रामपुर खुर्द
	23/9/80	25 ,,	23/9/80	कोराली
	15/11/80	25 ,,	15/11/80	पेरवा

1	2	8	4	5
जोधपुर निर्माण वृत्त	8/11/80	50 के.वी.ए.	11/11/80	अनाद्रा
	20/11/80	50 ,,	23/11/80	आना
	24/10/80	63 ,,	26/10/80	वीरामपुरा
	16/11/80	25 ,,	17/11/90	रामनिया
	4/5/80	63 ,,	6/5/80	बाबा गांव
	25/9/80	100 ,,	25/9/80	पीवाना
	5/10/80	100 ,,	6/10/80	पोवाना
	2/12/80	63 ,,	3/12/80	बाबा गाँव
	25/5/80	25 ,,	26/5/80	सोनसा
	5/6/80	25 ,,	7/7/80	बागोल
	8/6/80	25 ,,	9/6/80	मांगरतलाव
	8/7/80	25 ,,	10/7/80	गुड़ादेवरान
	24/8/80	25 ,,	26/8/80	कोलार
	30/12/80	25 ,,	2/1/81	गुढा दुर्जन
	27/6/80	25 ,,	28/6/80	सप्तवा
	1/7/80	63 ,,	1/7/80	सलाटा
	21/7/80	25 ,,	22/7/80	गुढा रूपसिंह
	15/10/80	25 ,,	15/10/80	सप्तवा
	12/11/80	63 ,,	13/11/80	वाला कुड़ा
	12/1/80	63 ,,	15/1/80	सप्तवा
	16/8/80	25 ,,	18/8/80	खारा
	30/6/80	63 ,,	2/7/80	सूरजवाड़ा
	20/6/80	25 ,,	2/7/80	केर
	21/7/80	63 ,,	22/7/80	सिकवारा

274

1	2	3	4	5
जोधपुर निर्माण वृत्त	25/10/80	63 के.वी.ए.	28/10/80	सोमटा
	28/4/80	25 ,,	1/5/80	अहोर
	29/4/80	25 ,,	2/5/80	डुडीयाली
	3/5/80	25 ,,	3/5/80	हरजी
	12/5/80	25 ,,	15/5/80	अहोर
	14/5/80	25 ,,	17/5/80	जोधा
	28/5/80	35 ,,	31/5/80	हरजी
	23/6/80	25 ,,	25/6/80	हरजी
	25/6/80	25 ,,	28/6/80	बोरली
	4/6/80	50 ,,	7/6/80	कुवाडा
	21/6/80	50 ,,	25/6/80	कावाडा
	25/6/80	50 ,,	28/6/80	गुडा बालोतान
	18/8/80	63 ,,	21/8/80	उम्मेदपुर प्रथम
	7/7/80	25 ,,	10/7/80	पावटा
	28/8/80	25 ,,	31/8/80	मान्डरी
	10/9/80	25 ,,	13/9/80	अहोर
	20/8/80	25 ,,	23/9/80	खारा
	2/10/80	25 ,,	5/10/80	पंचोटा
	27/11/80	25 ,,	30/11/80	ढुढयाली
	10/11/80	63 ,,	13/11/80	वेढाना
	25/10/80	25 ,,	28/11/80	वेढाना
	13/12/80	1 एम.वी.ए.	16/12/80	उम्मेदपुर
	12/12/80	25 के.वी.ए.	15/12/80	अल्लावाली
	28/12/80	25 ,,	31/8/80	साखवटी
	24/12/80	63 ,,	26/12/80	सेवदी
	16/12/80	25 ,,	29/12/80	देशपा
	15/1/81	25 ,,	20/1/81	कुका
	28/8/80	63 ,,	30/8/80	भादनी

1	2	3	4	5
निर्माण एवं उत्पादन बिल	19/1/81	10/12·5 एम.वी.ए.	इस ट्रान्सफार्मस से बिजली मिलने वाले क्षेत्रों को बिजली अन्य ट्रान्स-फार्मस से उपलब्ध करदी गई है। तथा उसके निर्माताओं एवं सप्लायर्स से सम्पर्क स्थापित कर इन्हें ठीक कराने की कार्य-वाही की जा रही है।	भीलवाड़ा
	23/1/81	,,		बीकानेर

278

परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 242 की अधिसूचना एवं सुझाव)

राजस्थान सरकार
वित्त (ग्रुप–4) विभाग

प० 16 (185) वित्त/ग्रुप–4/78 जयपुर, दिनांक 13–3–80

अधिसूचना

नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 (1976 का केन्द्रीय अधिनियम 33) की धारा 11 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, जयपुर नगर संकुलन में स्थित भूमि की अवस्थिति और उसके सामान्य उपयोग, उसके क्रमबद्ध नगरीय विकास के लिए उसमें स्थित भूमि की उपयोगिता और अन्य सुसंगत बातों को ध्यान में रखते हुए, एतद् द्वारा जयपुर नगर संकुलन को जोनों में विभाजित करती है और इसके अतिरिक्त जोन में रिक्त भूमि की उपलब्धिता, उक्त अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व बीस वर्ष की अवधि के दौरान रिक्त भूमि की मूल्य वृद्धि का रुख, जोनों में विकास के लिए सरकार द्वारा लगाई गई रकम तथा अन्य सुसंगत बातों को ध्यान में रखते हुए, उक्त धारा की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के प्रयोजनों के लिए प्रत्येक जोन में स्थित रिक्त भूमि की, इससे संलग्न अनुसूचि में यथा-विनिर्दिष्ट प्रति वर्गमीटर दर नियत करती है। इन जोनों को उपदर्शित करने वाले जयपुर नगर संकुलन के रेखाचित्र सं. 20/79 का निरीक्षण नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 के लिए सक्षम प्राधिकारी, जयपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय के दौरान किया जा सकता है।

अनुसूचि

जोन—1. प्राकृतिक सीमा का विवरण—दर 5)–प्रति वर्गमीटर

जहां अमानीशाह का नला उत्तर में नगर क्षेत्र सीमा को काटता है वहां से आरम्भ होकर दक्षिण पूर्व में नगर क्षेत्र सीमा के साथ-साथ चलते हुए नाहरगढ़ की पहाड़ियों के दक्षिणी सिरे के निकट उत्तरी उपमार्ग (बाइ पास रोड) से मिलती हुई फिर उपमार्ग के साथ-साथ रामगढ़ रोड, से मिलती हुई और आगे रामगढ़ रोड और पूर्वी उपमार्ग के संगम (जंक्शन) तक, फिर दक्षिण की ओर नगर क्षेत्र सीमा के साथ-साथ एवं पहाड़ियों की तलहटी होकर तथा आगरा रोड को पार करने के पश्चात् दक्षिण में आगे और इस

बिन्दु तक बढ़ाते हुए जहां पूर्वी उपमार्ग हरिचन्द्र माथुर राजकीय लोक प्रशासन संस्थान (ओ. टी. सी.) की दक्षिणी सड़क से मिलता है, वहां से पश्चिम की ओर इस सड़क के साथ-साथ चलते हुए उस बिन्दु तक जहां यह जवाहर लाल नेहरू मार्ग से मिलती है, फिर दक्षिण की ओर जवाहरलाल नेहरू मार्ग के साथ-साथ चलते हुए उस बिन्दु तक जहां यह दिल्ली जाने वाली रेलवे लाइन को काटता है, फिर उत्तर की ओर इस रेलवे लाइन के साथ-साथ चलते हुए बांइस गोदाम के निकट भवानी सिंह हाइवे को जहां यह पार करती है उस रेलवे क्रासिंग तक, फिर पश्चिम की ओर 'हवा सड़क' के साथ-साथ चलते हुए अजमेर रोड के साथ संगम तक फिर अजमेर रोड के साथ-साथ उस बिन्दु तक जहां अजमेर रोड अमानी शाह के नले को काटती है, फिर उत्तर की ओर अमानीशाह के नले के पूर्वी किनारे के साथ-साथ आरम्भिक बिन्दु तक अर्थात् जहां नला उत्तर से नगर क्षेत्र सीमा को काटता है।

जोन-2 प्राकृतिक सीमा का विवरण दर 4)-रु० प्रति वर्गमीटर

सं० (1) उत्तर में नगर क्षेत्र सीमा द्वारा सीमाबद्ध क्षेत्र, पूर्व में अमानी शाह का नला और नगर क्षेत्र सीमा, पश्चिमी में सीकर रोड तथा दक्षिण में सीकर रोड।

सं० (2) जयपुर के मास्टर प्लान के अनुसार आमेर कस्बे का प्रस्थापित नगर क्षेत्र।

सं० (3) उत्तर में नगर क्षेत्र सीमा द्वारा सीमाबद्ध क्षेत्र पूर्व में जलमहल के उत्तर पूर्व में स्थित पहाड़ियां दक्षिण में रामगढ़ रोड़, जंक्शन तथा इस ओर से नाहरगढ़ की पहाड़ियों के समीप पहुंचने वाले बिन्दु के बीच उत्तरी उपमार्ग तथा पश्चिम में नाहरगढ़ की पहाड़ियां।

सं० (4) अमानीशाह का नला जहां अजमेर रोड को काटता है वहां आरम्भ होकर, पूर्व की ओर अजमेर रोड के साथ-साथ चलते हुए 'हवा सड़क' क्रासिंग तक, यहां से हवा सड़क के साथ-साथ, दिल्ली रेलवे लाइन तक, फिर इस रेलवे लाइन के साथ-साथ दक्षिण की ओर उस बिन्दु तक जहां यह जवाहरलाल नेहरू मार्ग को काटती है, फिर उत्तर की ओर जवाहरलाल नेहरू मार्ग के साथ-साथ हरिश्चन्द्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान (ओ. टी. एस.) के दक्षिण की ओर सड़क के जंक्शन तक फिर पूर्व की ओर इस सड़क के साथ-साथ चलते हुए उस बिन्दु तक जहां प्रस्थापित पूर्वी उपमार्ग से यह सड़क मिलती है, फिर दक्षिण की ओर इस पूर्वी उपमार्ग के साथ-साथ वहां तक जहाँ विमान क्षेत्र के उत्तर में प्रस्थापित रिंग रोड इससे मिलती है, फिर पश्चिम की ओर

(228)

इस प्रस्थापित रिंग रोड़ के साथ-साथ टोंक रोड़ क्रांसिंग तक, यहां से दक्षिण की ओर टोंक रोड़ के साथ-साथ चलते हुए उस बिन्दु तक जहां यह (टोंक रोड़) सांगानेर रोड तथा विमान क्षेत्र को जाने वाली सड़क से मिलती है, यहां से पश्चिम की ओर नगर क्षेत्र सीमा के साथ-साथ सांगानेर कस्बे के दक्षिण में मालपुरा रेलवे लाइन तक, वहां से उत्तर की ओर इस रेलवे लाइन के साथ-साथ उस बिन्दु तक जहां यह अमानीशाह के नले को काटती है यहां से उत्तर की ओर अमानीशाह के नले के पूर्वी किनारे के साथ-साथ व अमानीशाह के नले के और अजमेर रोड के क्रांसिंग तक अर्थात् आरम्भिक बिन्दु तक।

जोन–3 प्राकृतिक सीमा का विवरण 3)– रुपये प्रति वर्गमीटर

सं० 1. उस बिन्दु से शुरू होकर जहां पश्चिमी उपमार्ग सीकर रोड से मिलता है तथा पश्चिमी उपमार्ग के साथ-साथ पश्चिम और फिर दक्षिण और आगे दक्षिण-पूर्व की ओर अजमेर रोड पार करने के पश्चात् उस बिन्दु तक जहां यह मालपुरा रेलवे लाइन के समानान्तर हो जाती है अर्थात् नगर क्षेत्र सीमा तक, यहां से इस रेलवे लाइन के साथ-साथ उत्तर पूर्व में उस बिन्दु तक जहां यह अमानीशाह के नले को काटती है, यहां से उत्तर की ओर अमानीशाह के नले के पश्चिमी किनारे के साथ-साथ उस बिन्दु तक जहां सीकर रोड इसे काटती है, यहा से सीकर रोड के साथ-साथ पश्चिम की ओर फिर उत्तर की ओर आरम्भिक बिन्दु तक अर्थात् सीकर रोड और पश्चिमी उपमार्ग के क्रासिंग तक।

सं० 2. नगर संकुलन में आने वाला जयपुर मास्टर प्लान के अनुसार कनकपुर सिरसी विन्धायका औद्योगिक क्षेत्र प्रभाग नगर संकुलन की पश्चिमी सीमा तक।

सं० 3. टोंक रोड और विमान-क्षेत्र को जाने वाली सड़क के जंक्शन से पूर्व की ओर विमान-क्षेत्र सड़क के साथ-साथ फिर इसके प्रस्थापित (मास्टर प्लान) संख्या के साथ-साथ उत्तर की ओर मुड़ते हुए, फिर दिल्ली जाने वाली रेलवे लाइन को पार करने के पश्चात् उत्तर फिर पूर्व की ओर नगर क्षेत्र सीमा के साथ-साथ अग्रसर होते हुए फिर उत्तर की ओर नगर क्षेत्र सीमा के साथ-साथ फिर पश्चिम की ओर मुड़ते हुए नगर क्षेत्र सीमा जहां यह पूर्वी उपमार्ग से मिलती है, दक्षिण की ओर उपमार्ग के साथ-साथ उस बिन्दु तक जहां विमान क्षेत्र के उत्तर की ओर प्रस्थापित रिंग रोड, उपमार्ग को काटती है फिर इस रिंग रोड के साथ-साथ पश्चिम की ओर उस बिन्दु तक जहां यह टोंक रोड को काटती है, फिर दक्षिण की ओर टोंक रोड के साथ-साथ विमान क्षेत्र रोड के क्रासिंग तक अर्थात् आरम्भिक बिन्दु तक।

स० 4. शेष क्षेत्र नगर संकुलन की चारों ओर की सीमा तक।

टिप्पण:—

अभिव्यक्ति 'नगर क्षेत्र' जहां कहीं भी प्रयुक्त हुई हो, से, जयपुर के मास्टर प्लान में यथा प्रस्थापित नगर क्षेत्र अभिप्रेत है। अभिव्यक्ति 'उपमार्ग' तथा 'रिंग रोड' भी जयपुर के मास्टर प्लान के सन्दर्भ में है।

राज्यपाल के आदेश से,
ह०/, (एस. एल. जोशी)
विशिष्ट शासन सचिव, वित्त

(280)

राजस्थान सरकार

वित्त (ग्रुप-4) विभाग

प० 16 (125) एफ०डी०/ग्रुप-4/78 जयपुर, दिनांक 24-10-80

अधिसूचना

नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम 1976 (1976 का केन्द्रीय अधिनियम 33) की धारा 11 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ऐसी बातों जैसे कि भूमि की अवस्थिति तथा सामान्य उपयोग क्रमबद्ध नगरीय विकास के लिए भूमि की उपयोगिता, रिक्त भूमि की उपलब्धता, जोनों के विकास के लिये सरकार द्वारा पहले ही लगाई रकम तथा अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व की बीस वर्ष की अवधि के दौरान मूल्य वृद्धि के रूप पर विचार करते हुए अजमेर नगर संकुलन की एतद् द्वारा तीन जोनों में विभाजित करती है तथा उक्त धारा की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के प्रयोजनों के लिए नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार प्रत्येक जोने में रिक्त भूमि की दर प्रति वर्गमीटर तय करती है। इन जोनों को उपदर्शित करने वाले अजमेर नगर संकुलन के रेखाचित्र का निरीक्षण नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 के अधीन नियुक्त सक्षम प्राधिकारी, अजमेर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय के दौरान किया जा सकता है।

अनुसूची

जोन—1.	भौतिक सीमा का विवरण	दर 5/- रु० प्रति वर्गमीटर

उत्तर में उस बिन्दु से आरम्भ होकर जहां आतेर नला प्रस्थापित नगर क्षेत्र सीमा पर अद्भूत होता है और दक्षिण पश्चिम की ओर इस नले के साथ-साथ उस बिन्दु तक बोलते हुए जहां यह आनासागर झील के विद्यमान मिट्टी के बने हुए बांध से मिलता है, वहां से दक्षिण पूर्व की ओर इस बांध के साथ-साथ डिक्सन बंक नले और माकडवाली रोड़ के क्रासिंग तक, वहां से आनासागर झील की जल रेखा के साथ-साथ दक्षिण की ओर, पश्चिम की ओर और फिर उत्तर-पश्चिम की तरफ उस बिन्दु तक चलते हुए जहां यह बांडी नदी से मिलती है फिर बांडी नदी के साथ-साथ दक्षिण पश्चिम की ओर उस बिन्दु तक जहां यह प्रस्थापित नगर क्षेत्र सीमा के साथ मिलती फिर इस सीमा के साथ

उस बिन्दु तक जहां यह फायसागर रोड़ के साथ मिलती है फिर पूर्व की ओर इस रोड़ के साथ उस बिन्दु तक जहां यह वाटरवर्क्स फिल्ट्रेशन प्लांट के पश्चिम में नले से मिलती है फिर दक्षिण की ओर इस नले के साथ-साथ चलते हुए उस बिन्दु तक जहाँ यह बावूगढ़ पहाड़ी की तलहटी में प्रस्थापित नगर क्षेत्र सीमा से मिलता है वहां से प्रस्थापित नगर क्षेत्र सीमा के साथ-साथ पहले उत्तर पूर्व की ओर तथा फिर सामान्यत: दक्षिण की ओर चले हुए उस विन्दु तक जहां यह हैपि वैलि जाने वाली सड़क से मिलती है वहां से दक्षिण पूर्व की ओर इस सड़क के साथ-साथ चलते हुए उस बिन्दु जहां तक यह ब्यावर रोड से मिलती है फिर दक्षिण पश्चिम की ओर ब्यावर रोड के साथ चलते हुए अजमेर डेयरी को जाने वाली प्रस्थापित रोड (निर्माणाधीन) के प्रस्थापित लेबल क्रासिंग तक फिर दक्षिण पूर्व की ओर प्रस्थापित रोड की संरेखा के साथ-साथ खनपुरा टैंक के तटबन्ध तक फिर इस टैंक के तटबन्ध के साथ-साथ उत्तर की ओर चलते हुए इस संरेखा और खनपुरा रोड़ के मिलन बिन्दु तक, फिर आग्र उत्तर की ओर पुरानी नगर पालिका सीमा पर की कच्ची सड़क तक, फिर पश्चिम की ओर इस सड़क के साथ-साथ उस बिन्दु तक यह मदार तबीजी रेल उपमार्ग को पार करती हैं, वहां से पूर्व की ओर इस रेल उपमार्ग के साथ-साथ चलते हुए उस विन्दु तक जहां ये नसीराबाद रोड (राज्य-राजमार्ग) को पार करती है वहाँ से दक्षिण पूर्व में इस राज्य-राजमार्ग के साथ-साथ चलते हुए इसके ओर प्रस्थापित आर्टी रियल रोड के मिलन विन्दु तक, फिर प्रस्थापित नगर क्षेत्र सीमा के साथ-साथ सामान्यत: उत्तर पूर्व की ओर चलते हुए उस विन्दु तक जहां प्रस्थापित नगर क्षेत्र सीमा प्रस्थापित पुष्कर उपमार्ग के समीप उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ती है, फिर प्रस्थापित नगर क्षेत्र सीमा के साथ-साथ उत्तर-पश्चिम की ओर फिर दक्षिण की ओर तथा तत्पश्चात् उत्तर की ओर इस प्रस्थापित नगर क्षेत्र सीमा और टीचर्स ट्रेनिंग कालेज के उत्तर में जयपुर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के मिलन बिन्दु तक, वहां से आगे पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर तथा फिर उत्तर-पश्चिम की ओर प्रस्थापित नगर क्षेत्र सीमा के साथ-साथ चलते हुए प्रस्थापित नगर क्षेत्र सीमा और आंतेर नले के मिलन विन्दु तक, अर्थात् आरम्भिक विन्दु तक।

जोन II. भौतिक सीमा का विवरण दर 2/– रु० प्रति वर्गमीटर

वे सभी क्षेत्र जो जोन, 1 के बाहर स्थित हैं तथा प्रस्थापित नगर क्षेत्र सीमा के भीतर पड़ते हैं।

जोन 111. भौतिक सीमा का विवरण दर 1/– रु० प्रति वर्गमीटर

वे सभी क्षेत्र जो जोन–1 तथा जोन–11 के बाहर स्थित हैं परन्तु नगर संकुलन सीमा के भीतर हैं।

(282)

टिप्पणी :—

अभिव्यक्ति "प्रस्थापित नगर क्षेत्र" जहां कहीं भी प्रयुक्त हुई है, से अजमेर के मास्टर प्लान में प्रस्थापित नगर क्षेत्र अभिप्रेत है। अभिव्यक्तियों प्रस्थापित सड़क 'प्रस्थापित आर्टीरियल रोड़' 'प्रस्थापित उपमार्ग' भी अजमेर के मास्टर प्लान के प्रति निर्देश से हैं।

राज्यपाल के आदेश से,
ह० /–
मांताधीन शर्मा
शासन उप सचिव

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

Urban Land & Buildings Tax Department.

F.6(T) D(2) ULBTD/79/18869 Jaipur, Dated 27 Feb., 1981.

The Secretary to the Government,
Finance (Gr. IV) Department,
Government of Rajasthan,
J A I P U R.

Sub :—Division of zones and fixing of zonal rates of Jodhpur Urban Agglomeration.

Ref :—Your letter No. F. 19(29) FD/Gr. IV/80 Dated 24-12-80.

Sir,

Kindly refer to your office letter cited above. The observations contained in the Dy. Chief Town Planner's letter dated 1-12-80 a copy of which was enclosed with your office letter under reference, were discussed with the Chief Town Planner & Architectural Advisor, Rajasthan, Jaipur. As advised by him, the zones have been shown on the Urban Area Map of the Master Plan for Jodhpur. The C. T. P. & A. A. agreed to the proposals for the zonal boundaries, as indicated in the letter of the Dy. Chief Town Planner, Jaipur (copy enclosed). Accordingly the revised proposals have been prepared. A draft of the notification, and a drawing of Jodhpur urban area indicating the zones and the zonal rates are enclosed. It is requested that the notification may kindly be issued early.

Yours faithfully,

Sd/—

Encl : 3. DIRECTOR.

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

Office of the Chief Town Planner & Architectural Adviser

Rajasthan, Jaipur.

TPR/8269.06/1298 Dated 12-2-81

The Senior Town Planner,
Urban Lands Department,
Opposite Rajasthan University,
JAIPUR.

Sub : Division of zones and fixing of zonal rates of Jodhpur Urban agglomeration.

Please refer to your discussions with Chief Town Planner & Architectural Adviser on 5th February, 1981 on the above subject. As per the decisions taken in the above meeting, the adjustment for the delimitation of Zone-I can be done by excluding I. A. F. area in the east, University in the south but including the private land towards the south-west, so that this boundary runs along the SSW canal.

In view of the above the urban agglomeration map and notification of zones may be prepared on the maps as per approved Master Plan.

Sd/— 12-2-81
Deputy Chief Town Planner
Rajasthan : Jaipur.

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

Finance (Gr. IV) Department

No. F. 16(125) FD/Gr. iv/80 Jaipur, Dated.................,

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub section (3) of Section 11 of the Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976, Central Act No. 33 of 1976, the Government of Rajasthan, having taken into consi-

deration various factors such as the location and general use of the land, the utility of the land for orderly urban development, availability of vacant lands, Government investments made already for the development of zones, and trend of price rise over a period of twenty years before the commencement of the Act, hereby divides Jodhpur Urban Agglomeration into three zones and fixes the rate per square meter of vacant lands in each zone as per the schedule below for the purposes of clause (b) of sub section (1) of the said section. The drawing of Jodhpur Urban Agglomeration indicating these zones can be inspected in the office of the Competent Authority, Jodhpur for Urban Land (Ceiling & Regulation) Act. 1976, during office hours on any working day.

Schedule

Zone-I. Description of physical boundary.	Rate Rs. 5/- per square meter.

Starting from Chandpole gate and moving towards east, then nort aong the cityhl wall and again towards north-east upto the burji north-west of Nagauri gate, on the hill, from where the city wall turns almost at right angle towards east, from this burji moving north east along the foot of the hills located west of the road to Nagaur, upto the point where this road comes, nearest and then turns away from the railway line going to Phalodi, from here along Nagaur road north wards upto its crossing with the railway line. From here south wards along this railway line upto the level crossing of the road going to Mahamandir area, from here east wards along this road upto the gate of Mahamandir area boundary, then entering the Mahamandir area and moving towards north, north east, south east, south and west all along the boundary wall of Mahamandir area upto the road to level crossing (south of the level erossing mentioned earlier) with the raliway line, then along this road coming out of the Mahamandir area and further upto the railway line, then souh wards along the railway line upto its meeting point with railway line from Merta junction. From here east wards along this railway line upto its proposed crossing with the proposed alignment of the road coming from the eastern boundary of the chittar palace hillock, from here along this proposed road alignment south wards and further along this road which goes around eastern portion of this hillock towards south and south-west extending further along this road upto the crossing on south eastern corner of Engineering College. From here towards south-east

(286)

along the road going in that direction from this crossing, and then turning towards south-west and further westwards along this road upto its meeting point with Pali Road. From here moving south-wards along Pali Road and extending straight southwards along the same alignment, upto the S. S. W. S. Canal from here along the canal west wards, then crossing the railway line to Pali and extending further along this canal upto the point where it crosses the road to Barmer. From here moving towards north-east along this Barmer Road up to its junction with the road from Chest Hospital. From here moving towards north-west along this proposed road to the Chest hospital and further along the north-eastern boundary of the hospital and then turning south-west along the north-western boundary of the hospital and extending further in the same direction upto the nullah coming from the north. From here moving north wards along this nullah upto the crossing of Chopasni Road. Then towards north-east along Chaopasni road upto its crossing with Sur Sagar road. Then north wards along Sur Sagar road upto the point where the road from Sivanchi gate meets it. From here eastwards along this road to Sivanchi Gate upto the Sivanchi gate, then along city wall towards west, north-west, north and north-east upto Chandpol gate, viz.. the starting point.

Zone-II. Description of physical boundary. Rate Rs. 2.50 per square meter.

All area out side zone I and proposed for urban use as per the Master Plan for Jodhpur.

Zone-IIII. Description of physical boundary. Rate Rs. 1/- per square meter.

Area out side zone-I and zone-II and within Urban Agglomeration of Jodhpur.

Note :

The terms "proposed urban use" "proposed road", "proposed crossing are with referance to the Master Plan of Jodhpur.

परिशिष्ट 8

[अतारांकित प्रश्न संख्या 247 की सूची]

जोधपुर रेलवे स्टेशन प्लेट फार्म पर स्थित बूथ को किराए पर आवंटन हेतु आवेदकों के नाम मय दिनांक के।

क्र० सं०	नाम	दिनांक
1.	इण्डियन रेलवे केटरिंग कोपरेटिव सोसायटी लिमिटेड	28-11-78
2.	जनता सर्विसेज	28-11-78
3.	श्री भंवरलाल पुरोहित	28-5-79
4.	श्री मिश्रीलाल नरेन्द्रसिंह	23-9-80

(2888)

परिशिष्ट 9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 257 की सूची)

बकाया रहे भुगतान के कार्यों की सूची

क्र० सं०	नाम तहसील	कार्य संख्या
1.	बीकानेर तादादी कार्य	4
2.	नोखा तादादी कार्य	5
3.	लूणकरणसर तादादी कार्य	—
4.	कोलायत तादादी कार्य	17
		26

कार्यालय पंचायत समिति, श्रीकोलायतजी

ग्राम पंचायतों में किये गये राहत कार्यों की सूचि जिनका नकद भुगतान बाकी है :—

क्र० सं०	पंचायत का नाम	कार्य का नाम
1.	सियाणा	(1) सियाणा से बालां सड़क (2) सियाणा से खारा लोहान सड़क
2.	झझू	(2) झझू से बुर्ज सड़क
3.	हुर्दा	(1) बालां से खारिया मलिनाथ सड़क
4.	खीन्दासर	(1) मियांकोर से खारा सड़क
5.	दामोड़ी	(1) खजोड़ा से भेलू सड़क
6.	गड़ियाला	(1) गड़ियाला से मोटासर सड़क
7.	गिराजसर	(1) नोखड़ा से नोखड़ा सीमा तक सड़क।
8.	बीठनोक	(1) ग्राम पंचायत भवन बीठनोक (2) पंचायत की दो दुकाने व बाउण्डरी (3) बीठनोक कुए की कोठा खेली निर्माण (4) गोविन्दसर स्कूल भवन की चार दीवारी।
9.	गोडू	(1) रणजीतपुरा से फूलासर सड़क (2) रणजीतपुरा से रणजीतपुरा सीमा तक सड़क
10.	कोलायत	(1) काटड़ी से ईनदाका वाला सड़क (2) हायर सैकेण्डरी स्कूल भवन का कमरा व चार दीवारी। (3) पंचायत भवन में स्टोर।

विकास अधिकारी,
पंचायत समिति, कोलायतजी

परिशिष्ट 10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 258 की सूची)

क्र० सं०	नाम ग्राम पंचायत	78–79 से 80–81 तक अनाज मात्रा जो दी गई (क्विंटल में) क्वि० किग्रा० ग्रा०	78–79 से 80–81 तक राशि जो पंचायत को दी गई	निर्माण कार्यों की संख्या जो कराए गए
1	2	3	4	5
1.	काड़ेर	414–59–200	23599–76	15
2.	गुनेसरा	541–14–900	27097–78	17
3.	चैनपुरबरिया	506–93–300	26618–55	18
4.	सायपुर	1090–32–500	60980–95	42
5.	वजिजपुर	590–07–800	34498–03	23
6.	जहांगीरपुर	243–55–000	33419–92	15
7.	कोटाछावर	550–17–800	26427–57	12
8.	काशीपुरा	329–40–600	20678–17	11
9.	गेरई	391–58–600	23202–82	15
10.	रतियापुरा	642–59–700	27155–82	13
11.	चैनपुर गाधोपी	497–47–500	29486–86	19
12.	कोटा	612–66–000	46901–90	14
13.	परीता	810–72–300	23532–57	30
14.	अंतेवा	539–55–600	42237–63	22
15.	मांची	461–66–500	15311–70	22
16.	रोडकलां	589–58–400	109700–44	13
17.	गुडवा	455–60–800	24188–39	20
18.	गुवरैडा	451–50–000	23103–71	27
19.	खोडिया	409–52–800	20992–98	15
20.	मटोली	1035–10–600	105930–42	25

1	2	3	4	5
21.	ससेडी	1130–43–700	42143–34	19
22.	इकावली	427–15–200	17716–98	13
23.	करसैंई	632–05–100	41426–40	21
24.	तुलसीपुरा	331–08–800	27122–47	13
25.	खूबनगर	416–50–000	36614–14	17
26.	भावली	303–15–100	23468–62	18
27.	रामपुर	569–30–800	34605–13	16
28.	डाडौं	817–50–100	28965–16	22
29.	जमूरा	654–17–350	21780–87	18
30.	लौटरी	257–21–800	18401–06	9
31.	मासलपुर	444–87–600	36092–16	34
32.	खूंडा	239–97–300	13140–10	13
33.	नारायणा	502–11–900	25349–09	16
34.	सींलौती	480–57–800	27495–60	13
35.	फतेहपुर	368–27–000	20268–81	25
36.	रूपपुरा	239–82–300	14914–01	14
37.	सगरपुरा	245–27–500	17249–75	16
	योग :	21383–33–500	1192019–60	685

परिशिष्ट 11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 259 की सूची)

परिगणित क्षेत्र में स्वीकृति सड़क कार्यों की जिलेवार सूची

क्र० सं०	कार्य का नाम	संशोधित अनुमान 1980–81 (लाखों में)
जिला डूंगरपुर		
1.	डूंगरपुर बासवांड़ा सड़क पर माही नदी पर हाईलेबिल पुल का निर्माण कार्य	8·00
2.	बडौदा से पथलासा सड़क का निर्माण	1·20
3.	ग्राम वामनिया तक पहुंच सड़क	0·20
4.	आतपुर से बीजवामाता सड़क	2·00
5	वोड़ामाली तक सड़क का निर्माण कार्य	3·00
6.	रास्ता ग्राम सड़क का निर्माण कार्य	2·30
7.	जोबड़ी देवल तक सड़क का निर्माण कार्य	3·00
8.	घोरवाला ग्राम तक सड़क का निर्माण कार्य	1·80
		21·50
जिला बांसवाड़ा		
1.	बांसवाड़ा रतलाम सड़क पर जईवरशन सड़क का निर्माण	1·00
2.	इम्प्रुमेन्ट बांसवाड़ा प्रतापगढ़ सड़क का निर्माण	0.40
3.	नई बांसवाड़ा रतलाम पर माही नदी पर हाईलेविल पुल का निर्माण	19·58
4.	बरोदिया से डरवी वाया इटावा सड़क का निर्माण कार्य	
5.	उपागमन सड़क ग्राम सालिया	0·31
6.	प्रतापपुरा से अरोर वाया गोपीनाथ छागरा सड़क का निर्माण कार्य	2·58

क्र० सं०	कार्य का नाम	संशोधित अनुमान 1980–81 (लाखों में)
7.	जगपुरा सड़क का निर्माण कार्य	2·86
8.	वड़ा गांव तक सड़क का निर्माण	1·80
		28·53

जिला चित्तौड़गढ़ (प्रतापगढ़ तहसील)

1.	इम्प्रूमेन्ट आफ प्रतापगढ़ बांसवाड़ा सड़क सी० डी० कार्य सहित	3·00
2.	अरनोद से पीपलोद सड़क का निर्माण कार्य	2·50
		5·50

जिला सिरोही

1.	आबू से निवलागढ़ जिला सीमा तक	0·50
2.	आबू बाईपास सड़क पर डामर कार्य	2·55
		3·10

उदयपुर जिला

1.	डामर की सड़क बंशीधारियावाद	1·50
2.	ग्रेवल रोड़ नीमडी गेम सेन्चरी से जयसमंद	0·25
3.	अपग्रेडिंग बंशीधारियावाद पारसोला सड़क	0·40
4.	गोगरूल का वड से कोटडा	0·40
5.	भीन्डर से सलूम्बर	0·05
6.	वंशी से धारियावाद पारसोला सड़क	1·50

(294)

क्र० सं०	कार्य का नाम		संशोधित अनुमान 1980–81 (लाखों में)
7.	छाड़ोत से सोम वाया फलासिया कोलियारी तक		1·50
8.	डामर सड़क का निर्माण गोगुन्दा से ओगदा		4.00
			9·60
	कुल योग		68·18
	(1) स्थापना	8%	5·46
	(2) संयन्त्र एवं उपकरण	2%	1·36
	योग		75·00

अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत जिलेवार सड़क कार्यों के खर्च का विवरण

बांसवाड़ा	51·26
डूंगरपुर	9·33
उदयपुर	11·99
चित्तौड़गढ़	3·15
सिरोही	0 00
	76·61

परिशिष्ट–12

अतारांकित प्रश्न संख्या 263 की सूची

क्र०सं०	नाम पंचायत समिति	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त	विभागीय माप दण्ड के अनुसार अध्यापकों की आवश्यकता(स०)
1.	पीपराली	184	179	6	25
2.	श्री माधोपुर	173	173	—	33
3.	नीम का थाना	286	280	6	40
4.	लक्ष्मणगढ़	161	156	5	33
5	फतेहपुर	152	147	5	33
6.	धोद	174	172	2	25
7.	दांतारामगढ़	250	234	16	22
8.	खण्डेला	183	183	—	32
	योग	1563	1524	39	243

296

परिशिष्ट 13

(अतारांकित प्रश्न संख्या 265 की सूची)

परिशिष्ट "अ"

क्रम सं०	नाम ग्राम सेवा सहकारी समित	नाम अध्यक्ष/मन्त्री		बकाया ऋण राशि	बकाया की तिथि
1	2	3		4	5
1.	भवानीपुर ग्राम सेवा सहकारी समिति लि०	श्री रामेश्वर	अध्यक्ष	290·90	3–11–80
2.	गोठड़ा ,,	श्री रामस्वरूप	अध्यक्ष	3654·70	जून, 1980
3.	आकोदा ,,	प्रशासक नियुक्त है	—	—	—
4.	दबलाना ,,	श्री नेमीचन्द	अध्यक्ष	—	—
5.	रानी पुरा ,,	श्री रामेश्वर मीणा	अध्यक्ष	—	—
6.	बोरखण्डी ,,	श्री सत्यनारायण सैन	अध्यक्ष	—	—
7.	धनाव ,,	श्री रामेश्वर खाती	अध्यक्ष	2000·00	24–6–80
8.	बड़ोदिया ,,	श्री रामदयाल	अध्यक्ष	2500·00	28–6–80

1	2		3		4	5
9.	घोंबड़ा ग्राम सेवा सहकारी	समिति	श्री महेन्द्रसिंह	अध्यक्ष	988·70	28–11–80
10.	हिण्डोली	„	श्री गुलाबचन्द	अध्यक्ष	—	—
11.	सहसंपुरिया	„	श्री लक्ष्मणसिंह	अध्यक्ष	3126·00	जून, 78 से
			श्री कंवरलाल मंत्री	मंत्री	3571·00	जून, 78 से
12.	टोंकड़ा	„	श्री प्रभुलाल जैन	अध्यक्ष	1500·00	28–6–80
13.	थाना	„	अध्यक्ष पद रिक्त है	—	—	—
			श्री रामराय	मंत्र	—	—
14.	मांगली माताजी	„	श्री चौथमल	अध्यक्ष	1650·50	वर्ष 1978 से
15.	श्रोवन	„	श्री रामधन	अध्यक्ष	—	—
			श्री बन्सीलाल	अध्यक्ष	—	—
16.	बसोली	„	श्री सत्यनारायण	मंत्री	—	—
17.	पेच की बावड़ी	„	श्री रामसुख्या	अध्यक्ष	—	—
18.	पगारा	„	श्री सुलतानसिंह	अध्यक्ष	4298·00	वर्ष 1979
19.	चेता	„	श्री सुन्दरलाल	अध्यक्ष	—	—
			श्री कन्हैयालाल	मंत्री	9000·00	दो वर्ष से अवधि पार
20.	बड़निया गांव	„	प्रशासक नियुक्त है	—	—	—
21.	तालेड़ा	„	श्री छीतरलाल	अध्यक्ष	10916·50	12–9–79
22.	बाजड़	„	पद रिक्त है	—	—	—

(298)

1	2	3		4	5
23.	लीलेड़ाबयासल ग्राम सेवा सहकारी समिति	श्री. रघुनाथ	अध्यक्ष	—	—
		श्री नन्दकिशोर	अध्यक्ष	—	—
24.	सीतापुरा ,,	श्री गोपीलाल	मन्त्री	8700·00	24–5–79
25.	गुमानपुरा ,,	श्री घन्नालाल	अध्यक्ष	—	—
26.	बरधान ,,	अध्यक्ष पद रिक्त है	—	—	—
27.	लक्ष्मीपुरा ,,	प्रशासक नियुक्त है	—	—	—
28.	डोरा ,,	श्री केसरीलाल	अध्यक्ष	—	—
29.	ठीकरिया कलां ,,	प्रशासक नियुक्त है	—	—	—
30.	सुकासा ,,	श्री सत्यनारायण	अध्यक्ष	7500·00	2–7–80
31.	लाडपुर ,,	श्री कल्याणलाल मीणा	अध्यक्ष	—	—
32.	जमीलपुरा ,,	श्री नाथूलाल	अध्यक्ष	2400·00	30–8–80
33.	नोतड़ा ,,	श्री कंवरलाल	अध्यक्ष	6000·00	27–6–80
34.	बल्लाप ,,	श्री छोटेलाल	अध्यक्ष	1350·00	7–6–80
35.	जाखमुण्ड ,,	श्री मदनसिंह	अध्यक्ष	—	—
36.	विनायका ,,	श्री गोबिन्दलाल	अध्यक्ष	9981·00	5–6–79
		श्री गेंदाबिहारी	मंत्री	—	—
37.	तिरथ ,,	श्री मथुरालाल	अध्यक्ष	948·00	5–6–79
38.	डाबी ,,	श्री मोहनलाल	अध्यक्ष	—	—

1	2	3		4	5
39.	लोमखोह ग्राम सेवा सहकारी समिति	श्री कस्तूरचन्द	अध्यक्ष	—	—
40.	मोटूदा ,,	श्री दुर्गालाल मीणा	अध्यक्ष	7500·00	24–6–80
41.	झरबालापुरा ,,	श्री कल्याण यादव	अध्यक्ष	2186·60	15–7–80
42.	कुबराती ,,	श्री रामरतन गुजर	अध्यक्ष	—	—
43.	लालपुरा ,,	श्री लटूरलाल	अध्यक्ष	1000 00	19–7–80
44.	रामगंज ,,	प्रशासक नियुक्त है	—	—	—
45.	हट्टीपुरा ,,	श्री ओमप्रकाश चौधरी	अध्यक्ष	—	—
46.	रामनगर ,,	श्री किशनचन्द सोगानी	अध्यक्ष	3515·00	25–6–80
47.	मंगला ,,	श्री रामकरण राठौड़	अध्यक्ष	3700·00	2–4–79 से 7–7–80
48.	गुढ़ा नाथावत ,,	प्रशासक नियुक्त है	—	—	—
49.	नीम का खेड़ा ,,	श्री रामेश्वर प्रसाद श्रृंगी	अध्यक्ष	3000·00	6–9–80
50.	नमाना ,,	श्री जोधराजसिंह	अध्यक्ष	2500·00	13–6–79
				3992·50	17–6–79
51.	सीलोर ,,	श्री मंकरलाल	अध्यक्ष	—	—
		श्री हजारीलाल	मंत्री	—	—
52.	ग्रामली ,,	श्री नन्दलाल	अध्यक्ष	2500·00	26–6–79
		श्री		1344·50	9–12–79
53.	सुन्दरपुरा ,,	श्री पेमालाल	अध्यक्ष	2998·00	26–6–79
54.	गरड़दा ,,	श्री कजोड़ धाकड़	अध्यक्ष	—	—
		श्री श्यामबैल	मंत्री	1700·00	28–4–79

1	2	3		4	5
55.	मेंहंपुरा ओझा ग्राम सेवा सहकारी समिति	श्री जगन्नाथ मीणा	अध्यक्ष	1490·00	14–2–79
		श्री जगन्नाथ बैरागी	मंत्री	13750·00	31–5–78
56.	बम्बोरी ,,	श्री गजराजसिंह	अध्यक्ष	7212·00	6–1–78
		श्री छोटुलाल	मंत्री	1608·00	11–8–80
57.	रायथल ,,	श्री लक्ष्मण मीणा	अध्यक्ष	10873·00	16–3–78
		श्री छोटुलाल मीणा	मंत्री	5271·00	—
58.	खटकड़ ,,	श्री प्रेमचन्द	अध्यक्ष	—	—
59.	अजेता ,,	श्री लक्ष्मी मीणा	अध्यक्ष	—	—
60.	देलुन्दा ,,	श्री कल्याण गूजर	अध्यक्ष	—	—
61.	स्यावदा ,,	श्री मदनलाल	अध्यक्ष	3505·00	21–6–80
62.	पीपल्या ,,	श्री बाबूलाल	अध्यक्ष	—	—
63.	तलवास ,,	श्री नारायणलाल	अध्यक्ष	1300·00	15–12–80
64.	देई ,,	श्री मदनलाल जैन	अध्यक्ष	2350·00	28–6–80
65.	गुढ़ा सदावर्तियां ,,	प्रशासक नियुक्त है	—	—	—
66.	बासी ,,	श्री अमोलकचन्द जैन	अध्यक्ष	—	—
67.	मजनेरी ,,	श्री जगननाथ मीणा	अध्यक्ष	—	—
68.	सहन ,,	श्री गोपाललाल	अध्यक्ष	500·00	2[illegible]–11–79
		श्री हरीशचन्द	मंत्री	300·00	2–12–80
69.	रजलावता ,,	प्रशासक नियुक्त है	—	—	—
70.	नैणवा ,,	अध्यक्ष पद रिक्त है	—	—	—
71.	कासपुरिया ,,	श्री रामनारायण शर्मा	अध्यक्ष	2500·00	11–7–79
72.	समिधि ,,	—		—	—

1	2		3		4	5
73.	करुवर ग्राम सेवा सहकारी समिति		श्री प्रमुलाल	अध्यक्ष	2500·00	30–11–80
74	कथदा	,,	श्री रामनारायण	अध्यक्ष	2000·00	79–80
			श्री नन्दकिशोर	मंत्री	4350·00	78–79
75.	श्रान्तरदा	,,	श्री बीरबहादुरसिंह	अध्यक्ष	2500·00	79–80
			श्री गोपीलाल	मंत्री	700·00	79–80
76.	बालपुरा	,,	श्री बद्रीलाल	अध्यक्ष	800·00	21–6–80
77.	जुरखोदा	,,	श्री हरकचन्द	अध्यक्ष	2500·00	24–6–80
78.	गुढ़ा देवजी	,,	श्री गणपतलाल खाती	अध्यक्ष	3627·80	1–7–80
79	खजूरी	,,	श्री भंवरसिंह	अध्यक्ष	—	—
80.	दुगाड़ी	,,	श्री जगदीश शर्मा	अध्यक्ष	—	—
81.	जजावर	,,	श्री भीमालाल	अध्यक्ष	2500·00	7–7–79
82.	सीसोला	,,	श्री दुलीचन्द	अध्यक्ष	1700·00	24–4–79
83.	वामनगांव	,,	श्री रंगलाल	अध्यक्ष	1000·80	79–80
84.	खानपुरा	,,	श्री सत्यनारायण	अध्यक्ष	—	—
85.	भावपुरा	,,	श्री कन्हैयालाल	अध्यक्ष	—	—
86.	केशव	,,	श्री कन्हैयालाल भृत्या	अध्यक्ष	6020·00	7–3–81
87.	बाझोली	,,	श्री नन्दसिंह	अध्यक्ष	1600·00	26–6–79
88.	चतावा	,,	श्री प्रेमालाल मीणा	अध्यक्ष	5974·00	28–5–81
89.	लेसरदा	,,	श्री ज्ञानचन्द्र	अध्यक्ष	4995·00	15–6–80
90.	मायजा	,,	श्री गोपाललाल शर्मा	अध्यक्ष	1015·00	29–6–80
91.	करवाला	,,	प्रशासक नियुक्त है	—	—	—

1	2	3		4	5
92.	सुनगर ग्राम सेवा सहकारी समिति	श्री मांगीलाल शर्मा	अध्यक्ष	—	—
93.	अरनेठा ,,	श्री किशनचन्द	अध्यक्ष	—	—
94.	जालोदा ,,	श्री मुकुटबिहारी शर्मा	अध्यक्ष	6672·00	15–8–79
95.	रड़ी ,,	श्री बदरीलाल मीणा	अध्यक्ष	100·00	27–6–80
96.	सारसला ,,	श्री गोपालसिंह	अध्यक्ष	2500·00	19–6–80
		श्री हरदेव	मंत्री	5000·00	7–8–79
97.	कापरेन ,,	श्री नाथूलाल शर्मा	अध्यक्ष	9900·00	24–5–79
		श्री रामनारायण	मंत्री	3000·00	3–7–80
98.	रोटेदा ,,	श्री रामजीवन शर्मा	अध्यक्ष	4411·00	30–6–80
		श्री कन्हैयालाल	मंत्री	5900·00	27–6–80
99.	बलकसा ,,	श्री मिश्रीलाल मीणा	अध्यक्ष	8200·00	22–7–80
		श्री प्रभुलाल मीणा	मंत्री	900·00	15–11–80
100.	जैथल ,,	श्री जगन नाथ	अध्यक्ष	6538·00	25–7–79
101.	मोया ,,	प्रशासक नियुक्त है	—	—	—
102.	हिन्गोनिया ,,	श्री गोपाललाल मीणा	अध्यक्ष	—	—
103.	बालपुरा ,,	श्री रामदयाल मीणा	अध्यक्ष	2600·00	28–6–80
104.	आजन्दा ,,	श्री लट्टूरलाल	अध्यक्ष	2400·00	25–6–80
105.	फोलाई ,,	श्री जगदीशप्रसाद शर्मा	अध्यक्ष	2095·00	1–7–80
106.	गेन्डोली ,,	श्री मोहनलाल जैन	अध्यक्ष	3400·00	1–7–80
107.	मनोली ,,	श्री धन्नालाल	अध्यक्ष	3000·00	1–7–80
108.	झालीजी बराना ,,	श्री किशनलाल	अध्यक्ष	4000 00	80–81

1	2		3		4	5
109.	उतराना ग्राम सेवा सहकारी समिति		श्री किशोर	अध्यक्ष	2200·00	77–80
110.	पापड़ी ग्राम	,,	श्री मूलचन्द गुप्ता	अध्यक्ष	2493·00	77–78
111.	बड़ा खेड़ा	,,	प्रशासक नियुक्त है	—	—	5
112.	कांकरा	,,	श्री फूदीलाल	अध्यक्ष	—	—
113.	बढ़ावली	,,	श्री किशनलाल	अध्यक्ष	5877·00	77–78
114.	लबान	,,	श्री भैरू लाल	अध्यक्ष	—	—
115.	धरावन का नौताड़ा	,,	श्री रामदेवा	अध्यक्ष	1882·00	77–78
116.	खेड़ा बौरादा	,,	श्री रामदेव	अध्यक्ष	3000·00	77–78
117.	घाट का बराना	,,	श्री बदरीलाल गौतम	अध्यक्ष	—	—
118.	खेड़िया दुर्जन	,,	श्री केशरीलाल रेवारी	अध्यक्ष	4540·00	77–78
119.	कोटा खुर्द	,,	श्री नन्दलाल	अध्यक्ष	2500·00	77–78

304

परिशिष्ट "ब"

विभिन्न न्यायालयों में चल रहे केसेज की सूचना

क्रम संख्या	नाम ग्राम सेवा सहकारी समिति	नाम अध्यक्ष/मन्त्री	नाम न्यायालय जहां केस दर्ज है
1.	सुन्दरपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि०	श्री प्रेमालाल, अध्यक्ष	सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, बूंदी
2.	रायथल ग्राम सेवा सहकारी समिति लि०	श्री लछमन मीणा, अध्यक्ष	विशेष लेखा परीक्षक, सहकारी समितियां, कोटा
		श्री छोटेलाल मीणा, मन्त्री	,, ,, ,,
3.	सारसला ग्राम सेवा सहकारी समति लि०	श्री गोपालसिंह, अध्यक्ष	सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, बूंदी
		श्री हरदेव, मन्त्री	,, ,, ,,
4.	कापरेन ग्राम सेवा सहकारी समिति लि०	श्री नाथूलाल शर्मा, अध्यक्ष	सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, बूंदी
		श्री रामनारायण शर्मा, मन्त्री	,, ,, ,,
5.	भैरुपुरा ओझा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि०	श्री जगन्नाथ मीणा, अध्यक्ष	अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जयपुर
		श्री जगन्नाथ बैरागी, मन्त्री	,, ,, ,,

उपरोक्त के अतिरिक्त वर्तमान में कार्यरत अध्यक्ष एवं मन्त्रियों के विरुद्ध अन्य न्यायालयों में कोई केस नहीं चल रहा है।

305

परिशिष्ट 14

(अतारांकित प्रश्न संख्या 267 की सूची)

क्र.सं.	तहसील का नाम	शहरी क्षेत्र					ग्रामीण क्षेत्र				
		सहकारी संस्थायें	सवर्ण	अनुसूचित जाति	जनजाति	योग	सहकारी संस्थायें	सवर्ण	अनुसूचित जाति	जनजाति	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	चित्तौड़गढ़	6	2	—	—	8	21	6	—	—	35
2.	गंगरार	—	—	—	—	—	17	9	—	—	26
3.	कपासन	1	—	—	—	1	27	9	—	—	37
4.	राशमी	—	—	—	—	—	16	3	—	—	19
5.	बेगूं	—	—	—	—	—	27	14	—	—	41
6.	निम्बाहेड़ा	—	8	1	—	9	13	11	—	—	33
7.	छोटी सादड़ी	—	5	—	—	5	14	5	—	1	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	बड़ी सादड़ी	—	5	—	—	5	14	1	—	1	21
9.	मदँसर	—	—	—	—	—	15	9	—	—	24
10.	डूंगला	—	—	—	—	—	6	17	—	—	23
11.	प्रतापगढ़	—	16	—	—	16	17 28 लैम्पस	10	2	2	75
	योग	7	36	1	—	44	215	94	2	4	359

परिशिष्ट 15

(अतारांकित प्रश्न संख्या 270 की सूची)

बकाया वेतन बिलों की सूची

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	विद्यालय का नाम	एरियर का प्रकार	प्राप्ति तिथि
1	2	3	4	5
	सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री			
1.	अलफाक अहमद	रा.उ.प्रा. वि, सिगावल	पीपी	16-1-81
2.	अब्दुल रसीद	रा.उ.प्रा.वि, सिगावल	पीपी	16-1-81
3.	रामनिवास	रा.उ.प्रा.वि. कुम्हारिया	पीपी	16-1-81
4.	भंवरलाल	रा.उ.प्रा.वि, जोताया	पीपी	16-1-81
5.	मोहम्मद मुस्तफा खान	रा.उ.प्रा.वि, झीपीया	पीपी	16-1-81
6.	सुशीला देवी	रा.उ.प्रा.वि, बड़ली	अवकाश	25-2-81
7.	कैलाश नारायण	रा.उ.प्रा.वि, झीपीया	समर्पित	25-2-81
8.	मुकट बिहारीलाल	रा.प्रा.वि. समुलाबवाड़ी	समर्पित	25-2-81
9.	दुर्गालाल	रा.पूर्व प्रा. वि. मीनाय	समर्पित	25-2-81
10.	बालचन्द	रा.उ.प्रा.वि. नादसी	अवकाश	26-2-81
11.	विजय मिश्रा	रा.प्रा.वि. नवीन रामगंज	मकान भत्ता	13-2-81
12.	भंवरलाल भाटी	उ.प्रा.वि. डीगी लोवल	पीपी	10-2-81
13.	समकित	उ.प्रा.वि. मांडल	समर्पित	26-2-81
14.	राजेन्द्र	उ.प्रा.वि. अलवेर गेट	समर्पित	19-2-81
15.	रतनलाल चौधरी	रा.प्रा.वि. कायस्थान	अवकाश	17-2-81
16.	संतोषसिंह गहलोत	रा.प्रा.वि. रामनगर	पीपी	23-2-81
17.	राजेन्द्र	उ.प्रा.वि. डिगी लोवल	पीपी	25-2-81
18.	वासुदेव	सि. प्रा. वि. सेरगान	वेतन वृद्धि	6-2-81
19.	कृपाल स्यानी	,, डिगी नं० 2	पीपी	6-2-81
20.	सुर्वायलालगीया	प्रा.वि. गुलाबबाग	मकान भत्ता	6-2-81
21.	नसीरुद्दीन खां	उ.प्रा.वि. अटडा	पीपी	6-2-81
22.	यश कान्ता	उ.प्रा.वि. कल्याणीपुरा	अवकाश	13-2-81
23.	नोरतमल	उ.प्रा.वि. रामनेरढाणी	पीपी	11-2-81
24.	खींवराज	उ.प्रा.वि. रामनेरढाणी	अवकाश	11-2-81
25	उस्मान अली	उ.प्रा.वि. रामनेरढाणी	समर्पित	11-2-81

308

1	2	3	4	5
26.	नेमीचन्द्र	उ.प्रा.वि. कल्याणीपुरा	समर्पित	3-2-81
27.	अभयचन्द	उ.प्रा.वि चाचीयावास	मकान भत्ता	3-2-81
28.	अजगर हुसैन	प्रा.वि. चारअहट	समर्पित	19-2-81
29.	शान्ता	प्रा.वि. मोतीकटला	मकान भत्ता	24-1-81
30.	मोहनलाल	उ.प्रा.वि. सनोद	समर्पित	25-2-81
31.	हरिप्रसाद	उ.प्रा.वि. सनोद	समर्पित	25-2-81
32.	मथुराप्रसाद	उ.प्रा.बि. अरड़का	प्र अ भत्ता	26-2-81
33	जयरलदीन	प्रा.वि. देहली गेट	मकान भत्ता	24-2-81
34.	लिलन	सिन्धी हिन्दु मामो	समर्पित	26-2-81
35.	चतुरी देवी	सिन्धी प्रा.वि. शोरग्राम	पीपी	20-12-80
36.	वंसीमल	राजेन्द्र मा.वि. अजमेर	अवकाश	3-8-79
37.	रामपाल पारीक	उ.प्रा.वि. पाण्डोगा	पीपी	28-8-80
38.	घीसालाल जोशी	उ.प्रा.वि. गोयला	पीपी	28-8-80
39.	रामकरण	उ.प्रा.वि. कुम्हारीया	पीपी	28-8-80
40.	चन्द्राबाल चन्दानी	सि.प्रा.वि. पडाव	स्थिरीकरण-70	1978
41.	नाथूसिंह राठौड	उ.प्रा.वि. आलोली	„ -76	20-5-78
42.	जगदीशलाल	प्रा.वि. चारमुआमंदीर	„ -76	20-5-76
43.	जगदीशलाल विजय	उ.प्रा.वि. पायलेट केकड़ी	पुस्तकालय	13-1-81
44.	मानसिंह	उ.प्रा.वि. कृष्णगोपाल	पीपी	25-2-81
45.	बिमला सोनी	उ.प्रा.वि. कचहरी रोड	स्थिरीकरण-68	12-11-80
46.	उर्मिला आर्य	प्रा.वि. भगवानगंज	„ -68	25-9-78
47.	रामलाल	उ.प्रा.वि. कल्याणीपुरा	अवकाश	19-8-80
48.	पशुपतिनाथ	मा.वि. गुलाबबाडी	स्थिरी-करण-68	8-2-81
49.	लक्ष्मी देवी	उ.प्रा.वि. रामगंज	स्थिरी-करण-76	14-1-81
50.	विमला मल्होत्रा	उ.मा.वि. पुष्करण	स्थिरी-करण-61	1978

(409)

1	2	3	4	5
51.	रामरिक्षपाल	उ.प्रा.वि. कालेड़ा कृष्णगोपाल	स्थिरीकरण-61	1978
52.	सत्यनारायण शर्मा	उ.प्रा.वि. नान्दला	स्थिरीकरण-70	10/79
53.	जगन्नाथ	उ.प्रा.वि. कृष्णगोपाल कालेड़ा	स्थिरीकरण-70	10/79
54.	मायामेरा	उ.प्रा.वि. पाल बिछला	अवकाश	1978
55.	मानकश्वर	प्रा.वि. देहली गेट	स्थिरीकरण	7/80
56.	ओमप्रकाश	प्रा.वि. मोतीकटला	स्टेप-अप-76	24-2-81
57.	सुरेन्द्रनाथ चतुर्वेदी	उ.मा.वि. श्रीनगर	एरियर	2-81

नोट—1. क्रम संख्या 1 से 36 के प्रकरण इस कार्यालय स्तर पर तैयार हैं क्योंकि दिनांक 24 से कोषालय एरियर बिल लेना बन्द कर देती है। अत: दिनांक 5 के पश्चात् उक्त बिल कोषालय को पारित हेतु भेजे जावेंगे।

2. क्रम संख्या 37 से 57 तक के प्रकरण सम्बन्धित अभिलेख एवं आवश्यक जानकारी हेतु विचाराधीन हैं। यथा सम्भव शीघ्र कार्यवाही कर मार्च के अन्त तक निष्पादित कर दिये जावेंगे।

310

क. सं.	कर्मचारी का नाम	विद्यालय का नाम	प्राप्ति तारीख
1	2	3	4
	सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री		
1.	माणकचन्द जैन	उ.प्रा. बिश्नलीपुरा	28-8-80
2.	हेरनाथ आरीटिया	,, जोढ़ाया	16-1-81
3.	दयाशंकर	उ.प्रा.वि. पडोगा	16-1-81
4.	सोयरमल	उ.प्रा.वि. हुंडूण्डी	17-1-81
5.	हंसराज	उ.प्रा.वि. करोट	21-1-81
6.	मूलचन्द	उ.प्रा.वि. नांदली	21-1-81
7.	चन्द्रप्रकाश	प्रा.वि. बडगांव	23-1-81
8.	रामेश्वर प्रसाद	प्रा.वि. मंजनगंज	30-1-81
9.	सत्यनारायण	प्रा.वि. मेयोलिक रोड भटा	31-1-81
10.	मांगीलाल	प्रा.वि. अलवर गेट	2-2-81
11.	सुल्तान अहमद	प्रा.वि. राजा साईकिल	3-2-81
12.	यादकलाल	प्रा.वि. भागीरथ भवन	3-2-81
13.	रामस्वरूप	,, ,,	3-2-81
14.	सोहनलाल	प्रा.वि. डबरेला	3-2-81
15.	प्रेमचन्द	,, ,,	3-2-81
16.	दयाशंकर	,, पडोगा	4-2-81
17.	सोहनलाल	उ.प्रा.वि. डबरेला	3-2-81
18.	दामोदर	उ.प्रा.वि. नांदली	5-2-81
19.	दामोदर	,, ,,	5-2-81
20.	किशन गोपाल	उ.प्रा.वि. करोट	5-2-81
21.	हंसराज	उ.प्रा.वि. करोट	5-2-81
22.	कन्हैयालाल	उ.प्रा.वि. करोट	5-2-81
23.	दमोदर	उ.प्रा.वि. नादली	12-2-81
24.	भंवरलाल	प्रा.वि. प्रतापनगर	12-2-81
25.	कैलाशचन्द	उ.प्रा.वि. झीपीया	16-2-81
26.	उगमचन्द	प्रा.वि. लोहाखान	18-2-81
27.	राजेन्दी	प्रा.वि. चालुपुरा रोड़	18-2-81
28.	सत्यनारायण	प्रा.वि. दादावाड़ी	23-2-81
29.	चन्द्रप्रकाश	उ.प्रा.वि. रातोकोट	23-2-81

311

1	2	3	4
30.	दयाशंकर	उ.प्रा.वि. पड़ोगा	23-2-81
31.	ओम प्रकाश	उ.प्रा.वि. नागोडा	23-2-81
32.	दुर्गालाल	पूर्व.प्रा.वि., भीनाय	24-2-81
33.	चन्द्रप्रकाश	उ.प्रा.वि. बड़ागांव	25-2-81
34.	मुन्नालाल	उ.प्रा वि. गोयला	25-2-81
35.	रंजीतसिंह	पूर्व प्रा.वि. कोटड़ा	21-1-81
36.	रंजीतसिंह	प्रा.वि. कोटड़ा	21-1-81
37.	सूरजमल	प्रा.वि. ईसाई मोहल्ला	30-1-81
38.	जगदीशसिंह	पूर्व प्रा.वि. विजयनगर	3-2-81
39.	जगदीश सिंह	" "	3-2-81
40.	शिव कुमार	उ.प्रा.वि. आदर्शनगर	4-2-81
41.	विष्णुदत्त	प्रा.वि. रामनगर	4-2-81
42.	लादूसिंह	उ.प्रा.वि. मिरशाह अली	5-2-81
43.	पुखराज	उ.प्रा.वि. पीपलवाला कुआं	7-2-81
44.	छोटेलाल जैन	प्रा.वि. पहाड़गंज	11-2-81
45.	कल्याणमल	प्रा.वि. तिलोकनगर	13-2-81
46.	प्रकाशचन्द्र शर्मा	उ.प्रा.वि, धोबी मोहल्ला	13-2-81
47.	यशोदानन्द चौहान	उ.प्रा.वि. पीपलवाला कुआं	16-2-81
48.	यशोदानन्द चौहान	" "	16-2-81
49.	शान्ती देवी	पूर्व प्रा.वि. ब्यावर	17-2-81
50.	चांदमल लोढ़ा	उ.प्रा.वि. धोबी मोहल्ला	17-2-81
51.	मंगलराम	प्रा.वि. आशागंज	9-2-81
52.	अब्दुल गफ्फार	प्रा.वि. भगवानगंज	17-2-81
53.	कान्ती प्रसाद	" "	17-2-81
54.	शान्ती लाल	प्रा.वि. तबीजी	17-2-81
55.	मदनलाल	उ.प्रा.वि. साप्रोदा	19-2-81
56.	मदनलाल	उ.प्रा.वि. साप्रोदा	19-2-81
57.	विष्णुदत्त शर्मा	प्रा.वि. कायस्थ मोहल्ला	24-2-81
58.	हनुमन्त पुरी	प्रा.वि. पहाड़गंज	25-2-81
59.	भगतसिंह	उ.प्रा.वि.अलवर गेट	25-2-81
60.	भगतसिंह	" "	25-2-81
61.	किस्तूरचन्द	उ.प्रा.वि. वीर	30-1-81

(312)

1	2	3	4
62.	रामस्वरूप	उ.प्रा.वि. कानपुरा	30-1-81
63.	उगमसिंह	उ.प्रा.वि. कानपुरा	17-1-81
64.	रामस्वरूप	उ.प्रा.वि. वीर	17-1-81
65.	बदमल जोशी	" सनोद	17-1-81
66.	घीसूलाल	" नाचीयावास	20-1-81
67.	मांगीलाल	" बवायचा	23-1-81
68.	जगदीशचन्द्र	" "	23-1-81
69.	मोहनलाल	" "	23-1-81
70.	जगदीशचन्द्र जैन	" "	23-1-81
71.	अजयपालसिंह	उ.प्रा.वि. अरडका	28-1-81
72.	अजयपालसिंह	" "	28-1-81
73.	राधेश्याम पारीक	" रामनेर ढाणी	28-1-81
74.	राधेश्याम पारीक	" "	28-1-81
75.	तुलसीराम	" "	28-1-81
76.	रामजीलाल	" दबरैला	3-2-81
77.	सुभाषचन्द्र	" नागोला	5-2-81
78.	सावरलाल	" राताकोट	5-2 81
79.	रामेश्वरप्रसाद	" नान्दसी	5-2-81
80.	बछराज	" नान्दसी	5-2-81
81.	सीताराम	" राताकोट	12-2-81
82.	अब्दुल करीम	" बडगांव	25-2-81
84.	कैलाशचन्द्र	उ.प्रा.वि. पायलेट केकड़ी	30-12-80
85.	रामकिशन	" दादीया	19-1-81
86.	गणेशदत्त	" दादीया	19-2-81
87.	पदमचन्द	" मंडोल	4-2-81
88.	गोपाललाल	" उटडा	6-2-81
89.	रामगोपाल	" "	6-2-81
90.	रामस्वरूप	" कानपुरा	13-2-81
91.	कुदारदत्त	" टिकाडा	16-2-81
92.	कुदारदत्त	" "	16-2-81
93.	कुदारदत्त	" "	16-2-81
94.	कुदारदत्त	" "	16-2-81

1	2	3	4
95.	चन्दराम	सिन्धी प्रा.वि. डिगी न 2	27-1-81
96.	उरणमल	सिन्धी प्रा.वि. मोतीकटला	4-2-81
97.	लीलन	प्रावि. हिन्दू मोतीमोहल्ला	6-2-81
98.	वृजमोहन	,, लाखेनकाटडी	11-2-81
99.	ब्रजेन्द्रसिंह	,, फाईशायर	16-2-81
100.	भगवानदास	,, नला बाजार	9-1-81
101.	अनुसूया	,, मोतीकटला	11-2-81
102.	भंवरलाल	,, मोडाभाडी	23-1-81
103.	स्वरूपनारायण	,, कानपुरा	28-1-81
104.	नानकराम	,, रामनेर ढाणी	28-1-81
105.	रामगोपाल	,, कानपुरा	6-2-81
106.	कृपा	,, अदरूका	10-2-81
107.	मदनलाल	,, तापुरोदा	9-2-81
108.	बदरमल	,, संगोद	17-2-81
109	मंगलचन्द	,, उनोद	17-2-81
110.	गोपाललाल	,, उटडा	17-2-81
111.	सहनशाह बावली	प्रा.वि. ताड़ागढ़	25-2-81
112.	सहनशाह बावली	,, ,,	25-2-81
113.	किस्तुरचन्द	उ.प्रा.वि. वीर	25-2-81
114.	ऐयरमेन्स	,, चाचीयावास	25-2-81
115.	मथुराप्रसाद	,, अरड़का	25-2-81
116.	भंवरलाल	,, ,	25-2-81
117.	रामस्वरूप	,, रामनेर ढाणी	18-2-81
118.	पदमकुमार	,, मन्डोल	18-2-81
119.	पदमकुमार	,, ,,	1 -2-61
120.	पदमकुमार	,, ,,	16-2-61

नोट—1—क्रम संख्या 1 से 75 तक के प्रकरण इस कार्यालय स्तर पर हैं। क्योंकि दिनांक 24 से कोषालय वेतन बिल लेना शुरू कर देती है। अतः दिनांक 5 के पश्चात् उक्त बिल कोषालय को पारित हेतु भेजे जावेंगे।

2. क्रम संख्या 76 से 120 तक के प्रकरण बजट के अभाव में एवं आवश्यक जानकारी हेतु विचाराधीन है। उक्त कार्यवाही हो जाने पर निष्पादित कर दिये जावेंगे।

(314)

प्रसूति अवकाश

1.	श्रीमती इन्द्रा नोमल	रा. नवीन प्रा.वि. अलवर गेट	11-11-80से 6-2-81 88 दिवस सेवा पुस्तिका कार्यालय उप जिला शिक्षा अधिकारी किशनगढ़ से प्राप्त नहीं हुई है प्राप्त करने की कार्यवाही जारी है।

प्रसूति अवकाश एरियर

1.	शकुन्तला चौहान	उ.प्रा.वि. अजयसर	13-2-81
2.	चम्पा बालानी	उ.प्रा.वि. गांधी भवन	25-2-81

नोट :—उक्त बिल दिनांक 5-3-81 के पश्चात् कोषालय भेजे जावेंगे।

—